राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :4] ग्यारहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का चालीसवां दिवस [संख्या : 23

सोमवार
1 मई, 2000

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

डी. पी. कालोनी (जयपुर) में अनधिकृत बहुमंजिले भवन

675. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चांदपोल के बाहर डी. पी. कालोनी में बिना इजाजत के बहुमंजिले भवन बनाये गये हैं? यदि हां, कौन-कौन से किन-किन के द्वारा और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवनों में अपनी भूमि के अलावा सरकारी भूमि पर भी निर्माण कर लिया गया ? यदि हां, तो किसके द्वारा और क्यों तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त भवनों के मालिकों की यह स्वयं की भूमि है ? यदि हां, तो उनके पट्टों की नकलों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार लम्बे समय तक चले निर्माण कार्यों को नहीं रोकने में सम्बन्धित अधिकारियों की मिलीभगत थी ? यदि नहीं, तो उक्त अवैध निर्माण कार्यों को रोका क्यों नहीं और अब उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांतिकुमार धारीवाल) : (1) जी हां , चांदपोल के बाहर डी. पी. कालोनी में बिना इजाजत के भूखण्ड संख्या 21 में श्री गोरधनदास आसनानी इत्यादि एवं भूखण्ड संख्या 58 में श्री गोरधनदास पुत्र श्री भत्तुमल इत्यादि द्वारा बहुमंजिले भवन बनाये गये हैं । अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये हैं।

(2) जी हां, उक्त भवनों में से श्री

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

गोरधनदास इत्यादि द्वारा प्लाट नम्बर 21 में सरकारी भूमि पर निर्माण करवाये जाने के तथ्य ध्यान में आये हैं, जिसके संबंध में दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(3) कब्जा की गई कुल भूमि में से कुछ भूमि उनके स्वामित्व की है बाकी सरकारी भूमि है। पट्टे की प्रति संलग्न है।

(4) इस मामले में जांच विचाराधीन है, जिसके निर्णीत होने के पश्चात् ही दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(पट्टे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरड़क : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जिस पट्टे की नकल इसके साथ पेश की है इससे पूर्व की मेरे पास पट्टे की नकल है और यह सारा रिकार्ड नगरपालिका से मिलकर इन्होंने गायब करा दिया। इसका1960 में पट्टा दिया हुआ है भूखण्ड 21 का और यह रिफ्यूजी थे। यू.आई.टी. ने इनको रिफ्यूजी मानकर एक रुपये गज में यह जमीन अलाट की थी और पट्टे की शर्तों में यह था कि रिहायशी उपयोग के सिवाय दूसरा कोई उपयोग इस जमीन का नहीं होगा और न यह बेच सकेंगे। पट्टे में 177 वर्ग गज जमीन इनको दी थी और आज इन्होंने बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब मंत्री महोदय बता रहे हैं कि जांच कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मार्च,95 में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था और उस समय भी तत्कालीन सरकार ने यह कहा था कि हमने इसका निर्माण कार्य रोक दिया है , नहीं होने देंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा किया है उसका हम हर्जाना लेंगे , तीन लाख रुपये जुर्माना करेंगे। ऐसा उत्तर 95 में भी मेरे को दिया गया था। आज तक न तो इसका निर्माण कार्य रुका, इसका पूरा निर्माण कार्य हो गया और इन्होंने अलग-अलग फ्लेट, आफिस और दुकानें बेच दीं और यह सारी कार्यवाही नगरपालिका के अधिकारियों से मिलकर की गई है। आप कह रहे हैं कि यह पट्टा है , मैं कह रहा हूं पट्टा यह नहीं है, ओरिजिनल पट्टा यह है और यह पट्टा और नक्शा और सारा का सारा रिकार्ड आज नगरपालिका में नहीं है। इसलिए, मंत्री महोदय, आप इसमें कोई कारगर कदम उठाने की घोषणा करें। यह घिसीपिटी बात, जो तत्कालीन मंत्री महोदय ने जवाब दिया था वैसा ही आप जवाब दे रहे हैं ,आपसे ऐसी आशा नहीं थी। इसलिए आप इसमें कोई कठोर कदम उठाने की कार्यवाही करें जिससे कि अनियमितता का कोई निराकरण हो सके।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा इस डी. पी. कालोनी के प्लाट नम्बर 21 के बाबत कई बार सदन में मामला उठाया गया है। पहली बार आपने फरवरी, 1998 में और फिर नवम्बर, 1998 में फिर मार्च, 1999 में और फिर एक बार मार्च 1999 में...

श्री हरजीराम बुरड़क : मार्च,95 में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मार्च, 95 में नहीं, 95 में आप इस बारे में बोल पाये कि नहीं बोल पाये मेरे पास जानकारी नहीं है। फिर सितम्बर, 1999 में, फिर आज यह मामला उठाया गया है। आपने यह कहा है कि मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी आशा के अनुरुप ही काम करना चाहता हूं और इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत बडी इर्रेगुलेरिटी की तरफ इस प्रश्न के माध्यम से मेरा ध्यान खींचा है।

अध्यक्ष महोदय, पहला निवेदन तो मैं यह करना चाहता हूं कि जिसको आप पट्टा समझ बैठे हैं वह पट्टा नहीं है, वह अलाटमेंट लैटर है। यह अलाटमेंट लैटर 1960 में तत्कालीन यू.आई.टी. द्वारा पुनर्वास के नाम पर इन लोगों को 177.70 वर्ग गज का दिया गया था और उसी यू.आई.टी. ने 1965 में इनका जो साइट प्लान मंजूर किया वह 243.20 वर्ग गज का कर दिया। अब यह किस प्रकार किया गया, एक तो जांच का बिन्दु यह है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा अर्ज करना यह है कि यू.आई.टी.द्वारा 243.20 वर्ग गज का नक्शा भी पास कर दिया गया और 6.4.68 को यू.आई.टी. द्वारा यह सर्टिफिकेट भी दे दिया गया कि कोई नजराना व लीज राशि इन पर बकाया नहीं है। इसका प्रमाण पत्र दे दिया गया। 17 नवम्बर, 1975 को कम्पाउंडिंग हेतु इन्होंने अपने मानचित्र वहां पर पेश किये, नगरपरिषद् में, उस वक्त नगरपरिषद् थी, लेकिन वहां पर कम्पाउंडिंग नहीं किया गया। कम्पाउंडिंग इसलिए नहीं किया गया क्योंकि एस.टी.पी. की यह रिपोर्ट आ गई कि यह कम्पाउंडिंग के काबिल नहीं है, इन्होंने सैट बैक में 10 प्रतिशत से ज्यादा वायलेशन किया है। ठीक इसी तरीके के यह केसेज अकेले नहीं हुए हैं, इस डी.पी. कालोनी में कम से कम 4 या 5 केसेज ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर ओरिजिनल अलाटमेंट लैटर तो 170.70 वर्ग गज का था लेकिन किसी को 401.60 दे दिया गया, किसी को 426.60 दिया गया, किसी को 305 दिया गया, किसी को 305 से ज्यादा दिया गया। यह कई प्रकार के केसेज हुए, लेकिन जो आपने सवाल पूछा है डी.पी. कालोनी की बहुमंजिली इमारतों की बाबत, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि कुल मिलाकर इस डी.पी. कालोनी में 160 के करीब मकानात हैं, इन मकानातों में सिर्फ पांच तामीरें इस प्रकार की हैं जिनको हम व्यावसायिक कह सकते हैं। पांच में से भी आप तीन को निकाल दें क्योंकि वह बहुमंजिल की परिभाषा में नहीं आतीं। सिर्फ दो तामीरें ऐसी हैं, प्लाट नम्बर 21 और 58, जिनको बहुमंजिला माना जा सकता है बाई-लाज की परिभाषा के अनुसार। आपका सवाल मोटे तौर पर प्लाट नम्बर 21 के बाबत है। मेरा उसमें यह निवेदन है कि इसमें नगर निगम के द्वारा सन् 95 में तीन बार और 96 में भी इसके नोटिसेज दिये गये लेकिन मैं यह मानता हूं कि नोटिस देने से काम नहीं चलता था, उनके खिलाफ या तो अतिक्रमण तोड़ने की कार्यवाही की जानी चाहिये थी या उनके खिलाफ चालान पेश किया जाना चाहिये था। मैं स्वंय यह स्वीकार करता हूं कि जिस नगर निगम के द्वारा प्लाट नम्बर 21 के विरुद्ध जो कार्यवाही की जानी चाहिये थी वह कार्यवाही

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कानून संम्मत नहीं हुई । आपसे मेरा यह भी निवेदन है, सवाल यह आता है, जैसा आपने कहा कि सरकारी भूमि रोक रखी है, तो अगर यह साबित हो जाता है कि यू.आई.टी. के द्वारा 20 जुलाई, 1965 को इसका साइट प्लान पास किया गया 243.20वर्ग गज का और आज जो कब्जा इसका है वह है 261.86 का, अगर इसका डिफरेन्स देखते हैं तब कुल मिलाकर...

श्री देवीसिंह भाटी : अब तुड़वा दोगे ना, मोटी बात यह है ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मिनट ठहरिये आप, पूरा जवाब देने दीजिये । वे आसानी से संतुष्ट होने वाले विधायक नहीं हैं। सातवीं बार सवाल उठया है इसी बात का ।

तो 17.86 वर्ग गज पर सरकारी भूमि पर कब्जा माना जाता है । और अगर यह बात साबित नहीं होती है कि उन्होंने 243 वर्ग गज पर साइट प्लान तो मंजूर करवाया लेकिन स्थानीय निकाय में उसका पूरा पैसा जमा नहीं करवाया तो फिर यह सरकारी अतिक्रमण माना जाएगा, 96.16 वर्ग में। अब ये सारी बातें इंक्वायरी की हैं । आपने पूछा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? मेरे तो ध्यान में ही यह पूरा पहली बार आया है, पुरानी गवर्नमेंट थी, तत्कालीन सरकार थी जिनके बराबर आप नोटिस में लाते रहे और उन्होंने कार्यवाही नहीं की। इधर से उधर, उधर से इधर होते रहे । मैं इस बाबत बाकायदा जांच कराऊंगा और जांच करवा करके जो भी अधिकारी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा ।

दूसरा सवाल आपका था प्लाट नम्बर 58 के बाबत । प्लाट नम्बर 58 के बाबत जो कुछ यह प्रश्न लगने के बाद में मुझे देखने को मिला वह यह कि इसमें जे.ईएन. के द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि यह मामला स्वीकृत नहीं है। जब यह फाइल चली तो 4 महीने तो जे.ईएन. साहब की आलमारी में ही यह फाइल बंद रही, 7 महीने एस.टी.पी. साहब के यहां बंद रही और फिर एक साल तक तत्कालीन महापौर अपनी आलमारी में इस फाइल को दबाये बैठे रहे। उस पर हमने उनको स्पष्टीकरण का नोटिस दिया। एक बार दिया, दो बार दिया, वह मियाद निकल गयी। अब फिर मैंने परसों उनको नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर-अंदर वह इस पर या तो अपना स्पष्टीकरण दें वरना यह मामला मैं ए.सी.डी. में दूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, पहला तो यह कि आपने यह जो अलाटमेंट लैटर बताया है, यह फरवरी, 1960 का है और अप्रेल 1960 में उन्होंने इतनी ही जमीन का पैसा जमा कराया है, जिस रसीद की मेरे पास कापी है । पहले तो आप यह जांच कर लें कि वह यू.आई.टी.से अलाट है कि उन्होंने यूं ही साइट प्लान पेश कर दिया है? इस बारे में आप पूरी जांच कर लें । दूसरा मेरा यह निवेदन है कि यह कामर्शियल में कन्वर्ट कब हुई? अगर बिना कन्वर्ट किये कामर्शियल में बना दिया उसका आप क्या करेंगे ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस भूमि का कभी भी आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

भू-परिवर्तन नहीं हुआ, यह स्वीकार करता हूं। भू-परिवर्तन नहीं हुआ तो उसके नियम बने हुए हैं, उन नियमों के तहत इसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

प्रश्न संख्या : 676

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन । श्रीमती यासमीन अबरार। अनुपस्थित।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें ।)

डा. रामप्रताप ।

गौशालाओं को पशुधन संरक्षण हेतु स्वीकृत अनुदान

677. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या सरकार प्रदेश में व्याप्त अकाल की स्थिति से निपटने के लिए गौशालाओं को प्रतिमाह चारे के लिए अनुदान दे रही है ? क्या उक्त अनुदान इस वर्ष भी दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त भयंकर अकाल की स्थिति में पशुधन को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

राज्य मंत्री, अकाल एवं पुनर्वास (श्री परसादीलाल मीणा) : (1) जी हां। अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्थित पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित पशुओं को मार्च, 2000 से अनुदान स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(2) अभाव स्थिति से प्रभावित पशुओं के संरक्षण हेतु सस्ती दर पर चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चारा डिपो खोलने, आवारा तथा असहाय पशुओं के लिए पशु शिविर खोलने तथा पंजीकृत गौशालाओं द्वारा संधारित किये जा रहे पशुओं के लिए अनुदान स्वीकृत किया रहा है। सरकार द्वारा मई माह से दुधारु एवं कृषि उपयोगी पशुओं के लिए आहार उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है ।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब में बताया है कि अनुदान स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये हैं । इसी के भाग 2 में, पशुओं के लिए अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, एक संवेदनशील सरकार है और इस सदी की यह भयंकरतम स्थिति जो अकाल की बनी हुई है, उस वक्त में अभी तक यह अनुदान स्वीकृत किया जा रहा है, इस किस्म के जवाब इस सरकार से आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सप्लीमेंट्री का भाग एक है, मंत्री महोदय, कब तक तो आपने गिरदवारी करवाई, कब आपको पता चला कि साढ़े 23 हजार गांव अकालग्रस्त हैं? राजस्थान में कितना पशुधन है और कितनी गायें और भेड़ें इस अकाल की वजह से मरी हैं? कब आपने केन्द्र सरकार को मेमोरेण्डम दिया और कब आपने अकाल राहत कार्य शुरु करवाये ?यह मेरी पहली सप्लीमेंट्री है ।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, वैसे अकाल पर पूरे दिन की बहस हो चुकी है और कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये, कब गिरदावरी करवाई गयी, कब कितना क्या किया गया, आपका सवाल पशुओं से सम्बन्धित है । सरकार पूरा जवाब इसका बहस के दिन दे

(श्री परसादीलाल मीणा)

चुकी है फिर भी आपको सारी जानकारी होने के बाद, गिरदवारी अगस्त और सितम्बर में करवाई गयी, 23406 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये और इनको काम शुरु करने के निर्देश16 फरवरी को दिये गये। उसके बाद हमने समय-समय पर कलेक्टर्स को निर्देश दिये । चारा डिपो सैंक्शन किये गये। चारा डिपो के बाद जब पशुओं का सवाल आया तो हमने पशुओं का अनुदान, जो पूर्व सरकार के समय एक, डेढ़ और तीन रुपये था उसको बढ़ा कर हमने छोटे पशुओं के लिये 5 रुपये और बड़े पशुओं के लिए प्रति पशु 10 रुपये किये हैं। जो दुधारु और पालतू पशु हैं हमने प्रतिदिन प्रति पशु उनके लिये 5रुपये के पशु आहार की व्यवस्था की है । चारा डिपो के लिये हमने ग्राम पंचायतों को भी अधिकृत किया है। जो ग्राम पंचायतें चारा डिपो खोलना चाहें उनको 20 हजार रुपये के हिसाब से रिवाल्विंग फण्ड से व्यवस्था की है। सारी व्यवस्था सरकार ने अपने स्तर पर, जहां-जहां भी जिस चीज की आवश्यकता है, हमारे कलेक्टर्स ने चारा डिपो सैंक्शन किये, कैटल कैम्प्स सैंक्शन किये। हम उन कैटल कैम्प्स की, कि किस तरह पशुओं को वे रख सकें इसके लिये सरकार ने उदार दिल से उनकी अनुदान राशि बढ़ाई है। इन व्यवस्थाओं के लिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिस तरह की सरकार ने व्यवस्था के निर्देश दिये हैं, कलेक्टर्स को बताएं, आप भी समय-समय पर जाकर सहयोग करें, अनुदान नहीं मिल रहा है, चारा डिपो नहीं खुल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं हो रही है तो आप कलेक्टर्स से मिलिये। आप राज्य सरकार को बताएं कि कहां पर राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक व्यवस्था नहीं हुई है,कहां कमियां हैं । आप उन कमियों को बताएंगे तो सरकार निश्चित रुप से आपके सुझावों पर विचार करेगी।

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो मेरी सप्लीमेंट्री थी, उस पर बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया । मैं आपसे इसलिये पूछ रहा हूं कि सरकार सोई हुई है, इसकी नींद जगाने के लिये प्रयास कर रहा हूं। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि प्रदेश के 23406 गांव आपने अभावग्रस्त किये थे, यह 10 जनवरी की खबर है। इसी तरीके से 11 जनवरी को गांव में तालाब सूखे, फ़सलें चौपट हुईं। इसी तरह से जो सैण्ट्रल टीम आयी थी उसमें माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने खुद ने यह स्वीकार किया है, मैं कोट कर रहा हूं, मैं पढ़कर सुनाता हूं, इस राज्य में पेयजल एवं पशुओं के लिये चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जब आपके सामने यह स्थिति जनवरी में पैदा हो गई थी, अध्यक्ष महोदय, आप खुद अकाल राहत मंत्री रहे हुए हैं, आपने बहुत से अकाल भी देखे हैं, जब इस स्थिति की आपको जानकारी मिल चुकी थी तो आपने इतना लेट यह अकाल राहत कार्य शुरु क्यों किया ? और जब आपके पास सी.आर.एफ. का पैसा पड़ा था, जो आपने यह मेमोरेण्डम दिया केन्द्र सरकार को, जब यह पैसा आपके पास पड़ा था तो आपने यह खर्चा क्यों नहीं किया? मंत्री महोदय, मेरा जवाब दें, मैं माफी चाहूंगा, यह

(श्री रामप्रताप)

तो वह स्थिति हो गयी जब मर्लिन मुनरो बहुत खूबसूरत है लेकिन एक दस साल के छोरे से उसकी शादी कर दी जाए तो क्या फायदा मिलेगा। आपके पास में पैसा पड़ा था। पैसा आपने खर्च क्यों नहीं किया सी.आर.एफ. का? आज आपको अगर 1144 करोड़ रुपये भी दे दिये जाएं तो आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको तो पैसा लेकर के रखना है। काम आपको करवाने नहीं हैं। आपरेशन रिवाइवल चला रहे हैं आप। किसको कहते हैं रिवाइवल? One who is dying.One who is gasping. उसको रिवाइवल किया जाता है और यह कोटा में आपरेशन रिवाइवल चला रहे हैं, जयपुर के अन्दर आपरेशन पिंक चला रहे हैं, जयपुर को गुलाबी रंग करना चाहते हैं। +++ मैं आप पर यह इल्जाम लगाना चाहता हूं कि +++ इंकाम्पीटेंट गवर्नमेंट। जो लोग आज की तारीख में इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे लम्बा चौड़ा भाषण सुना रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपत्ति करता हूं और इनको आप सदन की कार्यवाही से निकलवायें।

श्री अध्यक्ष: +++एक्सपंज किया जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अकाल के कारण, भूख के कारण एक आदमी ने दम तोड़ दिया है बारां में।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): आपने हमेशा गायों की राजनीति की है। गायों की राजनीति के अलावा आपको कुछ आता है ?

श्री रामस्वरुप : खुद +++ रहे हैं इसलिए दूसरों को भी +++बताते हैं। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मेहरबानी करके जो माननीय सदस्य ने पूरी सरकार को +++ बताया है... (व्यवधान)

श्री जीतमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले के लिए जैसा माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम अनुदान राशि जिला कलेक्टर को भिजवा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर अब तक किसी भी ग्राम पंचायत को अनुदान राशि नहीं मिली है और हालात बड़े खराब हो रहे हैं। आज दिन तक मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि जो अनुदान राशि कलेक्टर को भेजी होगी कलेक्टर के दफ्तंर में पड़ी होगी, जिले की हालत बड़ी खराब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष :प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री जीतमल : बांसवाड़ा जिले की हालत बड़ी खराब हो रही है। हमारे गायें मर रही हैं, हालात बड़े खराब हो रहे हैं और माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि हम सम्बन्धित ग्राम पंचायत को अनुदान राशि भिजवा चुके हैं। यह बड़ी लाजमी बात हो रही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जीतमल जी, बैठिये।

+++अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, एक मिनट। इस प्रश्न का स्कोप बहुत लिमिटेड है। आप इसको पढ़ लीजिए। दुनियाभर के प्रश्न को दायरे में लाने कि कोशिश करेंगे तो कोई सारी सूचनाएं एक साथ सम्भव नहीं हैं। डाक्टर साहब ने यह पूछा है कि क्या सरकार प्रदेश में व्याप्त अकाल की स्थिति से निपटने के लिए गौशालाओं को, इट इज लिमिटेड ओनली, गौशालाओं को प्रतिदिन कितना अनुदान देने का सरकार विचार रखती है या नहीं ?

भाग दो में यह है कि उक्त भयंकर, ऊपर के रैफरेन्स से, उक्त भंयकर अकाल की स्थिति से पशुधन को बचाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?(व्यवधान) एक मिनट।

अब कब घोषित किये, कब घोषित नहीं किये, कितने काम चले और कितने काम नहीं चले, डिबेट के दिन यह सारी बातें आप कह चुके हो... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को कोई डाक में खड़ा नहीं करना चाहता। यह हमारी भी जिम्मेदारी है और यह सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। डाक में आज राजस्थान की वह ढाई करोड़ जनता खड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय,हमें उसका इन्तजाम करना है। आप इसको अदरवाइज क्यों लेते हैं ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं अदरवाइज नहीं ले रहा हूं।

श्री रामप्रताप : क्यों नहीं बताते कि सी.आर.एफ. का पैसा आपके पास होते हुए भी आपने क्यों नहीं खर्च किया उस पर?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर देने की मैं स्थिति में हूं और उत्तर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री रामप्रताप : तो यह अकाल से रिलेटेड सारा मामला है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : एक सैकण्ड, आप सुनो । आपने पूछा कि राजस्थान में गौशालाओं को अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार ने किया या नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : बता दिया आपने ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने बता दिया और फिर और क्लियर कर देता हूं कि गौशालाओं को संधारित क्रमशः छोटे व बड़े पशुओं के लिए 1.3.2000 से 30.6.2000 तक अनुदान देने, दिये जाने की स्वीकृति हमने जारी कर दी। वर्तमान में गौशालाओं में 62,833 पशुओं को लाभान्वित किया जा रहा है। पशु शिविरों और पंजीकृत गौशालाओं को पहले अनुदान था तीन रुपये और एक रुपया पचास पैसा, वह बढ़ाकर तीन रुपये और छह रुपये किया और अब हमने बढ़ाकर पांच रुपये और दस रुपये कर दिया। पशु आहार के लिए भी हमने तीन लाख पशुओं के लिए

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

पशु आहार देने का फैसला किया है और वह एक मई से देने का निर्णय कर लिया है। सांड सहायता के बाद में, पशुधन को बचाने के लिए प्रति सांड प्रतिदिन आठ रुपये देने का हमने फैसला किया है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, इस चीज से मैं इंकार कहां कर रहा हूं? प्रश्न का जो पहला भाग है, उसके बारे में आपने चर्चा ही नहीं की। मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूं, अखबारों के माध्यम से कह रहा हूं,जब आपने खुद ने एडमिट किया हैं कि साढ़े 23 हजार गांवों की स्थिति और उसके साथ में पीने के पानी की भी... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसका तो हम भारत सरकार को मैमोरेण्डम दे ही चुके हैं कि 23,406 गांव अभावग्रस्त घोषित हैं।

श्री रामप्रताप : मैमोरेण्डम देने से उन लोगों की भूख नहीं मिट सकती। पशुओं को चारा नहीं मिल सकता। जब आपने इस भयंकर स्थिति को माना है तो उसके बावजूद भी सी.आर.एफ. के पैसे का क्या करते रहे आप? किसलिए था वह पैसा? अगर आपका सी.आर.एफ. माइनस में जाता तो जाता, लेकिन क्यों नहीं आपने उस पैसे का इस्तेमाल किया?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अब तक एक हजार चारा डिपो काम कर रहे हैं, पहले 20 रुपये सब्सिडी देते थे उसके बजाए 45 रुपये किया और 45 रुपये सब्सिडी को बढ़ाकर हमने 60 रुपये किया, और हमने अब तो राज्य में लाने वाले चारे को भी 60 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल, यह खाखला आज की तारीख में, आज यह खाखला दे रहे हो...(व्यवधान)

श्री जीतमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खाली कागजों के अन्दर ही चल रहा है। अकालग्रस्त क्षेत्र होने के बावजूद भी, अकाल पर चर्चा होने के बावजूद भी ग्रामीण इलाकों को कोई राहत नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके किसी भी एम.एल.ए. से पूछ लीजिए कि कोई एक हजार डिपो चल रहे हैं क्या ? एक हजार का जो आपने..(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: मेरे पास जिलेवार आंकड़े हैं। जहां-जहां डिपो चल रहे हैं, आप चाहें तो मैं वह सब दे सकता हूं।

श्री जीतमल : वह आंकड़े आपके कागजों तक ही हैं। ग्रामीण इलाकों के अन्दर हालत बड़ी खराब है। किसी ग्राम पंचायत में डिपो नहीं खुला है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। एक श्रमिक मरा था, उस दिन आपने कहा था कि वह खाना खाकर बाद में मरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है। पूछ लिया।

श्री रामप्रताप : दो महीने से रामप्रताप भूख से तड़प रहा है और मरते दम उसके मुंह में हलवा खिला दो तो वह हलवा खाकर मरा है। इस किस्म का सरकार कागजों में जवाब देती है। (व्यवधान) मैं आपसे सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आपने जनवरी में इस स्थिति को मान लिया था तो क्यों नहीं सी.आर.एफ का पैसा इस्तेमाल किया ? क्यों नहीं पीने के पानी की व्यवस्था की ? क्यों नहीं चारे की व्यवस्था की ? आप बताइये इस बात को। आप कहते हैं कि सराकर ने...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चारे के लिए हमने अक्टूबर में ही आदेश दे दिये थे और पीने के पानी की व्यवस्था के लिए भी हमने अक्टूबर में ही आदेश दे दिये थे।

श्री रामप्रताप: कब आपके आदेश हुए थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह असत्य बोल रहे है?

श्री रामप्रताप : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर में तो यह मान रहे हैं इस बात को। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के लिए लोग मर रहे हैं । औरतें भूख हड़ताल पर बैठी हैं। देवली के पास सावा गांव में सात दिन से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, दिलावरजी, बैठिये आप।

श्री मदन दिलावर : पांच दिन से। पांच दिन से देवली के पास सावा गांव में पानी के लिए भूख हड़ताल कर रही हैं। बहुत से लोगों को लू लग गयी है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक है, बैठिये-बैठिये, आपने कह दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई कांग्रेसी विधायक बता दे, व्यवस्था हुई है क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सब बात बता दें, कोई व्यवस्था हुई है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री रामप्रताप : अलग से व्यवस्था नहीं हुई।

श्री रामस्वरुप : अलग से व्यवस्था हुई है। कौन कहता है कि व्यवस्था नहीं हुई है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रामस्वरुपजी, बैठिये।

श्री रामस्वरुप : सरकार लगातार चिन्तित है। लगातार व्यवस्था कर रही है। हमारे हिंदुस्तान की नेता श्रीमती सोनिया गांधीजी पधार रही हैं इसके लिए। आये आपके अटल बिहारी वाजपेयी ? पता है कि आएंगे ? कुछ पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका तो पागल कुत्तों का लगा हुआ है । आपका तो पागल कुत्तों का लगा हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरुपजी, बैठिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपका तो पागल कुत्तों का क्वेश्चन लगा हुआ है। आप पागल कुत्तों के बारे में पूछ रहे-हो । (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप : प्रोग्राम नहीं बनाया उन्होंने अभी तक । सोनियाजी पधार रही हैं। मुख्य मंत्री वहां दौरे पर गये हैं, हमारे मंत्रिमण्डल के सदस्य वहां पर गये हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पागल कुत्तों के बारे में पूछ रहे हो । (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप: सब मंत्रियों के चेहरे काले पड़ गये, वहां घूमते-घूमते धूप में और ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर। रामस्वरुपजी, आप दोनों बात मत कीजिए ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनका तो पागल कुत्तों का क्वेश्चन लगा हुआ है, साहब । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप दोनों प्रतिदिन जो है विवाद में पड़ जाते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अक्टूबर में हमने इस बात के आदेश दे दिये कि चारे की व्यवस्था की जाए ।

श्री महेश जोशी (सरकारी उप मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय,मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चहाता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रश्न जो किया, आपने अपनी घोषणा तो अक्टूबर से कर दी लेकिन वास्तव में अक्टूबर की घोषणा की अप्रेल तक आकर भी पूर्ति नहीं हुई है। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसमें तो नहीं होता लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग "कुत्ते के काटने का" और "पागल कुत्तों का" प्रयोग किया जा रहा है, सदन की परम्परा और सदन की मर्यादाओं के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से माननीय उप नेता महोदय, जो भारतीय जनता पार्टी दल के हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वे अपने सदस्यों को मर्यादित करने का श्रम करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह इनका प्रश्न लगा हुआ है, पागल कुत्तों का, रामस्वरुपजी मीणा का ।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इनका नाम ज्ञानदेव +++ उनको ज्ञान का...(व्यवधान) +++

श्री रामस्वरुप : +++ (व्यवधान) उलझ गये यह तो बिलकुल ही। इस सदन के अन्दर कोई भी गैर जिम्मेदारी की बातें करते रहते हैं यह तो, +++ अब इस सदन में... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न लगा हुआ है ।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : न यह इस सदन को गम्भीरता से लेते हैं, यह मर्जी आये सो बोलते रहते हैं, इनकी कोई परवाह नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष : आप दोनों जो ....(व्यवधान) आसन पैरों पर, आसन पैरों पर। गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमने अक्टूबर से ही इसके आदेश कर दिये। अक्टूबर में आपके आदेश हो गये और अप्रेल तक उसकी क्रियान्विति फील्ड में नहीं हुई। माननीय सदस्य का सवाल पूछने का यही है कि जो चीज आपने अक्टूबर से मान लिया कि इस प्रकार की समस्या है और उसको लेकर आपने, अप्रेल तक, फर्स्ट अप्रेल तक जाते हुए इसके आदेश किये तो बीच के समय में आपने क्या व्यवस्था की? क्या वह व्यवस्था करना आपका धर्म था या नहीं और उसमे चूक हुई है तो उसमे दोषी कौन है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ :माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से छोटा सा सवाल करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। माननीय राजेन्द्रजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अक्टूबर में चारे के डिपो खोलने की बात कही है। तो कृपया आप बता दो कि आपने अक्टूबर माह में कितने चारे के डिपो खोले ? मेरा दूसरा सवाल है कि आप यह कहते हैं कि आपने...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : राज्य सरकार ने अक्टूबर से सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दे दिये थे, घास के लेकिन जनता की डिमांड नहीं आयी, लोगों ने घास नहीं मांगी तो राज्य सरकार ने अक्टूबर में घास नहीं पहुंचायी। जैसे ही पिछले महीने में घास की मांग आयी तो सारे राजस्थान में डिपो में घास पहुंचायी है, इसलिए सरकार की मंशा साफ है।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। हम आपकी अनुमति से बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : सरकार की मंशा राहत देने की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारी तो कोई बात ही रिकार्ड पर नहीं लेने देते हैं और बीच में...(व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : यह जो हमारे विरोधी माननीय सदस्य हैं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य हर मामले में झूठा-सांचा सरकार को किसी न किसी तरह कोसना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री हफीज मोहम्मद : +++ और बदनाम करना, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी आज्ञा से पूछ रहा था। मंत्रीजी, हमें एक बात की जानकारी चाहिए कि अक्टूबर में कितने चारा डिपो खोले और अक्टूबर माह में उन डिपो से कितना चारा विक्रय हुआ, नम्बर एक बात।

नम्बर दूसरी बात, मुझे यह जानकारी चाहिए कि आपने जो पशु अनुदान बढ़ाया वह आपने मार्च में ही क्यों बढ़ाया, आपकी गिरदावरी 11 सितम्बर को हो गयी, आपने 16 फरवरी से अकाल राहत कार्य खोलने का ऐलान कर दिया, आपने अक्टूबर में चारा डिपो खोलने का ऐलान कर दिया अक्टूबर में कैटल कैम्प खोलने का ऐलान कर दिया, तो आपने इतने महीनों के बाद, जब सारा पशु राजस्थान का मर गया या पलायन कर गया, उसके बाद आप चेते हो और उसके बाद आपने अनुदान बढ़ाया है। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर कितने कैटल कैम्प के अन्दर कितने कैटल हैं, यह बात आप बता दीजिए।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि हमारे राजस्थान प्रदेश के अन्दर एक हजार पशुओं के लिये हमने चारा डिपो खोले हैं। गांव कितने बताये आपने ?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत: एक हजार पशुओं के लिए नहीं, 1048 चारा डिपो विभिन्न जिलों में खोले हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : एक हजार चारा डिपो खोलें हैं। 23 हजार गांव अभावग्रस्त हैं, उसमें क्या आप एक हजार चारा डिपो पर्याप्त मानते हैं? क्या यह भी सही है कि कल केन्द्र से संसद सदस्य की टीम बीकानेर और चूरु गयी और उन्होंने जगह-जगह पर आपके कैटल कैम्प और जहां-जहां चारा डिपो थे, वहां मृत गायों के ढेर और कंकाल देखे हैं ?

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं। माननीय मंत्रीजी ने अभी फरमाया कि राजस्थान में 1.3.200 को गौशालाओं को अनुदान राशि देने का आदेश दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक किसी भी गौशाला को अनुदान की राशि नहीं मिली, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान के किन-किन गौशालाओं को अनुदान के रुप में कितनी राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी ? यह बताएं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : बैठिये-बैठिये। प्रश्न पूछ लिया आपने। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अधयक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) माननीय संयम लोढ़ा।

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल सहायता मंत्रीजी

(श्री संयम लोढ़ा)

से यह जानना चहता हूं कि हमारे सांसद मानीय बूटासिंहजी ने नवम्बर और दिसम्बर में दो ट्रेन चारे की भरकर पंजाब से भेजी और बाद में इनकी पार्टी की सरकार ने हमको ट्रेन नहीं दी। जनवरी और फरवरी के अन्दर दो महीने हमारे पास चारा नहीं आया। 500 ट्रक चारा वहां पड़ा रहा। इनकी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार की क्या नीयत रही है, यह भी आप बता दें।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भारत सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी चारा परिवहन के लिए फ्री रेलवे हमको अलाउ नहीं की। अभी चार रोज...(व्यवधान) बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : खाली राजनीति करना चाहते हो अकाल के नाम पर...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी हाल ही में लोक सभा में डिबेट के वक्त...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पास के बच्चे पल नहीं रहे,पड़ोसी भी आरोप लगाये कि पड़ोसी ने मेरे बच्चों को पानी नहीं पिलाया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनने की कोशिश करो । अभी हाल ही में लोक सभा में अकाल की चर्चा के डिबेट के वक्त माननीय प्रधान मंत्रीजी ने हमको कहा कि हम अब चारा परिवहन के लिए, पानी परिवहन के लिए रेल कि मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उस सुविधा को हमने अवेल करना शुरु कर दिया। हमारे पास हरियाणा से एक रैक जोधपुर पहुंच चुकी है। दूसरी रैक जल्दी ही हमारे पास पहुंचने वाली है। पानी कि गाड़ियों की भी हमने व्यवस्था कर दी है। एक रेलगाड़ी हमारे पास अजमेर से राजसमंद तक जाएगी, जो पानी ले जाएगी और दूसरी गाड़ी जोधपुर डिविजन में जाएगी। जब से यह सुविधा मिली तब से इसका लाभ हमने ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवनाथ सिंह।(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है। 31 मार्च, 2000 को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर मंत्रीजी दे चुंके हैं। नैक्स्ट क्वेश्चन।(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : 678

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, भारत सरकार ने...(व्यवधान) 31 मार्च, 2000 को...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय बैठिये। दिलंवार जी, बैठिये। नैक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, से एक जवाब से दिलवा दीजिए। 31 मार्च, 2000 को प्राकृतिक आपदा कोष में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। आसन पैरों पर। कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोग भूख के मारे तड़प-तड़प कर, अध्यक्ष महोदय,(व्यवधान) व्यक्ति भूख के कारण मर गया है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सांवरलालजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बताना चाह रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री शिवनाथ सिंह : प्रश्न संख्या 678...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। श्री दिलावर, आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, बैठिये। आप अव्यवस्था मत फैलाइये।(व्यवधान)

श्री रामस्वरुप : दिलावर जी, +++ बैठिये,बैठ जाइये आप।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवरलाल, बैठिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। बैठिये आप। हमेशा बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : 31 मार्च, 2000 को राज्य प्राकृतिक आपदा कोष में कितनी राशि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वश्चन। माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) श्री दिलावर, बैठिये। आसन पैरों पर। आसन पैरों पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको सुपर अध्यक्ष बनाया है क्या रामस्वरुपजी को ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है। (व्यवधान) नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है मैंने। बैठिये।(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मांडपुर पंचायत में बापी, अणेवा और मांडपुर में तीन ट्रक चारा मंगाया। एक महीना हो गया, आज दिन तक उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, डिपो जहां खोला...(व्यवधान) मंत्री महोदय, डिपो खुलने की बात कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : आसन पैरों पर है, आप क्या कर रहे हैं ?(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 31 मार्च तक एक भी चारा डिपो नहीं खुले है। केवल कागजों में खोले गये हैं। (व्यवधान) एक को भी फण्ड नहीं दिया।(व्यवधान) एक भी ग्राम पंचायत में चारे की व्यवस्था नहीं है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं। बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार दोषी है, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष:चौहानजी, बैठिये। केसारामजी बैठिये। प्रो. सांवरलाल जी, आप जानते हैं सब। उत्तर आ चुका है।(व्यवधान)

+++अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री केसाराम चौधरी : मांडपुर पंचायत में तीन डिपो खुले हैं...(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवा दीजिए।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री केसाराम जी, बैठिये आप।(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं। पैसे नहीं दे रहे हैं, डिपो खोल दिये।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह बात आ चुकी है।(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : मांडपुर में तीन गाड़ियां मंगाई पंचायत में और उस खाखले का एक महीने से अभी तक भुगतान नहीं हो रहा है।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवनाथ सिंह जी।(व्यवधान) गौशाला का आ गया है। गौशाला का उत्तर दे दिया है। आप सुन नहीं रहे थे क्या? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, डिपो खुला हुआ है माडंपुर में। ग्राम पंचायत माडंपुर में भुगतान नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, पशुधन मर रहा है और पंचायत का भुगतान नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पशुधन मर रहा है। (व्यवधान)

श्रीअध्यक्ष : टेक योअर सीट। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पशुधन मर रहा है और सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : एक महीने से भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री हीरासिंह चौहान : यह सरकार बिलकुल दोषी है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रिछपालजी मिर्धा ने यह पूछा कितनी गौशालाओं को मदद दी गई ? उनका जवाब आ जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप : आसन पैरों पर है और यह बोलते ही रहेंगे। आपने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया और यह बोलते ही रहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर जी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : किस-किस गौशाला को कितनी मदद दी गयी ?

श्री अध्यक्ष : आहूजा जी, बैठिये।

श्री रामस्वरुप :कोई व्यवस्था बनाकर नहीं रखते इस सदन के अंदर ।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री शिवनाथ सिंह । (व्यवधान) अंकित नहीं हो । नैक्स्ट क्वेश्चन। अंकित नहीं हो।

+++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री अमराराम (पचपदरा) : xxx

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो । नहीं, आप पूछ नहीं सकते ।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री अमराराम (पचपदरा) : xxx

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप । अमराराम जी, बैठिये। केसारामजी, आप भी बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा) : xxx

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ चुका है। आप बैठिये। अमराराम जी, आसन पेरों पर । आप बैठ जाएं । आप बैठ क्यों नहीं रहे। आप बैठिये ।

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री अमराराम (पचपदरा) : xxx

श्री अध्यक्ष :नहीं, अनुमति नहीं दे रहा हूं आपको। श्री शिवनाथ सिंह। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह । आप बैठिये दिलावर जी। आप बैठिये। मंत्री जी,ठहरिये। (व्यवधान) श्री शिवनाथ सिंह।

उदयपुरवाटी क्षेत्र (झुंझुनूं) में अरावली वृक्षरोपण परियोजना का भौतिक सत्यापन

678.श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुरवाटी क्षेत्र झुंझुनूं में अरावली वृक्षारोपण परियोजना कब से चालू है?

(2) गत चार वर्षों में उक्त परियोजना में किये कार्यो का क्या कभी भौतिक सत्यापन किया गया? यदि हां, तो किस -किस कार्य का कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में कौन-कौन व्यक्ति रैंजर के पद पर कार्यरत रहे?

राज्य मंत्री, वन (श्री भगराज चौधरी) : (1) जिला झुंझुनूं के उदयपुरवाटी क्षेत्र में अरावली वृक्षरोपण परियोजना के अन्तर्गत कार्य माह अक्टूबर, 1992 से प्रारम्भ करवाये गये।

(2) उदयपुरवाटी क्षेत्र में अरावली वृक्षरोपण परियोजना के अन्तर्गत गत चार वर्षों में करवाये गये कार्यो का मूल्यांकन/भौतिक सत्यापन जिन अधिकारियों द्वारा किया गया है, का विवरण संलग्न परिशिष्ट -क में दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं ।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भगराज चौधरी)

(3) उप वन संरक्षक अरावली वृक्षारोपण परियोजना सीकर के अधीन उक्त अवधि में रेंज उदयपुरवाटी में पदस्थापित क्षेत्रियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट -ख में दर्शाया गया है।

(विवरण की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय अध्यक्षजी, मंत्री महोदय ने जो डिटेल्स प्रस्तुत की है, वाह काफी लम्बी-चौड़ी है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि, माननीय मंत्री महोदय, आपने जो परिशिष्ट-क दिया है उसमें कुल 11 गांव, 11 प्लाट हैं जिनमें 1995-96 से 1997-98 तक काम हुआ है और सैम्पल पद्धति से आपने उसका सर्वेक्षण किया बतलाया है। लेकिन एक भी सैम्पल पद्धति में क्या सर्वेक्षण हुआ, इसमें आप देखिये बिलकुल ब्लेंक है। एक तो यह प्रश्न करना चाहूंगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि फरवरी, 99 में जाकर उनका सर्वेक्षण हुआ है। माननीय अध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 1995-96 से काम शुरु था और 1999 तक, जब यह क्वेश्चन नहीं गया तब तक आपके किसी भी अधिकारी ने, रेंजर के ऊपर के लेवल के अधिकारी ने इन वृक्षरोपण कार्य का कोई भी कभी सत्यापन नहीं किया। यह ठाले बैठे क्या कर रहे थे, उनकी ड्यूटी क्या थी? यह तो आप जाने, माननीय मंत्री महोदय, इसी तरह से बाद में जो आपने करवाया, उसका मैं एक नमूना पेश करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट है करंट इवेल्यूएशन रिपोर्ट, उसके पहले ही पेज पर आपने लिखा है, माननीय मंत्री महोदय,

"Due to multiplicity of project and large quantum of development works, it is not possible to cover all the divisions by state level concurrent evaluation unit."

मैं मानता हूं, वह नहीं कर सकते।

"Also there is financial as well as human resource constranint. Every year a few dicisions are taken up for concurrent evaluation at random basis and two to three works are randomly selected from..."

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं पूछा था कि आपकी जो सेंट्रल टीम है, स्टेट लेवल टीम है, उसने कितने इनिशिएट किये? मैंने यह पूछा था कि रेंजर लेवल से ऊपर के जो अधिकारी हैं, उन्होंने कब-कब इनका चैकिंग किया। आपने कुछ भी नहीं लिखा।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सेकण्ड पैरा में आपने लिखा है,

"...Hence it will be hundred percent physical verification of the development works both, qualitatively and quantitatively."

"The feedback of these evaluations are analysed... However, sometimes leser quantity found by the evaluation team may lend to initiating action against the concerned field staff but it may be clarified that it is never an intention behind concurrent evaluation."

(श्री शिवनाथ सिंह)

इवेल्यूएशन करने से, आपने लिखा है कि जो फील्ड आफिसर हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होने की संभावना बन सकती है इसलिए हम इसका फील्ड इंस्पेक्शन नहीं करा सकते। यह आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है।

अध्यक्ष महोदय, आगे पूछने के लिए और रहा ही क्या है ? आपने दो-तीन जगह यह कहा है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, कि इन कामों का जो आपने सर्वेक्षण किया या इंस्पेक्शन करवाया है, उसमें बहुत बड़े घोटाले हैं । आपने रिपोर्ट दी है, उसको सबको नहीं पढ़ूंगा। आपने जो इतनी लम्बी दीवारें खींचना बताया है, वह मौके पर मौजूद नहीं मिलीं। आपने जो ट्रेंचेज खोदना बताया है वह मौके पर मौजूद नहीं मिलीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आपकी इस रिपोर्ट के आधार पर आप इस सब काम की पूरी जॉच करवाने का मन रखते हैं? तब तो कोई सार्थक होगा वरना आप यह कहेंगे कि जांच करने से कमियां पायी जाएंगी और कमियां पायी जाने से फील्ड आफिसर के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी, उसे हम उचित नहीं समझते, इस बात को आप मानो तब तो मेरा कहना बेकार है। वरना मेरा आपसे स्पष्ट निवेदन है कि इन प्रोजेक्ट की आप पूरी जांच कराइये और जो अधिकारी दोषी हैं, चाहे प्लांटेशन में हों, खाइयां खोदने में हों, बाउंड्री वाल खोदने में हों और खास तौर से वे अधिकारी जिन्होंने पांच साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें। यही मेरा आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इसमें क्या कह रहे हैं?

श्री भगराज चौधरी : Hon'ble Speaker, Sir, I may be allowed to reply in english because the quetions he raised are in english. The first supplementry which the hon'ble member reaised is that...(interruptions.)

श्री शिवनाथ सिंह : सुनाई नहीं दिया, मंत्री महोदय, दोबारा कहिये आप। (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : I agree to the extent that all the 11 sites which have reportedly been physically verified by the officers above the rank of ranger has not ben properly done. In the report annexed with the question, it is already mentioned that physical verification was not done. But I feel, proper physical vrefication was not done. And, threfore, I agree to this extent with the supplementry raised by the hon'ble member.

Secondly, the A.C.F., who is above the rank of ranger, has made physical verification in one plot. But, unfortunately he too has not given these details also, of the manner of species planted there and the money spent and the different kinds of works done there. Therefore, I am not satisfied with regard to the verification done by the A.C.F. also.

Then one verfication was done in regard to Dhaulamand plantation. In this case, physical verification was done by an officer of the rank of C.F. and it is also mentioned, the works which are reportedly done, are not proper... (interruptions).

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हिन्दी में प्रश्न किया है।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : विद्वान हैं यह।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में जवाब दिलवाइये।

श्री हरचरणसिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, का अंग्रेजीकरण हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका हिन्दीकरण करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: इवेल्यूएशन की रिपोर्ट अंग्रेजी में है इसलिए वो... (व्यवधान)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं । (व्यवधान)

श्री हरचरणसिंह सिद्धू : भ्रष्टाचार हो गया, उसका हिन्दीकरण तो करवा दो,अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप ।

श्री भगराज चौधरी : मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कुल 13 साइट्स के बारे में भौतिक सत्यापन मौके पर किया जाना बताया गया है उसमें से केवल एक साइट का सत्यापन ए.सी.एफ. द्वारा किया गया है जो कि रेंजर से ऊपर का अधिकारी है। पर उसके द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें किस प्रकार की प्रजाति के पेड़ लगाये गये, किस प्रकार के काम करवाये गये, स्टोन फेंसिंग कितनी हुई, दूसरा कितना काम किया, इसका उल्लेख नहीं है। इसलिए मैं उस प्रकार के भौतिक सत्यापन को सही नहीं मानता।

इसके अलावा एक और भौतिक सत्यापन, हमारे एक कंकरेंट इवेल्यूएशन सैल बना हुआ है हैडक्वार्टर पर, उसमें एक अधिकारी जो ओ.पी. मेहता हैं, जो तेंदू पत्ता के हैं, सी.एफ. लेवल के हैं, उन्होंने किया। उन्होंने अपने भौतिक सत्यापन में जो भी प्रजाति के पेड़ लगाये गये हैं उसमें अधिकतर जूली फ्लोरा के पेड़ अपने आप ही उगना बताया है। यानी बरसात से पहले बीज स्केटर्ड कर देते हैं जूली फ्लोरा के और बरसात में जो नमी होती है, उसके द्वारा उगने बताया है । क्योंकि तीन-तीन मीटर की जो स्पेसिंग में पेड़ लगाते हैं उस प्रकार की स्पेसिंग होने का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया। साथ में स्टोन वाल फेंसिंग बहुत लूज बतायी हैं, जो कि जगह-जगह डेमेज होनी बतायी है। साथ में उन्होंने जो दूसरे प्रकार के काम-काज किये हैं उसमें भी शार्ट फाल बताया है । इसी कारण से रेंजर के खिलाफ में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दे दिये हैं पर मैं समझता हूं कि यह कार्यवाही करना काफी नहीं है। इसलिए जो भी सारे कार्य उदयपुरवाटी क्षेत्र में 1993 से लेकर आज दिन तक करवाये गये हैं, जिस पर करीबन तीन करोड़ चार लाख रुपये खर्च किये गये हैं और 2800 हैक्टेयर में कार्य करना बताया गया है, मैं समझता हूं कि सब कार्यों की जांच करवाया जाना जरूरी है इसलिये मैं अपने मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी को यहां से भेज कर के सारे कार्यों की जांच कराऊंगा और जांच करने के पश्चात कोई शार्ट फाल डिसिजन पाया गया...(व्यवधान) दोषी के खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : प्रश्न का जवाब ही क्यों दिया ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये, हीरालाल जी। जनार्दन सिंहजी, बैठिये।

श्री हीरालाल विश्नोई : जब पहले से ही यह मान रहे हैं कि यह असत्य बातें हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, हम तो एक ही मंत्री पर फिदा हैं, भगराज जी चौधरी साहब पर। यही एक सबसे बढ़िया मंत्री हैं जो सही बात सही ढंग से रख देते हैं। इसी बात के लिए हम फिदा हैं और किस मंत्री पर फिदा नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आहूजाजी, बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री रामस्वरुप मीणा :आप एक मंत्री के ऊपर फिदा हो रहे हो।

श्री जनार्दन गहलोत :अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी-अभी अपने जवाब में कहा है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा और जो सत्यापन हुआ है उससे वो खुद भी संतुष्ट नहीं हैं। जब इस सदन में मंत्री महोदय कह चुके हैं कि मेरा विभाग पूरा भ्रष्ट है तो अब किसी अधिकारी से करायेंगे, वो अधिकारी कहां से लायेंगे ? उसका नाम आप बताइये।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री भगराज चौधरी :आपने सुना नहीं। मैंने यह नहीं कहा कि मेरे विभाग के सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार काफी है। इसमें से कुछ अधिकारी ईमानदार भी हैं। जो ईमानदार अधिकारी हैं, मैं उनके द्वारा भौतिक सत्यापन कराऊंगा। उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया, कोई अधिकारी दोषी पाया गया तो मैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

प्रश्न संख्या-679

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री हेमन्त कुमार। (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या-680

श्री आत्माराम मेघवाल । (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री फतेहसिंह ।

विधान सभा क्षेत्र, कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) में बी.पी.एल. गेहूं वितरण में अनियमितता

681. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में फरवरी, 2000 में बी.पी.एल. गेहूं कितने वितरित किये गये? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र,

कुशलगढ़ में बी.पी.एल. के गेहूं फरवरी, 2000 में गरीब परिवारों में वितरित नहीं किये गये ?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण कि जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री रामकिशन वर्मा) : (1) जिला बांसवाड़ा में माह फरवरी, 2000 में बी.पी.एल. गेहूं का पंचायत समितिवार निम्नानुसार वितरण किया गया है :-

नाम पंचायत समिति	गेहूं (मीट्रिक टन में)
गढ़ी	190
घाटोल	220
पीपलखूंट	158
तलवाड़ा	199
बागीदौरा	171
आनंदपुरी	128
सज्जनगढ़	103
कुशलगढ़	132
कस्बा कुशलगढ़	3
शहर बांसवाड़ा	10

(2) विधान सभा क्षेत्र, कुशलगढ़ में माह फरवरी, 2000 में 100 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स हुआ है, शेष वितरित गेहूं की सूचना बिंदु संख्या एक में दर्ज है।

(3) जी हां। माह फरवरी, 2000 में विधान सभा क्षेत्र, कुशलगढ़ के 100 मीट्रिक टन गेहूं लैप्स होने के सम्बन्ध में जिम्मेदारी निर्धारण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या एक में मैंने पूछा था कि फरवरी माह में बी.पी.एल.के गेहूं पूरे जिले के अन्दर पंचायत समितिवाइज कितने बांटे गये हैं ? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न एक के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है कि गढ़ी पंचायत समिति में 190, घाटोल में 220, पीपलखूंट में158, तलवाड़ा में199, बागीदौरा में171, आनन्दपुरी में128, सज्जनगढ़ में 103, कुशलगढ़ 132, कस्बा कुशलगढ़ में 3 और बांसवाड़ा शहर में दस मीट्रिक टन । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह पूछना चाहूंगा और मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो सूचना विभाग ने आपको दी है वह सरासर असत्य है। कुशलगढ़ पंचायत समिति और सज्जनगढ़ पंचायत समिति मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ते हैं और उन्होंने यह सूचना दी है कि सज्जनगढ़ पंचायत समिति में और कुशलगढ़ पंचायत समिति में गरीबी रेखा के अन्तर्गत आने वाले लोगों को अलग-अलग 103 और 132 मीट्रिक टन गेहूं बांटा गया। लेकिन एक भी व्यक्ति को गेहूं नहीं बांटा गया है, जो कुछ गेहूं बांसवाड़ा जिले में आया था वह माल राशन विभाग की तरफ से उठाया गया था, वह कमाण्ड एरिया जो बांसवाड़ा में है,उसमें उन्होंने बांटा है। लेकिन यह कहा है कि सज्जनगढ़ और कुशलगढ़ में हमने गरीबों को यह अनुदानित गेहूं बांटा। मैं यह चाहूंगा कि क्या विभाग ने आपको यह सही रिपोर्ट दी है? अगर नहीं दी तो उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? दूसरा यह बताया कि वहां पर

(श्री फतेहसिंह)

गेहूं एक भी क्विन्टल नहीं उठा और सौ मीट्रिक टन गेहूं देना बकाया है। यह भी गलत रिपोर्ट है। दूसरा मैं यह चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट दी है, क्या उनके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो गेहूं लैप्स हुआ है उन अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे और उसके बाद जो गेहूं अनुदानित बी.बी.एल. लोगों को देना था वह लैप्स हुआ, क्या आप माह फरवरी का दुबारा वितरण करायेंगे ?

श्री रामकिशन वर्मा :अध्यक्ष महोदय, माह फरवरी, 2000 में राजस्थान जनजाति सहकारी संघ, उदयपुर द्वारा 200 मीट्रिक टन गेहूं,तहसील कुशलगढ़, बागीदौरा और बांसवाड़ा थोक उपभोक्ता भण्डार द्वारा 175 मीट्रिक टन,तहसील घाटोल का दिनांक 14.2.2000 से पूर्व भारतीय खाद्य निगम के डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा नहीं होने के कारण उठान नहीं किया जा सका है। यह उनकी गलती थी। उनके पास पैसे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी माह फरवरी , 2000 में प्रवर्तन स्टाफ हड़ताल पर चला गया था , हड़ताल चल रही थी , पंचायत चुनाव भी थे फिर भी हमने कोशिश की और उदयपुर एफ.सी.आई वालों से बातचीत करके कहा कि इस प्रकार का मामला, गड़बड़ हो गया है तो आप हमें कोटा वापस देने की कोशिश करें, पर उन्होंने मना कर दिया इसलिए वह लैप्स हुआ है। लेकिन आपने दूसरी जो बात कही कि अधिकारियों ने गलत जवाब दिलवाया है, तो आप कहें उस स्तर पर मैं इसकी जांच करवा लूंगा। जिन अधिकारियों ने गलत जवाब दिया है अनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करूंगा।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है कि जो माल उठा थस उसको उन्होंने कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ का ग्रामीण इलाका जो नॉन कमाण्ड एरिया है, उसमे न देकर गढ़ी, घाटोल और बासंवाड़ा के कमाण्ड एरिया में दिया, इसका क्या कारण रहा?

श्री रामकिशन वर्मा : मैं इसकी जांच करवा लूंगा आपसे कहा न। पूरी जांच करवा कर जिन्होंने भी गड़बड़ी की है या जिसकी गलती है, उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें राज यह है, मैं यह कहना चाहूंगा कि बी.पी.एल. के गेहूं बासंवाड़ा जिले में या पूरे राजस्थान में कहीं भी वितरित होते होंगे और सब जगह आंबादी के अनुसार उन लोगों को संख्या के अनुपात में गेहूं दिये जाते हैं लेकिन सहकारी समिति के मार्फत देते हों या प्राइवेट डीलर के मार्फत देते हों,बी.पी.एल. के अन्तर्गत उन लोगों को गेहूं नहीं दिये जा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसकी भी जांच-करवायेंगे ? दरअसल अब तक जो बी.पी.एल. गेहूं अनुदानित, उन लोगों को दिये जारहे हैं या डीलर्स के द्वारा या लैम्प्स के अधिकारियों के द्वारा उस माल को सीधा सप्लाई किया जाता है , क्या इसकी भी आप जांच करवायेंगे? साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा ज़िले में फरवरी माह के गेहूं जो देना बताया है वह किन-किन लोगों को दिये गये हैं, इसकी भी आप जांच करवायेंगे?

श्री रामकिशन वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को संतुष्ट करने के लिए जिस लेवल पर भी ये चाहेंगे, इनको भी साथ ले लेंगे और मैं पूरी जांच करवाऊंगा। जहां भी गड़बड़ी होगी उनको सजा दिलवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री वृद्धिचन्द जैन। श्री अमीन खान।

जिला बाड़मेर में फव्वारा ऋण वितरण अनियमितता की जांच

682. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर को जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने फवारा ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच करने के लिए पत्र लिखा था? यदि हां, तो क्या जांच करवाई गयी ? उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति सदन में की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2000 को कोई जांच धारा 70 के तहत करवाई की गई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उप सचिव, सहकारिता के हस्ताक्षर से अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा जोधपुर न्यायालय में दिनांक 01 जनवरी, 2000 को जारी जांच आदेश निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो किस अधिकार के तहत उक्त जांच आदेश निरस्त किया गया है?

सहकारिता मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड़) : (1) जी हां। इस प्रकरण से संबंधित शिकायत विभाग को प्राप्त होने पर दिनांक 20.5.99 को धारा 70 के जांच के आदेश जारी किये गये। इसी शिकायत पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), सहकारी समितियां, जोधपुर द्वारा भी पृथक से धारा 70 के तहत जांच आदेश जारी कर दिये गये। एक ही मामले में दो स्तर पर जांच करने का औचित्य नहीं होने के कारण विभाग के निर्देश पर अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील), जोधपुर ने उनके द्वारा जारी किये गये जांच आदेश को निरस्त कर दिया।

(2) जी हां। जांच आदेश निरस्त किये जाने से रिपोर्ट वैधानिक नहीं है।

(3) बाड़मेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में वर्ष 1995 से 1998 के दौरान हुई अनियमितताओं की जांच किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 16.11.99 जारी किये गये थे। समान प्रकरण की दो स्तर पर जांच होने के कारण राज्य सरकार के स्तर पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), सहकारी समितियां, जोधपुर के जांच आदेश दिनांक1.1.2000 को निरस्त किया गया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर को जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने फव्वारा ऋण वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए पत्र लिखा। जांच के आदेश भी हो गये और जांच भी कर ली गयी है, यह आ गया स्पष्ट। अब प्रश्न यह है कि एक मामले में दो जांच। आज आप जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए। मैं यह जानना

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

चाहता हूं कि आप जांच रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं कर रहे हैं? एक अधिकारी अविनाश रणवां के साथ दूसरे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और दूसरे कर्मचारियों को भी बचाने का उपाय क्यों किया जा रहा है ? जांच रिपोर्ट क्यों नहीं प्रस्तुत की जा रही है और जांच कैसे अवैधानिक है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच शुरू कर दी गयी थी और जोधपुर के अतिरिक्त रजिस्ट्रर (अपील्स) जांच कर रहे थे। चूंकि मामला बहुत गम्भीर है इसलिए सरकार ने यह सोचा कि इससे ऊंचे अधिकारी को इस जांच के लिए नियुक्त किया जाए और इसलिए श्री रामावतार, आई.ए.एस. जो हमारे ही विभाग में प्रबन्ध निदेशक (स्पिन फैड) थे,कोक इस जांच के लिए लगा दिया। लिहाजा जब रामावतारजी ने जांच शुरू कर दी तब फिर उनकी जांच हमने बन्द करवा दी।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब प्रश्न यह है कि रामावतारजी की जांच रिपोर्ट और पहले वाली, क्या इन दोनों रिपोर्ट्स में समानता है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : दूसरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ने के बाद कह सकूंगा कि दोनों में समानता है या नहीं।

श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 3 में यह पूछा गया है किक राज्य सरकार ने इस जांच को निरस्त किया है और किस आधार पर किया है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए।

श्री हरजी राम बुरड़क : मेरा इसमें पूछना है कि धारा 70 में जांच होकर जो निष्कर्ष जारी कर दिए , निष्कर्ष निकालने वाला एक अदालत केरूप में काम कर रहा है उसके बाद में उसकी जांच में उसकी सुनवाई करके ही आप निरस्त सकते हैं। क्या आप प्रशासनिक आदेश से उस जांच को निरस्त कर सकते हैं? ऐसा कोई कानून में प्रोवीजन हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा क्वेश्चन है। श्री हेमाराम।

(12.00 बजे)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : अध्यक्ष महोदय, इस जांच में जितने फव्वारों को लोन दिया गया है उसकी स्वीकृति तो प्रशासक करता है इसलिए आप प्रशासक के खिलाफ जांच करवा रहे हैं या खाली नीचे के अधिकारियों को इस लपेट मे ले रहे हैं ? जिम्मेदार तो प्रशासक है। इसमें जब चेयरमैन होता है तो चेयरमैन सारा ऋण स्वीकृत करता है और जब प्रशासक होता है तो प्रशासक करता है। इसलिए आप प्रशासक के खिलाफ इस मामले में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न मेरा भी है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार ने जो धारा 70 में जांच के आदेश दिये, आपके उप सचिव ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। तो सहकारिता कानून में उप सचिव को यह अधिकार है क्या? इसकी आप जानकारी हमें दे दीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर 22 तारीख को इसी सत्र में बहुत

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भारी बहस हुई। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये और उसके बाद में यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों अधिकारियों को सस्पैण्ड कर दिया जाए। अब यह जांच हम पुलिस को सुपुर्द कर रहे हैं। अगर प्रशासक इसमे शरीक हैं तो वह फसेंगे, अगर नीचे के कर्मचारी इसमें शरीक हैं तो पकड़े जायेंगे और जो भी हैं, अब एण्टी करप्शन ब्यूरो के द्वारा जांच में जो कोई मुलजिम साबित होंगे, जिनके खिलाफ गवाही होगी वह सारे के सारे पकड़े जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा : आपके आई.ए.एस. जो शील्ड कर रहे हैं उनको भी तो नोटिस दो, जो आई.ए.एस. बैठे हुए हैं, शील्ड कर रहे हैं क्रिमनल्स को...

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दो कर्मचारी...

श्री अध्यक्ष : हेमारामजी, प्रश्नकाल समाप्त। बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दो कर्मचारियों को निलम्बित किया, प्रशासक के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। उसको निलम्बित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? जांच तो होती रहेगी, बाकी पैण्डिंग जांच आपने जब रख दी हैं तो आपको प्रशासक को निलम्बित करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त, बैठिये, आप बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी : सारी जिम्मेदारी प्रशासक की है। सारा घोटाला प्रशासक ने किया। आप प्रशासक को बचा रहे हैं जान-बूझकर।

श्री अध्यक्ष : कोई बचा नहीं रहे हैं। बैठिये, आप बैठिये।

श्री हेमाराम चौधरी : और नीचे के कर्मचारियों पर यह सारा दोष डालकर...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये। श्रद्धांजलि। शोकाभिव्यक्ति।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मान्यवर, मैं किसी प्रशसक को नहीं बचा रहा हूं। अगर वह इसमें पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री हेमाराम चौधरी : आप प्रशासक को भी निलम्बित करिये। आज निलम्बित करने की घोषणा कीजिए...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप यह बात तो मान रहे हो कि...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आज प्रशासक को निलम्बित करने की घोषणा कीजिए।

श्री अध्यक्ष : हेमारामजी, बैठिये, बैठिये, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री हेमाराम चौधरी : प्रशासक की स्वीकृति के बिना एक रुपये का भी ऋण वितरण नहीं हो सकता। इसलिए पूरी जिम्मेदारी प्रशासक की है और प्रशासक को बिल्कुल ही बचाया जा रहा है। इसलिए प्रशासक को निलम्बित करने की आप घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। बैठिये आप। शोकाभिव्यक्ति। बैठिये आप, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। दे दिया है, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। आप बैठिये। आसन पैरों पर।

प्रश्नकाल समाप्त होता है।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

नाबार्ड योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण सड़कें

676. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कृषि विपणन बोर्ड की ओर से नाबार्ड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़क निर्माण कार्यों हेतु वर्ष 2000-2001 में कहां-कहां कितने किलोमीटर सड़कें बनाना प्रस्तावित है ?

(2) वर्ष 1999-2000 में बोर्ड द्वारा नाबार्ड योजना के तहत राज्य में कहां-कहां कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया? उक्त में से कौन-कौन से कार्य शेष हैं और उक्त स्वीकृत कार्य कब तक पूर्ण कराये जाएंगे?

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की ओर से नाबार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कोई नवीन सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित नहीं है।

(2) वर्ष 1999-2000 में बोर्ड द्वारा नाबार्ड योजना के तहत प्रथम चरण में स्वीकृत 1064.87 किलोमीटर लम्बी सड़कों के निर्माण कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये हैं। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन सभी सड़कों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा वर्ष 2001 जून तक पूरे होने प्रस्तावित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

कोटा-सांगोद वाया कैथून मार्ग पर संचालित अनधिकृत निजी वाहन

679. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बसें कोटा-सांगोद वाया दरा कनवास विगत 4-5 वर्षों तक संचालित थीं? क्या अकारण ही उनको बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त मार्ग पर सरकार कब तक राज्य पथ परिवहन निगम की बस संचालित करने का विचार रखती है?

(2) क्या कोटा-सांगोद वाया कैथून मार्ग पर अनधिकृत रूप से निजी वाहन बिना अनुज्ञापत्र प्राप्त किये ही संचालित की जा रही है? क्या उक्त कारण राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में पर्याप्त यात्री भार नहीं मिलने से निगम की बसों के संचालन में कटौती की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार निजी वाहनों के उक्त मार्ग पर संचालन पर प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें कोटा-सांगोद वाया दरा-कनवास मार्ग पर 2 बसों द्वारा 10 परिचक्रों का नियमित संचालन फरवरी,83 से किया गया था। वर्तमान में झालावाड़ आगार द्वारा चांदखेड़ी-जयपुर के दो शिड्यूल वाया खानपुर-धुलेट-कनवास-दरा-कोटा होकर संचालित किये जा रहे हैं। निगम की कोटा-सांगोद वाया दरा कनवास सेवाओं को पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने तथा अत्यन्त कम आय के कारण वर्ष 99 में मार्च से सितम्बर के मध्य औसतन आय मात्र 5.35 रुपये प्रति कि.मी. तथा यात्री भार मात्र 37 प्रतिशत प्राप्त होने से संचालन हानिप्रद रहा है। वाहनों की कमी व कमाई के कारण उक्त अवधि में इन सेवाओं को बन्द कर दिया गया।

उक्त मार्ग पर निम्न प्रकार वाहन संचालन करने हेतु मुख्यालय द्वारा मुख्य प्रबन्धक कोटा को कार्यालय आदेश क्रमांक: एफ.1/याता./स.सा./2000/298 दिनांक 7.4.2000 के द्वारा आदेश दिये गये हैं तथा शीघ्र ही उक्त सेवाओ का संचालन आरम्भ कर दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) निजी वाहन बिना अनुज्ञापत्र के संचालित नहीं हो सकते। यदि कोई वाहन बिना अनुज्ञापत्र के चलते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही कि जाती है। अवैध वाहनों की रोकथाम के लिये समय-समय पर विशेष जांच अभियान चलाये जाते हैं।

जिला पाली में अवैध खनन

680. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पाली जिले की तहसीलों में अवैध खनन कार्य चल रहा है? क्या उक्त अवैध खनन कार्य बन्द कराया जाएगा? तहसीलवार अवैध खनन की रोकथाम हेतु कितने केस दर्ज कर शास्ति वसूल की गई? नियम विरुद्ध खनन करेन वालों के कितनों के पट्टे निरस्त किये गये? क्या यह सही है कि उक्त अवैध खनन से सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो अब उक्त क्षेत्र से अवैध खनन कब तक रोक दिया जाएगा?

उत्तर

जी नहीं, वर्तमान में पाली जिले में अवैध खनन चल रहा हो, ऐसा कोई प्रकरण विभाग में दर्ज नहीं है। अवैध खनन के बारे में जब कभी विभाग को जानकारी प्राप्त होती है, उसे तुरन्त रुकवाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान तहसीलवार अवैध खनन संबंधी दर्ज प्रकरणों में खनिज कीमत/शास्ति वसूली की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र.स.	तहसील	अवैध खनन के प्रकरण की सं.	राशि(रू.)	वसूली(रू.)
1.	पाली	7	43700/-	3430/-
2.	बाली	2	6120/-	320/-

(राज्य मंत्री, खनिज)

क्र.स.	तहसील	अवैध खनन के प्रकरण की सं.	राशि(रू.)	वसूली(रू.)
3.	देसूरी	3	2100/-	2100/-
4.	जैतारण	1	48000/-	शून्य
5.	रायपुर	2	32400/-	शून्य
		15	1,32,320	5850

नियमों से परे खनन कार्य करने पर वर्ष 1999-2000 में 6 खनन पट्टे खण्डित किये। यह सही नहीं है कि पाली जिले में अवैध खनन से सरकार को नुकसान हो रहा है। जब भी अवैध खनन का प्रकरण विभाग के समक्ष आता है उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान खनिज के अवैध निर्गमन के 50 मामलों में रुपये 1,83,250/ वसूली की गई। इस प्रकार राज्य सरकार को किसी प्रकार का नुकसान होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पागल कुत्ते/बन्दर के काटने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता

881.श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पागल कुत्तों/बन्दरों के काटने से आये दिन काफी लोग शिकार हो रहे हैं? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

(2) क्या सरकार शहरों में उक्त जानवरों से आम जनता को राहत पहुंचाने हेतु उनके लिये निःशुल्क दवाइयां एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जानवरों के काटने की जनता द्वारा शिकायतें भी की जाती हैं? यदि हां, तो उस पर किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है?

(4) क्या सरकार पागल कुत्ते/पागल बन्दर के काटने पर जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको आर्थिक सहायता देती है? यदि हां, तो कितना और उसके क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

(5) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1998 से फरवरी, 2000 तक उक्त प्रकार के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में पागल कुत्तों/बन्दरों को पकड़कर समय-समय पर अन्यत्र छुड़वाया जाता है।

(2) फिलहाल ऐसे जानवरों से आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए नि:शुल्क दवाइयां एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। शिकायतें प्राप्त होने पर उसका समुचित समाधान करने के पूरे प्रयास किये जाते है।

(4) स्वायत्त शासन विभाग अथवा नगर निगमों/परिषदों/पालिकाओं के बजट तथा नियमों में इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) विधानसभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1998 से फरवरी 2000 तक प्रधान चिकित्सक से प्राप्त सूचना के अनुसार कुत्ते काटने के 135 तथा बन्दरों के काटने के 5 मामले ध्यान में आये हैं, जिन पर समुचित कार्यवाही की गई।

पुष्कर विकास हेतु व्यय की गई राशि

882. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

वर्ष 1999-2000 के बजट में पुष्कर के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किया गया तथा उक्त में से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य व स्थान पर व्यय की गई?

उत्तर

वर्ष 1999-2000 के बजट में पुष्कर के विकास हेतु नगर पालिका,पुष्कर के बजट में जितनी-जितनी राशि का प्रावधान किया गया है तथा उक्त में से जितनी-जितनी राशि जिस-जिस कार्य व स्थान पर व्यय की गई है, उसका विवरण संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

नगरपालिका कुचामन सिटी (नागौर) द्वारा गृह कर की वसूली

883.श्री हरीशचन्द (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका कुचामन सिटी क्षेत्र में डीडवाना सड़क पर कई सरकारी/अर्द्ध सरकारी कार्यालय निजी भवनों में संचालित हैं तथा मासिक किराया अदा करते हैं? क्या नगरपालिका इनसे किराये के आधार पर गृह कर वसूल करती हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या नगरपालिका अधिशाषी अधिकारी कुचामन सिटी को असेसर का अलाउन्स मिलता है? यदि हां, तो किराये के चल रहे उक्त सरकारी कार्यलय के भवन मालिको से गृहकर क्यों नहीं वसूला गया? अब कब तक असेसमेन्ट कराया जाकर गृह कर की वसूली प्रारम्भ कर दी जाएगी?

(श्री हरीशचन्द)

(3) क्या पंचायत समिति कुचामन ने जिन दुकानों का निर्माण किया हैं उनके निर्माण की स्वीकृति नगरपालिका से प्राप्त की है? यदि नहीं, तो क्यों तथा इससे नगरपालिका को कितनी राशि की क्षति हुई?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका द्वारा गृहकर निर्धारण को दृष्टि से वार्ड वाइज सर्वे कराया गया है एवं नगरपालिका अधिनियम को धारा 115(1) के अन्तर्गत सूचना-पत्र जारी किये गये हैं, निर्धारित अवधि समाप्ति के बाद सम्पत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन निश्चित कर गृहकर वसूली को कार्यवाही को जाएगी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। पंचायत समिति व नगर पालिका के बीच रूपान्तरण शुल्क को राशि के सम्बन्ध में विवाद चल रहा है तथा रुपान्तरण शुल्क निर्माण अनुमति का मामला अब भी विचाराधीन है। इसके अन्तिम निस्तारण पूर्व क्षति का आकलन नहीं किया जा सकता है।

नगर पालिकाओं में कार्यरत अस्थाई कनिष्ठ अभियन्ताओं का स्थाईकरण

884.श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं/ नगर परिषदों/नगर निगमों में राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई रूप से कार्यरत हैं? यदि हां, तो इनको कब तक स्थाई कर दिया जाएगा।

(2) गत पांच वर्षो से अधिक समय से लगातार अस्थाई रूप से सेवारत कनिष्ठ अभियान्ताओं को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध की क्या नीति है?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न नगर निगमों/ परिषदों/पालिकाओं द्वारा अपने स्तर पर विभिन्न योजनाओं में अनियमित रूप से दैनिक वेतन/फिक्स वेतन पर कनिष्ठ अभियन्ता नियुक्त किये हैं। राज्य सरकार के स्तर पर हुई बैठक में ऐसी अनियमित नियुक्तियों को बैक डोर एण्ट्री माने जाने के कारण इनके स्थाईकरण के सम्बन्ध में कई निर्णय विचाराधीन हैं।

(2) ऐसो अनियमित नियुक्तियों को बैक डोर एण्ट्री माने जाने के कारण सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कई नीतिगत निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

नगरपालिका तिजारा (अलवर) में दैनिक कर्मचारियों के नाम से फर्जी भुगतान प्रकरण

885.श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सितम्बर 1990 से अगस्त 1995 तक नगरपालिका तिजारा (अलवर) में कितने सफाई कर्मचारी एवं अन्य कर्मचारियों ने दैनिक मजदूरी पर काम किया?

(श्री जगमालसिंह यादव)

(2) उक्त दैनिक कर्मचारियों के कार्य एवं भुगतान का सत्यापन किसने किया?

(3) क्या अब सरकार दैनिक कर्मचारियों के कार्य का सत्यापन कराना चाहती है? क्या यह सही है कि उक्त दैनिक कर्मचारियों के नाम से फर्जी भुगतान उठाया गया है? क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की जांच कराकर स्थिति स्पष्ट कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) नगरपालिका, तिजारा (अलवर) में सितम्बर, 1990 से अगस्त 1995 तक 358 सफाई कर्मचारी एवं एक अन्य कर्मचारी ने दैनिक मजदूरी पर कार्य किया है।

(2) उक्त दैनिक कर्मचारियों के कार्य का एवं भुगतमान का सत्यापन किये जाने में अनियमितताएं बरती गई हैं। इस समस्त मामले की जांच शीघ्र करवाई जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी हां।

डूंगरगढ़ (चूरू) के गन्दे पानी की निकासी के लिए विचाराधीन योजना

886. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में गन्दा पानी व बरसात का पानी शहर में भर जाता है? यदि हां, तो उक्त पानी को निकालने के लिए विभाग ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समस्या लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो अब तक क्या-क्या उपाय किये गये?

उत्तर

(1) नगरपालिका, श्री डूंगरगढ़ (चूरू) में गंदा पानी प्रतिदिन जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को ड्रेनेज योजना के द्वारा कस्बे से बाहर निकाला जाता है। गंदा पानी इकट्ठा नहीं होता है तथा बरसात के समय भारी बरसात होने पर कई स्थानों पर पानी इकट्ठा होता है जिसको नगरपालिका के पांच पम्पों द्वारा निकाला जाता है। पालिका के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

(2) जी हां, नगरपालिका को आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इस सम्बन्ध में कोई योजना नहीं बनाई गई है।

आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित भू-खण्ड

887. श्री गोविन्द सिंह (बेगूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर ने विधिवत टैगोर नगर जोन नम्बर 2 जयपुर स्कीम की कृषि भूमि का आवसीय भूमि में रूपान्तरण कराया है तथा उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष अनापत्ति प्रस्तुत की है? यदि

(श्री गोविन्द सिंह)

हां, तो भूमि के पट्टे, रूपान्तरण की कार्यवाही व अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति ने भूखण्ड संख्या 133 ए, 134 ए 132 ए का विधिवत आबंटन किया था? यदि हां, तो पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त स्कीम के उक्त भू-खण्डों का खसरा नम्बर 181, 185 का अवासीय योजना में रूपानतरण किये जाने के पश्चात् जयपुर विकास प्रधिकरण ने उक्त योजना का तकनीकी अनुमोदन किया था?

(4) यदि हां, तो तकनीकी अनुमोदित किये जाने के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बगैर समिति व आबंटियों का पक्ष सुने व बचाव का मौका दिये एक पक्षीय उक्त तकनीकी अनुमोदन अपनी बैठक दिनांक 6-5-97 के एजेण्डा आइटम नम्बर 2 के द्वारा वापिस क्यों लिया?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विक्रयशुदा भू-खण्डों के मूल खातेदार श्री लादूराम यादव द्वारा गैर कानूनी तौर से पुनः उक्त भूमि झंकार मैटल्स प्राइवेट लिमिटेड को अवैध बेचान कर दिया व उसके बाद उसी भू-खण्ड की बेचानशुदा भूमि को जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर को अवैध रूप से बेच दिया? उसका कब्जा हटाने व भूमि का कब्जा स्वंय अधिग्रहित करने के अपने निर्णय दिनांक 6.5.97 पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) जयपुर विकास प्राधिकरण के दिनांक 6.5.97 के निर्णय के अनुसार उक्त भू-खण्डों का कब्जा नहीं लेने तथा यहां निर्माण की अनुमति नहीं देने के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी रहने के क्या कारण हैं?

(7) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्डों के अवैध क्रेता व गैर कानूनी रूप से निर्माण कार्य करा रहे श्री बेनी माधव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व डा. गिरेन्द्र पाल व कमला यादव, के नाजायज प्रभाव के कारण इनका अवैध निर्माण व अवैध कब्जा जारी है?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण (उप खण्ड) जयपुर के द्वारा आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की टैगोर योजना के व्यक्तिगत आबंटी सदस्यों के प्रार्थना पत्र पर कृषि भूमि रूपान्तरण नियम 1981 के तहत कुछ शर्तों के अध्यधीन कृषि भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ अन्तिम आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश, जैसा कि आदेश में अंकित है आदेश पारित किये जाने की तीन माह की अवधि के लिए वैध थे परिशिष्ठ (अ)। जविप्रा में, प्राधिकरण के द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 4.8.96 की पालना में जो रूपान्तरण आदेश पेश किया गया उसकी छाया प्रतियां संलग्न है परिशिष्ट (अ)। यह सही है कि जे.डी.ए. के द्वारा उक्त योजना के कृषि भूमि के अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण किये

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जाने हेतु जिलाधीश, भूमि रूपान्तरण को 25.5.83 को अनापत्ति भेजी गई थी। 25.5.83 को भिजवाई गई अनापत्ति पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट (ब) संलग्न है।

(2) आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर उक्त समिति की टैगोर नगर योजना के भूखण्ड संख्या 133 ए श्रीमती सुशीला देवी, भू.सं. 134 ए श्रीमती सुमन कंवर एवं भू.सं.132 ए श्री कन्हैयालाल के नाम आबंटित किया गया था। समिति के द्वारा उक्त आबंटियों के आबंटन पत्र (पट्टा) की प्रति प्राधिकरण में पेश नहीं की है। इसलिए उसकी प्रति उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। समिति के द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची की छाया प्रति परिशिष्ट (स) संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (II) के द्वारा 4.4.83 को आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की टैगोर नगर योजना का तकनीकी रूप से अनुमोदन किया गया था। उक्त तकनीकी रूप से अनुमोदित योजना में खसरा नम्बर 181 व 185 ग्राम हीरापुरा की भूमि भी सम्मिलित थी। प्राधिकरण द्वारा योजना का सब डिविजन प्लान ही अनुमोदित किया जाता है। सदस्यों के आवेदन के संबंध में कोई अनुमोदन नहीं किया जाता है।

(4) दिनांक 4.4.83 जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (द्वितीय) के द्वारा टैगोर नगर योजना का तकनीकी अनुमोदन किये जाने के पश्चात् जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा कार्यालय, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नगरीय विकास के पत्रांक 1893 दिनांक 29.2.96 प्राधिकरण में प्राप्त होन पर प्रकरण के तथ्यों का परीक्षण कर मामला प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (II) (सीपीसी) की बैठक दिनांक 4.7.96 में रखा गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि उपायुक्त जोन बी-2 जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड तथा आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के सचिवों को बुलाकर भूमि के स्वामित्व के संबंध में जांच करें। इस हेतु उपायुक्त दोनों समितियों को पत्र लिखे तथा समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति प्रकाशित करें। उक्त निर्णय के अनुक्रम में उपायुक्त जोन बी-2 के द्वारा एक विज्ञप्ति 4.6.96 को जारी की गई। इस विज्ञप्ति के अनुक्रम मे आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के द्वारा कोई दस्वातेजात पेश नहीं किये गये केवल व्यक्तिगत आबंटियों के द्वारा उनके भूखण्डों से संबंधित न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण (उप खण्ड) जयपुर के द्वारा जारी अनन्तिम आदेश की छाया प्रति पेश की। इस विज्ञप्ति के संबंध में आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष श्री निर्मल कुमार सुराना ने एक पत्र दिनांक 8.8.96 को प्रस्तुत किया

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जिसमें उन्होंने उक्त खसरा नम्बरान् की भूमि पर समिति का कोई संबंध न होना जाहिर किया। सभी दस्तावेजात का परीक्षण करने के उपरान्त पुन: प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (सीपीसी) के समक्ष रखा गया एवं उक्त समिति की बैठक दिनांक 6.5.97 में प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा खसरा नम्बर 181 व 185 ग्राम हीरापुरा तकनीकी रूप से अनुमोदित की गई। टैगोर नगर योजना का तकनीकी अनुमोदन निरस्त किया। इस तरह पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त तथ्यों का परीक्षण कर भवन मानचित्र समिति के द्वारा तकनीकी अनुमोदन निरस्त करने का निर्णय लिया गया था।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण ने उपलब्ध रिकार्ड में भूमि के खातेदार श्री लादूराम यादव के द्वारा झंकार मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड को भूमि विक्रय किये जाने संबंधी कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर खातेदार श्री लादूराम यादव पुत्र श्री रामकुमार के द्वारा दिनांक 10.11.94 व 28.01.80 के जरिये इकरारनामा खसरा नम्बर 181 व 185 ग्राम हीरापुरा की 18 बीघा 16 बिस्वा भूमि जय अम्बे गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय की गई है। यह सही है कि प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 6.5.97 में कब्जा लेने एवं अवैध निर्माण रोकने का निर्णय लिया था। परन्तु जयपुर शहर में अधिकांश आवासीय कालोनी कृषि भूमि पर निर्मित होने तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा -90 (ए) के तहत सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा कृषि भूमि के कृषि रूपान्तरण बिना कराये गैर कृषि प्रयोग में लाने के कारण खातेदारी समाप्त कर भूमि सिवायचक दर्ज की गई है। इस कारण कब्जा लेने की कार्यवाही नहीं की गई और समय-समय पर विधि विपरीत किये गये निर्माण को प्राधिकरण के द्वारा रोका गया है एवं हटाया गया।

(6) यह सही है कि प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 6.5.97 में कब्जा लेने एवं अवैध निर्माण रोकने का निर्णय लिया था परन्तु जयपुर शहर में अधिकांश आवासीय कालोनी कृषि भूमि पर निर्मित होने तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए के तहत संबंधित तहसीलदार द्वारा कृषि भूमि के अकृषि रूपान्तरण बिना कराये गैर कृषि प्रयोग में लाने के कारण खातेदारी समाप्त कर भूमि सिवायचक दर्ज की गई। इस कारण कब्जा लेने की कार्यवाही नहीं की गई और समय-समय विधि विपरीत किये गये निर्माण को प्राधिकरण के द्वारा रोका गया है एंव हटाया गया।

(7) जी नहीं।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

22 गोदाम से गोपालपुरा सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई

888.श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के पास बाइस गोदाम से गोपालपुरा ओवर ब्रिज तक की प्रस्तावित सड़क की चौड़ाई 100 फीट है?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त सड़क की चौड़ाई अतिक्रमण के कारण 100 फीट से कम है तथा कहीं-कहीं तो मात्र 20 फीट ही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटा कर प्रस्तावित चौड़ाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के समानान्तर बाइस गोदाम गंदे नाले से गोपालपुरा रोड़ ओवर ब्रिज तक 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है।

(2) जी हां, सड़क की चौड़ाई मौके पर 100 फीट से कम है तथा कुछ स्थानों पर केवल 20 फीट ही है। यातायात के बढ़ते दबावों को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण को हटाकर प्रस्तावित चौड़ाई करने का विचार है। विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी।

कोटा सीमेन्ट मिनी प्लान्ट व स्टोन फिनिशिंग पालिश की मशीनों के क्रय में अनियमितताएं

889. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रास्थान आवासन मण्डल ने कोटा में सीमेन्ट मिनी प्लान्ट फिनीशिंग पालिश की मशीनें लगाई थीं? यदि हां, तो कितनी लागत की व किस जगह पर किस खण्ड में तथा उस समय इस कार्य के लिए आवासीय अभियन्ता कौन थे? उक्त मशीनों से कितना-कितना उत्पादन हुआ और अब यह मशीन किन-किन जगह पर स्थापित है तथा क्या उपयोग हो रहा है?

(2) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि उक्त कार्य में अनियमितता हुई है? यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही किस-किस के विरुद्ध की गई?

(3) क्या उक्त प्रकरण में किन्हीं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है? यदि हां, तो किस स्तर से किन-किन के विरुद्ध और कब तक?

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल ने कोटा में सीमेन्ट "मिनी प्लान्ट" की कोई भी मशीन नहीं लगाई। अपितु स्टोन पालिशिंग यूनिट वर्ष 83-84 में महावीर नगर तृतीय में खण्ड चतुर्थ द्वारा लगाई गई थी, कुल लागत व्यय 97,500/-रुपये हुआ। उस समय वहां पदस्थापित आवासीय अभियंता श्री ए.एस.शर्मा थे। उक्त मशीन से कोई भी उत्पादन नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई उपयोग हो रहा है।

(2) जी नहीं। इस संबंध में किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। कार्यवाही का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

झालाना फेज III, जयपुर के मकानों में नियम विरुद्ध निर्माण

890. श्री कय्यूम खान (मसूदा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने कुछ वर्ष पहले झालाना फेज-III में अल्प आय के व्यक्तियों के लिए आवास बनाये थे? यदि हां, तो किस-किस को आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि झालाना फेज-III के उक्त आवासों में एक कमरे की ओर खाली जगह दी है? उक्त खाली भूमि पर कमरा बनाने के लिए प्राधिकरण ने किस- किस को अनुमति दी तथा मौजूदा स्थिति में कितने आबंटियों ने कमरे बना लिये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही कि अधिकांश आबंटियों ने नियम विरुद्ध एक कमरे से अधिक का निर्माण किया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्राधिकरण की झालाना फेज-III में अल्प आय वर्ग के आवासों का नियम विरुद्ध तरीके से बेचान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या नियम विरुद्ध बनाये कमरों से आबंटियों को उनकी पाइप लाइनें, गटर लाइनें ठीक कराने में परेशानी आएगी? यदि हां, तो अब इस समस्या का क्या समाधान किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1985 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा झालाना फेज-III में अन्य आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवास बनाये थे। आबंटित व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। मौजूदा समय में 48 व्यक्तियों द्वारा खाली जमीन पर एक और कमरे का निर्माण कर लिया गया है। विवरण संलग्न है।

(3) जी हां। 17 आबंटियों द्वारा एक अतिरिक्त और कमरे का निर्माण कर लिया गया है जो नियम विरुद्ध है। विवरण संलग्न है।

(4) अवैध तरीकों से नियम विरुद्ध आवासों के बेचान का कोई प्रकरण जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त नहीं हुआ है।

(5) यदि भविष्य में ऐसी शिकायत प्राधिकरण में प्राप्त होती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जुलाई, 1975 में अजमेर शहर की बाढ़ग्रस्त कच्ची बस्तियों का पुनर्वास

891. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जुलाई, 1975 में आई बाढ़ से अजमेर शहर की कौन-कौन सी निचली एवं कच्ची

(श्री ललित भाटी)

बस्तियां क्षतिग्रस्त हुईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बाढ़ग्रस्त बस्तियों के पुनर्वास हेतु क्या नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजना बनाकर कितने परिवारों को भू-खण्ड आबंटित किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि जवाहर, जादूघर, गूजर धरती, गूजर टीला, लूणकरण का हत्था, पादरी की लाइन बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का पुनर्वास अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) खण्ड तीन में वर्णित बस्तियों के पुनर्वास हेतु नगर सुधार न्यास द्वारा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कब शुरू की गई? अवाप्ताधीन भूमि किस प्रकार की है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त बस्तियों हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है? यदि हां, तो कब तथा नहीं, तो क्यों? अब अवाप्ति कार्यवाही किस स्तर पर विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या खण्ड (5) में वर्णित बस्तियों के बाढ़ पीडित परिवारों ने भूखण्ड आबंटन हेतु नगर सुधार न्यास द्वारा निर्धारित राशि न्यास को जमा करा दी? यदि हां, तो बस्तीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या निर्धारित राशि जमा कराने वालों को न्यास द्वारा पट्टा वितरित किये जा चुके है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जुलाई 1975 की बाढ़ से अजमेर शहर की निचली भूमि में बसी 18 कच्ची बस्तियां बाढ़ग्रस्त/क्षतिग्रस्त हुई थीं जिनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित 18 कच्ची बस्तियों के पुनर्वास हेतु गंदी बस्ती उन्मूलन के साथ स्लम इम्प्रूवमेंट योजना बनाई थी। इन 18 बस्तियों में 1307 परिवारों को भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

(3) बिन्दू संख्या 3 में उल्लिखित कच्ची बस्तियों में से जवाहर, जादूघर में 1975 की बाढ़ के उपरान्त जिन 672 व्यक्तियों ने 1975 के पूर्व निवास होने के ठोस सबूत पेश किये उनको पुनर्वास हेतु पट्टे जारी किये गये थे। इसके उपरान्त जून, 1999 में भी 106 कब्जाधारियों सर्वे किया गया था, लेकिन न्यास द्वारा इस कच्ची बस्ती में पूर्व में जिन 672 व्यक्तियों ने 1975 कें पूर्व निवास होने के ठोस सबूत पेश किये उनको पुनर्वास हेतु पट्टे जारी किये गये थे। इसके उपरान्त जून, 1999 में भी 106 कब्जाधारियों सर्वे किया गया था, लेकिन न्यास द्वारा इस कच्ची बस्ती में पूर्व में जिन 672 व्यक्तियों को पट्टे जारी किये गये थे उनके द्वारा जादूघर योजना के न्यास द्वारा तैयार किये गये योजना प्लान के अनुसार जिस भूखण्ड का पट्टा का दिया गया था, उसके

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अनुरूप निर्माण नहीं करवाया गया। इस प्रकार भूखण्डों पर विवादित कब्जे होने के कारण भूमि नियमन की कार्यवाही में न्यास को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में न्यास की कच्ची बस्ती नियमन समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

गूजर धरती, गूजर टीला एवं लूनकरण का आहता खातेदारी एवं निजी स्वामित्व की भूमि होने के कारण भूमि की अवाप्ति का पूर्ण प्रयास किया गया किन्तु भूमि अवाप्त नहीं होने के कारण नियमन कार्य में अवरोध हो रहा है। इन बस्तियों की भूमि खातेदारों द्वारा न्यास हित में राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत समर्पित कर दी जाती है तो न्यास द्वारा नियमन की कार्यवाही की जाएगी। पादरी की लेन न्यास की चिह्नित कच्ची बस्ती नहीं होने के कारण इसके नियमन की कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

(4) खण्ड तीन में वर्णित बस्तियों में से पादरी की लाइन को छोड़कर शेष के पुनर्वास हेतु भूमि आपसी वार्ता से क्रय करने हेतु प्रयास किये गये, इसी दौरान भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 52(2) का नोटिस 15.5.76 को जारी किया गया जिसका राजपत्र में प्रकाशन 26.8.76 को हुआ। प्रश्नगत बस्तियों की भूमि का भौतिक रूप से तथा मास्टर प्लान में भू-उपयोग आवासीय है।

(5) पादरी की लाइन न्यास की चिह्नित कच्ची बस्ती नहीं होने से इस बस्ती को छोड़ते हुए जादूघर, गूजर धरती, गूजर टीला, लूनकरण का हत्था की कच्ची बस्तियों की शुरू की गई अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान ही आपसी वार्ता से भूमि क्रय करने के प्रयास जारी रखते हुए नेगोसिएशन की समिति की बैठक में 5/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया तथा संबंधित खातेदारों से भूमि क्रय करने का निर्णय लिया गया तथा संबंधित खातेदारों को सूचना भिजवाई गई। इनमेंसे चारो बस्तियों की कुल 34-09-07 भूमि आपसी वार्ता से 5/- रुपये प्रति वर्गगज की दर से क्रय कर ली गई थी तथा शेष का स्वामित्व विवादास्पद होने एवं खातेदारों द्वारा 5/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से भुगतान पर असहमति जताने एवं न्यायालय में वाद दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जाने के फलस्वरूप अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जा सकी। नगर सुधार न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही लैप्स हो जाने से अवाप्ति कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई है।

क्रय करने से शेष रही भूमियों को प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट बैठक 22.9.93 के प्रस्ताव संख्या 93/3/(21) के द्वारा तीन विकल्पों पर विचार किया गया।

1. आपसी वार्ता से क्रय करते हुए मुआवजा स्वरूप 12 प्रतिशत विकसित भूखण्ड देने।

2. अल्सर एक्ट के अन्तर्गत दी गई छूट को निरस्त करवाकर उसी एक्ट के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण करवाने।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

3. केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य अवाप्ति करने बाबत।

(6) पादरी की लेन न्यास क्षेत्राधिकार की कच्ची बस्ती नहीं है। शेष कच्ची बस्ती गूजर धरती, लूनकरण का आहता, गूजर टीला, व जादूघर में से गूजर धरती के कब्जाधारियों ने 1975 की बाढ़ के उपरान्त 176 व्यक्तियों ने उनके पुनर्वास हेतु राशि जमा कराई थी, लेकिन जून 1999 में न्यास द्वारा उपरोक्त जिन चार बस्तियों का नियमन हेतु सर्वे किया गया है उन सर्वेशुदा कब्जाधारियों से न्यास द्वारा अब तक कोई राशि जमा नहीं कराई गई है।

(7) जी नहीं। पादरी की लाइन के अतिरिक्त उपरोक्त चार बस्तियों में से गूजर धरती के जिन 176 परिवारों की संलग्न सूची के अनुसार राशि जमा है, इस बस्ती की भूमि अवाप्ति के उपरान्त अन्तर की राशि जमा करवाने पर पट्टा वितरण की कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

अजमेर शहर के विद्यालयों को भवन/ खेल के मैदान हेतु आबंटित भूमि

892. श्री ललित भाटी (अजमेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अजमेर शहर में सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों को नगर सुधार न्यास द्वारा विद्यालय भवन एवं खेलकूद मैदान हेतु भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किन-किन सरकारी एवं निजी विद्यालयों को? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) खण्ड (1) में वर्णित विद्यालयों को किन वर्षों में कितनी भूमि का आबंटन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या आबंटित भूमि का मास्टर प्लान में प्रयोग दर्ज था ?

(4) उक्त आबंटित भूमि का राजस्व खसरा नम्बर कौनसा है? खण्ड (1) में वर्णित विद्यालयों को जारी आबंटन -पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कुल विद्यालयों को आबंटित भूमि में बाद में फेरबदल या कमी की गई है? यदि हां तो किन-किन विद्यालयों को? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) आबंटित भूमि का कब्जा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानों को कब सौंपा गया ? कब्जा सौंपने सम्बन्धी प्रक्रिया सम्बन्धी पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय विद्यालय हेतु 10 एवं निजी विद्यालयों हेतु 7, कुल 17 विद्यालयों को भूमि आबंटित की गई है। सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में वर्णित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) योजना क्षेत्र में जिन संस्थाओं को आबंटन किया गया है, वह योजना क्षेत्र में ओ.सी.एफ. क्षेत्र में है।

(4) संलग्न सूचियों में वर्णित है। प्रति संलग्न है।

(5) जी नहीं।

(6) संलग्न सूचियों में वर्णित है। प्रति संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम डोली कलां (पचपदरा) की विचाराधी पेयजल योजना

893. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम डोली कलां (पचपदरा) की बाग जी बाबल, सिसवान विश्नोई, भोमली मडिया, सारोंजो गप्पी बाबल की ढाणी हेतु पेयजल की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना की क्रियान्विति कब तक हो जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सराणा ग्राम से सराणा बादूकावाडा पेयजल योजना वाया अमरलाई व सुखराज विश्नाई की ढाणी स्वीकृत कर दी गई है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

उत्तर

(1) जी नहीं। उक्त ढाणियां राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत चिह्नित नहीं हैं। राज्य सरकार का चिह्नित ढाणियों को ही पेयजल सुलभ कराना लक्षित है।

(2) जी नहीं। ग्राम सराणा-बादूकावाडा क्षेत्रीय योजना वाया ग्राम उमरलाई व सुखराम की ढाणी से नहीं बनाई गई है। ग्राम उमरलाई पूर्व से क्षेत्रीय योजना पारलू उमरलाई से लाभान्वित है तथा ढाणी सुखराम राजीव गांधी पेयजल मिशन के अंतर्गत चिह्नित नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) के ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजना

894. श्री जौहरी लाल (राजगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ (अलवर) की खडकपुरा नीमला जल योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद भी पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है? क्या सरकार उक्त योजना के बीच के ग्रामों को इस योजना में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम राजगढ़ शहर, नीमला, बैरेर, बबेली, मूनपुर, रैणी, बालेटा में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन योजनाओं की स्वीकृति कब तक जारी की जाएगी और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में गहरे हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के खड़गपुरा-निमोली के नाम से कोई जल योजना स्वीकृत नहीं है और ना ही कार्यरत है। एक क्षेत्रीय जल योजना कल्याणपुरा-जयसिंहपुरा के नाम से निबोला का स्त्रोत लेकर स्वीकृत है जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित है। स्वीकृत 8 ग्रामों में से वर्तमान में 5 ग्रामों क्रमश: निबोला, पिपलहेडा भजेड़ा, कल्याणपुरा व रामपुरा को पेयजल लाभान्वित करके संधारित किया जा रहा है तथा 2 ग्राम क्रमश: जयसिंहपुरा व कर्णपुरा को रेलवे क्रासिंग का कार्य पूर्ण न होने के कारण अलाभान्वित है एवं एक ग्राम ईटोली में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा बार-बार पाइप लाइन तोडने से पानी नहीं पहुंच पाता है। योजना के बीच में आने वाले 2 ग्रामों क्रमश: मुडिया व बिटोली में विभागीय मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त हैण्डपम्प वर्तमान में कार्यरत हैं। अत: इन दोनों गांवों को उक्त योजना से जोडने की आवश्यकता नहीं है।

(2) अलवर जिले के विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ के अन्तर्गत राजगढ़ शहर की पुनर्गठित पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति माह मार्च, 2000 में अनुमानित लागत146.11 लाख रुपये की जारी हो चुकी है। अन्य ग्राम निमला व बैरेर के लिए हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में है। ग्राम मुनपुर में विभागीय मानदण्डों के अनुसार 4 हैण्डपम्प वर्तमान में कार्यरत हैं। अत: कोई योजना बनाना प्रस्तावित नहीं है। ग्राम बबेली के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं। ग्राम रैणी में पेयजल की समस्या निवारण के लिए एक नलकूप बनाने हेतु अनुमानित लागत 1.99 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। ग्राम बीलेटा के लिए हैण्ड पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित करने की स्वीकृति जारी हो चुकी है। योजना के अन्तर्गत एक नलकूप का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। विधुत सम्बन्ध हेतु मांग पत्र की राशि जमा करा दी गई है। विद्युत सम्बन्ध प्राप्त होते ही नलकूप चालू किया जा सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में भूतल से पानी की विद्यमान गहराई के आधार पर तकनीकी दृष्टिकोण से पर्याप्त गहराई के हैण्डपम्प बोर विभागीय मानदण्डों के अनुसार सामान्य: लगाये जाते हैं।

विधान सभा क्षेत्र चूरू में जलदाय कर्मियों के अनुपस्थित रहने की शिकायत

895. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चूरू के जलदाय विभाग में कार्यरत कर्मचारी अपने पदस्थापित स्थान से कितने समय से अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर किसके आदेशों से पदस्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें?

(2) जनवरी,1998 से जनवरी, 2000 वक विभागीय कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने की कितनी शिकायत लिखित/मौखिक प्राप्त हुई और कितने कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) क्या यह सही है कि कई कर्मचारी कई माह से अनुपस्थित हैं? यदि हां, तो कितने व कब से ? सरकार ने उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की है ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील चूरू के गांव करणपुरा, कुसीसर का कुआ गत 1 वर्ष से खराब होने के कारण बंद पड़ा है ? यदि हां, तो ठीक क्यों नहीं करवाया गया ? क्या सरकार विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने कुएं/जी.एल.आर. मरम्मत योग्य हैं तथा सरकार ने उनकी मरम्मत हेतु कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की है ?

(6) जिला चूरू में कितने पद सभी तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के कब से रिक्त है और रिक्त पदों को कब तक भरना सम्भव है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, चूरू के जलदाय विभाग में कार्यरत 3 कर्मचारी अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त चूरू के आदेशों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं। विस्तृत विवरण प्रपत्र (अ) में संलग्न है।

(2) वर्णित अवधि में एक कर्मचारी की विभाग में अनुपस्थित रहने की लिखित शिकायत प्राप्त हुई। जिसके लिए कर्मचारी को माह मार्च, 1998 एवं अगस्त, 1998 में पत्र लिखे गये। प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर माह अक्टूबर, 1998 में समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई तथा पंजीकृत डाक से पत्र कर्मचारी के घर भिजवाया गया। कर्मचारी का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण, तत्पश्चात कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी करने की कार्यवही प्रगति में है।

(3) जी नहीं। एक कर्मचारी माह नवम्बर, 1998 से लगातार अनुपस्थित चल रहा है, जिसके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण प्रश्न 2 (उपरोक्तानुसार) में दिया गया है।

(4) जी हां, ग्राम करणपुरा में बंद कुएं का पानी खारा है। उक्त गांव को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना खासोली दूधवाखारा से तथा एक कुएं से लाभान्वित कर 81 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: दूसरे कुएं को चलाने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम कुनसीसर का एक कुआ ग्राम के बीच नीचे स्थान में स्थित होने के कारण वर्षा का पानी इस कुएं में भर जाने से कुएं के अन्दर की गई बोरिंग मिट्टी से चोक हो गई है एवं कुएं में जल उपलब्ध नहीं है। विभाग द्वारा उक्त बोरिंग को कम्प्रेशर चलाकर साफ करने की कोशिश की गई थी। लेकिन पर्याप्त सफलता नहीं मिलने से कुएं का उपयोग नहीं किया जा रहा है। एक अन्य कुएं से 60 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध कराया जाता है तथा उक्त कुएं का पानी इन गर्मियों में ज्यादा खारा हो जाने के कारण गांव को पेयजल परिवहन व्यवस्था से भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) विधान सभा क्षेत्र चूरू में कुल 26 कुएं एवं 28 जी.एल.आर. मरम्मत योग्य हैं। वर्ष 1998 में रुपये 15.27 लाख की राशि मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई। विवरण प्रपत्र (ब) पर संलग्न है।

(6) जिला चूरू में विभाग में दो कार्यालय मुख्य अभियन्ता, पीएमसी, चूरू/वृत्त चूरू जो क्षेत्र बीकानेर के अधीन आता है, के तकनीकी अधिकारियों कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण प्रपत्र (स) में संलग्न है। वेतन श्रृंखला 1 से 6 तक पदों के भरने पर वर्तमान में रोक है। शेष पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

ग्राम तिलोरा(अजमेर) का भूमिगत जलाशय

896. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तिलोरा (अजमेर) में जल योजना के तहत पेयजल की आपूर्ति की जा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि पानी का टैंक नीचे बना होने के कारण आधे गांव को भी इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार गांव में ऊंची जगह पर नया टैंक बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। ग्राम तिलोरा की जल योजना पंप एवं टैंक श्रेणी की है। जिसमें जलाशय भूतल पर ही बनाया जाता है, तथा ग्रामवासी सार्वजनिक नलों से जल प्राप्त करते हैं। इस योजना से सम्पूर्ण ग्राम को लाभ प्राप्त हो रहा है।

ग्राम छातड़ी स्वीकृत पेयजल योजना

897. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम छातड़ी में सरकार ने पेयजल योजना स्वीकृत कर कार्य करवाया है। यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी राशि स्वीकृत हुई और अब तक कौन-कौन से कार्य करवा दिये गये हैं और उन पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है तथा कौन-कौन से कार्य अभी करवाने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत पानी की टंकियों का निर्माण नहीं होने के कारण अभी तक सुचारू रूप से ग्रामवासियों को जल आपूर्ति नहीं हो रही है? यदि हां, तो अब कब तक टंकियों का निर्माण करवा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी-1999 में ग्राम छातड़ी में पम्प एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

टैंक योजना कुल राशि 8.52 लाख रू. के लिए स्वीकृत की गई थी। इसके विरुद्ध अब तक 3.60 लाख रू. व्यय किये जा चुके हैं। योजना पर अब तक कराये गये कार्य व शेष रहे कार्यो का विवरण परिशिष्ट - "क" में वर्णित है।

(2) वर्तमान में योजना का कार्य प्रगति पर है। योजना पर एक नलकूप का निर्माण कर पी.एस.पी. के माध्यम से आंशिक रूप से ग्रामवासियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त योजना में 6 हैण्डपम्प भी चालू स्थिति में है। भू-तलीय जलाशयों के कार्यादेश दिये जा चुके हैं एवं कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प मरम्मत

898. प्रो. सांवरलाल (भिनाय) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला अजमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प मरम्मत अभियान इस वर्ष प्रारम्भ कर दिया है? यदि हां, तो अब तक कहां-कहां किस-किस हैण्डपम्प को ठीक किया?

(2) उक्त हैण्डपम्पों में क्या-क्या उपकरण बदलने आवश्यक थे? तथा क्या-क्या बदल दिये हैं?

(3) क्या अब पानी पर्याप्त मिल रहा है ? यदि नहीं, तो उन स्थानों पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला अजमेर ग्रामीण क्षेत्र में हैण्डपम्प मरम्मत अभियान दिनांक 3 जनवरी, 2000 से शुरू कर दिया गया है और अब तक 3335 हैण्डपम्प ठीक कर दिये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(2) रिपेयर किये गये हैण्डपम्पों में बदले जाने वाले व बदले गये उपकरणों का विवरण सलंग्न परिशिष्ट अ पर है।

(3) सुधारे गये हैण्डपम्पों में पानी भूजल की उपलब्धता के अनुसार प्राप्त हो रहा है। जिले के 61 ग्रामों में हैण्डपम्पों में पानी कम मिलने के कारण टैंकरों द्वारा जल परिवहन किया जा रहा है।

(विवरण/सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला हनुमानगढ़ की जल प्रदाय योजनाओं का सर्विस लेवल

899. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला हनुमानगढ़ में कुल कितनी जल प्रदाय योजनाएं है तथा इनका सर्विस लेवल कितना-कितना है?

(2) ज़िले की जल प्रदाय योजनाओं का मुख्य स्त्रोत क्या नहरी पानी है? यदि हां, तो क्या यह पानी अत्यधिक प्रदूषित नहीं है? क्या जिन जल प्रदाय योजनाओं का सर्विस लेवल 50 प्रतिशत से कम है ऐसी परियोजनाओं को सरकार स्वीकृति में सर्वोच्च प्राथमिकता देगी?

उत्तर

(1) जिला हनुमानगढ़ में 6 शहरी एवं 837 ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं संधारण में है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 465 ग्रामों के लिए हैण्डपम्प योजनाएं संधारण में हैं। शेष 372 ग्रामीण जल योजनाओं का सर्विस लेवल निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र	25% तक सर्विस लेवल	25से50% तक सर्विस लेवल	50% से अधिक सर्विस लेवल	कुल योजनाएं
1.	शहरी क्षेत्र	-	-	6	6
2.	ग्रामीण क्षेत्र	10	67	295	372

विभागीय मानदण्ड के अनुसार उक्त जिले की ग्रामीण योजनाओं पर सामान्य सर्विस लेवल 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन है।

(2) जी हां, नहरी पानी की जांच रिपोर्ट में कोलीफार्म की मात्रा अधिक पाई गई परन्तु उक्त पानी को फिल्टर करके तथा ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कीटाणु रहित करने के पश्चात ही वितरित किया जाता है। जिन जल-प्रदाय योजनाओं का सर्विस लेवल 50 प्रतिशत से कम है, उन योजनाओं का संवर्धन तकनिकी उपयुक्तता, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत करना संभव हो सकेगा। सर्वोच्च प्राथमिकता 0 से 25 प्रतिशत सर्विस लेवल योजनाओं को ही दी जाती है।

विधान सभा क्षेत्र पाली के ग्रामों हेतु निम्बाज तथा सैंदड़ा से पेयजल आपूर्ति

900. श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर शहर में पेयजल पाली जिले की तहसील जैतारण के ग्राम निम्बाज तथा सैंदडा (पाली) क्षेत्र से पेयजल स्कीम बनाकर बर, सैंदडा, अमरपुरा में लिफ्ट स्कीम सहित ब्यावर को उक्त स्थानों से गत बीस-पच्चीस वर्षों से दिया जा रहा है? क्या अब ब्यावर शहर को बीसलपुर परियोजना से पानी मिलने से इन स्थानों को पेयजल योजना विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है जबकि पाइप लाइनें, पानी की टंकियां व लिफ्ट के सारे साधन यथावत हैं?

(2) निम्बाज योजना से ग्राम पंचायत बिराटिया कलां व बर तथा झाला की चौकी जो कि उक्त तीनों ही पाइप लाइनों पर स्थित है, में पेयजल क्यों नहीं दिया जा रहा हैं, जबकि उक्त तीनों ही गांवों में पेयजल योजना स्वीकृत है और उक्त तीनों ही ग्रामों में पेयजल की भारी किल्लत है।

(श्री हीरासिंह चौहान)

(3) सैंदडा में उपलब्ध कुओं/पेयजल स्कीमों से गांव रामगढ़ सेंडोतानप व ग्राम धोलियां तथा अमरपुरा के ग्राम सबलपुरा, लालपुरा, सराधना तथा अमरपुरा में उपलब्ध स्कीमों से पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(4) क्या सरकार उक्त स्कीमों से श्री सीमेन्ट ब्यावर को पानी देना चाहती है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि ब्यावर शहर में पेयजल हेतु ग्राम निम्बाज के नलकूप व ग्राम सैंदडा के खुले कुए जल स्रोत थे। वर्तमान में ब्यावर शहर के पेयजल हेतु बीसलपुर परियोजना तथा सैंदडा के खुले कुओं से पानी लिया जा रहा है। निम्बाज से यद्यपि पाइप लाइन आदि पूर्ववत विद्यमान है परन्तु निम्बाज में स्थित विभागीय नलकूप सूख जाने व ग्रामवासियों को विराध के कारण नये नलकूप नहीं बन सकने के कारण इनका प्रयोग संभव नहीं हो पा रहा है।

(2) ग्राम बिराटियां कलां, बर तथा झाला की चौकी में पेयजल इस लाइन से अभिकल्पित नहीं था। तीनों गांवों में पेयजल योजनाएं स्थानीय स्त्रोतों पर आधारित है तथा वर्तमान पेयजल स्थिति निम्न प्रकार है :-

ग्राम	आबादी 1991	स्कीम का प्रकार	चालू हैंण्ड पम्प	नलकूप/खुले कुओं से जल वितरण
बिराटिया कलां	1766	हैण्डपम्प योजना	4	-
बर	4897	पाइप्ड योजना	15	29 ली./व्यक्ति/प्रतिदिन
झाला की चौकी	802	पनघट	3	42 ली./व्यक्ति/प्रतिदिन
		(कुल 4 में से एक सूखा)		

निम्बाज में जल उपलब्ध नहीं होने के कारण इन गांवों को सन्दर्भित पाइप देना संभव नहीं है।

(3) विभाणीय मानदण्डों के अनुसार सन्दर्भित गांव हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं। विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम	आबादी(1991)	चालू हैण्डपम्प
रामगढ़	1151	10
धोलिया	789	4
राबलपुरा	396	4
लालपुरा	260	2
सराधना	428	7
अमरपुरा	591	4

(4) जी नहीं।

बाड़मेर के उत्तर खण्ड के पेयजल योजना विहीन ग्राम

901. श्री अमीन खान(शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर के उत्तर खण्ड में पेयजल की कितनी योजनाएं चल रही हैं? उक्त योजनाओं में कितने-कितने ग्राम/ढाणियां आती हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खण्ड में अभी तक कितने ग्राम व चयनित ढाणियां ऐसी हैं जो उक्त योजनाओं से वंचित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वंचित ग्रामों व ढाणियों की योजनाएं स्वीकृत कराई जाएंगी?

उत्तर

(1) जिला बाडमेर के उत्तर खण्ड में पेयजल की 19 योजनाएं चल रही हैं। उक्त योजनाओं से 347 ग्राम एवं 770 ढ़ाणियों को जोड़ा हुआ है। सूची प्रपत्र (अ) में संलग्न है।

(2) उक्त उत्तर खण्ड में अभी तक 8 गांव एवं 242 ढाणियां ऐसी हैं जो पेयजल योजनाओं से वंचित हैं। सूची प्रपत्र (ब) में संलग्न है।

(3) जी हां। स्त्रोत की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृति संभव होगी।

बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

902. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर, जैसलमेर तथा बीकानेर में अब तक कितने ग्राम व ढाणियों में पेयजल योजलाएं नहीं चल रही हैं?

(2) वर्तमान में उक्त जिलों में कौन-कौन डिवीजनों में कितनी-कितनी योजनाएं विचाराधीन हैं उसमें कितने-कितने गांव व कितनी-कितनी ढाणियां हैं, जिन्हें कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जिलेवार अलाभान्वित ग्रामों व ढाणियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	ज़िले का नाम	अलाभान्वित ग्राम	अलाभान्वित ढाणी
1.	बाडमेर	53	1769
2.	जैसलमेर	3	515
3.	बीकानेर	24	257

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) उक्त जिले केडिविजनों में विचाराधीन योजनाओं का विवरण परिशिष्ट (अ) पर सलंग्न है। योजना की तकनीकी जांच, स्त्रोत की उपलब्धता, प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत करना संभव होगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

कोटा वृत्त के खनिज क्षेत्र पर अतिक्रमण

903 श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता खनिज कोटा वृत्त द्वारा स्वीकृतशुदा खनन लीजों की जगह पर बाड़े बनाकर किए गए कब्जों को हटाने बाबत अविलम्ब कार्यवाही की जाने के लिए खनिज अभियन्ता बूंदी प्रथम को पत्र क्रमांक 437 दिनांक 3.3.2000 लिखा गया है? यदि हां, तो प्रति सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पत्र की अनुपालना में ग्राम राजपुरा--नारोली जिला बून्दी के अवैध कब्जाधारकों के विरुद्ध सरकार द्वारा कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमियों को बढ़ावा देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, अधीक्षण खनिज अभियन्ता, कोटा के पत्र क्रमांक 436 दिनांक 3.3.200 की प्रति संलग्न है।

(2) स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में यदि कोई अतिक्रमण करता है तो पट्टेधारी का दायित्व है कि वो जिला प्रशासन एवं पुलिस की सहायता से अतिक्रमण हटाने बाबत् रिपोर्ट दर्ज करावें। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक रिवीजन याचिका संख्या 1899/99 दिनांक 20.1.2000 से पट्टाधारी को उक्तानुसार पुलिस सहायता हेतु निर्देश प्रदान किये हैं।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

जिला अलवर में गैर मुमकिन पहाड़ी भूमि पर खनन

904. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में गत 5 वर्षो में खातेदारी भूमि में कितनी लीज (पट्टा) खनन कार्य के लिए दी गई? उक्त लीज किस-किस ग्राम एवं किस-किस खसरा नम्बर में दी गई है एवं उस भूमि की किस्म क्या है उक्त लीज देने से 10 वर्ष पहले भूमि की किस्म क्या थी?

(2) उक्त भूमि खातेदार को कैसे प्राप्त हुई? क्या यह सही है कि भूमि कि किस्म गैर मुमकिन पहाड़ थी? क्या यह सहि है कि गैर मुमकिन पहाड़ भारत सरकार के एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट नोटीफिकेशन (वन तथा पर्यावरण) दिनांक 7-5-1992 के तहत गैर वानिकी कार्य के लिए निषिद्ध है? यदि हां, तो उक्त भूमि खनन हेतु कैसे कार्य में आ रही है?

उत्तर

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्षों में खातेदारी भूमि में कुल 21 खनन पट्टे विभिन्न खनिजों के दिये गये। खनन पट्टा के निकट ग्राम का नाम, खसरा नम्बर, भूमि की किस्म तथा लीज दिये जाने से 10 वर्ष पूर्व भूमि की किस्म की सूचना प्रदर्श (अ) पर संलग्न है।

(2) उक्त भूमि खातेदार को जिस प्रकार प्राप्त हुई है, उसका विवरण प्रदर्श (अ) की सूची में अंकित है। जी नहीं, भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड़ होना सही नहीं है। जी नहीं, भारत सरकार के राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 7 मई, 1992 के अनुसार हरियाणा राज्य के गुडगांव जिले एवं राजस्थान राज्य के अलवर जिले के संबंध में गैर मुमकिन पहाड़, या गैर मुमकिन राड़ा, या गैर मुमकिन बीहड़, या बंजड़ बीड़, या रूंध के रूप में दर्शित सभी क्षेत्रों में नए खनन पट्टे व पुराने खनन पट्टे का नवीनीकरण आदि केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना निषेध है। खनन पट्टा आबंटन के समय भूमि की किस्म, अधिसूचना दिनांक 7.5.1992 में वर्णित श्रेणी में नहीं होने से खनन कार्य हेतु आबंटित की गई।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

विधान सभा क्षेत्र खारची के थानों में लंबित प्रकरण

905. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 में विधान सभा क्षेत्र खारची में स्थित थाना मारवाड़ जंक्शन, सिरीभारी, खीवाडा, सुरायता, सोजतरोड व रानी में लूट/चोरी/अफीम के कितने मुकदमें दर्ज किये गये ? प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों में वर्ष 1999 में चोरी का कितना माल किस-किस मुकदमें में बरामद किया गया ? बरामद किये गये माल का मूल्य सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त थानों में वर्ष 1999 में कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये व कितने प्रकरणों में चालान पेश किया गया व कितने प्रकरण किन-किन कारणों से लम्बित है? लम्बित प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खारची में सुरायता नाम का थाना नहीं होकर थाना मारवाड जंक्शन, सिरियारी खीवाड़ा, शिवपुरा, सोजतरोड, रानी व बगड़ी, इनमें वर्ष 1999 में लूट/चोरी, अफीम के कुल 49 मुकदमे दर्ज किये गये हैं। जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक सहित सूची परिशिष्ट (अ) में संलग्न है।

(2) उक्त थानों में वर्ष 1999 में कुल 48300/- रुपये की चोरी का माल बरामद हुआ है, जिनका अभियोगवार/थानेवार विवरण परिशिष्ट (ब) में संलग्न है।

(3) उक्त थानों में वर्ष 1999 में कुल 1058 मुकदमें दर्ज हुए हैं इनमें से 737 मुकदमों का चालान किया गया है एवं 9 अभियोग लंबित हैं। लंबित प्रकरणों के लंबित

(गृह मंत्री)

रहने के कारण तथा लंबित प्रकरणों की प्रथम सूचना क्रमांक (मुकदमा नं.) सहित विवरण संलग्न परिशिष्ट (ब-1) में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

पुलिस थाना जसवन्तगढ़ (नागौर) में दर्ज मुकदमा नम्बर 57/98

906. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस थाना जसवन्तगढ़ (नागौर) में मुकदमा नम्बर 57/98 अन्तर्गत धारा 302 के तहत दर्ज हुआ था। क्या इसमें पुलिस निरीक्षक लुणाराम सहित उसके परिवार के सदस्य मुलजिम है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमें को 2 वर्ष होने जा रहे है लेकिन आज तक एक भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है? क्या पुलिस निरीक्षक द्वारा मामले की पत्रावली जयपुर अपराध शाखा में स्थानान्तरित करवाकर जांच में जान-बूझकर देरी की जा रही है? जिससे मुलजिमान मुस्तगीस पार्टी के गवाहों की खरीद फरोख्त कर सकें?

(3) क्या सरकार मुलजिमान को शीघ्र गिरफ्तार करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, पुलिस थाना जसवन्तगढ़ (नागौर) में अभियोग संख्या 57/98 अन्तर्गत धारा 302 भादस में पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस निरीक्षक लूणाराम सहित उसके परिवार के सदस्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है।

(2) यह अभियोग दिनांक 21.8.98 को पंजीबद्ध हुआ, किन्तु अभी तक इस प्रकरण में कोई अभियुक्त गिरफ्तार नही हुआ है। दिनांक 15.9.98 को लूणाराम द्वारा महानिदेशक पुलिस को परिवाद प्रस्तुत करने पर अभियोग पत्रावली अपराध शाखा में मंगवाई गई थी,जो समीक्षा के उपरान्त दिनांक 9.10.98 को पुलिस अधीक्षक जिला नागौर को वापिस भिजवा दी गई। पुन: दिनांक 26.4.99 को श्री शैतान दान का परिवाद प्राप्त होने पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा, राज. जयपुर के आदेशानुसार अभियोग पत्रावली अतिरिक्त पुलिस अधीशक सी.आई.डी. (सीबी) अजमेर रेंज को सुपुर्द की गई। प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(3) अभियोग का अनुसंधान जारी है। अनुसंधान से उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निष्पक्षता से निर्णय लिया जाकर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस थाना गोविन्दगढ़ (जयपुर) में दर्ज हत्या प्रकरण

907. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के पुलिस थाना क्षेत्र गोविन्दगढ़ के ग्राम बावडी गोपीनाथ में श्री सुभाष पारीक की हत्या की

(श्री मदन दिलावर)

गई थी? यदि हां तो यह हत्या क्यों और किसने की? हत्यारे के नाम पिता का नाम, व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी? यदि हां, तो कब क्या व किसने दर्ज कराई? रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरण में श्री सुभाष पारीक की हत्या के आलावा और किस-किस के कितनी-कितनी चोटें आईं तथा पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई? किस-किस का मेडिकल कराया गया और उसमें क्या तथ्य सामने आये? पुलिस कार्यवाही एवं मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पुलिसकर्मियों ने मृतक श्री सुभाष पारीक के छोटे-भाई को धौंस देकर अपने चाहे अनुसार रिपोर्ट लिखवाई और वास्तविक घटना की सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की? यदि हां, तो क्यों? उस समय थाने में कौन कर्मी ड्यूटी पर था तथा उसने पीड़ित पक्ष के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी पुलिस अधिकारयों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(5) उक्त प्रकरण में चालान न्यायालय में पेश कब किया और उसमें कब-कब किन-किन को मुलजिम किस-किस धारा में ठहराया तथा वर्तमान में उक्त प्रकरण में क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जिला जयपुर ग्रामीण के थाना क्षेत्र गोविन्दगढ़ के ग्राम बावड़ी गोपीनाथ में श्री सुभाष पारीक की हत्या की गई थी। झगड़े का कारण ग्राम बावड़ी गोपीनाथ में 38 बीघा 15 बिस्वा जमीन है जो दो भाइयों सुवा पारीक व भूरा पारीक के नाम थी। दोनों भाई इसमें बराबर के हिस्सेदार थे। सुवा पारीक अन्यत्र गोद चला गया, किन्तु विवादित जमीन में उसका हिस्सा बरकरार रहा। सुवा पारीक के पुत्रों ने अपने पिता के नाम की आधी जमीन का मुखत्यारनामा आम हनुमानसहाय ब्राहमण नाम के व्यक्ति को बनाकर उसके माध्यम से तेजपाल यादव के पुत्रों को बेचकर रजिस्ट्री करवादी इसे रजिस्ट्री के आधार पर जमीन के आधे हिस्से का नामन्तरण तेजपाल यादव के पुत्रों के नाम हो गया, और ये लोग उस हिस्से पर काबिज हो गये। जमीन के दूसरे हिस्से के मालिक भूरा के पुत्रों का यह मानना था कि सुवा जो गोद चला गया था, इसलिए उसके पुत्रों को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था, इस कारण तेजपाल यादव के पुत्रों ने जमीन पर गलत कब्जा कर लिया। भूरा के परिवारजन घटना के दिन तेजपाल यादव के पुत्रों के कब्जे की जमीन पर कब्जा करने की नीयत से चले गये और ट्रेक्टर चलाकर जमीन पर कब्जा करना चाहा, इस पर तेजपाल यादव के पुत्र एवं अन्य लोग वहां आ गये, इस बात पर विवाद व झगड़ा हुआ। झगड़े में विपक्षी तेजपाल यादव के पुत्र एवं अन्य द्वारा चोटें पहुंचाने पर श्री सुभाष पारीक को गम्भीर चोटें आईं तथा उसे जयपुर एस.एम.एस. चिकित्सालय लाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई ।

(गृह मंत्री)

अनुसंधान से निम्नांकित अभियुक्त पाये गये :-

1. हनुमान सहाय पुत्र रूडाराम उम्र 50 वर्ष जाति अहीर।
2. जगन्नाथ उर्फ बोदूराम उर्फ राजू पुत्र तेजपाल यादव उम्र 35 वर्ष।
3. कैलाश उर्फ डबालिया पुत्र तेजपाल यादव उम्र 28 वर्ष।
4. कल्ला उर्फ कल्याणसहाय पुत्र झूंथाराम जाति यादव उम्र 65 वर्ष।
5. सीता राम पुत्र कल्याण जाति यादव उम्र 30 वर्ष।
6. महेश कुमार पुत्र झूंथाराम यादव उम्र 28 वर्ष।
7. ओम प्रकाश पुत्र कल्याण सहाय यादव उम्र 28 वर्ष।
8. जगन लाला पूत्र सूरजमल जाति जाट उम्र 22 वर्ष।
9. बद्री प्रसाद पुत्र कल्याण जाति यादव उम्र 35 वर्ष।
10. हरफूल पुत्र तेजपाल यादव उम्र 30 वर्ष।
11. श्री कृष्ण पुत्र भागीरथ यादव उम्र 28 वर्ष।
12. श्रवण कुमार पुत्र सुखदेव यादव उम्र 30 वर्ष।
13. जयनारायण पुत्र सुखदेव यादव उम्र 35 वर्ष।
14. रामसिंह पुत्र भागीरथ यादव।
15. गणपत पुत्र सूणाराम यादव।
16. शिवनारायण उर्फ सोनाराम पुत्र नोलाराम यादव निवासीयान बावड़ी गोपीनाथ थाना गोविन्दगढ़।

(2) जी, हां। प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिल कुमार पुत्र गजानन्द पारीक उम्र 23 वर्ष निवासी बावड़ी गोपीनाथ द्वारा दर्ज कराई गई जिस पर अभियोग संख्या 76/99 दिनांक 19.5.99 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 323,307 भा.दं.सं. थाना गोविन्दगढ़ पर पंजी बद्ध की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मृतक सुभाष पारीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट (अ) एवं (ब) पर संलग्न है।

(3) इस प्रकरण में श्री सुभाष पारीक के अलावा सात व्यक्तियों 1. श्री घनश्याम, 2. श्री भगवान सहाय, 3. गोपीनाथ, 4. पीन्टू 5. राधेश्याम, 6. अनिल कुमार, 7. महेन्द्र इनमें श्री भगवान सहाय गोपीनाथ व पीन्टू के गम्भीर चोटें आई है। तथा अन्य चार के साधारण चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा सभी का इलाज व मेडिकल मुआयना करवाया गया। प्रकरण की पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट (स) एवं (द) में संलग्न है।

(4) यह सही नहीं है कि पुलिसकर्मियों ने मृतक सुभाष पारीक के छोटे भाई को धौंस देकर अपने चाहेनुसार रिपोर्ट लिखाई है। मृतक के छोटे भाई अनिल पारीक ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाने पर उपस्थित होकर दी है।उस समय थानाधिकारी श्री अशोक कुमार उपस्थित थे। पीड़ित पक्ष के साथ किसी प्रकार

(गृह मंत्री)

का अन्याय नहीं किया गया है। प्रकरण में किसी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया, इसलिये किसी भी पुलिस कर्मी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है।

(5) इस प्रकरण में न्यायालय में दिनांक 16.8.99 को जरिये चार्ज शीट नं. 91/99 दिनांक 13.8.99 से अभियुक्त 1. हनुमान सहाय, 2. जगन्नाथ उर्फ बोदूराम उर्फ राजू, 3. कैलाश उर्फ डबालिया, 4. कल्ला उर्फ कल्याण सहाय, 5. सीताराम, 6.महेश कुमार, 7. ओम प्रकाश, 8. जगनलाल, 9. बद्री प्रसाद, 10. हरफूल तथा 11. श्री कृष्ण, 12. श्रवण कुमार, 13.जयनाराण के विरुद्ध अपराध धारा 147, 148, 149, 447, 323, 325, 307, 302 भा. दं. सं. में प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया। शेष अभियुक्तगण सर्व श्री रामसिंह यादव, गणपतलाल यादव व शिवनारायण के विरुद्ध उक्त धाराओं में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर इन तीनों की गिरफ्तारी के भरसक प्रयास किये गये। भरसक प्रयास के बावजूद नहीं मिलने पर इनका चालान धारा 299 जा. फो. के तहत किया गया था। उक्त तीनों अभियुक्तगणों का न्यायालय में आत्म समर्पण करने पर तितम्बा चार्ज शीट नं. 91 ए/2000 के द्वारा न्यायालय में पेश की गई जो विचाराधीन न्यायालय है।

(रिपोर्ट की प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला जालौर में अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों द्वारा दर्ज मुकदमें

908. **श्री गणेशीराम मेघवाल** (जालौर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सभी विभागों द्वारा जनता को नागरिक अधिकारों की जानकारी दी जा रही है?

(2) क्या पुलिस विभाग में भी इस तरह की जानकारी देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नागरिक अधिकार पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) फरवरी, 2000 तक जिला जालौर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा कितने केस दर्ज कराये गये और उक्त में से कितने व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश हुए और किन-किन केसों में अन्तिम रिपोर्ट पेश की गई तथा पेंडीग केसों की संख्या एवं उनकी स्थिति क्या है?

उत्तर

(1) जी हां। आम नागरिको से जुडे विभागों द्वारा नागरिक अधिकार पत्र तैयार किये जा रहे है।

(2) जी हां। नागरिक अधिकार पत्र तैयार किया जा रहा है।

(3) 1 जनवरी, 1999 से फरवरी, 2000 तक की अवधि में जिला नागौर में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा कुल 186 अभियोग पंजीबद्ध कराए गए

(गृह मंत्री)

जिनमें से 91 अभियोगों में 157 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान पेश किए गए हैं। शेष अभियोगों में से 92 अभियोगों में अन्तिम प्रतिवेदन किया गया है एवं 3 अभियोग अन्वेषणाधीन हैं। जिन अभियोगों में अन्तिम प्रतिवेदन दिया गया है व जो अभियोग अन्वेषणाधीन हैं, उनका विवरण परिशिष्ट (अ) में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

पुलिस हिरासत से फरार अभियुक्त

909. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 में पुलिस हिरासत से कितने अभियुक्त कब-कब कहां-कहां से फरार हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त फरार अभियुक्तों को पुन: गिरफ्तार कर लिया गया है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 में पुलिस अभिरक्षा से कुल 106 अभियुक्त फरार हुए, इस संबंध में कुल 97 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) कुल फरार 106 अभियुक्तों में से 76 अभियुक्तों को पुन: गिरफ्तार किया जा चुका है, तथा 28 अभियुक्तों की तलाश की जा रही है, 1 अभियुक्त बंटी गूर्जर दिल्ली पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया तथा एक अन्य अभियुक्त मुकेश मीना ने स्वयं द्वारा बम विस्फोट कर आत्मा हत्या करली।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जैल से कैदियों की फरारी

910. डा. रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष 1999 में जेल से कैदी फरार होने की घटनाएं कब-कब व कहां-कहां घटित हुईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में क्या कोई जांच कार्यवाही हुई है ? यदि हां, तो क्या ? उक्त सम्बन्ध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में वर्ष 1999 में चार फरारी की घटनाएं हुई हैं, जिनका विवरण निम्न भांति है:-

1. दिनांक 11.2.99 को उप कारागृह, मांडलगढ़ से विचाराधीन बंदी छोटू पुत्र मांगीलाल हरिजन फरार हुआ था।

2. दिनांक 16.2.99 को बंदी खुला शिविर, दुर्गापुरा से बंदी मोती उर्फ राजू पुत्र गोकुल रोल काल के समय अनुपस्थित होकर फरार हुआ।

3. बंदी खुला शिविर सांगानेर से दिनांक 29.5.99 को बंदी जुवारिया पुत्र प्रताप रोल काल के समय अनुपस्थित होकर फरार हो गया, जो दिनांक 7.10.99 को पुन:पकड़ा गया।

(गृह मंत्री)

4. दिनांक 24.6.99 को उप कारागृह, सांचौर के शौचालय की दीवार तोड़कर तीन बंदी क्रमशः डालूराम पुत्र सीताराम, प्रहलाद पुत्र भगवानाराम, महेन्द्रसिंह पुत्र दीपसिंह फरार हुए थे, जिसमें से डालूराम दिनांक 31.7.99 को तथा महेन्द्रसिंह दिनांक 7.7.99 को पकड़ा गया।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में की गई जांच कार्यवाही और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>घटना सं.1</u> :- प्रकरण की प्राथमिक जांच मण्डलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह अजमेर से करवाई गई, जिसमें प्रथम दृष्ट्या दोषी कर्मचारी श्री पूनमचन्द व दीपचन्द प्रहरी पाये गये, जिन्हें निलम्बित किया जाकर, सी.सी.ए. रूल्स-1958 के नियम1 के अन्तर्गत क्रमशः दिनांक 7.6.99 व 8.6.99 द्वारा आरोप विवरण पत्र जारी किये गये तथा दिनांक 2.8.99 को अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, तथा जांच कार्यवाही जारी है।

<u>घटना सं.2</u> :- प्रकरण की प्राथमिक जांच उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से करवाये जाने पर बंदी खुला शिविर दुर्गापुरा से हुई उक्त फरारी में कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

<u>घटना सं. 3</u> :- बंदी खुला शिविर से बंदी कार्य करने हेतु बाहर आते-जाते रहते हैं। सायंकाल रोल काल के समय बंदी जुवारिया पुत्र प्रताप रोल काल में हाजिर नहीं हुआ जिसमें कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

<u>घटना सं. 4</u> :- फरारी के प्रकरण की प्राथमिक जांच महानिरीक्षक कारागार से करवाई गई साथ ही उक्त प्रकरण की जांच विस्तृत रूप से करने के निर्देश मंडलाधिकारी एवं अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर को दिये गये। प्रथम दृष्ट्या दोषी कर्मचारी श्री धन्नालाल, मुख्य प्रहारी, कमलप्रकाश, भोलाराम व महेन्द्र सिंह, प्रहरी को आदेश दिनांक 28.6.99 से निलम्बित किया गया। इन चारों कर्मचारियों के अलावा भी इस संबंध में श्री मांगीलाल, प्रहरी के विरुद्ध भी सी.सी.ए. रूल्स 1958 के नियम16 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

बांसवाड़ा जेल के निलम्बित कर्मियों की बहाली

911. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या(बांसवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1994 में जिला बांसवाड़ा में क्या जैल में बन्द कैदियों के फरार होने का मामला प्रकाश में आया था ? क्या इस संबंध में संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई है? यदि हां, तो क्या ?

(2) क्या उक्त प्रकरण में निलम्बित हुए कुछ कर्मचारियों को बहाल किया गया ? यदि हां तो किन-किन को कब-कब ? प्रकरणों में प्रमुख दोषी कौन तय किये गये ? क्या बहाल किये गये कर्मचारी निर्दोष पाये गये ? यदि हां, तो क्या उन्हें राजकीय सेवा की निर्धारित सभी सुविधाएं पुनः उपलब्ध करा दी गई हैं ?

(श्री रमेश चन्द पण्ड्या)

(3) क्या संबंधित सभी कर्मचारियों को चार्ज शीट समय पर दी गई थी? यदि नहीं, तो क्या 5 वर्ष तक बगैर चार्ज शीट दिये कर्मचारियों के साथ गैर कानूनी ढंग से दी जा रही राजकीय यंत्रणा उचित है ?

(4) क्या उक्त प्रकरण में निलम्बित हुए कुछ कर्मियों के केस विभाग द्वारा निरस्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर?

उत्तर

(1) वर्ष 1994 में नहीं, अपितु वित्तीय वर्ष 94-95 में बांसवाड़ा जिले की उप कारागृह, कुशलगढ़ का बंदी दल्ला पुत्र तेजा दि. 27.3.95 को फरार हुआ था। बंदी की फरारी के प्रकरण में सहायक कारापाल श्री चन्द्रप्रकाश को दि. 27.3.95 को तथा श्री अर्जुनसिंह, प्रहरी को 28.3.95को निलम्बित किया गया था। सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़ के निर्णय दि. 7.10.97 से श्री चन्द्रप्रकाश एवं श्री अर्जुनसिंह को 3-3 वर्ष का साधारण कारावास व जुर्माने की सज़ा से दंडित किये जाने पर दोनों कर्मचारियों को आदेश दि. 13.11.97 के द्वारा राज्य सेवा से पृथक किया गया। अपील निर्णय (अपर सैशन न्यायाधीश, बांसवाड़ा) दि. 7.9.99 स्वीकार होने पर विभाग ने दिनांक 17.11.99 को दोनों कर्मचारियों को सेवा में लेते हुए विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण इन्हें निलंबित कर दिया गया। दिनांक 21.1.2000 को लंबित जांच के दौरान दोनों कर्मचारियों को बहाल किया गया। जांच, अधिकारी अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर के द्वारा की जा रही है।

(2) जी हां, श्री चन्द्रप्रकाश, सहायक कारापाल एवं श्री अर्जुनसिंह, प्रहरी को दिनांक 21.1.2000 को बहाल किया गया। सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच चल रही है। जांच अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन दि.22.2.97 को प्रेषित की गई, जो दि. 2.7.97 को पुन: रिमाण्ड कर जांच अधिकारी के पास भेजी गई। जांच कार्यवाही चल रही है। अत: यह बताया जाना संभव नहीं है कि प्रकरण में प्रमुख दोषी कौन है।

(3) उक्त प्रकरण में सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत उक्त दोनों कर्मचारियों को दि. 13.6.95 को चार्ज शीट दी गई थी। यह सही नहीं है कि 5 वर्ष तक कर्मचारियों को चार्ज शीट नहीं दी गई है।

(4) उक्त प्रकरण में आरोपी कर्मचारियों के केस विभाग द्वारा निरस्त नहीं किये गये हैं।

जिला नागौर में दुर्घटनाओं से मृत्यु

912.श्री मोहन लाल चौहान(परबतसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 1999-2000 में जिला नागौर में दुर्घटनाओं से कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला नागौर में 1 जनवरी, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक सड़क दुर्घटना की 124

(श्री मोहन लाल चौहान)

घटनाएं घटित हुईं जिनमें 140 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त अन्य दुर्घटनाओं के अन्तर्गत 45 मामलों में 50 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतकों की सूची परिशिष्ट (अ) पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

थाना दुधवाखारा (चूरू) में दर्ज मुकदमा नम्बर 124/99

913. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू के थाना दुधवाखारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 124/99 धारा अन्तर्गत 420, 467, 471 आई.पी.सी. दर्ज हुई थी ? यदि हां, तो इसकी प्रथम तफतीश जिस पुलिस अधिकारी ने की उसने कितने व्यक्तियों को दोषी माना व कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन सरकारी कर्मचारियों/व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप दौरान तफतीश प्रमाणित हो गये, पुलिस उच्च अधिकारी उन्हें बचाने हेतु पुन: तफतीश के नाम पर अन्तिम रिपोर्ट लगाना चाहते हैं ? यदि हां,तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकरण के प्रथम अनुसंधानकर्ता सहायक उप निरीक्षक थाना दुधवाखारा ने अनुसंधान के उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित सभी पांच व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471, भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित पाया। एक अभियुक्त को इस प्रकरण में गिरफ्तार किया।

(2) जी नहीं। इस अभियोग में अनुसंधान के संबंध में परिवाद प्राप्त होने पर जिला पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा अग्रिम अनुसंधान वृत्ताधिकारी चूरू को सुपुर्द किया गया। प्रकरण बर्तमान में अनुसंधानाधीन है।

लोक सेवकों के विरुद्ध दर्ज अभियोग

914. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मार्च,1998 से मार्च,1999 तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से अपार सम्पत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध कितने अभियोग किस-किसके विरुद्ध दर्ज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मार्च,1995 से 1998 तक दर्ज अभियोग कितने हैं ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार बौंली के विरुद्ध परिवाद संख्या 6/99 ब्यूरो में दर्ज किया गया है ? यदि हां,तो उसमें विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

उत्तर

(1) मार्च,1998 से मार्च,1999 तक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट एवं अवैध तरीकों से अपार सम्पत्ति अर्जित करने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध 27 अभियोग पंजीबद्ध किये गये हैं। सूची परिशिष्ट (अ) में संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में मार्च, 1995 से 1998 तक (31.12.98) कुल 963 अभियोग दर्ज किये गये हैं। सूची परिशिष्ट-ब में अंकित है, जो संलग्न है।

(3) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में डा. किरोड़ी लाल मीणा, विधायक बामनवास, जिला-सवाई माधोपुर के द्वारा प्रेषित परिवाद पर श्री कल्याण सोनी, तहसीलदार-बौंली, जिला-सवाईमाधोपुर के विरुद्ध नामान्तरण खोलने के प्रकरणों में भयंकर लूट-खसोट करने के आरोप पर परिवाद संख्या 6/99 दर्ज किया गया है। परिवाद में जांच की जा रही है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला अजमेर में गोडावण पक्षी का अवैध शिकार

915. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला अजमेर में गोडावण पक्षी पाया जाता है ? यदि हां, तो कहां और सबसे पहले कब मालूम पड़ा ? उक्त समय उक्त पक्षी की संख्या कितनी थी और जानकारी के बाद संरक्षण/संवर्द्धन/रक्षा हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? प्रथम बार के बाद कब-कब गणना की गई व कितनी-कितनी संख्या कब-कब थी और वर्तमान में कितनी संख्या है?

(2) क्या सरकारी कर्मियों की मिलीभगत से उक्त दुर्लभ पक्षी का शिकार किया जाता है?

उत्तर

(1) जी हां, अजमेर जिले में गोडावण पक्षी पाया जाता है। यह पक्षी अजमेर जिले के जिन गांवों में पाया जाता है उनकी सूची परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है। गोडावण पक्षी की उपस्थिति का सबसे पहले वर्ष 1978 में अजमेर जिले में होना मालूम पड़ा। उस समय गणना नहीं कराई गई थी इसलिये उस समय गोडावण की वास्तविक संख्या की होने की जानकारी नहीं है। गोडावण पक्षी की इस क्षेत्र में उपस्थिति की जानकारी होने के बाद वन विभाग द्वारा गोडावण पक्षी पाये जाने वाले क्षेत्रों को राज्य सरकार द्वारा सौंकलिया को शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। इसके पश्चात् इस संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करते हुए कुल 33 ग्रामों की सीमा को इस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। पक्षियों की सुरक्षा हेतु पृथक से वनकर्मी तैनात किये गये। वर्तमान में इस कार्य हेतु एक सहायक वनपाल, दो वनरक्षक तथा दो कार्य प्रभारित कर्मकार पदस्थापित हैं। गोडावण पक्षी की इस क्षेत्र में सर्वप्रथम गणना दिनांक 3.2.94 को की गई जिसमें कुल 62 गोडावण पक्षी पाये गये। द्वितीय गणना दिनांक 16.1.96 को की गई जिसमें 79 गोडावण पक्षी पाये गये तथा दिनांक 5.7.96 को की गई, तृतीय गणना में 68 गोडावण पक्षी पाये गये। संलग्न सूची में वर्णित ग्रामों के क्षेत्रों मे आज भी लगभग 70 गोडावण पक्षी पाये जाते हैं।

(2) जी नहीं। शिकार निषिद्ध क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत अथवा अन्य प्रकार से इस क्षेत्र में

(राज्य मंत्री, वन)

गोडावण पक्षी के शिकार की किसी भी घटना की जानकारी विभाग को नही मिली हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जिला पाली में स्वीकृत योजनाओं पर व्यय

916. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत पांच वर्षों में जिला पाली में वन विभाग की कौन-कौनसी योजनाओं के तहत कौन-कौनसे कार्य किस-किस स्थान हेतु स्वीकृत किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई और कितनी-कितनी व्यय की गई ?

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग के राहत कार्यों में मस्टर रोल व भुगतान में अनियमितताएं पाई गई हैं ?

(4) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) गत पांच वर्षों में पाली जिले में वन विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का स्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त कार्यों में स्वीकृत राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट के कालम संख्या 5 एवं 6 में दर्शाया गया है।

(3) जी नहीं। वन विभाग के द्वारा जिला पाली में उक्त अवधि के दौरान किसी भी राहत कार्य के मस्टर रोल व भुगतान में अनियमितता नहीं पायी गई।

(4) करवाये गये राहत कार्यों के संबंध में कोई अनियमितताएं नहीं पाये जाने से जांच कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट16 देखें)

जिला पाली के वन क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था

917. श्री हीरासिंह चौहान(रायपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील रायपुर,सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली व देसूरी (पाली) का वन क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के नाम से अरावली पर्वत के उक्त क्षेत्र को उदयपुर व कुम्भलगढ़ क्षेत्र में प्रशासनिक रूप से दे रखा है ? क्या उक्त क्षेत्र के वन अधिकारीगण पाली जिले के उक्त वन क्षेत्र के विकास व रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था उक्त क्षेत्र के वन क्षेत्र को यथावत रखते हुए पाली जिले के उप वन संरक्षक के क्षेत्राधिकार में देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त वन क्षेत्र उदयपुर वन्य जीव प्रतिपालक क्षेत्र में किस वर्ष में किन कारणों से

(श्री हीरासिंह चौहान)

उनके अधीनस्थ किया गया है ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या उक्त क्षेत्र की देखभाल पाली जिले के उप वन संरक्षक द्वारा नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो क्यों।

उत्तर

(1) तहसील रायपुर, सोजत, मारवाड़ जंक्शन, बाली व देसूरी (पाली) के वन क्षेत्र, जिनको वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया हुआ है, प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उदयपुर के अधीन हैं। यह क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य, कुम्भलगढ़ एवं वन्य जीव अभयारण्य टाडगढ़ रावली का आंशिक भाग है। अभयारण्यवार क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	अभयारण्य का नाम	क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. उदयपुर	राजसमंद	पाली	अजमेर	योग
1.	कुम्भलगढ	120.78	143.15	344.63	-	608.56
2.	टाडगढ रावली	-	96.80	263.6	102.61	463.00
	योग	120.78	239.95	608.25	102.61	1071.56

यह कहना सही नही है कि उक्त क्षेत्र के वन अधिकारीगण, पाली जिले के उक्त वन क्षेत्र (कुम्भलगढ़) अभयारण्य का 344.63 वर्ग कि.मी. एवं रावली टाडगढ़ अभयारण्य का 263.62 कि.मी. कुल 608.25 वर्ग कि.मी. का विकास व सुरक्षा करने में सर्वथा असमर्थ रहते हैं।

वर्तमान में उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर के अधीन अन्य अभयारण्यों के अतिरिक्त कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ अभयारण्य भी आते हैं। इन दोनों अभयारण्यों का नोटिफिकेशन इन क्षेत्रों की पारिस्थितकीय एवं वन्य जीव तथा वनों की सम्पदा के महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र जिला उदयपुर, पाली, राजसंमद तथा अजमेर में स्थित है। इनको अभयारण्य में एक साथ सम्मिलित करने का उद्देश्य इस पूरे क्षेत्र को वन्य जीव प्रबंधन एवं सुरक्षा की दृष्टि से संधारित करना है। इन अभयारण्यों के क्षेत्रों के प्रशासनिक नियंत्रण को संबंधित जिलों के उप वन संरक्षकों के नियंत्रण में कर दिया जाने से उक्त उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का मुख्यालय यद्यपि उदयपुर है किन्तु इन दोनों अभयारण्यों के प्रबंधन एवं सुरक्षा हेतु राजस्थान वन सेवा स्तर के अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पृथक से सृजित हैं। सहायक वन संरक्षक रावली टाडगढ़ का मुख्यालय भीम (राजसमन्द) है जो अभयारण्य क्षेत्र से लगा हुआ है। इसी प्रकार

(राज्य मंत्री, वन)

सहायक वन संरक्षक कुम्भलगढ़ का मुख्यालय केलावाड़ा (राजसमंद) है जो अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। सहायक वन संरक्षक माह में कुछ दिन सादड़ी में भी कैम्प करते हैं ताकि पाली जिले के वन क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रभावी व्यवस्था कर सकें। दोनों अभयारण्यों का प्रभारी कुम्भलगढ़ में न होकर भीम व केलवाड़ा में पदस्थापित है और वे इन अभयारण्यों का प्रशासनिक नियंत्रण उप मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उदयपुर के निर्देशन में करते हैं। अत: व्यवस्था की दृष्टि से इन दोनों अभयारण्यों में शामिल पाली जिले के वन क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण एवं वन संरक्षक पाली के अधीन देना उचित नहीं है।

(2) कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में वर्ष 1982 से तथा रावली टाडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में वर्ष 1988 से पाली जिले का वन क्षेत्र शामिल किया गया जिसके निम्न कारण है :-

1. वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा-4 में अभयारण्यों का प्रबंध मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं वन्य जीव प्रतिपालकों के द्वारा ही किये जाने का प्रावधान है।

2. प्रत्येक अभयारण्य की विशिष्ट परिस्थितियों तथा उसमें पाये जाने वाली वनस्पति एवं जीव जन्तु प्रबंध के लिए पृथक से प्रबंधन योजना तैयार की जाती है जो सामान्य वानिकी कार्यों से भिन्न है। अत: अभयारण्यों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से ही पृथक से वन्य जीव मण्डलों का गठन किया गया है।

3. वन्य जीव अभयारण्य कुम्भलगढ़ एवं रावली टाडगढ़ तीन-तीन जिलों में फैले हुए हैं। यदि इन अभयारण्यों का प्रशासनिक नियंत्रण प्रादेशिक वन मंडलों को दिया जाता है तो प्रत्येक अभयारण्य का प्रबंध तीन अलग-अलग वन मंडलों के अधीन हो जाता है जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। संबंधित अभयारण्य के वन्य जीव प्रतिपालक (सहायक वन संरक्षक) के तीन-तीन उप वन संरक्षक के कार्यालयों के अधीन कार्य करना पड़ेगा जो प्रशासनिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।

(3) जी हां। प्रश्न के भाग संख्या- 2 में इस बाबत स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

विधि सहायक/मुख्य विधि सहायक का पदनाम परिवर्तन

918. श्री शंकरलाल अहारी(चौरासी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सही है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ विधि सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक का पदनाम सहायक विधि अधिकारी एवं विधि अधिकारी परिवर्तन का ज्ञापन राज्य सरकार को दिया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि ज्ञापन के साथ संलग्न अनुसूची में उक्त पदों के आधार पर नाम परिवर्तन की मांग की गई है, जिसमें विधि सहायक के पद के समान एवं नीचे की वेतन श्रृंखला वाले पदनाम के साथ अधिकारी शब्द लगा है ? यदि हां, तो ज्ञापन के साथ दिये संलग्न ऐसे पदों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार उपरोक्त से सहमत है ?

(श्री शंकरलाल अहारी)

(3) क्या विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक पदनाम परिवर्तन से कोई आर्थिक भार आएगा ? यदि नहीं, तो नाम परिवर्तन में क्या कठिनाई है ?

(4) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पदनाम परिवर्तन हेतु आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उसके आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि विधि मंत्री जी ने माना है कि पदनाम परिवर्तन से आर्थिक भार नहीं पड़ता है तो पदनाम परिवर्तन पर सरकार सहमत है ? यदि हां, तो परिवर्तन कब तक करवाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विधि सेवा संघ के पत्र संख्या 14 दिनांक 19.9.98 द्वारा विधि सहायक व मुख्य विधि सहायक का पदनाम क्रमश: विधि अधिकारी ग्रेड-II व विधि अधिकारी ग्रेड-I परिवर्तन करने हेतु मांग पत्र प्राप्त हुआ है।

(2) जी हां। राजस्थान विधि सेवा संघ के पत्र दिनांक 8.10.99 में विधि सहायक के पद के समान एवं नीचे के वेतन श्रृंखला वाले पदनामों में अधिकारी शब्द लगा होने की सूची प्रस्तूत की गई है। उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है उक्त मांग-पत्र का परीक्षण किया जा रहा है। (परिशिष्ट-क)

(3) यह सही है कि पदनाम परिवर्तन करने से कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा परन्तु भविष्य में इसी आधार पर वेतनमान परिवर्तन करने की मांग उठने की संभावना है तथा पदनाम परिवर्तन होने के बाद वेतनमान बढ़ाने की मांग को देखते हुए अन्य संवर्गों से भी ऐसी मांग उठने की संभावना रहेगी। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि विधि सहायक का पद अधीनस्थ सेवा में है तथा मा. उच्च न्यायालय में विधि सहायक पद को राज्य सेवा में सम्मिलित करने संबंधी प्रकरण एस.बी.सि.रि. नं. 1565/85 चल रहा है अत: उक्त पदनाम परिवर्तन करने से उक्त वाद पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

इसके अतिरक्ति विधि सहायक और मुख्य विधि सहायक के वेतनमान परिवर्तित करने के संबंध में डी.बी.सि.रिट नं. 633/92 उच्च न्यायालय में लम्बित है। यह वाद भी प्रभावित हो सकता है।

(4) जी हां। लेकिन यह प्रकरण राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 में संशोधन करने हेतु वित्त विभाग को सहमति हेतु भेजा गया तो वित्त विभाग ने सहमति प्रदान नहीं की। पूर्व विधि राज्य मंत्री जी के नोट दिनांक 28.9.98 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-ख)

(5) जी हां। पूर्व विधि मंत्री जी पदनाम परिवर्तन हेतु सहमत थे। अब इस प्रकरण में भारत सरकार द्वारा पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्र में सहायक विधि और अधीक्षक (विधि) के पदनामों में यदि कोई परिवर्तन किया गया हो तो उस अधिसूचना/आदेश की प्रति सचिव, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली से मांगी जा

(विधि मंत्री)

रही है। उक्त आदेश/अधिसूचना की प्रति प्राप्त होने पर इस पदनाम परिवर्तन करने के प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(पत्र की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

सलूम्बर (उदयपुर) में कैम्प कोर्ट की स्थापना

919. श्री रूपलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय की कैम्प कोर्ट लगाई जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) जिला उदयपुर के सलूम्बर कस्बे में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कैम्प कोर्ट कब स्थापित किया गया ? गत पांच वर्षों में राज्य में कितने अपर जिला एवं सत्र न्यायालय खोले गये हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या मुकदमों की कमी के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर ने सलूम्बर सब डिवीजन के प्रकरण अन्य न्यायालयों में अन्तरित किये हैं ?

(4) धरियावद का क्षेत्राधिकार सलूम्बर कैम्प कोर्ट से क्यों हटाया गया?

(5) क्या सरकार तहसील धरियावद को पुन: सलूम्बर कैम्प कोर्ट को दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में 11 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के कैम्प कोर्ट लगाए जा रहे हैं।

(2) अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या 2, उदयपुर की कैम्प कोर्ट सलूम्बर में दिनांक 26.10.से स्थापित है। गत 5 वर्षों में खोले गये अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की सूची परिशिष्ट क संलग्न है।

(3) जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयपुर द्वारा वर्ष 1999 के आरंभ में सलूम्बर सब डिवीजन के कुछ प्रकरण अन्य न्यायालयों में अन्तरित किये गये थे जो कि वर्ष 1999 में ही वापस सलूम्बर ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट में अन्तरित कर दिये गये।

(4) धरियावद, सलूम्बर सब डिवीजन में नहीं होने के कारण धरियावद का क्षेत्राधिकार सलूम्बर कैम्प कोर्ट से हटाया गया है।

(5) जी नहीं। फिलहाल तहसील धरियावद को सलूम्बर कैम्प कोर्ट के क्षेत्राधिकार में दिये जाने का मामला राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

मा. उच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने पर धरियावाद तहसील का क्षेत्राधिकार सलूम्बर कैम्प कोर्ट को दिया जाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राज्य में जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के दलीय आधार पर चुनाव

920. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादडी) : क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) राज्य में जिला परिषद्/पंचायत समितियों के कुल कितन वार्डों के चुनाव कराये गये ? उक्त में से कितने वार्डों में निर्विरोध चुनाव हुआ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में जिला परिषदों/पंचायत समितियों के चुनाव में दलीय आधार पर कितने-कितने सदस्य कहां-कहां विजयी घोषित किये गये?

उत्तर

(1) राज्य में जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के क्रमश: 1006 एवं 5246 वार्डों के चुनाव कराये गये। इनमें से जिला परिषद् के 108 वार्ड एवं पंचायत समितियों के 402 वार्डों के चुनाव निर्विरोध हुए।

(2) राज्य में जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के दलीय आधार पर निर्वाचित सदस्यों की सूची परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार संलग्न कर दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विद्याधर नगर, जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टर्स के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतें

921. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विद्याधर नगर, जयपुर स्थित सरकारी क्वार्टर्स में राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा गत दो वर्षों में ट्यूब लाइट्स एवं पंखे लगवाये गये थे ? यदि हां तो किस क्वार्टर में एवं कब-कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्वार्टर्स के सम्बन्ध में अब प्राप्त कतिपय पानी-बिजली एवं अन्य आम शिकायतों का निराकरण राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो किस -किस क्वार्टर के लिए किन-किन शिकायतों का निराकरण कराया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्वार्टर्स के पंखे एवं ट्यूब लाइट की फिटिंग एवं पानी-बिजली की अन्य आम शिकायतों का निराकरण किन्हीं निजी पार्टियों से करवाया गया है ? यदि हां, तो कब-कब एवं किस पार्टी से तथा किस दर से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त निजी व्यक्तियों/फर्मों का भुगतान अभी भी बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस का एवं कितना-कितना ? अब उक्त भुगतान कब तक करवा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्याधर नगर, स्थित सरकारी क्वार्टर्स में राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा गत दो वर्षों में ट्यूब लाइट्स एवं पंखे लगवाये गये हैं। 164 फ्लेट्स में पंखे तथा 153 फ्लेट्स में ट्यूब लाइट लगवाई गई, जिसकी सूची परिशिष्ट-एक पर संलग्न है।

(2) जी हां।

क्वार्टर्स में बिजली-पानी, टूट-फूट, सैनेटरी एवं अन्य प्रकार की शिकायतों का

(सहकारिता मंत्री)

निराकरण राजस्थान सहकारी आवासन संघ द्वारा किया गया है,जिन फ्लेट्स के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनका निराकरण किया गया, जिनकी सूची परिशिष्ट दो पर संलग्न है।

(3) जी हां।

उक्त क्वार्टर्स के पंखे एवं ट्यूब-लाइट की फिटिंग एवं पानी-बिजली की आम शिकायतों का निराकरण निजी पार्टियों से करवाया गया है। निजी पार्टियों से करवाये गये कार्यों की सूची मय तारीख, भुगतान की राशि का विवरण परिशिष्ट तीन पर संलग्न है। पंखे फिटिंग 15 रु. प्रति पंखा एवं ट्यूब लाइट 10 रुपये प्रति नग तथा अन्य कार्य बाजार दर से करवाये गये हैं।

(4) जी नहीं।

किसी भी निजी व्यक्ति/फर्म का भुगतान बकाया नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट19 देखें)

राज्य में अकाल राहत कार्य

922. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सम्वत् 2056 के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत विभाग द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या, कब-कब तथा इस संबंध में जिला कलेक्टरों को विभाग द्वारा क्या आदेश जारी किये हैं ? उन आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार इस अकाल मे किस-किस प्रकार के राहत कार्य कराना चाहती है ? जिसको कब-कब शुरू कराया जाएगा ?

(3) चारे पानी की व्यवस्था के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये और क्या-क्या उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां। राहत व्यवस्था के अन्तर्गत जिला कलेक्टरों को जारी दिशा निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट- अ)

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अकाल (सम्वत् 2056) वर्ष में अभावग्रस्त जिलों में 16 फरवरी, 2000 से राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट- ब)

(3) चारे पानी की व्यवस्था के लिए जो कदम उठाये गये हैं एवं उठाये जाते हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट- स)

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अग्निकांड से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा

923. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अब तक अग्निकांड से कुल कितने व्यक्ति पीड़ित हैं?

(2) उक्त व्यक्तियों को सहायता राशि मिलने की समय सीमा क्या है?

(3) तहसील चाकसू व बस्सी में कुल कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अब तक कोई सहायता नहीं मिली है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त अग्निकांड पीड़ितों को कब तक सहायता राशि देने का विचार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के अब तक 198 अग्नि प्रकरण जिला कार्यालय जयपुर में प्राप्त हुए हैं।

(2) अग्नि प्रकरण उप खण्ड अधिकारी के माध्यम से जिला कार्यालय में प्राप्त होते हैं। उक्त क्षेत्र के लिए 2,59,025 रुपये की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। सात दिवस में बजट उपलब्धतानुसार स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

(3) उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (दक्षिण) व उप खण्ड अधिकारी, जयपुर (पूर्व) से प्राप्त प्रकरणों में स्वीकृति जारी कर दी गई है। जिला कलक्टर स्तर पर काई प्रकरण शेष नहीं है।

(4) जिला कार्यालय स्तर पर कोई अग्नि प्रकरण पैंडिंग नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में राहत कार्यों के तहत एनीकटों का निर्माण

924. श्री अमराराम चौधरी(पचपदरा): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में एनीकट्स निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी ? यदि हां, तो क्या पचपदरा तहसील के टपकणिया, मोडिया, टीलिया, भाखरआसोतरा तथा वरिया वरेचा, भीम भाखर गंगावास तहसील पचपदरा एनीकट्स का निमार्ण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा ?

उत्तर

जी हां। राहत कार्यों की प्राथमिकताओं में एनीकट्स निमार्ण कार्यों को सम्मिलित किया गया है। राहत कार्यों में सामग्री : श्रम का अनुपात 25:75 का रखने के निर्देश हैं जबकि पचपदरा तहसील के एनीकट्स टपकणिया, मोडिया भाखर, टीलिया भाखर, आसोत (पचपदरा) तथा वारिया वरेचा भीम भाखर व गंगावास के निर्माण कराने पर सामग्री मद में 60 प्रतिशत व्यय होने का अनुमान है। ऐसी स्थिति में यह कार्य सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम अथवा विधायक क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री मद की राशि उपलब्ध कराने पर ही निर्माण कराये जा सकते हैं।

राज्य में प्राकृतिक आपदा कोष में लम्बित भुगतान

925. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) दिसम्बर, 1999 में राज्य के (प्राकृतिक आपदा कोष) में कितनी राशि शेष थी?

(2) दिसम्बर, 1999 के बाद भारत सरकार ने उक्त कोष में कब-कब कितना-कितना अंशदान किया और राज्य सरकार का अंशदान कितना-कितना रहा?

(3) दिसम्बर, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक उक्त कोष में से किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया?

(4) क्या पुराना भुगतान बकाया है? यदि हां, तो कौन-कौन से और क्यों? अब कब तक शेष भुगतान कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) 1.12.99 को प्राकृतिक आपदा राहत कोष में रु.97.99 करोड़ की राशि शेष थी।

(2) दिसम्बर, 1999 के बाद भारत सरकार का अंशदान 38.81 करोड़ व राज्य सरकार का अंशदान 12.74 करोड़ रुपये था।

(3) जिला कलक्टर्स से 31 मार्च तक का वास्तविक व्यय ज्ञात करने में अभी समय लगेगा। सी.आर.एफ. से 31 मार्च तक 11.37 करोड़ रुपये आबंटन किये गये हैं।

(4) जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार सम्वत् 2055 का 9.92 लाख रुपया शेष है। इसमें अधिकांश प्रकरण न्यायालय में चल रहे हैं।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित सड़कें

926. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 1999-2000 में अकाल राहत कार्यों के तहत कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत होकर उन पर कार्य हुआ था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी सड़कें पूर्ण/अपूर्ण हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रेवल की सड़कों पर किये गये व्यय का दुरुपयोग न हो इस हेतु उन्हें प्लान में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में 1999-2000 में अकाल राहत कार्यों के तहत 74 सड़कें स्वीकृत होकर उन पर कार्य हुआ है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट- क)

(2) उक्त सड़कों में से 29 सड़कें पूर्ण हैं एवं 45 अपूर्ण हैं। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट- क)

(3) राहत कार्यों के अन्तर्गत अधूरी रही

(सहायता मंत्री)

सड़कों को विभागीय मदों के तहत पूर्ण कराये जाने की व्यवस्था की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

जिला हनुमानगढ़ में अकाल राहत कार्यों हेतु चयनित ग्राम

927. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हनुमानगढ़ में अकाल राहत हेतु जो गांव चुने गये हैं उनका चयन सही नहीं किया है ?

(2) जिला हनुमानगढ़ में अकाल राहत के अन्तर्गत कितने चारा डिपो खोले गये हैं तथा क्या ये डिपो पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध करा रहे हैं ?

(3) श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में अकाल राहत योजना में कितनी राशि किस मद में व्यय की गई ?

(4) श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में अकाल राहत योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। जिला हनुमानगढ़ से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट संवत् 2056 के अनुसार खरीफ की फसल का जिन गांवों में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

(2) जिला हनुमानगढ़ में कोई चारा डिपो नहीं खोला गया।

(3) गंगानगर जिले में राहत कार्यों पर कोई राशि व्यय नहीं की गई है। हनुमानगढ़ जिले में राहत कार्यों पर 8.12 लाख का भुगतान श्रमिकों को किया गया है।

(4) श्रीगंगानगर जिले में अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये हैं। हनुमानगढ़ जिले में राहत कार्यों के तहत 1616 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है।

तहसील चौमूं (जयपुर) के अग्निकांड पीड़ितों को राहत

928. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं (जयपुर) में माह अप्रेल, 2000 में भीषण अग्निकांड हुआ है ?

(2) उक्त अग्निकांड में किन-किन व्यक्तियों के छप्पर जले और उनमें कितना-कितना नुकसान हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अग्निकांड की रिपोर्ट पुलिस चौकी कालाडेरा तहत थाना चौमूं में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या उक्त अग्निकांड में श्री गणेश कुम्हार के छप्पर भी जले हैं ? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति को राहत राशि का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं (जयपुर) में अग्निकाण्ड दिनांक 18.4.2000 को सायंकाल 5 बजे हुआ।

(2) उक्त अग्निकाण्ड में मंगलचन्द/बोदूराम कुम्हार व गणेश/बोदूराम कुम्हार के छप्पर जले हैं मंगलचन्द को 21200/- रु. का एवं गणेशराम को 16150/- रु. का नुकसान हुआ है।

(3) जी हां। रिपोर्ट दिनांक 19.4.2000 को दर्ज कराई गई थी।

(4) जी हां। उक्त अग्निकांड में गणेशराम कुम्हार के छप्पर भी जले हैं। दोनों अग्नि पीड़ित परिवारों को अग्नि सहायता मद से गणेशराम को 1800 एवं मंगलचन्द को 2000 रुपये की राशि जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा दिनांक 25.4.2000 को स्वीकृत कर दी गई है। पीड़ित परिवारों को तहसील चौमूं से उक्त सहायता राशि वितरित की जा रही है।

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पाली द्वारा लक्ष्य प्राप्ति

929. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली में कितने जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन निरीक्षक/उप निरीक्षक व गार्ड के पद स्वीकृत हैं और उक्त पदों पर कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत है ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यालय में कार्यरत किस-किस परिवहन निरीक्षक व उप निरीक्षक ने वर्ष 1999-2000 में कितनी-कितनी राशि परिवहन आय के रूप में वसूल की है ? नाम व राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यालय को वर्ष 1999-2000 में वसूली की कितनी राशि के लक्ष्य आबंटित किये गये थे और कितने प्रतिशत लक्ष्य अर्जित कर लिए गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली में परिवहन अधिकारी का एक पद, परिवहन निरीक्षक के 6 पद, परिवहन उप निरीक्षक के पद 4 एवं गार्ड के पद 4 स्वीकृत हैं। उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी कब से कार्यरत हैं, की सूचना परिशिष्ट-अ पर है।

(2) उक्त कर्यालय में कार्यरत परिवहन निरीक्षकों व उप निरीक्षकों ने वर्ष 1999-2000 में लक्ष्य के अनुरूप निम्न विवरण के अनुसार राशि वसूल की है:-

क्र.सं.	उड़नदस्ता संख्या	परि. निरीक्षक का नाम	राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	पीएफएस.10	श्री मुरालीलाल, प.नि. श्री जगतनारायण, प.नि.	26.91

(यातायात मंत्री)

1	2	3	4
2.	आरएफएस.11	श्री भंवरलाल अरोड़ा,प.नि. श्री सिकन्दर पठान, प.नि.	58.23
3.	डीएफएस.25	श्री ओमप्रकाश मारू, प.नि.	62.76
4.	डीएफएस.26	श्री दिनेशसिंह सागर, प.नि.	62.72
5.	डीएफएस.55	श्री ओमप्रकाश चौधरी, प.उ.नि. श्री जसवंतराज खत्री, प.उ.नि. श्री टीकूराम, प.उ.नि.	60.95

(3) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पाली का वर्ष 1999-2000 का राजस्व लक्ष्य 27.52 लाख था जो संशोधित कर 29.50 लाख कर दिया गया। इसके विरुद्ध 29.47 लाख राजस्व अर्जित किया गया जो लक्ष्य का 99.92 प्रतिशत है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्कशापों पर व्यय

930. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पथ परिवहन निगम के किन-किन स्थानों पर वर्कशाप हैं तथा वर्ष 1998-99 में प्रत्येक में कितना-कितना व्यय हुआ ?

(2) उक्त वर्कशापों में कर्मचारियों के वेतन व भत्तों पर कितना-कितना व्यय हुआ? तथा सामग्री खरीद पर कितना व्यय हुआ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा कार्यशालाओं के मरम्मत एवं रखरखाव पर हुए व्यय का लेखों में संधारण एक ही मद में किया जाता है, वर्ष 1998-99 में वर्कशाप(कार्यशाला) एवं आगार कार्यालयों में हुए व्यय का विवरण दर्शाते हुए सूचना परिशिष्ट -1 पर संलग्न है।

(2) उक्त वर्कशाप (कार्यशाला) में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व भत्तों आदि एवं सामग्री खरीद का व्यय दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

विधान सभा क्षेत्र देसूरी के ग्रामों में निजी बस सेवा

931. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) क्या निजी बसों को गांव में आने

(श्री आत्माराम मेघवाल)

जाने हेतु रूट आबंटन की कार्यवाही करनी पड़ती है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र देसूरी में निजी बसों का किन-किन गांवों में रूट स्वीकृत नहीं है?

उत्तर

(1) निजी बसों को गांव में आने-जाने हेतु वस्तुतः सर्वेक्षण कराकर मार्ग खोले जाने की कार्यवाही की जाती है। इसके उपरांत नियमानुसार प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर परमिट स्वीकृत किये जाते हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र देसूरी के निम्नांकित गांव निजी बस मार्गों से जुड़े हुए नहीं हैं:- गुड़ाखुनी, नवागड़ा, चांगवा, आइचिया, केनपुरा, रामपुरा, बड़ेर का बास, शिवपुरा, पादरली, तुर्कान, प्रतापगढ़, जोधान, राबडियावास, विरमपुरामाताजी, पदमपुरा, सरथुर, राजपुरा, जोबा, गुडाजाटान, काणा, दुदापुर, छोंडा, गुडासुधारान, मांडीगढ़, गुडा-भोपसिंह।

जिला पाली में निगम आगार की बसों के स्थान पर निजी बसों का संचालन

932. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः-

(1) निगम आगार मुख्यालय पाली से मेड़ता रोड तथा जैतारण में कितने-कितने वाहन किस समय सारिणी के अनुसार पाली डिपो से आया जाया करती थीं ?

(2) उक्त बसें जो पाली डिपो से मेड़ता रोड जैतारण, बिलाड़ा तथा रणकपुर से जोधपुर जाने के रूट पाली डिपो को स्वीकृत हो रखे थें, उनको बंद करने का क्या कारण रहा ?

(3) उक्त रूट अत्यधिक आबाद क्षेत्र से गुजरते हैं तथा इन पर पर्याप्त संख्या में यात्री भार भी उपलब्ध होने के बावजूद किस आधार पर चीफ मैनेजर आगार पाली ने हानि में बताकर उक्त सभी मार्गों पर प्राइवेट बसें संचालित करने की व्यवस्था दी है ? प्राइवेट बसें चलाने से पाली डिपो को प्रतिवर्ष कितना नुकसान होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(4) पाली से मेड़ता, जैतारण, बिलाड़ा तथा पाली डिपो से अन्य निगम मार्गों पर किस-किस बस मालिक की कितनी-कितनी बसें संचालित हो रही हैं और उनसे प्रतिदिन कितनी शुद्ध आय डिपो को हो रही है ?

(5) चीफ डिपो मैनेजर पाली द्वारा प्राइवेट बसें लगाने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली से मेड़ता रोड पर पाली डिपो की कोई बस संचालित नहीं अपितु पाली से मेड़ता एवं पाली से जैतारण मार्ग पर केवल एक-एक बस सेवा निम्न समयानुसार वर्तमान में संचालित की जा रही है :-

पाली	मेड़ता	मेड़ता	पाली
12.30	18.15	08.30	14.00
पाली	जैतारण	जैतारण	पाली
17.30	21.00	07.00	10.30

(यातायात मंत्री)

(2) पाली डिपो को पाली से मेड़ता रोड, बिलाड़ा तथा रणकपुर से जोधुपर के लिए समय सारिणी में कोई परिचक्र पूर्व में स्वीकृत नहीं थे तथा वर्तमान में भी स्वीकृत नहीं हैं।

पाली डिपो द्वारा वर्तमान में पाली से मेड़ता एवं पाली से जैतारण मार्ग पर प्रश्न के भाग संख्या-1 के उत्तर में दर्शाये गये समयानुसार वाहन संचालित किये जा रहे हैं। पाली डिपो द्वारा पाली से बिलाड़ा वाया सोजत तक 19 परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं। मेड़ता सिटी जैतारण बिलाड़ा जोधपुर मार्ग पर जोधपुर आगार द्वारा वाहन संचालन किया जा रहा है तथा रणकपुर-फालना आगार के संचालन क्षेत्र में है, अतः रणकपुर होकर जोधपुर तक बस संचालन फालना आगार द्वारा किया जा रहा है। उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि पाली डिपो द्वारा किसी मार्ग की सेवा को बंद नहीं किया गया है।

(3) पाली डिपो को माह दिसम्बर,98 में पाली से मेड़ता सिटी एवं पाली से जैतारण पर एक-एक बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। पाली से जैतारण मार्ग पर निजी अनुबन्धित वाहन संचालित हैं, चूंकि स्थानान्तरण से पूर्व इस मार्ग पर जोधपुर आगार द्वारा भी निजी अनुबन्धित वाहन ही संचालित थे। पाली से मेड़ता सिटी मार्ग पर निगम की बस सेवा संचालित है।

पाली से जैतारण मार्ग पर अनुबन्धित बस चलाने से मात्र 3 माह में वर्ष 1998-99 में 54000 रुपये की हानि हुई क्योंकि माह अप्रैल से दिसम्बर, 1998 तक जोधपुर आगार द्वारा वाहन संचालित की जा रही थी। वर्ष 1999-2000 में पाली से जैतारण मार्ग पर संचालित अनुबन्धित बस से 1,63,722 रुपये का लाभ रहा है।

(4) पाली डिपो के विभिन्न मार्गों पर संचालित की जा रही निजी अनुबन्धित बसों के बस मालिकों का नाम, निजी अनुबन्धित वाहन संख्या एवं उनके मार्ग तथा बसवार प्रतिदिन प्राप्त हुई शुद्ध आय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इन निजी बसों में से क्रम संख्या-3 व 5 पर अंकित बसों का मालिक एक ही है तथा शेष बसों के मालिक अलग-अलग हैं।

(5) पाली आगार की स्थापना दिनांक 16.8.1996 को हुई थी तत्समय पाली में निगम की स्वयं की आगार कार्यशाला एवं डीजल पम्प आदि नहीं होने के कारण पाली डिपो को स्थापना के समय आबंटित मार्गों पर बस संचालन हेतु निजी अनुबन्धित वाहनें मुख्यालय की अनुमति पर लगाई गईं क्योंकि वाहन चालक, डीजल एवं मेन्टीनेंस का खर्चा स्वयं वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन बसों से ही पाली से वाहन संचालन प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 1998-99 में डीजल पम्प व कार्यशाला तथा अन्य आवश्यक स्टाफ का पदस्थापन हो जाने पर निगम वाहनें आबंटित की गईं एवं आवश्यकतानुसार निजी अनुबन्धित वाहनें आगार से सम्बद्ध रखी गई हैं। वर्तमान में इस डिपो को 36 निगम एवं 19 निजी अनुबन्धित वाहनें कुल 55 बसें उपलब्ध हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

किसानों को कृषि कार्य में अंग भंग पर मुआवजा

933. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार किसानों को कुएं, ट्रैक्टर, थ्रेसर एवं उन्य उपकरणों से कृषि कार्य करते समय उनके शरीर पर कोई अंग भंग हो जाने पर शरीर पर कोई चोट आने, हाथ पांव टूटने एवं शरीर फूटने पर कोई आर्थिक सहायता देती है ? यदि हां, तो किस प्रकार की कौन-कौनसी दुघर्टनाओं पर कितनी-कितनी राशि दी जाती है ? विवरण मय नियमों की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु किसानों को क्या-क्या प्रक्रिया किस-किस अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष करनी होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में कुआं खोदते समय, ट्यूबवैल स्थापित करते समय, कृषि उपकरण के रूप में ट्रैक्टर का प्रयोग करते समय या मण्डी में उपज ले जाते समय, थ्रेसर पर कृषि कार्य करते समय एवं अन्य कृषि उपकरणों से कृषि कार्य करते समय दुर्घटना में अंग भंग होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है जो निम्नानुसार है :-

1.	मृत्यु होने पर	25,000/-
2.	एक अंग जैसे हाथ, पैर, आंखें, पंजा बांहें आदि के नुकसान होने (कटने) पर	6,000/-
3.	चार अंगुली कटने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से से)	6,000/-
4.	दो अंग जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग अलग से (दो अंग कटने पर)	12,000/-
5.	तीन अंगुली कटने पर	4,500/-
6.	दो अंगुली कटने पर	3,000/-
7.	एक अंगुली कटने पर	1,500/-
8.	सिर के बालों की आंशिक डिस्केल्पिंग	6,000/-
9.	सिर के बालों की पूर्ण डिस्केल्पिंग	12,000/-

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

दुर्घटना में चोट आने या शरीर फूटने पर कोई सहायता देय नहीं है। संबंधित पत्रादि विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु किसानों को दुर्घटना के छह माह में संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति में आवेदन करना होता है। इन आवेदनों की जांच एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों के आधार पर सहायता राशि स्वीकृति हेतु निम्न अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है :-

1. प्रशासक, संबंधित कृषि उपज मण्डी समिति (अध्यक्ष)
2. ज़िला क्लक्टर का प्रतिनिधि
3. मण्डी समिति सचिव (सदस्य सचिव)

उक्त कमेटी द्वारा प्रकरण सही पाये जाने पर कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सहायता राशि का भुगतान किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें)

कृषि उपज मण्डी समिति डूंगरगढ़ द्वारा स्वीकृत सड़कें

934. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में कौन-कौनसी सड़कें स्वीकृत की गईं ? स्वीकृत सड़कों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों पर निर्माण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक किया जाएगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 में विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति श्रीडूंगरगढ़ के माध्यम से सम्पर्क सड़क बीकानेर दिल्ली रोड से लक्ष्मीदेसर 2.50 किलोमीटर 21.44 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत की गई है। वर्ष 1999-2000 में कोई सम्पर्क सड़क मण्डी समिति के माध्यम से स्वीकृत नहीं की गई है।

(2) जी हां।

शोकाभिव्यक्ति

श्री रूपसिंह राजवी , पूर्व सदस्य, राजस्थान विधान सभा के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रूपसिंह राजवी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री रूपसिंह राजवी का जन्म वर्ष 1910 में चूरू में हुआ। आपने एम.ए. तथा एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री रूपसिंह राजवी चतुर्थ राजस्थान विधान सभा (1967-72) के लिए सरदारशहर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुए।

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा में आप वर्ष 1967-68 में अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सभापति तथा वर्ष 1970-71 में प्राक्कलन समिति के सदस्य रहे।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में विधि की उपाधि प्राप्त करने के बाद आप न्यायिक सेवा के लिए श्रेष्ठतम व्यक्ति के रूप में चुने गये और मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किये गये। वर्ष 1936 में आपको सर्वश्रेष्ठ मजिस्ट्रेट घोषित किया गया। न्यायिक अधिकारी के रूप में आपने सिविल तथा सहायक सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक आयुक्त आदि पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। विधि मामलों तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन में आपकी विशेष रुचि रही।

श्री रूपसिंह राजवी का दिनांक 26 अप्रेल, 2000 को निधन हो गया।

मैं श्री रूपसिंह राजवी को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजन को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पूर्व सदस्य अहमद बख्श सिंधी का भी है। परसों गुजर गये।

श्री अध्यक्ष : पूरी इन्फार्मेशन नहीं आयी है। इन्फार्मेशन ले रहे हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से दिनांक 28.4.2000 को ग्राम बागेलो का खेड़ा में योजनाबद्ध ढंग से कुछ लोगों द्वारा हमला कर एक वृद्ध की हत्या कर देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :-

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से टौंक शहर में दिनांक 19.2.2000 को हत्या के एक मामले में निर्दोष लोगों को फंसाने के सम्बन्ध में,

2. राज्य के पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों में कार्यरत गणित व अंग्रेजी के 24 प्रवक्ताओं को अधिशेष घोषित करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला दौसा की पंचायत समिति महुआ की ग्राम पंचायत नाहिड़ा के एक भूतपूर्व सरपंच द्वारा किये गये कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से विधायक क्षेत्रीय विकास कोष के तहत स्वीकृत कार्यों में अधिकारियों द्वारा बरती जा रही लापरवाही के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से नावां गैस सर्विस, द्वारा उपभोक्ताओं को परेशान करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ग्रहण करने योग्य नहीं हैं, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव मेरा भी दिया हुआ है। आना चाहिए। व्यवस्था दी नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको जानकारी दे दूंगा।

(12.08 बजे)
(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित श्याम नगर विस्तार एवं विवेक विहार की सरकारी जमीन हाउसिंग सोसायटी द्वारा बेचान किये जाने की जांच करवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर के डेमिया एवं पाटडी बांध से डूंगरपुर नगरपालिका को पानी दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री आत्माराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र देसूरी में ए.सी.एम. कोर्ट को यथावत रखने के संबंध में।

(4) श्री गोपाराम मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कुओं का जलस्तर बढ़ाने हेतु छोटे-छोटे सिचांई बांध बनाने के संबंध में।

(5) श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य की ओर से जिला कोटा के इटावा कस्बे में ए.सी.एम. कोर्ट कार्यालय खोलने के संबंध में।

(6) श्री गणेशी राम मेघवाल, सदस्य की ओर से जिला जालौर में अकाल राहत कार्यों के तहत ग्रेवल सड़क निर्माण करने के संबंध में।

(7) श्री गोवर्द्धन कल्ला, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के गांव सुल्ताना के पास एस्केप झील को बंद करने के संबंध में।

(8) श्री अमरा राम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पंचपदरा के कतिपय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(9) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति कोटड़ा के कतिपय गांवों में सार्वजनिक कूप का निर्माण करने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(10) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सर्वेशुदा बिटोली बांध का निर्माण कर पानी की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

(11) श्री रिछपाल मिर्धा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा के संबंध में।

(12) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर की कृषि भूमि पर बसी अनेक बस्तियों के भूखण्ड नियमित किये जाने के उपरान्त भी उनको पट्टा जारी नहीं करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री रामस्वरूप मीणा । क्या हुआ ?

श्री हीरालाल विश्नोई : पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : 295 के सभी प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये गये। बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा। बिराजिये। बिराजो। आर्डर।

(विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, सदन प्रारम्भ होने से पहले ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये थे और मैं सोचता हूं कि 23 तारीख को सदन प्रारम्भ हुआ। हमने 20 तारीख को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे दिये। उनके बारे में यह भी जानकारी नहीं है कि वह रिजेक्ट किये कि नहीं, विचार होगा कि नहीं होगा। मैं सोचता हूं कि इतने समय पहले सूचना देने के बाद भी इसके बारे में अगर आसन से कोई उसका निर्णय नहीं हो तो हमको बहुत पीड़ा होती है। और इसी प्रकार से स्थगन भी हैं। कल सदन का अन्तिम दिन है । अब यह सारे के सारे जाएंगे तो कम से कम कुछ भी जवाब आये वह माननीय सदस्यों को जवाब तो भिजवाएं। अगर मान लो यहां सदन में डिस्कस नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं है लेकिन जो कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव हमने लगाये हैं उनका जवाब तो कम से कम हमको मिले। ताकि हम उसके बारे में और कुछ कार्यवाही करनी हो, अगर हम सन्तुष्ट नहीं होंगे तो और किसी तरीके से अपनी बात को आगे पहुंचाने का काम करेंगे लेकिन वह सारे के सारे यूं दाखिल दफ्तर हो जाएं और इतना समय, पूरा एक महीने सदन चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो तो ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय से पहले भी चर्चा हुई है। अध्यक्ष महोदय ने बहुत गम्भीरता से लिया है। उन्होंने चीफ सैक्रेटरी को चिट्ठी भी लिखी है कि जो कुछ सरकार से जानकारी मांगी है तुरन्त भेजने की व्यवस्था करें। आ जाती है तो उसकी व्यवस्था करके बताएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं। सदन समाप्त होने के बाद भी उनके जवाब तो भिजवाएं कम से कम।

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था करवाएंगे। श्री शिवनाथ सिंहजी।

पर्ची के माध्यम से उठये गये मुद्दे

सरसों की खरीद हेतु व्यवस्था करने विषयक

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्षजी, हमारे कुछ जिले सीकर, झुंझुनं, चूरू, नागौर यह आज अकाल की पीड़ा में हैं और वर्षा की कमी रही, बिजली की कमी रही तो काश्तकारों ने सरसों बुवाई पर अधिक ध्यान दिया । सरसों बुवाई पर ध्यान देने के बाद जितना भी जो कुछ वह कर पाये, आज उनके सामने कठिनाई है कि उसको बेच नहीं पा रहे हैं। उपाध्यक्षजी, एफ.सी.आई. ने झुंझुनूं में सरसों की परचेज शुरू की और 15-20 रोज चलने के बाद में उन्होंने शनिवार से, परसों से सरसों की परचेज खतम कर दी। राजफेड भी इस मामले में आगे नहीं आ रहा है। परसों तो करीब डेढ़ सौ, पौने दो सौ गाड़ियां, ऊंट गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रोली तीन रोज से वहां खड़ी हुई थीं और सबको हार कर वापस जाना पड़ा। इस प्रकार की स्थिति आज हमारे जिले में व्याप्त है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो किसान को अकाल के कारण से पीड़ा है, वह अपना जो भी धान पैदा हुआ है सरसों का, उसको बेचकर गुजारा करना चाहता है, उसके ऊपर भी बड़ी कठिनाई है। इसलिए, उपाध्यक्षजी, मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि सरसों की खरीद जो उसकी मिनिमम रेट है, सपोर्ट प्राइस है ग्यारह सौ रुपये प्रति क्विंटल, उस ग्यारह सौ रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर सरसों की खरीद की जावे और काश्तकार को उसकी कीमत मिले। सरसों की खरीद या तो राजफेड से या केन्द्र सरकार से मिलकर राज्य सराकर यह व्यवस्था करे कि एफ.सी.आई. उसको खरीदे। दोनों व्यवस्था नहीं होती है तो हमारे जिले का काश्तकार, सीकर का काश्तकार बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस खरीद को चालू रखा जाए। चालू करवाया जाए और मिनिमम जो आपकी प्राइस है उस प्राइस पर किसान को दाम मिले।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सभी जिलों के अन्दर कृषि मंडी को निर्देशित किया जाए ताकि वहां पर सभी सरसों को खरीदा जाए। नहीं तो यह राजफेड वाले जब तक नहीं खरीदते हैं तो सभी किसानों को यह तकलीफ है। सभी किसान इसलिए परेशान हैं कि उसको कहां बेचा जाए। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : रायड़ा सरसों 1750 रुपये क्विंटल बिका था। इस साल 1000 से नीचे आ गया है और राजफेड, राज्य सरकार ने 1100 रुपये में खरीदने की मंशा जाहिर की है। भाव निर्धारित किया है। वह खरीद नहीं रहे हैं। (व्यवधान) इसलिए किसान बहुत दुखी है। (व्यवधान) किसान में बड़ा भारी असन्तोष है। (व्यवधान) कृपा करके जल्दी से आदेश देकर राजफेड से 1100 रुपये में रायड़ा खरीदने की व्यवस्था कराएं। यही किसानों की मांग है...(व्यवधान)

श्री रिछपाल मिर्धा : बिजली की कमी से...(व्यवधान) बराबर सरकार ने सरसों की खरीद नहीं की है। सरकार को तुरन्त ध्यान

(श्री रिछपाल मिर्धा)

देकर सरसों की खरीद चालू करनी चाहिए ताकि काश्तकारों को अपनी फसल का वाजिब दाम मिल सके। (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : किसानों की दुर्दशा हो रही है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : भारत सरकार से रायड़ा और तेल की कीमतों में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। (व्यवधान) इसलिए राजफेड से और सभी जगह से...(व्यवधान) इसको खरीदना चालू किया जाए। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान की बड़ी ज्वलंत समस्या हो रही है। (व्यवधान) और किसान को उसकी फसल का भाव पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान को उसकी फसल का भाव नहीं मिले...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। सरकार जवाब दे रही है। बिराजो। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : सरकार के जवाब से पहले मुझे एक बात कहनी है।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे रही है ना। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद का भाव बढ़ रहा है, बीज का भाव बढ़ता है। ट्रैक्टर का भाव बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर के सारे जो उपकरण हैं उनका भाव बढ़ रहा है। जब किसान फसल उगाता है तो उसकी फसल का भाव नहीं। (व्यवधान) उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए।

श्री मांगीलाल डांगा : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सरसों का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और समर्थन मूल्य पर खरीदने का दायित्व भारत सरकार का है। (व्यवधान) भारत सरकार ने सरसों का समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए नेफेड के माध्यम से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ को राजस्थान के लिए अधिकृत कर रखा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान सरकार और भारत सरकार के ध्यान में लाने के लिए निवेदन करता हूं कि सदन से यह प्रस्ताव पारित कर भारत सरकार को भेजा जाए...(व्यवधान) कि राजस्थान में समर्थन मूल्य पर सम्पूर्ण सरसों खरीदें।

श्री अमरा राम (धोद) : आप मुलाहिजा फरमाएं इस पर्ची पर। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : भारत सरकार ने नेफेड को पूरे भारतवर्ष में सरसों खरीद के लिए अपना एजेंट नियुक्त किया है, उनको भरपूर आप वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाएं। नेफेड राजस्थान को भरपूर वित्तीय संसाधन दे और उसी के आधार पर राजस्थान में नेफेड के माध्यम से और राजफेड के माध्यम से समर्थन मूल्य पर सरसों का क्रय किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमरा राम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक तरफ राजस्थान में भयंकर अकाल है, दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार ने पर्याप्त बिजली नहीं दी और उसके कारण वैसे ही राजस्थान का किसान इस देश में एक

(श्री अमरा राम)

नम्बर पर राजस्थान में सरसों पैदा करता है उसको एक तरफ तो प्रकृति ने और सरकार ने मारने का काम किया है और दूसरी ओर न केवल राजस्थान की बल्कि हिन्दुस्तान की सरकार ने अनाप-शनाप पाम आयल मंगवा कर भाव गिराने की स्थिति उत्पन्न की है। जहां हिन्दुस्तान की सरकार ने सपोर्ट प्राइस सरसों की ग्यारह सौ रुपये घोषित की है,पिछले साल इससे डेढ़ी कीमत पर राजस्थान के किसान की सरसों और तिलहन बिका था लेकिन अबकी बार इस पाम आयल के आयात करने के कारण राजस्थान के किसान की सरसों की फसल समर्थन मूल्य से बहुत नीचे, दो सौ रुपये क्विंटल नीचे तक राजस्थान के व्यापारियों को, किसानों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राजस्थान की सरकार और एजेन्सीज केवल मात्र दिखावा कर रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं, मार्केटिंग के मंत्री महोदय हमारे जिले से हैं, मात्र ग्यारह क्विंटल उनके श्रीमाधोपुर मंडी में खरीदी गई है और सीकर की मंडी में केवल छह क्विंटल सरसों खरीदी गई है। केवल खरीदने का आर्डर करने मात्र से किसान की नहीं, जो श्रीमाधोपुर और सीकर मंडी में पर-डे एक हजार से लेकर पांच हजार क्विंटल तक सरसों आती है ,सरकार की ओर से मैं चाहूंगा कि इस खरीद को जारी रखा जाए जिसको बंद कर दिया गया है और इनके समर्थन मूल्य में पूरी व्यवस्था की जाए। सीकर में, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादक किसान हैं, पर-डे एक लाख क्विंटल प्याज सीकर की मंडी में आता है । पिछले साल जो दो रुपये किलो बिकता था, आज साठ पैसे किलो में प्याज आ गया और कोई खरीदने वाला नहीं है। एक लाख क्विंटल प्याज आता है उसमें से पचास हजार क्विंटल रोज खरीदा जाता है। सीकर की मंडी में प्याज रखने के लिए जगह नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्याज की खरीद, सरसों की खरीद चालू रखी जाए और प्याज के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाए। न केवल व्यवस्था बल्कि सरकार को इस खरीद में आना चाहिए। बाहर भेजने का कोटा भी हिन्दुस्तान की सरकार को रिकवेस्ट करे और इस प्याज की भी खरीद चालू करके यह जो सीकर और...

श्री उपाध्यक्ष : यह प्याज महंगा हो जाए तो दुख, और सस्ता हो जाए तो दुख।

श्री अमरा राम (धोद) : बाकी राजस्थान के प्याज उत्पादक हैं, इसको बाहर भेजें ...(व्यवधान) जिससे किसान अपनी फसल भी बचा सके और आयात मूल्य मिल सके ...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : दस रुपये किलो तो आ जाए, इस सबसे भी किसानों को नुकसान हो रहा है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान) आर्डर-आर्डर। बिराजिए। बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : एक रुपये किलो वहां पर प्याज बिक रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि किसान को इस साल बहुत लोस हो रहा है

(श्री खेतसिंह राठौड़)

और सरसों का भाव नीचे गिर गया है लेकिन इसमें भारत सरकार का ज्यादा दोष है। उन्होंने इम्पोर्ट बहुत ज्यादा कर लिया और इम्पोर्ट करने से अपने आप ही भाव गिर गए। फिर भी भारत सरकार ने अभी नेफेड को यह अधिकार दिया है और वह सरसों खरीद रहा है। हमने भी यहां से राजफेड से खरीदना चालू कर दिया है और करीब-करीब 74 केन्द्रों पर हम सरसों खरीद रहे हैं। 1100 रुपये क्विंटल की दर से हम सरसों खरीद रहे हैं और कुल मिलाकर करीब 48,000 मीट्रिक टन सरसों हमने खरीद ली है...

श्री उपाध्यक्ष : 1100 रुपये में खरीद रहे हैं फिर क्या दिक्कत है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : और जो भी किसान देना चाहे...

श्री अमरा राम (धोद) : मैं सीकर मंडी का बता रहा हूं। आपने, मंत्रीजी, उत्तर में दिया 6 क्विंटल सीकर की मंडी में, जिसमें 1000 से 5000 क्विंटल सरसों पर डे आती है। 600 रुपये में तो बिक रही है। आप कह रहे हो, श्रीमाधोपुर की मंडी में आज तक आपने 11 क्विंटल खरीदी है। सीकर की मंडी में 6 क्विंटल। इससे अफसोसजनक बात हो नहीं सकती। उपाध्यक्ष महोदय,केवल खरीदने का आदेश दे रहे हैं। कोई आज तक आप मुझे बता दें, जो प्रश्न का उत्तर दिया है उसमें 6 क्विंटल से ज्यादा खरीदी हो। जिसमें एक हजार से लेकर पांच हजार तक रोज, प्रतिदिन आती है वहां। आपका विभाग...(व्यवधान) सीकर में जाता नहीं और जो कुछ भी खरीदी गई है, वह केवल व्यापारी से खरीदकर नमूना पेश किया गया है। हिन्दुस्तान की सरकार मार रही है। राजस्थान की सरकार किसानों को बरबाद करने पर तुली हुई है। आज सरसों का सवाल हो, प्याज का सवाल हो, बिजली नहीं मिलने के कारण, खाद महंगा होने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की पैदावार आधी रह गई है और उस आधी को भी इन व्यापारियों के हवाले करके लूटने के लिए दोनों सरकारें एक साथ हैं। केवल नाम मात्र....(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : मंत्री महोदय, जालौर में एक क्विंटल सरसों नहीं खरीदी है। रायड़ा एक क्विंटल की खरीद नहीं हुई है जालौर जिले में और सबसे ज्यादा जालौर जिले में इनका उत्पादन है। सैंट्रल गवर्नमेंट तो किसानों की विरोधी है। किसान विरोधी होने के कारण किसान यह भुगत रहे हैं। इसमें आप मदद करो। यह खरीदने की व्यवस्था आप करो राजस्थान सरकार, सेण्टर की सरकार तो किसानों की विरोधी है, किसानों को कमजोर करना चाहती है।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पेसिफिक बात मैंने कही थी कि झुंझुनूं में परसों से सरसों की खरीद बंद कर दी गई है। 1100 रुपये में आप कह रहे हो खरीदने का, यह सब कुछ है। मैंने स्पेसिसिक बात कही थी कि झुंझुनूं जिले में परसों से एफ.सी.आई. ने 1100 रुपये में सरसों की जो खरीद बंद कर दी है उसको चालू कर दो। सवाल इतना ही था।

इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आप यह आदेश दें, यह सदन को विश्वास में लें कि जो 1100 रुपये में सपोर्ट प्राइस पर झुंझुनूं जिले

(श्री शिवनाथ सिंह)

में सरसों खरीदी जा रही थी वह खरीद बदस्तूर चालू रहेगी। चाहे एफ.सी.आई. खरीदो, चाहे नेफेड़ खरीदो, चाहे राजफेड़ खरीदो, वह चालू करवाइये। आपने बंद कर दी। सवाल इतना ही है...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिये हैं उनको देखते हुए मैं अभी एक आज ही नोट भेज रहा हूं। यो हम हैं सो नेफेड़ के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन जिन-जिन मंडियों में यह 1100 रुपये प्राइस पर हमको सरसों मिलेगी वहां सब जगह हम खरीदने का प्रयत्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। डा. किरोड़ी लाल...

श्री देवीसिंह भाटी : आप तो पत्र लिख देंगे। उससे क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना। कह रहे हैं ना खरीद रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आज के दिन सरसों मंडी में आ रही है और उसका कोई खरीददार नहीं है और उसमें नाजायज फायदा उठा रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कह रहे हैं ना खरीदेंगे। कह दिया कि हम नेफेड को लिखेंगे। यह तो नेफेड के एजेंट हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : जब तक पत्र लिखेंगे, अब पत्र लिखने के बाद ...(व्यवधान) आज के दिन जो सरसों बिक रही है उसकी क्या हालत हो रही है...

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, आदेश की बात कहिये। यह पत्र की बात से काम नहीं चलेगा। आज ही आदेश दे दें आप।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं है। यह कह रहे हैं नेफेड के एजेंट हैं यह तो...

श्री देवीसिंह भाटी : यह एजेंट हैं तो...

श्री उपाध्यक्ष : यह नेफेड को लिखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है किसानों को उचित मूल्य दिलाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जिम्मेदारी है इसीलिए लिखेंगे। तो जिम्मेदारी है इसीलिए लिखेंगे नेफेड को।

श्री देवीसिंह भाटी : तो लिखने से क्या होगा? आज के दिन जो बाजार में जा रही है सरसों, वह भी नीचे के भाव में जाएगी... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए राज्य सरकार वह एक्शन ले रही है। यह जब मंत्री थे, न आपने कभी सरसों बुवाई, आपको मालूम ही नहीं था। राज्य सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। आज ही हम इस पर एक्शन करा रहे हैं। इससे ज्यादा अभी हमसे कुछ नहीं हो सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, केवल इतना सा, यह शब्दों का परिवर्तन कर लें। आपने कहा कि हम खरीदने का प्रयत्न करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर...(व्यवधान) एक्शन ले रहे हैं, यह कह रहे हैं ना...(व्यवधान).

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके बजाय यह कह दें हम खरीदेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बदल दी ना उन्होंने बात। उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे।

श्री अमरा राम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, प्याज की तो चौथाई कीमत रह गई। प्याज राजस्थान में सबसे ज्यादा...(व्यवधान) केवल 70 पैसे रह जाए। किसान अगर प्याज के...(व्यवधान) सरकार नहीं कराएगी...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रयत्न करेंगे और खरीदेंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय अमरारामजी...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय ने कहा कि हम खरीदने का प्रयत्न करेंगं, यह नहीं कहा है खरीदेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं। उन्होंनें यह कहा कि जिस जगह भी अवेलेबल सरसों होगी, सब डिपो पर हम खरीदेंगे। यह कहा उन्होंने।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह आप निकलवायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहा ना। यही कहा और क्या कहा। ...(व्यवधान) इन्होंने यह कहा कि हम नेफेड के एजेंट हैं और उसमें काम करते हैं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर यह शब्द हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि शब्द वास्तव में यह हैं, प्रयत्न करेंगे। यह शब्द हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रयत्न से ही काम होता है और काहे से होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उन्होंने रेफरेंस तो सारा दिया, सभी मंडियों में जो भी उपलब्ध होगा वह हम यह करेंगे। लेकिन अंत में जाते-जाते...

श्री उपाध्यक्ष : कहा ना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत धीरे बोल करके उसमें उन्होंने कहा, हम प्रयत्न करेंगे। निकलवा लीजिए। शब्द यही हैं। हम प्रयत्न करेंगे। अगर यह कहना है कि हम खरीदेंगे, हमें कुछ नहीं कहना है। आप इसे निकालें। खरीदेंगे,अगर यह कहा गया तो हमें कोई एतराज नहीं। बल्कि चारों तरफ से तो पाल बहुत अच्छी-अच्छी बांधने के बाद बहुत धीरे शब्दों में बोल करके आपने बात को खतम की। इसमें आपने लिखा, हम इसमें खरीदने का प्रयत्न करेंगे। यह प्रयत्न शब्द है तो गलत है। हम खरीदेंगे, यह शब्द है तो सही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रयास करेंगे, कहा तो यही था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर भी माननीय सदस्य, इनके ध्यान में कोई मंडियां हों और जहां नहीं खरीदी जा रही हो, यह 1100 रुपये क्विंटल के हिसाब से जितनी भी सरसों आप देंगे, हम खरीदने को तैयार हैं और नये सेंटर्स भी खोलने को तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर...

श्री शिवनाथ सिंह : मैं झुंझुनूं का नाम ले रहा हूं। मैं झुंझुनूं का नाम ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। माननीय सदस्यां, विराजिए। हो गई बात खतम। आर्डर-आर्डर...(व्यवधान) विराजिए।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान में भरतपुर में हुई ऐसी घटना की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मामला बहुत ही संवेदनशील है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसके लिए एक स्टेटमेंट भी आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली रखो, आ जाएगा। बोल रहे हैं ना। Why are you in hurry? आप जल्दी क्यों कर रहे हैं? यह बोल रहे हैं उसके बाद आ जाएगा स्टेटमेंट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह इतना गंभीर मसला है, मेरा विनम्र सुझाव यह है कि गवर्नमेंट को खुद स्टेटमेंट देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है ना। गवर्नमेंट से आ रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इसको अलाउ करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अलाउ करूंगा ना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लेकिन इसको परिधि में रख करके रखा जाना है क्योंकि यह सुरक्षा से संबंधित मामला है इसलिए ...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ना-ना , उसको कहां पकड़ रहे हैं?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुरक्षा से संबंधित मामला है। एम्युनिशन में आग लगने का सवाल है। यह भारत सरकार से संबंधित है। बाकी अगर नुकसान या ऐसी कोई बात हुई तो उसका तो मैं जवाब देने की स्थिति में होऊंगा..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपका जुरिस्डिक्शन है...(व्यवधान) आर्डर-आर्डर।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : लेकिन जो है उसको उसी तरह से रखा जाए।

श्री अरूण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर गृह मंत्री गए थे...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर। माननीय अरूण सिंहजी, यह बोल रहे हैं उसके बाद बोलना।

भरतपुर स्थित एम्युनिशन डिपो में लगी आग

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बड़ा सामरिक महत्व और सुरक्षा से संबंधित है। 28 तारीख को जब यह सदन चल रहा था तो हमारी पार्टी के उप नेता, माननीय गुलाबजी कटारिया ने इस बात की सूचना दी सदन में कि भरतपुर के एम्युनिशन डिपो में आग लग गई। उसके बाद हाउस एडजोर्न हो गया और हाउस एडजोर्न होने के बाद हमें विपक्षी दल के नेता के निर्देश मिले तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मुंडावर से आने वाले माननीय सदस्य और मैं, हम तीनों

(श्री किरोड़ी लाल)

भरतपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 29 तारीख को सुबह से शाम तक एम्युनिशन डिपो के आस-पास जितने भी गांव पड़ते हैं, जिन गांवों में भगदड़ मची इस ब्लास्ट के कारण, धमाके के कारण, भरतपुर शहर की वह 4-5 कालोनी जहां से लोग बेतहाशा धमाके के कारण भागे, उनमें हमने रूबरू होकर, घूम कर सारी घटना को देखा। एक गांव है अनीपुरा। अनीपुरा गांव के सरपंच ने बताया कि 28.4.2000 को दोपहर में लगभग ढाई बजे आयुध भंडार में आग की लपटें उठना प्रारम्भ हुईं। उसके पश्चात जब बम फटने लगे तो हमारे गांव में तीन राकेट लांचर आकर गिरे तो तुरंत हमने उसी समय, उनके गांव में पी.सी.ओ. है, जिला कलेक्टर से पी.सी.ओ. से फोन से बात करी। बताया गया कि जिला कलेक्टर छुट्टी पर हैं तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर से बात की और उससे यह मार्गदर्शन चाहा कि हम इन परिस्थितियों में कि चारों तरफ धमाके हो रहे हैं, पब्लिक में चिन्ता हो रही है, यहां पर आगजनी चालू हो गई है, प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था कराये वाहनों की, साधनों की ताकि हम उससे निकल जाएं। लेकिन प्रशासन ने ऐसी तुरत-फुरत कोई व्यवस्था नहीं की। बल्कि मैं चार्ज लगाना चाहूंगा कि घटना ढाई बजे हुई, तीन बजे टेलीफोन कर डाला, पांच बजे तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर तो वहां मीटिंग लेता रहा और उन्होंने पब्लिक की कोई सुध-बुध नहीं ली। पब्लिक पशुओं को खोल कर भगाने लगी, जान बचाने के लिए गांव के लोग भागने लगे, महिलाएं भागने लगीं, बच्चे कहीं बिछुड़ गए और ऐसा ताबड़तोड़ माहौल बना कि उनको कोई संभालने वाला या मार्गदर्शन देने वाला नहीं बचा। उनको इस स्थिति में प्रशासन को कोई मदद करनी चाहिए थी वह प्रशासन ने नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, हमने पूरे गांवों का दौरा किया जिसमें से आठ गांव ऐसे हैं जिनमें आगज़नी की भयंकर घटना हुई है और कम से कम 700 घर जल करके राख हो गए और उनमें जो पशु आहार था वह जल गया, सारा अनाज जल गया, जिन मकानों पर राकेट लांचर गिर गए वह ध्वस्त हो गए, जिन पेड़ों पर राकेट लांचर गिर गए वह पेड़ हम गए तब तक जल रहे थे। हम जब तक पहुंचे, 24 घंटे बाद भी जिला प्रशासन का कोई अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि गांव वालों को संभालने के लिए या गांव वाले जिस असमंजस की स्थिति में थे उसमें कुछ न कुछ गाइड लाइन देने के लिए प्रशासन को पहुंचना चाहिए था, प्रशासन गांव में पहुंचा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय,वहां मिला क्या? वहां 132 के.वी. की लाइन राकेट लांचर के गिरने से पूरी तरह से टूट गई और टूटकर पड़ी हुई थी, उसमें करंट आ रहा था। प्रशासन को जाना चाहिए था और उस करंट को या तो बंद करना चाहिए था या लाइन को इरेक्ट करना चाहिए था। प्रशासन ने बड़ी गंभीर लापरवाही बरती। लेकिन यह तो ईश्वर का आसरा था, भगवान की कृपा थी कि न तो राकेट लांचर से लगी आग से ज्यादा धन हानि हुई, न बिजली की लाइन से किसी प्रकार का नुकसान हुआ। हमने करीबन 16-17 गांवों का टूर किया जिसमें गांव पंचौती, कासौदा, अनीपुरा, माधोनी, नंगला, ताल, बंध का नंगला, सेह, बावेल, बुरवारा, कंकनपुरा, कुआ का नंगला, लुधावी, चितोकरी, पणी, छप्पर, नंगला, बलीमसिंह

(श्री किरोड़ी लाल)

आदि गांवों के लोग पूरी तरह से पलायन कर गए। वह आसपास तक ही नहीं, वह महुआ तक आ गए और भरतपुर शहर की जो कालोनियां थीं, जिसमें रणजीत नगर, कुम्हेर गेट इलाका, ईदगाह कालोनी है, गांधी नगर है, सुभाष कालोनी, हीरादास का एरिया से लोग आगरा की तरफ भाग गए और किसी प्रकार की साधनों की क्योंकि व्यवस्था नहीं हुई और परिवार एक दूसरे से बिछुड़ गया और दूसरे दिन तक, जब तक हम गए थे तब तक परिवार के लोग पूरी तरह से सैटल नहीं हो पाये थे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें तो यह देख करके बड़ा अफसोस हुआ, हम गए थे तब कुछ आग तो बुझी हुई थी, जो अपने आप बुझ गई, कुछ खाखलों में आग लगी हुई थी, घर जल रहे थे। जब हमने दमकल खड़ी हुई देखी तो हमने गांव वालों से पूछा कि वह दमकल काम में नहीं आ रही है? तो गांव के लोगों ने बताया कि दमकल वाले यह कह रहे हैं कि हमको प्रशासन ने डीजल उपलब्ध नहीं कराया है इसलिए हम दमकल को काम में नहीं ले सकते हैं। प्रशासन दमकल तो भिजवा दे और उनमें डीजल उपलब्ध नहीं करवाए जिससे पर्याप्त समय में जिस ढंग से कार्यवाही करके उस आगजनी की घटना को रोका जाना चाहिए था वह रोक नहीं सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हालात यह हो रहे हैं कि गांव के लोग भूखे मर रहे हैं और पूरा गेहूं जल करके राख हो गया और उनको खाने के लिए किसी प्रकार अनाज, कम से कम 6 गांवों में बचा नहीं है। पूरी तरह से जलकर राख हो गया और प्रशासन ने खाने की व्यवस्था नहीं की, पीने की व्यवस्था चरमरा गई, बिजली की व्यवस्था चरमरा गई।

उपाध्यक्ष महोदय, आयुध भंडार में जो आग की घटना हुई, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता। मैं राजस्थान की सरकार से कहना चाहूंगा कि यह सामरिक महत्व का स्थान है और यह अपना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस दिन हम गए थे उसी दिन केन्द्रीय मंत्री वहां पर पधार गए, केन्द्रीय रक्षा मंत्री वहां पर आ गए, वह सारे मामले को देखकर गए। हम उनसे भी मिले थे, वह गांव में तो नहीं जा पाये लेकिन सारे गांवों का ब्यौरा लिया कि कितने गांव खाली हो गए, गांवों में कितना नुकसान हो गया। गांवों में लांचर, लांचर तो घनी तादाद में गांव-गांव में पड़े हुए थे, उनसे बच्चे, औरतें और मर्द जो भी थे, वह खेल रहे थे उनको उठाकर ले जा रहे थे, प्रशासन ने इस तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया कि इनसे और विस्फोट हो सकते हैं या जन-धन हानि हो सकती है, लेकिन हम केन्द्रीय मंत्रीजी से मिले, हम तीनों विधायकों ने मिलकर कहा कि जितना नुकसान यहां पर हुआ, केन्द्र सरकार जितना हो सके उतनी मदद करे और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी बैठाइये। मैं केन्द्रीय मंत्रीजी को धन्यावाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी जांच करवाने के बाद राजस्थान की सरकार जो रिपोर्ट भेजेगी उसके आधार पर आर्थिक मदद तो दिलाएंगे ही लेकिन जितने भी लांचर इधर पड़े हैं उनको तुरन्त हम उठवाएंगे और हम इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे।

(श्री किरोड़ी लाल)

मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इतनी गंभीर घटना होने के बाद 24 घंटे तक वहां पर आपका जिला प्रशासन नहीं पहुंचा, यह बड़ी शर्मनाक घटना है। आपका जिला प्रशासन 6 बजे तक सेाता रहा। गृह मंत्रीजी, ऐसी स्थिति में आपको जो उनकी खान-पान की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा था उसको रोकना चाहिए था उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। लगातार हजारों की संख्या में विस्फोट हो रहे थे। राकेट लांचर जगह-जगह पड़े हुए थे। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता के रूप में न तो अनाज दिया, न टीन शैड दी, न तिरपाल दिये, न चारा दिया, न किसी प्रकार की भोजन की व्यवस्था की। बाहर से मंगाई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां प्रशासन के इंतजार में खड़ी रहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रशासन द्वारा राहत कार्य, जब तक हम गए थे, किसी तरह का चालू नहीं किया गया। मैं, गृह मंत्रीजी, आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गंभीर घटना हो जाए और प्रशासन सोता रहे, प्रशासन लापरवाही बरतता रहे यह ठीक नहीं है। आप प्रशासन को डायरेक्शन दें कि यह जितना नुकसान हुआ है, आप वह ऊंट के मुंह में जीरा डालने की बात तो करो मत, यह कुछ देकर आए हैं थोड़ा बहुत, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूरी तरह से जो घर तबाह हो गए हैं उनको घर खड़ा करने के लिए पैसा दो। जिनका अनाज नष्ट हो गया उनको अनाज दो और उनकी पूरी व्यवस्था करो। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके द्वारा गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, एम्युनिशन डिपो में आग लगी...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज,आप बिराजें, माननीय सदस्य, आप बिराजें, बाद में बोल लेना। मंत्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भरतपुर के आर्म्स एण्ड एम्युनिशन डिपो में आग लगी। आग लगने के कारणों में मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रीजी स्वयं वहां मौके पर पहुंचे हैं और उन्होंने इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की है। जो इंक्वायरी से तथ्य सामने आएंगे तभी उसमें कहा जाएगा। इसलिए इस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। जहां तक प्रशासन का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तीन बजे यह सूचना प्राप्त हो गई थी। मैं यही विधान सभा में अपने कक्ष में बैठा हुआ था। मैंने उसी वक्त डी.आई.जी. रेंज भरतपुर से चर्चा की, मैंने ए.डी.एम. से बात की, मैंने यहां से आई.जी. को रवाना किया। मैंने यहां से डिवीजनल कमिश्नर को भेजा और उनको कहा कि तत्काल सारी व्यवस्था करनी चाहिए।

आग इतनी भंयकर थी कि फायर ब्रिगेड के अंदर जाने की गुंजाइश नहीं थी और कल तक हमने स्वयं ने मौका देखा था, मुख्य मंत्रीजी स्वयं गए, मैं भी गया, गांवों का भी दौरा किया और सारी स्थिति का हमने अध्ययन किया लेकिन उस वक्त दमकलों को अंदर जाने की स्थिति पैदा नहीं हुई। सड़कें इतनी बंद थीं, वहां के जो इंचार्ज थे, उन मेजर जनरल से हमारी बातें हुई है, उनसे हमने डिस्कस किया था, इसलिए परसों तक वह सड़कें साफ न होने की वजह से अंदर नहीं जा सके। खैर, मैं

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

उसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि मैंने कहा कि यह रक्षा से संबंधित मामला है। लेकिन कल मुख्य मंत्रीजी ने और मैंने स्वयं ने, दोनों ने उस घटनास्थल का निरीक्षण किया। यह सही है कि उस घटना की वजह से भरतपुर और आसपास के 16-17 गांव के लोगों में भय व्याप्त हो गया था। यह सही बात है जिसको मैं स्वीकार करके चलता हूं। लेकिन प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया। रात को लोगों के खाने का इंतजाम किया।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह असत्य है...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप जो बोलेंगे वह सत्य है और यहां बोलेंगे जो असत्य है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज...(व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आपको पता नहीं हो तो असत्य बोलते हो।...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप बाद में बोल लेना। आप थोड़ा बैठ जाएं...।

श्री उपाध्यक्ष : इतना जोश मत खाएं, पहले बात सुन लें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कल मुख्य मंत्रीजी ने और मैंने स्वयं ने माधौनी और ताल का नंगला इन दो गांवों का खुद जाकर के मौका देखा है। सबसे ज्यादा नुकसान माधौनी और ताल का नंगला गांवों में हुआ है, जहां हमारे प्रशासन की रिपार्ट के आधार पर187 घर जलकर के राख हो गए हैं। कहीं सरसों का खलिहान, कहीं गांव के बाहर जंगल में आग लग गई, रिहायशी मकानों में आग लग गई, बुर्जी में आ लग गई, बिटौरा में आग लग गई। इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई हैं। इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। प्रशासन ने मिलिट्री के उच्चाधिकारियों से मथुरा सम्पर्क किया, वहां के अधिकारियों को सूचना दी और समय पर आग पर काबू करने के लिए प्रयत्न किया। हमारे अड़ोस-पड़ोस में जितने भी अग्निशमन यंत्र थे उनको समय पर यहां भेज दिया। इसलिए यह कहना कि डीजल नहीं था, डीजल नहीं था तो ये पहुंचे कैसे? पहुंच गए तो आग कैसे बुझी? मूंडोली गांव में मुख्य मंत्रीजी ने एक-एक घर देखा लेकिन मैंने भी सारे के सारे घर देखे। वहां पर आग बुझी है, आग पर काबू पाया गया है लेकिन जब तक नहीं पहुंचे तब तक आग से नुकसान हुआ इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और हमने पूरी तरह से प्रयत्न किए। रात भर हमने आसपास से आर.ए.सी. के जवान भेजे कि कहीं भय से लोग घर छोड़कर चले गए हों तो उनके खाली घरों में लूटपाट न हो जाए, चोरी न हो जाए, डकेती न हो जाए, उसका सारा इंतजाम हमने किया है और मैं कह सकता हूं कि प्रशासन ने इस बात को लेकर कहीं ढिलाई नहीं की। मैं स्वयं रात को दो बजे तक अपने घर से सारी स्थिति की प्रशासन से जानकारी करने के लिए प्रत्येक आधे घण्टे से सम्पर्क कर रहा था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बीकानेर रवाना होने से पहले डिफेंस सैक्रेटरी से बात की और उनको आगाह किया। हमारे डी.जी.पी. जिले में बैठे हुए थे उन्होंने केबिनेट सैक्रेटरी से सम्पर्क स्थापित किया और उनसे कहा कि

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

आर्मी के पास जो आग बुझाने के साधन हैं वे हमें जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। इसलिए राजस्थान प्रशासन के लिए कहना, मैं समझता हूं कि निराधार और असत्य बात है। जो प्रयत्न प्रशासन और राजस्थान सरकार ने किया उसके बारे में आपका यह कहना कि कुछ नहीं किया है, ऐसा तो मत कहिए। मैंने क्या कुछ कम किया, बताएं? रक्षा मंत्रीजी से मेरी...।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो तो सही।

श्री अरूण सिंह (डीग) : मैं गृह मंत्रीजी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि भरतपुर मेवात क्षेत्र में आता है और वहां आई.एस.आई. एक्टिव है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनकी पूरी बात तो सुन लो।

श्री अरूण सिंह : मैं अनुरोध करना चाह रहा था कि राजस्थान पुलिस भी वहां थोड़ी सक्रिय रहे और आई.एस.आई. की गतिविधियों पर निगरानी रखे। क्योंकि यह अब जांच का विषय है कि आग लगी या किसने लगाई। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का भी आभारी हूं, गृह मंत्री और भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर का भी आभारी हूं, बी.जे.पी. के सदस्यों का, कांग्रेस के सदस्यों का, यह कोई दल का मतभेद नहीं है, यह बहुत बुरी दुर्घटना हुई और यह तो गिर्राज महाराज की कृपा से यह भरतपुर बच गयो, आगरा बच गयो, पूरो बृज क्षेत्र बच गयो। पर मैं गृह मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि आपकी इंटेलिजेंस व्यवस्था द्वारा आई.एस.आई. पर भी निगरानी करने की कृपा करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : धन्यवाद आपको। उस समय हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जार्ज फर्नांडीज से भी बात करनी चाही लेकिन वे कश्मीर के दौरे पर गए हुए थे। हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि सारे मामले को वह भी देखे, हम भी अपनी ओर से जितने हमारे पास साधन हैं उसके हिसाब से करेंगे। रक्षा मंत्री भी आए, परसों वे डिपो गए, डिपो जाने के बाद उन्होंने कारणों के लिए एक कमीशन की घोषणा कर दी। उस कमीशन की घोषणा के बाद उन तथ्यों में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि किन कारणों से घटना घटी, क्या कारण हो सकते हैं, आई.एस.आई. की गतिविधि है या नेचरल तरीके से आग लगी या किसी और तरीके से आग लगी। उसके सम्बन्ध में जब तक जांच रिपोर्ट न आ जाए...।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : पूरे मेवात क्षेत्र में आई.एस.आई. के एजेंट फैले हुए हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, अगर वे नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आई.एस.आई. के एजेण्ट आपकी सरकार पर मंडरा रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। अलवर और भरतपुर और पूरे मेवात क्षेत्र में आई.एस.आई. के एजेण्ट पकड़े जा रहे हैं, आपकी कोई मुस्तैदी नहीं है। आज आयुध डिपो की बात नहीं है, पूरा एरिया जल जाएगा तब भी आपको चिंता नहीं होगी।...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : राज्य सरकार ने जगह-जगह व्यवस्था की है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इससे काम चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत (खानपुर) : आप क्यों खड़े हो जाते हैं समझते नहीं हैं फिर भी...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारख साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : केन्द्र का कमीशन बैठा हुआ है, वह काम करेगा। आप क्या कर रहे हो, वह बताइए? आप क्या करना चाहते हैं ? +++ राज्य सरकार। इसलिए मेरा आरोप है कि मेरे क्षेत्र में किशनगंज या मंत्री चन्द्रशेखरजी का क्षेत्र खैरथल और डीग, नगर, कामां आई.एस.आई. के एजेंटों का गढ़ बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने पहले भी सदन में कहा है, भरतपुर जिले के लिए कहा है...।

(अध्यक्ष पीठ द्वारा अंकित नहीं होने के निर्देश)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : ×××

श्री मदन दिलावर (अटरू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इसको अंकित मत करना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज़।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज, अंकित ही नहीं हो रहा है, यों ही बोल रहे हैं। आप बिराजिए।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रवात : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रमेश खींची (कठूमर) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्यों कर रहे हो ऐसा? बिराजिए प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी। आप बिराजिए प्लीज। आप भी बैठिए।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : ×××

श्री यशवंत सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिए। एक मिनट

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ही गम्भीर मामला है।

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। गम्भीर हैं, इसीलिए कह रहा हूं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : और इसकी गम्भीरता को नहीं समझते हुए इस सदन को +++ बना दिया। यह आई.एस.आई. का मामला है। फिलहाल उनको आर्थिक सहायता का मामला है। सरकार ने जो सहायता दी है वह कम है। दस हजार रुपय दिए हैं, जिनके घर जले हैं उनके लिए कम है...।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कोई बात हुई।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : जैसा कि इन्होंने कहा कि प्रशासन ने भोजन और चारे की व्यवस्था करवाई...।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब नहीं बोलने दूंगा। यह क्या बात हुई? न जानते न बूझते और बोले जा रहे हैं यूं ही। आप अपने मैम्बर्स को रोको ना।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि कल आठ बजे तक प्रशासन की तरफ से मात्र एक (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या बात करते हो, आप समझ ही नहीं रहे हो इस बात को।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सदस्यों पर कोई कण्ट्रोल नहीं है। बार-बार खड़े हो जाते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय,...।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बिराजें। आप ठीक कह रहे हैं, मैं जवाब दिलाता हूं न आपको।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरी बात तो सुन लो पहले।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब दिलवाता हूं ना।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : इन्होंने जवाब दे दिया, उसी के ऊपर कह रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप मेरी बात को पूरी सुन लें, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, मैं जवाब दूंगा। आप बिराजो तो सही। अधूरी बात रह जाएगी, बहुत सीरियस मैटर डिस्कस कर रहे हैं और आप सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय सदस्य, बिराजें। यह इतना संवेदनशील मामला है, आपको अलाउ किया है, राजस्थान सरकार क्या कर सकती है उस पर आप बोल रहे हैं। अब आप आई.एस.आई. और पता नहीं कहां से क्या ला रहे हैं, इस बात को नहीं समझ रहे हैं यह कितना गंभीर मामला है, इसको हाउस में डिस्कस नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। आप बैठिए, बैठिए।

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन चूंकि राजस्थान के कुछ गांव क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोगों की जान गई है इसलिए आपको उठाने का मौका दिया कि राजस्थान सरकार जिन लोगों की क्षति हुई है, जो जानें गई हैं, मकान ढह गए हैं उनकी क्या व्यवस्था कर रही है। This is the question. अब आप आई.एस.आई. की बात कर रहे हैं, बम फट गए, क्या हो गया, how are you concerned ? (व्यवधान) आप हर चीज को इतना लाइटली ले रहे हो जैसे कोई...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो यह बता दीजिए कि जो लोगों की क्षति हुई, मकानों की क्षति हुई उस पर सरकार ने क्या राहत पहुंचाई?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उसी पर आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया, प्रशासन ने बड़ी हिम्मत और हौंसले से काम लिया, लोगों को धैर्य और ढांढस बंधाया। अगर प्रशासन मुस्तैदी से काम नहीं करता तो शायद और भी कुछ घटनाएं हो सकती थीं। प्रशासन ने यह भी मिलिट्री अधिकारियों से कहा, जो राकेट पड़े हुए हैं, जो गोले पड़े हुए हैं उनको भी चिह्नित किया ताकि कोई लोग हाथ न लगा दें जिससे और कोई जान-माल की क्षति नहीं हो सके। कल तो मेरे खयाल से मिलिट्री का स्क्वायड भी पहुंच गया जिन्होंने उन सारे गोलों को एकत्रित करना शुरू कर दिया है और अब भी हम उसको चिह्नित कर रहे हैं कि किस-किस गांव में इस तरह के आर्म्स एण्ड एम्युनिशन पड़े हुए हैं उनको भी निश्चित रूप से चिह्नित करके मिलिट्री के अधिकारियों को सूचना दे रहे हैं।

जब गांवों में गए तब हमें प्रशासन के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा यह मालूम पड़ा कि प्रशासन ने तात्कालिक रूप से सहायता देने के लिए 500-500 रुपये उन परिवारों को दिये थे, भोजन की व्यवस्था उन्होंने की थी, लेकिन जो हालात वहां देखे थे और हालात देखने के बाद मुख्य मंत्री ने यह निश्चय किया कि इससे काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रत्येक परिवार को जिसका घर जल गया है, जिसका अनाज जल गया है, तात्कालिक 10 हजार रुपया सहायता देने की घोषणा की और लगभग 200 परिवारों की सूची हमारे पास पेश की गई उसमें हमने कहा कि इनको सहायता दी जानी चाहिए और यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति बच गया तो उसकी सूची भी प्रशासन और तैयार करे और उसको भी तात्कालिक 10 हजार रुपये की सहायता दी जाए।

श्री अरुण सिंह : पांच व्यक्ति मरे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एक मिनट सुनिए। अभी तक जो सूचना हमें प्राप्त हुई है और कल हमारे कई विधायक महोदय भी वहां मौजूद थे, दो व्यक्तियों के मरने की पुष्टि हुई है। प्रशासन की ओर से मुख्य मंत्री सहायता कोष से उनको 10 हजार रुपये परसों देने की

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

घोषणा की गई थी, मुख्य मंत्री महोदय ने इस राशि को बढ़ाकर प्रत्येक परिवार को 50 हजार रुपये तक देने की घोषणा तत्काल वहां की है। मुख्य मंत्रीजी अस्पताल गए, जो लोग वहां भर्ती थे उनको मुख्य मंत्री सहायता कोष से प्रशासन ने 5-5 हजार रुपये गंभीर लोगों को इलाज के लिए दिये थे, उसको बढ़ाकर मुख्य मंत्रीजी ने 10 हजार मेडिकल व्यवस्था के लिए देने की घोषणा की है। साथ ही प्रशासन को यह निर्देश दिये हैं कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा एक सप्ताह में तैयार करके राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करें ताकि राजस्थान सरकार भारत सरकार से इस मामले में आग्रह कर सके कि यह घटना हुई, उस पर भारत सरकार को भी सहायता के लिए, उनके मकानों के पुनर्निमाण के लिए, उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए आगे आना चाहिए। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह तो तात्कालिक सहायता हमने की है लेकिन रिपोर्ट आने के बाद हम भारत सरकार से चर्चा इस संबंध में निश्चित रूप से करेंगे। भारत सरकार ने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाया है उसमें भी यह प्रावधान है, मुझे बताया गया मिलिट्री के अधिकारियों के द्वारा कि राज्य सरकार भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है, जनता भी अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकती है। वहां जो उपस्थित जन-प्रतिनिधि थे, सरपंच थे उन सबसे हमने अनुरोध किया ताकि इंक्वायरी में वे अपने नुकसान के बारे में इस कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि इंक्वायरी तक इस घटना में किसका हाथ था,किसका हाथ नहीं था, उसमें न जाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी जगह आई.एस.आई. की गतिविधियां हैं तो मैं राजस्थान सरकार की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम अपने स्तर पर उसकी कार्यवाही करेंगे ही लेकिन भारत सरकार को भी हम अनुरोध करेंगे कि आई.एस.आई. की गतिविधियां अगर पूरे देश में फैल रही हैं तो उसके नियंत्रण के लिए भी वे अपने आप कार्यवाही करें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि प्रशासन और सरकार ने मिलकर जो कुछ किया, समय पर किया और आज भी हम आपसे कहना चाहते हैं, जिन लोगों के घर जल गए, जिनके मकान जल गए या अनाज जल गया, जिनकी भैंसें जल गईं, नुकसान हुआ है उसका सही आकलन आने पर प्रशासन भारत सरकार से बात करके आगे विचार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। विराजें प्लीज। हो गया, बहुत हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : नो प्लीज। विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था...

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी पर्ची पर बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप है कि जब 2.30 बजे एम्युनिशन डिपो में आग लग गई थी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर चुका अब आप समझ नहीं रहे हो। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ :×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर चुका कि इतना संवेदनशील मामला है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है। मेहरबानी करके इसको यहीं समाप्त कीजिए। सरकार जितना जवाब दे सकती थी, दे दिया, इससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अब आप बिराजें। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मेहरबानी करें, इसको पोलिटिकलाइज मत करिए, प्लीज। प्लीज सिट डाउन। विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़, आप अपनी पर्ची पर बोलिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। कृपा करके विराजें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दे दिया ना। और क्या बचा है, बोलो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : अगर आप नहीं चाहते, इस मामले को गंभीर नहीं लेते तो आपकी मर्जी है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने जो 10 हजार की आर्थिक सहायता दी है. यह कब तक उपलब्ध करा देंगे?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आज से ही शुरू कर देंगे। कुछ शिकायतें वहां से आई कि इसमें कुछ गलत नाम जोड़ दिये गए हैं, गांव के लोगों ने ही शिकायतें की थीं, उसकी जांच आज पूरी होने के बाद आज से ही वितरण करने का काम शुरू कर देंगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : सुना करो आप।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सहायता तात्कालिक दी गई है ताकि वो अपना अनाज खरीद सकें, अपने पानी की व्यवस्था कर सकें, अपना छप्पर ले सकें, क्योंकि खरीदकर देने में देर लगती थी, इसलिए हमनें उनको तत्काल दे दी है और बाकी जितना नुकसान हुआ उसका सर्वे करने का आदेश हमने दे दिया, रिपोर्ट आने पर एक सप्ताह के बाद दे देंगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन्होंने जो घर जले हैं उनकी 200 की सूची दी है लेकिन एक्चुअल में हैं 500 से 700 के बीच में जिनके घर जले हैं, जिनके घर टूटे हैं

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री यशवन्त सिंह)

राकेट लांचरों से। अजान में ले लीजिए, तीन जिंदा मिसाइल मिलीं, जिनके तीन मकान टूटे जिसकी रिपोर्ट आपको प्रशासन ने नहीं दी होगी। लुधावई में ले लीजिए, लुधावई में आदमी मरे, दो मिसाइल गिरीं, एक आदमी मरने की रिपोर्ट आपके पास है। दूसरे मकान की कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उस गांव की रिपोर्ट है मेरे पास। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वहां भी मरा है, मृतक आदमी के घर गए होंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने बात कह दी। आपको यह बता दिया कि जितना ये कर सकते थे तात्कालिक कर दी और आप इनको सहयोग कीजिए और जो कुछ आप सूचना देंगे उसके आधार पर जो मदद होगी, करेंगे।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो तारीख के बाद आपसे पूछेंगे कहां, यह तो बता दो आप हमें। प्रशासन सुनता नहीं। आप कर रहे हो, आपको एक गलत इंफार्मेशन दी कि उनको भोजन पहुंचाया, 500 रुपये की सहायता दी है, प्रशासन का कोई दोष नहीं था। जिस समय बमबारी हो रही थी उस समय पूरा भरतपुर खाली था, मौत के सामने कोई नहीं जाना चाहता। रणजीत नगर से आगे आपका प्रशासन का आदमी एक भी नहीं बढ़ा, यहां तक कि मिलिट्री वाले भी डिपो छोड़कर भाग चुके थे, गांव सारे खाली थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों गए वहां त्राहि-त्राहि मच रही थी। मैं था, अरूण सिंह जी थे, आपके एक्स सदस्य गोपीचंद गुर्जर थे, हमसे पहले माननीय सदस्य दौरा करके आये थे जब तक खाने की वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे। आप कह रहे हो फायर ब्रिगेड थी। उसमें डीजल था?

(13.00बजे)

उसमें गांव वाले बता रहे थे कि डीजल नहीं है। एस.डी.ओ. बाद में आये, उनको कहा गया कि फायर ब्रिगेड में डीजल नहीं है, हवा चलेगी तो दुबारा आग लगने की संभावना है उसके बाद वहां डीजल उपलब्ध कराया गया। असत्य बात नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रशासन को, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं जो विपक्ष है उसने कहा कि प्रशासन नहीं पहुंचा, यह गलत बात है। प्रशासन वहां पहुंचा था लेकिन मरने के डर से रंजीत नगर से आगे एक भी नहीं गया। मैं होता तो मैं भी नहीं जाता, मुख्य मंत्रीजी होते तो मुख्य मंत्रीजी भी नहीं जाते, कोई भी नहीं जाता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने भरतपुर के लिए जो किया उसके लिए हम भरतपुर की जनता की तरफ से आपके आभारी हैं। इसी के साथ, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

अकाल राहत कार्यों में दैनिक मजदूरी बढ़वाने विषयक

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान जिस अकाल की विभीषिका से गुजर रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अकाल के किस तरह के हालात हैं इन सारी चीजों को आंखों से देखने के लिए किस तरह का सरकार ने प्रबंध किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बीकानेर के कोलायत, फलौदी, बाप, जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों का दौरा करते हुए, उस अकाल प्रभावित क्षेत्र में जनता ने जब उनसे यह कहा कि हम पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं और हमें मजदूरी मिल रही है सवा 4 रुपये से लेकर 20 रुपये तक तो मुख्य मंत्रीजी ने यह निर्देश दिये बताए कि अकालग्रस्त क्षेत्र में कोई भी मजदूर काम करने के लिए आएगा तो उसको कम से कम 25 रुपये मजदूरी निश्चित रूप से दी जाएगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, परन्तु दुर्भाग्य है कि...

श्री अमीन खान (शिव) : यह बरसात किसी सत्ता या विपक्ष के हाथ में है कि इंतजाम कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मैंने पर्ची दी है, यह कोई बात है क्या? यह मेरा अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : और तत्कालीन मुख्य मंत्री जी 3-3, 4-4 अकाल पड़े, गए नहीं, हमारे मुख्य मंत्रीजी रोजाना दौरा कर रहे हैं, विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, खतम होने दें। यह क्या कर रहे हो आप? आपका प्रश्न आ रहा है, आप उसमें और देर कर रहे हो।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हर रोज यही बात होती है और कोई बात ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप और अपने काम को देर कर रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वहां मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये हैं कि जो मजदूर अकालग्रस्त कार्य पर मजदूरी करने आएं वह अपनी छाया का इंतजाम खुद ही करें। मजदूरों की मजदूरी के पैसों से उसमें जो पैसा काटा जाएगा...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नो-नो, यह गलत कोट कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्रीजी को गलत कोट कर रहे हैं इसलिए मैं बीच में एतराज करता हूं, सुनिये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बता देना, मेरे को जो जानकारी थी, नहीं आप बता देना और मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, और मेरा सरकार पर आरोप भी है कि आपने 2 लाख रुपये अकाल राहत कार्यों पर लगे मजदूरों के लिए दवाइयों के लिए यहां स्वीकृत कर दिये परन्तु राजस्थान के किसी जिले में अब तक दवाइयां नहीं खरीदी हैं, अब तक उनके पास वह सूची नहीं है कि दवाइयां कौनसी खरीदें। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का इंतजाम नहीं है कि अगर दवाइयां खरीद ली गईं तो उनको वितरित कौन करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, किसी तरह पानी का इंतजाम नहीं है। मंत्रीजी यह बता दें कि राजस्थान के अन्दर कोई भी मजदूर अकाल राहत काम पर जाएगा तो क्या आप प्रत्येक मजदूर को 25 रुपये न्यूनतम मजदूरी देंगे? अगर आप 25 रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

न्यूनतम मजदूरी देंगे तो इसका मतलब है टास्क बेसिस पर मजदूरी का आकलन बंद हो जाएगा क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने कहा है कि अकाल राहत कार्य के अन्दर कार्य का माप तौल मानवीय आधार पर होगा। तो मानवीय आधार तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप 25 रुपये न्यूनतम मजदूरी देते हैं तो फिर 60 रुपये न्यूनतम मजदूरी की बात आपकी कहां चली जाएगी, वह घोषणा जो आपने की है उस घोषणा का क्या होगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अकाल राहत मंत्रीजी, स्वीकृति से काम नहीं चलेगा, आप कागजों में चाहे दिखा दो कि हमने इतने अकाल राहत काम खोल दिये, इतने हमने कैटल कैम्प खोल दिये, आपके कैटल कैम्प आज जितने आप बता रहे हैं उतने उनमें कैटल्स आये नहीं हैं। आप जो दवाइयों की बात कर रहे हो, दवाइयों का इंतजाम हुआ नहीं है और जिस तरह अटरू से आने वाले माननीचय सदस्य उस दिन भावुक हो रहे थे, मैं कह रहा हूं कि आज कृशकाय व्यक्ति जो अकाल पर अपनी आजीविका कमाने के लिए, पेट पालने के लिए जाएगा, उसके शरीर में ज्यादा दम नहीं है। अगर आपने दवाइयों का माकूल इंतजाम नहीं किया और अगर आपने छाया का माकूल इंतजाम नहीं किया और आपने अगर पानी का माकूल इंतजाम नहीं किया तो यह मौत का सिलसिला जो प्रारंभ हो गया है, बतलाने से यह मौत का सिलसिला रुकेगा नहीं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गंभीर बात है, सत्र का आखिरी दिन है, कल के बाद आप और हम सब अपने क्षेत्रों में जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम भी आपकी इस पीड़ा में शामिल हैं, आज राजस्थान के अन्दर, चाहे किसी क्षेत्र के अन्दर कोई व्यक्ति अकाल से पीड़ित हो, पानी उसके पास उपलब्ध नहीं हो, उसकी पीड़ा हमें भी है परन्तु व्यावहारिक तौर पर आप व्यावहारिकता से नहीं चलेंगे तो इसका नतीजा नहीं निकलेगा। यहां करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यह स्पष्ट करें कि 25 रुपये कम से कम मजदूरी देंगे कि नहीं, नम्बर एक। नम्बर दो, जो आपने दवाइयों के लिए पैसा दिया है उसके लिए आपको अभी मालूम ही नहीं है, दवाइयां कौनसी खरीदनी हैं और दवाइयां खरीदेंगे तो उनको देगा कौन, और नम्बर तीन, जो अब तक आप कहीं गए होंगे, आपने देखा होगा कि छाया का इंतजाम कहीं नहीं है। छाया का इंतजाम नहीं है तो यह जो आ गया मुख्य मंत्रीजी के स्टेटमेंट में कि छाया का इंतजाम होगा परन्तु मजदूरों की मजदूरी में से पैसा आनुपातिक रूप से काटा जाएगा, अगर यह नहीं है तो आप निर्देश दें,यह सारा काम हो गया है।

अकाल राहत मंत्रीजी, मैं मेरी बात समाप्त करता हूं परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं अब पानी के ट्रांसपोर्टेशन पर। मैं मेरे इलाके की बात कर रहा हूं, ढाई रुपये किलोमीटर प्रति हजार लीटर, यह आपने रेट निकाली है। कौन ऐसा आदमी होगा जो ढाई रुपये लेगा एक हजार लीटर पानी डालेगा और एक किलोमीटर तक जाएगा? आज टैक्सी आप लेकर जाएं, उपाध्यक्ष महोदय, आप जाते हैं, वह भी आज 4-5 रुपये प्रति किलोमीटर जाती है। यह व्यावहारिकता से सारा काम बंद करो और यह जो कुछ बातें उठ उठ कर आई हैं इन बातों के बारे में आप बताएं कि 25 रुपये तो मिनिमम देंगे न आप?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर,आर्डर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल राहत मंत्रीजी इसका पूरा क्लेरीफिकेशन देंगे लेकिन अभी मुख्य मंत्रीजी ने बीकानेर जिले का दौरा किया था, मैं उनके साथ था, खारी चारणान में 60 रुपये मजदूरों को मिली। मजदूरों ने स्वयं मेरे सामने बताया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक जगह ही मिली न?

श्री बुलाकीदास कल्ला : और कोलायत और लोहिया गांव में 52 रुपये मजदूरी आई। इन दोनों स्थानों पर मैं उनके साथ था। छाया की वहां माकूल व्यवस्था थी, पानी की पूरी माकूल व्यवस्था थी। इसलिए मैं चूरू से आने वाले माननीय सदस्य को करेक्ट करना चाहता हूं कि आपके पास जो सूचना है वह आधी अधूरी है।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं, मैं जिस कोलायत का प्रतिनिधित्व करता हूं...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह कोई डिबेट तो है नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने खारी चारणान और लोहिया का जहां उदाहरण दिया है, वहां पर ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मौके पर मजदूरी कैसे नहीं आएगी 60 रुपये और असली काम है सरकार का कि उन लोगों को राहत दे जिनको आज आवश्यकता है मजदूरी की। क्यों आज 4रुपये 60 पैसे आए जिसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम कोई इस बात की आलोचना नहीं करते, हम तो यह कह रहे हैं व्यवस्था और किसी तरीके से सुचारू रूप से हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय कल्ला साहब।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : 11 रुपये ही आए हैं, 4 रुपये ही आए हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जहां ट्रैक्टर लगेंगे वहां आएगा पर लोगों को राहत नहीं मिलेगी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऊंट गाड़े सब जगह लगाये गए हैं, ट्रैक्टर नहीं लगे हुए हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : ट्रैक्टर लगे हुए हैं, आपको क्या पता?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : यहां मैंने स्पष्ट पहले भी आरोप लगाया था और सुझाव दिया था कि गर्मी का मौसम है, इतनी तेज धूप पड़ती है, आप छाया की कम से कम व्यवस्था करें। छाया की और मटकियों की कहीं आपने व्यवस्था नहीं की है। उन ड्रमों के अन्दर ऐसा गर्म खौलता हुआ पानी उन मजदूरों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है, इसके लिए आपने गलत यहां पर आश्वासन दिया था और यह बिलकुल विश्वास दिलाया था कि नहीं, हमने सब जगह छाया की और पानी की व्यवस्था की है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह कोई बहस पर डिस्प्यूट है ? श्री सुरेन्द्र व्यास। बिराजिए, (व्यवधान) प्लीज बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : जे.ईएन. है वह अपने घर ही बैठा रहता है, मौके पर जाता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस अकाल पर इतनी बहस हो गई है कि...(व्यवधान) इस पर पचासों बार बात हो गई, इसका अन्त नहीं कोई। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल सदन के सत्र का अन्तिम दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री अमरा राम चौधरी (पचपदरा) : 400 फीट जो नाड़ी की दूरी है, उसकी लीड है, वह लीड नहीं देने से यह पैसे कम आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। बिराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : वह जवाब दे रहे हैं न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं देंगे, आप बोलिए। जरूरी नहीं है जवाब देना। कोई जरूरी नहीं है जवाब देना, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस प्रश्न का जवाब दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई नहीं, आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम इस अकाल के नाम पर कोई राजनीति करना नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर कम से कम हमने जो प्रश्न उठाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, उठाये होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाल राहत मंत्रीजी बिराज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : खूब जवाब दे चुके मंत्रीजी पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप कोई और मामलों में कहते हों, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई जवाब नहीं। आप लेना ही नहीं चाहते जवाब।

श्री देवीसिंह भाटी : यहां हमारे जो कार्मिक मंत्रीजी हैं, यह गुमराह करने की क्यों कोशिश करते हैं? मदद की कोई बात करें, अच्छे सुझाव दें, सिर्फ आपको अपनी बात रखनी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई जवाब नहीं, नहीं देंगे। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहते, आप जवाब सुनना नहीं चाहते...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नियमों को समझिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे सत्र आपकी आज्ञा का पालन किया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मेरे को जवाब दिला दो। जो कन्फ्यूजन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो कन्फ्यूजन है कि आप 25 रुपये मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे, यह तो बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आपको पर्ची पर बोलने दिया। मंत्रीजी जवाब दे रहे थे। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं उसको आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) पर्ची का जवाब देना आवश्यक नहीं है। इसके बाद भी आपको सरकार से जवाब दिलवाते हैं और आप सुनना ही नहीं चाहते कोई जवाब। कभी तो कोई उठ जाते हैं, कभी कोई उठ जाते हैं। अब कोई जवाब नहीं देंगे। श्री सुरेन्द्र जी व्यास।(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि 25 रुपये पेमेंट किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे कोई जवाब नहीं देंगे। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्य अपनी बात कहें...(व्यवधान) नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा, ठीक है, 25 रुपये अकाल राहत का काम करने वालों को दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम पूछना चाहते हैं सरकार से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लिया ना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बार-बार उठता क्यों है?

श्री सांवर लाल : अगर मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि 25 रुपये अकाल राहत में...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर में यह तो देखें कि बार-बार यह मुद्दा उठता क्यों है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए उठता है कि आप उठाते हो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हम जब यहां मुद्दा रखते हैं तो ये टालने की कोशिश करते हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय का कंट्रोल नहीं है इन पर। प्रतिपक्ष के उप नेता बोल ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) उनका तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जब इसी सरकार के

(श्री देवीसिंह भाटी)

मुख्य मंत्री गए...(व्यवधान) लोग जो अपनी व्यथा कहते हैं तो तब वे महसूस करते हैं कि वाकई में मजदूरी कम आ रही है तब वे घोषणा करते हैं कि कम से कम 25 रुपये दिए जाएं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कर दी घोषणा। और क्या रह गया ? हो गया। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...उपाध्यक्ष महोदय, 16 रुपये तक मजदूरी आ रही है चूरू क्षेत्र के अन्दर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। कोई जवाब नहीं देंगे। आप सुबह से शाम तक बोलें। गवर्नमेंट जवाब नहीं देगी। बात खतम हो गई। बिराजें प्लीज। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, क्या महत्व है अपनी बात का? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : You don't want ot hear? आप सुमना नहीं चाहते। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते इसलिए नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते इसलिए नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुनना क्यों नहीं चाहते? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई नहीं सुनना चाहता। आप बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे सत्र में आपने कहा उसकी कौनसे दिन हमने पालना नहीं की ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : यह संवदेनशील सरकार है। एक बात हम यह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार जवाब दे उससे आप संतुष्ट होते नहीं । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : संतुष्ट हैं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : वे सुझाव को भी विरोध मानते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हो आप संतुष्ट। वे कहेंगे 25 रुपये देते हैं, आप कहते हो नहीं देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जवाब दे दे, हम संतुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। क्या चाहते हैं ज़वाब आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे 2-3 सवाल हैं। मैंने 2-3 सवाल किये हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा भी एक निवेदन था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। दे देगी, दिला दूंगा, तसल्ली रखो। क्या जवाब चाहते हो आप? (व्यवधान) आपने सवाल किया 25 रुपये दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक तो 25 रुपया वाला।

श्री उपाध्यक्ष : वह कहेंगे, 25 रुपया देते हैं। आप कहते हो नहीं देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह कह देंगे, कह दें, ठीक है। राजस्थान...

श्री उपाध्यक्ष : वे कह देंगे। बिराजें आप। (व्यवधान) अब सुनें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कहा उसको आप डाइल्यूट करने की कोशिश मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वही बात हो गई।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी बात को सुन लीजिए। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आप भी मिनिस्टर रहे हैं। क्या देते और क्या नहीं देते, आंकड़े खोलूंगा तो सबका मालूम पड़ जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बता दो आप तो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह बता दूंगा। 1991-92 में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी आप नहीं सुनना चाहते। सुनना नहीं चाहते आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 1991-92 में जब आपकी सरकार थी, 30 हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। अकाल राहत कार्य कब शुरू किये आपने, बता दीजिए ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनने दो ना। सुना नहीं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 30 हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। फरवरी के लास्ट वीक में आपने अकाल राहत कार्य शुरू किये 30 हजार गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के बाद। केवल दूसरों पर चार्ज लगाना जानते हैं। दूसरे सालों में 4 हजार गांव अभावग्रस्त घोषित किये, उनका काम आपने मई में शुरू किया। (व्यवधान) गलतबयानी मत कीजिएगा। उपने चेहरे को कांच में देखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरों के चेहरे देखने से काम नहीं चलेगा, खुद का भी देख लीजिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन स्पेसिफिक सवाल उन्होंने पूछे हैं। तीनों का जवाब देता हूं। मजदूरी को टास्क से लिंक कर रखा है 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। आपने भी कर रखा था, हमने भी कर रखा है। हार्ड वर्क और कोई दूसरे जैसे चट्टानें वगैरह आ जाती हैं तो उनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। उसके बावजूद भी कई हमारे आदमियों ने गलती की, नापने में गलती की, क्लासिफिकेशन को ठीक नहीं समझा और मजदूरी कम आ रही है तो हम जांच होने तक उसको 25 रुपये की मजदूरी देंगे ताकि उसका नुकसान नहीं हो। लेकिन यह नहीं है कि सबको दें, जो काम नहीं करेगा उसको भी दें, ऐसा नहीं है। यह मंशा सरकार की है।

दूसरी बात, छाया और पानी की व्यवस्था में सरकार अपनी जिम्मेदारी लेती है और हमने सभी कलक्टर्स को जहां छाया और पानी की व्यवस्था नहीं है उसके लिए निर्देश दिये हैं कि जहां पानी दूर पड़ता है तो ट्रैक्टर्स को अलाउ किया है 115 रुपये या उससे ज्यादा भी लगे हैं तो ट्रैक्टर्स से, ऊंटगाड़ी से पानी लाकर के जहां काम चल रहा है वहां मजदूरों को पानी पिलाने की व्यवस्था की जाए।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हमने सभी सी.एम.एण्ड एच.ओ. को यह निर्देश दिये हैं कि उनके जो पी.एच.सी. के डांक्टर्स हैं, सब सैण्टर की जो महिला कार्यकर्ता हैं वे जाएं और देखें और आवश्यक दवाइयां उनको सप्लाई करें। ये निर्देश हम दे चुके हैं। सरकार न पीने के पानी में, न छाया में, न दवाइयों में किसी प्रकार की कोताही करेगी और मजदूरों के साथ न्याय करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान) अब हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह स्पष्ट हो गया कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा का कोई अर्थ नहीं है इस राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गई बात खतम। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 25 रुपये मिनिमम देंगे, मुख्य मंत्रीजी बीकानेर में घोषणा करके आए हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजें।

श्री सांवर लाल : एक भी जगह पानी और छाया की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी बीकानेर में घोषणा करके आए हैं और सदन में यह कह दें कि 25 रुपये सबको दें, आवश्यकता नहीं है। यह थोथी घोषणा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात। हो गई। थोथी है, थोथी। श्री सुरेन्द्र व्यास। बिराजिए प्लीज। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार 28 अप्रेल, 2000 को केन्द्र सरकार...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। जीरो अवर में पर्ची के मामले में 4 व्यक्तियों को आपने बुलाने का निर्धारण कर रखा है। होना तो यह चाहिए था कि दो इधर से बोलते, दो उधर से बोलते। बावजूद इसके आपने चार आदमियों को बोलने दिया जाएगा उसमें न तो यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : आपको समझ में नहीं आ रहा है। पहले कह दी बात। न तो दो इधर से बोलते, न कोई दो उधर से बोलते। आप समझने की कोशिश करें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ...मामला जीरो अवर का चला, लगातार इस पर डिबेट हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : परसों कल्ला साहब ने यह प्रश्न उठाया था। (व्यवधान) आप बिराजिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैंने भी एक प्रश्न उठाया है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। उस प्रकरण पर मुझे बोलना है, आपने साफ यह कह कर मना कर दिया...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : जब आप मुझे मना करते हैं तो बाकी सदस्यों को डिबेट किस बात की? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। बैठें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह किस बात की डिबेट है? (व्यवधान) जब चार व्यक्ति बोलने हैं तो चार व्यक्ति ही बोलेंगे। 20 बोले कैसे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझने की कोशिश कीजिए पर्ची की व्यवस्था को। कल-परसों कल्ला साहब ने भी यह प्रश्न उठाया था। उस वक्त भी मैंने यह कहा कि आपकी पर्ची आती नहीं तो बोलने की इजाजत कहां से दूं। आप पर्ची दें नहीं और आप कहें कि मैं पर्ची के माध्यम से बोलना चाहता हूं कैसे बोलना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम यहां 7 बजे आकर नहीं बैठ सकते। आपको समय निश्चित करना होगा कि साढ़े 10 से 11 बजे के बीच में पर्ची देंगे। कोई आदमी 9 बजे से आकर बैठ जाता है, कोई 8 बजे आकर बैठ जाते हैं। यह हमारे लिए सम्भव नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समझिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : हमारे क्षेत्र के और भी बहुत से काम होते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हाउस में व्यवस्था का सम्बन्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था है उसको समझिये।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उसके अलावा भी आप देखिए कि जब 4 व्यक्तियों को बोलना है तो डिबेट का विषय नहीं है यह। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने साढ़े 9 बजे आकर दे दी है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप बिराजिए। श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री मोहनलाल मोदी : इस पर्ची वाले मामले में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप कम से कम यह तो बतायें कि कितने बजे पर्ची लेना शुरू होती है।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपको पता नहीं है क्या?(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : पता नहीं, मैं तो दस बजे भी आया, सवा दस बजे भी आया।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने अलाउ कर दिया। आपने फैसला दे दिया 9 बजे का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सात बजे से दो। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : साढ़े सात तो फिर रात को ही दे दें हम? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने इसको डिबेट का विषय बना दिया। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : आप यह तो कहें कम से कम कि रात को ही पर्ची ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साढ़े नौ बजे पर्ची दी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। महादेव सिंह जी, बिराजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय बता दें कि कितने बजे आने पर पर्ची ली जाएगी।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप नियम नहीं जानते तो हमारे सैक्रेटरी साहब के पास जाओ, नियम समझकर के पर्ची कब देनी है, समझ लो और उसके बाद पर्ची देना शुरू करो।(व्यवधान)

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नियम को जानते हुए मैंने साढ़े नौ बजे पर्ची दी है।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कतई नियम नहीं है। यह आपका डिस्क्रिशन है। आपने विशेष व्यवस्था कर दी कि माननीय सदस्य इस पर बोल लेंगे। इसमें नियम किस बात के हैं?-(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : नियमों में लिखा हुआ है क्या, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों में यह कतई नहीं लिखा हुआ है कि माननीय सदस्य को 9 बजे उपस्थित होकर के पर्ची देनी पड़ेगी। यह नियमों में नहीं है। आपने ऐसी व्यवस्था कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ नहीं रहे हो। नियम यह है कि अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी वह नियम है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उसके बाद इसको आपने डिबेट का विषय बना दिया। भरतपुर का मामला आया, आपने डिबेट बना दी, अकाल का मामला आया आपने डिबेट बना दी। जब आपने यह तय कर रखा है कि जो व्यक्ति बोलेगा वह अपनी बात कह कर उसको समाप्त करेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य,बिराजें।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने साढ़े नौ बजे पर्ची दी है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज, बिराजिए।

श्री महादेव सिंह : मैंने साढ़े नौ बजे पर्ची दी है आज। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। माननीय सुरेन्द्र जी।

श्री राजेन्द्र पारीक : जो गम्भीर मसला होता है, रीसेंट आकरेंस में ही बात करते हैं। जितने भी मामले उठे उस पर रिसेंट आकरेंस कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज बिराजिए। कोई फायदा नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। बिराजें (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारा अपना अधिकार है, हम चुनकर आते हैं किसी की मेहरबानी से नहीं आते हैं हम यहां। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्र जी व्यास। आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, शुक्रवार दिनांक 28 अप्रेल, 2000...

श्री राजेन्द्र पारीक : ... आपने तय कर दिया, 9 बजे आ गए, 8 बजे आ गए, कोई निठल्ले नहीं बैठे हैं हम लोग। अपने क्षेत्र के बारे में और भी बहुत सी समस्याएं हैं हमारे पास। पहले दिन लेते नहीं, दूसरे दिन आपको 9 बजे आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा 9 बजे यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। बिराजो न आप। हो गया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने क्षेत्र की बात कहेंगे, आप इजजात देंगे तो कहेंगे, आप इजाजत नहीं देंगे तब भी कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 28 अप्रेल, 2000 को केन्द्र सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके राजस्थान...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न अब। आर्डर आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत 1997 और 1998 में 28 अधिकारियों को पदावनत किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक :आप दिखवाइये इसको। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो क्या रहा है अब? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कितनें आदमियों को बुलवा दिया आपने? जब अपने नियम बना रखा है कि चार आदमी बोलेंगे, चार आदमी बोलेंगे तो 20 आदमी कैसे बोले अब तक?

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं यह चाहता हूं कि मुझे अपनी बात कहने का हक है। मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। मेरे क्षेत्र में हत्या जैसा प्रकरण हो गया, उसके बारे में मैं यहां बोलूं नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया नियमों से आएं। नियमों से बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके नियमों से मैं नहीं बंध सकता। आपके प्रक्रिया और नियमों में यह होता कि मुझे सुबह 9 बजे पर्ची देनी है तो मैं 9 बजे नहीं , पौने 9 बजे आकर अपनी पर्ची देता...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी, मैं आपको कहूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : जोशीजी क्या करेंगे इसमें? जोशीजी को मेहरबानी से जीत कर आता हूं क्या मैं यहां पर? जोशीजी क्या करेंगे? (व्यवधान) क्या करेंगे जोशीजी मेरा ? (व्यवधान) अपने क्षेत्र के अपने मतदाताओं द्वारा चुनकर आता हूं। अपने क्षेत्र की मुझे बात कहने का पूरा अधिकार है और मैं नियमों और प्रक्रियाओं से बोलता हूं। जोशीजी करेंगे मेरे भाग्य का फैसला?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 28 आई.पी.एस. अधिकारियों को पदावनत किया गया ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की अनुपालना में किया गया है।

श्री राजेन्द्र पारीक : कोई अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं, यहां कह नहीं सकते। बहुत.बरदाश्त कर लिया, बरदाश्त नहीं करेंगे।

पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु वरीयता विषयक

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, 3000 राजकीय कर्मचारियों के ऊपर यह तलवार लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर यह नीतिगत था। मैं माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गुणावगुण पर न तो हम जा सकते हैं और न ही जाना चाहिए। नीतिगत फैसला यह था कि जो आरक्षित वर्ग के लोग पदोन्नति पर जाते हैं और जनरल कैटेगरी के लोग पदोन्नति पर जाते हैं उनकी सीनियोरिटी नैक्स्ट बिलो कैडर होती है, वह रहेगी और उस पदोन्नति के आधार पर आरक्षित पद पर सीनियोरिटी डिसाइड नहीं होगी। अक्टूबर, 1999 के अन्दर यह फैसला हो चुका था और जब राज्य सरकार को यह क्लियर था कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों की लिस्ट जिसके अन्दर आर.पी.एस. आफिसर्स सम्मिलित हैं, सीनियोरिटी लिस्ट मौजूद थी वह सीनियोरिटी लिस्ट आरक्षित वर्ग पर पदोन्नति के लिए उन्होंने दूसरी सीनियोरिटी लिस्ट बना दी और उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाली और रिव्यू पिटीशन दिसम्बर, 1999 में तय हो गई। इनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई, सरकार की और अगली पार्टी की, और, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद एक कंटैम्प्ट पिटीशन डाली और आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि एक फरवरी, 2000 को उस कंटैम्प्ट पिटीशन पर भी डिसीजन हो चुका है। इसका मतबल है कि सरकार को 1.2.2000 को यह बात स्पष्ट रूप से मालूम थी इन अधिकारियों को पदावनत करना पडेगा और ऐसा भी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी और वापस सीनियारिटी जो नीचे वाले कैडर की सीनियोरिटी से अगर इनको पदोन्नति दी जाएगी और सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 28 आदमियों में से मुश्किल से 4-5 अधिकारी ऐसे होंगे जो शायद पदोन्नति नहीं पा सके लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से और उदासीनता से आज बड़ी विचित्र स्थिति इस प्रांत के अन्दर पैदा हो गई है। 28 अधिकारियों में से 15-16 तो जिलों के अन्दर एस.पी. लगे हुए हैं, वे सब पदावनत हो गए। अब उन जिलों के अन्दर कोई एस.पी. नहीं है। दूसरी बात, उनका सब्स्टीट्यूट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अन्दर इन्होंने एक टेंटेटिव लिस्ट भी डाली हुई है। अगर यह लिस्ट नीचे वाली तैयार नहीं रखते तो एक फरवरी के बाद, अव्वल तो इनके पास अक्टूबर, 99 से तो बहुत टाइम था और यह बाकायदा लिस्ट बनाकर तैयार रखते। रिव्यू पिटीशन भी इनकी खारिज हो चुकी थी दिसम्बर में और दिसम्बर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मई आ गया। पांच महीने हो गए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, अब तक तो रिव्यू कमेटी बनाकर वापस पदोन्नति कर सकते थे। यह तैयारी सरकार को पहले से रखनी चाहिए थी लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया। कंटैम्प्ट पिटीशन के अन्दर एक फरवरी, 2000 को भी जब यह इनको मालूम पड़ गया कि ये पदावनत होने वाले हैं, तब तक भी आराम से सोते रहे। इससे ज्यादा इनएफिशियंट कोई गवर्नमेंट नहीं हो सकती। जो अपने आफिसर्स डिमोट होने वाले हैं, इनको पता है कि जो इनके इम्पार्टेन्ट आफिसर, आई.पी.एस. आफिसर, जो 15 जिलों के अन्दर एस.पी. लगे हुए हैं और सरकार को यह बात पता है कि कैसे वर्क करेंगे, कैसे एस.पी. होंगे? उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, इनमें पांच तो अनुसूचित जाति के आफिसर हैं, चार अनुसूचित जन जाति के आफिसर हैं और ये सब वापस प्रमोट होने वाले हैं लेकिन प्रमोट नहीं हो सकते। कोई आर्बिट्रेरिली मंत्रीजी कह दें कि प्रमोट हो जाएं, उससे नहीं होगा। वह सीनियोरिटी लिस्ट आपको तैयार करनी पड़ेगी, रिव्यू कमेटी बनानी पड़ेगी। न आपके पास सीनियोरिटी लिस्ट है और न आपने रिव्यू कमेटी बैठाई और टोटल केओस आज पुलिस प्रशासन के अन्दर हो गया और टोटल केओस राजस्थान के प्रशासन के अन्दर हो गया। तदर्थ नियुक्ति के लिए भी इनको भारत सरकार से, गवर्नमेंट आफ इण्डिया से परमिशन लेनी पड़ेगी और गवर्नमेंट आफ इण्डिया से परमिशन तब तक नहीं ले सकते जब तक इनके पास सीनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं होगी। वह सीनियोरिटी लिस्ट इनके पास तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर जो 3000 कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में है या अनिश्चय में है, वह तो अलग है, आप इन आई.पी.एस. आफिसर्स का क्या कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों के साथ तो बहुत ज्यादती हो गई। तीन अधिकारी तो ऐसे हैं जो इस सरकार की लापरवाही और अकर्मण्यता की वजह से इन डिमोशन और वापस प्रमोशन के बीच में रिटायर हो जाएंगे क्योंकि आपके यहां राजस्थान स्टेट सर्विसेज की एज है 58 और आई.पी.एस. की एज है 60, चाहे दो दिन के लिए डिमोट हों लेकिन वह डिमोट होंगे। वह 28 तारीख को, फ्राइडे को डिमोट हो चुके हैं। आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आज तक आपके पास कोई सीनियोरिटी लिस्ट तैयार नहीं है। अगर तदर्थ नियुक्ति के लिए भी आप गवर्नमेंट आफ इण्डिया से परमिशन लेंगे और लिस्ट तैयार करेंगे, इस दरमियान वह तो रिटायर हो चुके होंगे, How will you make it happen? कैसे करेंगे आप? समझने की चेष्टा करें। यह मेरे लिए नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। बाकी आपके पास सब्स्टीट्यूट भी नहीं है। यह भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार का क्या प्लान है? डी.ओ.पी. मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। यह समझाएं कि यह क्या करने वाले हैं? मुझे तो लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से, पूरे पुलिस सर्किल के अन्दर चिंता व्याप्त है, पूरे प्रदेश के अन्दर चिंता व्याप्त है और मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को भी इसको गम्भीरता से लेना चाहिए। अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सर्विसेज का करेंगे तो, मंत्रीजी, यह तो आपकी इनएफिशियंसी का द्योतक है और इससे ज्यादा और कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इनएफिशियंसी हो नहीं सकती। अक्टूबर, दिसम्बर और फाइनली 1.2.2000 को, इसके बाद तो things were very clear to you. आप चार महीने तक क्या करते रहे? क्यों नहीं आपने एक्शन लिया और अब आप क्या कर रहे हैं? यह हाउस को आप कांफिडेंस में लीजिए। आज तक, कल संडे था, सैटरडे तक तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, सैटरडे तक तो कोई आर्डर नहीं निकाला, सैटरडे तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला, आज आपने कुछ कार्यवाही की हो तो कृपया सदन को अवगत कराने का कष्ट करें और नहीं किया तो क्यों नहीं किया और अब आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपने अब तक भी इसमें विचार नहीं किया तो वह और भी आपकी ज्यादा लापरवाही होगी या आप यह सोच रहे हैं कि जो चल रहा है वह चलने दो। अगर आपका यह विचार है कि एस.पी. का चार्ज एडिशनल एस.पी. को दिलाना चाहते हैं, एडिशनल एस.पी. के भरोसे इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं तो वह तो आपका विवेक है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मेरा निवेदन तो यह है कि आपको इसको प्रोम्प्टली, सबसे पहले अटैण्ड करना चाहिए। यह सर्विसेज का मामला है, जिलों का मामला है और पुलिस प्रशासन का मामला है और बड़ा सेंसिटिव मामला है, पूरे राजस्थान में ला एण्ड आर्डर पुलिस के हाथ में रहता है, मैं इतनी ही बात निवेदन करता हूं।

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह 9.30 बजे ही पर्ची दे दी थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में आज कस्बे के बंद का आह्वान किया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Minister should respond, sir.

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? आर्डर-आर्डर। It is his look-out whether he wants to respond or not.

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : ...और कस्बे को बंद कर रखा है, उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री सुरेन्द्र व्यास : I know. I am only making a suggestion through you. आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, मिनिस्टर को रेस्पोंड करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : It is his look-out, if he wants to respond...

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां बिलकुल ठीक है, मैं सजेस्ट तो कर ही सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री सावंर लाल : पूरे राजस्थान के लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पुलिस के लोगों के साथ हुआ है, उनका क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी को रेस्पोंड करना चाहिए। इतना गम्भीर विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार व्यवस्था कर रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर आपकी तैयारी जवाब देने की नहीं थी तो बैठे हैं, आप सदन के अन्दर अनुमति दे देते तो हम समझ जाएंगे कि मंत्रीजी हैं ही नहीं।

खण्डेला कस्बे में पानी की समस्या

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि खण्डेला कस्बे में पानी की इतनी बड़ी समस्या है, सारा खण्डेला कस्बा आज बंद पड़ा है और बाजार में ए.ईएन. के सामने सारे गांव वालों ने धरना दे रखा है। मेरा आपसे निवेदन है कि खण्डेला में पानी की व्यवस्था के लिए कोई भी व्यवस्था करवाई जाए और खण्डेला में कस्बे का बाजार जो बंद पड़ा है, उस बाजार को खुलवाया जाए जिससे यहां पर ऐसा कोई मैसेज जाए। आज से तीन साल पहले खण्डेला के लिए दो करोड़ 50 लाख 31 हजार की एक अजबपुरा योजना बनाई गई थी। योजना का काम सारा सुचारू रूप से चालू हो गया था। 21 किलोमीटर की लाइन है और लाइन भी पूरी डाल दी गई है लेकिन खण्डेला कस्बे को अभी तक एक बूंद भी पानी पहुंचा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ढाई करोड़ रुपये की योजना है, यह योजना पूरी बन चुकी है, सरकार का सारा पैसा खर्च हो चुका है लेकिन खण्डेला कस्बे को इस योजना से एक बूंद भी पानी पहुंचा नहीं। सारे खण्डेला कस्बे के अन्दर आज 7-8 रोज से एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस खण्डेला कस्बे में जो पुराने ट्यूब वैल हैं, या पुराने ओपन वैल हैं उनके अन्दर इन्होंने पहले बोरिंग किया है, अगर उनको सुचारू रूप से दोबारा चालू करवाने की व्यवस्था करें तो खण्डेला को पानी मिल सकता है। मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे कोटड़ी लुहारास गांव के अन्दर आज दो साल से आपके ट्यूब वैल के अन्दर मोटर फंसी हुई है उसको विभाग आज तक नहीं निकाल रहा है, बार-बार मैंने निवेदन किया यहां। इसी प्रकार से मलिकपुर गांव है, मलिकपुर गांव को पानी नहीं मिल रहा है। मैंने बार-बार निवेदन किया लेकिन आज तक अभी तक उस मोटर को बाहर नहीं निकाला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में अस्सी प्रतिशत हैण्ड पम्प बिलकुल खराब पड़े हैं, हमने अनेक बार कहा है लेकिन किसी भी हैण्ड पम्प को आज तक सुधारा नहीं गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर पूरी बहस हुई तब तो आप बोले नहीं।

श्री महादेव सिंह : आज से तीन-चार रोज पहले मैंने जब मंत्री महोदय को लिख कर दिया तब जाकर के उन्होंनें तीन या चार हैण्ड पम्प सुधारे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रात के डेढ़ बजे तक इस पर बहस हुई है, तब तो आप बोले नहीं,कहीं पता ही नहीं था आपका।

श्री महादेव सिंह : मैं बोला था और मैंने यहां आकर के कहा भी था, मंत्री महोदय ने मुझे कहा था, मैंने लिख कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न इस पर तो बहस। अब कितना ही करो आप।

श्री महादेव सिंह : लिख कर दिया उसी रोज रात की रात एक गांव के चार हैण्ड पम्प ठीक करके गए हैं। लेकिन एक गांव के हैण्ड पम्प ठीक करने से सारा विधान सभा क्षेत्र पानी नहीं पी सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी हैण्ड पम्प हैं उनको ठीक

(श्री महादेव सिंह)

करवाया जाए, जो हैण्ड पम्प डेड हो गए हैं उनकी जगह दूसरे हैण्ड पम्प लगवाये जाएं और 169 हैण्ड पम्प स्वीकृतशुदा हैं, वह आठ महीने पहले हमारी सरकार ने स्वीकृत किये थे, मंत्री महोदय ने स्वीकृति दी थी लेकिन अधिकारी उनको आज तक लगा नहीं पा रहे हैं। हम बार-बार कहते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि सरकारी मशीन आएगी तो ही हम यह हैण्ड पम्प लगाएंगे। 22 तारीख को माननीय कमलाजी और श्री मेघवालजी गए थे, इनके सामने कमलाजी ने यह कहा था कि आप प्राइवेट मशीन लाकर के भी जल्दी से जल्दी यह हैण्ड पम्प लगवाएं लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। यह अप्रेल का महीना भी गया, मई महीना चालू हो गया है, ज्यादा से ज्यादा हमारे इलाके में पानी की आवश्यकता पड़ती है अप्रेल, मई और जून। उसके बाद में आस करते हैं परमात्मा पर, बरसात होगी उसके बाद में हमारे जोहड़े भरे जाएंगे। हमने बार-बार कहा है कि हमारे इलाके के अन्दर न तो अन्डर ग्राउंड वाटर है, न हमेशा बहने वाली कोई नदियां हैं, न हमारे कभी कोई नहर आ सकती है, इसलिए मैंने निवेदन किया है सरकार से कि हमारे इलाके में सारे मदों का पैसा काटते हुए हमारे जितने आप एनीकट, बांध बनवा सकते हैं, बड़े बांध बनवा सकते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है इसलिए हम बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक सकें, यदि बरसात के पानी को हम ज्यादा रोकेंगे तो हमारा जल स्तर ऊंचा आएगा, हमारे को पीने के लिए पानी मिलेगा, हमारे को फसल के लिए पानी मिलेगा। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। यह हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। अधिसूचना। श्रीमती कमला, राजस्व मंत्री विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगी।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का भी जीरो अवर में पर्ची का कोई वह नहीं दिया हुआ था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति वैसे ही राजस्थान में बिगड़ी हुई है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खड़े हैं, इनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला : मौका दीजिए इनको।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम चाहते थे यह आई.पी.एस. वाले मामले में...

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम को जानते हैं। यह समझ चुके हैं इस बात को...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो समझ चुके।

श्री उपाध्यक्ष : फिर? आप फोर्स...

श्रीमति सुमित्रा सिंह : लेकिन मंत्रीजी ने कुछ रेस्पांड नहीं किया है, उन्हें बोलना तो चाहिए...

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने एकाएक मुद्दा उठाया है, मैंने आपके नोट्स लिए हैं, सीरियस नोट्स लिए हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : एकाएक उठा है ? आपको पता ही नहीं है ? एकाएक उठा है...

श्री बुलाकीदास कल्ला : फैक्चुअली बताना पड़ेगा ना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने कुछ किया भी है क्या, यह तो बताओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपध्यक्ष महोदय, श्री पारीक साहब को आप पांच मिनट का समय दे दीज़िए।

श्री उपाध्यक्ष : किस नियम से बोलने दूं ? फिर सब को बोलने दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : स्लिप के बगैर तो फिर आपने कइयों को अलाउ किया है, इनको भी कर दीजिए, एक एक्सेप्शन है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, फिर बोलो, सब बोलो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : गम्भीर सम्स्या है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो फिर सब को।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या का तो समाधान करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न समस्या का समाधान, बिराजो।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, बिराजमान हैं, बहुत गम्भीर समस्या है, आखिर राजस्थान में जो पुलिस अधीक्षक लगे हुए हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, साहब ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो बैठ जाएंगे आपके कहते ही, आपने आज्ञा दी, बैठ जाएंगे हम...(व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सीकर जिला तो बिना एस.पी. के हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अमरा राम : हमारा जिला बगैर एस.पी. के हो गया और मंत्रीजी कह रहे हैं, मेरे को पता ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नियम को जानते हैं। जिस माननीय सदस्य ने उठाया, वह स्वयं संतुष्ट हो गए कि हां, I cannot force him. फिर सारी बात खतम हो गई न। क्या फायदा है इस बात से। (व्यवधान)

श्री अमरा राम : मंत्रीजी को अभी पता ही नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता कर लेंगे।

श्री अमरा राम : कि पन्द्रह जिले बगैर एस.पी. के हो गए और मंत्रीजी को अभी पता ही नहीं है..

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब पता है मेरे को। कोई जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री सांवर लाल : पता है तो क्या करने जा रहे हैं मंत्रीजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यह बताइये। आप बताइये।

श्री अमरा राम : जवाब नहीं, हम तो व्यवस्था चाहते हैं। आपने उनको हटा दिया, उनकी जगह एस.पी. और लगा दें...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं जवाब देना जरूरी नहीं है या आप तैयार ही नहीं हैं, अभी तक अध्ययन ही नहीं किया क्या।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर,आर्डर प्लीज।

श्री परसादी लाल मीणा : बिलकुल तैयार हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : तैयार हैं तो बोलिए, जवाब दिलवाइये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब दिलवाइये न।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, माननीय बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम तो आर्डर कहते ही बैठ जाएंगे। लेकिन यह कोई...

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ रहे हैं बात को कि आप सरकार को मजबूर तो नहीं कर सकते...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो ये बताएं, इतना तो बताएं कि वह एडीशनल एस.पी. हैं या एस.पी. हैं, क्या हैं। यह तो बता दें वह।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने सुन ली बात को, अगर वह चाहे तो जवाब दें, मैं रोक नहीं रहा हूं। I cannot force him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर क्या बात है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप तो फोर्स नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बिराजें न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, वह यह तो बता दें कि वह एस.पी. हैं या एडीशनल एस.पी हैं, क्या हैं वह।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं नहीं कह सकता। वह सुन रहे हैं, वह सुन रहे हैं न, चाहें तो वह खड़े हों, मैं कैसे कह सकता हूं।

श्री सांवर लाल : हम तो यह जानकारी चाहते हैं कि कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था निकाल रही है या नहीं सरकार। कुछ तो बताए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जानकारी नहीं मिलेगी। राजेन्द्र जी। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : हमारे एम.एल.ए. साहब तो उड़न-छू हो गए, अब मैं जवाब किसको दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप यदि चाहें तो दो, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। मिल लेना आप, कर देना व्यवस्था। आप तो होशियार आदमी हैं, सब व्यवस्था कर दोगे। सारी व्यवस्था ही आप कर रहे हैं।(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, मुझे मिलना चाहिए कि उनको। कुआ प्यासे के पास जाता है कि प्यासा कुएं के पास आता है। उनको मिलना चाहिए, मैं समाधान कर दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। सुनने वाले ही चले गए, किसको सुना रहे हैं आप। वह ही चले गए, आप किसको सुना रहे हैं। (व्यवधान) आप बिराजें प्लीज। बिराजें।

श्री अमरा राम : सुनने को तो हम बैठे हैं, आप बता दें,200 हैं।

कानोड़िया अस्पताल, मुकुन्दगढ़ में कार्यरत डाक्टर रमेश शर्मा की संदिग्ध हालात में हुई मृत्यु विषयक

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान डाक्टर रमेश शर्मा जिनका मर्डर नवलगढ़ थाने की मुकन्दगढ़ चौकी में दर्ज हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ ?

श्री राजेन्द्र पारीक : डाक्टर रमेश शर्मा सीकर के मूल निवासी थे और इनकी सगाई का दस्तूर नारसिंघानी जिला झुंझुनूं के जुगल किशोर शर्मा की लड़की से होना तय हुआ था और 18 तारीख को उनकी शादी होनी थी और 15 तारीख को उनकी सगाई का दस्तूर होना था। सगाई के सारे कार्ड वितरित कर दिये गए। डाक्टर शर्मा मुकुन्दगढ़ के कानोड़िया अस्पताल में तीन महीने से कार्यरत थे। दिनांक 14 को डाक्टर शर्मा ने अपने साथी डाक्टर्स के साथ पूरा काम किया है, सीकर टेलीफोन करके यह सूचना दी है कि मैं सीकर के लिए रवाना हो रहा हूं और उन्होंने अपनी शादी और सगाई के कार्ड्स वितरित किये हैं। लेकिन जब सायंकाल तक डाक्टर शर्मा सीकर नहीं पहुंचे तो उसके परिजनों को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने नारसिंघानी और मुकुन्दगढ जिस अस्पताल में वह कार्यरत था, वहां से इस बात की जानकारी ली तो उन्हें सूचना मिली कि सीकर रवाना हो गए आपसे टेलीफोन पर बात करके। जब रात तक नहीं पहुंचे तो उन्होंने नारसिंघानी जाकर के इस बारे में जानकारी ली। उनके सुसराल वालों ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया तब उन्होंने थाने में जाकर इस बात की एफ.आई.आर. दर्ज करानी चाही कि हमारा लड़का जिसकी शादी 18 तारीख को होनी थी, अभी तक नहीं पहुंचा है, उसका कहीं अपहरण न हो गया हो, इसकी आप रिपोर्ट दर्ज करो। थाने वालों ने मात्र गुमशुदगी की एक सिम्पल रिपोर्ट डाल करके उनसे यह कह दिया कि आप भी तलाश करें, हम भी तलाश करते हैं।15 तारीख को जब बार-बार जाकर के लड़की के घर वालों से उन्होंने इस बात की जानकारी की तो हर बार वह यही कहकर टालते रहे कि हमें जानकारी नहीं है, हमें कोई पता नहीं है और इस तरह से करते-करते 17 तारीख को जब वह खूब चिंतित हो गए और यह लगा कि कल 18 तारीख को उसकी शादी होनी है और 17 तक नहीं पहुंचा तो उन्होंने कई आदमियों को साथ ले जाकर मुकुन्दगढ़ थाने के जो इंचार्ज थे उन पर इस बारे में खूब दबाव डाला कि जिस घर में वह रहता था उस घर में ताला लगा हुआ है, आप कम से कम वहां जाकर के इसकी जानकारी तो करें कि उसमें क्या है, किस हालत में है, है या नहीं है, या वहां से उस घर में आपको कोई जानकारी मिल सकती है। तब वह गए और उन्होंने जा करके वहां उस घर का ताला खोला। ताला खोलकर एक-दो कमरों में उन्होंने देख कर यह कह दिया कि यहां कुछ नहीं है। तब उस परिवार

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के जो बड़े सदस्य थे उन्होंने इस बात के लिए फोर्स किया कि इस कमरे के जिसके कुंदा लगा हुआ है, आप इसको भी खोलकर देखें। उस कमरे को उन्होंने खोला तो उसमें डाक्टर शर्मा की लाश पड़ी हुई थी और लाश जिस हालत में पड़ी हुई थी उससे साफ जाहिर होता था कि उसका मर्डर किया गया है। डाक्टर शर्मा स्वयं डाक्टर थे और लाश को उन्होंने फांसी से फंदा होकर के मृत्यु होना दर्शाया है। जिन व्यक्तियों ने हत्या की है, डाक्टर शर्मा के एक हाथ में विनोफिक्स लगा हुआ है, केटोलिन इंजेक्शन लगा हुआ, इंजेक्शन का वाइल बाहर पड़ा हुआ है, पंखे के नीचे जो उसकी डेड बाडी मिली है, वहां पर कोई ऐसा स्टूल या कुर्सी नहीं है जिस पर खड़े होकर वह फंदा लगा लें अपने गले में और कुर्सी को धक्का डाल करके नीचे कर दें। पंखे से करीब तीन फीट दूरी पर एक बहुत बड़ी टेबल है जिस पर चढ़कर यदि वह फंदा लगाते हैं तो उससे करीब पांच फीट का गैप मिलता है इसलिए उसका किसी भी तरह से आत्महत्या करना साबित नहीं होता। इन सारी बातों के बावजूद भी आज इतने दिन हो गए, डाक्टर शर्मा के मर्डर के मामले में किसी भी तरह की कार्यवाही वहां के अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। डाक्टर शर्मा के पिता एक साधारण गरीब कम्पाउण्डर हैं, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने लड़के को पाल-पोस कर तैयार किया और 18 तारीख को जो शादी होनी थी, उस शादी से पहले, अब सारे तथ्य सामने आए हैं कि उस परिवार के कुछ लोगों ने, जिनमें लड़की के एक मामा और लड़की के जीजा, वह दोनों सीकर आए हैं और आ करके उन्होंने इस बात के लिए थ्रेटन किया है कि यह शादी हम आपसे नहीं करना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, यदि वह आत्महत्या है तब भी इसके पीछे कोई न कोई ऐसा कारण रहा होगा जिससे यह डाक्टर जैसे प्रोफेशन का व्यक्ति सुसाइड करने पर मजबूर होता है। लेकिन हालात सारे स्पष्ट हैं कि किसी भी कीमत में वह आत्महत्या नहीं है, वह मर्डर है। जिस कमरे में लाश पाई गई है उसके बाहर से कुंदा लगा हुआ है। यदि वह आत्महत्या है तो बाहर से कुंदा थोड़े ही लगायेगा। इन सबके बावजूद भी लगातार वहां पुलिस प्रशासन इस बात की लीपापोती करने में लगा हुआ है और सुसाइड-सुसाइड कह करके इस बात को रफा-दफा करने में लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि हत्या जैसे प्रकरण में यदि स्थानीय पुलिस द्वारा किसी भी तरह की ढील बरती जा रही है तो यह खेद का विषय है। ऐसे संगीन मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए और गरीब पिता को मर्डर जैसे मामले में न्याय मिल सके, उनका बेटा तो चला गया लेकिन जो इसके दोषी हैं लड़की का मामा, उसका बहनोई जो दोषी हैं, जिन्होंने आ करके थ्रेटन किया है और 20 लोग इस बात की गवाही देने के लिए तैयार हैं कि हमारे सामने, हमारी मौजूदगी में यह सारा किया है, इन सबके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्यवाही न होना बड़ी चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से पुरजोर शब्दों में यह अपील करूंगा और माननीय गृह मंत्री महोदय से मैं इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि हत्या

(श्री राजेन्द्र पारीक)

जैसे प्रकरण में साधारण स्तर पर यदि किसी तरह की लीपापोती की जाती है तो सरकार के लिए भी कलंक है, तत्काल इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जा करके हत्या के दोषियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, मेरा आपसे यही निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्रीजी, आपने इनको बोलने की इजाजत दी । गृह मंत्रीजी तो हैं नहीं, आप कुछ फरमाना चाहें तो फरमा दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजेन्द्र जी पारीक ने एक बहुत ही घिनौने मर्डर के बारे में सारी बात कही है। मैं यह सारी की सारी बात, कोशिश यह करूंगा कि वरबेटिम माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : अवगत करा दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनको यह अवगत करा भी दूंगा और उनसे यह भी प्रार्थना करूंगा कि आप यहां से किसी स्पेशल व्यक्ति को लगा करके इसकी पूरी जांच करावें। एक बहुत ही सीज़न्ड सीनियर मैम्बर ने यह चार्ज लगाया है । जिस तरह से तफतीश हो रही है वह तफतीश इसमें होनी नहीं चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती कमला जी।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज हो गया न। वह तो बात वो की वो ही है।

श्री मोहनलाल मोदी : बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर है तो गम्भीरता से ले ली न सरकार ने बात को।

श्री मोहनलाल मोदी : नहीं अब गृह मंत्रीजी तो यहां हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हां हो गया न आप बिराजिए प्लीज। गृह मंत्रीजी नहीं, गृह मंत्रीजी की जगह और दूसरे मंत्रीजी बैठे हैं वे हैं। बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम बैठे हैं आपकी सेवा में।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अधिसूचना
राजस्व विभाग

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या प. 6 (19) राज-6/92/6 दिनांक 13.4.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गए हैं, सदन की मेज पर रखती हूं।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति का 29वां, 30वां एवं 48 से 51वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति का प्रतिवेदन श्री गुलाबचंदजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (सभापति, जन लेखा समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जन लेखा समिति, 2000-2001 के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं :-

(1) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट शिक्षा विभाग से संबंधिति अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 का पैरा संख्या 3.2, वर्ष 1996-97 का पैरा संख्या 3.2 व 3.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 29वां प्रतिवेदन।

(2) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट राजकिय उपक्रम विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 का पैरा संख्या 7.2 तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 का पैरा संख्या 7.1 से संबंधित मामलों पर समिति का 30वां प्रतिवेदन।

(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन(सिविल) में समाविष्ट योजना एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 का पैरा संख्या 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 एवं 6.9 से संबंधित मामलों पर समिति का 48वां प्रतिवेदन।

(4) जन लेखा समिति, 1990-91 के 19वें प्रतिवेदन(नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित (क्रियान्वित विषयक) जन लेखा समिति (सिविल), 2000-2001 का 49वां प्रतिवेदन।

(5) जन लेखा समिति, 1991-92 के आठवें एवं ग्यारहवें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) जन लेखा समिति (सिविल), 2000-2001 का 50वां प्रतिवेदन।

(6) जन लेखा समिति, 1991-92 के 64 वें प्रतिवेदन (नवीं विधान सभा) में यातायात विभाग से संबंधित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गइ कार्यवाही पर (क्रियान्वित विषयक) जन लेखा समिति (राजस्व प्राप्तियां), 2000-2001 का 51वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हनुमान प्रसाद जी।

अनुसूचित जाति कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री हनुमान प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त विकास सहकारी निगम लिमिटेड के कार्यकलापों के संबंध में अनुसूचित जाति कल्याण समिति, 2000-2001 का प्रथम प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हीरालालजी विश्नोई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आंफ आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। हीरालालजी बिराजिए। हां, आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है, मेरा विनम्र निवेदन है कि यह एडमिसिबल नहीं है। आप नियम 131 का अवलोकन करें। 131 ए का अवलोकन करें आप।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा, किस पर बोल रहे हैं आप ? कौनसा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह अभी आ रहा है जो उस पर ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां यह आ रहा है उस पर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास:यह है कि राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों में कथित अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न...

श्री उपाध्यक्ष : हां वह समझ गया। आप क्या नियम कोट कर रहे हैं ? नियम बोलें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : "It relates to a specific matter of recent occurrence." यह कहां से स्पेसिफिक मैटर हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : किस धारा में बोल रहे हैं आप ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पूरे राज्य के ...। Hon'ble Deputy Speaker, may kindly peruse rule 131. Rule 131A.-Conditions of admissibility of motion. Rule 131 clause (i) - "it relates to a specific matter of recent occurrence."

अब यह स्पेसिफिक मैटर कहां हुआ, उपाध्यक्ष महोदय। पूरे राज्य के अगर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आप यहां चर्चा करेंगे तो न तो कोई को-आपरेटिव डिपार्टमेंट की डिमाण्ड है या कोई बैंकों का अलग से रिजोल्यूशन रखा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...(व्यवधान) 131 (1) में नहीं आएगा। ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : मैंने तीन का ही दिया है। इन्होंने जवाब में पूरे का दे दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप करें, मुझे कोई उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि आसन की दृष्टि से ओझल हो गया हो और ध्यान नहीं रहा हो, तो मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूं कि आपका ध्यान इस ओर दिलाऊं कि यह मामला एडमिसिबल नहीं है। आप इस पर व्यवस्था फरमावें।

श्री उपाध्यक्ष : इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। उनको बोलने दो अब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसको आप स्पेसिफिक मानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान) मेरा ज्ञानवर्द्धन तो होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : It has been accepted and admitted.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपके आसन के विचार:..(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अब एक्सेप्ट कर लिया है तो मुझे जवाब दे लेने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो जवाब दें लेकिन मेरे को जानकारी दें कि स्पेसिफिक हो गया क्या यह ? कल न हम भी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह तो आप जानते हैं कि जब एडमिट होता है उसके बाद ही लगता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो सही है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर क्या बात है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : लेकिन बाई ओवरसाइट हो गया हो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ... (व्यवधान) स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है, रिसेंट होना भी जरूरी नहीं है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं ऐसे ओवरसाइट वाले नहीं हैं यहां तो बहुत होशियार, अध्यक्ष महोदय, बहुत इस मामले में...

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान) न रिसेंट होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : He is well apprised of all the rules. अध्यक्ष महोदय को सब मालूम है। माननीय हीरालालाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, वह तो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हमारे लिए तो आसन, आसन है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एडमिट किया न उन्होंने। He has admitted it. It has been accepted. एडमिट होने के बाद ही सामने आता है, रिजेक्ट होना होता तो हो जाता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाई ओवरसाइट हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं ओवरसाइट नहीं है, यह तो बिलकुल बाई नालेज है। आप बिराजिए, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब अध्यक्षजी के लिए तो मैं कुछ और कह नहीं सकता।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ...(व्यवधान) वरना यह तो स्पेसिफिक ही 3 बैंकों का था, बढ़ा दिया गया। क्यों बनाया, किसने बनाया पता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, प्लीज बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और भीलवाड़ा, पाली, और उदयपुर के नाम दिये थे बाकायदा।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैंने तीन ही बैंकों को कोट किया था। मैंने तीन ही बैंकों के लिए लिखा था भीलवाड़ा, उदयपुर, और पाली। अब जवाब में लिखा है पूरे राजस्थान के बैंकों का। अब मुझे तीन ही बैंकों के विषय में जवाब चाहिए बाकी के बैंकों का मैंने प्रस्ताव नहीं दिया और मैंने ध्यानाकर्षित नहीं किया है।

श्री रिछपाल मिर्धा : ...(व्यवधान) तीन ही जगह का लिखा हुआ है, पूरे राजस्थान का लिया है इसमें।

श्री हीरालाल विश्नोई : तीन ही जगह का मैंने मांगा था और तीन जगह का जवाब सुनना है।

श्री रिछपाल मिर्धा :...(व्यवधान) गोलमोल करना चाहती है सरकार इसको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, रिछपाल जी, आप बिराजिए प्लीज।

श्री रिछपाल मिर्धा : क्या गोलमाल करना चाहते हैं आप इसको ?

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है, ऐसे गम्भीर मामले को अगर मंत्री महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : रिछपालजी, आप इसको चलने देना चाहते हो कि नहीं ?

श्री रिछपाल मिर्धा : हां।

श्री उपाध्यक्ष : तो बैठिये न आप। वह बोल रहे हैं न।

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, क्या डिपार्टमेंट कोई गोलमाल करना चाहता है तो मैं यह प्रस्ताव ही नहीं देता, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मुझे इस तरीके से गुमराह करके, हमने 30 आदमियों ने यह ध्यानाकर्षण दिया है और मंत्री महोदय इस तरीके से हमारे को गोलमाल करना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप : जब तीन का मांग रहे हैं तो तीन का दिला दो, साहब, दिक्कत क्या है। सदन का समय बचेगा अपने तो। सारे राजस्थान का क्यों लेते हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी; माननीय हीरालालजी, एक मिनट सुनिये। रामस्वरूप जी, बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : ठीक है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो ध्यानाकर्षण है, आप सिर्फ ध्यानाकर्षण कर दीजिए और मंत्रीजी का उत्तर सुन लीजिए उसके बाद फिर आप बोलिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे राजस्थान का है...(व्यवधान) यह पूरे राजस्थान का क्यों है।

श्री उपाध्यक्ष : उनको सुनेंगे कि नहीं ?

श्री हीरालाल विश्नोई : पूरे राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है। माननीय सदस्य सभी बोलेंगे...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पूरे राजस्थान से है।

श्री रामस्वरूप : बिलकुल हम तो बोलेंगे अगर पूरे राजस्थान का है तो हम भी बोलेंगे। हम कोई राजस्थान से बाहर हैं क्या ?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ था और आसन ने कोई व्यवस्था नहीं दी है।

श्री उपाध्यक्ष : दे दी न व्यवस्था सुबह।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, व्यवस्था नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जवाब दिलवायेंगे।

श्री रामस्वरूप : यह हमारा अधिकार है जब पूरे राजस्थान का है तो इसमें तो हमारा करौली भी आता है। सवाईमाधोपुर भी आता है पूरा आता है।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यानाकर्षण लगाया और इसमें भी आप इस तरीके से गोलमाल करते हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जो राजस्थान में जहां-जहां घोटाले हुए हैं जहां-जहां भी यह हुआ है उनके बारे में हमारे पास भी प्रमाण हैं माननीय मंत्रीजी, हम भी आपको प्रमाण पेश करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : ये बोल लें फिर पेश करें।

श्री रामस्वरूप : ऐसा नहीं आप निर्दोषों को फंसा दो और दोषियों को बचा दो। मेरे पास ऐसे-ऐसे ठोस प्रमाण हैं इस विभाग के बड़े-बड़े प्रमाण लेकर आया हूं, मैं भी आज। आप न्याय करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : आपने कहा है दोषी व्यक्तियों को नहीं बख्शेंगे। मैं भी आपको गिना रहा हूं दोषी व्यक्तियों के नाम, छोड़ना मत आप एक को भी।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : हम तो बैठ जाएंगे, साहब। आप सुनें तो सही।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) ध्यानाकर्षण में स्पेसिफिक जो बैंकों के नाम हैं उनका जवाब दिलवाइये।

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) मुझे तो यह जवाब चाहिए।

श्री रामस्वरूप : उनके खिलाफ कार्यवाही करें। चाहे कोई भी हो। मीणा हो चाहे कोई भी हो। यह नहीं कि मीणा के खिलाफ आप मर्जी आये करें, आप सबके खिलाफ करना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। सुनें तो सही।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सारे प्रमाण हैं। माननीय मंत्रीजी, आप सबके खिलाफ कार्यवाही करें। कार्यवाही करनी है तो कार्यवाही में भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) यह आपका पूरे राजस्थान का है।...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तीन बैंकों के बारे में आपको स्टेटमेंट दूंगा। यह हमने नहीं, यहां विधान सभा से बुलेटिन निकलता है उसमें है। उसके लिए आप उपाध्यक्ष महोदय से बात करें, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री रामस्वरूप : ...(व्यवधान)...पूरे प्रमाण हैं मेरे पास। पूरे प्रमाण लेकर आया हूं, यह देखिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते हैं आप। बिराजिए प्लीज।

श्री रामस्वरूप : पूरे प्रमाण हैं इसमें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये न आप। माननीय सदस्य, यह तीन ही सहकारी बैंकों से संबंधित है, तीन ही सहकारी बैंकों के संबंध में इस पर विचार होगा। यह केन्द्रीय सहकारी बैंक की जगह केन्द्रीय सहकारी बैंकों लिख दिया।

श्री हीरालाल विश्नोई : ...(व्यवधान) तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह केन्द्रीय सहकारी बैंक पूरे राजस्थान का लिख दिया। इसका औचित्य क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : तो केन्द्रीय सहकारी बैंक तो हैं न, उसमें क्या तकलीफ है आपको।

श्री हीरालाल विश्नोई : या तो इनकी मंशा ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मंशा ठीक है कि नहीं वह तो...

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय की मंशा ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से गोलमाल जवाब दिलाने से...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो बोलिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : ... (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक था वह तो।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्वात दिया हुआ है उसके ऊपर आसन से कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न। व्यवस्था दे दी न आपको।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था तो है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव का जवाब मांगा है। गवर्नमेंट को लिखा है, जवाब आ जाएगा आपका।

श्री रामस्वरूप : आप हमारा भी नंबर लें पहले। हमारे पास भी पूरे प्रमाण हैं और यह पूरे के पूरे लेकर आये हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन ने मेरे स्थगन प्रस्वाव पर कोई व्यवस्था नहीं दी। मेरा स्पेसिफिक प्रस्ताव दिया हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, आज तक विधान सभा के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ कि किसी स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था नहीं दी जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इससे सरकार साफ संदेह के घेरे में है।

श्री उपध्यक्ष : कल जवाब दे देंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार क्यों कठघरे में आ रही है।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था तो दो।

श्री रामस्वरूप : यह संवेदनशील और ईमानदार सरकार है। हमारे यहां कोई पक्षपात नहीं होगा। हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। मंत्रीजी बहुत अच्छे हैं, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे, यह हमको विश्वास है। जो निर्दोष है उनको बख्शो और जो दोषी है उनको फंसाइए। यह नहीं कि जो निर्दोष हैं उनको फंसा दिया जाए और दोषी को बचा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, आप बिराजिए। एक बोलेंगे या चार बोलेंगे।

श्री महादेव सिंह : 104 करोड़ रुपये का घोटाला है। यह जो दोषी नहीं थे उनको तो सस्पैंड कर दिया और जो दोषी हैं...

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी संवेदनशील सरकार है और हमारे मुख्य मंत्रीजी की यह घोषणा है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने जो स्थगन प्रस्वात दिया है उस पर आसन से कोई न कोई व्यवस्था होती है, उसे रिजक्ट किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : हामरे सामने स्थगन प्रस्ताव है ही नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : कैसे नहीं है, मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है, वह एक्सैप्ट हुआ है। इसका मतलब +++ कभी तो कोई सदस्य आरोप लगा रहा है, कभी कुछ। मेरा स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री राजेन्द्र पारीक : पूरा राजस्थान का बनाकर एक चर्चा का विषय बना दिया और चर्चा का अंत सायंकाल तक होना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव दिया हुआ है, सरकार की सूचना आ जाए उसके बाद आपका जवाब दे देते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नो, नो। जिस दिन स्थगन प्रस्ताव आता है उसी दिन व्यवस्था देनी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव किस पर है ?

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा इसी के ऊपर स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : फिर बोल लेना आप।

श्री देवीसिंह भाटी : ठीक है, आपने यह अनुमति दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : इतनी देर क्यों खोटी की आपने। आप भी बोल लेना, बोले जाओ हमें क्या तकलीफ है।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी सरकार के मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। पुरानी सरकार के जो भी घोटाले किये हुए हैं उन घोटालों को उजागर करना, जिन अधिकारियों ने घोटाले किये हैं उन अधिकारियों को पनिशमेंट देना इनका कर्तव्य है।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में धारा 70 की जांच शीर्ष सहकारी बैंक के निरीक्षक प्रतिवेदन के अनुसार भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने फसली ऋण 1991 के मध्यकालीन ऋणों में बिना सदस्य एवं समिति की मांग के देकर अवैधानिक कार्यवही की है, जिसके कारण 40 लाख रुपये के सार्वजनिक धन का दुरुपयोग श्री किशोर सिंह राठौड़, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया गया है। वर्ष 1991-92, 1992-93 में आई.आर.डी.पी....

+++अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ध्यान आकर्षित कर दो, इनका जवाब सुन लो, फिर बोल लेना।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही कह रहा हूं।

आई.आर.डी.पी. में भी किया है, उसमें भी किया है। नाबार्ड एवं शीर्ष बैंक के निरीक्षक ने स्पष्ट लिखा है कि यह अनियमितता बैंक की जानकारी में हुई है। शीर्ष बैंक ने तो स्पष्ट लिखा है कि ऋणों की सदस्यता ही पूर्ण संदिग्ध है। इसी तरीके से सार्वजनिक धन का दुरुपयोग कर हेराफेरी तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, श्री किशोर सिंह राठौड़ और रामचन्द्र जोधा द्वारा की गई है। जिस तरीके से फर्जी वितरण किया उसका नाम है, ऊधा पुत्र भोला कुमावत् को 5500 रुपये को लोन दिया जबकि वह 7 वर्ष पूर्व मर चुका था। गोवर्द्धन पुत्र हीराराम...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालालजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो तीन बैकों का नाम लेकर ध्यानाकर्षण कीजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : जालौर जिले का तो उन्होंने बताया ही नहीं।

श्री हीरालाल विश्नोई : उदयपुर में भी यही एम.डी. है। उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्धक श्री इन्द्र सिंह, प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़, नेमीचंद, चम्पालाल एवं श्री जीतेन्द्र जैन के सहयोग से 1 करोड़ 52 लाख रुपये का गबन किया। इन प्रबन्ध निदेशकों को नाबार्ड शीर्ष बैंक में निरीक्षण प्रतिवेदन उठाये गए। स्पष्ट चेतावनी दी कि नजरंदाज कर दोषी श्री इन्द्रसिंह बावेल को सहयोग देकर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाकर गबन करवा कर बैंक को नुकसान पहुंचाया। इसकी रिपोर्ट जिला कलक्टर को की गई। सहकारी बैंक नाबार्ड के निर्देशों के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे के चयनित व्यक्तियों को...

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो। आप समझ ही नहीं रहे हैं मेरी बात को।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मैं आपका ध्यान पाली बैंक की ओर आकर्षित कर रहा हूं। यह उदयपुर की बैंक का था, अब मैं पाली की बैंक का कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उदयपुर सी.सी.बी. भीलवाड़ा और पाली सी.सी.बी. में जो कथित अनियमितताएं हुई हैं उनके लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। हम सब मिलकर उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हैं।

श्री हीरालाल विश्नोई : पाली के केन्द्रीय सहकारी बैंक में 1995-96 और 1996-97 में राज्य सरकार के निर्देशों के विपरित आई.आर.डी.पी. के अधीन ब्याज लेकर गरीबों के साथ धोखाधड़ी की गई। उदयपुर सहकारी बैंक में गबन के मामले में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं। मैं यह सब तथ्यों के साथ कह रहा हूं। यह सब जांच रिपोर्ट हैं।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें । माननीय मंत्री महोदय। आप बिराजिए। आप चले गए, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। आप बिराजिए।

श्री रतनाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, टांका स्कीम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसकी भी आप जांच करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । पहले इनको सुनिए उसके बाद बोल लेना।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदया, माननीय श्री हीरालालजी और उनके साथ करीब 20 और माननीय सदस्यों ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और खास तौर से तीन बैंक पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर के बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, मैं उस पर अपना वक्तव्य दे रहा हूं।

पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा सन् 1995-96, 1996-97 में ऋण वितरण किया गया था। केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली के शीर्ष बैंक "अपेक्स बैंक" से आबंटित पुनर्भरण खंड की सीमा से अधिक ऋण वितरण एवं नाबार्ड की निर्धारित ब्याज दर जिसमें विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से निर्धारित दर से अधिक ब्याज वसूल किया गया। जिसके अनुसार गरीबी रेखा के नीचे चयनित व्यक्तियों को क्रमश: 1995-96 में 13 लाख 19 हजार और 1996-97 में 5 लाख 63 हजार रुपये की राशि का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा है। दिनांक 22.7.99 को इसकी जांच हेतु संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति, जोधपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 7.4.2000 को पेश करते हुए जांच व दायित्व आदि के निर्धारण नहीं किये। लिहाजा पुन: 19.4.2000 को मेरे द्वारा प्रधान निदेशक, अपेक्स बैंक जयपुर, वी.बी. दीक्षित को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन्हें एक माह का समय दिया गया है। जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। वर्ष 1996-97 में केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली ने 16 शाखाओं के अन्तर्गत ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 272.70 लाख रुपये की खाद, बीज, दवाइयां निजी फर्मों से खरीदीं। जिनमें अधिकांश फर्में अपंजीकृत व बोगस थीं और फर्जीवाड़ा प्रथम दृष्टया पाया गया। मगर यह नहीं बतलाया गया कि इस कांड में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी थे। लिहाजा विभाग द्वारा जांच करने के लिए वी.बी.दीक्षित प्रबन्ध निदेशक, अपेक्स बैंक को धारा 70 के अंतर्गत तय किया गया है। जो अपनी रिपोर्ट 19.5.2000 को प्रस्तुत कर देंगे। रिपोर्ट पेश होने के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1993 तक एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत कुल 1706 कृषकों को 61.50 लाख रुपये का ऋण, 41.30 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया गया था। प्राप्त शिकायत के आधार पर इनकी जांच जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के माध्यम से अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) द्वारा करवायी गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर (विकास) द्वारा तारीख 16.7.93 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसमें लिखा है, इस प्रकार के विभिन्न पंचायत समिति क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी बैंक के अधीनस्थ ग्राम सेवा सहकारी समितियों को ऋण वितरित किया गया।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

1991-92 में अन्त्योदय योजना के तहत किया गया, इसमें अधिकांश प्रकरणों मे ऋण राशि जमा की जा चुकी है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि केवल कागजों में ऋण की कार्यवाही की गई। इस कार्य के लिए विभिन्न संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों, सेन्ट्रल बैंक, को आपरेटिव के अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने ऋण वितरण व वसूली दोनों में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए यह कार्यवाही की थी तथा आई.आर.डी. योजना की मूल भावना को ठेस पहुंचाई तथा अनुदान राशि का दुरुपयोग करने में सहयोग प्रदान किया क्योंकि मूल रूप से अनुदान उपयोग प्रमाण पत्र बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ऐसी हालत में मुख्य जिम्मेदारी बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों की बनती है। वैसे क्रय समितियों के सदस्यों की भी इसमें जिम्मेदारी है अत: सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पंजीबद्ध कार्यवाही की जाए। चूंकि ए.डी.एम. की उक्त... (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सरकार की तरफ से जो उत्तर आया है वह है या कोई अलग से उत्तर है, वह है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : सरकार दे रही है। जो उत्तर दे रही है, सरकार दे रही है। चूंकि ए.डी.एम. उक्त रिपोर्ट के व्यक्तिश: किसी को दोषी नहीं माना गया और इसलिए फर्जीवाड़ा व दुरुपयोग करना, लिहाजा विभाग के तत्कालीन संयुक्त रजिस्ट्रार, अजमेर श्री शर्मा को यह रिपोर्ट दी गई। श्री शर्मा ने 13.1.94 को अपनी रिपोर्ट पेश की और जांच रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि कोई कर्मचारी या अधिकारी इसमें दोषी नहीं ठहराया गया। बैंक इसके पश्चात्...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, यह जिला कलक्टर की या आपकी रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हीरालालजी, बिराजिए। उत्तेजित मत होइये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके बाद तीसरी जांच श्री सियाराम मीणा आई.ए.एस. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) जयुपर से पुन: करवाई गई। मीणा ने 1.8.97 को जांच रिपोर्ट में यह लिखा है कि विवरण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कोई स्पष्ट बिंदु नहीं दिये गए, न ही किसी समिति का नाम उल्लेख किया गया, न ही शिकायत के संबंध में कोई साक्ष्य, सबूत या गवाह पेश किया गया। अपने लिखित जवाब में भी उन्होंने कोई स्पष्ट स्थिति नहीं दिखाई, ऐसी शिकायत सामान्य है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। प्लीज बैठिय। आपको सुनना पड़ेगा वह कह रहे हैं।(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिकायतकर्ता का शिकायत के संबंध में वर्णित यह कथन कि उन्हें बैंक के संचालक मण्डल की बैठक... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुनना ही पड़ेगा और क्या इलाज है। आप बोल लेना वापस, आपको मौका देंगे बोलने का। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : दिनांक 13.12.93 को प्रबंध निदेशक की अनियमितताओं पर जांच करने हेतु उन्हें प्रस्ताव रखा गया था ऐसा सही नहीं है क्योंकि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अथवा निर्णय उक्त संचालक मण्डल की बैठक में नहीं पाया गया। अत: शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत में कोई तथ्य साबित नहीं होता है। इसके पश्चात् चौथी जांच उपरोक्त प्रकरण के लिए अन्य बिन्दुओं और इसको देखते हुए प्रबंध महानिदेशक, स्पिनिंग मिल, गंगापुर के श्री एस.डी. चारण से विस्तृत जांच करने का आदेश दिया गया। जांच सम्पूर्ण हो चुकी है। अब तारीख 5.5.2000 को इसके ऊपर पार्टियों को बुलाया गया है और उनको सुनकर के अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव समिति सरकार को पेश करेंगे।

तीसरी रिपोर्ट, उदयपुर सहकारी बैंक, उदयपुर के 1 करोड़ 52 लाख के गबन के मामले में बैंक के कर्मचारी श्री इन्द्रसिंह बावेल को अभियुक्त पाया गया। यह कर्मचारी, श्री बावेल, सन् 61 से लगातार सितम्बर, 99 तक केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर में ही लेखा शाखा में सर्वप्रथम कनिष्ठ लिपिक फिर लेखाकार फिर लेखाकार प्रबंधक के पद पर निरन्तर कार्य करता रहा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : वह खाली नेमीचंद का ही नाम पेश कर रहे हैं, किशोर सिंह का नाम क्यों नहीं पढ़ रहे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके कहने से पढ़ेंगे क्या वह। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनिये तो, बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जब आप इस रिपोर्ट के अंदर करते हैं, साहब, आप नेमीचंद का नाम क्यों पढ़ रहे हैं किशोरसिंह का नाम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जो पुराने सदस्य हैं बोल रहे हैं, उसको आप रोक सकते हैं क्या ? (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : नाम आएगा वही आएगा, आपके कहने से नाम नहीं आएगा। (व्यवधान) सर्वप्रथम कनिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार, लेखाकार प्रबंधक पद पर निरन्तर कार्य करता रहा। इसने अपनी छवि बैंक में इस तरह की बना रखी थी कि आसानी से कोई नहीं कह सकता था कि इतना ईमानदार व्यक्ति भी, कोई गड़बड़ कर सकता है। चूंकि यह व्यक्ति प्रारम्भ से ही लेखा शाखा में पदस्थापित था बैंक की लेखा शाखा से संबंधित सभी डाक आदि का काम डाक खोलना, निष्पादन करना और डाक बनाना आदि का काम यही करता था, अत: इसके द्वारा किये गए घोटालों में डाक स्तर पर ही खतम कर देता था और अपेक्स बैंक से प्राप्त लेखों के चार्ट्स जिसमें डाक आदि की सूचना आती थी उन्हें अपने स्तर पर ही काट-छांट करके बैंकों को गुमराह करता रहता था। श्री बावेल ने अन्य बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर 29.93 लाख की राशि का गबन किया इसकी प्रथम जानकारी विभाग को दिनांक 20.9.99 को प्राप्त हुई। विभाग ने तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.9.99 को अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) को जांच अधिकारी नियुक्त किया। केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुर ने दिनांक

(श्री खेतसिंह राठौड़)

12.10.99 को अवगत कराया कि गबन की राशि बहुत ज्यादा है और 1 करोड़ 5 लाख 48 हजार तक पहुंच चुकी है, अत: प्रमाण की गम्भीरता को देखते हुए विभाग ने 13.10.99 को स्पेशल आडिट शाखा को पाबन्द कर राजस्थान सहकारी समितियों के अधीनस्थ धारा 68 के अन्तर्गत इस प्रकरण की विस्तृत आडिट 93 से लगाकर आज तक की करवाई। उस आडिट के नतीजे में यह निकला है कि कुल 1 करोड़ 52 लाख 63 हजार रुपये का गबन पाया गया। (व्यवधान) गबन की राशि...

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो क्या करें ? क्या कर सकते हो आप, उनको सुनिये। आपको बोलने का मौका देंगे ना। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : पहले भी इसी सदन में व्यवस्था दी थी... (व्यवधान) इनको बचाया जा रहा है। सस्पैण्ड कराया जाए। घपला किया है किशोरसिंह ने, नाम लगा रहे हैं बावेल का।

श्री हीरालाल विश्नोई : रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी नहीं (व्यवधान) और सदन के पटल पर रखी नहीं है। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : मंत्रीजी उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : मंत्री महोदय, आप असत्य पढ़ रहे हैं, हमारे पास सबूत है। यह जो भी कर रहे हैं, हमारे पास सबका सबूत है। इस तरह यह गुमराह कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : एम.डी. का नाम है (व्यवधान) मंत्रीजी सस्पेंशन करो इनका, मंत्रीजी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से फरमाएं कि मेरा पूरा स्टेटमेंट सुन लें उसके बाद आप जो क्वेश्चन करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : माननीय मंत्रीजी का पूरा स्टेटमेंट आ जाने दो उसके बाद बचाने ना बचाने की बात मालूम पड़ेगी। (व्यवधान) पहले स्टेटमेंट पूरा पढ़ने दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : रामअवतार को सस्पैण्ड किया गया। (व्यवधान)आज यह नाम नहीं पढ़ रहे हैं, यह बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अभी बचाने का सवाल नहीं है इन्हें पूरा पढ़ने दो।(व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : इस सदन में फैसला देना पड़ेगा, पूरा जवाब आने दो।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मामला पूरे राजस्थान का है, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान) इन 8-10 साल में इन तीनों बैंकों में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर में। जो भी अपराधी हो किसी भी प्रकार का हो कोई संरक्षण नहीं होगा, इस सदन में आज फैसला होगा। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : पिछली सरकार के कारनामे इस सरकार में बैठे मंत्री ही बचा रहे हैं (व्यवधान) पिछली सरकार के कारनामों को... (व्यवधान) यह मंत्री बचा रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह गरीब किसानों का पैसा है। हड़प गया वो बख्शा नहीं जाना चाहिए। अनुदान का पैसा सब बंदरबांट कर गए। तीनों बैंकों की रिपोर्ट साफ कहती है इतने वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के राज में 8 साल तक संरक्षण देते रहे, इस राजस्थान में पारदर्शी, संवेदनशील सरकार को आज फैसला करना होगा।(व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : सदन में नहीं रख रहे हैं। (व्यवधान) बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामलालजी बिराजिए (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिए। एक मिनट, माननीय सदस्य इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आप मंत्रीजी का जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री के.सी.विश्नोई : उस दिन आपने व्यवस्था दी थी सस्पैण्ड करने की, आज भी व्यवस्था दीजिए सस्पैण्ड करने की। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : 1 करोड़ 52 लाख का एक... (व्यवधान) गबन कर सकता है। मंत्री महोदय प्रबंधक का नाम नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी प्रबंधक था उसका नाम नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या सुनें... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जो कुछ भी यह पूछ रहे हैं, यह स्पष्ट हो जाता है तो इसमें क्या दिक्कत आएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिए प्लीज।

श्री हीरालाल विश्नोई : वह प्रबंधक वहां क्या कर रहा था उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी उसका नाम आप नहीं पढ़ रहे हैं, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री महोदय गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा निवेदन है मंत्री महोदय का स्टेटमेंट पूरा सुन लें।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही सीरियस बात कह रहे हैं कि जान-बूझकर के नाम नहीं पढ़ा। तो मंत्री महोदय, अगर कहीं नाम हो तो जानकर के छिपाएं नहीं, नाम हो तो पढ़ दीजिए, स्थिति शांत हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सरदार साहब, बिराजिए, एक मिनट, एक मिनट बिराजिए, आप बिराजिए। (व्यवधान) सुनो तो सही आप।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जान-बूझकर उसका नाम ही नहीं पढ़ रहे हैं। ...(व्यवधान) रिपोर्ट के एक हिस्से में से एक आदमी का नाम हटा करके ऐसे पढ़े जा रहे हैं। ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज, आप बिराजिए।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह सरकार पारदर्शी है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, बिराजिए, रामूजी, आप बिराजिए। प्लीज, आर्डर आर्डर।

श्री केसाराम चौधरी : यह संवेदनशील और पारदर्शी सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : यह पुरानी सरकार का +++ है, यह क्यों ढोये जा रहे हैं, बताइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, प्लीज, एक मिनट, बिराजिए। (व्यवधान) बिराजिए, रामूजी। आप एक मिनट, बिराजिए तो सही। एक मिनट, आप कृपा करके, आर्डर, आर्डर, प्लीज। न तो मंत्रीजी ने कहा, मैं सस्पैंड नहीं करूंगा, न मंत्रीजी ने अभी कोई बात कही। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। आप पूरी बात तो सुनें उनकी।

श्री हीरालाल विश्नोई : उस प्रबन्धक का नाम क्यों नहीं पढ़ा। एक लिपिक का नाम ले रहे हैं जांच में और प्रबन्धक का नाम नहीं पढ़ रहे हैं, मुख्य ...(व्यवधान) इससे ज्यादा दु:खद स्थिति क्या हो सकती है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय सदस्य, पेशेंस रखें। मंत्रीजी का जवाब आने तक पेशेंस रखें उसके बाद में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : आप सुन नहीं रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में, पढ़ने तो दीजिए, किसी को पेशेंस ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह इनका स्टेटमेंट सुनना पड़ेगा। आपको उसके बाद में बोलने का मौका दूंगा। फिर बात क्या है ? (व्यवधान) You have to listen to him. What is the problem ? प्राब्लम क्या है, आप बिराजिए, प्लीज। आप बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सस्पैंड करें, नहीं करें, वह सरकार का सवाल है। (व्यवधान) मैं तो यह कह रहा हूं कि एक लिपिक चम्पालाल का नाम पढ़ा जा रहा है और प्रबन्धक का नाम नहीं पढ़ा जा रहा है। एक करोड़ 52 लाख के घोटाले में, आप यह मान सकते हैं क्या...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, सीधा-सीधा इसका उपाय है, रिपोर्ट टेबल करवा दीजिए जो यह सारी असमंजस की स्थिति है, वह स्पष्ट हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो प्रोसीजर को समझते हैं ना।

श्री रामलाल जाट : आप प्रोसीडिंग्स देखिये, उस रोज क्या हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए, आप बिराजिए। आप प्रोसीजर को समझते हैं। Let the Minister reply. उसके बाद आपको जितना आप बोलना चाहेंगे, मैं बोलने का मौका दूंगा। न तो इन्होंने कोई फैसला किया है कि मैं सस्पैंड नहीं करूंगा, न इन्होंने कुछ कहा कि कार्यवाही नहीं करूंगा। आप बैठिए...(व्यवधान) बात बात पर, हीरालालजी, बैठिये। इतना उत्तेजित होने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप पहली बात, इनका पूरा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

स्टेटमेंट सुन लीजिए। उसके बाद, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं, इतना कोई, बहस समाप्त नहीं हुई,मैं कोई समाप्त कर रहा हूं क्या बहस को। बहुत से सदस्य बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दूंगा। आप उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आप बोलें। जितने बोलने चाहेंगे, बोलने का मौका दे दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट पूरी पढ़ रहे हैं या अधूरी पढ़ रहे हैं। सवाल इतना ही है। क्योंकि इस रिपोर्ट में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं है तो आप बोल देना ना बाद में।

श्री शिवनाथ सिंह : मान्यवर, यह रिपोर्ट पूरी पढ़ रहे हैं या अधूरी पढ़ रहे हैं। इतना ही सवाल है। इनकी पूरी रिपोर्ट ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये अधूरी पढ़ें या पूरी पढ़ें। यह तो आपका काम है नहीं। अधूरी पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, पूरी पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। आप कह देना ना कि अधूरी है।(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह हमारा काम है, उपाध्यक्ष महोदय, आप पूरी जांच करवाना चाहते हैं, अधूरी थोड़े ही ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तो आप कह देना ना कि अधूरी है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, उनको टेबल करवा दीजिए, बस टेबल करवा दीजिए और कुछ नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह देना। आप कह देना वह अधूरी है, इसमें क्या बात है। आप कह देना। सुन तो लें उनको। आप उनको सुनो तो सही पहले। जल्दबाजी क्या है इसमें, इतनी जल्दबाजी क्या है। (व्यवधान) मैं तो कोई यह है नहीं कि मंत्रीजी के स्टेटमेंट के बाद आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं, बोलने की इजाजत दे रहा हूं। बोलने की इजाजत दे रहा हूं ,आपको प्रश्न करने की इजाजत दे रहा हूं फिर सुनना तो पड़ेगा ना उनको। Let him finish.

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय सदस्यगण, मैं मेरा स्टेटमेंट पढ़ लूं उसके बाद में आप हरेक प्रश्न पूछ सकते हैं और जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका मैं बराबर जवाब दूंगा। इसलिए इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछेंगे तो जवाब देंगे।

श्री रामलाल जाट : मैंने 2 तारीख को प्रश्न लगाया था, उस प्रश्न का जवाब दिया इन्होंने, जवाब में इन्होंने कहा...

श्री उपाध्यक्ष : रामलालजी, आपको बोलने का मौका देंगे ना, पहले इनको सुन लें।

श्री रामलाल जाट : उसमें इन्होंने बताया था, उस रोज की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लीजिए। उस दिन बोलने दिया क्या, सारे आदमी यहां आ गए, उठ-उठकर, सैक्रेटरी लोगों से बात करके उनको सस्पैंड करने की घोषणा की थी। सारे यहां के मंत्री सरकार के...

श्री के.सी. विश्नोई : गड़बड़ी कर दी। (व्यवधान) रामावतार की ...

श्री उपाध्यक्ष : आप, इतने पुराने सदस्य हैं, आप समझ नहीं रहे हैं बात को। यूं ही

(श्री उपाध्यक्ष)

समझ नहीं रहे हो। (व्यवधान) मना कर रहा हूं क्या आपको, इनको पूरा सुनेंगे नहीं, बोले जा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वर्ष 75-76 से 98-99 तक निरन्तर नाबार्ड, अपेक्स के निरीक्षण दलों द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ ही विभागीय कांकरेट आडिटरों से भी नियमित रूप से हर वर्ष में, इस संस्था का, प्रतिदिन आडिट किया गया। प्रतिवर्ष आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती रही जिसमें भी कहीं पर भी बैंकिंग विशेषज्ञों द्वारा इस गबन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। गंभीरता से देखते हुए आडिट रिपोर्ट 93-94 से 2000 तक के आधार पर बैंक द्वारा सम्बन्धित पुलिस स्टेशनों पर वर्षवार सात एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। पुलिस अनुसंधान जारी है। दोषी श्री इन्द्रसिंह बावेल और उनके सहयोगी बैंक कर्मी श्री महावीर सिंह, श्री जीवनसिंह, श्री मंगलसिंह, श्री सुमित चन्द जैनं के विरुद्ध धारा 74 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर दोषियों को पकड़ लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इनकी तफतीश जारी है। मुख्य अभियुक्त भी इन्द्रसिंह बावेल व उसके दोनों पुत्र जयन्त, दिवाकर व इनकी साझीदार फर्म राकेश अलावत गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य दोषी श्री इन्द्रसिंह बावेल 6.4.2000 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। मैसर्स पिंकसिटी पेपर कन्वर्ट के मालिक राजेन्द्र जैन को भी दिनांक 24.2.2000 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया जो कि पुलिस की रिमाण्ड में है। तफतीश जारी है और ज्यों-ज्यों इसकी तफतीश में अन्य लोगों के नाम आते रहेंगे उनकी भी गिरफ्तारी होती रहेगी और इस प्रकार से आगे कानूनी कार्यवाही चलती रहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलें, हीरालालजी बोलें। (व्यवधान) अब बोलें ना।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैंने स्पष्ट किशोर सिंह पर जो आरोप लगाया है और जिस तरीके से मंत्री महोदय ने जवाब दिया, एक तो चम्पालाल का दिया है और चम्पालाल क्या पद पर था, साहब, क्या पद पर था। एक कोआपरेटिव एम.डी. क पद पर रहते हुए वह वितरण हुआ उसकी स्वीकृति एम.डी. साहब देते हैं, वह इन्द्रसिंह बावेल क्या था, वह दोषी कहा गया और जो किशोरसिंह, जो प्रबन्धक था वह दोषी नहीं पाया गया।

श्री अमीन खान : उसमें एम.डी. के दस्तख्त (व्यवधान) नहीं होते, वह बावेल दस्तख्त करता था, चम्पालाल जैन दस्तख्त करता था, एम.डी. के दस्तख्त उस पर नहीं होते थे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : बावेल क्यों दस्तख्त करता था, जब एम.डी. वहां खुद मौजूद है फिर बावेल दस्तख्त क्यों करता था ?

श्री अमराराम चौधरी : चम्पालाल के समान कोई ईमानदार इस कोआपरेटिव में है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपा करके, एक मिनट बिराजिए, आप कृपा करके, आर्डर, आर्डर। देखें, एक बात सुन लीजिए, जितने माननीय सदस्य बोलेंगे, बोलने दूंगा।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप समझ रहे हैं, लेकिन क्या आप इसको चलाना चाहते हैं, चर्चा को, तो तरीके से चलवाएं। इधर से खड़ा हुआ, उधर से खड़ा हुआ, ऐसे कैसे चलेगी चर्चा। आप अपनी बात पूरा कर लीजिए। दूसरे को बोलने का मौका दे दूंगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : मैं मेरी बात कह रहा हूं। तत्कालीन जिला कलक्टर, यह रिपोर्ट है, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा करवाई गई जांच दिनांक 16 मार्च, 92 में से, इस प्रकार के फर्जीवाड़े को बैंक कर्मियों के सहयोग से करवाया जाना प्रमाणित किया गया। इस प्रकरण में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक सर्व श्री किशोर सिंह राठौड़, श्री रामचन्द्र सिंह जोधा को प्रथम दृष्ट्या अनियमितता करना पाया गया। यह जिला कलक्टर की रिपोर्ट... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार संवेदनशील है, पारदर्शी है, यह जवाब दे, ये क्यों नहीं समझ रहे। मेरे को इस बात का कारण समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों के अनुसार... (व्यवधान) भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की सिफारिश की। यह जिस तरीके से इन्होंने पाया, जिला कलक्टर ने कहा कि आप इस का मुकदमा दर्ज करवाइये, भ्रष्टाचार निरोधक के वहां पर मुकदमा दर्ज करवाएं। इन्होंने, आज दिन तक विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। तो क्या यह दोषी नहीं था, यह तत्कालीन जिला कलक्टर ने गलत रिपोर्ट दी ? उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक-एक का जवाब दूंगा, आप बिराजो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, पहले बोल लेने दें। बिराजिए ना, जल्दी क्या है ?

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री बावेल एवं श्री जैन ने बताया कि हमने खाली चैक पर हस्ताक्षर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशकों के आदेश पर किये। श्री इन्द्रसिंह बावेल जयपुर जा रहे हैं अत: बैंक हित में खाते की स्थिति देखकर चैक, डी.डी. भर लेंगे एवं प्रबन्ध निदेशक की सहमति है। श्री बावेल की वरिष्ठता एवं भरोसे से हमने हस्ताक्षर किये। यह उनकी जांच की रिपोर्ट के अन्दर यह कहा गया कि बावेल, उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रबन्धक किशोर सिंह राठौड़ जो कि जयपुर जा रहे हैं, आप खाली चैक पर दस्तख्त करके दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : उन्होंने विश्वास में आकर, अपने एम.डी. के विश्वास में आकर तत्कालीन जो भी था, उसको दे दिया गया और आज वह कह रहे हैं कि वह दोषी पाया गया। बावेल दोषी पाया गया, कैसे बावेल दोषी पाया गया ? एक करोड़ 52 लाख का जो गबन था, इसी तरीके की जांच जो अभी विचाराधीन है। एक और दूसरा जो इन्होंने, उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो इन्होंने रफ, उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक को तो यह कोई

(श्री हीरालाल विश्नोई)

इन्द्रसिंह बावेल था और दूसरा उसमें भीलवाड़ा के अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, किशोर सिंह राठौड़ तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा किया गया। 1991-92 के अन्तर्गत आई. आर. डी. पी., यह 1991-92 का घोटाला है। आप स्वयं, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा क्षेत्र में बिराजते हैं, वहां से पधारते हैं। 1991-92 का जो प्रकरण है, आज दिन तक विचाराधीन है। उसकी जांच हुई और जांच में यह तथ्य सही पाया गया फिर आज दिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री महोदय ने जो रिपोर्ट पढ़ी है उसके अन्दर भी एक भी अक्षर जो तत्कालीन प्रबन्धक किशोर सिंह राठौड़ के नाम तक पर आज दिन तक यह नहीं बोले। क्या यह लीपापोती करके बचाना नहीं चाहते? उपाध्यक्ष महोदय, यह सब तथ्य के साथ है जो भी जांच हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप लोग सुनना चाहते हैं या इसको खतम करें ? विश्नोईजी, आप सुनना चाहते हो या इसको खतम करें ?(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच रिपोर्ट है। उपरोक्तानुसार जांच किये जाने पर बिन्दुवार निम्न स्थिति बनती है। आई.आर.डी.पी. (एम) वितरण, इस षड्यंत्रतापूर्ण ऋण वितरण में वर्ष 1991-92 के लिए 1183 सदस्यों को 34 लाख 86 रुपये का, 24.49 लाख रुपये का अनुदान देकर 22.42 लाख रुपये की वसूली, कुल जमा कर कर, प्रमाणित होता है कि उक्त अनुदान राशि रुपये 24.54 लाख रुपये के करीब दुरुपयोग हेतु राज्य अन्वेषण ब्यूरो से आपराधिक षड्यंत्र की जांच तथा दोषपूर्ण ऋण वितरण कर वसूली हेतु तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह जांच रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके का जो ऋण लिया गया उसको वापस तत्कालीन ने वसूल किया। वसूल करके जितनी भी सब्सिडी थी, 24 लाख की वह हड़प कर गए और उसकी जांच रिपोर्ट के अन्दर हमारे मंत्री महोदय उनका नाम तक कोट नहीं कर रहे हैं तब क्या वह लिपिक और उन्होंने पैसे खा लिए ? उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो तथ्यों की जांच होनी चाहिए।

इसी तरीक से 1992-93 में षड्यंत्रपूर्ण ऋण वितरण में 523 सदस्यों के 26.94 लाख रुपये के ऋण वितरण, 16.41 लाख के अनुदान वितरण तथा 20.3 लाख रुपये की वसूली, कुल जमा होना प्रमाणित होता है। अतः अनुदान राशि रुपये 16.41 लाख के कथित दुरुपयोग हेतु राज्य अन्वेषण ब्यूरो से आपराधिक षड्यंत्र की जांच तथा दोषपूर्वक ऋण वितरण एवं वसूली हेतु तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ एवं रामचन्द्र जोधा के विरुद्ध कठोर अनुशासन कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी कार्यवाही रिपोर्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, अब आपने जो विवरण पढ़ा है, उसके जांच के अन्दर एक तथ्य है और एक नाम जो किशोर सिंह राठौड़ का इनका दिया ही नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, यह षड्यंत्र है। मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि जिस तरीके की यह सूचना दी गई थी जिससे यह साबित होता है कि हमारे मंत्री महोदय जो उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए उनको

(श्री हीरालाल विश्नोई)

बचाने में लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन 1991-92 की भारतीय जनता पार्टी के राज में घोटाले हुए। इसको हमारे मंत्री महोदय बचा रहे हैं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। एक रामावातार की रिपोर्ट इन्होंने पढ़ी ही नहीं सदन में और कह दिया कि रामावतार की रिपोर्ट में यह दोषी पाया गया है रणवा, उसको तो आपने तत्काल सस्पैंड का आर्डर दे दिया। चूंकि वह इस तरीके का आदमी है इसलिए उनको यह बचाना चाहते हैं, यह जो कार्यवाही हो रही है, विधान सभा के अन्दर पक्षपात नहीं चलता है। यहां जो भी निर्णय होता है वह भेदभाव बिना होता है। चाहे मेरा भाई भी हो तो जो गुनाहगार है, वह बख्शना नहीं चाहिए और जो गुनाहगार नहीं है उसको तो आप फांसी चढ़ा दो और जो गुनाहगार है उसको आप रिकार्ड में भी नहीं बता रहे हो (व्यवधान) इस तरीके की पक्षपातपूर्ण कार्यवाही नहीं चलेगी। मैं इतना ही कहकर आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपारामा। (अनुपस्थित) श्री मंगलाराम गोदारा। श्री अशोक तंवर। (अनुपस्थित) श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, यह गोदाराजी बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो-बोलो। गोदाराजी बोलो।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करें, जिससे कि आगे भ्रष्टाचार नहीं फैले। ऐसा ही प्रकरण मेरे चूरू में भी है। मंत्रीजी को मैंने लिखकर भी दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इन तीन की ही बात करो आप।

श्री मंगलाराम गोदारा : पूरा राजस्थान का ही है, यह भ्रष्टाचार का मामला है इसलिए मैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान का नहीं करना चाहते। सिर्फ तीन की ही बात करना चाहते हैं।

श्री मंगलाराम गोदारा : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यही कहना चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाए, सस्पैंड किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामलाल। आर्डर, आर्डर।

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बैंक वाला मुद्दा उठा, यह चल रहा है। दो तारीख को मैंने एक इस सम्बन्ध में प्रश्न लगाया था। उस प्रश्न में मैंने मंत्रीजी से पूछा था कि एक जनवरी, 1992 से 31 मार्च, 1993 तक भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में, ग्राम सेवाओं के सी.सी. लिमिट में, अकृषि, भारी अनियमिताओं की शिकायत विभिन्न जन-प्रतिनिधियों व संगठनों, नाबार्ड व शीर्ष बैंकों की है, यदि हां, तो किन-किन की, विवरण सदन की मेज पर रखें। यह मैंने पूछा था और आपका जवाब आया था। मंत्रीजी

(श्री रामलाल जाट)

यह सदन बना है जब से आ रहे हैं। इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं। कितनी ही सरकारें देखीं और सरकार में रहे हैं लेकिन जो शक की सूई ऊपर गई इस हिसाब से मैं इसमें कहना चाहता हूं कि आपका जवाब आया, जी, हां। निम्न जन-प्रतिनिधियों, संगठनों,शीर्ष बैंक एवं नाबार्ड ने अपने वैधानिक निरीक्षण प्रतिवेदनों में अनियमितताओं को उल्लिखित किया है। जब छह-छह, सात-सात बार उसकी जांच हो गई , उस समय अध्यक्ष, राजस्थान बैंक एम्प्लाइज यूनियन, शाखा भीलवाड़ा ने एक शिकायत की थी कि इसमें घोटाला हो रहा है। सब्सिडी,एक आदमी को लोन मिला दस हजार, दस हजार की सब्सिडी है, उस आदमी को पता ही नहीं है। बैंक के मैनेजर साहब ने वहां पर जो भी लोगबाग मिलने वाले थे, उन लोगों ने उस समय मिलकर उसकी भरपाई कर ली दस हजार रुपये उसको दे दिये, काश्तकार को और वापस दूसरे दिन ही यहां सेम डे ही वापस जमा हो गए और वह सब्सिडी उठा ली गई। दूसरा, उस समय अध्यक्ष था, नानूरामजी कुमावत, अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक। उस समय भारतीय जनता पार्टी का राज था और यह कांग्रेस से बिलांग करते थे। इन्होंने शिकायत की और उस समय इसकी जांच हुई। उसके बाद तीसरा था ओमप्रकाश, उपाध्यक्ष, आल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्प्लाइज, यूनियन, भीलवाड़ा, इसने भी उसी समय कम्प्लैंट की थी, उसमें भी जांच हुई थी। अखिल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्प्लाइज, इसने भी शिकायत की थी। टोटल व्यवस्थापकों के खिलाफ शिकायत की थी। उसके बाद कोआपरेटिव आफिसर एसोसिएशन राजस्थान शाखा, भीलवाड़ा और उसके बाद नाबार्ड और शीर्ष राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट, यह आडिट हुई थी, उसी रिपोर्ट में भी उस बैंक में जो प्रबन्धक था, उसको उसमें उन्होंने दोषी बताया। फिर मंत्रीजी ने बताया। मैंने यह पूछा कि क्या यह सही है कि तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा की गई अनियमितताओं को रफा-दफा करने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें। तो मंत्रीजी ने जवाब दिया था, जी नहीं। राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत दिनांक 28 मार्च को, 2 तारीख को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न लगा था और 28 मार्च को जांच के आदेश जारी कर दिये गए और जांच अधिकारी बनाया एस.डी. चारण साहब को और उनकी 12.4.2000 को जांच रिपोर्ट आ गई। 28 तारीख को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालालजी, सुनो न अब आप।

श्री रामलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को इन्होंने जांच अधिकारी नियुक्त किया धारा 70 के अन्तर्गत। जवाब 2 तारीख को आया और उसके बाद 28 तारीख को इन्होंने जांच अधिकारी नियुक्त किया और दिनांक 12.4 को जांच अधिकारी की रिपोर्ट यह आ गई धारा 70 की। इसके अन्दर निष्कर्ष में, यह पूरी जांच रिपोर्ट है, जांच अधिकारी एस.डी. चारण साहब ने जांच की, इसमें उन्होंने लिखा है कि आई.आर.डी.पी. ऋण वितरण में, इस

(श्री रामलाल जाट)

षड्यंत्रपूर्वक ऋण वितरण, वर्ष 1991-92 के लिए 1183 सदस्यों को 34.46 लाख रुपये का ऋण, 24.49 लाख रुपये का अनुदान देकर 22.42 लाख रुपये की वसूली पुन: जमा करना प्रमाणित होता है। अत: अनुदान राशि 24.49 लाख रुपये के कथित दुरुपयोग हेतु राज्य अन्वेषण ब्यूरो से आपराधिक षड्यंत्र की जांच तथा दोषपूर्ण ऋण वितरण एवं वसूली हेतु तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह अभी जांच रिपोर्ट आई है, उसमें है। फिर उन्होंने दिया कि वर्ष 1992-93 के लिए षड्यंत्रपूर्ण ऋण वितरण में 523 सदस्यों को 26.64 लाख रुपये का ऋण वितरण किया उसमें भी 20.3 लाख रुपये की वसूली पुन: जमा कराना प्रमाणित होता है। इसमें 16.41 लाख रुपये के कथित दुरुपयोग हेतु राज्य अन्वेषण ब्यूरो से षड्यंत्र की जांच दोषपूर्वक ऋण वितरण एवं वसूली हेतु तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ एवं श्री रामचन्द्र सिंह जोधा के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। यह अभी जांच रिपोर्ट आई उसके बाद एक और आई। खरीफ की फसल में 1991 में 101.5 लाख रुपये का अंशकालीन ऋण दिया है इसमें भी इसी तरह बैंक अधिकारी ने तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक किशोर सिंह राठौड़ के विरुद्ध षड्यंत्रपूर्वक कूट रचना हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही प्रस्तावित है। इतना उन्होंने दिया। छह संस्थाओं ने उनकी शिकायत की। तत्कालीन जिला कलक्टर ने उसकी जांच की, उसमें वह दोषी पाया गया। उसके बाद मैंने क्वेश्चन लगाया, मंत्रीजी का जवाब आया। उसमें धारा 70 में इन्होंने जांच अधिकारी एस.डी. चारण को नियुक्त किया। उसके बाद 28 तारीख़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया, 12.4. को इनकी वह रिपोर्ट आ गई जांच निष्कर्ष की। 20-30 विधायकों ने मिलकर आपके साथ खाना खाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तब भी आपको कहा और तत्काल आपने हमें ले-जाकर वहां पर उनको कहा था। उससे पहले हम कोई अविनाश रणवा को नहीं जानते, न ही किशोर सिंह राठौड़ को जानते लेकिन जो सरकार का उद्देश्य है, भैरोंसिंहजी ने कहा था भ्रष्टाचार नाकों से निकाल देंगे, उनसे तो नहीं निकला, उनके राज में हो गया। लेकिन जब अपनी सरकार आई, उसमें इन्होंने जो वादे किये उसका 22 तारीख को वह नमूना पेश किया है। उसमें उसको सस्पैण्ड किया। इसमें 6 एम्पलाइज तो उस समय तत्कालीन जो उसका चेयरमैन था, उसने शिकायत की। नाबार्ड जैसी संस्था की आडिट रिपोर्ट में आया। मंत्रीजी ने जांच अधिकारी नियुक्त किया, उस अधिकारी ने जांच की, उसकी रिपोर्ट आ गई। वह रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। रिपोर्ट तो दूसरा अधिकारी कहीं बांटता फिर रहा था, यह पता नहीं कहां से आई ? यह उसकी रिपोर्ट है, चाहे तो मैं सदन की मेज पर रख दूंगा। (व्यवधान) इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आप तत्काल जिस तरह 22 तारीख का उदाहरण पूरे राजस्थान में गया, वैसे, इस भ्रष्टाचार अधिकारी को तत्काल सस्पैण्ड किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। देवीलाल जी, बिराजें। आप बिराजें।

श्री रामलाल जाट : उसके बाद आप कोई कार्यवाही करो, उसके बाद जांच करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार मीणा। (अनुपस्थित) श्री शंकरलाल अहारी। (अनुपस्थित) डा. रतनलाल जी जाट।

डा. रतनलाल जाट (सहाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला भीलवाड़ा के सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक से संबंधित है, इसलिए मैं भी इस चर्चा में भाग लेना चाहूंगा। तीन बैंकों यहां बात की गई है पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर और इन तीनों बैंकों में मिलाकर करीब 9 करोड़ रुपये के घोटाले की बात आई है। यह घोटाला, माननीय मंत्री महोदय...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह सब आपके वक्त में हुए हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह घोटाले कब-कब के हैं ? कौन-कौन से समय के हैं घोटाले ?

एक माननीय सदस्य : बिराजिए, घोटाला आपके समय का है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, घोटाले कभी के हों, अब जांच तो आप करवा सकते हो न, उसमें क्या दिक्कत है ? +++ (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह 1991-92 में शुरू हुए।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्य बोल रहे हैं, तब तो रुको।

डा. रतनलाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीनों सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर में ऋण वितरण और जो सब्सिडी दी गई थी उसके बारे में घोटाले हुए हैं और खास तौर से यह घोटाले बैंक के एम.डी. और उसके सहायक कर्मचारियों ने, अधीनस्थ कर्मचारियों ने मिलकर किये होंगे। यह मैं सोच सकता हूं कि एक आदमी अपने स्तर पर ही इतना बड़ा घोटाला कर ले, यह कतई सम्भव नहीं है। वहां तीनों बैंकों के एम.डी. और वहां के अधीनस्थ कर्मचारियों ने मिलकर के इस प्रकार के घोटाले किये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सहकारिता मंत्रीजी, अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से मुझे ऐसा लगता है चाहे हमारे कांग्रेस के 25-26 माननीय सदस्यों ने आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दस्तख्त करके दिये हैं, सब उत्तेजित भी हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो न्याय की आशा प्रतीत नहीं होती है। सरकार पारदर्शी होने की बात कह रही है और खास तौर से भ्रष्टाचार मुक्त होने की जो बात कर रही है, मैं समझता हूं कि राज्य सरकार का यह वादा खोखला साबित हो रहा है। निश्चित रूप से... (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा यह जो हमारे माननीय सदस्य जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के लिप्त होने की बात कर रहे हैं करोड़ों रुपये के घोटाले में, मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से कार्यवाही करके उसको निलम्बित करें। मैं आपकी ही बात का सपोर्ट कर रहा

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(डा. रतनलाल जाट)

हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सहकारी संस्थाएं हैं, यह वास्त्व में किसी भी कल्याणकारी राज्य की प्राथमिकता वाली संस्थाएं हैं, खास तौर से सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक और ग्राम सेवा सहकारी समितियां। इन सहकारी समितियों में खास तौर से जो बैंकों की बात की गई है, इन बैंकों में मैं भीलवाड़ा बैंक के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

भीलवाड़ा बैंक में लाखों रुपये के घोटाले की बात की गई है और किशोर सिंह राठौड़ और रामचन्द्र सिंह जोधा उस समय वहां थे, उनके समय के घोटाले की यह बात है। बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार बैंक ने 1991-92 में दिये गये अंशकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋणों में बगैर काश्तकारों की किसी मांग के उन्होंने यह बदलाव किया है, यह चेंज किया है। इसके साथ ही साथ बैंक ने अप्रैल, 1991 से 1994 तक आई. आर. डी. पी. के तहत 1796 काश्तकारों को साढ़े 61 लाख रुपये का ऋण दिया गया और 41 लाख 30 हजार का अनुदान दिया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, बैंक के उस समय के अध्यक्ष, जैसा कि बनेड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने भी यह कहा है, वहां के कर्मचारियों ने मिलकर उस समय शिकायत की थी जिनका नाम बार-बार आ रहा है, किशोर सिंह जी राठौड़ के खिलाफ और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ उस समय कलक्टर महोदय ने जांच करवाई थी। ए.डी.एम. को नियुक्त किया गया था और वह जांच 16.3.93 को कराई गई थी और उसमें इन सब अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की गई थी। इन्होंने मिलकर के इस प्रकार की अनियमितताएं ऋण वितरण में और सब्सिडी में की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नाबार्ड ने स्वीकार किया है कि अनियमितताएं हुई हैं। इनके अपेक्स बैंक, शीर्ष बैंक ने भी यह स्वीकार किया है कि यह अनियमितताएं जान-बूझकर करवायी गई हैं और समस्त ऋण सत्यता से संदिग्ध हैं। इस तरह अपेक्स बैंक ने और नाबार्ड बैंक ने इन अनियमितताओं को उस समय स्वीकार किया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा बैंक में अकेले उसी बैंक में सरकारी अनुदान, सब्सिडी 40 लाख 90 हजार को उन्होंने आपराधिक षड्यंत्रपूर्वक हड़पने की उसमें बात कही गई है। इसके साथ-साथ इसी प्रकरण में तत्कालीन एम.डी. श्री किशोर सिंह राठौड़ और रामचन्द्र सिंह जोधा ने मिलकर यह अनियमितताएं 40.90 लाख रुपये की की हैं, जो कि प्राथमिक दृष्टि से यह अनियमितताएं प्रथम दृष्टया सही पाई गई हैं।

भीलवाड़ा में तो अनियमितता जिस प्रकार से की गई है उसमें यहां तक की सीमा है कि एक फर्म माहेश्वरी किराना स्टोर से माल खरीदना बताया गया है। कच्चे कागजों पर रसीदें ली गई हैं- माहेश्वरी किराना स्टोर। और माल क्या खरीदा गया है ? हाथकरघा का सामान खरीदा गया। मैं सोचता हूं कि माहेश्वरी किराना स्टोर पर हाथकरघा का सामान मिलता हो और कच्ची रसीदों पर इस प्रकार का लेनदेन करके ऋण वितरण किया है, एक बहुत घोटाला इस भीलवाड़ा बैंक क बारे में किया है।

(डा. रतनलाल जाट)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे बैंक की जहां तक बात है, पाली के बारे में सारी विस्तृत जानकारी हमारे अपने साथियों ने दी है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के गरीबी की रेखा के नीचे चयनित व्यक्तियों को, पाली बैंक की बात कर रहा हूं, वित्त पोषण के मामले में बैंक से उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह तथ्य उजागर हुआ है कि कुछ ऋणी सदस्यों के वित्त पोषण के तत्काल बाद ऋण वसूली कर ली गई थी। विषय की गंभीरता को देखते हुए विभाग द्वारा इस संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 70 के अंदर जांच आदेश 22.7.99 द्वारा जारी किये गये थे और इसके तहत उन्होंने 2 करोड़ 72 लाख 40 हजार रुपये का खाद-बीज इस बैंक द्वारा निजी व्यापारियों से क्रय करा लिया गया और जो निजी व्यापारियों से क्रय करने की बात कही गई है और खास तौर से पाली में जहां 2 करोड़ 72 लाख 40 हजार रुपये की बात आ रही है और इतने बड़े घोटाले की बात है, अकेली एक सहकारी संस्था से, अकेली राबड़ियावास ग्राम सहकारी समिति से 3 लाख का खाद खरीदा गया जबकि इस क्षेत्र की ज़मीनें सीमेंट फैक्ट्री द्वारा अवाप्त की गई हैं। जब जमीनें अवाप्त कर लीं, कोई जरूरत नहीं थी फिर भी तीन लाख का, अकेली एक जी.एस.एस. है, उन्होंने घोटाले की बात स्वीकार की है। एक बहुत बड़ा स्कैण्डल इसमें हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पाली बैंक के बारे में कि इसी बैंक में आनन्दपुर शाखा में 1 करोड़ 70 लाख 66 हजार रुपये की राशि का खाद, बीज और दवाइयां खरीदीं और उसमें बोगस अन-रजिस्टर्ड फर्म के माध्यम से यह ट्रांजेक्शन उन्होंने किया। जी.एस.एस. की संस्थाओं में इस प्रकार के ट्रांजेक्शंस अनियमितताओं द्वारा किये गये। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस घोटाले में जो भी लिप्त हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं, जो तीसरें बैंक की बात की जा रही है, सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर, इस बैंक की आडिट रिपोर्ट के आधार पर सन् 1993 से 1999 तक 112.04 लाख रुपये के गबन करने की बात सामने आई है। जैसा मैंने निवेदन किया है कि अन्य बैंकों में जैसे नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंक तथा आडिट रिपोर्ट के आधार पर, और उस आडिट रिपोर्ट में यह चेतावनी भी दी गई है कि हिसाब-किताब में समय-समय पर उन्होंने किसी प्रकार से मिलान नहीं किया है और इस प्रकार कई प्रकार के लोग अधिकारियों समेत इसमें दोषी हैं। श्री किशोर सिंहजी ने इसमें जान-बूझकर के लापरवाही की है। श्री किशोर सिंह ने बावेल के अभियोजन की स्वीकृति अपील के बहाने लटका कर रखी जिसकी वजह से यह अभियोजन डिले हुए थे। श्री चम्पालाल ने जान-बूझकर तथ्य छिपाकर अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी। श्री जीतेन्द्र जैन ने गबन की जानकारी को चार माह तक छिपाये रखा तथा लोकर खाते उनको आपरेट करने की इजाजत दी।

इसके साथ ही साथ 15 वर्ष पूरे जो मृतक हो गये थे, उन लोगों को उन्होंने ऋण की बात इसमें स्वीकार की है। उदयपुर के सैण्ट्रल

(डा. रतनलाल जाट)

कोआपरेटिव बैंक की आडिट रिपोर्ट में 112.13 लाख रुपये का जो गबन कहा गया है, उसमें अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग लाखों रुपयें का भ्रष्टाचार के आरोप हैं। श्री किशोर सिंह राठौड़ पर 25.93 लाख रुपये की गबन की राशि का आरोप है। श्री नेमीचंद चौहान पर 9.95 लाख रुपये की राशि के गबन का आरोप है। श्री चम्पालालजी जैन पर 38.45 लाख रुपये का आडिट रिपोर्ट में गबन के आरोप हैं। श्री जीतेन्द्र जैन पर 38.10 लाख रुपये की राशि के गबन का आरोप है। उस आडिट रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया है कि इन्होंने इस प्रकार की राशि का गबन किया है।

इसके साथ ही, मंत्री महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि अतिरिक्त रजिस्ट्रार,प्रथम की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भी यह निर्णय किया गया था कि आडिट रिपोर्ट में उल्लिखित दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में प्रकरण दर्ज कराये जाएं। यह एडीशनल रजिस्ट्रार,फर्स्ट ने उस विभाग की जो बैठक ली थी उसमें भी उन्होंने यह निर्णय किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कितने फर्जी लोगों को, जो मरे हुए हैं, उनको उन्होंने दिये थे, इसका एक उदाहरण मैं राजसमंद जिले का देना चाहूंगा। पीपली आचारिन गांव हैं, वहां उन्होंने 1997-98 में धारा 70 की जांच कराई थी वहां 170 सदस्यों में कुल बकाया राशि 8.96 लाख दिनांक 31.3.1998 को बकाया थी। उसमें से 1.34 लाख की राशि सदस्यों द्वारा स्वीकार की गई तथा शेष राशि 7.62 लाख अस्वीकार की गई। यह सही है कि इसी समिति के चार मृतक सदस्यों को 15,650 रुपये का ऋण दिया गया था। यानी, अनियमितता की किस सीमा तक हद है कि उन्होंने मृत सदस्यों को, जो सात-सात आठ-आठ, पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले मर गये थे इस प्रकार से ऋण देने की बात की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आडिट रिपोर्ट, जिसमें सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, उदयपुर की बात है, आडिटर ने, सात-सात आदमियों ने यह आडिट करके और वे लोग इस प्रकार के नतीजे पर पहुंचे हैं। जो अनियमितताएं एम.डी. और वहां के अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों ने मिलकर की हैं, कोई छोटा-मोटा घोटाला नहीं है। यह तो राजस्थान में केवल तीन बैंकों की बात आ रही है, मैं सोचता हूं कि इसी तरह से अन्य सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों की, इन सहकारी समितियों के बैंकों की अगर राजस्थान में जांच कराई जाए, हमारे, प्रतिपक्ष के उप नेता, गुलाब चन्दजी कटारिया ने इस मुद्दे को इसी हाउस में उठाया था और इसमें लगभग एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले की बात कही है, तो वास्तव में मुद्दा तो सीरियस है। भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य को तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, उन सब बातों को उन्होंने स्वीकार किया है। उन्होंने खुद ने इस बात को साइट कर दिया इसलिए मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे मामलों में मंत्री महोदय से निश्चित रूप से अपेक्षा रखूंगा कि उसमें न्याय किया जाए अन्यथा आपके द्वारा

(डा.रतनलाल जाट)

यह पारदर्शी सरकार और घोटालों को उजागर करने की बात और दोषी लोगों को दंडित करने की बात मिथ्या साबित होगी। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल गहलोत। (अनुपस्थित) श्रीमती विजयलक्ष्मी विश्नोई। (अनुपस्थित) श्री मोहन लाल चौहान। (अनुपस्थित)

श्री देवीलाल बैरवा : कोई नहीं उठै तो मैं बोलूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो आप। श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

श्री रिछपाल मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाबदेह, पारदर्शी और संवेदनशील सरकार के सहकारिता मंत्रीजी से आपके माध्यम से तीन-चार प्रश्न करना चाहूंगा।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : हां, यह सही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तरीका यही होता है।

श्री रिछपाल मिर्धा : नहीं, प्रश्न ही करेंगे बाकी तो जो चिट्ठा है, अन्य माननीय सदस्यों ने आपके समक्ष रख दिया है।

क्या यह सही है कि तत्कालीन कलक्टर ने 1993 में सहकारी बैंक, भीलवाड़ा के गबन के प्रकरण में कोई जांच की थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में तत्कालीन अधिकारियों, कर्मचारियों को दोषी पाया गया ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों नहीं की गई ?

क्या यही सही है कि उदयपुर सहकारी बैंक में 13.10.1999 से कोई आडिट कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो आडिटर्स द्वारा अब तक अपनी रिपोर्ट में कितने गबन को प्रमाणित किया है ? कौन-कौन अधिकारी ने कितना-कितना गबन किया है ? बताने की कृपा करें।

क्या यह सही है कि भीलवाड़ा सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 1991-92 में अग्रिम दिये गये खरीफ अल्पकालीन ऋणों को तत्कालीन अधिकारियों द्वारा मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तन की कायवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि इस कार्यवाही को जांच में अवैधानिक माना गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

क्या यह सही है कि अधिकारी धारा 70 की जाचं में दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो इनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जवाब दें उसमें लीपापोती नहीं करें और आप सदन के समक्ष रिपोर्ट पेश करें, सच्चाई बयान करें और सच्चाई के आधार पर इन तमाम अधिकारियों को निलम्बित कर के एक ऐसा संदेश दें राजस्थान की जनता को कि खेतसिंहजी राठौड़ के डिपार्टमेंट में कोई पक्षपात नहीं होता और न्यायपूर्ण कार्यवाही करते हैं। आपसे यही उम्मीद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेमराज कटारा। (अनुपस्थित) श्री रूपलाल। (अनुपस्थित) श्री नाना लाल निनामा। (अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री परसराम मोरदिया । (अनुपस्थित) श्री बाबू लाल नागर । (अनुपस्थित) श्री मांगी लाल डांगा ।

श्री हीरालाल विश्नोई : सबको भेज दिया।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहोगे, मुझे नहीं बोलने दिया। अब मैं क्यों रोकूं ? या तो आप कह दो कि मंत्रीजी का जवाब दिला दो।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन बैंकों की कार्यवाही, संचालंन व्यवस्था, गबन की तरफ आपकी मार्फत माननीय सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही मैं सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 में भाजपा सरकार द्वारा एक संशोधन कर सरकार के हाथ में एक शक्ति ली कि सरकार की जिन सहकारी समितियों में दो लाख या दो लाख से अधिक की भागीदारी है, हिस्सा पूंजी में अंशदान किया है, किसी प्रकार के ऋण के लिए गारंटी दी है उसमें सरकार राजकीय अधिकारी को मुख्य कार्यकारी पद पर नियुक्त करेगी। मैं समझता हूं इसके पीछे मंशा सरकार की यह रही कि जो जन प्रतिनिधि चुने हुए हैं, जो बैंकों के स्वयं के नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो सरकार के द्वारा विनियोजित धन, जनता द्वारा धन, सहकारी संस्थाओं द्वारा हिस्सा पूंजी में विनियोजित धन, जनता द्वारा बैंकों में जमा पूंजी, अमानत के रूप में धन की सुरक्षा करने में असमर्थ रह रहे हैं, असहाय रह रहे हैं या विश्वसनीय नहीं हैं। इस आधार पर प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यकारी पद पर भी विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया।

भीलवाड़ा बैंक के गबन की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने से पहले बताना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा बैंक जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी है, सहकारी संस्थाओं की हिस्सा पूंजी है, आम जनता की अमानत पूंजी है यदि उस संस्था के धन में किसी प्रकार से खुर्दबुर्द हो और किसी प्रकार की धन की कमी आए और इस प्रकार का ह्रास हो, हानि हो तो वह एक जन और सार्वजनिक धन की हानि होगी।

मान्यवर, इसी अधिनियम के प्रावधान में इस बैंक में श्री के. एस. राठौड़ को प्रबंध निदेशक पद पर तैनात किया गया। सरकार की मंशा क्या थी, कि राजकीय धन की सुरक्षा करना, जन धन की सुरक्षा करना। श्री किशोर सिंहजी साहब जब बैंक में जाकर कार्य संभालते हैं तो तानाबाना क्या बुनते हैं कि विभिन्न सहकारी समितियां, जिन सहकारी समितियों में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना जो भारत सरकार की योजना है, और सारी भारत सरकार की योजना यदि प्राथमिकता मानी जाए तो इस योजना की मानी जाती है, हमारे राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार और व्यक्तियों का चयन कर उनको भारत सरकार और राजस्थान सरकार के निर्देशों पर सहकारी बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। षड्यंत्र हो गया कुछ सहकारी संस्थाओं के साथ। प्रबन्ध निदेशक मिलकर एक फर्जी आवेदन पत्र तैयार कराते हैं, फर्जी कागजात

(श्री मांगीलाल डांगा)

तैयार कराते हैं । 61.50 लाख का ऋण वितरण करना और 41.30 लाख का जो भारत सरकार और राज्य सरकार का अनुदान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसको सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिया जाना था उसके फर्जी दस्तावेज बनाए । रिकार्ड से साबित हो रहा है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति मार्च के प्रथम सप्ताह में ऋण लेवे और वह समर्थ हो जावे 31 मार्च के पहले अपना पूरा ऋण चुकाने के लिए, अप्रैल मई के अन्दर वह अपना खाता चुकारा कर दे ? वास्तविकता यह थी कि न तो किसी को ऋण दिया गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये और अनुदान राशि जो 41.30 लाख रुपये की थी उसका गबन किशोर सिंह राठौड़ और उसके सहयोगी कर्मचारियों ने मिलकर किया है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यदि ग्राम सेवा सहकारी संस्थाओं का व्यवस्थापक और बैंक का सुपरवाइजर गबन करता तो एक सहकारी संस्था में होता । यह लम्बी चौड़ी 16 संस्थाओं में षड्यंत्र बनाकर काम किया और उसका दण्ड किसको दिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्न पूछ लीजिए ।

श्री मांगीलाल डांगा : वास्तविकता तो आने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारी बात हो गई ।

श्री मांगीलाल डांगा : उपाध्यक्ष महोदय, जो ऋण उपलब्ध करवाया जाता है उनके बिल जो तैयार किये जाते हैं वे भी पूरे संदिग्ध हैं । धारा 70 की जांच रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 20 पर स्पष्ट उल्लेख किया है कि इस षड्यंत्र में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ लिप्त हैं। उनके द्वारा षड्यंत्र किया गया है और उसकी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मुकदमा दर्ज करवा कर जांच करवाई जानी चाहिए । धारा 70 की जांच में स्पष्ट उल्लेख है ।

दूसरा शीर्ष बैंक के निरीक्षण प्रतिवेदन, नाबार्ड के निरीक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रबन्ध निदेशक के द्वारा षड्यंत्र द्वारा धन का गबन और दुरुपयोग हुआ है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो प्रिसीडेंस कायम किया है उसका आगे उल्लेख करूंगा ।

अब उदयपुर सैण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की बात करूंगा । इसमें क्या होता है कि जब 09 जनवरी, 1993 को श्री किशोर सिंहजी प्रबन्ध संचालक हो जाते हैं तब वहां पर एक नये गबन की शुरूआत होती है और इनके कार्यलय में ही शुरूआत होती है और शुरूआत क्या होती है कि वहां के अपेक्स बैंक से ड्राफ्ट बुक जारी की जाती है जिसका रिकार्ड इन्द्र सिंह बावेल नामक व्यक्ति के पास रखा जाता है । बैंक के रिकार्ड जिसके अन्दर अभिलेख और विवरण होता है, अंकित नहीं किया जाता है । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में 112.43 लाख का गबन हुआ और गबन कैसे हुआ ? बैंक से ड्राफ्ट जारी किया जाता है जयपुर की कुछ फर्मों में । आप समय दें तो मैं उनका एक-एक नाम का और राशि का

(श्री मांगीलाल डांगा)

उल्लेख कर दूंगा और जब ड्राफ्ट वहां से बनता है तो श्रीमान इन्द्र सिंह बावेल तत्कालीन वित्त प्रबन्धक, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक के विश्वासपात्र और उनके विश्वास में जो कार्य करते हैं जिसका उल्लेख सारी जांच में आया है, जिस दिन यहां पर भुगतान होता है ये पहुंच जाते हैं और ड्राफ्ट की राशि में से राशि ले जाते हैं। मैं इसमें आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा, तारीख सहित मैं आपको बता रहा हूं, चैक नम्बर 7640 जिसका भुगतान जयपुर में 9.4.93 को होता है। इन्द्र सिंह बावेल उसी दिन उदयपुर से 9 बजे हवाई जहाज द्वारा जयपुर 11.00 बजे पहुंचते हैं और उसी दिन भुगतान लेकर हवाई जहाज से उदयपुर लौटते हैं। दूसरा डी. डी. नम्बर 102 अपेक्स बैंक के क्लियरिंग हाउस में क्लियर होता है 8.11.93 को। जो पार्टी जिसके नाम डी. डी. है उसका भुगतान होता है और इन्द्र सिंह बावेल उसी दिन हवाई जहाज से 9.11.93 को जयपुर में और आते हैं और उसी पार्टी से भुगतान फर्जी ड्राफ्ट का लेकर चले जाते हैं।

आप कहेंगे कि प्रबन्ध निदेशक का इसमें क्या है। मान्यवर, मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब एक अधिकारी हवाई जहाज से यात्रा करता है और हवाई जहाज के लिए एनटाइटल नहीं है उसकी यात्रा का अनुमोदन वही तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंहजी ने किया है। इससे साफ जाहिर है कि जो कुछ बैंक में हुआ वह किशोर सिंहजी के निर्देशन में और निर्देशों के अनुसार बैंक कर्मचारी करते रहे।

दूसरा उल्लेख आपके सामने करना चाहता हूं कि जब जांच हुई, आडिट के सात व्यक्तियों की एक टीम बनाई गई और विशेष आडिट करवाया गया। उसी दौरान जांच में वहां के कर्मचारी बयान देते हैं। आप कहें तो बयान की कापी मैं सदन के पटल रखने को तैयार हूं। बयान क्या देते हैं कि ड्राफ्ट बुक के ऊपर दो हस्ताक्षर होते हैं। उस समय प्रबन्ध निदेशक उनको निदेश देते हैं किशोर सिंहजी, कि आप तो हस्ताक्षर कर दीजिए, बैंक के बहुत जिम्मेदार एवं वित्त प्रबन्धक हैं उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे तो ड्राफ्ट थोड़े ही जारी होगा। आप हस्ताक्षर कीजिए। जहां-जहां ड्राफ्ट जारी हैं वित्त प्रबन्धक जारी कर देंगे। यह सारा कुछ जांच में हवाला आ चुका है इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर बैंक का 102 करोड़ रुपये का जो गबन हुआ है और 152 करोड़ तक पहुंच गया है उसमें तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक का स्पष्ट हाथ ही नहीं षड्यंत्र हैं। उनके द्वारा किया हुआ है। बैंक के उप नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि यह बैंक के प्रबन्ध निदेशक का दायित्व है और एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा जो भी ड्राफ्ट्स जारी हुए हैं उनमें से दो ड्राफ्ट्स को छोड़कर सारे के सारे मुख्यालय से जहां प्रबन्धक निदेशक महोदय बिराजते हैं, वहां से जारी हुए हैं। उनकी नालेज में था और यह गबन उनकी मिलीभगत से हुआ है और उन्हीं के द्वारा किया हुआ गबन है इसलिए आपको उसमें कदम उठाना चाहिए। जिस तरह से हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई और उस कमेटी में उदयपुर बैंक के मामले, जिसके अन्दर आडिट रिपोर्ट में स्पष्ट किशोर सिंह राठौड़, प्रबन्ध निदेशक का

(श्री मांगीलाल डांगा)

सम्मिलित होना बताया गया है, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में प्रकरण दर्ज कराने की सिफारिश की गई है और धारा 70 में स्पष्ट सिफारिश की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जिस तरह बाड़मेर प्रकरण में प्रिसीडेंस कायम किया है कि धारा 70 की रिपोर्ट में अधिकारी का नाम आते ही निलम्बित कर अन्वेषण ब्यूरो से उसकी जांच करवाने के आदेश दिये हैं, यह एक बहुत अच्छा काम है। जनता में अच्छा संदेश दिया है। यहां भी आप उसी निर्णय को दोहराइए और उसी लाइन में यह आपके सामने धारा 70 की जांच रिपोर्ट, नाबार्ड निरीक्षण प्रतिवेदन, शीर्ष बैंक का निरीक्षण प्रतिवेदन और शिकायतें वहां के अधिकारी और कर्मचारियों, बैंक के अध्यक्ष और नाबार्ड द्वारा अधिकारियों को बार-बार आगाह करने के बाद ये गबन हुए हैं, मैं चाहूंगा आप यहां भी वही घोषणा करेंगे। जिन अधिकारियों के नाम धारा 70 में की जांच में आये हैं, जैसे आपने निलम्बित किया, बहुत अच्छा काम किया है, उसी बात को यहां पर दोहराएंगे और निलम्बित करके अन्वेषण ब्यूरो में इसकी जांच के लिए दर्ज करवाएंगे ताकि भविष्य में सार्वजनिक धन का कोई दुरुपयोग नहीं करे और गबन नहीं करे।

अब आता हैं पाली बैंक। मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। पाली बैंक में जहां-जहां खाद बीज खरीद के मामले हुए...

श्री उपाध्यक्ष : हो गई बात हो गई।

श्री मांगीलाल डांगा : ...माननीय, रजिस्ट्रार महोदय का परिपत्र था, आदेश था कि सहकारी संस्थाओं की मार्फत खरीदें जिनमें रजिस्ट्रार की शाक्तियां वहां संयुक्त रजिस्ट्रार को दीं और जिन-जिन सहकारी समितियों में गबन हुआ है, आप वहां के संयुक्त रजिस्ट्रार क़िशारे सिंह राठौड़ का यात्रा भ्रमण का विवरण उठाकर देख लें, उन्हीं संस्थाओं में उनका दौरा है। संयुक्त रजिस्ट्रार का एक दायित्व था, यह जो प्राइवेट खरीद है वह नहीं होनी चाहिए इसलिए मैं आपके ध्यान में लाकर आग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम उठावें और जो आपने एक प्रिसीडेंस बनाया उस प्रिसीडेंस को कायम रखें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरचन्द सिंह सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा संवेदनशील सब्जैक्ट है सहकारिता आंदोलन की गरीबों के लिए और खास तौर से देहात परिवेश के किसानों के लिए संरचना की गई थी और उनको...

(15.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आन्दोलन सहकारिता का है जो तो सब जानते हैं, आप तो डाइरेक्ट क्वेश्चन पूछो।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं क्वेश्चन ही कर रहा हूं। मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। मै क्वेश्चन ही पूछंगा।

श्री हीरालाल विश्नोई : गरीब किसानों को फायदा मिले इसके लिए आन्दोलन किया था। यह बात बता रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : डाइरेक्ट, डाइरेक्ट।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : अब ऐसे आन्दोलन जिससे किसानों का और गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का जीवन बंधा हुआ है उसमें मैं सरकार से एक सवाल जानना चाहता हूं जो बिलकुल साफ होकर, निस्तारण होकर यह आया है, इन्द्रसिंह बावेल चालीस साल तक एक ही संस्था के अन्दर लगातार रहा। क्या सरकार ने यह निर्णय कर रखा था कि उस आदमी का वहां से हटाया नहीं जा सकता था और उसकी सेवानिवृत्ति भी वहीं से देने की सरकार की नीयत थी ? अगर चालीस चालीस तक सरकार एक-एक कर्मचारी को एक एक संस्था में रखेगी तो निश्चित तौर से यह हम गबन और घोटालों को न्यौता देंगे। इसलिए क्या सरकार कोई ऐसी नीति निर्धारण इन उदाहरणों से तय करने जा रही है कि एक पर्टिकूलर पीरियड के बाद किसी कर्मचारी को वहां नहीं रहने दिया जाएगा।

दूसरा मेरा सवाल श्री किशोर सिंहजी बहुत ईमानदार अधिकारी होंगे, मुझे इससे कोई गिला नहीं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल यहां बार बार उभर कार आता है कि तीनों ही बैंकों के अन्दर जब जब भी किशोर सिंहजी जिस जिस बैंक में गये, यह घोटाले की शुरूआत हो गई और फेब्रीकेटेड डाकूमेंट्स के ऊपर। माननीय सहकारिता मंत्रीजी अच्छे वकील भी हैं, मैं उनसे एक सवाल, पिन पाइन्टेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो दस्तावेज किसी को हम ऋण देने के लिए बांड तय करते हैं उसके अन्दर इरेक्शन, एडीशन, अल्ट्रेशन और अगर किसी आदमी के नाम जो मर गया, उसके नाम से अगर बोगस बांड तैयार कर दिया गया, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें कौनसी जांच की जरूरत रह जाती है ? क्या ऐसे जो फोर्ज्ड डाकूमेंट तैयार होते हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके क्यों नहीं उनका आज एक निराकरण किया गया और आज भी आप निराकरण कराने की स्थिति में हैं या नहीं हैं ? सरकार इसका जवाब दे।

किशोर सिंहजी के बारे में जो बार-बार हर प्रतिवेदन में उनको दोषी ठहराया गया गबन का, तो क्या आपने जो अपनी रिपोर्ट पढ़ी उसमें तो उनका नाम नहीं लिया। शायद हो सकता है कि उनका नाम जो पीछे के परदे के लोग तैयार करते हैं जवाब आपका, वह न लेना चाहते हों, लेकिन अब तो, माननीय मंत्री महोदय, आपके सामने स्थिति साफ हो गई, क्या आप बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जनता के धन का दुरुपयोग किया गया, गबन किया गया उसमें लीपापोती करेंगे या फिर शेर बनेंगे ? तो वो ही गूंज जो आज से सात आठ रोज पहले की थी, हम उम्मीद करेंगे कि वही गूंज आपकी आज होनी चाहिए। आप शेरगढ़ के शेर बनकर दिखाइये और वह गूंज आपकी हम सुनना चाहते हैं। ऐसे दोषी अधिकारी, जिन्होंने गरीब जनता के खून पसीने की कमाई को हड़प किया है और दस्तावेजों की फर्जकारी की है और सरकार के इस रिकार्ड के ऊपर एक प्रश्न चिह्न लगा दिया, क्या आप उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं ? यह आप घोषणा फरमाएंगे।

मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सहकारिता मंत्री कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

हैं, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी व्याख्याएं की हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मंशा को समझ चुके होंगे और हम जो उम्मीद लेकर आये हैं, स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी हैं उनका आज आप न्याय राजस्थान की जनता का दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सोहन नायक।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर इन तीनों बैंकों में जो गबन और भ्रष्टाचार का मामला समस्त सदस्यों ने बताया है इसके बारे में मैं तो मात्र माननीय मंत्री महोदय से इतना ही जानना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार और गबन के मामले में जो वह जांचें लम्बे समय तक चलती हैं क्या उनकी कोई समय सीमा तय करेंगे ? जिससे यह भ्रष्ट अधिकारी लम्बे समय तक बैंकों का और उस क्षेत्र के बी.पी.एल. में चयनित लोगों का और किसानों का शोषण न कर पाएं।

दूसरी बात लम्बे समय से एक ही जगह पर बैठे अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए कोई समय सीमा तय करेंगे ? और तीसरा मैं यह मांग करूंगा कि जो यह भ्रष्ट अधिकारी हैं इन तीनों बैंकों के, क्या इनको, मंत्री महोदय, सस्पैण्ड करेंगे ? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : बस प्रश्न ही पूछना है क्या ? यह सहकारिता आन्दोलन गरीबों के शोषण के खिलाफ चला और इसके बाद, सन् 1991-92 के बाद जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं भीलवाड़ा, उदयपुर और पाली जिले की, उससे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह कहा था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को नाकों से निकाल देंगे, इन रिपोर्ट्स के बाद ऐसा लगता है कि 1991-92 के बाद जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन तीनों बैंको का जो काला चिट्ठा हमारे सामने आया...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे कांग्रेसी... (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप क्यों भ्रष्टाचार की वकालत कर रहे हो, आपको क्या मतलब ?

उससे ऐसा लगता है कि 1991-92 से लगाकर 2000 तक इन तीनों बैंकों में जो भयंकर घोटाले हुए, जिसकी कलक्टर के स्तर पर, नाबार्ड के स्तर पर, विभागीय स्तर पर जांचों के प्रतिवेदन सामने होते हुए भी इन नौ साल तक +++ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों सोती रही ? एक तो यह प्रश्न है और ज्यों ही यह सरकार आई, आने के बाद यह कोल्ड स्टोरेज में जमा की हुई जो आपकी रिपोर्ट्स थीं वह अब सामने आने लगी हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, चाहे किशोर सिंह राठौड़ हो, चाहे वह जोधाजी हों, खेतसिंहजी राठौड़ साहब सहकारिता मंत्री हैं, कहीं यह नहीं लग जाए हमारे ऊपर आरोप, इतना गम्भीर मामला होते हुए गरीब किसानों

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की अनुदान की राशि हेराफेरी करके डकारने वाले यह लोग फर्जी फर्में बनाकर, जिन फर्मों का न अता पता, न उनका कोई रजिस्ट्रेशन और इस प्रकार के कच्चे बिलों के आधार पर यह करोड़ों रुपये का जो घोटाला बैंकों में हुआ है, माननीय मंत्री महोदय, आप निर्भीकतापूर्वक चाहे कोई राठौड़ हो, चाहे कोई जोधा हो, कोई भी हो, उनके मामले बहुत साफ तौर से आपके सामने आते हैं और इन रिपोर्टों को देखने के बाद स्पष्ट लगता है कि यह दोनों बचने नहीं चाहिए । इनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्ति के प्रकरण दर्ज करने के आदेश होते हुए भी अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? आपने पिछले दिनों इसी विधान सभा के प्रांगण में आपके ऊपर कितना दबाव था, उस सबके बावजूद भी एक साहसिक निर्णय करके राजस्थान के गरीब किसानों का पैसा हड़पने वाले लोगों के खिलाफ एक शुरूआत की है । अब वह शुरूआत कैसे हुई उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं । उसके बारे में रामावतार जैन की रिपोर्ट क्यों नहीं आई, यह अलग मुद्दे हो सकते हैं जांच के, पर इस मामले में तो आपके सामने जांच रिपोर्टें मौजूद हैं उन जांच रिपोर्ट्स के बाद कार्यवाही न करना विभागीय+++संकेत है। अभी सहाड़ा, भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बड़े जोर-शोर से कह रहे थे । जिला प्रमुख थे तब मैंने इस मामले को कई बार उठाया था कि हमारे गरीब किसानों को अनुदान की राशि नहीं मिल रही है, यह अनुदान की राशि बंदरबांट हो रही है, यह जिला आफिस की प्रोसीडिंग्स में मौजूद है, इनकी जांच करवाई करवाई जानी चाहिए पर उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, आज यह मामले उठा रहे हैं । मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि देर आये दुरुस्त आये। आज वह भी जांच की मांग में शामिल हैं। माननीय मंत्री महोदय, चूंकि डिटेल बातें तो सारी आपके सामने आ चुकी हैं उन्हीं बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता हूं । 1991-92 से लगा कर आई.आर.डी.पी. के जितने भी प्रकरण सामने आये हैं और यहां तक उदयपुर में चार मृतक व्यक्ति जो कई वर्षों पहले अल्लाह के प्यारे हो गये उनके नाम पर अनुदान का पैसा उठ गया। 15,650 रुपये का ऋण उनके नाम पर उठ गया। मरे हुए ऋण लेने कहां आ गए ? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत गहराई के मामले हैं। इनमें कई लोग जुड़ हुए हैं। इसलिए, मंत्री महोदय, हमारी पारदर्शी और संवेदनशील सरकार का राजस्थान की जनता के सामने एक संदेश जाना चाहिए कि1991-92 में हुए घोटालों को 9 साल तक कोल्ड स्टोरेज में बंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की जनक राजस्थान में बन गई है, यह मामले संकेत देते हैं। इसलिए इन मामलों को चाहे कोई से भी व्यक्ति हों, कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हों, आज मुझे नजारा लग रहा है, उस दिन जितने जोर-शोर से बोल रहे थे, आज बोल नहीं रहे हो, आपकी जुबान में आज फर्क है...(व्यवधान) क्योंकि उस समय कांग्रेसी चेयरमैन भीलवाड़ा बैंक ने शिकायत दर्ज की थी...(व्यवधान) राजनीतिक रंग दिया गया और जांच को आपने कोल्ड स्टोरेज में दबा दी। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री केसाराम चौधरी : भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हो क्या ?(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपमें अगर हिम्मत है तो करो।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : आप भ्रष्टाचारियों की वकालत मत कीजिए। भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसकी जांच होने दीजिए।(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप कार्यवाही करो किसने रोका है।(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : बिराजिए आप। (व्यवधान) उनकी कार्यवाही होने दीजिए।

श्री केसाराम चौधरी : (व्यवधान) दूध का दूध पानी का पानी आए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप को-आपरेटिव आन्दोलन में कांग्रेसियों को बचाना चाहते हो। इसलिए अधिकारियों को मरवाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : हम तो उनमें कोई भी हो हमारी यह मांग है कि दोषियों को दंडित किया जाए। उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाये जाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चेयरमैन और वाइस चेयरमैन रहे हैं। (व्यवधान) आप अधिकारियों को बलि का बकरा क्यों बना रहे हो। अधिकारियों को मत बनाओ। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को बनाओ। (व्यवधान) सारे कांग्रेसी हैं। अलवर से लेकर के बाड़मेर, बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सारे कांग्रेसी हैं। अगर बलि का बकरा बनाना चाहते हो, (व्यवधान) आप क्या बात करते हो। किस तंत्र की बात करते हो आप। +++ सरकार भी आपकी और +++ (व्यवधान) कार्यवाही करो।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बीच में क्यों बोल रहे हो। (व्यवधान) सरकार कार्यवाही करना चाहती है इसलिए आपको तकलीफ होती है। 28 मार्च, 2000 को मंत्री महोदय जिस प्रकार जांच का आदेश आपने दिया...

श्री देवीसिंह भाटी : उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार की शुरूआत के मामले आ चुके हैं (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : यह इस सरकार की ईमानदारी का नमूना है। जो कोर्ट से दबी हुई रिपोर्ट थी, 28 मार्च को सरकार ने जांच के आदेश दिये। इतने वर्षों तक आपने जांच नहीं करवाई और मैं मांग करता हूं कि भीलवाड़ा, उदयपुर और पाली बैंक की इन जांच रिपोर्ट्स के आधार पर अब कोई किसी तरह का विलम्ब नहीं हो। किसी तरह के किसी व्यक्ति को नहीं बचाया जाए। चाहे कोई भी सैंक्शन देता हो। तीनों बैंकों के मामले में मेरी मांग है कि इनकी विस्तृत आडिट अगर जरूरत हो तो करवा करके दोषियों को दंडित करें और जितना पैसा इन्होंने डकारा है उनसे वसूल किया जाना चाहिए। इस मामले में रिपोर्ट्स बिल्कुल साफ हैं। जिन लोगों ने जांच की वह

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इंटिग्रिटी के आदमी हैं इसलिए इसमें जांच की कोई गुंजाइश भी नहीं लगती है। उसके बावजूद, मंत्री महोदय, जिस प्रकार आपने 28 मार्च को एक मामले में आदेश दिया यह उससे भी गम्भीर मामले हैं पाली के उदयपुर के और भीलवाड़ा के, इन तीनों मामलों में आज भी उसी तरह की पारदर्शिता आप अपनाएं और उसी तरह से साफ सिम्बल बताएं। आप पर आरोप नहीं लग जाए कोई कि किशोर सिंहजी राठौड़ हैं इसलिए खेतसिंहजी राठौड़ आज ढीले पड़ गये। आपको मजबूती से सारे मामले की जांच करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में हमारे साथियों के साथ में समर्थन जताते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर में केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार गबन हुआ है, मैं यह जरूर इस पर कहना चाहूंगा कि सहकारी बैंक जिस प्रकार बिलो पावर्टी लाइन में रहने वाले भाई लोगों के जीवन उद्धार के लिए काम करवा रहा है, यह संस्थान, परन्तु इसमें पूंजीपति वर्ग का उद्धार हो रहा है और बिलो पावर्टी लाइन में नीचे रहने वाले भाई लोगों का पतन हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो बी.जे.पी. के शासन काल में भ्रष्टाचार बढ़ा, कई प्रकार के अधिकारी भले ही किशोरसिंह जी राठौड़ हों, चाहे बावेल हों या जोधा हों, इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही मैं अपने साथियों के साथ में स्वर मिलाते हुए कहना चाहता हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ यदि कार्यवाही नहीं हुई और यदि इन्हें निलम्बित नहीं किया गया तो जिस प्रकार भीष्म पितामह को क्षमा नहीं किया गया था, यह सदन ऐसे मंत्रियों को और +++ भी क्षमा नहीं करेगा जो इस प्रकार की माया को बरकरार करना चाहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र सदन के अन्दर किसी आफिस की बात नहीं हो रही है। बल्कि आज सारा सदन इस बात के लिए लालायित है...

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : यह +++ एक्सपंज करवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं अपने तो सब चलता है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : यह सदन की परम्पराओं के खिलाफ है। आसन सर्वोपरि है।

श्री उपाध्यक्ष : अनसमझ आदमी ने कह दी, कह दी। कोई बात नहीं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उसको निकलवा दो। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह आप निकलवा दोगे तो ठीक रहेगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : इसको एक्सपंज कर दीजिए, परम्पराओं में ठीक नहीं रहेगा।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : शबरी के झूठे बेर भी भगवान ने खाये थे।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह रिकार्ड में नहीं रहना चाहिए। मेरी भी यही राय है।

श्री उपाध्यक्ष : निकाल दीजिए।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत ही गम्भीर मसला उठ रहा है। सारे राजस्थान की जनता की निगाह आज सदन की ओर लगी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कब तक रहता है देखे जाओ।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। सत्य की विजय होती है। हमारी जब कांग्रेस सरकार आई है और...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सत्यमेव जयते नानृतम्।

श्री रामस्वरूप : आज अतनी बड़ी संख्या जो यहां पर कांग्रेसियों की बैठी हुई है, यह सच की विजय हुई है। जनता ने हमसे अपेक्षाएं रखी हैं। आपको इतनी बड़ी तादाद में इसलिए जिता करके भेज रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के टाइम में जो भ्रष्टाचार हुआ था, आप उस भ्रष्टाचार को वास्तव में इनकी नाक से निकलवाओगे।

हमारी सरकार जैसे ही बनी, माननीय अशोकजी गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने। हमारी संवेदनशील सरकार बनी तो राजस्थान के अन्दर एक आवाज उठी कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार एक सच्ची सरकार है और इस सरकार के अन्दर वास्तव में भ्रष्टाचार मिट रहा है। एक आवाज है पूरे राजस्थाने के अन्दर। सारे राजस्थान में एक इस प्रकार की इमेज बनी है और उसी के तहत आज यह प्रश्न उठ रहा है। यह प्रश्न कोई जाति का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है इस पवित्र सदन के अन्दर कि हमारी कांग्रेस की ईमानदार सरकार, हमारी कांग्रेस की पारदर्शी सरकार, हमारे कांग्रेस के जो अच्छे मंत्रीजी हैं उनकी सरकार, जवाबदेही सरकार, आज यह साबित करेगी इस पवित्र सदन के अन्दर कि कोई चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, कोई चाहे किसी जाति का हो, चाहे कोई किसी धर्म का हो, हमारी कोई जाति नहीं होती है इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, हम कांग्रेस में अपनी सरकार ले आये।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, सुमित्राजी ने पहली दफा आपकी इस बात पर ताली बजाई है।

श्री रामस्वरूप : कांग्रेस ने पहले भी 40 साल शासन किया था। वह कारण यही था कि हमारी सच्ची और ईमानदार सरकार है जो न्याय करती है, वास्तव में जो जाति और धर्म को नहीं मानती है। यह लोग जो इधर-उधर बैठे हुए हैं हमारी तरफ, वास्तव में कोई बुराई आपकी करना नहीं चाहता, आपने वास्तव में धर्म की आड़ ली थी। उसी का परिणाम है कि अब के यह 30 की संख्या में रह गये हैं। कांग्रेस ने कभी जाति और धर्म को नहीं माना

(श्री रामस्वरूप)

है और इसी पवित्र सदन के अन्दर कुछ दिन पहले यह फैसला हुआ था इसी सहकारिता के अन्दर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन आप सब लोग मांग कर रहे थे और मुझे आज इस बात के लिए शर्म है, आज राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब चुप क्यों बैठे हैं। उस दिन तो दिलावरजी बोल रहे थे। राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब भी बोल रहे थे लेकिन आज वह चुप होकर बैठे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इधर के राठौड़ चुप हो सकते हैं लेकिन हमारा राठौड़ तो राठौड़ी करेगा ही। हमारा यह शेरगढ़ का शेर वास्तव में शेर ही रहेगा। यह सदन आज इस बात को जानेगा कि माननीय सदस्य जो बार-बार हमारी बुराई कर रहे थे आज पता लगेगा आपका मंत्री कितना ईमानदार है। हमारे मंत्री तो ईमानदार हैं। सच्चा, जातिवाद को नहीं मानते हैं। जिस दिन भी हमारे यहां वह आफिसर था, मीणा था वह, लेकिन मैंने उस दिन माननीय मंत्रीजी से कहा था, आपने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठाये, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने भी उस दिन ताली पीटी थी। लोगों ने कई बार मेरे को टोका भी था बाहर, मीणा आपके सामने सस्पैंड हो गया और बैठे रहे सदन के अन्दर। मैंने कहा, मैं कोई भ्रष्ट आदमियों के साथ नहीं हूं, मैं न्याय के साथ हूं, चाहे कोई मीणा हो, चाहे कोई जाति का हो, जो अन्याय करेगा, जो भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही रहेगा। लेकिन, माननीय मंत्रीजी, आज यह सारा सदन और सारे पक्ष-विपक्ष के लोग एक ही बात से ज्यादा उत्तेजित हैं, अब वह जो राठौड़ साहब हैं उसकी वजह से यह सारा प्रश्न उठाया जा रहा है। आप भी मंशा को समझ रहे हैं सदन की को। मैं कोई इस प्रकार का आप पर लांछन नहीं लगाऊंगा। आप बहुत अच्छे मंत्री हैं। आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं इस सदन के अन्दर। पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रसन्न रहते हैं आपसे हमेशा और आप जो मुस्कुरा कर देख रहे हो इधर, लेकिन आज पता चलेगा आपका। आज कसौटी पर कसे जाओगे आप।

मेरा तो विनम्र निवेदन है अगर मर व्यक्ति को ऋण दे दिया गया तो क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? मृत व्यक्ति को ऋण दिया गया है। मंत्रीजी हां कर रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं इस बात की। मरे व्यक्ति को ऋण दिया गया है। अनियमितता की जितनी भी शिकायतें हैं उसका तो खैर इतना बड़ा पोथा मेरे पास यह रखा हुआ है। पूरे राजस्थान का चिट्ठा लाया हूं। यह सारे मेरे पास रखे हुए हैं। लेकिन इतना समय तो माननीय सदस्य मुझे दे नहीं सकते, उपाध्यक्ष महोदय, दे नहीं सकते तो सारा विवरण मैंने बता दिया। मैं तो विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, हमारे कोआपरेटिव बैंक के अब आप मंत्री बने हैं तब से कोआपरेटिव बैंक के अंदर सुधार होने लगा है। हमारी पारदर्शी सरकार जब से आई है, माननीय अशोकजी गहलोत साहब जब से मुख्य मंत्री बने हैं, सारे हिन्दुस्तान में क्या, सारे राजस्थान में क्या, चारों तरफ आवाज उठी है ऐसे अशोक महान् जी मुख्य मंत्री बन गये अब तो भ्रष्टाचार मिटता हुआ नजर आ रहा है। वास्तव में आज भी भ्रष्टाचार ही मिटेगा यहां पर। इसलिए मेरे तो सीधे तीन प्रश्न हैं। तीन प्रश्न कर रहा हूं।

(श्री रामस्वरूप)

पहला प्रश्न तो यह रहा, माननीय मंत्रीजी, अगर हमारे यहां पर भ्रष्टाचार की बातें आपने स्वयं ने स्वीकार करी हैं और आपने खुद ने अभी जो जवाब दे रहे थे उसके अंदर माना कि निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गई हैं, एफ.आई.आर. भी दर्ज हो गई है या जिनके खिलाफ कार्यवाही होनी है, चाहे उसमें अपने राठौड़ साहब ही हों, अगर सारा सदन यह मांग कर रहा है, अब उनमें भ्रष्टता साबित हो रही है तो आप इसी पवित्र सदन के अंदर आज आपकी और हमारी और इस सत्य को बचाएंगे आप और भ्रष्ट लोगों को, जो बी.जे.पी. के लोग हैं, जिन्होंने बी.जे.पी. के राज में भ्रष्टाचार किया है, इनकी मिलीभगत से किया है, इस बी.जे.पी. के भ्रष्टाचार को कांग्रेस शासन में माननीय राठौड़ साहब जरूर मिटाएंगे। पहला प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। अब हो गया ना।

श्री रामस्वरूप : दूसरा प्रश्न है। तीन प्रश्न मैंने पूछे हैं। दूसरा मेरा विनम्र निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, यह तो तीन ही जगह के उठाये हैं, मैं तो कहता हूं पूरे राजस्थान में कोआपरेटिव में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसकी आप एक व्यापक जांच कराएंगे ? जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ आप जांच करा करके कार्यवाही करेंगे और जो अच्छे लोग हैं उनको भीं आप सम्मानित करेंगे। ऐसी बात नहीं है कोआपरेटिव में भी हमारे अच्छे लोग हैं। अगर इस तरह पूरा बदनाम ही बदनाम हम इसको कर देंगे तो हमारी कोआपरेटिव असफल हो जाएगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अच्छे लोगों को सम्मानित करें। हमारे सवाई माधोपुर की कोआपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर 90 परसेंट वसूली आज हुई है। ऐसी बात नहीं है, अच्छे को तो अच्छा कहूंगा और बुरे को मैं बुरा कहूंगा। 90 परसेंट की वसूली उन्होंने करके दी है। ऋण वसूल कर लिया लेकिन वह वितरित नहीं हो रहा है। अब किसानों को दुबारा भी ऋण देना पड़ेगा आपको। आपने रोक लगा दी ऋण देने के अन्दर। मेहरबानी करके आप उस ऋण को दुबारा वितरित कराएं किसानों के अन्दर।

तीसरा मेरा विनम्र निवेदन है कि कोआपरेटिव के अंदर जो यह इस प्रकार की एक साख बन चुकी है, अब यह तो जिस प्रकार से वन मंत्रीजी ने घोषणा कर दी की वह तो पूरा विभाग ही भ्रष्ट है हमारा, इस प्रकार की साख आपके टाइम में नहीं रहनी चाहिए और आप यह साबित करके दे देना कि कांग्रेस की पारदर्शी सरकार में चाहे हमारा कोई आदमी ही क्यों न हो, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे कोआपरेटिव को। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के मुख्य ट्रस्टी के रूप में हमारे माननीय मंत्री हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज के इस प्रकरण में जिन तीन बैंकों के उल्लेख के माध्यम से,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कुछ अधिकारियों के प्रति गम्भीर अनियमितताओं के जो आरोप लगे हैं उन आरोपों के सम्बन्ध मे एक लम्बे समय से प्रक्रिया जारी है।

माननीय मंत्री महोदय, एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों को बी.जे.पी. सरकार लगातार बचाती आ रही थी, उन्हीं अधिकारियों को आपने भी बचाने का कोई मानस बना रखा है क्या ? एक प्रश्न।

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों के खिलाफ बड़े लम्बे समय से जांचें चल रही हैं और वह जांचें लगातार बदली जा रही हैं तो किनके कहने से वह जांचें बदली जा रही हैं और इनकी क्या समय सीमा है कि कब तक यह आपकी जांच की प्रक्रिया बंद हो जाएगी ? जिन अधिकारियों के खिलाफ धारा 70 में जांचें हुई हैं और प्रमाणित हैं उन प्रमाणित जांचों में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जांच रिपोर्ट है। इस षड्यंत्रपूर्ण ऋणों में 1991-92 के लिए 1183 सदस्यों को 34.86 लाख रुपये का ऋण 24.49 लाख रुपये का अनुदान देकर 22.42 लाख रुपये की वसूली पुन: जमा करना प्रमाणित होता है। अत: अनुदान राशि रुपये 24.49 लाख रुपये के कथित दुरुपयोग हेतु राज्य अन्वेषण ब्यूरो से आपराधिक षड्यंत्र की जांच तथा दोषपूर्ण ऋण वितरण वसूली हेतु तत्कालीन प्रबंध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। आपने इसमें क्या किया ? यह 1991-92, 1992-93 में धारा 70 में जांच हुई है। षड्यंत्रपूर्वक ऋण वितरण में 523 सदस्यों को 26.64 लाख रुपये के ऋण वितरण, 16.41 लाख रुपये के अनुदान, 20.3 लाख रुपये की वसूली पुन: जमा होना प्रमाणित होता है। अत: अनुदानित राशि 16.41 लाख रुपये के कथित दुरुपयोग हेतु राज्य अन्वेषण ब्यूरो से आपराधिक षड्यंत्र की जांच तथा दोषपूर्ण ऋण वितरण एवं वसूली हेतु तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक श्री किशोर सिंह राठौड़ एवं श्री रामचन्द्र सिंह जोधा के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसमें आपने क्या किया ?

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग के अपने नियम हैं और अपनी सीमाएं हैं। सहकारिता विभाग ने एक पत्र प्रबन्ध निदेशक, बैंक को दिया कि सीमा से अधिक ऋण यदि वितरित किया गया तो इसी पूरी जवाबदारी प्रबन्धक की होगी। सहकारिता विभाग ने एक पत्र क्रमांक ख-13/33/सविरा/बैंक-397 दिनांक 24.2.96 को दिया। इस पत्र के द्वारा समस्त बैंकों के प्रबन्धकों को पाबन्द किया कि सीमा से अधिक ऋण यदि आपके द्वारा दिया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। विभाग के आदेशों के विपरीत जो ऋण की निर्धारित सीमा थी 49.80, उसके बदले में 219.86 लाख का वितरण हुआ, 21.10 लाख की जो सीमा थी उसके बदले में 93.86 लाख का वितरण हुआ। नाबार्ड के स्पष्ट निर्देश हैं कि बी.पी.एल. रेखा के नीचे के जो चयनित परिवार हैं, उनसे ऋण के ब्याज की जो दर है उसकी एक सीमा निर्धारित की हुई है, उसके बदले में 16 परसेन्ट ऋण

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वसूली करके सीधे रूप में नाबार्ड के निर्देशों की अवहेलना की गई, इनके खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उपाध्यक्ष महोदय, पाली की शाखा अनन्तपुर कालू में 1 करोड़ 70 लाख 66 हजार रुपये का खाद,बीज, एवं दवाइयों की खरीद की गई है और जिन संस्थाओं से यह खरीद की गई वह सारी की सारी संस्थाएं फर्जी, बेनामी और अपंजीकृत थीं। इतनी बड़ी खरीद की गई। यह साफ दर्शाता है कि इन खरीदकर्ताओं की मंशा में खोट था अन्यथा इतने बड़े अमाउंट की फर्जी और बेनामी संस्थाओं से खरीद किया जाना न तो न्यायसंगत है, और मैं समझता हूं एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए, माननीय मंत्री महोदय, उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की, उनके लिए क्या आपने दंड निर्धारित किया ? अल्पकालीन ऋण वितरण में उदयपुर के केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा मृतक सदस्यों को ऋण दिया गया, जिनकी सीमा तीन और पन्द्रह वर्ष के करीब है, क्या यह सही है ? और यदि सही है, तो आपने ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह आप अपने उत्तर में बताइये। आडिट रिपोर्ट में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशकों की लापरवाही एवं कार्यवाही लगातार उजागर हुई। इसके लिए क्या तत्कालीन प्रबन्ध निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और आपने उस पर क्या कार्यवाही की ?

उपाध्यक्ष महोद्य, जिस इन्द्रसिंह बावेल की यहां पर इतनी चर्चा हुई जिसने पिछले 30 वर्षों में लगातार इस विभाग को करोड़ों रुपये का घाटा पहुंचाया और जब इन्होंने यह शुरूआत की तो इनके ध्यान में आया कि 29 पाइंट कुछ लाख रुपये हैं, उसके बाद जब और आगे बढ़े तो इनके ध्यान में आया कि यह 66 पांइट कुछ है, उसके बाद जब और आगे बढ़े तो एक करोड़ के करीब पहुंचे, उसके आगे जब बढ़े तो इनको फिर होल का होल नजर आया कि अंत तक पहुंचते-पहुंचते 1 करोड़ 52 लाख रुपये से भी अधिक की राशि हो गई। इसके लिए अभियोजन पक्ष ने निर्देश जारी किये कि ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए, तत्कालीन एम.डी. को यह स्पष्ट निर्देश थे कि इनके खिलाफ अभियोग दर्ज होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं, इनके खिलाफ लगातार पत्र लिखने के बावजूद, तत्कालीन एम.डी. को 6 पत्र लिखे गये कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, उनको समय दिया ? इस बात का समय दिया कि वह अपने प्रशासक मंडल में, बोर्ड का जो मंडल है, उसमें अपनी साजिशपूर्ण कार्यवाही करके, बोर्ड के सदस्यों से मिलकर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करवाया, उसमें उन्होंने यह लिखवाया, 12.9 को एक प्रस्वात पारित करवाया उसमें उन्होंने बावेल को निर्दोष साबित कर दिया, विभाग में उनका जो प्रस्ताव था उसमें उन्होंने जोधपुर में एक अपील दायर की...

श्री उपाध्यक्ष : आप दोहरा रहे हैं इस बात को, बात हो गई।

श्री राजेन्द्र पारीक : और उस अपील का हवाला देकर, जो तत्कालीन एम.डी. थे उन्होंने उस अधिकारी को पूरा मौका दिया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। और अंत में तो हालत यह पहुंच गई कि उन्होंने साजिशपूर्ण कार्यवाही करके जोधपुर में अपील दायर की, केवल डिले करने के लिए और अपने प्रशासक मण्डल को यह साबित करने के लिए कि यह आदमी निर्दोष है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महादेव सिंह।

श्री राजेन्द्र पारीक : राज्य को धारा 32 के तहत उसको अपंखडित करना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह रामू, हो गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस व्यक्ति और पूरे प्रकरण में बैंक पाली, उदयपुर और भीलवाड़ा के खिलाफ जो भी धारा 70 में कार्यवाही हुई है, कृपया धारा 70 की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें और उनके खिलाफ आपने आज तक क्या कार्यवाही की, यह स्पष्ट करें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से एक या दो सवाल करना चाहूंगा। आप तो यह बताएं कि इन्द्रसिंह बावेल है या बघेला है जो सबको खाता जा रहा है ? आपने अपनी जांच रिपोर्ट में कहीं भी किशोर सिंह का नाम अंकित नहीं किया, पता नहीं इसके क्या कारण रहे ? आपके ज्यादा दबाव था, पता नहीं किसका ? कुछ ऐसा सुनने में आया है कि दबाव ज्यादा था इसलिए किशोर सिंह का नाम इसमें अंकित नहीं किया जबकि आपकी जो जांच रिपोर्ट है, जो 14.2.2000 को आई है उसमें स्पष्ट हवाला दिया गया है कि किशोर सिंह ने 112 लाख रुपये का गबन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही मांग करना चाहूंगा कि सरकार इसको निलम्बित करने का विचार रखती है या नहीं रखती है ? और यह भी कहना चाहूंगा कि अगर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को सरकार निलम्बित करने की मंशा नहीं रखती है तो हम जितने भी सदस्य हैं, वैल में धरना देंगे। इसमें कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। चोर की कोई जाति नहीं होती, चोर,चोर होता है। मैंने अभी मेरे चाचा श्री राजेन्द्र सिंहजी से कहा कि आप बोलें तो उन्होंने कहा कि जाति का मामला है, मैं नहीं बोलूगा। उन्होंने कहा नहीं था, अपनी तरफ से ही कह रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बी.जे.पी. के लिए कह रहे हैं कि बी.जे.पी. ने भ्रष्टाचार किया है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ना तो मेरी माननीय सदस्य से इस बारे में बात हुई है और ना ही मेरे यह खयालात हैं। मुझे मौका मिलेगा तो मेरी बात सदन में जरूर रखूंगा।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह तो चाचा, भतीजे का मामला है, चलती रहती हैं। मैंने तो चाचा ही बोला है आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर.... (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : इसको सस्पैंड करो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रामस्वरूपजी ने और कांग्रेस के ज्यादातर सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बी.जे.पी. के शासन में यह भ्रष्टाचार हुआ। सदन मानता है, हम मानते हैं कि, बी.जे.पी. के शासन में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन कांग्रेस को आये हुए डेढ़ साल हो गया, डेढ़ साल में यही कहते चले आ रहे हैं कि यह काम बी.जे.पी. के शासन में हुआ तो आपके शासन में क्या काम हुए ? आपने क्या किया ? यह जांच रिपोर्ट 12.2.2000 को आई, जो प्रभावशाली व्यक्ति था, उसको आपने निलम्बित नहीं किया, जिसकी कोई अप्रोच नहीं थी उसको आपने निलम्बित कर दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भ्रष्ट अधिकारी को आप निलम्बित करके राजस्थान की जनता को सांस दें। धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा। क्या यह सही है कि भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की आई.आर.डी.पी. ऋण वितरण योजना में वर्ष 1993 में जिला कलक्टर भीलवाड़ा के आदेश से परियोजना निदेशक, डी.आर.डी.ए. ने जांच की थी ? क्या यह भी सही कि वर्ष 1994 में संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर ने भी इसकी जांच की थी ? क्या यह भी सही है कि वर्ष 1997 में श्री सियाराम मीणा, आई.ए.एस., अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) ने जांच की थी और इन उपर्युक्त जांचों में किशोर सिंह राठौड़ व रामचन्द्र सिंह जोधा, तत्कालीन ए.एम.डी. को नाम से या पदनाम से किसी भी रूप में दोषी नहीं माना और जिनको दोषी माना उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सिफारिश की गई थी ? क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जो बीकानेर में पदस्थापित हैं सत्यदेव चारण, जिनको 28 मार्च,2000 को पुन: जांच के आदेश दिए थे और जिनको आपने जांच सुपुर्द की है, बीकानेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में ए.सी.डी. द्वारा इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और न्यायालय द्वारा जमानत करवाई, इन्होंने जोधपुर सहकारी भण्डार में रहते हुए भारी गबन किया और जिसका आरोप पत्र श्री किशोर सिंह राठौड़ ने बनाकर राज्य सरकार को पेश किया और रामचन्द्र सिंह जोधा धारा 74 के मामलों में सहकारी पैरोकार थे, अत: यह अधिकारी इनसे रुष्ट था ? क्या यह भी सही है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक में बैंक के ऋण वितरण एवं वसूली के संबंध में रामचन्द्र सिंह जोधा...

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : इस तरीके की वकालत ? उपाध्यक्ष महोदय, उनके कारनामों को छुपाने के लिए इस तरीके की वकालत कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : जो तथ्य सरकार के पास हैं, उसी के तहत कार्यवाही होगी।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो इन्सानियत होती है।

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात नहीं, आप बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : इन्होंने तो इन्सानियत ही खो दी।

श्री देवीसिंह भाटी : इन्सानियत का ठेका आपके पास नहीं है।

श्री हीरालाल विश्नोई : हां, तो फिर आप चोरों की वकालत कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : चोरों की किसके सामने वकालत करूंगा। यह सरकार बैठी है आपकी।

श्री हीरालाल विश्नोई : चोरों की तो आप वकालत कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह इनकी वकालत क्यों कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : कहीं तो न्याय होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके की दोहरी बातें नहीं होंगी। आप ऐसा क्यों करते हो ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : इनका नाम ही नहीं है। किस नियम के तहत कर रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : आप कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। (व्यवधान) आप बैठो। आप नीचे बैठो।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं, बताइए आप ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह क्या बात हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं बताता हूं, किस नियम के तहत बोल रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं अपनी बात कहूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई बात हुई ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बताता हूं कि किस नियम से बोल रहे हैं। मैं बताता हूं। आप बिराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यह इसमें सिग्नेटरी नहीं हैं। किस नियम से बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। आप बैठिए तो सही। मैं बताता हूं आपको।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं सदन के सामने रखूंगा। आपकी सरकार है, सरकार फैसला करे।

श्री राजेन्द्र पारीक : सरकार ने फैसला कर लिया। आप इसके सिग्नेटरी नहीं हैं। आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं बताता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा भी दायित्व है।

श्री अशोक (खण्डार) : आपका दायित्व तो सामने दिख रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अलाउ किया है क्या ? इनके दस्तखत ही नहीं हैं इसमें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, कौनसे नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : नियम 50 के तहत बोल रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : नियम 50 में ऐसा स्थगन नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : नियम 50 के अन्दर मेरा जो स्थगन है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : किस नियम के तहत बोल सकते हैं आप जब सिग्नेटरी नहीं हैं काल अटेंशन के ? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : चोरों की वकालत कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : क्यों कर रहे हैं आप चोरों की वकालत ?

श्री देवीसिंह भाटी : जो भी चोर है, उसका फैसला सरकार जांच करके करेगी। आप लोगों की सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए पारीकजी। माननीय सदस्य, आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह किस नियम के तहत है जो माननीय सदस्य को समय दिया ?

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे तो बैठिए। जोश खा रहे हो यूं ही,सुनो तो सही पूरी बात को। (व्यवधान) मैं बताता हूं क्यों बोल रहे हैं।

श्री यशंवत सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर क्षेत्र में एक कहावत है...

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठो तो बताऊं आप बिराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : अलाउ किया है तभी बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिए।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य सिग्नेटरी ही नहीं हैं तो किन नियमों के तहत उनको बोलने की इजाजत दी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो बताऊं। बिना सुने कैसे बताऊं मैं ? फालतू जोश खा रहे हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : हम सिग्नेटरी हैं और हमें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। आप हमें रोक नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। नीचे बैठिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदयय, सदन में कोई माहौल नहीं रहा है। माहौल बहुत बिगड़ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनो तो सही आप। नीचे बैठिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस तरह की डिबेट के लिए आते हैं ? यह माहौल है ? क्या यह लाबिंग है ? क्या यह षड्यंत्र हैं ? इक्वल फुटिंग पर काम होना चाहिए । इस विधान सभा में लाबिंग होती है ।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : अधिकारी भ्रष्ट है और इनके कहने से साहूकार हो गया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बोलते हैं, सब असत्य है । यह पवित्र सदन है इसके अन्दर चोरों की वकालत नहीं होती । कोर्ट में जाएं कोई चोरों की वकालत करनी है तो । यह पवित्र सदन है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिए ।

श्री के.सी. विश्नोई (संगरिया) : हम भ्रष्टाचार को खतम करके रहेंगे ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह सब क्यों सुनने को मिल रहा है ? जरा सोचिए, यह सब क्यों सुनने को मिल रहा है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस हाउस में इतने माननीय सदस्य हैं और ये ही क्यों बोल रहे हैं, कोई न कोई तो बात रही होगी । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सदन नियमों से चलता है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको स्वयं को सोचना चाहिए ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइण्ट आफ आर्डर है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जब सब माननीय सदस्य बोल लिए तो मंत्रीजी का उत्तर आता, उसके बाद आप स्थगन प्रस्ताव ले सकते हैं, उसके पहले नहीं ।

श्री हीरालाल विश्नोई : सही बात है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : स्थगन प्रस्ताव इसके बाद लेंगे, पहले नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए । आर्डर प्लीज । आप सुनना ही नहीं चाहते । इसका क्या इलाज है ? आप बिराजिए ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं तो बैठ जाऊंगी अगर आप कहेंगे तो । लेकिन जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चल रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : सूची में नाम नहीं आता है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले मेरी बात सुनिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ गया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं आप मेरी बात नहीं समझे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ गया ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप मेरी बात नहीं समझे ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात समझ गया ।

(श्री उपाध्यक्ष)

आप मंत्री के बोलने के बाद इनको बोलने देना चाहती हैं। तो बिराजो न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां। बाद में कहें कुछ भी, पहले मंत्रीजी जवाब दें ध्यानाकर्षण का, उसके बाद आप नियम 50 पर स्थगन प्रस्ताव पर बोल सकते हैं उससे पहले नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : हां बिराजें। इनका स्थगन प्रस्ताव था, उसमें यह व्यवस्था थी चूंकि आज यह प्रश्न इस हाउस में है इसलिए स्थगन प्रस्ताव पर उसी समय बोलने देने की वजह से आप बोले हैं। अब आप चाहते हैं कि मंत्रीजी पहले जवाब दें।

श्री राजेन्द्र पारीक : आज की कार्य सूची में नहीं है यह।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): इस मामले में सबसे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव,सदन शुरू होने के पहले मैंने लगाया और वह चूंकि मेरे अकेले का था और मैंने कल उदयपुर कोआपरेटिव बैंक में गबन को लेकर लगाया था, मैं सोचता हूं कि शायद उसको सम्मिलित नहीं किया गया। मेरी प्रार्थना यह है, मैंने इस विषय को पर्ची के माध्यम से भी उठाने की कोशिश की। केवल तीन कोआपरेटिव बैंकों का ही उदाहरण सामने आया था कि करोड़ों रुपये का गबन है और मैंने कहा था कि अगर छब्बीस बैंकों का पोस्टमार्टम किया जाए तो सैंकड़ों, हजारों करोड़ तक जाएगा, ऐसा मेरा कहना है। मैं सोचता हूं कि अपराधी चाहे इन्द्रसिंह बावेल हो, चाहे वह जैनी हो, चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो अपराधी, अपराधी को दण्ड अगर नहीं मिलेगा, इस सदन में सब कुछ कहने के बाद भी अगर निरर्थक चला जाएगा तो फिर इस भ्रष्टाचार की जड़ में कोई तेजाब नहीं डाल सकेगा। इसलिए इस बारे में इसको इतना हल्का-फुल्का नहीं लिया जाए, इतने माननीय सदस्यों ने तथ्यों के साथ बात कही। उसके बाद भी अगर हम इस बारे में संकट में और बार-बार जांच कराके समय गुजारने के चक्कर में पड़ें, यह प्रकरण 1991 से जांच से प्रमाणित हो गया, लेकिन हम केवल बचाने की दृष्टि से धक्का देकर नयी जांच, नयी जांच, नयी जांच, कितनी बार जांच कराकर इसमें समय बर्बाद करेंगे ? मेरी तो आपसे यह प्रार्थना है, मैं सोचता हूं कि आज इस सदन में इतनी चर्चा होने के बाद भी अगर अपराधी चाहे मेरे हैं या किसी और के हैं अगर बच गये तो फिर इस भ्रष्टाचार को कम से कम इस राजस्थान में तो कोई छेड़ भी नहीं पाएगा। फिर तो कोई न कोई, किसी न किसी का सहारा बनकर खड़ा हो जाएगा और भ्रष्टाचार को बचा लिया तो यह इस सदन की मजाक हो जाएगी। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि इन्द्रसिंह बावेल मेरी जाति का है, लेकिन अगर उसने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है जिसके कारण से फर्जी ड्राफ्ट बनाकर, उठाकर पैसे खा गया और अगर अधिकारी को पता नहीं हो तो क्या यह बैंक चल रहा है या मजाक हो रही है। अगर उसके बाद भी, जांच होने के बाद भी उसको बचाने के लिए, मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे बहुत अफसोस इस बात का है कि अगर मेरे राज में हुआ हो और मैं भी उसमें दोषी हूं तो मुझे भी सजा दीजिए, आपके पास सरकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बैठी है, इसमें क्या बात हुई। अगर हमको पता लगा है, बड़ी मुश्किल से एकाध भ्रष्टाचारी कभी पकड़ में आता है, बाकी सारे के सारे गरीब का पैसा खाकर हजम करते चले जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से एकाध कोई, कभी, कहीं पकड़ में आता है, उसका भाग्य खराब है या हमारा भाग्य तेज है, एकाध पकड़ में आता है और वो भी छूटकर निकल जाए तो फिर हमारा यहां बैठना और बातचीत करना बेकार है।

मैं केवल कुछ लाइनें पढ़ रहा हूं, किस तरह से हम अपने डिपार्टमेंट को और इन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किस प्रकार का घिनौना षड्यंत्र करते रहते हैं, केवल एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर डालते रहते हैं। मैं यह बता दूं,राज्य सरकार द्वारा विभाग को पत्र दिनांक 15.11.96 को लिखा गया था किसी इन्द्रसिंह बावेल के विरुद्ध। "अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभियोजन की स्वीकृति नहीं दिये जाने की दशा में इस संबंध में कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-48/25/बैंक/2/97 दिनांक 25.6.97 को प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुर को अभियोजन की स्वीकृति के पश्चात् लगभग छह पत्र और लिखे गये। अंतिम पत्र दिनांक 30.7.99 को लिखा गया। इतना लम्बा समय व्यतीत होने के बावजूद भी बैंक प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। बैंक संचालक मण्डल ने उसके प्रस्ताव संख्या 12, दिनांक 12.9.95 के द्वारा यह निर्णय लिया कि किसी बावेल ने कोई गबन नहीं किया। अत: अभियोजन की स्वीकृति नहीं दी जाए। बैंक संचालक मंडल का यह निर्णय बैंक हित के विपरीत एवं तथ्यों को अनदेखा किया गया, अत: तत्कालीन प्रबन्ध संचालक द्वारा वास्तविक तथ्य न तो विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये और न ही संचालक मंडल के समक्ष इस बात को रखा।"

क्या चीज चाहिए आपको ? एक के बाद एक चीज प्रमाणित होने के बाद भी हम बिना बात के किसी को बचाने का प्रयत्न क्यों करते हैं ? मैं सोचता हूं कि अगर गलती को...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह कल्पना क्यों कर रहे हो, सरकार बचाना चाहती है। सरकार जवाब तो देगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : यह हाइपोथेटिकल बात क्यों कर रहे हो आप ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिस दिन भी यह हमारी जानकारी में आ गया, वास्तविकता तो यह होनी चाहिए कि अगर हमको किसी कर्मचारी का कोई दोष हमें मालूम होता है तो हम इतना अधिकार तो रखते हैं..

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार का जवाब सुन लो ना।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मेरी प्रार्थना यह है कि मान लो मेरे विभाग का कोई काम ऐसा है जिसमें मुझे प्रथम दृष्टया देखने के बाद यह लगता है कि इसमें कोई बेईमानी हुई है तो मैं एक्शन तो कर ही सकता हूं। उस एक्शन को करने में देरी क्यों होनी चाहिए ? हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैंने गलत

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

एक्शन कर दिया तो वो न्याय के लिए दूसरे 17 रास्ते हैं। उस रास्ते में अपने बारे में वापस फैसला करवा सकता है, लेकिन जब हमें जानकारी होने के बाद भी हम उसको टालने की बात क्यों करते हैं। मैं तो इस बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, इन तीनों बैंकों में जिस प्रकार के हालात हैं इसमें और कई लोगों के नाम हैं, विशेषकर उदयपुर बैंक के बारे में छोटे-मोटे कर्मचारियों को भी जिस प्रकार से उनको उसमें इन्वाल्व करके लगाया, अगर वो दोषी हैं तो उनको जरूर सजा दें। मेरी तरफ से इसमें आपको सहमति है, लेकिन अगर दोषी नहीं हैं तो केवल एक को बचाने के लिए आठ को जोड़कर केस को कमजोर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें न्याय नहीं निकलेगा। जो इसमें दोषी हैं उनको दण्ड निश्चित रूप से मिलना चाहिए, यह मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं तो यह कहना चाहता हूं, उस समय और भी कोई अधिकारी इसमें सम्मिलित हो उसका भी अगर कोई दोष हो तो आप उसको निश्चित रूप से दण्ड दें। बड़ी मुश्किल से बहुत प्रयास करने के बाद कहीं छोटी-मोटी चोरी पकड़ी जाती है और वह भी एक-दो रुपये की नहीं, करोड़ों रुपये का गबन-घोटाला होने के बाद भी इतना बड़ा सक्षम सदन बैठकर भी ऐसे लोगों को दंड नहीं दे सकता है तो वास्तव में लोकतंत्र का दुर्भाग्य होगा, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं कही जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं मेरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। आपको बोलने देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना।

श्री शिवनाथ सिंह : अभी आसन की तरफ से एक बात आई कि आप शंका क्यों करते हो, सरकार क्यों बचाएगी। मैं मानता हूं, लेकिन सदन को आशंका इसलिए हो रही है माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया और इस प्रकार के आरोप थे तो माननीय मंत्री महोदय की बचाने की इच्छा नहीं होती तो सीधे रूप से कहते कि इस व्यक्ति के खिलाफ हमने यह कार्यवाही की है, यह कार्यवाही हम कर रहे हैं। सदन इसलिए आशंकित है कि माननीय मंत्री महोदय और सरकार इनको बचाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली रखो।

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बहुत हो गया। इनको जवाब देने दो।

श्री श्रवण कुमार : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हर्षद मेहता है या किशोर सिंह है ? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं। यह कोई हर्षद मेहता तो नहीं है, जहां भी जाता है

(श्री श्रवण कुमार)

भगीरथ बन जाता है भ्रष्टाचार का । मैं यह कहता हूं कि सन् 1992 से यह भ्रष्टाचार करता आ रहा है और उसके बाद में बी.जे.पी. की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, इसका सरकार के ऊपर दोष नहीं होता है, लेकिन आठ साल के अंदर जिस अधिकारी ने इनकी आडिट की और उसके उपरान्त भी यह पकड़ा नहीं गया तो जो-जो अधिकारी इसमें नेग्लीजेंसी करते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हो गई ना यह बात , बहुत हो गई।

श्री श्रवण कुमार : उनके खिलाफ भी कार्यवाही करें। मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं, मेरा बहुत मीठा शब्द है आप काम में लोगे, दो मिनट सुनोगे तो-

" जंगल में पक्षी अनेक होते हैं ठिकाना एक होता है, जंगल में शिकारी अनेक होते हैं निशाना एक होता है,भाषाएं अलग-अलग होती हैं, तराना एक होता है, दिल में हो प्यार तो जमाना एक होता है ।"

यह कांग्रेस है, न बी.जे.पी. है, अगर आपके दिल में राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, इससे बड़ी कोई पंचायत है नहीं, अगर इसमें भी आप कोई न्याय नहीं दे पाओगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता अपने आप में अधूरी महसूस करेगी। न कोई राठौड़ है, न कोई जाट है, अगर इसमें बैठकर जाति, धर्म की बात करता है उससे बड़ा निकृष्ट और नालायक हिन्दुस्तान का कोई व्यक्ति हो नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी । माननीय मंत्रीजी ।

श्री श्रवण कुमार : मैं यह कहता हूं इस सदन में बैठकर न जाति है, न धर्म है, इस सरकार के चार करोड़ 70 लाख लोगों के भाग्य का फैसला करने वाली सरकार... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री श्रवण कुमार : इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई हो नहीं सकती । सदन के प्रत्येक सदस्य ने कहा है, मैं कहना चाहता हूं, सदन में 4 करोड़ 70 लाख लोगों के भाग्य का फैसला करने बैठे हो...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो प्लीज।

श्री श्रवण कुमार : सदन में बैठकर इस तरह की कंलकित बात न करें, इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूं । उपाध्यक्ष जी, इसके बारे में चर्चा होते हुए कम से कम दो घण्टे हो गए और यह बात कम से कम 9 साल की है। 9 साल से इस प्रकार की प्रक्रिया चलती आ रही है, इस भ्रष्टाचार के बारे में जगह-जगह विधान सभा चले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार आई, भ्रष्टाचार आप खतम करना चाहते हो तो मेरा तो सीधा ही निवेदन है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम काश्तकार कहीं नाजायज जमीन बो देते हैं तो हमारे पैनल्टी 40 गुणा होती है और उनसे हाथाजोड़ी करें तो 10-15 गुणा पैनल्टी ले ही लेते हैं, मेरा निवेदन है कि जो भ्रष्टाचार करे तो पहली बात यह है कि उसकी तनख्वाह की

(श्री देवीलाल)

15 गुणा पैनल्टी करके उसका फैसला कर देना चाहिए । यह नहीं करे तो जो भ्रष्टाचार किया, सहकारी समिति में जो लाखों-करोड़ों रुपया गबन बता रहे हैं उसके अन्दर हम बैंक में रुपया लेते हैं अपनी जमीन मंडाकर और साहूकारी तरीके से टेम पर चुका दें तो आडिट का ब्याज लेता है...,

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो ।

श्री देवीलाल : वह ठेठ की मिति का ब्याज जोड़कर बांटेदार से ब्याज ले लेता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी अंतरात्मा कहती है, जो आदमी भ्रष्टाचार करता है, इस राज में या किसी और राज में हो, भ्रष्टाचार तो मिटाना है, जिनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है, वह सही आदमियों के खिलाफ चल रही हो, छोटे से लेकर मोटे तक, चार्ज शीट में तो सही काम कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, बिराजो ।

श्री देवीलाल : भ्रष्टाचार करने वालों को कोई दु:ख नहीं हो रहा है, मेरा तो यह निवेदन है कि इसको सस्पैंड करें और इस भ्रष्टाचार को खत्म करें । मेरा मंत्रीजी को यही निवेदन है कि आप तो गाढ़ी छाती रखकर भ्रष्टाचारियों को सस्पैंड करें और इनसे दिये हुए रुपये वसूल करें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सहकारिता मंत्रीजी । आर्ड़र, आर्डर ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर करीब 27 माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उन्होंने अपने-अपने तरीके से अपनी-अपनी बात कही । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-एक बैंक के बारे में, पहले कुछ मैंने स्टेटमेंट दिया था और उसमें कुछ माननीय सदस्य चाहते थे कि आपने नाम वगैरह नहीं लिए,

(16.00 बजे)

तो नाम वगैरह लेकर मैं अपको बता देता हूं और उसके बाद में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं वह भी आपके सामने रख दूंगा। (व्यवधान) आप कृपापूर्वक थोड़े ध्यान से सुनिए । मान्यवर, अभी गुलाबचन्दजी बहुत जोर से बोल रहे थे, किसी को बख्शना नहीं चाहिए और वह नहीं होना चाहिए । यह सारे किस्से इनके राज के हैं, अपने राज का एक भी किस्सा नहीं है । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय हीरालालजी, आप कृपा करके सुनिए । बहुत हो गया । (व्यवधान) तो क्या बोलने नहीं दोगे इनको ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : और यह किस्से पकड़े भी नहीं जाते । मेरे पास तो यह डिपार्टमेंट आये हुए दो महीने के करीब हुआ है । मैं आपसे कहता हूं कि इस डिपार्टमेंट का मामला ऐसा है कि यह एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि कोई किसी की पोल नहीं खोलता और किसी की बात किसी को मालूम नहीं होती । इसी वजह से इतने वर्ष तक, मैं यह नहीं कहता कि आपका कोई चतुर राज नहीं था और कोई होशियार आदमी नहीं थे, लेकिन वह पोल नहीं खुल सकी और सामने आ नहीं सकी । पेट के अन्दर अगर बड़ी गांठ है तो आपरेशन करो तो मालूम हो, आपरेशन

(श्री खेतसिंह राठौड़)

नहीं करो तो कैसे मालूम हो। इस बारे में मैं माननीय वृद्धिचन्दजी जैन को धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास डिपार्टमेंट आते ही वह मेरे पीछे पड़े और उन्होंने कहा कि बाड़मेर के अन्दर भारी घोटाला हुआ है और इस तरह से जो पाइप्स दिये गये थे वह बहुत घटिया दिये गये हैं। इन्होंने कहा कि मरे हुओं को जिनके कुएं नहीं हैं उनको इस प्रकार से उन्होंने लोन वितरित कर दिया है, बाड़मेर की जनता बहुत परेशान है और अब आप मंत्री आ गये इस डिपार्टमेंट के, आपको इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। फिर इन्हीं की तरफ से यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आया, वह आपके सामने डिस्कस हुआ और उस रोज भी कुछ, इनके दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप का जो इन्चार्ज है वह है रणवा और दूसरा ग्रुप है उसका इन्चार्ज किशोर सिंह है। इन दो के आपस में नाइत्तफाकी खूब चलती है, भगवान की कृपा है कि दोनों की पोल खुल रही है और अपने को इससे लाभ होगा। इससे नुकसान होने का सवाल ही नहीं है। उस रोज भी मैंने जो कार्यवाही की उसी आधार पर की थी कि जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई थीं और उसके बाद में अभी तक आपसे यह कह सकता हूं कि मैं जो चाहता था जितनी जल्दी से जल्दी इसका इन्वेस्टीगेशन शुरू हो जाना चाहिए था, वह हुआ नहीं है। आज भी मैंने अभी प्रिंसिपल सैक्रेटरी और इनसे कहा है और मैं आज चीफ सैक्रेटरी से भी बात करने वाला हूं कि जब एक डिसीजन हो जाए और एक बात तय करने के बाद में उसके ऊपर कार्यवाही शुरू कर दी जानी चाहिए थी, वह नहीं की और इफ्स एण्ड बट्स में अभी तक पड़ी हुई है, यह मेरे लिए भी अच्छी बात नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी अच्छी बात नहीं है और मैं चाहूंगा कि कल आपको वापस यह रिप्लाई दे दूं कि नहीं, उस पर कार्यवाही शुरू हो गई है और उनके खिलाफ़ केस रजिस्टर हो गया है और उनके खिलाफ में एक्शन लिया जा रहा है।

मान्यवर, आज यह तीन केसेज इसी प्रकार से फिर मेरे सामने आये हैं और यह इसी वजह से इनके आपस में द्वंद्व चल रही है, मुझे मालूम है, आगे और मेरे पास में केसेज आएंगे। यह भी खुशी की बात है धीरे-धीरे सब के केसेज सामने आ रहे हैं। गुलाबचन्दजी साहब, आपने यह सही कहा कि 26 बैंक हैं और 26 ही बैंकों के अन्दर जरूर यह पैसे का मामला है और सब लेनदेन होता है इसमें और इसके अन्दर निश्चित तौर पर मेरी भी यह मान्यता है कि कहीं थोड़ा और कहीं बड़ा और इससे भी बड़ा गबन निकल सकता है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन अब यह प्रारंभ हुआ है, इसके अन्दर आप लोगों का सहयोग चाहिए। मैंने उस रोज भी आपसे यही निवेदन किया था कि जितना भी आपका सहयोग होगा उतना ही ज्यादा इस डिपार्टमेंट के अन्दर अपने को सही रूप से मालूम पड़ेगा कि कहां कितनी पोल है और किस प्रकार से अपन इसको दुरुस्त कर सकते हैं, इतना पैसा गबन हो गया है उसको वापस कैसे वसूल किया जा सकता है। यह सारी प्रक्रिया अपन ही नहीं सोचेंगे तो जाकर बैठेगा नहीं तो खाने वाले तो खा ही रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं न किशोर सिंह मेरा भाई है, न इस किशोर सिंह से मेरा कोई लेनदेन है, किशोर सिंह जाति से राजेन्द्र सिंह राठौड़ हैं, उसी तरह से राठौड़ है, राठौड़ों के... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तो यह क्या मतलब है आपका कहने का, जैसे मैं राठौड़ हूं वैसा राठौड़ है, मतलब आप हो वैसा नहीं है वह ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने यह कहा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप जिस विभाग में आते हैं, मैं तो जब पढ़ता था तब से सुनता आ रहा हूं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा, अच्छा मेरी गलती हुई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस विभाग में आते हो, घोटाले साथ लेकर आते हो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अच्छा, अच्छा मेरी गलती हुई। राठौड़ों की यों चार स्टेट्स थीं, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़...(व्यवधान) नहीं, नहीं, चूरू स्टेट नहीं था। तो काफी लोग हैं राजपूत राठौड़ जाति से, उससे क्या हुआ, राठौड़ सब एक ही थोड़े ही हैं कि मैं उनकी ही सिफारिश करूंगा। आपको बड़ा वहम है, आप थोड़े से हमसे छोटी यानी आबादी के लिहाज से छोटी कौम होने से आपमें यह ज्यादा भावना है, मेरे में यह भावना है ही नहीं। मैं यह और कहता हूं कि मैं जो जीतकर आता हूं कभी राजपूत के भरोसे नहीं आता हूं और राजपूत मुझे कम से कम वोट देता है। यह और आपको खुला कहता हूं, मैं तो जाट, विश्नोई, माली, मेघवाल इन जातियों से जीतता आया हूं आज तक, इसलिए कोई मेरे में जातिवाद है ही नहीं और मैंने जातिवाद में कभी विश्वास किया ही नहीं है।

अब मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन बैंकों के अन्दर जैसे कि अपने उदयपुर बैंक के अन्दर जो यह कांड शुरू हुआ है, यह 93 में शुरू हुआ है। अब आप देखिये,93 में शुरू हुआ है, 9.1.93 से 27.2.94 तक तो किशोर सिंह, 28.2.94 से 13.3.95 तक नेमीचन्द, 14.4.95 से 31.7.98 तक चम्पालाल और 14.8.98 से 2000 तक जितेन्द्र जैन, यह चार एम.डीज रहे हैं। अब इन चारों एम.डीज के वक्त में यह घोटाले होते रहे हैं और आगे से आगे बढ़ते रहे और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें रुपया भी 25 लाख, 9 लाख, 38 लाख, 38 लाख इस प्रकार से यह गबन बढ़ता गया, बढ़ता गया और अब यह बढ़कर आज के इन्वेस्टीगेशन में एक...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह 75 से है, एक दो दिन से नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनिए, मेरी बात सुनिए।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं, यह इतने साल का कुल मिलाकर 1.12 बनता है लेकिन चूंकि 75 से यह गबन चल रहा है और उसका इन्वेस्टीगेशन बाकी है इसलिए मैंने जो मालूम किया उस हिसाब से यह करीब 2 करोड़ के ऊपर का गबन होगा और इसलिए इसकी जांच जारी है, इसमें जो भी पकड़े जाएंगे या जो जिसकी जैसी जिम्मदारी है उसको उसी हिसाब से सजा दी जाएगी। यह चार जो उस वक्त में तत्कालीन एम.डीज थे इनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी और जो पकड़े गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है इसके लिए मैं भी लिखित में नोट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को सुपुर्द कर दूंगा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट इसमें पूरी जांच करेगा और वह...(व्यवधान)

श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) : पहले सस्पैंड करो उसको। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप +++ क्यों कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : वह जांच प्रभावित होती है इसलिए पहले सस्पैंड करो उसको। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मंत्री महोदय, जब आपने मान लिया कि यह चार अधिकारी हैं जिनके काल में गबन हो गया आप उनको प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर....(व्यवधान)

श्री रामलाल जाट : वह जांच प्रभावित होती है, वह पद पर बैठे रहेंगे और जांच को प्रभावित करेंगे। (व्यवधान) अगर उनको सस्पैंड नहीं किया गया तो जांच प्रभावित होगी इसलिए पहले उनको सस्पैंड करो।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक्चुअली में ए.सी.डी. में है वह।(व्यवधान) पहले इनको सस्पैंड करना पड़ेगा।(व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप मेहरबानी करके तमाम तथ्यों पर फैसला कीजिए... (व्यवधान) वह फैक्ट्स जो उस केस के थे और इस केस के बिलकुल एक्चुअल फैक्ट्स हैं... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जो पहले किया है वही है। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : इसलिए निर्णय एक होना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है कि... (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : जो पहले किया वही है। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : सस्पैंड करो इसमें दिक्कत क्या है ? और इंक्वायरी भी तब होगी अगर सस्पैंड करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चारों के खिलाफ ए.सी.डी. की इंक्वायरी भी तब हो सकती है जब आप सस्पैंड करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर : इंक्वायरी किस बात की करेंगे जब अधिकारी वहां पर बैठे रहेंगे। (व्यवधान)

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : सस्पेंशन का आप क्यों नहीं कहते ? क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वह कुर्सी पर बैठकर और कोई कबाड़ा करें ? इसमें गवर्नमेंट का भी नेग्लीजेंस साबित होगा, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : 12.4 को जांच हुई है। (व्यवधान) दोषी पाया गया है उसको सस्पैंड कीजिए और फिर जांच कराइए।(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : इनको सस्पैंड कीजिए और फिर जांच कीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ...मुकदमा दर्ज होने वाला है...(व्यवधान) उनको पहले आप सस्पैंड कीजिए। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : ...जांच रिपोर्ट है। जांच रिपोर्ट में नाम है और आडिट रिपोर्ट में नाम है। इनको सस्पैंड करके अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराइए। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री मोहन लाल मोदी : जो जांच में निर्दोष पाया जाए तो फिर बहाल कर देना। पहले सस्पैंड कीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप सस्पैंड कीजिये, मंत्री महोदय, और आपका संदेश पहुंचाइए। (व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : अगर निर्दोष होंगे तो बहाल कर दिये जाएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गम्भीर मामले को गम्भीर तरीके से लीजिए मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह मामला तो केवल एक ही बैंक का है, अभी तो और दो बैंकों के घोटाले उससे भी बड़े घोटाले हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, कर दीजिए सस्पैंड इनको। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको सस्पैंड करो नहीं तो मैं वैल में बैठकर धरना देता हूं।

(माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह (रामू) **द्वारा सदन के वैल में धरना)**

श्री के.सी. विश्नोई : आपने गई बार किया है इस पवित्र सदन में...(व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : जब पक्ष के सदस्य और विपक्ष के सदस्य मांग कर रहे हैं तो आपको सस्पैंड करने में क्या आपत्ति है ? जैसे पहले कार्यवाही हुई है वैसे अब भी कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर, सुनिए। सुनिए आप। बिराजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप सुनिए न। भीलवाड़ा बैंक में जब ये घोटाले हुए... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : अभी और बैंकों में घोटाले बाकी है, वह तो सुनें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए, माननीय राधेश्याम जी, बिराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भीलवाड़ा बैंक में जिस समय के ये घोटाले बताये गये हैं, चार प्रबन्ध निदेशक वहां रहे हैं, एम.डीज रहे हैं, रामावतार जैन, ए.के. मौर्य, किशोर सिंह राठौड़ और रामचन्द्र जोधा। चार उस वक्त में रहे हैं और चार इस वक्त में रहे हैं। पाली के अन्दर भी तीन रहे हैं। 28.4.92 से 1995 तक रघुवीर सिंह थे, 19.8.95 से 27.11.97 तक मदनलाल राठी रहे हैं और 28.11.97 से 18.8.98 तक सोहनलाल रहे थे।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : सारे एक साथ ही जाने दो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस तरह से चार और चार आठ और तीन, ग्यारह। ग्यारह मैनेजिंग डायरेक्टर्स को एकदम से जब तक कोई इन्वेस्टीगेशन नहीं हो जाए, पुलिस यह नहीं कह दे कि इनके खिलाफ केस बनता है...(व्यवधान) आप दो को चाहते हो। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : ... इन अधिकारियों ने नामालूम कितनी छोटी-छोटी गलतियों के

(श्री के.सी.विश्नोई)

ऊपर बाबुओं को कितनी बार सस्पैंड किया उस वक्त इनका यह आर्ग्यूमेंट होता है कि ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन नहीं रहे हो। (व्यवधान) यह तरीका नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : इनकी जानकारी में करोड़ों रुपये...(व्यवधान) करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है।(व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : मंत्री महोदय, इनको सजा दी जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, इतने सदस्य कह रहे हैं, आप इनको सस्पैंड करें जिनके नाम हैं।(व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय सदस्य, यह रही रिपोर्ट। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : राजस्थान की सरकार घोटाले करने वालों को...(व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अमरा राम (धोद), श्री रिछपाल सिंह मिर्धा एवं श्री यशवंत सिंह (रामू) सदन के वैल में बैठे एवं नारेबाजी की)

श्री राजेन्द्र पारीक : ... इसके बाद क्या बाकी रह गया ? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय मंत्री महोदय, गबन हुआ है। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : आपको सस्पैंड करना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : फिर थोथी घोषणा है कि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। (व्यवधान) फिर हमारे यह ...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खुद ने कहा है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने माना कि दो ग्रुप हैं जिसमें से एक ग्रुप के सरगना को तो सस्पैंड कर दिया गया है और दूसरे को क्यों नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अमरारामजी, सीट पर जाएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम कोई फाइनल सजा देने नहीं जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : जब पहले ही आप सस्पैंड कर चुके हो तो अब सस्पैंड करने में क्या दिक्कत आ रही है। उनको भी सस्पैंड कर दें। (व्यवधान) पहले आप सस्पैंड कर चुके उनसे तो बड़े दोषी हैं यह...(व्यवधान) +++ पहले सस्पैंड किये वह तो +++ ही थे, इन +++ को क्यों नहीं करते ? ये तो+++ हैं। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : सरकार नहीं बचाएगी। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दें। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ केआदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : एक-एक विभाग का नम्बर लें, अधिकांश भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, दोहरी चाल नहीं चलेगी। इशारों पर नहीं चलेंगे दोहरी चाल। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कोई जल्दी नहीं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : बचाने वाला काम बन्द करें। (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : ... आप जिम्मेदारी लें अपनी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब चाहते हो नहीं।(व्यवधान)माननीय मिर्धाजी, बिराजिए।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मंत्रीजी बोल रहे हैं, आपने पूरी बात मंत्रीजी की नहीं सुनी। (व्यवधान) अब आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। मंत्रीजी का पहले पूरा जवाब आ जाने दीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक बार सीट पर बैठो न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इनसे कहें कि सीट पर जाएं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? ठहरो न।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप तो जवाब दिलवाएं न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दे रहे हैं वे।

श्री लक्ष्मण सिंह : मंत्रीजी, हीरो बनना है या जीरो बनना है यह आप सोच लीजिए। इतिहास में नाम हो जाएगा वरना जीरो बन जाओगे। पूरे राजस्थान की जनता के सामने या तो हीरो बन जाओगे या जीरो बन जाओगे।(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन 40 साल में कइयों ने कोशिश की है, मैं जीरो बनने वाला नहीं हूं। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : दोषियों को क्यों बचाया जा रहा है ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप बैठिये पहले।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की और उस वक्त पाली के अन्दर 1995, 1996, 1997 मेंयह सारा घोटाला हुआ है और उस वक्त वहां पर मदनलाल राठी थे मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको मैं सस्पैंड करता हूं।

श्री हीरालाल विश्नोई : और भी हैं उनको भी करिये।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : तसल्ली रखो न। इतनी उतावली क्या है समझ में नहीं आ रहा है। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर के मामले में जहां पर कि करीब एक करोड़ 52 लाख का तो आ गया है और आगे भी जांच चल रही है, उम्मीद है कि

(श्री खेतसिंह राठौड़)

दो करोड़ तक यह मामला पहुंचेगा। इसमें चार मैनेजिंग डायरेक्टर थे, इन चारों को मैं सस्पैंड करता हूं। (व्यवधान)

श्री के.सी. विश्नोई : नाम बोलो, नाम बताओ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बिराजें। अब आपकी जरूरत नहीं रही।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मंत्रीजी को बोलने दीजिए।(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उनके नाम हैं, किशोर सिंह राठौड़, नेमीचन्द, चम्पालाल जैन और जितेन्द्र जैन।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त।

श्री गुलाब चन्द कटारीया : एक मिनट। भीलवाड़ा में एक और था रामचन्द्र। भीलवाड़ा में दो लोग थे, एक किशोर सिंह और एक और है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भीलवाड़ा में किशोर सिंह का ही है और किशोर सिंह सस्पैंड हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारीया : एक और है उसके साथ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसके साथ रामचन्द्र को आप जोड़ना चाहते हो। वह सिर्फ तीन महीने रहा है उसके दरम्यान कोई ऐसी कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री रामस्वरूप : अब आप मंत्रीजी को मिलकर धन्यवाद दो। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : बहुत बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) आपको शायद याद रखेंगे सब। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये भ्रष्टाचार को मिटा रहे हैं। इन्होंने जातिवाद को नहीं रखा और न्याय किया है। वास्तव में इनको बहुत बहुत धन्यवाद।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। श्री गुलाब सिंह शक्तावत, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक; 2000 (2000 का विधेयक संख्या 9) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह, श्री रामनारायण चौधरी, श्री दिग्विजय सिंह, श्री राजेन्द्र राठौड़।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खण्डेला में पानी की समस्या

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात का जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिला देंगे। आप बैठिए, बैठिए। आप बैठिए।

श्री महादेव सिंह खण्डेला : पानी का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी कितनी देर तक बैठ गया। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, साहब, आप क्या बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तब आप चले गये।

श्री महादेव सिंह : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी जवाब दे रहे थे उस समय आपका पता ही नहीं था, तब आप चले गये थे। आप बैठिए बैठिए, दिला देंगे जवाब। आप बैठिए।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, ये पानी की बात करके पानी पीने चले गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : हां, जवाब दिला देंगे। जवाब दिला देंगे, आप बैठिए तो सही।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पानी का मामला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब दिला देंगे। आप बैठिए तो सही। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : हम भी हाथ जोड़ रहे हैं, जवाब दिला दो।

श्री उपाध्यक्ष : वह बैठें तो जवाब दिलाऊं और कैसे दिलाऊं जवाब। (व्यवधान) वह जवाब दे रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर हाल ही में पानी की समस्या के बारे में और योजना के बारे में जानकारी चाही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह ढाई करोड़ रुपये की योजना जो काफी समय से स्वीकृत हुई थी, उसमें करीब 18 कि.मी. तक सात ट्यूब वैल आपके एरिया में बनाये गये हैं और 8 कि.मी. तक टैस्टिंग हो चुकी है और बिजली की कमी के कारण, बिजली का कुछ व्यवधान आ गया था इसलिए खण्डेला तक आपकी लाइन नहीं पहुंच सकी है और 30 मई तक खंण्डेला को पूरा पानी 7 ट्यूब वैलों से पहुंच जाएगा, अब व्यवस्था पूरी हो जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी राठौड़।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपके इलाके में करीब 1100-1200 हैण्डपम्पों का कार्य चल रहा है और 200-250 हैण्डपम्प जो खराब थे, उनकी टैस्टिंग चल रही है। 1100-1200 हैण्डपम्प आपके खराब हैं, ये भी 30 मई तक ठीक हो जाएंगे और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लग जाएगी।

श्री महादेव सिंह : 170 नये हैण्डपम्प खुदे थे, वे कब तक लग जाएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब 170 का फैसला यहां नहीं होता है। बैठिए, बैठिए। वह कोई एक दिन में लगते हैं क्या ?

श्री महादेव सिंह : वह बता रहे हैं ना। अब उनसे एक का और जवाब दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बिराजिए।

श्री महादेव सिंह : 170 हैण्डपम्प आपने स्वीकृत किये हैं, वह कब तक लग जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह कोई एक दिन में लगते हैं क्या ? आप भी ऐसी बात कर रहे हो। संतोष रखो, इतनी बड़ी बात कह दी।

एक माननीय सदस्य : वहां सामान ही नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास पूरा सामान है।

श्री महादेव सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले एक साल से लगातार कहता रहा हूं। एक साल से हैण्डपम्प खराब पड़े हैं। (व्यवधान) मैं कोई एक दिन की बात थोड़े ही कह रहा हूं। हमारे मंत्रीजी इतना काम करा रहे हैं, हमारा जवाब दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को अवगत कराना चाहता हूं कि आपके विभाग में10 फुट का पाइप ही नहीं है, कैसे काम करवाओगे आप ? आपका चीफ इंजीनियर तीन साल से मुझे वहां,जब भाजपा का राज हुआ करता था, मैंने 54 कुएं खुदवाए और आपका चीफ इंजीनियर एक कुआ नहीं खुदवा सकता।

(16.22 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

आपका डिपार्टमेंट जैसा भ्रष्ट और +++ कोई नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : मैं 20 बार आपको कह चुका हूं। कौन बैठता है आपका चीफ इंजीनियर, आपके डिपार्टमेंट में काम नहीं होता। 10 फुट का आपके यहां पाइप ही नहीं है, सामान आपका है नहीं, आप कहते हैं, काम करा रहे हैं, काहे से काम करा रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : क्या काम करवाओगे ? तीन महीने से जनता तरस रही है पीने के पानी के लिए। आपका डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करा सकता। मुझे कहते हुए शर्म आती है...

श्री सभापति : आप बिराजिए। माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : ...कि यहां आपके डिपार्टमेंट में वे लोग बैठे हैं, वे ऐसी मोटर खरीदते हैं, जिसकी यहां डिपार्टमेंट में अहमियत नहीं होती। डिपार्टमेंट में वह मोटर आती है जिसका अधिक से अधिक कमीशन मिलता है। आपके यहां न कोई मोटर है, न कोई पाइप है, न कोई अन्य सामान, क्या काम करवाओगे आप ? केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। काम करवाइये। आपके चीफ इंजीनियर को मैं जानता हूं कि कौन हैं ? जो रूरल का चीफ इंजीनियर है वह दो साल से देख रहा हूं,भाजपा का राज रहा तो काम किया। न बाद में किया और न आज करता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ केआदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री श्रवण कुमार : वह आपका चीफ इंजीनियर काम ही नहीं करता। जाने वालों को जवाब ही नहीं देता। एम.एल.ए. की अहमियत नहीं समझता। क्या काम करवाओगे आप ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : आप क्या करवाएंगे ? आज काम करने वालों की अहमियत नहीं। भाजपा के राज में सुभाष सक्सैना, चीफ इंजीनियर हुआ करता था, मैंने 54 ट्यूब वैल खुदवाए थे, अब आपका रूरल का कौन है, मैं जानता नहीं... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं, मुझे कहते हुए शर्म आती है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इधर आ जाओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : आपके अंदर जो हैं वे ही दु:खी हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि काम करवा दिया, क्या काम करवाएंगे ? 10 फुट का पाइप ही नहीं है इनके पास।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बार बिराजिए आप।

श्री श्रवण कुमार : मुझे कहते हुए शर्म आती है। राजस्थान सरकार में इतने बड़े बहुमत के साथ में हम बैठे हैं और 10 फुट का पाइप ही नहीं है।

श्री सभापति : एक बार आसन ग्रहण कीजिए आप। माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया है और कोई अधिक समस्या हो तो आप उनसे सम्पर्क कीजिए, वह कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति, मेरी भी पानी की समस्या है। मैंने मंत्रीजी से जवाब मांगा था। इन्दिरा लिफ्ट योजना जो कि राऊ घाट और सपोटरा का पानी... मैं सदन में मंत्रीजी से जवाब चाहती हूं। आज तो मुझे जवाब लेना ही है।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी से कि मंत्रीजी, आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है। इनके आश्वासन का इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है। केवल आश्वासन से कुछ काम नहीं होता है।

श्री सभापति : दूसरा आइटम लिया जा चुका है। अब माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्रीमती कमला बृजलाल : इन्दिरा लिफ्ट योजना राऊ घाट और सपोटरा, करौली जिले में ही बनी है, उसको छोड़ दिया गया है और यह करौली जिले से संबंधित है। मुझे मंत्रीजी से आज ही जवाब लेना है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, आश्वासन से सरकार नहीं चलती है, न आश्वासन से पानी आता है। आश्वासन का इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है। सरकार के आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दूसरा बिजनेस, आइटम लिया जा चुका है आप बिराजिए।

श्री महादेव सिंह : 170 नये हैण्डपम्प लगाने के लिए मंत्रीजी को ...

श्री श्रवण कुमार : सभापति महोदय, आश्वासन से काम नहीं चलता है। वहां पानी के लिए त्राहि त्राहि मची हुई है (व्यवधान) पानी नहीं है गांवों में।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए। माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को अच्छी तरह पता है, इस बिन्दु पर पूरे दिन भर खूब चर्चा हुई थी अकाल पर और पेयजल योजनाओं पर, उस समय में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी सममस्याएं रखी हैं, उनका जवाब भी माननीय मंत्रीजी ने दिया है। अब और भी समस्याएं रह गई हैं तो आप मिलकर समाधान करा लें। अभी सदन में इस पर चर्चा तो कोई हो नहीं सकती।

श्रीमती कमला बृजलाल : उस दिन भी जवाब नहीं मिला था।

श्री श्रवण कुमार : माननीया कमलाजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह चर्चा का विषय है लेकिन आश्वासन की बात है। न आश्वासन से पानी आता है, न जनता का इससे कोई फायदा होने वाला है।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति महोदय, यहां पर हाउस में मंत्रीजी से जवाब चाह रही हूं कि मंत्रीजी यह करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं ?

श्री श्रवण कुमार : इनका चीफ इंजीनियर इनकी मानता नहीं है। यह सरकार का फर्ज है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : क्यों नहीं कर रहे हैं ? जब मेरी लिफ्ट योजना वहां से है, उस दिन भी जवाब नहीं दिया और आज भी जवाब नहीं दे रहे हैं। योजना वहीं से चालू है।

श्री सभापति : इस समय कोई जवाब नहीं होगा। दूसरा आइटम लिया जा चुका है।

श्री श्रवण कुमार : मंत्रीजी, कृपया आप बताएं कि आप चीफ इंजीनियार को कब बदल रहे हो ?

श्रीमती कमला बृजलाल : योजना वहीं से चालू है, उसको छोड़ दिया गया है। भरतपुर को जोड़ दिया है।

श्री सभापति : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार : माननीय मंत्रीजी, एक निवेदन करना चाहता हूं, आप चीफ इंजीनियर को कब बदल रहे हैं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं। यह कब तक बदल जाएगा चीफ इंजीनियर ? यह चीफ इंजीनियर आप बदल नहीं सकते। क्या चीफ इंजीनियर है आपका?

श्री सभापति : आप सुनना चाहते हैं इनका या नहीं ? सुनना चाहते हैं तो सुनो आप इनको।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, खण्डेला से आने वाले विधायक महादेव सिंहजी हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण किया था, मैंने पूरी जानकारी करके इनको जानकारी करा दी है और मैंने यह कह दिया कि जो भी हैण्डपम्प

(श्री रामसिंह विश्नोई)

इनके स्वीकृत हैं, वह स्वीकृत हैं,साल भर से स्वीकृत हैं, एक दिन के लिए नहीं हैं। पहले के जो 1100-1200 हैं, जितने भी खराब थे, उनकी रिपेयरिंग चल रही है। नये हैण्डपम्प हैं वह तीन-चार महीनों के अन्दर लगाने का है, आज लगने का नहीं है । वह प्रक्रिया शुरू हो रही है और स्कीम का भी बताया है, ढाई करोड़ की मंजूर हो गई, सात ट्यूब वैल बन गये, आठ कि.मी. तक लाइन की टैस्टिंग हो गई, इसमें पानी चल रहा है । 10 कि.मी. बाकी रहा जो 30 मई तक इनका काम पूरा हो जाएगा । इनका ध्यानाकर्षण था । यह मैंने जवाब दिया है । माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, कोई मुझे कहना चाहते हैं, आप लिखकर दें, आपकी व्यवस्था हो जाएगी। बाकी आप जितना जोर से बोलेंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ।

श्री श्रवण कुमार : भाषा है जोर से बोलने की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपको पिछली विधान सभा में भी कहा था, आप मेरी बात सुनिए, पिछले दो साल से प्रोपोजल बनाकर आपके चीफ इंजीनियर को दे रखे हैं। चीफ इंजीनियर कागजों के हाथ ही नहीं लगाता है । आप क्या करोगे ? आप चीफ इंजीनियर को कह सकते हैं । आपका चीफ इंजीनियर, आपका एस.ई. इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपका वर्क सोर्ट आउट नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है तब तक क्या आश्वासन से काम चल जाता है क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इसका यहां कोई समाधान नहीं होगा। आप बिराजिए। माननीय राठौड़ साहब, आप शुरू कीजिए।

श्री श्रवण कुमार : तो कहां होगा ? बम्बई में होगा क्या, कलकत्ता में होगा क्या ? कहां होगा समाधान ? इसी सदन में होगा जहां मंत्री बैठता है, जहां अध्यक्ष बैठता है, जहां चीफ मिनिस्टर बैठता है । यहां नहीं होगा तो क्या फिर कलकत्ता में होगा ? क्या है यह, यहां नहीं होगा।

श्री सभापति : आप बिराजिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बात गलत है। इन्होंने कोई लिखकर नहीं दिया। एक बार मैं केवल सीकर गया था, उस समय आपने जरूर बात की, उसके बाद कभी भी लिखकर नहीं दिया और इसी तरह अब विधान सभा के अन्दर जब पानी पर बहस थी, उस समय आप बोले नहीं, बात पैदा नहीं की और कभी आपने लिखकर दिया नहीं। मैं कोई रामजी तो हूं नहीं कि मुझे जानकारी हो जाए। कम से कम आपको लिखकर देना चाहिए था।

श्री सभापति : अब आप बिराजिए।

श्रीमती कमला बृजलाल : सभापति महोदय, मंत्रीजी को मैंने लिखकर दिया है, पानी की बहस पर मैं बोली हूं। आखिर तक जवाब मांगा है लेकिन मेरा जवाब उस दिन भी नहीं मिला और आज भी नहीं मिल रहा है। क्या कारण है मेरा जवाब नहीं मिलने का ? मंत्रीजी जवाब दें मुझे प्रश्न का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नारी हैं, आप अबला हैं इसलिए आपका जवाब नहीं दे रहे हैं। वरना दे दिया ना उनको जवाब। मंत्रीजी क्यों नहीं देते जवाब ?

श्रीमती कमला बृजलाल : नहीं, आखिर तक मेरा उस दिन भी जवाब मांगती रही लेकिन जवाब नहीं मिला। नारी की बात नहीं है। मैं एक विधायक हूं। विधायक हूं। नारी और अबला का कोई मतलब नहीं है यहां पर।

श्री सभापति : आप बिराजिए। माननीय सदस्य, बिराजिए आप।

श्रीमती कमला बृजलाल : जवाब देना पड़ेगा, इसमें क्या बात है। अब मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सभापति : जवाब जरूर मिलेगा लेकिन इस समय इस तरह से नहीं आएगा।

श्रीमती कमला बृजलाल : इन्दिरा लिफ्ट योजना मेरे यहां की लिफ्ट योजना है, वह धौलपुर और भरतपुर गई लेकिन सपोटरा को छोड़ दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय श्री सांवर लाल।

श्रीमती कमला बृजलाल : सभापति महोदय, मैं जवाब मांगना चाहती हूं, जवाब क्यों नहीं दिया। मैं आखिर में बैठ रही हूं यहां धरने पर। यह कोई मतलब है क्या ? वह क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं ?

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप धरने पर बैठ जाओ।

श्री सभापति : बिराजिए, बिराजिए। जवाब आएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : राजेन्द्रजी राठौड़ साहब,...(व्यवधान) वह उनका सम्मान करती हैं।

श्री सभापति : जवाब आएगा। आप बिराजिए। आएगा जवाब।

श्री रामसिंह विश्नोई : सभापति महोदय, मुझे पूरी जानकारी होने से पहले मैं कैसे जवाब दे दूं।

श्री सभापति : नहीं, यही तो मैंने निवेदन किया। माननीय सदस्या, आप अपनी समस्या इनको दे दो, जवाब जरूर आएगा, यह जरूर देंगे जवाब।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह लिखकर देंगी तो मैं इनको साथ बैठाकर, अधिकारियों को बुलाकर तीन दिन के अन्दर इनकी समस्या का समाधान कर दूंगा।

श्री सभापति : बस ठीक है। हो गया। हो गया। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़।

विधेयक पर विचार

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने को संशोधन प्रस्ताव

राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, यूं लगने लगा है कि अब धीरे-धीरे उस सरकार की कलई खुलने लगी है जो अपने आपको पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील कहती है। सभापति महोदय, आपने महसूस किया होगा, पिछले एक सप्ताह से सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी अब असलियत को समझकर सरकार के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विरोध में अपने मन की भावना को इस सदन में रखने लग गये हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री सभापति : आपका प्रस्ताव क्या है, वह मूव कीजिए आप। वह मूव कीजिए पहले, प्रस्ताव क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : अब फरमाइए आप इस पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा प्रस्ताव इसलिए है, सभापति महोदय, कि इस पूरे विधेयक को मैंने पढ़ा है, यह सूचना देने का अधिकार है या सूचना रोकने का अधिकार है, मेरे समझ में नहीं आया है। इसके उद्देश्य, कारण और कथन तो बड़े अच्छे लिखे हैं- जिम्मेदारी, खुलापन, विकेन्द्रीकरण, नागरिक जागरूकता के सिद्धांत पर, और इसको पूरा पढ़ने के पश्चात् कहीं नहीं लगा कि इस सरकार की मंशा कहीं साफ हो। आधे-अधूरे मन से यह विधेयक सदन के सम्मुख लाया गया है। हालांकि कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र से लेकर मुख्य मंत्रीजी ने कई बार इस बात को कहा है कि हम राजस्थान की जनता को सूचना का अधिकार देना चाहते हैं। लोगों के मन में यह इच्छा थी कि किस तरह का विधेयक आएगा, परंतु इसको पूरा पढ़ने के पश्चात् मैं समझता हूं कि जो कोई भी माननीय सदस्य पढ़ेगा, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली कहावत सामने आएगी। सभापति महोदय, सूचना की स्वतंत्रता हमारे मौलिक अधिकारों में है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19 में खण्ड 1 के उप खण्ड (क) में हमारे फंडामेंटल राइट्स में इस बात को डाला था कि इस हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक को सूचना की स्वतंत्रता है। परंतु यह विधेयक जो लाया गया है, इस विधेयक की धारा 3 के अन्दर यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक नागरिक किसी भी कार्यालय के भारसाधक अधिकारी से सूचना प्राप्त करने का अधिकारी होगा और सैक्शन 4 के अन्दर उसकी प्रक्रिया बताई गई है और दिन तय किये हैं 30, यानि आफिसर इन्चार्ज 30 दिन में तय करेगा, वह सुनिश्चित करेगा कि जो सूचना मांगी गई है वह सूचना दी जाए या नहीं दी जाए। अब, सभापति महोदय, कोई व्यक्ति किसी निर्माण कार्य के लिए अगर सूचना चाहे और उसक अन्दर किसी तरह का कोई गबन-घोटाला है और आफिसर इन्चार्ज 30 दिन तक तो यह तय करेगा कि उसको सूचना दी जाए या नहीं दी जाए, तब तक किसी तरह की लीपापोती करने का मौका उस संबंधित व्यक्ति को मिल जाता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, इसमें धारा 5 में यह लिखा गया है कि कौन-कौनसे ऐसे विषय हैं, सूचना के अधिकार पर निर्बन्ध, मतलब जो सूचनाएं नहीं दी जा सकतीं। सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं धारा 5 की उप धारा (1) में तो सरकार का विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और विदेशी दूसरी संस्थाओं के साथ अगर कोई पत्राचार होता है, कोई सूचना चाहते हैं, इस 5(1) के तहत सूचना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्राप्त करने का वह व्यक्ति अधिकारी नहीं होगा। अभी सदन के अंदर एशियन डवलपमेंट बैंक के साथ हमारा जो करार हुआ उसकी चर्चा चल रही थी। यानि कोई व्यक्ति यह चाहे कि उसको इस बात की सूचना मिले कि सरकार के और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों के मध्य किस तरह का करार हुआ, किन शर्तों पर कितना ऋण लिया गया, यह अधिकार नहीं होगा। सरकार विदेशी सरकारों के साथ, विदेशी वित्तीय संस्थाओं के साथ जो व्यवहार करती है, सरकार का जो संबंध है, वह सम्बन्ध अधिकतर इस तरह की ट्रीटी से संबंधित रहता है जो व्यापार से जुड़ी रहती हैं। अब इस तरह की सारी सूचनाएं प्राप्त करने का प्रतिबंध इस धारा के अंदर लगा दिया।

सभापति महोदय, इसमें 5(2) के अंदर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में जिस तरह की सूचनाओं का आदान-प्रदान हो, वह सूचना भी प्राप्त नहीं कर सकता। आपको स्मरण होगा, सभापति महोदय, कि इसी पारदर्शी सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर आर्थिक सुधारों के नाम पर एक एम.ओ.यू. दस्तखत किया था भारत सरकार के साथ और 1040 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। अब यह सरकार उस समय करार करके आई थी कि हमें 1040 करोड़ रुपये का शार्ट पीरियड ऋण दे दो, हम पदों को समाप्त कर देंगे, सिंचाई के शुल्क को दुगना कर देंगे, विद्युत शुल्क बढ़ा देंगे। इस तरह का करार जो भारत सरकार और राजस्थान की सरकार के बीच में हो, वह सूचना भी प्राप्त नहीं की जा सकती।

धारा 5(3) के अंदर इन्टरा डिपार्टमेंट और इन्टर डिपार्टमेंटल, दो विभागों के बीच के अंदर अगर कोई नीतिगत प्रश्न से जुड़ा हुआ कोई पत्राचार या कोई मीटिंग हुई, बैठक हुई, कोई निर्णय लेना चाहते हैं दो विभाग मिलकर के या एक विभाग स्वयं कोई निर्णय लेना चाहता है और कोई जागरूक व्यक्ति कह दे कि आप नई नीति बना रहे हैं, इस नई नीति के अंदर आपके उद्देश्य क्या हैं, कारक क्या हैं, वह सूचना प्राप्त नहीं कर सकता।

सभापति महोदय, इसी धारा 5 में उप धारा 4 का ग के अंदर किसी भी पैण्डिंग मामले में कोई जांच हो, कोई और हो, उसमें भी किसी तरह की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं और धारा 5(5) में तो, सभापति महोदय, गजब किया हुआ है। यह सूचना का अधिकार है या सूचना रोकने का अधिकार है। यह विधेयक लाने का उद्देश्य क्या है, मेरी समझ में नहीं आया।

इसमें साफ लिखा गया है, 5(5) में कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, सभापति महोदय, आप कहें तो मैं पढ़कर सुनाऊं, लब्बे लुबाब उसका कहना यही है कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति का विवेचन या उसकी जानकारी प्राप्त हो नहीं सकती, नहीं प्राप्त की जा सकती। कितना ऋण लिया, कितना इन्होंने विदेशी एजेन्सियों से ऋण लिया, कितना भारत सरकार से ऋण है, यह जानकारी भी प्राप्त नहीं की जा सकती।

सभापति महोदय, इन सारी बातों के साथ इसके अन्दर धारा 5 की उप धारा 11 के अन्दर यह कह दिया, अति साधारण और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विस्तृत सूचना के नाम पर आफिसर इन्चार्ज सूचना देने के लिए मना कर सकता है। यह कि प्रार्थना अति साधारण हो या ऐसा स्वरूप हो कि उसकी पूर्ति के लिए निकाले या तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित सूचनाओं की मात्रा को ध्यान में रखते हुए उसमें किसी लोक प्राधिकरण के स्रोतों का आनुपातिक उपयोजन अन्तवर्लित है या उसके ऐसे प्राधिकरण के कुकृत्य में प्रतिकूल हस्तक्षेप हो, यह सूचना नहीं दी जा सकती।

अब, सभापति महोदय, मैंने आपके सामने सारी धाराएं पढ़ कर निवेदन किया है, विदेशी एजेन्सियों से हमारा क्या सम्बन्ध है, विदेशी सरकार से किस तरह का ऋण ले रहे हैं, इसकी सूचना नहीं प्राप्त कर सकते। भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरह का रिश्ता है, इन बातों के अंदर दोनों के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान हो, वह प्राप्त नहीं कर सकते। प्रदेश की इकोनोमिक हालत के बारे में बात नहीं कर सकते, सूचना नहीं ले सकते। इन्टर डिपार्टमेंट और इन्टरा डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं ले सकते। कोई जांच अगर कहीं है, उसकी जानकारी नहीं ले सकते और अति साधारण सूचना है उसकी जानकारी नहीं ले सकते। तो मैं समझता हूं, यह किस तरह, क्यों लाया गया है, यह इतने राइडर लगने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति को राजस्थान में चाहे इस सूचना के अधिकार का ताबीज बनाकर वह गले में घूमता रहे, उसको किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मिल सकती। क्योंकि यह सारी की सारी सूचना कौन देगा ? आफिसर इन्चार्ज। और आफिसर इन्चार्ज अगर मना कर दे तो किस के पास जएगा वो अपील के अन्दर ? प्रथम अपील होगी जिला स्तरीय अधिकारी के पास। और अगर जिला स्तरीय अधिकारी 30 दिन के अन्दर यह फैसला कर दे कि नहीं दूंगा मैं। सूचना के लिए उसने प्रार्थना पत्र दिया उस पर तो आफिसर इन्चार्ज 30 दिन में फैसला करेगा और अगर सूचना नहीं मिली तो अपील में जाएगा फिर 30 दिन में आफिसर इन्चार्ज फैसला करेगा। इसके सैक्शन 7 दिन के अंदर जो जिला स्तरीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील है वह है सतर्कता समिति को। सभापति महोदय, आप सतर्कता समिति की बैठकों में जाते रहते हैं, कौन चेयरमैन है इस सतर्कता समिति का ? जिला कलक्टर उसका चेयरमैन है। मतलब किसी जिला स्तरीय अधिकारी ने कोई सूचना नहीं दी, उसके लिए अपील में जाओ तो जिला कलक्टर सर्वेसर्वा है। अब यह नौकरशाह तो सूचना देने वाला और नौकरशाह ही अपील सुनने वाला। किस तरह का अधिकार, क्यों लेकर आये हैं, मेरी समझ में नहीं आया ?

सभापति महोदय, इसके साथ ही इन्होंने कर क्या दिया, सैक्शन 12 में उल्लेख कर दिया कि इस मामले में न्यायालय में नहीं जा सकते आप और इस सैक्शन 10 के अंदर इन्होंने यह कह दिया कि अगर इसमें किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी तो वह भी सर्विस रूल्स के अन्तर्गत होगी। कोई मेजर पैनल्टी इसमें नहीं की है। न्यायालय में आप जा नहीं सको। इतने ज्यादा राइडर्स लगे कि आपको सूचना मिल ही नहीं सके, सूचना नहीं मिलने पर आप अपील करने जाएं तो इन्हीं नौकरशाहों के सामने जाओ। इसलिए मैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं समझता, सभापति महोदय, कि इस सूचना के अधिकार का कोई किसी तरह का औचित्य है।

मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, मंत्री महोदय, कि आपने हमारी सरकार की आलोचना तो बहुत की है परन्तु हमारी सरकार के समय में जो ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की अधिसूचना निकली है, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996 और यह अधिसूचना का नंबर है 2777, इस अधिसूचना के अन्दर जो आपने वाहवाही लूटी है, हमारे मुख्य मंत्रीजी तो काम करने में विश्वास करते थे और आपके मुख्य मंत्रीजी की तरह रोज अखबारों में विज्ञापन के नाम पर सरकारी धन का अपव्यय नहीं किया करते थे, यह सारा आप जो कानून लेकर आये हो, उससे ज्यादा उस वक्त हमने इस राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करके और यह जो हमारा एग्जिस्टिंग ला है राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1996, उसमें जो प्रावधान हैं उनमें सारी की सारी ये सुविधाएं, सारी की सारी सब बातें विस्तृत रूप से उल्लिखित की थीं।

अब इसमें सैक्शन 321 आप देख लें कोई भी व्यक्ति सामान्य: पांच रुपये फीस जमा करा के और उसे ज्यादा जल्दी हो अतिआवश्यक हो तो 10 रुपये की फीस जमा कराके पंचायत राज संस्था की किसी भी पत्रावली का अवलोकन कर सकता है। सभापति महोदय, वह पत्रावली चाहे निर्माण से संबंधित हो, किसी भी पत्रावली का वह अवलोकन कर सकता है और 323 में सरकार पारदर्शी है, यह बातें कहनी आती हैं पर वह पारदर्शिता बनी कैसे रहे। सरकार के कार्यकलाप क्या हैं, यहां बैठे तो कोई बात कह नहीं सकते। सरकार का धन किस कार्य के लिए, कहां किस रूप में खर्च किया जा रहा है, उसकी कितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, कितने समय में धन-खर्च होगा उस पर कैसे निर्माण होगा। हमारी सरकार ने सैक्शन 323 में जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 का है उसमें उल्लिखित किया था कि प्रत्येक पंचायत समिति और ग्राम पंचायत अपने द्वारा किये गये कार्य का विवरण तथा कितनी राशि का कार्य, कब प्रारम्भ हुआ, कब समाप्त हुआ, यह नोटिस बोर्ड पर चिपकाएगी। यह पिछले पूरे पांच साल का लेखा-जोखा भी वह नोटिस बोर्ड के द्वारा जनता को बताएगी और इसी के 323 (2) में निर्माण जहां होगा उस साइट पर भी यह सारी चीज अंकित करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, और अगर इसमें किसी तरह की कोई कापी लेनी पड़े तो दो रुपये दो सौ शब्दों के देकर आप किसी भी सूचना की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं।

अब, सभापति महोदय, पहले हमारे एग्जिस्टिंग ला में प्रावधान है, हमें संविधान में स्वतंत्रता की मौलिकता दी हुई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी प्रावधान है परन्तु चूंकि कुछ इस तरह के काम, जनता के बीच में जाकर कि हमने बहुत बड़ा मीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, सूचना का अधिकार हमने दे दिया, यह बात कहने के लिए यह सरकार इस विधेयक को लेकर आई है। सरकार की बुनियाद ही थोथी बातों पर है। बिना आधार की बातों पर इस सरकार ने अपना डेढ़ वर्ष निकाल लिया, सभापति महोदय,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और आज उसी का परिणाम है कि जो चिंगारी थी न, वह चिंगारी अब धीरे-धीरे फूटने लग गई। पहले जो मूक बने बैठे रहते थे जो सोचा करते थे कि हम सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ, किसी दूसरी सरकार की नीति के खिलाफ नहीं बोलें, हमारे कोई काम होंगे, अब इनका धैर्य का बांध टूट गया है। सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सूचना का अधिकार विधेयक जो सरकार लेकर आई है, यह कपोल-कल्पित है। आधे मन से लाया गया है, इसका कोई आधार नहीं है इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : डा. किरोड़ीलाल।

डा.किरोड़ीलाल (बामनवास) : सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने से पहले अपने मेनीफेस्टो में सूचना के अधिकार को लाने का वचन दिया था लेकिन जो सूचना का अधिकार यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, लाया जा रहा है, सभापति महोदय, वह आधा अधूरा है, पूरी तरह से ढकोसला है। आधा अधूरा ही नहीं, जो अधिकार हमने दिसम्बर, 1996 में पंचायती राज अधिनियम में दिये उन अधिकारों को भी इस सूचना के अधिकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया, प्राहिबिटेड कर दिया गया। सभापति महोदय, यह बात सही है कि निर्वाचित प्रतिनिधि पर अंकुश लगाने और मतदाताओं के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए एवं नीति-निर्धारण क्रियान्वयन में आम जन की भागीदारी बढ़ाने के लिए सूचना के अधिकार का अपने आप में महत्व है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि हम एक रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे रास्ते में ही रह जाते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं। उन्हीं की प्रेरणा पर चलने वाली सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जिन राजीव गांधी ने यह बात कही अगर उस बात को आप गम्भीरता से लेना चाहते हैं तो आपने जो सूचना के अधिकारों में कटौतियां की हैं या जो प्राहिबिशंस लगाए हैं वे किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि अन्तर्विभागीय मामले एवं विभागीय बैठकों के बारे में बताना जरूरी नहीं होगा और रिकार्ड की नकल एवं प्रतिलिपि मुहैया कराने का प्रावधान होगा। दस्तावेज, कार्यों का निरीक्षण एवं नोट्स लेने का अधिकार जो हमने पंचायती राज के इस सूचना के अधिकार में दिया था वो इसमें नहीं है। सभापति महोदय, अधिकारियों को यह छूट दी गई है कि ऐसी कोई सूचना देने से अधिकारी इंकार कर सकता है जिससे सरकार, उसके विभिन्न विभागों, निकायों, व्यक्तियों और संगठनों के हितों पर बुरा असर पड़ता है। अभी आपने दो घंटे तक सहकारिता के भ्रष्टाचार की बहस सुनी है, सभापति महोदय, कितना जबरदस्त घोटाला 1991 से चलता आ रहा है जिसका आज पर्दाफाश हुआ। यह सूचना के अधिकार की कमी के कारण हुआ। अगर हम विभाग की, निकायों की सूचना प्राप्त करने का अधिकार पूरी स्वतंत्रता से नहीं देंगे तो पारदर्शिता आने वाली नहीं है, भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है और जब भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं है तो

(श्री किरोड़ी लाल)

सरकार का सपना साकार होने वाला नहीं है। सभापति महोदय, इसमें इस बात के लिए भी मना किया गया कि कोई सूचना मांगी गई है वह मामूली है और उस सूचना का महत्व ज्यादा नहीं है तो वह भी नहीं दी जाएगी। बी.जे.पी. के राज में जो यह हम प्रावधान लाये थे पंचायती राज का, जो अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, सभापति महोदय, हमने तो यह भी प्रावधान रखा था कि चार दिन के अन्दर-अन्दर हम सूचना दे देंगे और ज्यादा टाप अरजेंसी हो तो 24 घंटे में दे देंगे और इन्होंने 30 दिन की समय सीमा बांधी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सूचना रही-सही ये देना चाहेंगे आधी-अधूरी उसमें भी लम्बा पूरा 30 दिन का समय है। मैं कहना चाहूंगा, आप जो भी आधा-अधूरा पुलिन्दा लेकर आये हैं यहां पर यह राजस्थान की जनता को बेवकूफ बनाकर लाये हैं, यह ढकोसला लेकर आये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप 24 घंटे में किसी को प्रतिलिपि देंगे तो इसमें पारदर्शिता आ सकती है और भ्रष्टाचार का नामोनिशान मिटाया जा सकता है। सभापति महोदय, जो यह आधा-अधूरा विधेयक सूचना के अधिकार का लेकर आये हैं, यह पूरी तरह असत्य है, यह ढकोसले से भरा हुआ है, यह जनता को किसी प्रकार की राहत देने के वाला नहीं है इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : दिलावर जी, एक सैकंड।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटा और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति :क्या सदन की अनमति है?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको पारित किया जाए। सूचना का अधिकार तो निश्चित रूप से आम जन को होना चाहिए और मूल मंशा हम सबकी यही है पर पता नहीं क्यों बीच में इस प्रकार की मन की कमजोरी आ गई कि इस सूचना के अधिकार को काट-छांट कर और पता नहीं कौनसी बातों को छिपाने के लिए इसको तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : आपके पास तो सूचना का अधिकार पहले से ही है।

श्री मदन दिलावर : हां है, पहले से ही दिया हुआ है। क्योंकि 1996 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही हमको यह अधिकार दे दिया था।

(श्री मदन दिलावर)

श्रीमान् इसमें कहा गया है कि छोटी सूचनाएं जिसको अधिकारी समझे कि सूक्ष्म है और इसका कोई उपयोग नहीं होगा, ऐसी सूचनाएं अधिकारी चाहेगा तो नहीं देगा। सभापति महोदय, इस प्रदेश में गरीब से लगाकर अमीर व्यक्ति रहते हैं। गरीब व्यक्ति का काम छोटे कामों से पड़ेगा, छोटी जानकारियों से पड़ेगा, बड़े व्यक्ति का काम बड़ी जानकारी से पड़ेगा। इसलिए कोई अधिकारी यह अनुमान लगाए कि इसका ज्यादा उपयोग है, मैं समझता हूं कि सूचना पाने वाले के साथ एक धोखा है। श्रीमन्, यही नहीं, आज मुझे किसी बात की जरूरत है और मुझे आवश्यक कागज चाहिए तो मेरे से कहा जा रहा है 30 दिन तक आप इंतजार कीजिए और 30 दिन बाद वह निर्णय करेंगे कि आपको देना है या नहीं देना है और निर्णय करने के बाद वह अपील में जाएगा और फिर अपील अथोरिटी 30 दिन बाद उसका निर्णय करेगी। यानि 60 दिन बाद, यदि प्रथम अधिकारी ने उसको मना कर दिया तो 60 दिन बाद उसको पता चलेगा कि मुझे मेरा डाकूमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका परपज तो हल नहीं हुआ। वह चाहता था कि मुझे तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। होना तो यह चाहिए था कि जिस प्रकार से हम डाकखाने में जाते हैं कि मुझे 5 रुपये के टिकट चाहिए और 5 रुपये देते हैं और तुरंत टिकट लेकर आ जाते हैं। इसमें ऐसी कौनसी परेशानी है जिसके कारण यह तथ्यों को छुपाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार में कुछ घबराहट है और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल निरन्तर रूप से निकलते आ रहे हैं। इसलिए घबराहट होती जा रही है कि पता नहीं कौनसा कागज किसी मंत्री के खिलाफ, किसी अधिकारी के खिलाफ कब निकलवा कर उसको जनता के सामने उजागर कर देंगे तो हमारी तथाकथित पारदर्शिता भंग हो जाएगी। सभापति महोदय, इसलिए यह बिलकुल आधा-अधूरा है। सारे अधिकार अधिकारी को दे दिये कि वह चाहे तो दे और चाहे तो न दे। यदि उसी अधिकारी के खिलाफ कोई मामला बनता है और कोई बात उसी अधिकारी के खिलाफ जाती है तो वह चाहे तो नहीं दे। उसको एक महीने में इतना टाइम मिल जाएगा कि वह किसी न किसी दस्तावेज में हेराफेरी कर एक महीने में उसको प्रस्तुत करेगा। फिर यह पारदर्शिता कहां रही ? सूचना के अधिकार का तात्पर्य और उद्देश्य यही होगा और होना चाहिए कि हम पारदर्शी रहें और इस राजस्थान के जितने भी दस्तावेज हैं उसको यहां का नागरिक कभी भी देख सकता है। लेकिन इसमें पूरी छूट दे दी गई कि वह एक महीना इंतजार करे और उस इंतजार के समय में वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह आधा-अधूरा है, यहां की जनता के साथ कुठाराघात करने वाला है, धोखा करने वाला है। केवल बाइबल में जो इन्होंने लिख दिया था उसको कैसे पूरा करें और लोगों को भुलावे में रखकर कैसे सूचना का अधिकार छुपाया जाए, कैसे नाक बचाई जाए और इसको भी लिया जाए और अपनी बात पूरी कर दी जाए और लोगों को कह भी दिया जाए कि हम सूचना का अधिकार विधेयक लाये हैं। मैं समझता हूं यह जो विधेयक है, यह बिलकुल जनता के साथ धोखा है और यह लाया जा रहा है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इसको

(श्री मदन दिलावर)

जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। अगर इसको पास किया जाता है तो यह जनता के साथ महान् धोखा होगा और भ्रष्टाचारियों को तथ्य छुपाने की खुली छूट मिलेगी। मैं कल बारां जाऊं और यहां के जिला कलेक्टर +++ उनसे जाकर कुछ मांगूं क्योंकि सरकार ने मुझे सूचना लेने का अधिकार दिया है। +++ श्रीमान्, मुझे उससे मुक्ति दिलाइए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपसे निवेदन है कि अपनी सीमा में बात करें। यह एक्सपंज कर दो। +++ एक्सपंज कर दो। माननीय हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय,राष्ट्रीय स्तर पर काफी लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि सूचना का अधिकार नागरिकों को दिया जाए और सरकार इस सूचना के अधिकार को कानूनी जामा पहनाने के लिए आज यह बिल लेकर आई है। बिल का जिस प्रकार फ्रेमिंग किया गया, जिस प्रकार का ड्राफ्टिंग किया गया है, मेरी राय में जो बिल हम बना कर लाते हैं या तो हम जल्दबाजी में रहते हैं या उसकी ड्राफ्टिंग, फ्रेमिंग, किस प्रकार के प्रोविजन किस प्रकार बनने चाहिए उसको पूरा कानूनी जामा नहीं पहनाने के कारण से कई प्रकार के डिफेक्ट इस प्रकार के कानूनों में नजर आते हैं और उसमें बार-बार हमें संशोधन भी करने पड़ते है। ऐसे राइडर्स इसमें लगाये हैं कि कोई भी सूचना अधिकार प्राप्त करने वाला व्यक्ति आसानी से सूचना प्राप्त कर नहीं सकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय इन्चार्ज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। सैक्शन 4 में इंट्रोड्यूस किया गया है,

"Procedure for supply information. (1) Any person seeking information shall make an application..."

यह तो सिम्पली हरेक में करते हैं। इसके सैकण्ड पार्ट में है,

"(2) Upon receipt of an application under sub-section (1), the Incharge of the office shall consider it,..."

word used as 'consider',

"... and if the information is such which can be provided and do not fall within the categories specified under section 5, the Incharge of office shall provide the information within thirty days of the receipt of application under sub-section (1)."

सैक्शन 5 में जो रेस्ट्रीक्शंस लगाये गये हैं वह ऐसे हैं जिसको कोई भी आफिसर किसी रूप से डिले कर सकता है। इस प्रकार यह क्लियर नहीं है कि कौन-कौनसी सूचना दी जाएगी।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, यह बात सही है जैसे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि पूर्व की सरकार ने भी सूचना के अधिकार को लागू कर दिया था लेकिन उसको कानूनी जामा नहीं पहनाया था, यह एक कमी थी। आजकल ग्राम पंचायतों में काम चलते हैं। ग्राम पंचायतों में कुछ काम तो मस्टररोल से होते हैं। गांवों का ऐसा

+++नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हीरासिंह चौहान)

वातावरण है कि सरपंच से जब चाहे सूचना चाहते हैं। यह बहुत डिफिकल्ट है, it is not easy thing. काम पूरा हुआ नहीं, उसका समायोजन हुआ नहीं और आम नागरिक को 60-40 वाली डिफिकल्टी सबसे ज्यादा है। किस प्रकार आज भी स्किल्ड लेबर को कम देते हैं। मकान बनाने वाले कारीगर, मिस्त्री डेढ़ सौ, दो सौ बिना आते नहीं हैं। आज भी स्किल्ड लेबर को ज्यादा से ज्यादा 80-90 देते हैं, I am not definet. वह किस प्रकार रिकार्ड मेनटेन करेंगे। जो मेरा विरोधी है या अलग ग्रुप का है वह सूचना का अधिकार चाहेगा। जब तक एम.बी. वगैरह कम्प्लीट नहीं की जाती है तब तक वह सूचना कैसे देगा। माननीय मंत्रीजी, सबसे पहले आप इस बात को कीजिए कि यह सूचना का अधिकार किसी काम का किस स्टेज पर दिया जाए। आज भी गांवों में जो निर्माण काम होते हैं, बाकायदा उस पर लिखा जाता है कितने लाख का काम है, कौनसी एजेन्सी से इस काम को करवाया जाएगा, कार्य स्थल क्या है, किस हैड से, किस मद से यह राशि स्वीकृत हुई है। इतनी बातें वहां लिखी हुई रहती हैं। लेकिन यह बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इस बात को लेकर भी गांवों में भारी विवाद पैदा होगा। कई सरपंच जो सही काम करना चाहते हैं, सरपंचों के पास एक ग्रुप सचिव भी तीन-तीन, चार-चार पंचायतों में है उसको सप्लाई कौन करेगा। आपने पब्लिक आफिस में यह मांगा है कि सूचना का अधिकार दिया जाए लेकिन उसको नकल करने वाला न तो किसी प्रकार का बाबू है, न कोई टाइप मशीन है। सूचना देने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहला मेरा निवेदन है कि सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक डेफिनेट क्लाज कीजिए कि किसी भी काम के कम्प्लीशन की स्टेज पर सूचना दी जाएगी। अदरवाइज सूचना मिल ही नहीं सकती। क्या सूचना लेंगे? चालू मस्टररोल में क्या सूचना लेंगे, जब तक उसका बराबर समायोजन नहीं किया जाए तब तक क्या लेंगे? यह डिफिकल्टी मैं फेस कर चुका हूं। हमारे तीन-चार ग्राम सेवकों पर, सरपंचों पर पहले वाले कानून के तहत उन पर मुकदमें बने और अकारण के मुकदमें जिसका कोई कारण नहीं, जिसका कोई रीजन नहीं रहा। देखने में बहुत सीधा लग रहा है परन्तु आगे जाकर इसके कसिक्वेंसेज बहुत ज्यादा खतरनाक भी होने की संभावना है। ठीक है, दूसरे आफिसर्स हैं, जिस प्रकार का राइट आप दे रहे हो, इसको डिफाइन कीजिए कि कोई भी नागरिक किस स्टेज पर यह सूचना लेने से उसको पुख्ता मिलेगी। इसलिए इस क्लाज को आप थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए।

(17:00 बजे)

इसी प्रकार आपने संबंधित सूचना नहीं मिलने पर इसमें आपने अपील के अधिकार दिये हैं, फर्स्ट अपील भी दी है, सैकण्ड अपील भी दी है। मेरी राय में यह अपील वाला अधिकार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। इसमें अपील के अधिकार के अलावा अदरवाइज कोई सैकिण्ड एप्लीकेशन देनी है, तो कौन अपील की सुनवाई करेगा, कब उसका निर्णय होगा, किस प्रकार का उसमें डिसीजन होगा। तो यह सभी प्रकार की बातें हैं। जिस प्रकार इन्ट्रोड्यूस किया गया, जिस प्रकार इसका फ्रेमिंग किया गया है, वह बहुत

(श्री हीरासिंह चौहान)

डिफेक्टिव है मेरी राय में। क्योंकि कानून का विद्यार्थी होने के कारण से हम इसको रात दिन देखते हैं कि ला का फ्रेमिंग कैसा है, किस प्रकार इनका फ्रेमिंग किया जाता है, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट रखे गये हैं उन डिफेक्ट को भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में यह कानून कब से लागू होगा, बिल पास करने के बाद लागू होगा, इसमें डेफिनेट तिथि आपने दी नहीं है। सरकार को भी मैं सोचता हूं कि कोई जल्दबाजी नहीं है, इसलिए सबसे पहले इसको राइट करें या कुछ इस प्रकार के इसमें क्लाज़ जोड़िये ताकि यह क़ानून जन उपयोगी हो सके। अन्यथा इसमें जिस प्रकार का आपने ड्राफ्टिंग किया है और ड्राफ्टिंग के हिसाब से मुझे लगता है कुछ कम्पलीट ला नहीं बन पाएगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाए और रिफ्रेमिंग भी किया जाए। यह अपील के प्रोविजन हैं, कई प्रकार की बातें इसमें मिलाई गई हैं यह ठीक नहीं है। इसलिए इसे जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : श्री धर्मपाल चौधरी। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, पिछले कई वर्ष से देश में एक चर्चा सामान्यतया सब तरफ से सुनाई देती है, बहुत लंबे समय से इस प्रकार के विचार भी लोगों के बराबर आते रहे हैं कि सूचना का अधिकार निश्चित रूप से लोगों को हो ताकि जो भी काम किया जा रहा है वह कैसा है, कैसा नहीं है, उसमें क्या कमी-खामी है, करने वाले व्यक्ति को भी यह भय रहे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मेरी जानकारी लेने का अब अधिकार है वह भी सतर्क होकर काम करे। मैं सोचता हूं कि इसमें जो भावना छिपी है उसका तो हर व्यक्ति सम्मान करता है और निश्चित रूप से करना चाहिए लेकिन चूंकि यह एक ऐसा डाकूमेंट बन रहा है, इससे सम्पूर्ण विभागों की कार्य-कुशलता कैसी होगी, जनता की भावना तो जगा दी कि हम आपको सूचना का अधिकार दे रहे हैं लेकिन अगर उसके अनुसार हम उसकी परिणति नहीं कर पाए, उसके अनुसार अगर जनता को संतुष्ट नहीं कर पाए तो यह हमारी कागजी कार्यवाही बनकर रह जाएगी। तो हमको इसके दोनों पक्षों को देखना चाहिए कि हम जिस विभाग से सूचना ले रहे हैं उसकी क्षमता क्या हैं, उसके पास स्टाफ क्या है, वह उसको तैयार करके दे भीं सकेगा और जो लेने वाला व्यक्ति है उसको कहीं इतना समय नहीं लग जाए। फिर तो ऐसा लगेगा कुछ लोग जो अड़ंगेबाजी करने के आदी हैं वे ही लोग कुश्ती लड़ते रहेंगे दो-चार महीनों तक और जो वास्तव में ईमानदारी से कुछ अपने सुझाव के आधार पर काम को ठीक करना चाहते हैं वे इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। आपके 30 दिन की सूचना में वह क्या घूमता-फिरता रहेगा और यह कौनसा 30 दिन का समय ही, कौनसी अच्छी तारीख लगी, कौनसा यह फिगर किसी ने अच्छा निकाला कि 30 दिन में यह काम हो जाएगा। एक तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से आग्रह है कि इसको सरल करें जिससे हमारी यहां की जो सर्वसाधारण जनता है वह आसानी से उसे समझ सके और आसानी से उसके अनुसार अपना कुछ योगदान उसमें दे सके। उस दृष्टिकोण से मेरा सुझाव यह है कि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आप हरेक विभाग के अनुसार, उस विभाग की कौन-कौनसी जानकारियां आप ले सकते हैं उसको सूचीबद्ध करें तब तो उस व्यक्ति को लगेगा कि इर्रिगेशन विभाग में मुझे जाना है तो मैं इर्रिगेशन विभाग की कौन-कौनसी सूचना लेने के लिए कहूंगा, तो उसके अनुसार करेगा। उसने तो जाकर दरख्वास्त दे दी कि मुझे यह चाहिए और फिर बाद में वो 30 दिन के बाद कहे कि नहीं भई, यह तो आप नहीं ले सकते। इससे अच्छा यह है कि उसके सामने स्पष्ट हो जाए कि इस विभाग की मैं यह-यह जानकारी ले सकता हूं और इसमें किन्तु-परन्तु भी नहीं लगे कि यह आपको नहीं मिलेगी। यह अधिकारी की मनमर्जी के ऊपर आपने छोड़ा तो निश्चित रूप से जैसा हमारे यहां का वातावरण है, किसी भी काम को करने के लिए बहुत कठिन होता है और टालने वाला हमारा जो स्वभाव बन गया है, हर चीज को लंबी किये जाओ और लंबी करने के कारण से स्वाभाविक है कि आधे लोग तो बीच रास्ते में ही छोड़ जाएंगे कि कौन इतना समय खराब करे, अपने को नहीं मिली तो नहीं मिली। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें और आपने जिस प्रकार के राइडर लगाये हैं उस राइडर के आधार पर तो यह लगता है, उसमें केवल इतना लगे जिससे देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा हो, हमारे विभाग के काम में कोई ऐसी चीज है जिसके कारण से विभाग की कोई सीक्रेट्स जो शायद उसके पास न पहुंचे, वहां तक तो समझ में आता है लेकिन इन बातों के आधार पर जो एक सामान्य जानकारी व्यक्ति करना चाहता है, उस पर भी अगर आप पाबंदी लगा देंगे, और मुझे वास्तव में लगता है सबसे मोटा आपने कोई सैक्शन बनाया है तो वह सैक्शन पांच है। इस सारे एक्ट के सब कागज को, या तो आपके परिभाषा को देखा जाए तो थोड़ा-सा लंबा है उसमें परिभाषा जो की है और उसके बाद आपने जो राइडर लगाये हैं कि कौन-कौनसे नहीं लेंगे, उसके ही अगर सैक्शन पांच के हिस्से को देखें तो मैं सोचता हूं कि सबसे ज्यादा, लगभग 11-12 अगर कोई राइडर लगाये हैं तो उनमें लगाये हैं। मैं सोचता हूं कि इसके बनिस्बत तो यह करते, आप राइडर लगाने की बनिस्बत बाहर यह बना देते कि अगर कोई सूचना लेना चाहे तो इनकी सूचना हम ले सकते हैं तो मैं समझता हूं ज्यादा ठीक होता। केवल दो-चार शब्दों में ही या दो-चार वाक्यों में ही इस प्रकार की अगर कोई चीज होगी जिसके कारण से हमारी सीक्रेसी को किसी प्रकार से, देश की सुरक्षा को कोई आघात पहुंच सकता है उसको अगर आप रोकने का प्रयास करें तब तो काफी ठीक होगा, बाकी तो यह लगता है कि वास्तव में हमने अपनी खानापूर्ति जरूर कर दी क्योंकि बहुत दिनों से यह विषय उठा था कि सूचना का अधिकार देना है इसलिए हम यह कहेंगे कि कम से कम हमने सूचना का अधिकार दे दिया। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसमें से यह निकलने वाला है।

मैं यह चाहता हूं कि आप इसको और सरल करें और सरल इस दृष्टि से करें कि जो हमारी ग्रामीण जनता है उसकी साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है। वह लोग इसको आसानी से नहीं ले सकेंगे। यह केवल कुछ दिमागी कसरत करके जिनका उलझाने फुलझाने का काम है, जो लगता है कि कोई न

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई घोंचा मारने का ही धन्धा करना है, वह भले ही एक दूसरे को परेशान करेंगे, इसमें से वह चीज नहीं निकलेगी।

मान लो, यह शिक्षा विभाग है, इस शिक्षा विभाग में हम कौन-कौनसी सूचना अगर लेना चाहेंगे तो ले सकेंगे। हम, अगर इर्रिगेशन है तो कौनसी सूचना, बिजली में है तो कौनसी सूचना ले सकते हैं, पंचायत में हम कौनसी सूचना ले सकते हैं, ऐसे विभागवाइज अगर आप सूची बना लें तो निश्चित रूप से हर ग्रामीण व्यक्ति को भी अपनी उन बातों को समझने में आसानी रहेगी और उसके कारण से हमारी वर्किंग में निश्चित रूप से सुधार होगा। बाकी जिस प्रकार की हम क्लिष्ट भाषा के आधार पर यह चाहते हैं कि सूचना का अधिकार भी मिले और यह भी केवल दिमागी कसरत करने वाले लोगों के जिम्मे अगर छोड़ देंगे तो हमारी जो भावना है वह भावना इसमें से स्पष्ट नहीं होगी। आपने फिर अपील का अधिकार दिया और अब अपील के अधिकार में 30 दिन तो वैसे ही गुजर गये और अपील सुनने में फिर 30 दिन लग जाएंगे। मैं यह सोचता हूं, कोई व्यक्तिगत किसी बात से प्रभावित होगा, सूचना के अधिकार का उपयोग कौन करेगा। जैसे मान लो मेरे को किसी बात से कोई रंजिश है तो उसे प्राप्त करने के लिए 4-6 महीने लगेंगे, मैं लगा रहूंगा। लेकिन जनहित के काम के लिए इतनी माथाफोड़ी नहीं करूंगा कि मैं 2-3 महीने तक उसी काम में लगा रहूं कि मेरी पंचायत का यह काम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पंचायत के काम से मैं प्रभावित हुआ उसकी सूचना लेने के लिए तो मैं जरूर प्रयास करूंगा, लेकिन मैं उस गांव के हित में कुछ काम कर सकता हूं इसकी बात इसमें से नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से इसकी अवधि को भी घटाइये और अवधि को घटाने के साथ में इसको जितना सरल किया जा सकता है, उतना सरल करें। मैं सोचता हूं कि जब पहली अपील हो गई, मान लो उसको न्याय नहीं मिला सैकण्ड अपील का आपने प्रावधान और कर रखा है। लेकिन उसके बाद भी आपने इसमें जो न्यायालय में जाने के अधिकार पर पाबंदी लगा दी, यह इस बात को करती है कि सारा गुड़ गोबर कर दिया। मान लो कोई विषय ऐसा हो सकता है कि संबंधित अधिकारी भी नहीं देना चाहता, सैकण्ड अपील वाला भी नहीं देना चाहता, हो सकता है किसी कारण से नहीं देना चाहता है तो कम से कम उसे न्यायालय में जाकर, वास्तव में वह सही है, उसकी सोच सही है और उसमें से वह अपने लिए और समाज के लिए कोई हितकारी चीज निकालना चाहता है तो उसको कम से कम न्यायालय में जाने के लिए पाबंद नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि कम से कम आज दिन तक हमारा एटीट्यूड रहा है कि हमने किसी को भी न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय से पाबंद नहीं किया। यहां एक ओर आपने सूचना का अधिकार दिया, दूसरी ओर उसके ऊपर आपने एक ऐसा पत्थर रख दिया जिसके ऊपर वह चल नहीं सकता। मैं सोचता हूं कि इस बात को निश्चित रूप से इसमें आपको सुधार करना चाहिए। कहीं अगर ऐसी स्थिति है, कोई ऐसा डाकूमेंट है जिसके आधार पर वह सोचता है कि मैं सही हूं और सम्बन्धित अधिकारी इसको इस कारण से नहीं दे रहा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि हो सकता है उससे उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान होने वाला हो और उसके कारण से वह टाल रहा है तो उसे न्यायालय में जाकर के भी अपने अधिकार को लेने का निश्चित रूप से अधिकार रहना चाहिए।

इसीलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जब आपने एक इतनी अच्छी भावना से इस कानून को लाने का प्रयास किया तो क्यों नहीं इसके ऊपर एक बार खुली चर्चा होकर के, कोई सेमीनार के माध्यम से, अलग-अलग प्रकार के लोगों से इस विषय में चर्चा करके आप सभी लोगों की राय जानने के बाद, मैं यह सोचता हूं कि आपके मन में कोई पाप हो या न हो, यह मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने कोई पाप के कारण से, लेकिन कई बार जानकारी पूरी नहीं होने के कारण से भी जिस चीज को हम लाना चाहते हैं वह चीज नहीं ला सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज हम समाज को देने जा रहे हैं, सूचना का अधिकार और इस सूचना के अधिकार से निश्चित रूप से हमारा जो आज का वर्किंग है उस पर कंट्रोल होगा, उस पर किसी प्रकार का अंकुश लगेगा पर यह अंकुश इस प्रकार का लगे कि जिसके कारण से हम समस्याओं का निदान कर सकें। बाकी मैं सोचता हूं कि आपके कई विभाग तो, लोगों को ऐसी आदत ही बन गई कि सूचना अगर कहीं लेने गये तो वह डिपार्टमेंट से केवल सूचना देने देने में उसका समय खतम हो जाएगा। उसमें से निकलेगा कुछ नहीं। केवल कानूनी मुद्दे ही लगेंगे और एक दूसरे के खिलाफ चलता रहेगा। तो जो डिपार्टमेंट आपका थोड़ा बहुत काम कर रहा है और वह भी खाली सूचना देने में उसका समय बर्बाद हो जाएगा। इसको इतना आसान करिये कि जिसके कारण से समस्या का समाधान हो और निश्चित रूप से बिंदुवाइज बना दीजिए कि ये-ये चीजें आप ले सकते हो। उसमें फिर तीस दिन की भी आवश्यकता नहीं, उसमें सैकण्ड अपील की भी आवश्यकता नहीं। उसमें किसी प्रकार का झंझट नहीं रहेगा और उसे आसानी से वह चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए वह उसका उपयोग करके निश्चित रूप से हमारी व्यवस्था को वह ताकत देना चाहते हैं, व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोगों के हाथ में अगर यह हथियार दे दिया तो हमारे सारे काम को एक तरह से जाम कर देंगे और हम जो अच्छा परिणाम लाना चाहते हैं वह अच्छा परिणाम तो नहीं आएगा, हम स्वयं उलझ जाएंगे और बाद में हमको महसूस होगा कि हमने इस अधिकार को देकर के सारे डिपार्टमेंट के कामों को और बांध दिया, जाम कर दिया। मैं सोचता हूं कि भावना हमारी बहुत अच्छी है लेकिन इस भावना को हम इस प्रकार से रखें कि जिससे वास्तव में निश्चित रूप से इसमें सुधार हो।

इसलिए मैंने आपसे आग्रह किया है कि इसको जनमत जानने के लिए दिया जाए, इस पर डिस्कशन किया जाए। कोई दिक्कत नहीं है अगर यह दो महीने बाद बनेगा, तीन महीने बाद बनेगा तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जो हम आज का आज प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन इसकी खुली चर्चा हो, सेमीनार हो। अलग-अलग प्रकार के लोगों से अलग अलग तरह के डिस्कशन हों और उसमें से फिर जो कुछ भी बात निकले उसको निकालने के बाद इसको लिपिबद्ध अगर हम करेंगे तो निश्चित

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रूप से हम जिस चीज को चाहते हैं उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको जनमत जानने के लिए भेजना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री भंवरलाल शर्मा, हवामहल।

श्री भंवरलाल शर्मा(हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक यह विधेयक लाया गया है, इसकी भावनाओं का तो मैं आदर करता हूं और यह बड़ा अपेक्षित भी था। माननीय सभापतिजी, जिस प्रकार से इसका आपने गठन किया है, निर्माण किया है या जिस उद्देश्य से आप ला रहे हो उसको पूरा नहीं करेगा। मेरे से पूर्व माननीय सदस्यों ने विचार रखे उससे यह बात आपको शायद समझ में आ गई होगी कि जिस उद्देश्य से आप यह बिल लेकर आये हैं वह शायद पूरा नहीं होगा। आपने सूचना देने के अधिकार के साथ इस बिल में जो प्रावधान किये हैं, माननीय सभापति महोदय, 17 तो वे प्रावधान लगा दिये कि जिन विषयों की सूचना नहीं दी जाएगी, 17 प्रतिबन्ध लगाये हैं। आप विधेयक तो लाए हैं सूचना देने के अधिकार का और 17 क्लाज वे लगाये हैं जिनके अन्तर्गत अधिकार आपको दिये नहीं जाएंगे, और सूचना मिलेगी नहीं। सैक्शन पांच है उसका जो भाग तीन है उससे तो बिलकुल ही आपने सारी बातों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इंटर डिपार्टमेंट की कोई सूचना लेगा तो आप दोगे नहीं। फिर आखिर दोगे क्या आप ? जो सूचना आज ही मिलती है हमको, आज भी हम जो प्राप्त कर सकते हैं उस पर भी प्रतिबंध लग गया। मैं जानना चाहूंगा, आप अपने उत्तर में बताएं कि ज़ो सूचना विधान सभा के माध्यम से, लोक सभा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं उस पर भी प्रतिबंध लग गया कि नहीं लग गया इससे ? यह अधिकार उनसे बड़ा है या कम है ? जो हमको आज अधिकार है, यदि उससे अधिक नहीं है और प्रतिबंध लगेंगे इस पर तो जो आपका उद्देश्य है वह इससे पूरा नहीं होगा। आप छोटी छोटी सूचनाएं दोगे नहीं। अगर कोई सूचना बहुत छोटी है, अल्प है, नगण्य मानते हैं आप उसको तो दोगे नहीं और बड़ी होगी तो दोगे नहीं क्योंकि वह वाल्यूमनस है, बहुत बड़ी है। फिर कौनसी सूचना देंगे आप ? माननीय मंत्री महोदय, फिर आप अगर नहीं दोगे तो नहीं देने का अधिकार भी एक मामूली अधिकारी को दे दिया। वह अधिकारी भी तीस दिन तक तय करेगा कि दूंगा कि नहीं दूंगा। अदालतों से आपका परिचय है। हम आज नकल चाहते हैं तो आज की आज नकल मिलती है, फीस अधिक देनी पड़ती है, या दूसरे दिन मिल जाती है। अब कल्पना करिये, गांव से एक आदमी कोई सूचना चाहता है, उसको किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यह प्रमाणित करना है कि किसी व्यक्ति की आयु क्या है, डेट आफ बर्थ क्या है। आप यह समझते हो कि यह सूचना अल्प है या बेकार नगण्य है, तो नहीं दोगे। यदि आपने तीस दिन बाद उसको मना कर दिया कि नहीं यह कोई बड़ी सूचना नहीं है। दूसरा मानो कोई यह पूछता है कि कोई एक्ट कब आया, किस तारीख से आया, यह तो दीजिए। आप उसको तीस दिन तक दोगे नहीं। तब तक उसका मुकदमा तय हो जाएगा। फिर जब मना कर दोगे तो वह फर्स्ट अपील में जाएगा। आप कल्पना करिये, आप तो ग्रामीण इलाके

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से आते हैं, आपकी पंचायत का, किसी वार्ड का व्यक्ति अगर कोई सूचना चाहता है और उसको सूचना यदि वह अधिकारी नहीं देता है तो उसको अपील करनी पड़ेगी। कहां जाएगा अपील के लिए वह ? और वह अगर अपील में कामयाब नहीं होता है तो दूसरी अपील के लिए सैक्रेटेरिएट में आएगा। किस बात के लिए आएगा कि मेरे बच्चे की या अमुक व्यक्ति की जन्म तिथि क्या है । यह जानकारी पाने के लिए साठ और तीस दिन इन्तजार करते करते वह सज्जन चक्कर लगाएगा तो उसको क्या सुविधा मिली ? इस कानून में यह प्रावधान डाल दिया इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जैसा माननीय कटारिया जी कर रहे थे, इसे इतना सरल कर दीजिए। यदि ना करने के बाद भी वह अपील के लिए किसी अधिकारी को अप्रोच करे तो गांव के व्यक्ति को यहां सैक्रेटेरिएट तक तक नहीं आना पड़े, उसको कलेक्ट्रेट में न आना पड़े। छोटी-छोटी जगह अब तो आपके अधिकारी हैं । सब जगह अधिकारी बैठते हैं । यह तय करना वहीं तक छोड़िये। यह ऐसा कौनसा बड़ा काम है जिसकी अपील यहां सैक्रेटेरिएट तक आनी चाहिए। वहीं अगर उसका निपटारा हो गया, मिले या न मिले वह तो उसकी मैरिट पर तय होगा लेकिन कम से कम उसको इतनी दूर चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा।

जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, एक गांव का आदमी कहां तो यहां आएगा और कहां वह इसे प्राप्त कर पाएगा। आप इसको सरल तरीके से, आसान तरीके से हर व्यक्ति को, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को सूचना देने का अधिकार दे रहे हो वह उसका मतलब इससे फ्रस्ट्रेट होगा। वह उसको ले नहीं पाएगा।

फिर आपने इसमें एक धारा और जोड़ दी है 11, सैक्शन-11, यह बार लगा दी आपने-

"No legal proceedings shall be instituted for enforcing the right to information without first exhausting the remedies provided under this Act."

आज मेरा अधिकार है न्यायालय में जाकर के किसी सूचना प्राप्त करने का, आपने कहा पहले हमारी शरण में आओ, 90 दिन तक हमारे चक्कर काटो और उसके बाद ही कहीं न्यायालय में जा सकते हैं। इसकी क्या जरूरत है। आप अपनी कार्यवाही करते रहिये। यदि वह यह समझता है कि न्यायालय से मुझे सूचना प्राप्त करने का अधिकार है और वह प्राप्त करना चाहता है तो उसको आपको क्यों रोकना चाहिए। आप तो उसको सूचना अधिक से अधिक मिले, इस भावना से यह अधिनियम लाए हो तो आपने यह प्रतिबंध क्यों लगा दिया इस पर ? आज मेरा सूचना प्राप्त करने का अधिकार कानूनी अगर है तो जब तक आपकी प्रक्रिया को एग्जास्ट नहीं करूं तब तक मैं कहीं न्यायालय में नहीं जा सकता। मैं समझता हूं, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपने जो अधिकारी डिफाल्टर होगा उसकी कोई पैनल्टी प्रोवाइड नहीं की इस कारण उसको कोई भय नहीं है, आपकी भावनाओं के अनुरूप काम करने के लिए वह काम करे या न करे इसके लिए कोई भय नहीं है उसको। आर.एस.आर. में उसके खिलाफ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जांच होगी, कब निपटारा होगा ? तो जब तक अपराधी के लिए इमीजिएंटली कोई पनिशमेंट नहीं होता है और लम्बे समय तक कार्यवाही चलकर सजा का प्रावधान है तो वह कानून इफेक्टिव नहीं हो सकता है । यदि किसी ने आपकी दृष्टि में यह गलती की कि उसको सूचना देनी चाहिए थी और नहीं दी तो उसके खिलाफ आर.एस.आर. के अन्तर्गत कार्यवाही होगी। जब आर.एस.आर. के अधीन उसकी इंक्वायरी होगी तो उसको भय पैदा करने के लिए तथा इस कानून की मंशा पूरी करने के लिए कि वह कोई गड़बड़ी नहीं करे, उसकी पैनल्टी आपने प्रोवाइड तो की है लेकिन वह अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है ।

आपने अपील करने की समयावधि का इसमें समय नहीं रखा। अपील के निर्णय का टाइम तो दे दिया लेकिन अपील कितने दिन में कर सकता है । हर कानून में यह प्रोविजन होता है कि जो व्यक्ति अपील करना चाहे, वह दस दिन में, सात दिन में, तीन दिन में, पन्द्रह दिन में अपील कर सकता है । परन्तु आपने सीमा नहीं रखी, अर्थात् वह दस साल बाद भी अपील कर सकता है । बाबा चला जाए तो पोता भी कर सकता है...(व्यवधान) हां, करिये, कोई आपत्ति नहीं है । आप तो अपील का 30 दिन में फैसला करेंगे। कानून की मंशा यह कभी नहीं हो सकती कि अनलिमिटेड टाइम तक अपील करने की मियाद है । यदि उसको अपील करनी है तो मैं समझता हूं कि उसका समय आपको निश्चित रखना चाहिए था। यदि आप ठीक समझते हैं तो समयावधि रख लीजिए, नहीं रखते हैं तो मौज करिये, हमको कोई तकलीफ नहीं है । माननीय सभापति महोदय, यह आपने तीस दिन का समय इसलिए दिया है कि केवल आप यह निर्णय करेंगे कि उसको नकल देंगे या नहीं देंगे । यदि वह उसके बच्चे की जन्म तारीख वह जानना चाहता है, उसको नकल देने में भी तीस दिन लगेंगे। यह तीस दिन का आपने लेटिट्यूड काहे के लिए दिया है ? इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था करिये कि यदि कोई अरजेंट नकल चाहता है तो आप उससे फीस चार्ज कर लीजिए और नकल दीजिए। अगर कोई सामान्य लेगा तो उसके दो रुपये लगेंगे और इमीजिएट चाहता है तो उसके पांच रुपये लगेंगे। जो व्यक्ति वास्तव में नीडी है, तुरन्त चाहता है, वह फीस देकर ले लेगा। ऐसा तो किसी कानून में नहीं है कि तीस दिन तक हमें नकल नहीं मिले। अगर तीस दिन नकल नहीं मिलने का यह प्रोविजन हो तो न्यायालय ही नहीं चलेंगे । इसलिए न्यायालय में जहां न्याय होता है वहां ही इतना लम्बा समय नकल देने में नहीं लगता है तो यह ऐसी कौनसी नकल होगी जिसमें आपको तीस दिन लगाने पड़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसमें बहुत शार्ट टाइम कर दीजिए। शायद इसमें माननीय सुरेन्द्रजी व्यास का संशोधन भी है, कुछ और माननीय सदस्यों के संशोधन हैं, वह आप मानोगे या नहीं मानोगे, मैं नहीं कह सकता लेकिन बहुत व्यावहारिक है । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जैसे माननीय सदस्यों ने कहा कि इसके बारे में एक गहन चर्चा हो जाए, आखिर में यह एक मौलिक अधिकार है उसके लिए आप कानून बना रहे हो तो वह ऐसा फुलप्रूफ हो कि जो इसकी भावना है उस भावना के अनुरूप लोगों को इसका लाभ मिल सके इसलिए आप इसको जनमत जानने के लिए भेज दीजिए।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

एक और फिर निवेदन करता हूं कि अपील की जो प्रक्रिया है उस पर आप पुनः विचार करें। छोटे-छोटे गांवों के लोग भी नकल मांगना चाहेंगे, मान लीजिए कि पटवारी से नकल लेना चाहते हैं तो पटवारी से नकल लेने की जो व्यवस्था है, मैं उदाहरण के लिए कहता हूं, मान लीजिए पटवारी ने नकल नहीं दी तो क्या वह सैक्रेटेरिएट में आकर अपील करके वहां से नकल लेगा ? वह कितना लैंदी प्रोंसेस होगा एक छोटी-सी नकल प्राप्त करने के लिए, किसी आवश्यक नकल के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको? ऐसी क्या व्यवस्था है, छोटे-छोटे स्थानों पर अधिकारी बैठे हैं, यह कौनसा ऐसा बड़ा निर्णय है, यह कौनसा सुप्रीम कोर्ट में जाने का मामला है। Let them decide there locally कि आपको नकल मिलनी है या नहीं मिलनी है, आपको जो अधिकार है, या कोई शिकायत है, उसका लाभ उठाना है, कोई ग्रीवेंस खतम करना है, कोई रिलीफ मिलना है। तो मैं समझता हूं कि उनको वहीं अधिकार दे दीजिए। इसलिए यह सारे संशोधन आप यदि लाएंगे तब तो यह ठीक से आपकी भावना के अनुरूप होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको आप जनमत जानने के लिए परिचालित कर दें।

श्री सभापति : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, मैं आज नहीं बोलना चाहता।

श्री सभापति : श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : बोल रहा हूं न।

माननीय सभापति महोदय, सरकार विधेयक संख्या-9, सूचना के अधिकार को आज सदन में लाई है उसकी भावना का तो आदर करता हूं मगर इस अधिकार को, हर व्यक्ति को सूचना का अधिकार वैसे ही नकल लेने या किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था, उसके बाद इस सरकार ने अधिकार पत्र और जारी किया। उस अधिकार पत्र में भी नकलें लेना, समय देना, उसमें भी कोई अधिकार दिया हुआ है मगर इसमें जो नकलें लेने के लिए अधिकार दिया है, उसमें कोई व्यक्ति अपना नकल के लिए आवेदन करेगा, फिर वह तीस दिन तो सरकारी कर्मचारी अड़ंगा लगाने में उस्ताद होते हैं और तीस दिन तो वह वैसे ही रोककर रख सकता है कि मेरे अधिकार हैं, उस कर्मचारी का अधिकार है कि तीस दिन के बाद ही वह नकलें दी जाएं। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत यह कहना चाह रहा हूं कि यह जो अधिकार पत्र है, सूचना के अधिकार पत्र का जो विधेयक आज सदन में लाया गया है, उसमें नकलें लेने के लिए तो नियम बनाए सात और नकलों को रोकने के लिए नियम बनाए हैं दस-बारह।

माननीय सभापति महोदय, इस तरह से इसमें कर्मचारी तो खुद यह चाहता है, इसको किसी तरह से नकल देने में डिले कैसे करें, समय कैसे लगाया जाए। इसके लिए जितनी आपने उनको छूट दे दी, वह छूटों के मार्फत अड़ंगे लगाकर इस बात की देरी करेगा और नकल देने में उल्टी जो जल्दी होती थी, वह देरी से मिलेगी और हरेक पंचायत में जो पंचायतें चल रही हैं उसमें गांवों के लोगों को लड़ा दिया। इस सूचना के अधिकार से वे

(श्री केसाराम चौधरी)

आपस में लड़ने लग जाएंगे। कहेंगे कि मेरा अधिकार है, यह नकल दो वह नकल दो। गांवों में फोटोस्टेट मशीन होती नहीं है, वह नकल देने में कितनी दिक्कत आएगी और वे आपस में ही लड़ने लग जाएंगे। आपने तो अपने सिर से बला टालने के लिए गांवों में लोगों को लड़ाने के लिए यह कार्य किया है। जिस तरह से अंग्रेज राज में अपने व्यक्तियों को अपने द्वारा ही पिटवा कर एक दूसरे पर राज करते रहते थे और जनता आपस में लड़ती रहती थी इसी तरह से आपने तो अधिकार दे दिया कि सूचना का अधिकार है। गांव में वह कहेगा कि मेरा सूचना का अधिकार है। मुझे यह अधिकार मिलना चाहिए था। कानून में इतना अड़ंगा, इतनी उप धाराएं और धाराएं बना दीं कि उसको समझ में नहीं आएगा कि इस नियम के तहत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए फिर भी रोके रखेगा। इस तरह आपस में यह गांवों में लड़ाइयां बढ़ेंगी। इस सूचना के अधिकार को मैं तो यही कह रहा हूं कि इसको जनमत जानने के लिए जनता में भेजा जाए और उसके साथ यह जो धाराएं बनाई हैं, वह स्पष्ट और बिलकुल सटीक होनी चाहिए कि इतने दिन में आपको देनी ही देनी है, किसी कीमत पर देनी है, इसमें देरी करने की क्या बात है। ऐसा कहीं भी क्लाज नहीं लिखा है कि इतने दिन में आपको नकल दे दी जाएगी। अत: मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिए जनता के बीच भेजना चाहिए। यही कहना चाह रहा हूं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान जी। नहीं बोल रहे आज ?

श्री अमीन खान : सूचना हम सबको मिल रही है।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम धोद।

श्री अमरा राम (धोद): सभापति महोदय, राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 सरकार लेकर आई है, इसके लिए तो मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं लेकिन जो इसमें प्रोविजन किये गये हैं, एक तो यह प्रोविजन किया गया है कि सूचना तीस दिन में देंगे यह किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं होगा। सभापति महोदय, किसी भी व्यक्ति को आपके मंत्री महोदय के विभाग ने अगर आज अरेस्ट कर लिया और उसको किस धाराओं में, किस कारण से अरेस्ट किया गया है, इसकी सूचना आप तीस दिन के बाद देंगे तो वह कारण ही खतम हो जाएगा। इसलिए यह बात तो समझ में आती है कि जैसे कोई मुलजिम है उसको उससे राहत नहीं मिले, उसकी सूचना नहीं दें, तीस नहीं, नहीं भी दें उसमें तो आ सकता है लेकिन किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता से सम्बन्धित अधिकार का हनन हो रहा है और उसकी सूचना लेने के लिए कोई व्यक्ति जाए और उसको तीस दिन में मिले तो मैं समझता हूं कि इस सूचना के अधिकार का अर्थ ही खतम हो जाएगा। जो आप सूचना का अधिकार देना चाह रहे हैं इसमें अपील के लिए आपने, इस बात के लिए तो, मंत्रीजी, जो विभाग के सचिव स्तर के हैं, वह हटा दिया क्लाज। लेकिन न्यायाधिकरण

(श्री अमरा राम)

तो राजस्थान में, मेरी जहां तक जानकारी है, पूरे राजस्थान में एक अधिकरण है। और उसमें यहां आज इसका नतीजा है, सभापति महोदय, जो उपभोक्ता कोर्ट है राजस्थान में बना रखा है, उसमें हालत यह है कि तीन-तीन साल से आज तक उनका निपटारा नहीं हुआ है। आखिरी जो अपील अधिकारी आपने रखा है राजस्थान सिविल, उसको आखिरी के बजाय अगर आप वहीं हर डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनको इसकी आखिरी अपील बना दें तो मैं समझता हूं पूरे राजस्थान का भार जो अपील अधिकारी पर आएगा, जिनको आप राहत देने की बात कर रहे हैं आम जनता को, इस सरकार की पारदर्शिता के बारे में बताना चाह रहे हो, पारदर्शिता के बजाय अपारदर्शिता होगी। पूरे राजस्थान के लोग जहां से आखिरी अपील में आएंगे तो इतना खर्चा होगा कि कोई भी व्यक्ति, हो सकता है किसी से टसल निकालने वाला तो आ जाएगा लेकिन बाकी नहीं आ पाएगा। इसलिए जो निर्बन्ध किये गये हैं उनसे भी स्पष्ट रूप से कौनसी सूचनाएं, जिससे अपराधी को बचाने में वह सूचना लेने में, वह बात तो समझ में आती है, लेकिन बाकी जो सूचनाएं एक विभाग से अंदरुनी ऐसी कौनसी सूचनाएं, जिनको देने में कौनसा विपरीत असर होगा, मैं नहीं समझ पाया हूं। एक विभाग से दूसरे विभाग की भी इसमें यह लिखा गया है कि वह सूचनाएं नहीं दी जाएंगी। यह जितना प्रतिबन्ध सूचना देने के बजाय, इस सूचना के अधिकार विधेयक में देने के बजाय रोकने के प्रोविजंस सबसे ज्यादा किये गये हैं। मैं समझता हूं यह वाकई राजस्थान की सरकार अपने कार्यों के प्रति, विभागों के प्रति जनता को सूचनाएं देना चाहती है, उसमें पारदर्शिता लाना चाहती है तो निश्चित रूप से यह प्रतिबन्ध जो आपने लगाए हैं, इनको कम करके राजस्थान की जनता को यह अधिकार मिले, उससे पारदर्शिता आए और जो अनुचित रूप से इसका लाभ लेना चाहते हैं, वह रुके। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को दें जिससे ज्यादा से ज्यादा राय आ सके और मजबूत अधिकार के रूप में यह एक्ट बन सके।

श्री सभापति : माननीय मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने जो जवाबदेही और पारदर्शिता का वादा किया था कि हम जनता को यह चीज सुलभ कराएंगे उसी की अनुपालना में आज यह राइट आफ इन्फार्मेशन बिल विधान सभा में प्रस्तुत किया है। दूसरा, धन्यवाद मैं माननीय प्रभारी मंत्रीजी को यह देना चाहता हूं कि इसमें सबसे ज्यादा लोगों को जो शिकायत थी, वह यह थी कि राइट आफ इन्फार्मेशन से पहले राइट आफ इंस्पेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि आदमी सूचना तब प्राप्त कर पाएगा जब पहले उसको ज्ञान तो हो जाए कि उसको किस चीज की सूचना लेनी है, मान लो कहीं 400 पेज की कोई फाइल है तो जब वह उसका निरीक्षण नहीं करेगा कि कौनसी काम की बात उसके लिए जरूरी है तब तक वह उसमें से क्या सूचना प्राप्त करेगा और क्या प्रति आपसे

(मोहम्मद माहिर आजाद)

प्राप्त करेगा, मैं पुन: इनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि सरकारी अमेंडमेंट के जरिए इस निरीक्षण के अधिकार का प्रावधान भी रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी, माननीय सभापति महोदय, इस बिल में अभी कई खामियां हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें जो 17 प्रतिबन्ध लगाए हैं, यह17 प्रतिबन्ध गैरवाजिब हैं। आप चार या पांच जो जरूरी प्रतिबन्ध हों, उन प्रतिबन्धों को लगाएं तो आपकी बात समझ में आती है। इस विधेयक के खण्ड-5 का अंश सैकण्ड-इसके तहत दो बातें हैं। पहली यह कि केन्द्र और राज्य के बीच गुप्त रूप से आदान-प्रदान सूचना प्रकट नहीं की जा सकती। गोपनीय सूचनाएं तो सरकारी गोपनीयता कानून, 1923 के तहत पहले से ही प्रतिबन्धित थीं फिर आप इसमें कौनसी चीज को प्रतिबन्धित करना चाहते हैं? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके तहत केन्द्र-राज्य संबंधों को प्रतिकूल प्रभावित करने वाली सूचनाएं प्रतिबंधित की गई थीं, इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशान्त भूषण की राय भी विचारणीय है। वह कहते हैं कि मान लीजिए, केन्द्र किसी निर्वाचित सरकार को असंवैधानिक ढंग से पलटने या राष्ट्रपति शासन लगाने की चेष्टा कर रहा हो तो क्या जनता को इसके संबंध में दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? अमर्यादित राजनीति के इस दौर में जनता के जानने के हक पर यह प्रतिबन्ध लगाना अनुचित है।

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, आपने जो अवधि रखी है वह 30 दिन की अवधि बहुत ज्यादा है। हां, कुछ मामलों में आप कह सकते हैं लेकिन जो ज़रूरी सूचना चाहिए उसके लिए तो सुबह आप कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं तो वह भी शाम को मिल जाती है। अब आपके विधेयक के बाद तो वह भी कहने लगेंगे कि एक महीने बाद आना। जैसे कोर्ट में तारीख पड़ती है वैसे नकल लेने की भी उसको तारीख देनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसमें 24 घण्टे या 30 दिन के बजाय जीरो, शिफर गायब करके आपको तीन दिन का प्रावधान करना चाहिए। फिर, माननीय सभापति महोदय, जो आदमी नकल मांग रहा है, उसको रसीद भी मिलनी चाहिए। आज मैंने दरख्वास्त दी उसका पता कैसे पड़ेगा, उसकी रसीद नहीं देंगे, लेकर रख लेंगे, उसको रिकार्ड में ही नहीं चढ़ाएंगे हफ्ते भर तक तो आप उसका क्या इलाज करोगे?

तीसरा, माननीय सभापति महोदय, इसके संबंध में गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने श्री पी.एन.भण्डारीजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में डवलपमेंट कमिशनर श्री ओ.पी.बिहारीजी, श्री अनिल वैश्य, श्री के. एल. मीणाजी, फोरेस्ट सैक्रेटरी सलाउद्दीन अहमद साहब, पी. के. देव साहब सैक्रेटरी इर्रिगेशन, आर.एन.मीणाजी सैक्रेटरी रूरल डवलपमेंट थे। राजीव स्वरूप इसके मैम्बर सैक्रेटरी थे। यह कमेटी आपने बनाई। इस कमेटी ने भी आपको रिपोर्ट दी है। इस कमेटी को बनाने का औचित्य क्या था जब आपने इसकी सिफारिशें नहीं मानीं? माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं कि इस कमेटी ने केवल अपनी मीटिंग करके और कोई रेगुलेशन दे दिया हो और आपको रिपोर्ट दे दी हो। इस कमेटी ने जो अब तक हिन्दुस्तान के विभिन्न

(मोहम्मद माहिर आजाद)

राज्यों में जैसे गोवा लेजिस्लेटिव असेम्बली में राइट आफ इन्फार्मेशन एक्ट, 1997, जो 31.1.97 को इन्फोर्स हुआ, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली का बिल, आन्ध्र प्रदेश का, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेम्बली का बिल, जिस पर गवर्नर ने 4 मई, 1997 को साइन किये और इसके अलावा जो एन.जी.ओज. हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सबकी मीटिंग बुला करके, उन सबसे सलाह-मशविरा करके और जो आम राय बनी, उसके आधार पर आपको यह रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने आपको प्रतिलिपि प्राप्त करने की कुछ दरें भी सुझाईं। हालांकि इस कमेटी ने जो दर आपको सुझाई है, इसकी रिकमण्डेशन नम्बर नाइन है -

"Reasonable fee, as notified by the State Government, shall be charged for access to information. The committee is of the view that there should be graded fee depending upon the level at which the information is to be accessed. The committee proposes that the fee may be charged as follows :-..."

सब-डिविजनल हैडक्वार्टर के लिए इन्होंने दो रुपये प्रति पेज रखी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल आफिस पर पांच रुपये और रीजनल लेवल पर दस रुपये। आप यह बिल यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज भी आप एक सरकारी अमेंड्मेंट लाए हैं। आप कहते हैं इसकी प्रतिलिपि की क्या दर निश्चित होगी, यह हम निर्धारित करेंगे, यह हम बाद में तय करेंगे। अच्छा होता इसको आप अभी कर देते। यानि आप खुद आज भी सरकारी अमेंडमेंट ला रहे हो, अभी भी इसकी रेट फिक्स नहीं है। इसके दिन ज्यादा हैं। इसमें आपने 17 चीजों पर, जिन पर पहले प्रतिबंध नहीं था, प्रतिबंध लगा दिया है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं। इसमें सूचना का अधिकार का महत्वपूर्ण अंग है पारदर्शिता और आपने पारदर्शिता का वादा किया था इसीलिए आप इस बिल को आज ला रहे हैं। इसलिए कुछ सूचनाएं तो सरकार को जो आपके समाचार-पत्र हैं, उन समाचार-पत्रों को सुओमोटो नि:शुल्क उपलब्ध करानी चाहिए, नागरिकों के लिए स्वत: उपलब्ध करानी चाहिए जैसे प्राकृतिक आपदा संबंधी, जन स्वास्थ्य संबंधी, पर्यावरण और प्रदूषण संबंधी। इस तरीके की जो सूचनाएं हैं, वह तो सरकार अगर स्वत: ही लोगों को उपलब्ध नहीं कराएगी तो जन सेवी संगठन हैं, उनकी आपके कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं बढ़ पाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सूचना प्राप्ति के लिए शुल्क का आधार नियमों के गठन तक स्थगित रखा है इसलिए आप इस बिल को अभी जनमत जानने के लिए रख लें और जब इसमें सारे संशोधन और जो कमियां रह गईं, जैसे विधेयक के खण्ड-पांच के उप खण्ड सैकिण्ड में आपने केन्द्र-राज्य संबंधों को प्रतिकूल प्रभावित करने वाली सूचना रोकने की बात है, इसको हटा दिया जाए। विधेयक के खण्ड-पांच उप खण्ड थर्ड के तहत अन्तर्विभागीय और अन्त:विभागीय पत्राचार, सलाह व राय के प्रकटीकरण पर रोक हटा देनी चाहिए। विधेयक के खण्ड-पांच के उप खण्ड-क के अनुपात से ज्यादा समय में

(मोहम्मद माहिर आजाद)

संसाधन व्यय तथा काम-काज बाधित होने की बात को हटा देना चाहिए। अपील की प्रणाली प्रशासन से स्वतंत्र होनी चाहिए। वास्तव में तो जिला सूचना परिषद् बनाकर जिला स्तरीय द्वितीय अपीलें तथा किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में राज्य सूचना परिषद् गठित कर राज्य स्तरीय द्वितीय अपीलों का निपटारा हमको करना चाहिए। इसी तरीक से विधेयक में एक प्रावधान अवश्य होना चाहिए कि कोई भी दस्तावेज जो किसी सांसद या विधायक से नहीं छिपाया जा सकता वह आम नागरिक से भी नहीं छिपाना चाहिए। जो सूचना आप लेजिस्लेचर के अन्दर और पार्लियामेंट में उपलब्ध करवा रहे हैं वह चीज तो पत्रकार भी सुनते हैं, प्रोसिडिंग्स में भी आता है, वह किताब लेकर पढ़ लेंगे, उसको जनता से छिपाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको कर देना चाहिए।

सभापति महोदय, उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन इसमें जो कुछ भी कमियां अभी हैं उसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सूचना का अधिकार सरकारी विभागों के अलावा निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी संस्थाओं, सरकारी अनुदान प्राप्त सार्वजनिक प्राधिकरणों, सहकारी संस्थाओं, सरकारी स्वायत्त या निजी शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों और अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होना चाहिए। सूचना देने की जिम्मेदारी किसी भी सरकारी कार्यालय में प्रमुख को ही हो या उसके द्वारा अधिकृत कर्मचारी की हो। निश्चित समय में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर कार्यालय प्रमुख को दंड का भागीदार बनाया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा, सम्प्रभुता, विदेशी सम्बन्धों, निजी जीवन, व्यापार, कानूनों, कराधान आदि जैसे कम से कम अपवाद इस अधिकार के हों। जो दस्तावेज, अपील की दंड की व्यवस्था राज्य प्रशासन के बाहर जिला समिति और राज्य समिति के पास हो, जिनमें अवकाश प्राप्त न्यायाधीश और अन्य उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त नागरिक प्रतिनिधि हों। जन जीवन, स्वास्थ्य और मानव अधिकारों को अत्यधिक प्रभावित करने वाली सूचना बिना मांगे ही सरकार को स्वत: उपलब्ध करानी चाहिए।

इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि इसमें आपका उद्देश्य और नीयत बहुत अच्छी है, यह तो स्वागत योग्य है लेकिन अभी इसमें कई कमियां हैं इसलिए जल्दबाजी में इसको आज करने के बजाय आप इसको एक बार जनमत जानने के लिए स्थगित कर दें, यही मुझे आप से निवेदन करना है।

धन्यवाद।

श्री सभापति : डा. करण सिंह यादव।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, राजस्थान सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है जिन्होंने अपने घोषणा पत्र के अनुरूप सरकार का जनता से पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन का वादा

(डा. करण सिंह यादव)

है, उसको निभाते हुए इस सत्र में सूचना को अधिकार विधेयक लेकर के आई है जिससे आम नागरिक को सरकार और सरकार के क्रियाकलापों को जानने की स्वतंत्रता होगी।

(17.42 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह ट्रांसपरेंसी, पारदर्शिता के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण कदम है। हमारा प्रशासन भी बधाई का पात्र है और वे स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्होंने पिछली सरकार के समय में काफी अरसे तक जयपुर मे रह करके प्रदर्शन किये, जनता में इस बात के लिए अवेयरनैस, जागृति की, जिनमें से मुख्य रूप से नेशनल कैम्पैन फोर पीपुल्स राइट फोर इन्फार्मेशन नाम की संस्था स्टेच्यु सर्कल पर महीनों तक बैठी रही। पिछली सरकार के कान बंद रहते थे, चाहते नहीं थे कि वे अधिकार दें। आज जब हम यह विधेयक लेकर आए हैं तो आने वाले जमाने में आम नागरिक को ईमानदार, साफ-स्वच्छ प्रशासन मिलेगा इस विधेयक के माध्यम से।

यह सही है कि इस विधेयक को लाने से पहले सरकार ने पी.एन.भंडारीजी के निर्देशन में एक कमेटी बनाई लेकिन जब यह ला डिपार्टमेंट में लेजिस्लेशन बनने गया है, मुझे लगता है कि वहां पर प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं इस सूचना के अधिकार के विधेयक के माध्यम से कोई ज्यादा तो जनता उनसे नहीं उगलवा लेगी और इसीलिए इसमें कुछ जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, मेरा मानना है कि उन रेस्ट्रिक्शंस को कम करना चाहिए। हर आदमी यह चाहता है कि जहां तक देश की अखण्डता और सम्प्रभुता का सवाल है, यह इन्फार्मेशन कोई आदमी सरकार से नहीं मांगना चाहता। सेंटर-स्टेट रिलेशन की कोई प्राइवेसी है, उसके बारे में कोई आदमी सूचना नहीं चाहता। केबिनेट के गवर्नमेंट के प्राइवेट डिसीजंस हैं, जो प्राइवेसी से, ओथ से बंधे हुए हैं उनकी कोई इन्फार्मेशन नहीं चाहता लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्लाज जोड़ दिये गये कि किसी की पर्सनल इन्फार्मेशन के बारे में आप सूचना नहीं ले सकेंगे। मैं समझता हूं कि आज आम नागरिक का यह अधिकार होगा, यह पूछना चाहेगा कि फलां-फलां मंत्री महोदय ने अपनी प्रोपर्टी कितनी डिक्लेयर्ड की है, उनके क्या असेट्स हैं, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया है। मैं समझता हूं कि जनता के अधिकार हैं, इसमें हमने रोक दिया। कामर्शियल एस्टेब्लिश्मेंट हैं गवर्नमेंट के कारपोरेशंस हैं, उनकी फाइनेंशल स्टेटस क्या है ...(व्यवधान) एम. एल. ए. भी बताएगा, साहब, क्यों नहीं बताएगा एम.एल. ए. ? एम. एल. ए. भी बताएगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. करण सिंह यादव : यह जो सारी इन्फार्मेशन हैं वो इन्फार्मेशन आम आदमी को मिल सके तभी तो कोई आदमी डिस्प्रपोर्शनेट प्रोपर्टी के मामले को लेकर के आप हमारे बीच में, समाज के सामने आ करके खड़ा होगा। इन बातों को इस विधेयक के अन्दर गौण बनाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक यह जो बात थी कि अगर सूचना ज्यादा लम्बी हो और अधिकारी यह चाहे कि उस पर ज्यादा खर्चा

(डा. करण सिंह यादव)

पड़ेगा और वह नहीं देना चाहे तो वह तो किसी भी सूचना के बारे में इस तरह का निर्णय ले सकता है। यह भी एक आब्जेक्शन है कि जो इस विधेयक में नहीं होना चाहिए।

एक बात जो मुझसे पूर्व के सभी वक्ताओं ने कही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सैकण्ड अपील के बाद में कोई न कोई प्लेटफार्म थर्ड अपील का जरूर होना चाहिए। आज बी.डी.ओ. कोई प्रोपर इन्फार्मेशन नहीं देता है, उसकी नैक्स्ट अपील सी.ई.ओ. तक जाएगी और सी.ई.ओ., चीफ एक्जीक्युटिव आफिसर अगर मान लो पूरी इन्फार्मेशन नहीं देता उसके बाद में मामला बंद हो जाए। जिला स्तर पर भी जिला उपभोक्ता मंच है जिनको यह अधिकार होना चाहिए, जहां पर हम अपील कर सकें। स्टेट लेवल पर भी इस तरह का कोई प्राधिकरण होना चाहिए या हमारे अपीलेट ट्रिब्युनल होना चाहिए जिसमें जाकर के प्रार्थी अपनी बात कह सके, सरकार के विरोध में अगर अधिकारी प्रोपर सूचना नहीं देते हैं। तो यह कुछ खामियां इसमें रही हैं इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवदन है कि अच्छी भावनाओं से लाया हुआ जो विधेयक है उसमें यह जो कुछ कमियां रही हैं, जिनका दुरुपयोग सरकार में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर सूचनाओं को दबाने के लिए करेंगे, उन कमियों को दूर करके हम आने वाले सत्र में इस विधेयक को लेकर आएं तब तक इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए, इस तरह का मेरा विचार है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 सदन में पेश किया जा रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। वाकई में सरकार का एक साहसिक कदम है। आज एक पारदर्शी सरकार होने के नाते सरकार का कर्तव्य बनता है कि वह सरकार हर जन-जन तक अपनी सूचनाएं पहुंचाए लेकिन इस विधेयक में कुछ कमियां हैं उस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसमें अपील पर अपील की व्यवस्था दी गई है। एप्लीकेशन देने के बाद कोई नहीं देता है तो फर्स्ट अपील, सैकण्ड अपील। तो मेरा इसमे यह सुझाव है कि जैसे पटवारी कोई नकल नहीं देता है तो इमीजिएट अफसर, जैसे एस.डी.ओ. है उसको अधिकृत किया जाए वह सुनवाई करके देने लायक है कि नहीं, डिस्पोजल वहीं कर दिया जाए। नहीं तो इस अपील टू अपील पर, एक अपील का 30 दिन का टाइम दिया है, दूसरा फिर 30 दिन का टाइम, आज जो देहाती क्षेत्र के आदमी आते हैं, सबसे बड़ी समस्या उनके सामने रहती है। जो आदमी हमेशा कोर्ट में खड़े होते हैं उनको तो नकल लेने का अधिकार भी है, वे लोग ऐसा लायजन रखते हैं, उनको नकल मिल ही जाती है लेकिन देहाती क्षेत्र के परिवेश से जो आदमी आते हैं उनके सामने समस्या रहती है। मेरा तो यह निवेदन है कि आज कहां वह देहाती क्षेत्र से एक नकल लेने आएगा। वो सबसे पहले यह सोचेगा कि किसी के पास जाएगा तो अपील करनी पड़ेगी, यहां नहीं दे तो आगे और अपील करनी पड़ेगी। आज कोर्ट में जो बैठते हैं, जिनसे नकल लेनी पड़ती है वो

(श्री नन्दलाल पूनिया)

उनको ऐसे पंजे में दबाएंगे तो वह आदमी निरुत्साहित होकर वापस चला जाएगा। वो सोचेगा कि लड़ाई करनी होगी, इसी समय मुकदमा करने की आगे तैयारी करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि इसका सरलीकरण किया जाए। सरलीकरण करने से हर आदमी को सुविधा मिलेगी। जो अधिकारी यदि उस समय सीमा में, उस लिमिटेशन में नकल देना आती है और वो नहीं देता है तो मैं कहता हूं कि लायबिलिटी फिक्स करके उसको पैनेलाइज करने का प्रोविजन भी होना चाहिए। जब तक उस आदमी को पैनेलाइज नहीं करोगे जो नकल नहीं देता है उसको, तब तक सूचना के अधिकार का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

मैं उदाहरण देता हूं कि राजगढ़ में रेवेन्यू वालों ने अधिकार पत्र जारी किया था। एक आदमी उस मीटिंग में था। वह अधिकार पत्र के जरिये म्युटेशन लेने के लिए पटवारी के पास गया। पटवारी के यहां एप्लीकेशन दी और कहा कि पटवारीजी, यह निर्धारित फीस लो और मुझे म्युटेशन की नकल दो। पटवारी ने उसको ऐसे चक्कर में घुमाया। उसने कहा कि जिस दिन अधिकार पत्र जारी हो रहा था तब मैं वहीं मौजूद था और आपको देना पड़ेगा। पटवारी बोला कि जिन्होनें अधिकार पत्र जारी किया था उनसे ही ले ले,मेरे पास नकल नहीं है। ऐसी कई वारदातें होती हैं। उसमें पैनेलाइज करने का प्रोविजन नहीं रखोगे तो इस कानून को जो आप बनाने जा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज हर विभाग में एक बोर्ड बनवा दीजिए। इस बोर्ड पर यह होना चाहिए कि इस-इसकी नकल मिल सकेगी और समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। जब तक आप उस विभाग में समय सीमा निर्धारित नहीं करेंगे हर नकल की कि इस डाकूमेंट की नकल में इतना समय लगेगा और इन-इनकी ले सकते हैं तब तक इस अधिकार पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आप वाइड-वे में ले जाकर लोगों से डिबेट करके, वर्कशाप करके और लोगों की राय जानकर, बुद्धिजीवियों की, वकीलों की, पीछे रिटायर्ड जज हैं उनकी सबकी राय जानकर ठोस विधेयक आना चाहिए जिससे सब लोगों को लाभ मिले और उनको लगे कि यह सरकार बहुत साहसिक और महत्वपूर्ण विधेयक लाई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रवर समिति को सौंपने का निवेदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि इन्होंने यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। सूचना का अधिकार घोषणा-पत्र में उल्लिखित पारदर्शिता से सीधा सम्बन्ध रखता है। संविधान के अन्तर्गत अभिव्यक्ति का अधिकार फ्रीडम आफ स्पीच, राजेन्द्रजी, आपको करेक्ट कर रहा हूं, राइट टू इन्फार्मेशन फण्डामेंटल राइट नहीं है। फण्डामेंटल फ्रीडम आफ स्पीच है और फ्रीडम आफ स्पीच सीधा-सीधा रिलेटेड है राइट टू इन्फार्मेशन से, क्योंकि आदमी क्या अभिव्यक्त करेगा यदि उसके पास सूचना सही नहीं होगी।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, आज दो ढाई घंटे इस सदन का बहुमूल्य समय सहकारिता के सैक्टर के अन्दर, बैंक के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के संबंध में लगा। आज कोई विधायक हो, जन प्रतिनिधि हो या किसी अखबार का संवाददाता हो उसको इन्वेस्टीगेशन करना पड़ता है। सूचना उपलब्ध नहीं है और उस सूचना को उपलब्ध कराना राज्य सरकार के हित में भी है। यह एक वास्तविकता है अपने स्थान पर कि समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार उतना नहीं है जितना दिमाग के अन्दर व्याप्त है। जहां सूचनाओं को आप छिपाते हैं वहां पर संशय पैदा होता है, संदेह पैदा होता है और इस प्रकार की धारणा बनती है कि यह सूचना छिपायी जा रही है, इसके पीछे कोई न कोई निहित स्वार्थ है। उपाध्यक्ष महोदय, खण्डश: विचार के समय मैंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स दिये हैं लेकिन मेरा प्रस्ताव है प्रवर समिति को सौंपने का, इस पर अब मैं और ज्यादा जोर देना चाहता हूं। वह जोर क्यों देना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी बहुत खुले दिमाग से इस विधेयक को लेकर आए। हमने कुछ संशोधन दिये, संभवत: मंत्रीजी ने उन पर विचार किया होगा और तीन महत्वपूर्ण संशोधन उन्होंने सैद्धान्तिक रूप से किये और अपनी ओर से खुद ने संशोधन दिये हैं। मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। हालांकि उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। मंत्रीजी, आप इस बात को तो मानते हैं कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और यह एक मूल बात है कि There is always scope for improvement. यह तो अपन नहीं कह सकते हैं, कोई चीज परफेक्ट नहीं हुआ करती। अभी मुझे कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह फाइनल है, मैंने कहा कि मंत्रीजी का दृष्टिकोण इस प्रकार का प्रतीत नहीं होता है। हो सकता है कि मंत्रीजी, खण्डश: विचार-विमर्श के दौरान हमारे किसी सुझाव को, उनको अपील कर जाए, मान लें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव यह देना चाहता हूं कि इसमें तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो सुओमोटो, वह मेरे अमेंडमेंट की जगह आपने 12(क) अलग से इन्ट्रोड्यूस किया है। वह एक ही बात है लेकिन 12(क) में भी यह बहुत लिमिटेड है और वह एप्रोप्रिएट समझें या नहीं समझें लेकिन इसको, मंत्रीजी, आप समझने की कोशिश कीजिए। सूचना का अधिकार दो प्रकार का है। आम आदमी को सूचना के अधिकार से बहुत लेना देना नहीं है। कोई पीछे-पीछे घूमता है। हम लोगों को इन्फार्मेशन वैसे ही इकट्ठी करनी होती है अगर कोई मैटर रेज करना होता है। इन्वेस्टीगेशन जर्नलिज्म होती है, पत्रकार वैसे भी इकट्ठी करता है। मूलत: राइट टू इन्फार्मेशन है, मूवमेंट है और एक्टीविस्ट है। यह मोटिवेटेड तो जर्नलिस्ट ही हैं क्योंकि सबसे बड़ा अभिव्यक्ति का अधिकार प्रेस के पास है और प्रेस समाज को सही दिशा में आने के लिए, समाज को इन्फार्म्ड रखने के लिए बहुत सक्रिय भूमिका निभाती है। आम आदमी को इससे मतलब नहीं होता है कि वह आपकी सूचना इकट्ठी करता फिरे। और फिर कुछ सूचना आपको स्वत: उपलब्ध करानी चाहिए। खास तौर से जहां पर आपके आदेश द्वारा किसी भी स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर या अलाटमेंट कमेटी जो तहसील में होती है उसके स्तर पर जो बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट अगर आप सुओमोटो प्रकाशित करते हैं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

तो वह एक बहुत बड़ी सूचना समाज को उपलब्ध होती है और आधी से ज्यादा शंका तो वहीं दूर हो जाती है जहां आप लिस्ट प्रकाशित कर देते हैं। होता क्या है, मंत्रीजी, आपको इस बात का व्यक्तिगत अनुभव है, अलाटमेंट के अलाटीज की लिस्ट भी आउट नहीं करते हैं। गांवों के अन्दर अलाटमेंट करके आते हैं, कदाचित कभी-कभी ऐसा होता है कि अलाटमेंट कमेटी के मैम्बर्स बाद में मिलकर उल्टा सुल्टा भी कर सकते हैं। यदि वहीं पर लिस्ट लगा दी जाए, मान लीजिए नहीं भी करते हैं तो गांव वालों में एक विश्वास जागृत होता है कि अलाटमेंट की लिस्ट है, वाजिब है कि नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर भी यदि आप बेनिफिशरीज की लिस्ट आउट करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होता है। फिर, मंत्रीजी, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कुछ लाभ मिलता है लेकिन उस लाभ के साथ में दूसरे व्यक्तियों या दूसरे व्यक्तियों के समूह के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ऐसी स्थिति में आपको उनको लाभ देने से पूर्व उनको अवगत कराना चाहिए कि आपके हितों पर यह प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। तो इससे तो यह एनवायर्नमेंटल और इकोलोजिकल मैटर्स हैं, उपाध्यक्ष महोदय। कई दफा आर्थिक भी होते हैं ऐसे डिसीजंस को भी आप नोटिफाई कर दें। आपने 12(क) का बहुत लिमिटेड स्कोप रखा है। इस पर खण्डश: विचार करेंगे तब मैं दुबारा निवेदन करूंगा। मेरी तो विनम्र प्रार्थना मंत्रीजी से एक ही है कि यदि आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करते हैं तो मैं कतई इसमें विलम्ब करने के पक्ष में नहीं हूं। निश्चित रूप से this is a milestone for the Government of Rajasthan. आप यह बिल लाए हैं, बहुत खुशी की बात है, आज पारित होना चाहिए, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है और जब मैं प्रवर समिति की बात करता हूं तो मेरा निश्चित मन्तव्य यह है कि आपको डेलिब्रेशंस के लिए और भी ज्यादा मौका मिल जाए। अब आपने हमको बिल सर्कुलेट किए, असेम्बली चल रही है, आप इस बात को समझते हैं, खैर, आप तो सबसे ज्यादा व्यस्ततम व्यक्ति हैं, अगर कोई सदन में है तो वह गृह मंत्री है क्योंकि हर रोज गृह मंत्री को तो कुछ न कुछ जवाब देना पड़ता है लेकिन थोड़े बहुत व्यस्त हम भी रहते हैं उसमें समय नहीं निकाल पाए हों और न आपको सुझाव दे पाए हों, इसका अध्ययन करके अब हम आपको सुझाव दे सकते हैं और हमसे अलग हटकर, क्योंकि लेजिस्लेशन पूरे प्रान्त के लिए, पूरे नागरिकों कि लिए है, हमसे बैटर सजेशंस जो एक्सपर्ट लोग हैं वे भी दे सकते हैं आपको, उनका भी आप अध्ययन कर सकें और उनका समावेश करके, अगर सलेक्ट कमेटी आपकी दो महीने में रिपोर्ट देती है तो आप उसका आर्डिनेंसे ले आइए और इतने डेलिब्रेशंस के बाद आप आर्डिनेंस लाएंगे तो सम्भवत: कोई डिबेट नहीं होगी। यदि कदाचित आप इसी मन्तव्य के हैं कि नहीं साहब, मैं इस बिल को आज ही पास कराऊंगा तो, मंत्रीजी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जब हम क्लाजवाइज इस पर विचार करें तब हमारे जो सुझाव हैं, उन पर खुले दिमाग से, जितने खुले दिमाग से आप बिल लाए हैं, जितने खुले दिमाग से अमेंडमेंट एक्सेप्ट किये हैं उस खुले दिमाग को रखकर आप उन पर विचार करें और आप उचित

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

समझें उनको एक्सेप्ट करें। कोशिश यह कीजिए, मैं सहमत नहीं हूं जो अनावश्यक आलोचना हुई उससे, पर वह आलोचना का अवसर भी क्यों दें अपन।

धन्यवाद।

(18.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार का विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है उस पर माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु एवं प्रवर समिति को सौंपने हेतु सुझाव दिया है। जो उसके पीछे दलीलें दी गई हैं, मेरी जो कुछ समझ में आया, ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख या महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख, जो कि सूचना के अधिकार के जरिये जनता को मिलना चाहिए वह छूट नहीं गया है।

मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि विधान सभा सत्र में आप भी व्यस्त रहते हैं, हम भी व्यस्त रहते हैं इसलिए इसे देख नहीं पाए। अगर मैं देख नहीं पाता तो जो आवश्यक संशोधन सरकार की तरफ से मैंने प्रस्तुत किये, शायद मैं प्रस्तुत नहीं करता। देखने का ही परिणाम यह रहा कि उसमें जो कमियां आईं, उन कमियों को हम दूर करके उस अमेंडमेंट को भी हम पेश कर सकें। इसलिए हमने उसको सावधानी से देखा है और सावधानी से देखने के बाद मैंने अमेंडमेंट पेश किये हैं उसमें आप काफी सदस्यों की भावना निहित हो जाती है।

यह शंका यहां व्यक्त की गई कि मैम्बर आफ असेम्बली को जो अधिकार हैं, वे इससे छिन जाएंगे। इसमें ये कोई अधिकार छिनने वाले नहीं हैं। राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अधिकार इसमें पूर्ववत रहेंगे। इस एक्ट के आ जाने की वजह से इनके अधिकारों को न तो सीमित किया गया है और न छीनने की बात इसमें कही गई है।

माननीय सदस्यों को यह भी शंका है, खास तौर से बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि अधिकारी लोग सूचना देने में ही फंसे रह जाएंगे और कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अभी भी आपकी सरकार ने पंचायत के सम्बन्ध में कोई आर्डिनेंस निकाला, जिसका चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, वह सूचना तो उसको उस सम्बन्ध मे देनी है, चाहे ग्रुप सचिव की कमी रही है, चाहे साधनों की कमी रही है लेकिन सूचना के अधिकार आपने भी दिये हैं कि पंचायत के सम्बन्ध में जानकारी करने के लिए ग्रुप सचिव को, उसको सूचना देनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे पटवारी को भी समय पर, जो नागरिक अधिकार पत्र दिया गया है उसके आधार पर उसको सूचना देनी ही पड़ती है। इसलिए यह कहना कि उसका सारा समय इसी काम में व्यतीत हो जाएगा, आखिर जाएगा कौन ? जिसको परेशानी है, जिसको तकलीफ है, वही तो जाएगा सूचना लेने के लिए और उसी व्यक्ति को सूचना चाहिए। अगर वह सूचना देने वाला अधिकारी उसको सूचना नहीं देता है तो हमने उसमें अपील का प्रोविजन किया है। एक माननीय सदस्य ने यह एतराज किया कि अपील की

(श्री गुलाबसिंह.शक्तावत)

टाइम लिमिट नहीं रखी। जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको मालूम है कि उसको 30 दिन में अपील करनी है। फिर उसको टाइम की क्या जरूरत पड़ रही है कि उसको टाइम चाहिए। उस एग्रीव्ड पार्टी स्वयं को मालूम है कि मुझे अपील करने के लिए 30 दिन का समय चाहिए तो 30 दिन में वह जाएगा और उसको अपील करने का अधिकार दे रखा है इसलिए अपील में जाएगा। इसलिए इस तहर की शंकाएं आपने प्रकट की हैं।

दूसरा, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा, दरअसल में इस बिल को लाने के पीछे मेन उद्देश्य यह है कि अभी तक भी कई विभाग ऐसे थे जो सूचनाएं नहीं देते थे, जैसे इंजीनियरिंग विभाग में चाहे पी. डब्ल्यू. डी. में मान लीजिए, इर्रिगेशन में मान लीजिए, पी.एच.ई.डी. में मान लीजिए, इस प्रकार की सूचनाएं नहीं देते थे इसलिए हमने इसमें इस स्कोप को रखा है कि वे इस स्कोप के अन्दर आ जाएं और वे सूचनाएं भी दें।

जैसा मैंने आपको कहा कि खण्ड दो में मैं एक संशोधन लाया हूं। जैसे नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एतराज किया कि जब तक उसको इंस्पेक्शन करने का राइट नहीं मिलेगा तब तक वह किस की नकल चाहेगा। यह उसमें मालूम नहीं है तो मैं खण्ड-दो में संशोधन लाया हूं उसमें इंस्पेक्शन का राइट दिया है। इसी तरह से किसी सैम्पल को लेने का अधिकार भी इस खण्ड में देने की कोशिश की है। इसलिए सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बिल को ठीक ढंग से आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई। वैसे तो दुनिया में कोई भी कानून पूरा नहीं होता है। भारत का संविधान बना, उसमें भी इतने अमेंडमेंट हो गये, आपने देखा होगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी तारीफ की कि हम समय पर बिल लाए। इस बिल के आने से जनता के हितों की रक्षा होगी, उसके अधिकारों की रक्षा होगी और अधिकारियों में भी वह बात होगी कि समय पर हमने सूचना नहीं दी तो हमारे खिलाफ भी प्रशासनिक कार्यवाही या पैनल्टी, या डिसीप्लीनरी एक्शन हो सकता है, यह सूचना नहीं देने के आधार पर। पहले तो अन्य मामलों में डिसीप्लीनरी एक्शंस होते थे लेकिन यह सूचना देने पर कोई मना करेगा और उसकी अपील में बात जाएगी तो उसके खिलाफ भी डिसीप्लीनरी एक्शन हो सकता है। इसलिए हमने सारी तरह की बातें कही हैं।

30 दिन का सवाल है, आपको मालूम है कि एक्ट के तहत नियम बनाने का अधिकार सरकार को दिया हुआ है। हम इस नियम के अधीन, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया और आपने सुझाव दिया कि उसको कल के दिन कोई जरूरत है, तो हम नियमों में इस बात का प्रावधान करेंगे कि 24 घण्टे के अन्दर भी नकल चाहेगा तो उसको नकल दी जाएगी, उसको रोका नहीं जा सकता है ताकि उसका जो आवश्यक काम है वह रुके नहीं। इसलिए माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि यह जो प्रवर समिति को और जनमत जानने का आपने प्रस्ताव किया है उसको वापस लें और खण्डशः विचार करके इस बिल को पारित कराने का कष्ट करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे ना अभी खण्डशः विचार पर...(व्यवधान) अभी ये बोलने वाले हैं, इनके तुरन्त बाद...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी से बोलना है, सुझाव नहीं, खण्डशः नहीं, इसी पर ही है। मंत्रीजी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो आपने यह समझा कि अमेंडमेंट कांस्टीट्यूशन में आए और अमेंडमेंट इस एक्ट के अन्दर भी बाद में आ जाएंगे, मंत्रीजी, अमेंडमेंट आया नहीं करते हैं, जनरली गवर्नमेंट को जब तक कोई इन्कन्वीनिएंस नहीं होती है। जो लेकूना रह जाते हैं वह रह ही जाते हैं। यहां सिर्फ इस नजरिये से मैं आपको अर्ज कर रहा हूं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : समय और परिस्थिति के अनुसार चाहे गवर्नमेंट को आवश्यकता हो और चाहे जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर लाए जा सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह लाए तो जा सकते हैं लेकिन लाए नहीं जाते हैं, मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक,2000 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महादेय, मैं प्रवर समिति का प्रस्ताव वापस ले सकता हूं...(व्यवधान) सलेक्ट कमेटी अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो वापस ले लीजिए, कोई बात नहीं है। और भी कोई माननीय सदस्य लेना चाहें तो ले लें, मैं कहां रोक रहा हूं।

श्री नन्दलाल पूनिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी वापस लेता हूं।

डा. करण सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री नन्दलालजी और डा. करणसिंहजी को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक,2000 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक,2000 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पर खण्डश: विचार

प्रभारी मंत्रीजी, खण्ड-2, अभी आप बिराजें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, वह तो मैं प्रस्ताव कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. करणसिंह यादव, आप बोलेंगे वापस ? डा. के.सी. चौधरी। (व्यवधान) चौधरी साहब, किसी का मूड सुनने का नहीं है।

डा. के.सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट तो बोल दूं साहब, बोला ही नहीं इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, बोलें। सुनने वालों का मूड नहीं है तब किसको बोलेंगे।

डा. के.सी. चौधरी : खास बात अपनी यह बोलनी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : खण्ड-2 में मेरा एक संशोधन है। खण्ड-2 में मेरा एक संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए मैंने आपको कहा था।

डा. के.सी. चौधरी : संशोधन भी दिया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आपसे तो कहा प्रस्ताव करने का, इन्होंने कहा संशोधन है मेरा।

डा. के.सी. चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूचना के अधिकार पर मुझे बोलने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप कौनसे खण्ड पर बोल रहे हैं ?

डा. के.सी. चौधरी : खण्ड-2 का (6), संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी का संशोधन इस खण्ड पर है। पहले यह ले लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : पहले माननीय मंत्रीजी का संशोधन आने दीजिए। उसके बाद आप बोलिए।

डा. के.सी. चौधरी : संशोधन वही है। Right to information means right of action (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप थोड़े ही रख सकते हो संशोधन। (व्यवधान) मंत्रीजी रखेंगे, आप थोड़े ही रख सकते हो। why should you seek ? मंत्रीजी रखेंगे पहले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजो। चौधरी साहब, बिराजो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 2 के उप खण्ड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(6) "सूचना का अधिकार" से राज्य और लोक निकायों के,

(क) दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करके, या

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

(ख) पहुंच योग्य अभिलेखों का निरीक्षण करके और टिप्पण और उद्धरण लेकर, या

(ग) लोक संकर्मों का निरीक्षण करके, या

(घ) लोक संकर्मों से सामग्री के नमूने लेकर, उनके कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना तक पहुंचाने का अधिकार अभिप्रेत है।"

यह वाइड स्कोप कर दिया इसमें मैंने आपकी मंशा के आधार पर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे अब, चौधरी साहब ? और कोई माननीय सदस्य। आप बोलेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : I was only thank the Hon`ble Minister. वह इनकारपोरेट कर लिया जो हमारी भावना थी सब। वह सब तो हो गया उसमें। (व्यवधान).

श्री गुलाबसिंह शक्तावात : I have included the feelings of the Members.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवदेन करता हूं कि मंत्रीजी ने12(क) अमेंडमेंट दिया है। आप मुझे 12(क) पर बोलने का अधिकार दें तो मैं वापस लेता हूं। क्योंकि वही जो मेरा संशोधन है, हालांकि लिमिटेड है, तो जो मुझे निवेदन करना है सुझाव के रूप में तब निवेदन करूंगा। आप तब मुझे जरूर बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4-कोई बोलना चाहता है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : खण्ड 4 पर है क्या मंत्रीजी का ? मंत्रीजी का नहीं है ना ?

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 4, सब जानते हैं नाम। जो बोलना होगा बोल लेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 12(1) अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : इकट्ठा ही बोल लेना ना एक दफा में आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं मालपुरा वाले माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने यहां अभी स्पष्टीकरण में स्पष्ट कहा है कि 24 घंटे के अन्दर भी सूचना दी जाएगी। आपने कहा है कि 24 घंटे में मिलनी चाहिए। मैं नियमों में प्रावधान करने जा रहा हूं कि अगर कोई आवश्यक होगा तो उसको 24 घंटे में सूचना दी जाएगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : This is a Minister`s commitment, sir. ठीक है। गवर्नमेंट का कमिटमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया। (व्यवधान)

आप तो थर्ड रीडिंग पर बोलोगे। आप इन्तजार करो। आपने कहा मैं थर्ड रीडिंग पर बोलूंगा। आपने यह दिया है कि मैं थर्ड रीडिंग पर बोलूंगा। (व्यवधान) आपको नहीं कह रहा हूं मैं, उनको कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : खण्ड 5 पर मेरा अमेंडमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलना चाह रहे हो क्या? हां, है ना आपका अमेंडमेंट।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने नाम नहीं पुकारा था ना?

श्री उपाध्यक्ष : नाम तो मैं पुकार.दूंगा, मैं समझा आप नहीं बोलन चाह रहे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्यों नहीं बोलूंगा, साहब। जो मेरा अमेंडमेंट माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया या दूसरी तरह से इनकारपोरेट किया उस पर नहीं बोलूंगा। यह ट्रिब्यूनल्स का कुछ किया तो है आपने। (व्यवधान) पास होना अलग बात है। आपने यह कहा कि इनकारपोरेट किया...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने यह बोल दिया है, हो गया यह पास। अब क्या है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, ऐसे कैसे पास हो गया। आपने ट्रिब्यूनल्स का क्या किया? (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सैक्रेटरी को हटा करके ट्रिब्यूनल को अधिकार दे दिया। सैक्रेटरी के बजाए ट्रिब्यूनल को अधिकार दिया है हमने। सैक्रेटरी को हटा करके ट्रिब्यूनल को अधिकार दे दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 5 तो पास हो गया।

खण्ड-6 श्री संयम लोढ़ा। बोलने दो ना उनको। क्या जल्दी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 के भाग 2 के बारे में संशोधन निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पास हो गया क्या, साहब। No. Not like this.

श्री उपाध्यक्ष : आपका तो 6 पर संशोधन है, खण्ड-6 पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, 5 पर संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पीछे वाले को कह रहा हूं। आपको नहीं कह रहा हूं। उनको कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले मेरा एक निवेदन सुनें।

श्री संयम लोढ़ा : मेरा खण्ड 5(2) और (3) दोनों पर है, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप 6 पर बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 5 के 2 और 3 पर है।

श्री उपाध्यक्ष : 5 तो पास हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, पास कैसे हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप पास नहीं कर सकते, उपाध्यक्ष महोदय। मेरा अमेंडमेंट है। मुझे बिना पुकार कैसे हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने मना कर दिया। आप बैठ गये नीचे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं। मैं कहां बैठ गया नीचे। आपने बैठा दिया था, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, माननीय सदस्य, आप नीचे बैठ गये। मैंने आपको बोलने के लिए कहा। माननीय मंत्रीजी ने आपको कुछ कहा और आप नीचे बैठ गये। वह पास कर दिया। माननीय सदस्य, पास हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया यह तो। यह क्या होता है। हो गया, क्या नहीं हो सकता। अब वह तो हो गया। हो गया, अब आप बिराजो। (व्यवधान) श्री संयम लोढ़ा। आप बोलना चाहते हैं खण्ड-6 पर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, खण्ड-5 के कई अमेंडमेंट हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नो सर।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया वह तो पास। नहीं क्या होता है। बिराजिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Sir with all humiliaty at my command.

श्री उपाध्यक्ष : आप खण्ड 6 पर बोलना चाहते हो संयमजी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इन्हें अमेंडमेंट पर नहीं बोलने देंगे।

श्री संयम लोढ़ा : तृतीय वाचन पर ही बुलवा देना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर आप मेरे अमेंडमेंट पर नहीं बोलने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया।

खण्ड 7, आपका भी संशोधन है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां मेरा संशोधन है।

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 7 के उप खण्ड (1) में, इसके भाग (II) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

" II. खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट से भिन्न नियंत्रक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 34) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।"

सैक्रेटरी से हटा कर इसको हमने अपील अधिकरण को दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नाराज का सवाल नहीं है, आप लेजिस्लेटिव बिजनेस जैसे कंडक्ट करते हैं, मुझे क्षमा करेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, with all humiliaty at my command. मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप खण्ड 7 पर बोल रहे हो कि किस पर बोल रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट क्लाज वाइज है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्लाज वाइज ही बोल रहा हूं मैं तो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने खण्ड 5 ऐसे ही पास करवा दिया।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे नहीं कर दिया। (व्यवधान) आप खण्ड 7 पर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। आपने टोटल कंफ्यूजन पैदा कर दिया। (व्यवधान) क्या पास करवा दिया आपने ? राजस्थान ट्रिब्यूनल का दिया ना आपने इसमें। ट्रिब्यूनल का आपने कर दिया उसमें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां जी, कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या किया आपने ट्रिब्यूनल का ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सुन लीजिए आप मेरी बात को। यह वैसे सर्कुलेट कर दिया लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए।

"खण्ड-1 में विनिर्दिष्ट भिन्न नियंत्रक अधिकारी के आदेश से व्यथित है, राजस्थान सिविल सेवा (सेवा-मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्या 34) की धारा 3 के अधीन गठित राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।"

सैक्रेटरी के बजाए अधिकरण को अधिकार दे दिया गया है। इसी तरह से खण्ड 7 के उप खण्ड (4) को हमने हटा दिया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन रिविजन जुरिस्डिक्शन...

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे खण्ड में ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह खण्ड 7 में, जो सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल को आपने सैकण्ड अपील का प्रोविजन किया है। मेरा संशोधन था वह यह था कि सैकण्ड अपील का प्रावधान आप वहां रखते यथावत, ठीक था। लेकिन आपको रिविजन पर क्योंकि थर्ड अपील तो कोई होती नहीं है, जो कई माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं थर्ड अपील होगी तो थर्ड अपील कभी नहीं हुआ करती, दो अपील के बाद तो रिविजन होती है और रिविजन का पावर्स आप इनको देवें, मेरा यह था।

दूसरा मेरा संशोधन इस पर यह है कि अगर किसी सूचना के अधिकार को जो इंकार करने के अधिकार का प्रयोग कोई अधिकारी करता है किसी भी स्तर पर, तो वह जब तक उसका फाइनल अप्रूवल अल्टीमेट ट्रिब्यूनल करेगा कि आप इंकार कर सकते हो या नहीं कर सकते हो और कोई भी ऐसे आदेश से प्रभावित होकर के और ट्रिब्यूनल तक जा सकता है वह आदमी रिविजन जुरिस्डिक्शन के तहत। यह दो बातों का समावेश नहीं है। आपने सिर्फ एक सैकण्ड अपील का प्रोविजन इसमें डाल दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो कह रहे थे कि हमने आपके अमेंडमेंट को देखा है, समझा है, मूल भावना को आपने जरूर देखा है, नहीं देखा होता तो आप लाते नहीं लेकिन वह पूरा आपके पास इतना समय नहीं था कि आप उसकी पूरी बात को समझते कि कितना यह होगा। इसलिए मैं बार-बार आपसे निवेदन करता हूं, आप सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दीजिए इसको। इसमें यह जो माइनर लेकूनाज हैं, वह रहेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब वह तो मामला ही चला गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, चला गया वह तो ...

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने तो विथड्रा कर लिया था फिर दुबारा कहने की क्या बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, मैंने विथड्रा कर लिया लेकिन इतना ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस बात को हो गया उसको रिपीट मत करो।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कैसे हो जाएगा, साहब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, minister has the powers. मिनिस्टर तो कभी भी विथड्रा कर सकता है और कह सकता है सलेक्ट कमेटी को भेजें। इसलिए मैंने विथड्रा कर लिया। उसका आग्रह नहीं कर रहा हूं... (व्यवधान) नहीं-नहीं, हाउस तो परमिशन देगा मिनिस्टर को। हाउस तो मिनिस्टर को, मिनिस्टर इसलिए कि मिनिस्टर के पास मैजोरिटी है। माहिर साहब, थोड़ा समझो इस बात को। वह तो जो आपका पंचायत राज का पूरा कांग्रेस की बैंचेज के खिलाफ बिल पास कराया कि नहीं कराया इन्होंने। इसलिए इस बारे में तो ...(व्यवधान) गलत कराया तो भी कराया। जो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी है उसकी वर्किंग समझिए आप।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

वह तो मिनिस्टर का बिल है, मिनिस्टर कहेगा तो पास होगा और मिनिस्टर को सब पावर्स हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, यह दो चीजों का समावेश इसमें होना चाहिए, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 में जो संशोधन प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

आप वापस ले रहे हैं इस संशोधन को सुरेन्द्रजी ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने वापस ले लिया मेरे संशोधन को।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना। ले रहे हैं ना।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 8 श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह फीस का प्रेसक्रिप्शन इसमें मंत्रीजी, बहुत एग्ज़ोरबिटेंट...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फीस के बारे में हम विचार करके नियमों में प्रावधान रखेंगे कि किस डाकूमेंट की कितनी फीस होनी चाहिए। क्योंकि विस्तार से इस पर चर्चा करके इसकी सारी चीजों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए हम निश्चित करेंगे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : प्रोहिबिटिव, प्रोहिबिटिवली...

श्री गुलाबसिंह शक्तावात : लेकिन एक विश्वास दिला सकता हूं कि जो भावना सदन की है, फीस उससे ज्यादा नहीं लेंगे। जो रीजनेबल फीस लगे उसको इसमें नियम बनाते वक्त हम ध्यान में रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मतलब मेरा सिर्फ एक सुझाव...(व्यवधान) माहिर साहब, प्लीज-प्लीज...

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें प्राफिट नहीं हो, कास्ट प्राइस हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग बात है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो भी माननीय सदस्यों की भावना है उसको ध्यान में रखते हुए रीजनेबल फीस हम डिसाइड करेंगे। बाकी उसके विकास को वंचित करने की मंशा हमारी नहीं है कि बहुत बड़ी फीस लगा दें और वह अधिकारों से वंचित हो जाए। We will decide in the rules.

श्री सुरेन्द्र व्यास : फीस एग्जोरबिटेंट और प्राहिबिटिव नहीं हो, बस इतना सा कमिटमेंट आपका होना चाहिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कह दिया ना।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री सुरेन्द्रजी व्यास ने जो प्रस्तुत संशोधन वापस लिया है उसकी अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

सुरेन्द्र व्यास। आप खण्ड 8 में संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो प्रस्तुत संशोधन वापस लिया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लिया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 10 श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह, मंत्रीजी, आपने डिसीप्लीनरी एक्शन का प्रोवाइड किया है इसके अन्दर और सर्विस रूल्स के अंदर प्रोवाइड किया है। अब एक टोटल ब्यूरोक्रेसी का खेल है। जब आप एक राइट जनता को दे रहे हैं, राइट टू इनफार्मेशन, तो मेरा आपसे विनम्र सुझाव यह है कि आप इसको पैनल्टी फाइनल करने के राइट्स जो हैं वह ट्रिब्यूनल को दें। ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बाडी है और ट्रिब्यूनल का आइडिया मूल रूप से हमारे संतोष के मुताबिक आपने माना है कि नहीं माना है लेकिन मौलिक रूप से आपने उस आइडिया को माना है। इसलिए यह ट्रिब्यूनल को सबसे बड़ा फंक्शन होगा। आप इन अफसरों पर ही छोड़ें, क्योंकि मूल संदेह जो हम लोगों को पैदा होता है या जनता को पैदा होता है वह ब्यूरोक्रेसी से पैदा होता है। अगर आप उनको शास्ति करने का, जुर्माना लगाने का, या पैनल्टी लगाने का उन्हीं के ऊपर छोड़ेंगे तो वह ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने जो संशोधन दिया है, परंतु यह शास्ति जिले में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जिला स्तरीय सर्तकता समिति की सिफारिश पर करेगा,सिफारिश होगी उसकी। मैं, माननीय राजेन्द्र सिंहजी, आपसे सहमत नहीं हूं। जिला कलक्टर भले ही सतर्कता समिति के अध्यक्ष हों लेकिन हम लोग भी वहां बैठते हैं और ऐसा कोई मैं नहीं मानता कि जिला कलक्टर अपनी मर्जी से आए जो करेंगे। सिफारिश अपन करेंगे व जिला स्तरीय अधिकारी से ऊपर के स्तर के अधिकारी के विरुद्ध शास्ति का निर्णय राजस्थान सूचना का अधिकार न्यायाधिकरण करेगा। न्यायाधिकरण का निर्णय ऐसे सभी विषयों में अंतिम होगा।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से बिलकुल वाजिब सुझाव है। आप अपनी तरफ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

से कोई अमेंडमेंट लाकर इसमें इनकारपोरेट कर लें तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी भावना को आप समझ रहे हैं। मेरी भावना का आप समावेश कर सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई भी कर्मचारी या अधिकारी या बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि अगर वह लापरवाही करता है, नियमों को नहीं मानता है, कानून की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उसका इसमें प्रोविजन किया है इसलिए इस वक्त तो मैं क्षमा चाहूंगा, आपके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकूंगा और इसी को लागू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इसमें वापस नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 10 में जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 स्वीकार किया गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 11 व 12 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 व 12 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 11 व 12 स्वीकार किये गए।

प्रभारी मंत्री, नवीन खण्ड 12-क को अन्त: स्थापित करने का प्रस्ताव करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 12 के पश्चात् तथा खण्ड 13 से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"12-क स्वप्रेरणा से सूचना का प्रदर्शन/प्रकटन :- राज्य सरकार और लोक निकाय स्वप्रेरणा से, समय-समय पर, ऐसी सूचना जो वह लोकहित में वैसा किया जाना ठीक समझे,ऐसी रीति से जो विहित की जाएगी, प्रदर्शित और प्रकट कर सकेगी।"

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इस पर बोलूंगा ना।

श्री उपाध्यक्ष : काहे पर बोलेंगे ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आपने अधिकार दिया है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में बोल लेना ना आप जितना बोलना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन आपसे यह प्रार्थना करके वापस लिया था कि आप मुझे 12-क पर बोलने देंगे। यह का यह संशोधन मेरा था। सैक्शन थ्री पर...

श्री उपाध्यक्ष : बोल लो ना आप। आप कह रहे हो इसलिए बोल लो फटाफट। बोलो-बोलो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि आप थक गए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब देख रहे हैं यह क्या हो रहा है। थक रहे हैं सब।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, देखिए यह जो है, मंत्रीजी, यह आपकी कोस्मेटिक एक्सेप्टेंस है। यह जो आपका नया अमेंडमेंट है इसमें आपकी भावना कही पर निहित नहीं है। "कर सकेगी", State Government and public bodies may suo moto "may" नहीं "shall" होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि "may" और "shall" में तो, मंत्रीजी, आप समझते ही हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। यह फिर आपने स्वीट विल पर, अपने डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया। ...expose such information from time to time as it may consider appropriate in public interest. फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा, मंत्री महोदय। अगर यह आपकी भावना है तो मैं दुबारा कहता हूं कि कास्मेटिक एक्सेप्टेंस है, एक टोकन एक्सेप्टेंस है। सिर्फ हमको, हां आप ठीक कह रह हैं, यह मीनिंग लैस क्लाज है अगर मुझसे पूछें तो आप। इस एडीशन का कोई मतलब नहीं है। मेरा जो भी सुझाव है वह यह है कि यह मेन्डेटरी होना चाहिए, एट आल लेवल गवर्नमेंट के अन्दर, जहां लाभ प्राप्त होता है, लाभार्थियों की यानि बेनेफिशियरीज की लिस्ट को पब्लिकली डिस्प्ले किया जाए, एक बात, गवर्नमेंट के लेवल पर हो, चाहे तहसील के लेवल पर हो। सैकण्डली, जिसका इंट्रेस्ट एक्रोसली अफेक्ट हो रहा है उनको ऐसा लाभ प्राप्त होने के पहले किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को आप पहले नोटिफाई करेंगे। यह दोनों भावनाओं को आप समावेश कर सकते हो तो देखिए। जब आप इतना बढ़िया बिल ला रहे हैं, पास करा रहे हैं तो आप इसको आधे-अधूरे मन से क्यों करते हो ? यानी आपको सब तरफ से प्रशंसा मिले ऐसा काम कीजिए ना। लोग इसकी तारीफ तो कम करेंगे आपने सुन लिया भाषण यानि आप सूचना को छिपाने का काम कर रहे हैं। अब यह जो प्रोविजन है यह यही है कि आप सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे हैं कि हम सुओमोटो करेंगे। कहां करेंगे, कहां नहीं करेंगे, यह आपका ड्राफ्ट बिलकुल वेग है और गवर्नमेंट पर या गवर्नमेंट की किसी फंक्शनरी पर बाइंडिंग नहीं है, अल्टीमेटली डिस्क्रिशन आपका है। डिस्क्रिशन कैसे एक्सरसाइज करेंगे ? आप कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह एक्ट हमेशा रहेगा। इसलिए बाइंडिंग होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो। कानून तो हमेशा के लिए बनाया जाता है, मंत्रीजी, उसका विचार कीजिए और इसमें आप थोड़ी सी कृपा करके इसका समावेश करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने "may" के बजाए "shall" का प्रयोग करने का आग्रह किया है। मैं पढ़ रहा हूं,

"The State Govt. and public bodies may suomoto exhibit or expose such information, from time to time, as it may consider appropriate in public interest, in the manner as may be prescribed."

We will prescribe the manner in which we will have to puplic.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसको प्रेस्क्राइब रूल्स में करेंगे आप, रूल्स को तो आप...।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, कर देंगे। उसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में इनकारपोरेट कर देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में बनाएंगे आप।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नवीन खण्ड 12(क) के अंत: स्थापित किये जाने का जो प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

नवीन खण्ड 12(क) अंत: स्थापित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 13 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 13 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 13 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये गए।

प्रभारी मंत्रीजी राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किशे जाने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या 9) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो संयम लोढ़ाजी। एक मिनट, वह बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात की शुरुआत खुली सरकार के सिद्धान्त के अध्येता डुराल रावेट के एक अनुभव से करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने अपने अनुभव में लिखा है कि 1973 में जब वह स्वीडन की यात्रा पर गये तो वहां एक राष्ट्रीय संवाद समिति के संवाददाता के साथ उन्हें सरकारी सचिवालय में जाने का अवसर मिला। उपाध्यक्ष महोदय, उन्हें वहां यह देखकर ताज्जुब हुआ कि वहां सरकारी सचिवालय के समस्त विभागों में शुरुआत के एक घंटे तक

(श्री संयम लोढ़ा)

जितने भी दस्तावेज और जितनी भी डाक प्राप्त होती है, वह बाहर एक प्रेस कक्ष में रख दी जाती है और जो संवाददाता हैं वह उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर उसे किसी जानकारी की आवश्यकता हो तो वह बिना किसी विशेष अनुमति के विभाग में जाकर फाइलों को देखकर के जानकारी ले सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह इस तरह कि खुली सरकार की अवधारणा देश के नागरिकों को अपनी सरकार पर एक मजबूत नियंत्रण का अधिकार प्रदान करती है और स्वीडन के अंदर यह जो खुली सरकार का सिद्धान्त या सूचना का अधिकार है, वहां संवैधानिक अधिकार में शामिल किया जा चुका है। वहां के संविधान के दूसरे अध्याय के प्रथम अनुच्छेद में इसे संविधान प्रदत्त अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। Just listen me. Just listen me.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि राजस्थान में सूचना के अधिकार का यह विधेयक हमारे यहां इस दिशा में एक शुरुआत मात्र है। रास्ते और भी हैं, अपेक्षाएं और भी हैं और जनता के लिए खुली संभावनाओं का एक विस्तार और आकाश मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्वजों ने हमारे देश में संसदीय प्रणाली को इसलिए आजादी के बाद में अपनाया कि इसमें अधिकतर जवाबदेही सरकार की सुनिश्चित होती है लेकिन इन 50 वर्षों में अनुभव में हमने देखा कि लगातार शासन की ओर से इस बात का प्रयास किया जाता है कि सूचना को किस तरीके से छिपाया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, इन 50 वर्षों में देश में 50 हजार करोड़ रुपये के घोटाले हो चुके हैं और जनता के पास इस बात का कोई अधिकार मौजूद नहीं है कि वह इस पर किसी तरीके से रोक लगा सके। मैं समझता हूं कि इन वर्षों में जो शासन का सोच इस दिशा में बना है वह बहुत ही सार्थक प्रयास है। आज हमारे माननीय प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के भी विचार सुनने को मिले। देश के अंदर तीन राज्यों ने हमसे पहले यह कानून बनाया है, गोवा में, तमिलनाडु में, वहां यह कानून की शक्ल ले चुका है और मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको राष्ट्रपति के पास बनाकर भेजा है। पिछले दो साल से वहां पर यह अटका हुआ पड़ा है और इनकी पार्टी की, दिल्ली की सरकार ने इस संबंध में जो मसौदा बनाया है, राजस्थान का यह जो कानून है उससे भी कमजोर मसौदा है और उससे यह जाहिर होता है कि इनकी पार्टी का कोई सोच नहीं है देश के लोगों को यह अधिकार देने का और यह इस बात का प्रमाण है कि इनकी पार्टी की शासित किसी भी राज्य सरकार ने यह कानून हिन्दुस्तान में किसी भी जगह नहीं बनाया।

मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री और हमारे मंत्री महोदय को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र के माध्यम से और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जब यह सूचना के अधिकार का आंदोलन चल रहा था, उस धरने में शिरकत करके और दिल्ली में भी उन्होंने घोषणा की थी उसके अनुरूप उन्होंने यह कानून बनाया और लोगों को इस बात का हक प्रदान किया।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह कानून अपनी शक्ल लेने जा रहा है लेकिन जैसा मैंने

(श्री संयम लोढ़ा)

पूर्व में आपसे निवेदन किया कि आने वाले वक्त में भी इसमें सुधार, परिवर्तन और इसको बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के खण्ड-5 के भाग संख्या 2 में आपने जो केन्द्र और राज्य संबंधों को लेकर रोक लगाई है उसका कोई औचित्य नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का निर्वाचन भी जनता करती है और केन्द्र सरकार का निर्वाचन भी जनता के माध्यम से होता है और लोकतंत्र में जनता में ही असली शक्ति निहित है। फिर राज्य और केन्द्र संबंधों में कोई भी पत्र या कोई भी दस्तावेज क्यों जनता को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। अगर सुरक्षा से संबंधित कोई ताल्लुक है तो आपके पास अधिकार मौजूद है और खण्ड-5 (1) में आपने उसका प्रावधान भी किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी बिहार में चुनाव हुए पिछले साल, वहां पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत नहीं मिला लेकिन इसके बावजूद उनकी सरकार को शपथ लेने के लिए बुलाया गया। वहां केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या संवाद हुआ, क्या जनता को यह जानने का हक़ नहीं है कि किस तरीके से केन्द्र सरकार और बिहार की जो सरकार है या बिहार के राज्यपाल हैं उन्होंने क्या सूचना का आदान-प्रदान किया, क्या पत्रों का आदान प्रदान किया ? जिस जनता ने अपना वोट देकर लोगों को चुना उसके बाद में जो जनादेश है उसके अनुरूप काम नहीं होता है तो क्या जनता को यह जानने का हक नहीं है ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि यह जो खण्ड-5 का भाग संख्या 2 है इसको हटाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भविष्य में भी यह संशोधन हो सकते हैं। खण्ड 5 के भाग संख्या 3 में अंतर्विभागीय पत्राचार और फाइलों के संबंध में जो प्रावधान किया गया है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य वह खण्ड तो स्वीकार हो गया, अब क्या है ?

श्री संयम लोढ़ा : बात तो कहनी चाहिए। एक तो मेरी सुन लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड 5 के 10 (क) के अंदर जो यह प्रावधान किया गया है कंसर्निंग आफिसर प्रार्थना साधारण है, यह कहकर उसे रिजेक्ट कर सकेगा, यह बहुत गलत प्रावधान है। कोई भी प्रार्थना साधारण है या महत्वपूर्ण है इसका फैसला अगर उस अधिकारी पर छोड़ दिया गया तो जो व्यक्ति सूचना चाहता है, जानकारी चाहता है, अधिकारी किसी भी सूचना के लिए यह कहकर कि यह रिकवेस्ट आर्डिनरी है, उसे रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए इस प्रावधान को भी समाप्त करना चाहिए। दूसरा इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि जिस दिन सूचना प्राप्ति के लिए नागरिक ने आवेदन किया है या तो उसकी रसीद उसको दी जाए या कार्यालयों में इस बात का रजिस्टर मेनटेन किया जाए कि किस तारीख में उसने आवेदन किया है। इस अभाव में वह वैसे ही कह सकेगा कि मुझे तो इस बारे में सूचना नहीं मिली है।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं कि आपने खण्ड10 में जो शास्ति का प्रावधान किया है उसमें सेवा नियमों में आपने कार्यवाही का दण्ड रखा है, इसमें भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इसमें आपने जुर्माना या इसको अपराध मानकर कार्यवाही करनी चाहिए। अगर शासन इस तरह के मामलों में कठोर रुख नहीं अपनाएगा तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इन लोगों को सूचना नहीं मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भी हम कई तरह के सवाल प्रस्तुत करते हैं और कई बार गोलमाल और तथ्यों को छिपाने वाला जवाब दिया जाता है और यह सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में है। जब विधान सभा के सदस्यों के साथ भी ऐसा हो सकता है तो एक सामान्य नागरिक की क्या गिनती हमारे उस स्तर पर होगी, इस बात को समझा जा सकता है। मैं अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूं। वहां पर इस तरह के मामले में जिला अदालतें सुनवाई करती हैं और दण्ड को निर्धारित करती हैं, मेरा यह विनम्र सुझाव है।

धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 5 में जो अमेंडमेंट दिया था और मैंने यह कहा था कि इस अमेंडमेंट को इन्होंने इनकोरपोरेट कर लिया है क्योंकि इंस्पेक्शन का प्रिविलेज दिया है, उस बात पर आपने कहा है, आपने खण्ड 5 पारित कर दिया। अब मैं सदन का ध्यान खण्ड 5 के सबसे मिसचिवियस क्लाज की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह जो खण्ड 5 का III है, यह सबसे मिसचिवियस क्लाज है, इसको विलोपित करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है,

"मंत्रिमंडलीय कागजपत्रों, अंतर्विभागीय/अन्त:विभागीय टिप्पणों..." माइन्ड यू, इसको डिलीट करने के लिए मैं अब निवेदन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह पास हो चुका है, but I am trying to point out to the House, इसमें क्या मिसचीफ है और कैसे मिसचीफ लाई करता है,

"मंत्रिमंडलीय कागजपत्रों, अंतर्विभागीय/अन्त:विभागीय टिप्पणों, पत्राचार और सलाह, राय इत्यादि को अन्तर्विष्ट करने वाले कागज पत्रों, साथ ही आंतरिक नीति विश्लेषण से संबंधित प्रायोजनाओं और धारणाओं सहित ऐसी सूचना को रोक सकेगा जिसका प्रकटीकरण आंतरिक विचार-विमर्श की सरलता और स्पष्टवादिता की अपहानि करे।"

कोटपूतली और शाहपुरा वाले ठेकेदार की डिमांड एक करोड़ पैंतालीस लाख से कम करके पच्चीस लाख कर दी, सवा करोड़ का चूना लगा दिया सरकार के और वित्त मंत्री ने सूचना उपलब्ध नहीं करवाई यहां पर और खुद ने कहा कि मैंने फाइल पर कुछ भी नहीं किया। हमने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेते हैं। किसने किया ? एक्साइज कमिश्नर का लैटर कहता है कि सरकार के आदेश के अनुसार। सरकार क्या होती है ? उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री सरकार होता है। मंत्री कहता है, मैंने नहीं किया। अब यह मिसचीफ मंत्री ने किया, कह कर करवा दिया, नहीं करवा दिया, क्या कहना, मेरे लिए कोई भी आरोप वोइड एलीगेशन लगाना बहुत

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

मुश्किल है लेकिन it smells rat. There is somethings fishy about it. क्या मतलब है इस बात का ? यह आपने अधिकार रख लिया, मंत्रीजी, अपने पास। आपने किया क्या है ? पटवारी बेईमानी करेगा तो वी विल हैंग हिम। एस.डी.ओ. अलाटमेंट में बेईमानी करेगा तो वी विल हैंग हिम और हम करेंगे तो करेंगे ही, भाई , हम तो सरकार में बैठे हैं न। हम तो सरकार में जब बैठे हैं तो हमारे कारस्पोंडेंस को तो आउट करेंगे नहीं। आप तक तो पहुंच नहीं सकती राजस्थान की जनता की पहुंच। खेतसिंहजी साहब ने सलाह दी कि उनको पटवारी, एस.डी.ओ., तहसीलदार से उलझा दो, वहां पर ये मालूम कर लेंगे, इनको राजी कर दो। पार्लियामेण्ट्री अफेयर मिनिस्टर साहब, आप असेम्बली के मैम्बर्स को ही सूचना उपलब्ध नहीं करवाते हैं, आम पब्लिक को क्या सूचना उपलब्ध करवाएंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय और राजस्थान की जनता का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, यह जो खण्ड 5 का उप खण्ड 3 है, यह सबसे खतरनाक है और सबसे मिसचिवियस क्लाज है। इसके तहत कोई भी सूचना जिसमें वास्तव में पूरे राजस्थान का हित निहित होगा, वह सार्वजनिक नहीं होगी और उसमें जो करोड़ों रुपयों के घोटाले होंगे वह कभी सामने नहीं आएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी कहा था कि असेम्बली और पार्लियामेंट से सम्बन्धित कोई सूचना को उपलब्ध नहीं कराएंगे। इसको डिसाइड कौन करेगा ? हमने यह अमेंडमेंट किया था कि असेम्बली में किसी की चर्चा हो गई, मान लीजिए और वहां पर अधिकारी कह देंगे कि यह तो असेम्बली से रिलेटेड मैटर है, हम आपको इन्फार्मेशन नहीं देंगे। इसकी पावर असेम्बली सैक्रेटेरिएट को होनी चाहिए। सैक्रेटरी आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली तय करे कि यह असेम्बली से पर्टेन करता है, यह इन्फार्मेशन नहीं दी जाए, तब तो कोई बात समझ में आती है। मंत्रीजी, खैर यह तो आपकी इनएडवरटेंट गलती हो सकती है लेकिन क्लाज 3 वाली इनएडवरटेंट गलती आपकी नहीं है। मैं आप पर आरोप लगाता हूं कि आपके डेलीब्रेट मिसचीफ हैं,आप अपनी बात को किसी हालत में लोगों से शेयर नहीं करना चाहते हैं और अंदर खाने की जितनी घपलेबाजी है उसको आप-कवर करके रखना चाहते हैं। आप की मर्जी। सूचना के अधिकार का बिल निश्चित रूप से एक ओरनामेंटल बिल है, अगर आप इस क्लाज को रखते हैं तो मैं इस बिल को कोई बिल ही नहीं मानता।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में तो आपने स्वागत किया और अब आप कहते हैं, बिल नहीं मानता। मुझे समझ में नहीं आया कि दो बातें कैसे कहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : I object to this clause only.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब आप बिल का स्वागत कर रहे हैं तो इसके थर्ड क्लाज में जो बातें लिखी हैं उसे आप पूरा माइन्यूटली पढ़ें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ लिया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्या लिखा है हमने ? जो बात आप कह रहे हो, इसमें लिखी हुई नहीं है, हमने तो कुछ और बातें लिखी हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या लिखी हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप भी पढ़ लीजिए, मुझसे ज्यादा आप एड़वोकेट हैं, बढ़िया जानते हैं, सारी बातें हैं, हमने यह कहा है,

" ... Information whose disclosure would harm the frankness and candour of internal discussions,...."

वह कैसे हो गया ? कैबिनेट पेपर्स इन्क्लूडिंग। कैबिनेट के पेपर का फैसला होगा तो मंत्री कहा आता है। वह तो कैबिनेट की रेस्पांसिबिलिटी उसमें आती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कहो न पास करवाइए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इन्टर डिपार्टमेंटल नोट्स, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कुछ नोट भेजता है, उसमें कहां चक्कर पड़ता है ? "Correspondence and papers containing advice, opinions etc. as also of projections and assumptions relating to internal policy analysis."

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो मैंने आपको उदाहरण दिया है। प्रद्युम्न सिंहजी ने कह दिया कि मैंने नहीं किया, एक्साइज कमिश्नर ने कह दिया कि सरकार ने किया है, मैंने किया ही नहीं। एक्साइज सैक्रेटरी से करा दिया। यह मंत्रीजी की पालिसी नहीं है, यह आपकी पालिसी है। पूरे तमाम घपले इस क्लाज में होंगे। पूरी आपकी सरकार के घपले इस प्रोविजन से होंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ना, ना, ना। यह मिनिस्टर का अलग मामला है, हम तो पालिसी की कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमको छूट दी जाए कि जो मर्जी आए करेंगे, यह भी कह दीजिए साथ में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सूचना का अधिकार विधेयक, 2000 को संशोधित रूप में पारित किया गया।

दूसरे बिल पर भी बहस करवाना चाहते हैं या पास करवाना चाहते हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें मैंने अमेंडमेंट दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो पूछ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र चौधरी , प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 26) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, नाम तो बहुत बड़ा है, मैं दुबारा नहीं पढ़ सकता लेकिन यह जो बिल लाया जा रहा है और हम इस बिल को पास करेंगे, राजस्थान में जितने कानून बने हैं उनमें इससे सिर्फ एक संख्या और जुड़ जाएगी। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल के लिए दिये हैं, बहुत सुंदर हैं। धूम्रपान से फेफड़े खराब होते हैं, धूम्रपान से कैंसर बनता है, धूम्रपान से हार्ट खराब होता है, बहुत है और उसको रोकने के लिए यह बिल लाए हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ आज हो रहा है, उससे अधिक इस बिल को पास करने से क्या प्राप्त हो जाएगा ? उपाध्यक्षजी, मैं दो-तीन मिनट में ही सीमित करना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा यह जो इन्होंने पब्लिक प्लेसेज दिये हैं उसमें कहा है, पब्लिक प्लेसेज में, "Auditorium, hospital buildings, health institutions, amusement centres, restaurants, public offices, court buildings, educational instituions, libraries and the like which are visited by general public but does not include any open place."

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो ऊपर नाम इन्होंने गिनाये हैं उनमें आज भी कहीं भी धूम्रपान नहीं होता है। ये प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे पब्लिक की हों लेकिन उन संस्थाओं में नियंत्रण खुद का होता है। हास्पिटल में लिखा होता है कि यहां धूम्रपान वर्जित है, सिनेमा में लिखा रहता है धूम्रपान वर्जित है, लाइब्रेरी में लिखा रहता है धूम्रपान वर्जित है, बस में लिखा रहता है धूम्रपान वर्जित है। इस क्लाज से क्या अचीव करना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय और आज की व्यवस्था से क्या अधिक सुधार होगा, यह, उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इस क्लाज से कौनसी वाहवाही हो जाएगी।

"Prohibition of smoking in places of public work or use.

No person shall smok in any place of public work or use."

पब्लिक प्लेस को इसमें डिफाइन किया गया है। जब तक आप ओपन प्लेस को, पब्लिक प्लेस जो ओपन है उसमें आप जब तक इस सिगरेट पान को, बीड़ी पान को, धूम्रपान को वर्जित नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के बिल से कोई अचीवमेंट नहीं होने वाला है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपने रखा है कि किसी भी स्कूल के आसपास 100 मीटर के एरिया में बीड़ी-सिगरेट की दुकान नहीं होगी। क्या इससे धूम्रपान रुक जाएगा? 100 मीटर के एरिया में सिर्फ दुकान नहीं होगी, यह आपने रखा है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : यह आंशिक प्रयास है।

श्री शिवनाथ सिंह : प्रयास तो सभी अच्छे हैं। इसलिए मैं कहता हूं राजस्थान में जितने कानून बन चुके उनमें एक संख्या और बढ़ जाएगी। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहा, इस कानून से उस उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा इन्होंने लिखा है कि जो 18 साल से कम उम्र का आदमी होगा उसको आप सिगरेट नहीं बेचोगे। अब कहां तो आप ढूंढ़ते फिरोगे और कहां क्या करोगे और 18 साल से कम उम्र वाले को सिगरेट नहीं बेच पाओगे। इससे कौनसा कानून बन गया? इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्षजी, इन्होंने कहा है कि एडवरटाइजमेंट नहीं होगा। ये सब इस प्रकार के प्रावधान हैं जो सिर्फ कोई भी मकसद हासिल करने वाले नहीं हैं। इसलिए इसमें मेरा सबमिशन यह था कि यदि आप इस बिल को लाना चाहते हैं, आज कोई जल्दी भी नहीं है और लाना चाहते हो तो इसमें पूरा सोच-विचार होना चाहिए और वास्तव में धूम्रपान पर अंकुश लगे, इस प्रकार के प्रोविजंस इसमें होने चाहिए। आज वो प्रोविजंस नहीं हैं इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, इसमें मेरा सबमिशन यह है कि...

श्रीमती कमला : आप तो सुझाव दो कि प्रभावी करने के लिए कौन-कौनसे तरीके हैं, मान लेंगे माननीय मंत्रीजी। रोकने के लिए सुझावों को मानने में क्या दिक्कत है। मैं तो यह सुझाव दूंगी परिवार के अंदर भी बैठकर नहीं पीना चाहिए, खुद के अलावा दूसरे को भी हानि करता है, उन पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो आप सुझाव दो इस तरह के। बच्चों को नुकसान करे, पत्नी को नुकसान कर रहा है, घर में बैठा है इसका मतलब यह थोड़े ही है कि आप बच्चों को बीमार करो।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय मंत्री महोदया, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। इस वक्त इस बिल में माननीय मंत्री महोदय कुछ भी नहीं कर सकते, बिल में संशोधन तभी हो सकता है...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तवा करता हूं कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है कि सदन का समय यह बिल पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा, जो दूसरे माननीय सदस्यों की राय है कि इसको प्रभावी ढंग से बनाया जाए और वह प्रभावी तभी हो सकता है जब इसको या तो जनमत जानने के लिए या फिर प्रवर समिति को सुपुर्द करके माननीय सदस्यों में बैठकर विचार करें। आज इसमें कोई अरजेंसी नहीं है, आज हम इसको पास करें। बराबर है, यह दो महीने के बाद पास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी स्थिति है हम धूम्रपान को रोकना ही चाहते हैं तो घर में, परिवार में, बच्चों में 18 साल के नीचे का लड़का है, लड़की है वो सिगरेट खरीद तो नहीं सकता लेकिन पी सकता है, पीने में कोई रुकावट नहीं है इसमें। अपने घर में बैठकर, अपनी चौपाल में, अपनी गुवाड़ी में बैठकर कभी पी सकता है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, और भी दूसरे माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसमें मेरा तो सबमिशन यह है कि इसको एक सलेक्ट कमेटी में भेज देना चाहिए, प्रभावी ढंग से इसको बनाएं तभी तो इसका मकसद होगा वरना तो इसमें कोई सार नहीं है और कानून की संख्या में एक और कानून जुड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारीया (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से विधेयक को लाए उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसकी पालना करा लेना आसान नहीं है। कहने की दृष्टि से तो अपन ने ऐसे कई कानून बना रखे हैं कि जिन कानूनों के तहत अपन उस काम को रोक सकते हैं लेकिन इतने वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी कई कानून ऐसे हैं जो आपकी और हमारी सबकी आंखों के सामने टूटते भी हैं और हम उसे देखते भी हैं। मेरा इसमें जो आग्रह है वो यह है कि इसमें सार्वजनिक स्थानों को भले ही आप थोड़ा घटाना चाहें तो घटा लें लेकिन उसमें बिलकुल सख्ती के साथ पालना हो जाए, क्योंकि हम सभी स्थानों को सार्वजनिक स्थान घोषित करके एक साथ रोकने का प्रयास करेंगे तो शायद हमारी भावना का अनादर हम अपनी आंखों के सामने रोज देखेंगे। मेरा अभी केवल आग्रह यह है कि केवल आप विद्यालय में ही इसको किसी तरह से लागू कराएं। क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि जिस विद्यालय में जो अध्यापक है वो स्वयं ही विद्यालय के अंदर धूम्रपान करता है और बच्चे को भेजकर अपनी सिगरेट मंगाता है। इसकी सीमाओं को भले ही घटा लो, लेकिन जहां हमने एक बार तय कर लिया उसको सख्ती के साथ पालन करा दो तो हमें सफलता मिलेगी और फिर एक-एक कदम हम आगे बढ़ते चले जाएं ताकि हमको इसकी पालना कराने में बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो हम सारे स्थानों के बारे में कहेंगे और उसकी पालना होगी नहीं और हम जिस भावना से लाए हैं, क्योंकि हमने इसमें कुछ दण्ड का भी प्रोविजन किया है अगर ऐसा होगा तो उसमें यह दण्ड होगा, 100 रुपये का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगा, 500 रुपये का होगा, क्योंकि इसमें अपन ने 11(1) में लिखा है, "धारा 5, 6 या 10 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, जुर्माने से, जो एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में दो सौ रुपये के न्यूनतम जुर्माने से, किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।" क्या वास्तव में इसकी पालना कराने की क्षमता हमारें मन-मस्तिष्क में है ? अगर हम इसकी पालना करा सकें तब तो इस प्रोविजन को रखकर हमको वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता होगी लेकिन केवल लिखा हुआ रह जाए और हम उसकी पालना सख्ती के साथ नहीं करा सकें तो हमारी भावना का कोई अर्थ नहीं रहेगा। मैं तो इस बारे में पक्षधर हूं कि हम निश्चित रूप से इसकी पालना कराएं और विशेषकर अभी केवल दो स्थान ही आप अगर चयन कर लें, एक तो हास्पिटल कैम्पस में कम से कम नहीं होगा और एक विद्यालय में नहीं होगा। इन दो में यह जुर्माना हम निश्चित रूप से वसूल करेंगे चाहे उसके लिए हमको अलग से फोर्स रखनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, जो भी दिखे उसको हम दण्डित करें और दो जगह भी हम सफलता प्राप्त कर लें तो मैं सोचता हूं कि हमारी जो भावना है उसके अनुसार हम निश्चित रूप से पालना कराएंगे।

अब इसमें आपने लिखा है कि 18 साल से कम बच्चों का। मैं सोचता हूं शायद आप यहां से इसकी पालना करा लेंगे लेकिन गांवों में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इसकी पालना का। क्योंकि बूढ़ा दादा है वो भी बच्चे को ही देता है, लो रुपया और जा तंबाकू ले आ। वह बच्चा जाता है। अब उसकी मानसिकता को आप एक दिन में परिवर्तित कर दोगे कि दादा आपने पोते को पैसा ही नहीं देगा कि बीड़ी का बण्डल ले आ ? इसकी पालना करा देना बड़ा कठिन है। जो मानसिकता अभी तक हमारी बनी हुई है और जिस प्रकार का अभी पैटर्न बना हुआ है उसको हमें रोकना है। कई बार तो यह लगता है, गांवों में तो यह लगता है, 18 साल की जो आप सीमा बांध रहे हो उस 18 साल के अंदर आपको सैंकड़ों नहीं, हजारों बालक मिल जाएंगे जो स्वयं बीड़ी पीते हैं। अब आप उन छोटे-छोटे बच्चों को किस तरह से रोक पाएंगे, क्या आपके पास फोर्स होगी, किस तरह से उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे, कौनसी जगह आइडेंटिफाई करेंगे, इन सब पर निश्चित तौर से हमको विचार करना चाहिए।

(19.00 बजे)

भावना का तो मैंने पहले भी कहा, मैं सम्मान करता हूं, और हम इसकी पालना करा सकें इससे हम सब को और ज्यादा प्रसन्नता होगी लेकिन जिस प्रकार का हमारा अब तक का जीवन रहा है ग्रामीण क्षेत्र का, उसमें इसकी किस तरह से हम पालना करा सकेंगे, और विशेषकर अगर आपने यह जो पांच सौ और सौ रुपये दण्ड करने का काम वहां किया तो शायद बहुत बड़ी अजीब स्थिति बन जाएगी। इसकी पालना कराने के लिए भी आपको कुछ समय देकर धीरे धीरे उनको इस दिशा मोड़ेंगे तब तो ठीक है।

7,8 और 9 का जो उल्लंघन करता है उसमें थोड़ा और जुर्माना आपने सख्त किया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। उसमें विज्ञापन के ऊपर जो लिखा है आपने, सिगरेट इत्यादि के विज्ञापन पर पीछे, अब मैं सोचता हूं, विज्ञापन तो कहीं भी छपेगा तो उसको तो आप रोक सकेंगे लेकिन उसकी जो अवहेलना करेगा उससे जो आपने लिखा है कि पांच सौ रुपये का जुर्माना दंडनीय होगा और द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती अपराध की दशा में कारावास से, जो तीन माह तक का हो सकेगा या पांच सौ रुपये न्यूनतम जुर्माने से, किन्तु जो एक हजार तक का हो सकेगा, या दोनों, अब इसकी अगर पालना कराने का हमारा दृढ़ निश्चय है और इसके अनुसार हम कुछ एक्शन कर सकते हैं, हो सकता है बहुत बड़ी तादाद में नहीं हो लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हो जाए तब तो निश्चित रूप से इस कानून के आधार पर हम 2-4 साल में इसकी कुछ न कुछ पालना कराने की आदत बना देंगे। लेकिन मुझे यह लगता है कि हमने कुछ लिखा और उसके अनुसार हम एक्शन करने में घबरा गये कि हमको उसमें कोई भय लगने लगा तो हमारी सारी जो मंशा है वह मंशा बेकार हो जाएगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसको जैसे आपने कहा कि हम समय-समय पर गजट में अपना एरिया डिफाइन करेंगे और बाकी सारा करेंगे तो कृपा करके आप पहले बहुत छोटा एरिया डिफाइन करिये और उसमें एक दो साल उसकी पालना कराइये और उसमें यह जो आपका दंड का प्रोविजन है वह लागू करिये और दो एक साल उसकी पालना कराने के बाद फिर उसका एरिया बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे एरिया अगर बढ़ाएंगे तो इसकी पालना होगी। इसलिए मैंने आपको यह कहा है कि इस दंड के बारे में यह सौ, पांच सौ नहीं रखकर मैं तो आपको कहता हूं आप 10 रुपये भी दंड रखकर अगर वसूल कर लें तो मुझे वही प्रसन्नता होगी लेकिन ईमानदारी की बात है कि जब वह वसूल करने की स्थिति आएगी तो हम स्वयं ढीले हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि दंड रखें तो ऐसा रखें जो वसूल कर सकें और सामने वाले को भी उसी हिसाब से, उसके कपड़े उतार लें तो पांच सौ रुपये नहीं मिलेंगे आपको, जिस जगह वह बीड़ी पी लेगा, अगर आपको वहां उससे वसूल करने हैं तो उसके सारे कपड़े भी उतार लो तो आपको यह पांच सौ रुपये उसके बदन पर नहीं मिलेंगे। क्या, कैसे पालन होगी, क्या होगा, यह कुछ विषय हैं जो बहुत जटिल हैं। भावना बहुत अच्छी है लेकिन इसकी पालना के लिए हम किस तरह से कर सकते हैं, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि फिर से ठीक प्रकार से विचार करने के लिए इसको जनमत जानने के लिए भेजा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। (अनुपस्थित) श्री दिग्विजय सिंह। (अनुपस्थित) श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, 17 महीने में पहली बार सरकार को बधाई देने की इच्छा हुई, निश्चित तौर पर यह जो विधेयक लेकर मंत्री महोदय आये हैं, इस विधेयक की बहुत बड़ी महती आवश्यकता थी, दीगर बात है, उपाध्यक्ष महोदय, इसको वास्तविक रूप से लागू करने में कुछ कठिनाइयां भी आएंगी परन्तु इस विधेयक के लागू होते ही एक यह चर्चा जरूर चल निकलेगी की सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, चिलम, तम्बाकू जर्दा जिनको एक तरह से सामाजिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मान्यता मिल गयी है इनमें कुछ इस तरह खोट जरूर है कि आज सरकार को कानून बनाना पड़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश के अन्दर एक वर्ष में 15 लाख कैंसर के मरीज होते हैं और इन 15 लाख में, उपाध्यक्ष महोदय, 70 से 80 फीसदी वह लोग हैं जो किसी ने किसी तरह तम्बाकू का सेवन करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं एक लेख पढ़ रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिन्दुस्तान के अन्दर 40 करोड़ लोग किसी न किसी रूप में चाहे सिगरेट पीते हों, बीड़ी पीते हों, जर्दा खाते हों, चिलम पीते हों, इस चीज का सेवन करते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जिस चीज से जुड़ाव हो और निश्चित तौर पर जिसके कारण से ऐसी बीमारियां फैल रही हों, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी इंडियन अस्थमा कैंसर सोसाइटी ने एक शोध किया था, उन्होंने 10 गले, फेफड़े के कैंसर रोगियों में 9 व्यक्ति वह थे...

श्रीमती सुचित्रा आर्य : दारू का कैसे छोड़ दिया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको मालूम नहीं जिस चीज को अनादि काल से हमारे शास्त्रों में मान्यता मिली है, जिस सुरापान और मदिरापान को करके, जिस सोमरस को पीकर देवताओं ने असुरों का मान-मर्दन किया, अब उसकी चर्चा कभी आप विधेयक लेकर आएंगे उस पर भी करेंगे। आपको मालूम क्या है ? भारतीय संस्कृति में, भारत के इतिहास में, हमारे धर्म ग्रंथों में जिस चीज को अच्छा और महान् बताया गया है उस पर आप काहे को चर्चा करते हैं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था...

श्रीमती कमला : यह क्या दलील दी ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : 10 फेफड़े और कैंसर के रोगियों का शोध हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, 9 व्यक्ति उसमें धूम्रपान करने वाले थे और हार्ट अटैक के 10 मरीज हास्पिटल में आते हैं तो उसमें से 7 धूम्रपान करने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या के अन्दर जहां बीमारियां फैलाने वाला यह सारा कृत्य हो उसमें इस तरह का कानून निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य है। इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो सिगरेट पीकर आनन्द लेते हैं, अभी मुझे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मैं इस पर इसलिए नहीं बोलूंगा, मेरा नाम तो आ गया परन्तु मुझे तो हरेक दो घंटे में सिगरेट चाहिए, वास्तविकता कुछ और है। परन्तु उसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, एक्टिव स्मोकर हैं वह तो ठीक हैं आनन्द लेते होंगे, पर उसमें पेसिव लोग जो बेचारे पीते नहीं, अब एक व्यक्ति सिगरेट पीता है उसमें 10 परसेंट तो उसके एलीमेंट वह इनहेल करता है और 90 परसेंट वह बाहर निकालता है और 90 परसेंट वह बेचारा पास में बैठा है वह अपने श्वास के साथ इनहेल करता है तो, उपाध्यक्ष महोदय, वह बिना मतलब, बिना कारण से बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। दो सौ व्यक्ति प्रतिदिन वह मरते हैं जो खुद स्मोकर नहीं हैं, पेसिव स्मोकर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिगरेट के धुएं में चार हजार विविध जहरीले रसायन हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हाइड्रोजन साइनाइड्स, नाइट्रोजन आक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, स्वास्थ्य के लिए इनके बड़े प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहूंगा और, मंत्री महोदय, आपका ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि जिस बिल को, जिस विधेयक को आप लेकर आये हैं उसको हम भी लेकर आना चाह रहे थे अध्यादेश के माध्यम से परन्तु हम नहीं ला सके, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप निश्चित तौर पर विधेयक लेकर आये हैं, इसकी चर्चा भी चलेगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे नहीं हो, मैं बिलकुल इत्तफाक करता हूं माननीय कटारियाजी से कि वास्तविक रूप से हमने चाहें पैनल्टीज का प्रोविजन कर दिया और सैक्शन 9 के अन्दर आपने एजुकेशन इन्स्टीट्यूट के सौ मीटर के दायरे में इसके विक्रय पर भी प्रतिबंध लगा दिया परन्तु वास्वतिक रूप से इसका इन्फोर्समेंट ठीक हो जाए इसके लिए आपको कोशिश जरूर करनी पड़ेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आपने लागू कर दिया परन्तु 2-3 ऐसी इन्स्टीट्यूशन देखनी पड़ेंगी जिनमें तो आप मजबूती से लागू कराएं। हास्पिटल में चालू रखें आप, हास्पिटल, विद्यालय और इसके साथ ही इन दोनों के अन्दर, हास्पिटल और विद्यालय के अन्दर अगर कोई काम करने वाला अध्यापक या चिकित्सक भी सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाए तो उस पर तो निश्चित तौर पर जो पैनल्टीज का प्रोविजन आपने किया है सौ रुपये, उसको तो कोई मेजर पैनल्टीज आप करें ही करें, उसकी सर्विस बुक्स में भी इसका इन्द्राज कर दें। मैं समझता हूं, इसका जब तक मैसेज नहीं जाएगा, आपको मालूम होगा कि सन् 1950 के अन्दर एक राजस्थान किशोर धूम्रपान निवारण अधिनियम बना था, आज भी वह विद्यमान है, उसके अन्दर भी कई प्रोविजन थे कि 16 वर्ष के कम उम्र का बालक, बालिका तम्बाकू नहीं बेचेंगे, यह नहीं करेंगे परन्तु आज भी वह किताबों में खोकर रह गया, किसी को मालूम नहीं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिसको लेकर आये हैं, बहुत बड़ी महती आवश्यकता है।

मैं एक और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल आपने कई विज्ञापनों पर रोक लगाने की बात कही। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा भतीजा है। वह जब भी मेरे से मिलता है मेरे को कहता है, काका, वह रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है, आप रेड एंड व्हाइट पिया करो। तो बच्चों के दिमाग में इस विज्ञापन के जरिएं जिस तरह की तस्वीर बैठाई जा रही है, यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। मैं आपके मुलाहिजा के लिए बताना चाहूंगा, एक यह जाफरी गुटखा का विज्ञापन छपा है, हर दिल में जमे हर महफिल में जमे जाफरी गुटखा, मूड बनाए जोश जगाए और इसके अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा हिन्दी में है और बड़े महीन महीन अक्षरों में चश्मा लगाकर पढ़ना पड़ा है वह अंग्रेजी में लिख दिया है, इन्ज्यूरियस टू हैल्थ, जो वैधानिक चेतावनी है वह अंग्रेजी में है। आज गांव के अन्दर हरेक के यह तो समझ आ जाएगा किं हर दिल में जमे, महफिल में जमे जाफरी गुटखा, परन्तु यह अंग्रेजी में लिखी हुई छोटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सी बात है, यह समझ में नहीं आएगी। इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि इसमें वह खतरे का निशान व खोपड़ी टाइप कुछ इस तरह का रखकर यह प्रावधान करें कि यह विज्ञापन जो छपते भी हैं, चाहे राष्ट्रीय अखबार में छपें, राजस्थान के अखबारों में छपें, उसमें इस तरह का प्रोविजन हो कि हिन्दी में वैधानिक चेतावनी लिखें। तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि इसका उपयोग ठीक नहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने विज्ञापनों पर रोक लगाने की बात तो कह दी परन्तु वह आसान काम नहीं है। आपने यह कह दिया कि हिम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, सरकार की आर.एस.आर.टी.सी. की बसें चल रही हैं, और चल रही हैं, इनमें विज्ञापन नहीं लगाएंगे। आप कहीं जाकर देख लो, अंदर तो लिखा होता है, धूम्रपान वर्जित है और पीछे लम्बा रेड एण्ड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है,विज्ञापन लगा हुआ है। ऐसी दोहरी बात नहीं चलेगी वरना इसका असर वही होगा कि आप सिनेमा हाल में जाओ, वहां नो-स्मोकिंग का बड़ा बड़ा बोर्ड तो नजर आ जाएगा परंतु उसकी परवाह कोई नहीं करता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बिल लेकर आए हो, बहुत अच्छी मंशा के साथ लेकर आए हो, हम सब लोग स्वागत करते हैं। इस बीमारी के कारण निश्चित तौर पर वर्ल्ड हैल्थ आर्गेनाइजेशन ने जो शोध किया था कि हिन्दुस्तान के अन्दर कैंसर की बीमारी फैल रही है और इस कैंसर की बीमारी के फैलाव के अन्दर मुख्य फैक्टर अगर कोई है तो वह तम्बाकू और उसका सेवन है।

मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम करें कुछ और हमारा वास्तविक आचरण दूसरा हो, जब तक आप इसको जन जागृति के साथ नहीं जोड़ेंगे, जिस तरह आपने पंचायती राज अधिनियम के अन्दर दो से ज्यादा बच्चे हों उसके डिसक्वालिफिकेशन की बात करके किया, उसमें हुआ कुछ नहीं पर एक मैसेज चला गया, उसी तरह कई जगह पर चाहे विद्यालय की बात करें, जो भी अध्यापक आप भर्ती करें, कम से कम उससे तो आप एक शपथ पत्र ले सकते हो कि मैं विद्यालय के अन्दर या विद्यालय के बाहर इस चीज का सेवन नहीं करूंगा, कहीं से तो शुरूआत आप करें, तब तो इसका निश्चित तौर पर लाभ होगा। आप यह विधेयक लेकर आये हो उसका मैं स्वागत करता हूं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्त माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि सभी यहां घोषणा कर दें कि हम तो कम से कम नहीं पीयेंगे। अपन तो घोषणा कर दो। अब करो न आप इस बात की घोषणा। नहीं, आज तक मैंने तो कभी नहीं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल। बिराजिए, बिराजिए। माननीय सदस्य, रामस्वरूपजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, ये रामस्वरूपजी, हरेक बात असत्य बोल रहे हैं। रोज तम्बाकू खाकर आते हैं।

श्री रामस्वरूप : आप घोषणा कर रहे हैं ? आपने कर दी घोषणा। (व्यवधान) समस्त सदस्य इस बात की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर किरोड़ी लाल। धर्मपाल चौधरी। मदन दिलावर।

श्री रामस्वरूप : हम पीते ही नहीं तो क्या घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान। श्री जनार्दन सिंहजी गहलोत। श्रीमती रमा पायलट। श्री भवंरलाल शर्मा।

श्री रामस्वरूप : हमारी तो पूरी पार्टी वालों की इच्छा है, यह सब घोषणा करने की। हमारी तो नीति में है। यह धूम्रपान, नशा कोई भी हो, उसे छोड़ देना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष, यह बिल जो लाया गया है उसका तो स्वागत है पर यह व्यावहारिक कितना और इफेक्टिव कितना होगा इस पर विचार करना होगा। पूर्व वक्ताओं ने भी शंका व्यक्त की है कि इसका इफेक्टिव होना मुश्किल है। माननीय मंत्री महोदय, मैं 2-3 बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। इसमें शब्द है स्मोकिंग, जिसको आप प्राहिबिट करेंगे, इसमें गुटखा आता है या नहीं ? अगर आता नहीं है तो आजकल आप देखेंगे कि छोटे बच्चे, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी इसका जबरदस्त सेवन करने लगे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि स्मोकिंग की परिभाषा में रख दीजिए कि जर्दा है उसका उपयोग किसी प्रकार से नहीं किया जाए तब इसका पूरा लाभ होगा। यह आप यदि कर देंगे तो ठीक होगा।

श्री अमीन खान : एम.एल.ए. भी करते हैं। कानून बनाने वाले ही करते हैं तो फिर क्या।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, माननीय सदस्य। आपका नम्बर आया जब तो थे नहीं, अब बोल रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने बस में बैठकर धूम्रपान करना भी प्राहिबिट किया है। हिन्दुस्तान और राजस्थान केवल शहरों में नहीं रहता है, गांवों में बसता है। जहां 70 प्रतिशत से ऊपर लोग गांवों में निवास करते हैं आप में से अधिकांश लोग गांवों से पधारते हैं, गांवों की कैसी रचना है वहां तो तम्बाकू सेवन के बिना काम ही नहीं चलता। गांवों में तम्बाकू तो लोगों को एकत्रित करने का माध्यम रहता भी है। बस में जब आदमी चलता है, कई लोग चेनस्मोकर हैं, कई लोग गांवों में लगातार बीड़ी पीते हैं, यदि इनको लम्बी यात्रा करनी है तो और बस में उसने बीड़ी पी ली तो क्या होगा ? उसका आप चालान करेंगे और 100 रुपया आप जुर्माना करेंगे। चालान कहां होगा ? जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां पर। एक गांव का व्यक्ति जो ढाणी में रहता है, जुर्माना तो 100 रुपये देगा ज्यादा से ज्यादा, पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के लिए अदालत में जाने से वह कितना परेशान होगा ? वकीलों का धंधा भी चलेगा। वे भी पैसे लेंगे, आप भी लोगे और बस का किराया भी देगा। बीड़ी पीना, उसके सामान्य जीवन में यह बात रहती है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तम्बाकू प्रोडक्शन बन्द कर देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो वह जो ग्रामीण व्यक्ति बीड़ी पीता है, यह उसकी परम्परा से, पीढ़ियों से और जिस प्रकार का वह काम करता है उसकी एक आवश्यकता बन गई है। गांव के व्यक्ति छोटे मोटे गांवों में

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इधर-उधर घूमते हैं वे भी इस परिधि में आएंगे और वे परेशान ज्यादा होंगे। आप उन पर दण्ड भी करना चाहते हैं, यह जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वह आए वह तो कम कम बन्द कर दीजिए। वहीं कहीं किसी कोर्ट में निपटारा करा दीजिए। फिर सैक्शन 8 है, सैक्शन 8 देखिए,

"No person shall sell cigarettes, beedis or may other such somoking substance to any person who is below the age of eighteen years."

कोई भी व्यक्ति जो दुकानदारी करता है, वह 18 साल से कम आयु के बच्चे को यह नहीं बेचेगा। वह कैसे तय करेगा कि 18 साल की उम्र का है? आप तो मेडिकल के मिनिस्टर भी हो, आज डाक्टर भी आयु तय नहीं कर सकते सारी व्यवस्थाओं के बाद भी, एक्स-रे आदि सब देखने के बाद भी कि इसकी उम्र 19 है या 16 है। तो 18 साल से ज्यादा है या कम है, इसका कैसे निर्णय करेगा वह? व्यापारी गांव की आदमी होगा; छोटी छोटी दुकान लगाता है गांव में, वह उसका निर्णय कैसे करेगा खरीददार की आयु 18 साल से कम है या ज्यादा है? आप भी कर सकते हो क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : आप बिल का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बोलने दीजिए उनको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस बिल का मैंने कहा कि मैं समर्थन करता हूं। यह अच्छी भावना से है लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा यह, वही मैं कह रहा हूं।

श्रीमती कमला : यह तो यह दलील हुई कि जहर पी रहे हैं लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे इसलिए मत करो। यह तो कोई दलील नहीं हुई। धूम्रपान तो बंद होना चाहिए होनी हो सो हो। बंद होना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने दफा 8 पढ़ ली क्या?

श्रीमती कमला : दफा 8 क्या 10 हो चाहे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 8 नहीं पढ़ा, 10 पढ़ लिया होगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक सुझाव तो इन्होंने दिया वह वाजिब है कि गुटखा है इसको जोड़ना चाहिए। यह अच्छा सुझाव है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, जोड़ना चाहिए।

श्रीमती कमला : वह गवर्नमेंट अलग से लाएगी उसको। चर्चा हुई है इस बाबत।

श्री उपाध्यक्ष : एप्रीशिएट तो करो जो सुझाव दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसलिए किसी थड़ी वाले को, किसी छोटे दुकानदार को अपराधी बनाने के लिए आपने यह व्यवस्था की है वह बीड़ी बेच सकता है, सिगरेट बेच सकता है लेकिन 18 साल से अगर कम आयु का कोई बच्चा आता है तो उसको नहीं बेच सकता। अब कैसे अंसर्टेन

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करेगा कि वह 18 साल का है या नहीं है ? यह कोई कानून बन सकता है क्या। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि इसमें ऐसा कोई संशोधन करिए जिससे वह इसकी पालना कर सके, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ सके। Don`t make it impractical.

फिर यह 9 वां है, इसमें आपने लिखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का मतलब गवर्नमेंट के से है या जनता चलाती है वह भी है। अगर सब है तो आपने यह तय कर लिया कि जो छोटे मोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल भी है, कोई भी है उसके 100 मीटर की सीमा में, जैसे चुनाव में रोकते हो कि 100 मीटर की सीमा में प्रचार नहीं करोगे, बीड़ी, सिगरेट न तो कोई स्टोर करेगा, न दुकान में रखेगा, न बेचेगा। यह सम्भव है क्या ? छोटे गांवों में यह सम्भव होगा क्या ?

श्रीमती कमला : यह तो सम्भव है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप असल में गांवों में पधारती भी हो क्या ? गांव देखे नहीं आपने।

श्रीमती कमला : आप पधारते हो क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खूब जाता हूं।

श्रीमती कमला : पता है मुझे कहां-कहां कैसी स्थितियां हैं। इसलिए मैं कह रही हूं होना जरूरी है, नहीं तो सब बरबाद हो रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसको कौन मना कर रहा है। मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं पर उसको व्यावहारिक तो करो।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : यह दलील देते हैं कि अपने मन को एकाग्रचित्त करने के लिए हम तो पीते हैं, इसका क्या जवाब है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो इनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ रहे हो। वही तो मैं कहता हूं कि मन को एकाग्र करने के लिए गांवों के लोग पीते हैं, मेहनत करने के बाद पीते हैं, तो यह व्यावहारिक नहीं है ना। फिर आपने उल्लेख किया धारा (10) में,

"10. Display and exhibition of board. - The owner or manager or incharge of affairs of every place of public work or use shall display and exhibit a board at a conspicuous place or places in and outside the permises visited or used by..."

अब यह नो स्मोकिंग का बोर्ड कौन लगाएगा ? आपने कहा, ओनर और मैनेजर और इंचार्ज। एक लाइब्रेरी का मालिक तो कोई एक है, वह तो ओनर है, मैनेजर कोई दूसरा है और आफिस चलाने वाला कोई तीसरा है तो आप किस पर जुर्माना करोगे ? कौन आएगा इसकी परिधि में ? जैसे एक स्कूल है, उसका ओनर तो कोई है, मैनेजर दूसरा है, इंचार्ज उसका हैड मास्टर है, किसको दंडित करोगे ? आपने इसमें "or" और जोड़ दिया इसलिए यह लीगली डिफेक्टव है।

श्री रामसिंह विश्नोई : पब्लिक में इससे अच्छा मैसेज जाता है इसलिए यह किया है बाकी आप जो कह रहे हैं, वह तो कठिनाइयां आएंगी ही, इसमें क्या बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखिये, आप यह कानून बना रहे हो।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, कानून की बात नहीं है, कानून से मैसेज जाता है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर कानून नहीं है तो आपका प्रशासन ही रोक दे।

श्री रामसिंह विश्नोई : बाल विवाह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ? हो रहे हैं ना अभी तक, इसके लिए कानून बना हुआ है। दुनिया में अपनी तरफ से मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर आपकी भावना यही है, जैसे बाल विवाह होते रहते हैं, वैसे ही अगर करना है तो इस कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, हमारी भावना बिलकुल साफ-सुथरी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर कानून की कोई जरूरत नहीं है तो आप कानून क्यों बना रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं नहीं, साफ-सुथरी घोषणा है। आपको इस...

श्रीमती कमला : बाल विवाह एक्ट बना हुआ है तो उसके तहत रुकवाना शुरू हुआ है, बहुत जगह पर पकड़े जाते हैं। कानून ही नहीं होगा तो कैसे पकड़ेंगे, कैसे रोकेंगे ? (व्यवधान) यह कहां रोकोगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह विचार-विमर्श हो चुका है। आप जो कुछ कह रहे हैं, वह दिक्कत आ रही है। यह कोई मामला ही नहीं है, ख्वाहमख्वाह बहस कर रहे हैं इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, इनको समाप्त करने दो ना। मामला तो जो वह बोल रहे हैं, वह है ना। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्रीजी, आप कानून लाए हैं तो कानून तो कानून के हिसाब से ही पास होना चाहिए। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रह जाए इसलिए कह रहा हूं मैं आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि इसमें ओनर, मैनेजर और इंचार्ज, अब आप किस किसको दंडित करोगे। आप दंडित करिये, मैं मना नहीं करता। आप शायद यह समझ रहे हैं कि मैं इसका विरोध कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं इसके समर्थन में हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप विरोध नहीं कर रहे हैं, ये मानेंगे नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं... (व्यवधान) मामला यही है।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : ऐसी भावना क्यों रख रहे हैं कि मैं विरोध कर रहा हूं। पर जो कानून बना रहे हो उसमें सुधार तो करो, जो कानून की परिभाषा में ठीक बैठे। तो मेरा, मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है, जिन बिन्दुओं पर मैंने आपका ध्यान दिलाया है, जहां कहीं पर कानून की खामियां हैं, एक्ट की भावना ठीक है लेकिन कानून में खामियां हैं यह वैसे ही प्रभावी नहीं होगा और कानून में कमी रहेगी तो और भी मुश्किल होगा। इसलिए इसकी पालना ठीक से हो तो कानून में तो कोई कमी नहीं छोड़ो कम से कम ताकि इसकी पालना हो सके। इसलिए इसका पूर्ण विचार हो जाए, ठीक ढंग से पूरा विचार हो इसलिए इसको जनमत के लिए भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी। (अनुपस्थित) श्री अमीन खां। (अनुपस्थित) श्रीमती सुमित्रा सिंह। (अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मेरे तीन संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका संशोधन है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं तो एक साथ ही बोल लेता हूं... (व्यवधान) मैं खण्डश: बोलने की जगह...

श्री उपाध्यक्ष : एक साथ कैसे बोलोगे आप। संशोधन है आपका, आप बोलना ना, आ रहा है नम्बर।

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक के ऊपर चर्चा हो रही है और सभी माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि धूम्रपान निषेध होना चाहिए और जो धूम्रपान करते हैं वे भी यही चाहते हैं कि उनके पुत्र और पुत्रियां, उनके पोते और पोतियां इसका इस्तेमाल नहीं करें। ये सब चाहते हैं। सरकार इस मंशा के साथ में इस बिल को लेकर आई और मैं वैसे स्वयं निजी तौर से नशे का विरोधी हूं। मैंने कोई नशा नहीं किया है इसलिए मेरी तीव्र इच्छा थी और मैंने मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध किया, कैबिनेट में इस बात को लाए कि यह धूम्रपान निषेध होना चाहिए कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को कैसे रोक सकें। इसके पीछे भावना यही है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि माननीय सदस्य जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये, कटारियाजी ने, राठौड़ साहब ने, शर्माजी ने, शिवनाथ सिंहजी ने, इन्होंने इसका स्वागत किया। सारे सदन ने इसका स्वागत किया, सारा सदन इसका स्वागत करता है। मैंने यह कहा है कि सारा सदन इसका स्वागत कर रहा है। अब इसमें चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने, चूंकि इनको जानकारी इसके बारे में ज्यादा थी और यह बात भी सही है कि पूर्ववर्ती सरकार इस बिल को लाना चाहती थी आर्डिनेंस के माध्यम से पर किसी कारण से यह नहीं ला पाए पर इनकी मंशा उस समय भी थी इसलिए इन्होंने आज भी इसका स्वागत किया है। अब कुछ सूचना तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने दी है फिर भी यह कुछ सूचनाएं इस धूम्रपान के संबंध में मैं सदन की जानकारी के लिए देना चाहता हूं ताकि राज्य की जनता को इसके बारे में जितना नुकसान है, उसकी जानकारी भी हो सके।

1950 से अब तक प्रकाशित लगभग 70,000 वैज्ञानिक शोध पत्रों द्वारा यह निर्विवाद सिद्ध हो चुका है कि धूम्रपान समय पूर्व मृत्यु और विकलांगता का एक प्रमुख कारण है। तम्बाकू के धुएं में लगभग, जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि 4000 हानिकारक तत्व होते हैं उनमें से 438 तत्व कैंसर रोग के कारण बनते हैं। इसमें प्रमुख हानिकारक तत्व टार्ट, निकोटिन और कार्बन मोनोआक्साइड हैं। तम्बाकू का सेवन 25 से ज्यादा बीमारियां पैदा करता है। इनमें से प्रमुख बीमारियां हैं, कैंसर जो होठ का भी हो सकता है, मुंह का भी हो सकता है,

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हम उस बात का विरोध करें। इसका विरोध करने की जो शक्ति है, हमको खुद को इस पवित्र सदन से जो शक्ति मिलती है उसके माध्यम से हम इस बिल को लागू करने का प्रयास करेंगे और यह सब की मंशा है और इस उद्देश्य से हमने इसको लागू करने की बात की है।

जो 18 साल की बात कही गई है, उपाध्यक्ष महोदय, हमने 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है। अब जिस समय वोटर लिस्ट तैयार होती है, जिस समय वोटर लिस्ट बनती है उसमें आब्जेक्शन का भी प्रावधान है, सब है उसके बाद में व्यक्ति आता है और एक नवजात आकर अपना वोट डालता है। अब उसमें किसी को उम्र पूछने का, नहीं पूछने का, यह बात नहीं है, यह चूंकि उम्र हमको देनी है हमने 18 वर्ष की उम्र दी है। अब उम्र के पीछे यह है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र के को यदि सिगरेट देगा, जो देने वाला है, दण्ड का भागी वह है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह देखकर दे कि यह है कि नहीं है। और यदि कोई भी शिकायत करता है, पब्लिक प्लेसेज पर कोई भी व्यक्ति, आप और मैं कोई भी हो सकता है, वह यह कह सकता है कि यह 18 वर्ष का है इसको आपने सिगरेट कैसे दी, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, उसके खिलाफ यह जुर्माने का भी जो प्रावधान किया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे भी भावना यह है कि कोर्ट की ट्रायल की कोई बात नहीं है। हमने जो प्रोविजन्स रखे हैं उसमें यह है कि वह वहीं पर जिस तरह से चालान किया जाता है, उसी समय रसीद काट कर चालान..

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दण्ड में दिक्कत नहीं है। दण्ड तो ठीक किया आपने। पर वह असेस कैसे करेगा कि 18 साल का है या नहीं है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया कि 18 साल के व्यक्ति को हमने वोट का अधिकार दिया है और अब प्रिसाइडिंग आफिसर अंदर आकर कह देगा कि यह 18 साल का है या नहीं है, कोई आब्जेक्शन होगा, उसका होगा, और कोई बात नहीं है। बात यह नहीं है। आप इसकी भावना समझने की कोशिश कीजिए। इसके पीछे जो मूल भावना है, इस बिल के बारे में आपने दिल से स्वागत किया है इसका, पूरे सदन ने स्वागत किया है। समझने की जरूरत होगी कि हमने 18 साल की बात कही है तो उसमें कोई आपको एतराज होना नहीं चाहिए।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो गुटखे के संदर्भ में हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है तो उसके बारे में मैं यही निवेदन कर सकूंगा कि इसके लिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक सैण्ट्रल एक्ट बना रही है और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने पूछा था, राज्य सरकार ने उसकी कन्सेंट भारत सरकार को भेज दी है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, उससे हम सहमत हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धूम्रपान प्रतिषेध एवं अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

वैसे भी आप लोगों ने कोई संशोधन रखा ही नहीं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डश: विचार

खण्ड 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेषकर गुटखे की बात उठाई है और माननीय कमलाजी ने भी यह बात कही है। पहली बात तो यह है कि यह बिल काम्प्रिहेंसिव नहीं है, इसके जेनेसिस क्या हैं, एक्चुअली इसका जो टाइटल है वह बिलकुल सही है। राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और, यह इतना इम्पार्टेन्ट नहीं है, इम्पार्टेन्ट क्या है अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण, और अनफार्चुनेटली यह राजस्थान प्राहिबिशन आफ स्मोकिंग एण्ड नान स्मोकर्स हैल्थ प्रोटेक्शन बिल और इसके जो आब्जेक्शंस एण्ड रीजनस हैं उसके अन्दर इसका कहीं उल्लेख नहीं है। Consumption of Tobacco has been established as a major helth hazard.... No doubt as to this. मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बाकी कैंसर हो जाता है, नहीं हो जाता है, वह स्टेटिस्टिकल डेटाज हैं, कितनी डैथ हुई, इसकी कोई प्रोजीटिव एवीडेंस नहीं है। हैल्थ हैजार्ड है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, असली बात तो वह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो पूरे विश्व के अंदर जिसकी चिंता होती है। आप सिगरेट पीते हैं, आपका नुकसान होता है, आप मरो, मरो लेकिन दूसरे को कैसे मार सकते हैं आप। पेसिव स्मोकर को जो नुकसान होता है, वह स्मोकर से ज्यादा होता है और पेसिव स्मोकर की हैल्थ को प्रोटेक्शन देने के लिए पूरी दुनिया के अंदर यह चालू है और एडवांस कंट्रीज, डवलप्ड कंट्रीज में आलरेडी यह लागू है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका वेलकम करता हूं, यह मैं कहना भूल गया, यह निश्चित रूप से ...

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जनसंख्या वृद्धि के अंदर तो अवरोध पैदा होगा यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अच्छा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है और धूम्रपान अगर छूट देते हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : रामसिंहजी, माननीय रामसिंहजी।

श्री रामसिंह विश्नोई : मेरी बात सुनिए आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह गम्भीर विषय है। मैं जो बात कहता हूं, गम्भीरता से कहता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : मैंने आपसे ज्यादा गम्भीर कही है बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कोई जनसंख्या का प्रश्न नहीं है...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं तो गम्भीर, आपसे ज्यादा गम्भीर बात है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तफ़री करने यहां पर आए हैं क्या। बिल का डिस्कशन हो रहा है, बैठो, सुनो। बैठिए, स्थान ग्रहण कीजिए, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : कमाल आदमी हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, प्लीज। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात निवेदन की कि मूलत: यह बिल नान स्मोकर्स की हैल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है और बिलकुल वाजिब आया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, यह खण्ड 3...

एक माननीय सदस्य : आप भी पीते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं-नहीं, मैं पीता हूं वह अलग बात है, It is altogether different. बहुत लोग पीते हैं। मैं स्मोकिंग को जस्टीफाई नहीं कर रहा हूं। मैंने जो खण्ड 3 में दिया है न,

"परन्तु यह सार्वजनिक कार्य या उपयोगिता का स्थान से धारा 3 के अधीन इस रूप में घोषित स्थान अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत सभा भवन, चिकित्सालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाएं, आमोद-प्रमोद केन्द्र, उपहार गृह, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शिक्षा संस्थाएं, पुस्तकालय..."

और इस प्रकार के अनेक स्थान हैं जहां जनता जाया करती हैं किन्तु उसके अन्तर्गत कोई खुला स्थान नहीं है। अब यह इसमें तीन में किया है,

"इस अधिनियम के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र और तत्पश्चात् राज्य सरकार यथासमय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राजस्थान राज्य में सार्वजनिक कार्य या उपयोगिता के किसी भी स्थान को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धूम्रपान-निषिद्ध-स्थान घोषित कर सकेगी।"

मेरा इसमें अमेंडमेंट यह है,

"परन्तु चिकित्सालय भवन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों को धूम्रपान निषिद्ध स्थान घोषित करने की अवस्था में उस क्षेत्र में धूम्रपान क्षेत्र आरक्षित करेंगे"

स्मोकर्स जोन बनाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा से और अध्यक्ष महोदय की कृपा से सी.पी.ए. कांफ्रेंस अटेंड करने पोर्ट आफ स्पेन में गया था और यह मनुष्य की एक कमजोरी है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी, आप स्मोक नहीं करते हैं, जो करता है वह करता है वो अपनी हैल्थ हैजार्ड है, आप इसको बेन करें अच्छा है लेकिन यह कोई सुरेन्द्र व्यास का सवाल नहीं

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

है, बहुत लोग स्मोक करते हैं...(व्यवधान) नहीं-नहीं परसादी लालजी, थोड़ा गम्भीरता से समझने की कोशिश कीजिए, मैं जो बात कह रहा हूं। अब वहां पर कामनवेल्थ कंट्रीज के, मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय की कृपा से विधायक चला गया था अन्यथा मोस्टली सब स्पीकर्स होते हैं, वहां पर बहुत कंट्रीज के स्पीकर्स कांफ्रेंस से बाहर आते ही वे सिगरेट भी पीते थे और वहीं पर बिना कोई प्रावधान के करते थे मतलब वे वायलेट करते थे। अमेरिका के अन्दर और इंगलैंड के अंदर उन्होंने स्मोकर्स जोन बनाया हुआ है। मैं तो इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं। हास्पिटलस में स्मोकर्स जोन बनाने का मेरा सुझाव नहीं है। मैं इस बात को समझता हूं कि कल अपन डाक्टर्स के लिए भी स्मोकर्स जोन बनाएं, यह मेरा सुझाव नहीं है। लेकिन ठीक है आप अगर स्मोकर्स जोन बनाते हो और स्मोकर्स जोन बनाने में कोई जगह, जैसे रेस्तरां में आपने निषिद्ध कर दिया, यह बात सही है, उपाध्यक्ष महोदय, अब रेस्तरां के अन्दर हर आदमी जाता है अगर वहां पर आप स्मोकिंग अलाउ करेंगे तो जो आदमी रेस्तरां में स्मोकिंग नहीं करता होगा वह जाएगा तो नुकसान है ही उसको, बिलकुल निषिद्ध करना चाहिए आपको, लेकिन वह बड़ा होटल है और उसमें आपने स्मोकर्स जोन बना दिया, अब कोई मेरे साथ में धारीवालजी के साथ मेरी मित्रता है वे जाते हैं और मेरे साथ बैठते हैं तो वे बरदाश्त करेंगे It is your risk लेकिन अगर यह न चाहें तो अनावश्यक रूप से आप किसी पर थोप नहीं सकते, आपको स्मोकर्स जोन में जाकर ही सिगरेट पीनी पड़ेगी। इसलिए व्यावहारिक रूप से मैंने यह अमेंडमेंट सजेस्ट किया है, अगर आप उचित समझे तो, मंत्रीजी, इस बात को स्वीकार करें और यह व्यावहारिक रूप से लागू करना मुश्किल होगा...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य, एक तरफ तो बंद कर रहे हैं और एक तरफ उनको आरक्षण दे रहे हैं कि आपके लिए सुरक्षित कर दी जगह और सुरक्षित जगह में वो पीएंगे उसकी हवा दूसरी जगह नहीं जाएगी क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कमला जी, it is not your subject.

श्रीमती कमला : यह हमारा खास सब्जेक्ट है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is not your subject.

श्रीमती कमला : आप जो कह रहे हैं, this is not your subject, यह हम लोगों ने प्रेशराइज करके लाबिंग करके लाने की चेष्टा की है। आप कैसे कह रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय कमलाजी, आप मुझे क्षमा करेंगी। आप पूर्वाग्रह और दुराग्रह से ग्रसित हैं, आपको इस बिल के प्रयोजन का ही पता नहीं है...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अच्छा सारी +++ आपने ही ले रखा है कि इसका प्रयोजन का पता नहीं है। आप जिस प्रयोजन को बखान कर रहे हैं मूलत: नान स्मोकिंग के लिए अपन

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती कमला)

यह लाए हैं और स्मोकर्स हैं वे भी मूलत: हैं। आप तो उन लोगों को तो एक्सक्लूड कर रहे हो कि वे मूलत: में नहीं हैं जो स्मोक कर रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अनावश्यक रूप से उलझिए मत। आपको इसके प्रयोजन का पता नहीं है। यह नान स्मोकर्स की हैल्थ का प्रोटेक्शन के लिए है...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसा नया प्रयोजन आप बता रहे हैं, बता दीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : You are not the concerning minister. Let the concerned minister reply.

श्रीमती कमला : मैं भी हाउस की मैम्बर हूं। यह क्या बात हुई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान) यह तरीका नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्रीमती कमला बृजलाल : यह महत्वपूर्ण बिल है इसको पास कराएं। क्यों टाइम बरबाद कर रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कंटीन्यू बिजनेस में है। लेजिस्लेटिव बिजनेस में है।

श्रीमती कमला : एक तरफ तो रोक रहे हो और दूसरी तरफ उनके लिए जगह आरक्षित कर रहे हैं।

श्रीमती कमला बृजलाल : टाइम क्यों बरबाद कर रहे हैं। बैठा रखा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने लेजिस्लेटिव बिजनेस में बाकायदा एक अमेंडमेंट दिया है और वह अमेंडमेंट मैंने सपोर्ट किया लाजिक से, रीजन से। How far it appeals to the hon`ble minister, it is not for him to say. आप अनावश्यक रूप से क्यों उलझ रही हैं?

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो यह रिप्लाई आप दें, माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन दिया है यदि वे इसकी परिभाषा में पढ़ें तो हमने धारा 3 के बारे में साफ लिखा है, जो प्लेसेज हमने बताए हैं उसमें हमने लिखा है कि इसके अर्न्तगत खुला स्थान शामिल नहीं है। तो यह अपने-आप में ही यह बात कहता है कि जो फ्लोर जिसके ऊपर छत है इन प्लेसेज पर वहां पर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे सिगरेट। आपको सिगरेट पीनी है तो खुली छत है वहां पर आप पीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बारिश में क्या करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 को स्वीकर किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 श्री सुरेन्द्र व्यास। आपने कहा कि मैं एक दफे ही बोल दूंगा। आपने तो यह कहा था कि मैं उस समय एक साथ ही बोल दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा अमेंडमेंट है, उपाध्यक्ष महोदय, it is my right.

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बहुत गम्भीरता से एक बात कह रहा हूं जिसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई सुरेन्द्र व्यास मजाक की बात नहीं है। आपके यहां कांफ्रेंस होती है, मान लीजिए, मिनिस्टर साथ हैं, स्पीकर साथ हैं ...(व्यवधान) आप सुन लीजिए, जरा एक मिनट। आप सुनिए, बाकोलियाजी, मजाक की बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी कांफ्रेंस होती है, अब ऐसा नहीं है कि कोई अध्यक्ष भी हो सकता है, मिनिस्टर भी हो सकता है, कोई सैक्रेटरी भी हो सकता है...(व्यवधान) आप सुनिए न। वहां पर आपने स्मोकिंग को प्राहिबिट किया हुआ है अब उस वक्त में उस कांफ्रेंस में, बिलकुल ठीक है प्राहिबिट किया वहां तक, क्या जो सिगरेट पीने वाला आदमी है उसको आप यह कहेंगे कि आप बाहर जाकर सिगरेट पीजिए खुले में ? स्मोकर्स जोन रखने में कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मैं मंत्रीजी से कहता हूं कि इस बात को थोड़ा सा व्यावहारिक रूप से समझो। आज स्मोकर्स जोन दुनिया बनाती है। हर कंट्री में है। जहां पर यह बिलकुल लागू है। जहां यह कानून लागू है वहां स्मोकर्स जोन बनाए जाते हैं इसलिए मैं मंत्रीजी से कहता हूं कि यह आप संशोधन स्वीकार कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिस धारा 3 के संदर्भ में यह बात कही है, मैं वापस अनुरोध करूंगा कि इसमें बहुत साफ है कि सिगरेट जिसको पीनी है वो खुले स्थान पर जाकर पीए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 व 7 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 व 7 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 व 7 स्वीकार किये गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 8 श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह हवामहल से आने वाले...(व्यवधान) नहीं, सचिवालय का किस्सा नहीं है, अब किस्सा दूसरा है। थोड़ा समझा करो। बिल तो पढ़ते नहीं हो, सचिवालय का किस्सा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। आप बोलिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महादेय, यह हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, यह बड़ा डिफिकल्ट है, मंत्रीजी, इसको समझने की चेष्टा कीजिए। 18 वर्ष से कहीं 14 साल का लड़का भी बहुत वेल बिल्ट अप हो सकता है। मेरा संशोधन यह है, आपने यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो 18 वर्ष से कम आयु का दिखता हो यानि अपीयरेंस में 18 साल से कम हो। अब इतना सर्टिफिकेट वह थोड़े ही, आप जो वोटर लिस्ट की तुलना कर रहे हो वो तो अलग चीज होती है, वो तो बाकायदा वोटर लिस्ट बनती है वो पहले ही डिटरमिन हो जाता है लेकिन जहां तक यह जो सेल का प्रोविजन है इसमें इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन मत कीजिए। वह 18 साल का कहां मालूम करने जाएगा। अपीयरेंस में अगर वह मान लीजिए जैसे उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने गुलाबचंदजी कटारिया ने कहा था अगर वो बच्चे को सिगरेट लेने भेजता है, अब 8-10 का है, हो तो नहीं देना चाहिए उसको। नहीं देना चाहिए लेकिन अब जो है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर बोलने दो न, खतम होने दो इसको।

श्री सुरेन्द्र व्यास : 18 साल का डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल है इसलिए 18 साल का दिखता हो उस आदमी का सिगरेट नहीं बेची जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संदर्भ में अनुरोध किया पहले भी, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने भी जिक्र किया था और मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है। आपने कहा कि 18 वर्ष की उम्र का दिखता हो यह इसमें एड करो। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा जो भांजा है जिसकी 12 साल की उम्र है वह मेरे से चार अगुंल लंबा है और उसका सीना मेरे से भी चौड़ा है। देखने की बात है तो उसकी उम्र तो 12 साल है और दिखने में वह आपको 20-22 साल का लगेगा क्योंकि वह लंबा-चौड़ा है। इसमें अगर हम यह लिख दें जो आपने सुझाव दिया है कि दिखता हो, वह तो ज्यादा दिखता है, 20-22 साल का दिखता है। अब यदि उसको आप सिगरेट दे दोगे, आपके हिसाब से तो उसको सिगरेट मिलेगी चूंकि वह तो बड़ा दिखता है। इसलिए हमने उम्र को बिलकुल लीगली डिफाइन किया है। हमारा उद्देश्य पवित्र है और कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 में जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकार किया गया।

खण्ड 9, श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्रीमती कमला बृजलाल : व्यासजी, अब तो दया करो इस सदन के सारे माननीय सदस्यों के ऊपर दया करो, मेहरबानी करो। पास करवाओ।

श्री रामस्वरूप : सिगरेट पीना लास्ट है क्या आज ? इन्होंने कह दिया सिगरेट पीना लास्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय मंत्रीजी, मेरा अनुरोध यह है कि विधेयक के खण्ड 9 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "महाविद्यालय, विद्यालय या अन्य शिक्षा संस्था" के पश्चात् तथा अभिव्यक्ति "के आस-पास" के पूर्व अभिव्यक्ति "तथा कोई भी धार्मिक स्थान" अन्त: स्थापित की जाए।

100 मीटर में धार्मिक स्थान का मैंने साथ में जोड़ा है। अगर आप उचित समझते हैं तो इसमें एड कर लीजिए।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें धार्मिक क्षेत्र की बात कही है। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा अभी तक का जो सार्वजनिक जीवन रहा है, जब से मैं समझने लगा हूं, मैंने किसी भी मंदिर-मस्जिद में किसी को भी शराब और सिगरेट पीते हुए नहीं देखा। लोग धर्म से डरते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : मंदिरों में सुल्फे और गांजे की इतनी-इतनी बड़ी लूप उठती है।

अनेक माननीय सदस्य : इसे तो मान लो, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : रूल्स में मान लेंगे, यह कहते ना आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह धार्मिक क्षेत्र का मामला है हम इससे इसको जोड़ना नहीं चाहते इसलिए हमने इसको अलग रखा है। इसमें कई तरह के विवाद आ सकते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इस बात को वाकई गंभीरता से लीजिए। सुरेन्द्रजी का जो सुझाव है यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बातों में एक ही बात तो अच्छी कही है वो भी आप नहीं मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मान ली ना रूल्स में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : खास तौर पर सुरेन्द्रजी को ऐसे धार्मिक स्थानों पर कई संतों के साथ बैठने का मौका मिला है जहां चिलम चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, अभी संशोधन मानें तो संशोधन प्रस्तुत करना पड़ेगा। रूल्स में देख लेंगे।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 में जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 9 स्वीकार किया गया।

खण्ड 10 से 18 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 10 से 18 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 10 से 18 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र चौधरी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र चौधरी (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या 26) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर करण सिंहजी, आप बोलना चाह रहे हैं?

डा. करण सिंह यादव : पास करवाओ, साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह जो बिल धूम्रपान का प्रतिषेध रखा है इसका तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरी तो 6 पीढ़ियों में किसी ने न बीड़ी पी, न सिगरेट पी, न तम्बाकू का पान खाया और न हमारी पार्टी के दूसरे विधायक पीते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इसमें भी हमारा कसूर है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आप केवल तम्बाकू पीने पर रोक लगा रहे हैं, तम्बाकू खाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं। मैं रोज शांतिकुमार धारीवालजी को देखता हूं, अभी भी मुंह में तम्बाकू है।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं दो-तीन निवेदन कर रहा हूं, सुन लीजिए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अभी माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने हैलमेट का उदाहरण दिया। वाकई में बात सही है। हैलमेट लगाना पहले से ही अनिवार्य था लेकिन सरकार ने एक वातावरण बनाया, जगह-जगह बैनर लगाए कि हैलमेट सरकार के लिए नहीं आपकी सुरक्षा के लिए है। मुझे विदेश जाने का मौका मिला वहां स्थिति यह है कि पान खाकर कोई थूक नहीं सकता। थूके तो उसे अपनी जेब से रूमाल निकालकर साफ करना पड़ेगा और आधा किलोमीटर दूर डस्ट बाक्स में डालना पड़ेगा। इसके अलावा उसको पैनल्टी की रसीद और दी जाएगी। यह इसलिए हुआ कि वहां के लोगों को इस तरीके से तैयार किया गया। यहां तो सड़कों पर भी लोग लेट्रिन करते हैं, अभी माहौल नहीं बना। केवल आप कानून से रोकें इसके लिए मैं चाहता हूं कि आपको लोगों को मेंटली तैयार भी करना पड़ेगा। फोटोग्राफर फोटो खींचता है तो वह कहता है, यस, तब फोटो खींचता है। हमारी विधान सभा का सत्र शुरू होता है तो सारजेंट आकर कहता है माननीय अध्यक्ष। हमको पता है, रोज आते हैं। मेरा निवेदन है कि आपको लोगों को मेंटली प्रिपेअर करना चाहिए और इसके लिए स्कूलों, कालेजों और दूसरी जगहों पर जैसे अस्थमा केअर सोसाइटी और दूसरे लोग कर रहे हैं, वैसे कीजिए। कानून के डंडे से हम रोक लगाना चाहें वह नहीं हो सकता। मैं आपको सही निवेदन कर रहा हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी के लोग आते हैं, मैंने उनके लिए ठहरने की, खाने की सारी व्यवस्था कर दी। वहां जाकर कहने लगे कि वहां क्या जाएं, वहां तो हुक्का-पानी की व्यवस्था नहीं है। आज यह स्थिति है। गांवों में आप जाकर देख लीजिए, कोई बचा हुआ नहीं है। आप उन पर एकदम जुर्माने का प्रावधान लगा देंगे तो इससे देहाती इलाके में एकदम रिएक्शन होगा। इसलिए एक बार आप उनको प्रिपेअर कीजिए। जैसे अभी आपने बैनरों से, पोस्टरों से पर्चों से प्रिपेअर किया, वैसे प्रिपेअर कीजिए। वैसे यह जो बिल आप लाए हैं इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपायी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान धूम्रपान का प्रतिषेध और अधूम्रपयी व्यक्तियों के स्वास्थ्य का संरक्षण विधेयक, 1999 पारित किया गया।

श्री धर्मपाल चौधरी। (अनुपस्थित)

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 2 मई, 2000 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 19.59 बजे, मंगलवार, 2 मई, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट – 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 676 का विवरण)

ROADS SANCTION UNDER R.I.D.F. (V)

(Amt in lacs)/(Length in km)

S.No.	District	Name of PHQ/Village	Actual Length	Estimated cost
1	2	3	4	5
1	Ajmer	1. Baria Kala Talab	4.80	47.86
			4.80	47.86
2	Alwar	1. Anawada	2.05	12.20
		2. Saithal	.90	9.44
		3. Mandha	.75	9.82
		4. Bandna	2.55	23.12
		5. Majradhkoda	3.93	49.27
		6. Kalgaon	2.00	14.72
		7. Ferojpur Jegeer	1.80	22.06
		8. Fullawas	2.90	17.93
		9. Bhajera	2.74	24.99
			19.62	183.55
3	Baran	1. Bilendi	5.75	59.53
		2. Kishanpura	3.15	27.75
			8.90	87.28
4	Barmer	1. Sela	3.00	36.86
		2. Mangani Meghwal ki Dhani	4.25	30.46
		3. Koshlu	9.50	65.59
		4. Karna	11.00	71.02
		5. Naganiyodhatarwalon ki Dhani	5.00	30.95
			32.75	234.88

1	2	3	4	5
5	Bharatpur	1. Nahroli	4.00	71.79
		2. Jahanpur	3.00	31.11
		3. Jahaj	2.80	40.48
		4. Mudiasad	2.50	27.48
		5. Kanchaner	1.50	16.68
		6. Runda Sakitra	1.50	16.24
		7. Bhaiseda	1.20	14.42
		8. Palla	2.70	29.54
		9. Sihawali	3.30	34.01
		10. Urkidalla	5.30	58.46
			27.80	340.21
6.	Bhilwara	1. Bahari	4.30	29.57
		2. Bagoodar	3.60	18.16
		3. Jalampura	1.60	11.44
		4. Akola	4.30	23.02
		5. Matooniya	1.00	9.97
		6. Balasariya	4.50	34.42
		7. Baroda	4.50	24.01
		8. Govaliya	2.00	13.42
		9. Nimbaherakala	10.00	53.78
		10. Ralayata	4.90	26.45
		11. Dolatpura	3.00	22.42
		12. Jassuji ka Khera	3.25	22.39
		13. Jhanjola	7.30	42.29
		14. Shyamgarh	2.00	14.30
		15. Guddha	3.00	16.71
			59.25	362.35
7	Bikaner	1. Bajju Teipura	1.00	8.13
		2. Chhila Kashmir	10.55	84.33
		3. Guluwali	3.30	12.60
			14.85	105.06
8	Bundi	1. Thikriya Kalan	2.25	23.26
		2. Sankarda	3.75	37.94
		3. Kanwarpura	2.25	25.33
		4. Karwalan ki Jhopadiya	6.33	76.92

1	2	3	4	5
		5. Kachhaliya	2.00	21.17
		6. Bheprupura Ojha	2.50	20.85
			19.08	205.47
9	Chittorgarh	1. Sadi	4.20	26.57
		2. Lalas	7.50	54.10
		3. Pal	4.10	26.07
		4. Songar	5.65	38.03
		5. Motipura	3.10	22.17
		6. Abhepura	4.43	34.92
		7. Jainagar	3.10	19.89
		8. Daulatpura	.60	4.48
			32.68	226.23
10	Churu	1. Khinwasar (1063)	.40	3.40
		2. Gidgichiya	4.40	36.68
		3. Norangsar Via Khariyabad	4.50	35.15
		4. Ramsisar Bhedwaliya	7.50	72.71
		5. Bookasar Chhota	3.00	26.17
		6. Kalyanpura Beedawatan	7.00	57.90
		7. Bhojusar Upadhyan	1.35	14.91
			27.75	246.90
11	Dausa	1. Badawa	.58	5.78
		2. Deori	.95	8.94
		3. Jaipura	1.00	9.65
		4. Khatoomber	2.20	22.12
		5. Naurangwara Via Vishala	6.10	157.25
		6. Dhool Kot	.95	8.60
		7. Jodhya	2.88	25.77
		8. Bas Gurulia	1.60	12.85
		9. Amarabad	5.25	47.49
		10. Khedla Gadali	2.73	22.94
		11. Namner	1.80	17.18
		12. Gadarwara Goojran	3.00	25.49
		13. Kesra Via Keshi	4.30	30.97
		14. Jaisinghpura	2.03	17.93
			35.37	412.96

1	2	3	4	5
12	Dholpur	1. Bidar	7.20	85.20
		2. Rajora	2.00	19.03
		3. Jareh	3.20	34.52
		4. Sandra	2.10	17.38
		5. Sekhpur Gujar	1.50	12.39
			16.00	168.52
13	Dungarpur	1. Balwaniya	5.50	39.03
		2. Takla	2.50	19.81
		3. Bhojatokia Ora	2.00	12.93
		4. Vankara	3.25	22.30
		5. Bhojato ka Oda	6.00	24.96
		6. Rampur (Mewar)	4.00	24.96
			23.25	143.87
14	Hanumangarh	1. Debasar	9.00	89.25
			9.00	89.25
15	Jaipur	1. Norangpura	.80	8.51
		2. Raopura	2.20	17.11
		3. Basai	5.00	45.00
		4. Kalyanpura	2.30	20.99
		5. Meena ka Bad	1.78	14.66
		6. Kishoure Pura	5.23	75.85
			17.31	182.12
16	Jaisalmer	1. Bersiyali (Bersiyala)	9.30	59.66
			9.30	59.66
17	Jalore	1. Maya Marseem	2.65	25.50
		2. Rangala	5.00	35.47
		3. Gaodi	6.70	82.44
		4. Nawapura Champawata	2.20	47.45
		5. Sobrawas	6.20	56.72
		6. Khera Barth	4.10	29.70
		7. Naya Chainpura	1.20	11.59
		8. Itada	7.90	91.57
			35.75	380.44

1	2	3	4	5
18		1. Khotti	1.00	10.14
		2. Berla	6.15	51.10
		3. lahariya	7.45	74.82
		4. Pakharana	4.90	50.64
		5. Magsi	3.33	37.54
		6. Odiya Kheri	2.90	38.38
		7. Kuahal Pura	1.33	11.76
		8. Semli Khan	2.70	23.66
		9. Kharpa Kaln	4.40	43.23
		10. Doablabhoj	9.60	81.93
		11. Borda	.60	7.45
		12. Paraliya	2.25	14.64
		13. Danta	7.30	67.26
		14. Garwara	4.50	40.26
		15. Sarkheri	2.60	21.75
		16. Gulkheri	.60	7.47
		17. Ramay Dalpat	3.50	36.12
		18. Leemi	5.90	62.41
		19. Akawad Khurd	13.30	121.79
		20. Jhinkariya	2.20	30.79
		21. Dewari	6.00	77.42
		22. Nahar Ghata	6.50	66.15
		23. Kishanpura	.50	8.22
			91.51	984.93
19	Jhunjhunu	1. Partappura	1.80	13.46
		2. Agawana	3.60	28.08
		3. Thatwari	3.40	24.71
		4. Mojas	4.00	29.69
		5. Sirsala	4.00	30.12
		6. Hanswasari	4.00	28.25
		7. Bhagina	6.00	43.00
		8. Tetra	2.00	16.27
		9. Dhosi	1.27	17.04
		10. Phooskhni	3.50	24.97
		11. Kaji	8.00	55.63
		12. Basant Vihar	2.90	23.41
		13. Shahpura	3.00	20.13
			47.95	354.76

1	2	3	4	5
20	Jodhpur	1. Chenpura	2.80	11.82
		2. Jamba ki Dhani	1.80	8.25
		3. Sindhiya ki Dhani	5.00	28.16
		4. Kerlanada	9.50	52.02
		5. Bamnoo	7.00	40.46
		6. Munjasar	2.00	7.94
		7. Roodkli	4.00	22.65
		8. Nayabera	6.00	31.86
		9. Ranisar	4.00	25.87
		10. Bhakron ki Dhni	3.50	20.47
		11. Rawat Nagar	2.00	11.57
		12. Mandla Khurd	5.00	20.57
		13. Chikni Nadi	8.00	34.72
		14. Bedukala	6.00	35.21
		15. Nandri	2.00	11.48
		16. Hansades	5.80	31.16
		17. Mool Raj	6.00	40.65
		18. Sagran	4.50	25.71
		19. Karani	6.00	40.65
		20. Mahra	3.00	17.38
		21. Shivepuri	2.20	8.62
			96.10	527.22
21	Karauli	1. Bhawlai	1.63	18.71
		2. Mukundpura	2.30	23.04
		3. Patoli	3.63	35.13
		4. Rudhpura	3.35	46.80
		5. Verkheda	4.50	81.33
		6. Mahoo	.98	8.49
		7. Ramthara	1.20	11.72
		8. Katara Aziz	8.05	93.34
		9. Nand	2.03	17.91
		10. Jahanabad	2.25	26.94
		11. Maswata	3.03	28.64
		12. Jaisani	1.80	12.90
		13. Rarasaipur	.93	7.61
		14. Vajheda	1.20	9.36
		15. Bajna	1.20	6.90
		16. Bhotwara	4.10	36.76
		17. Rojali	1.83	13.33
		18. Badlata Bujurg	6.43	51.76
		19. Urdani	2.35	35.01

1	2	3	4	5
28	Sirohi	1.Rahua	11.00	82.10
		2. Raipur	8.38	55.07
		3. Sartara	3.38	19.67
			22.76	156.84
29	Tonk	1. Amli	4.10	33.40
		2. Badoli	6.70	55.34
		3. Ajmeri	8.68	76.85
		4. Balithal	4.20	26.42
		5. Charnet	6.60	48.53
		6. Haideripura	5.56	40.88
			35.84	281.42
30	Udaipur	1. Nayaguda	2.30	32.57
		2. Madesar	2.00	19.10
		3. Pareda	4.00	19.58
		4. Kachher	3.10	18.83
		5. Gotipa	3.80	21.04
		6. Upalisigari	4.80	39.12
		7. Amod	3.00	27.12
		8. Deopur	2.58	18.21
		9. Patia	7.20	54.00
		10. Lopda	4.10	21.21
		11. Morath	4.25	23.21
		12. Piapalbas	2.70	16.27
		13. Chitrawas	8.60	72.25
		14. Tirol	3.45	24.00
		15. Madala	5.20	41.25
		16. Morwal	8.20	76.34
		17. Khajuri	4.95	39.68
		18. Vania Talai	2.93	21.72
		19. Pandiyawara	7.00	30.10
		20. Dhabba	2.88	14.05
			87.04	628.65
			1064.87	**8680.22**

परिशिष्ट-2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र धौलपुर के स्वीकृत हैण्डपम्प

683. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने हैण्डपम्प स्वीकृत कर कहां-कहां पर लगाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त हैण्डपम्पों को अधिशासी अभियन्ता ने अपनी मर्जी से लगवाये है ? यदि हां, तो क्यों व किसके आदेश से ?

(3) उक्त हैण्डपम्पों में से कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार आवश्यकता अनुसार और नये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में 57 हैण्डपम्प तथा वर्ष 1999-2000 में 44 कुल 101 हैण्डपम्प स्वीकृत कर लगाये गये हैं। सूची परिशिष्ट क व ख पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। इन हैण्डपम्पों की स्वीकृति निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की गई तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थान चयन कर लगाये गये हैं।

(3) वर्तमान में चालू 26वें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के तहत उक्त में से 13 हैण्डपम्प खराब पाये गये जिनको ठीक कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त सभी हैण्डपम्प चालू हैं।

वर्तमान में धौलपूर विधान सभा क्षेत्र में 84 हैण्डपम्प विभिन्न प्रोग्राम के तहत स्वीकृत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ग में संलग्न है। इन्हें इसी वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के अनुसार लगाने की कार्यवाही संभव होगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर शहर की घनी आबादी में खाखला, कुट्टी के कारखानों का स्थानान्तरण

684. श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी), **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) एवं **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर की घनी आबादी क्षेत्र में कितने चारा, खाखला, कुट्टी काटने के

(श्रीमती ममता शर्मा)

कारखाने कानूनी/गैर कानूनी तौर से कहां-कहां चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त चारा, खाखला, कड़वी के ट्रक कारखाने में खाली करते समय व बाजरे/ज्वार की कुट्टी काटते समय ध्वनि प्रदूषण/वायु प्रदूषण होता है ? यदि हां, तो इनको रोकने एवं बंद करने के क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(3) क्या आबादी क्षेत्र में उक्त कारखानों के चलने से होने वाली अनेक जानलेवा बीमारियां टी. बी./अस्तमा होने की संभावना है ? यदि हां, तो उक्त रोगों से बचने के क्या उपाय किये जा रहे हैं तथा कारखानों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या आबादी क्षेत्र में उक्त कारखानों को जनहित एवं आवागमन अवरुद्ध होने और प्रदूषण को देखते हुए इनको शहर से बाहर स्थानान्तरित करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां , तो कब तक ?

(5) क्या उक्त कारखाने बंद करने का निर्णय न्यायालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर नगर ने दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालना में जयपुर शहर के समस्त चारा, कुट्टी, खाखले के कारखाने सरकार द्वारा जनहित में बंद किये जाएंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर की घनी आबादी क्षेत्र में चारा, खाखला, कुट्टी काटने के कारखाने कानूनी/गैरकानूनी तौर से जहां-जहां पर चल रहे हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां। इस संबंध में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धारा 248 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(3) आबादी क्षेत्र में उक्त कारखानों के चलने से जानलेवा बीमारियां होने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है, परन्तु इनकी जानकारी मिलने पर प्रशासन द्वारा समुचित कार्यवाही की जाती है तथा कारखानों के मालिकों के विरुद्ध धारा 248 के तहत कार्यवाही की जाती है।

(4) वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(5) उक्त कारखाने बंद करने के निर्णय न्यायालय, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नगर के निर्णय की प्रति प्राप्त किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही संभव हो सकेगी।

जयपुर नगर निगम में कुट्टी खाखले की मशीन व दुकानों की सूची

(1) चौ. तोपखाना देश में कल्याण जी का रास्ता, तीसरा चौराहा पर श्री लक्ष्मण दास पुत्र श्री दयाल दास।

(2) श्री बिसन चन्द्र पुत्र लक्ष्मण दास, म. नं. 3057 कल्याण जी का रास्ता तीसरा चौराहा में कुट्टी की मशीन।

(3) श्री लटूरजी पुत्र श्री छाजूराम जाति गूर्जर मथुरापोल दरवाजे के पास बाई पास रोड़ आमेर में कुट्टी खाखला की मशीन।

(4) श्री मूलचन्द पुत्र श्री प्रभूलाल सैनी नई माता खेता काकी की ढाणी आमेर में कुट्टी खाखला की मशीन।

(5) बाई पास रोड़ कागदीवाड़ा की पुलिया के पास एक कुट्टी खाखला का कारखाना।

(6) ब्रह्मपुरी सीताराम बाजार नृसिंह बाबा के मंदिर के सामने के कुट्टी की दुकान।

(7) उनियारों का रास्ता में शाहपुरा हाउस के सामने दो जगह कुट्टी कारखाना।

(8) उनियारों का आखरी रास्ते में कुट्टी खाखले की दुकान।

(9) बालानन्दजी के मंदिर के सामने कुट्टी खाखले की दुकान।

(10) थाना नाहरगढ़ के सामने सिंधी की कुट्टी की दुकान।

(11) छीपा धर्मशाला में नाहरगढ़ रोड़ संजय मेमोरियल स्कूल के सामने खाखले की दुकान।

(12) हीदा की मोरी सिंधी क्वार्टरों में (एक)

(13) नाल बंधों का रास्ता चौ. गंगापोल में (एक)

(14) कर्बला के सामने रामगढ़ रोड़ गोविन्द नगर पूर्व में (एक) पुरूषोतम दास पुत्र श्री थावर दास विजय कुट्टी खाखला भण्डार।

(15) सूरजपोल बाजार दर्जियों के रास्ते के पास।

(16) ओंडा महादेव मैसर्स श्री नाथूराम गूर्जर।

(17) श्री केवल राम सिंधी ओंडा महादेव।

(18) श्री गिर्राज अग्रवाल उर्फ भायाजी पुरानी कोतवाली का रास्ता जयपुर।

(19) श्री शंकरलाल/तेजमल सिंधी मीणा कालोनी प्लाट नं. 20 बासबदनपुरा।

(20) केन्द्रीय स्कूल के पास टोंक रोड जयपुर (एक)

(21) ओ.टी.एस. कच्ची बस्ती दिनेश कुमार, देवा सहाय माली जवाहर नगर रोड़। (एक)

(22) श्री अमर सिंह नायकों का टीबा, बाईपास (एक)

(23) श्री गोविन्द राम पुत्र हेमनदास म.नं. 779 सिंधी कालोनी (एक)

(24) श्री राधेश्याम पुत्र चौथमल माली, तिवाड़ी का बाग, बी-29, आदर्शनगर, जयपुर (एक)

(25) आनन्दपुरी, पतासे वाले की बगीची (एक)

(26) गंगवाल पार्क गली नं. 1 (एक)

(27) कृपलानी मार्ग, थाने के पास (एक)

(28) श्री ओम प्रकाश, सीकर रोड़

(29) घनश्याम, शिव नगर, मुरली पुरा

(30) दामोदर, प्रताप नगर मुरलीपुरा

(31) केसरी सिंह, खाती पुरा रोड़ झोटवाडा

(32) दीपक चौधरी, खातीपुरा रोड झोटवाडा

(33) भगवान दास, सिंधी कालोनी

(34) भगवान दास, पुरानी बस्ती पारीक कालेज रोड

(35) उत्तम सिंधी, कब्रिस्तान मशीन बन्द पड़ी है

(36) अनवर, कब्रिस्तान चालू नहीं है।

(37) श्रवण लाल गूजर, ए-4, पटेल नगर, शास्त्री नगर

(38) हरीश सिंधी, म.नं. 86, अमानी शाह रोड

(39) कुंजबिहारी सांखला, पथ नं. 7 विजयवाड़ी

(40) अब्दुल गफार झोटवाड़ा रोड रेल्वे फाटक के पास

(41) श्री बाबूलाल यादव पुत्र श्री नाथूलाल, संजय नगर

(42) अम्बालाल यादव, संजय नगर कच्ची बस्ती

(43) छुट्टन पुत्र श्री हाजी फकीर मोहम्मद, 4नम्बर डिस्पेन्सरी के पास

(44) राधाकृष्ण पुत्र श्री गागू मल, अजमेर रोड

(45) शब्बू पुत्र श्री मोहम्मद हटवाड़ा रोड

(46) विशन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह हटवाडा रोड

(47) मेहबूब पुत्र श्री इमाम वक्श लिटिल फलीवर स्कूल के पास

(48) कमरूद्दीन पुत्र श्री इमामवक्शा एन.वी.सी. रोड

(49) ठाकुर दास पुत्र श्री छत्तु मल, कीर्ति नगर के पास

(50) दिनेश पुत्र श्री गणेश नारायण सहकार भवन रोड

(51) अर्जुन दास सिन्धी, कामा हाऊस अजमेर रोड

(52) छुट्टन खां, कामा हाउस के सामने अजमेर रोड

(53) गोपी राम कुकावत पुत्र श्री नाथूराम, महादेव नगर, नन्दपुरी, हवा सड़क

(54) श्री देवी दास पुत्र श्री हीरानन्द, करतारपुरा

जोन बी-2 में चल रहे चारा खाखला कुट्टी काटने के कारखानों की सूची

1. श्री गोपाल नगर की 80 फुट चौड़ी सड़क परवीर तेजाजी नगर में।
2. नन्दपुरी में प्लाट नं. 3 महादेव नगर में।
3. अजमेर रोड़ पर ई.एस.आई. डिस्पेन्सरी के पास छुट्टन ब्रदर्स नाम से
4. अजमेर रोड़ पर सोड़ाला पुलिस स्टेशन के पास राधाकिशन कुट्टी वाला
5. हटवाडा रोड़ पर श्री लाल कुट्टी वाला
6. अजमेर रोड़ पर यादव पैट्रोल पम्प के पास
7. न्यू सांगानेर रोड़ के पास लजीज रेस्टोरेन्ट के पास ठाकुर दास कुट्टी वाला
8. प्लाट नं. 25 गोविन्द नगर सैक्टर-2 में
9. प्लाट नं. 15 मेजर बन्ने सिंह कालोनी सैक्टर-13-14

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20 अप्रेल, 2000)

विधान सभा के निर्माणाधीन भवन पर रोक

133. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान विधान सभा के नये भवन के निर्माण हेतु कितनी राशि व्यय होने का अनुमान लगाया गया था और कितने वर्षों में कार्य को पूर्ण कर लेने का निर्धारण किया गया था ?

(2) क्या समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण इसकी लागत में बढ़ोतरी होने की संभावना है ? यदि हां, तो अब उस पर कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है तथा भवन का निर्माण कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

(3) क्या सरकार ने इसके निर्माण पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भवन के निर्माण हेतु राशि रुपये 7702 लाख व्यय होने का वर्ष 1994 में अनुमान लगाया गया था तथा इस परियोजना को साढे चार वर्ष में पूर्ण करना निर्धारित किया था।

(2) जी हां, इस कारण से लागत में 1780.65 लाख की बढ़ोतरी होने की संभावना है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कार्यों की लागत, अतिरिक्त एसक्लेशन व बढ़ी दर से प्रोरेटा चार्जेज को सम्मिलित कर इस परियोजना पर कुल 12122 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा भवन का निर्माण कार्य, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर मार्च 2001 तक होने की संभावना है।

(3) जी हां, दिनांक 23.12.99 को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में इस भवन का निर्माण कार्य रोका गया था जो अब 1.4.2000 से पुन: प्रारम्भ कर दिया गया है।

कृषि विपणन बोर्ड भरतपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

685. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या भरतपुर शहर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्वीकृत भवन निर्माण हेतु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या अब कृषि विपणन बोर्ड उक्त भवन निर्माण कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। 92-93 में राशि 5.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत खण्ड कार्यालय भरतपुर, गंगापुर सिटी स्थानान्तरित हो गया था अत: कार्यालय भरतपुर के निर्माण हेतु कार्यवाही नहीं की गई।

(3) चूंकि खण्ड कार्यालय कार्यभार के अनुरूप स्थानान्तरित किए जा सकते हैं अत: फिलहाल उक्त भवन के निर्माण हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं रखा गया है।

पुलिस थाना भिराणी (हनुमानगढ़) में दर्ज हत्या प्रकरण की जांच

686. श्री संजीव बेनीवाल (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जनाणा पुलिस थाना क्षेत्र भिराणी तहसील भादरा (हनुमानगढ़) में जनवरी, 2000 में किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसके संबंध में शक के रूप में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था? यदि हां, तो उक्त हत्या किस व्यक्ति की किस तिथि को हुई एवं शक के रूप में किस व्यक्ति को पकड़ा गया एवं उससे क्या जानकारी मिली ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हत्या प्रकरण में अन्य चार पांच व्यक्ति भी सम्मिलित थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ? नाम, पते सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों को पुलिस प्रशासन द्वारा बचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं किस आधार पर ? क्या सरकार दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही कर मुलजिमों को गिरफ्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की किसी उच्च अधिकारी या अन्य किसी एजेन्सी द्वारा जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम जनाणा पुलिस थाना भिराणी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में 30/31 जनवरी,2000 की रात्रि को श्री भूपसिंह पुत्र श्री आदुराम जाति जाट नि. जनाणा की हत्या हुई थी। इसके संबंध में अभियोग संख्या 19 दिनांक 31.1.2000 अन्तर्गत धारा 302 भा.द.सं. थाना भिराणी में पंजीबद्ध हुआ। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ कालिया पुत्र श्री बीरबल मेघवाल नि. जनाणा को दिनांक 8.2.2000 को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्त ने पूछताछ पर यह जानकारी दी कि दिनांक 30.1.2000 को वह शराब पीने ठेके पर गया था, वहां भूपसिंह (मृतक) बैठा शराब पी रहा था। शराब लेने के लिए भूपसिंह ने अपनी जेब से 100 रु. के कई नोट निकाले, जिसे देख उसके मन में लालच आ गया। अधिक शराब पी कर जब भूपसिंह चला तो उसने उसका पीछा किया एवं अपने टिवाल को भूपसिंह के मुंह पर लगा कर काफी देर तक गला दबाए रखा। फिर भूपसिंह को घसीट कर जयसिंह के प्लाट के पास ले गया, जहां पर जैली से उसके मुंह पर 8-10 चोटें

(गृह मंत्री)

मारीं, जिससे वह मर गया और उसने भूपसिंह की लाश बटोड़ा में डाल दी।

(2) उक्त हत्या के प्रकरण में अब तक के अनुसंधान से अभियुक्त कृष्ण उर्फ कालिया पुत्र श्री बीरबल मेघवाल नि. जनाणा के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का शामिल नहीं होना पाया गया है।

(3) जी नहीं। प्रकरण में अनुसंधान अन्तर्गत धारा 173(8) जा.फौ. में जारी है। गिरफ्तारी योग्य साक्ष्य आने पर नियमानुसार अवश्य गिरफ्तारी की जावेगी।

(4) वर्तमान में उक्त प्रकरण का अनुसंधान वृत्ताधिकारी, वृत्त नोहर द्वारा किया जा रहा है। किसी अन्य अधिकारी से जांच करवाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

तहसील हिण्डौन के ग्रामों की भूमि का वन क्षेत्र हेतु अधिग्रहण

687. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम कोटरी, मोढीयापुर, जगर, झिरना, भंगों राजापुर, खरेटा, आरेनी गुर्जर आदि का कितना-कितना एरिया कब से वन विभाग में लिया गया ? सूची मय ग्राम के नक्शे सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम पूर्व में वन विभाग के अधीन नहीं थे ? यदि हां, तो बाद में लिए जाने के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों के व्यक्तियों का मुख्य धंधा खनिज कार्य करने का है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को अधिग्रहित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला करोली की तहसील हिण्डौन के ग्राम कोटरी, मोढीयापुर, जगर, झिरना, भंगों राजापुर, खरेटा, आरेनी गुर्जर इत्यादि ग्रामों के जिन क्षेत्रों को वन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है। क्षेत्र का बन्दोबस्त नहीं होने से वन सीमा संबंधी नक्शे प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

(2) जी हां। इनको वन क्षेत्र के अधीन लेने से पूर्व ये ग्राम वन क्षेत्र में शामिल नहीं थे। उक्त क्षेत्रों की वनसंपदा के उचित प्रबन्ध एवं व्यवस्था हेतु वन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया।

(3) जी नहीं। उक्त ग्रामों के निवासियों का मुख्य धन्धा कृषि एवं पशुपालन होने से वनविभाग में शामिल किये गये इन ग्रामों के क्षेत्रों को पुन: अधिग्रहित करने का कोई विचार नहीं है।

ज़िला करौली की तहसील हिण्डौन के ग्राम कोल्टी, मोढ़ीयापुरा, जगर, झिरना, भंगो राजापुर, खरेटा एवं आरेनी गुर्जर के वनक्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्षेत्रफल		दिनांक
		बीघा	बिस्वा	
1.	कोदरी	1677	6	28.11.64
2.	मोढ़ीयापुरा	9043	4	28.11.64
3.	जगर	623	6	20.07.50
4.	झिरना	440	8	28.11.64
5.	भंगोंराजापुर	286	16	28.11.64
6.	खरेटा	1800	18	25.01.50
7.	आरेनी गुर्जर	4202	11	10.07.50

सिरोही आबूरोड आगार में उपलब्ध वाहन

688. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आगार स्थापना के क्या मापदंड हैं ? एक आगार से कितनी किलोमीटर दूरी पर दूसरे आगार की स्थापना की जा सकती है ? क्या रेवदर में आगार स्थापना में उक्त मापदंड का पालन किया गया है ?

(2) सिरोही व आबूरोड आगार में अभी कितनी बसें किस-किस वर्ष व माडल की हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम के किसी स्थान पर आगार खोलने के लिए उस स्थान को प्रमुख शहरों व आसपास के प्रमुख क्षेत्रों के लिए यात्री परिवहन सुविधा सुलभ करवाना ही मुख्य मानदण्ड रहता है। निगम का उद्देश्य आम यात्रियों को सस्ती, समन्वित व सुविधायुक्त बस सेवा सुलभ करवाना है। एक आगार से दूसरे आगार की दूरी इस दृष्टि से बाधक नहीं है। सभी दृष्टि से परीक्षण कर बोर्ड संचालन मंडल की बैठक द्वारा स्वीकृत किया गया है।

रेवदर में आगार खोले जाने का मुख्य उद्देश्य इस स्थान को प्रमुख शहरों व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को निगम की बस सेवाएं सुलभ करवाना है।

(2) सिरोही व आबूरोड आगार में वर्तमान में उपलब्ध वाहनों का माडल/वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 संलग्न है।

परिशिष्ट-1

सिरोही व आबूरोड आगार में वर्तमान में उपलब्ध बसों की माडल वार संख्या

क्र.सं.	माडल वर्ष	बसों की संख्या	
सिरोही आगार :			
1.	1994	21	
2.	1995	6	
3.	1996	3	
4.	1996	4	निजी अनुबन्धित वाहनें
5.	1997	3	
6.	1997	2	निजी अनुबन्धित वाहनें
7.	1998	13	
8.	1998	2	निजी अनुबन्धित वाहनें
9.	1999	2	
		56	
आबूरोड आगार :			
1.	1992	6	
2.	1993	1	
3.	1994	13	
4.	1995	4	
5.	1996	7	
6.	1997	15	
7.	1998	5	
		51	

ग्राम तलाई (राजसमन्द) में प्लाट नं. 19 के निर्माण हेतु प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र

689. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या, यह सही है कि जिला राजसमन्द के ग्राम तलाई में प्लाट नं.19 जिसका क्षेत्रफल आवेदनकर्ता की 15प्रतिशत खातेदारी भूमि को 85प्रतिशत चरागाह भूमि मिलाने पर 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र का प्लाट बनता था तथा जिसके आबंटन के लिए स्थानीय संस्थाओं के अलावा राजसमंद जिला कलेक्टर द्वारा भी तत्कालीन समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर दे दिया गया था ? यदि हां, तो फिर क्या कारण रहे कि तत्कालीन खनिज अभियन्ता राजसमंद ने दिनांक 22.6.94 प्लाट नं.-22 का आबंटन कर दिया था तथा प्लाट नं.19 का आबंटन नहीं किया।

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने खनिज अभियन्ता द्वारा दायर द्वितीय अपील संख्या 58/98 का निर्णय दिनांक 24.9.99 को किया है ?

(3) क्या उक्त निर्णय के अनुसार प्रार्थी राजकुमार जो पूर्व में वादी रहा और माननीय उच्च न्यायालय में भी पक्षकार रहा को वर्तमान खनिज पट्टा प्रचलित नियमानुसार प्लाट नं.19 तलाई गांव जिला राजसमंद में बिना उसकी खातेदारी के 15 प्रतिशत अर्थात् 1500 वर्गमीटर "गेप-क्षेत्र" होने से अन्य को आवंटित नहीं की जा सकती ? यदि हां, तो फिर क्यों नहीं नियम-65 में शिथिलीकरण करके उक्त प्रार्थी को आबंटन कब तक कर दिया जाएगा।

उत्तर

(1) जी हां, जिला राजसमंद के ग्राम तलाई के पूर्व डेलीनियेटेड प्लाट सं.19 का लगभग 85 प्रतिशत भाग चरागाह तथा शेष क्षेत्र खातेदारी भूमि है। चरागाह भूमि के खनन प्रयोजनार्थ जिला कलक्टर, राजसमंद का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 7.4.95 से जारी किया गया, परन्तु इससे पूर्व दिनांक 6.10.94 को मारबल नीति संबंधी अधिसूचना जारी हो गई थी। जिसके आइटम संख्या-9 के अनुसार अधिसूचना की दिनांक से पूर्व के आवेदन पत्रों को आवेदन शुल्क वापस करते हुए निरस्त करने का प्रावधान है। उक्त स्थिति में प्लाट सं.19 का आबंटन नहीं किया जा सका। प्लाट सं.22 के संबंध में चरागाह भूमि बाबत जिला कलक्टर, रासमंद का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 30.7.93 को प्राप्त होने के आधार पर इस प्लाट का आबंटन खनि अभियन्ता, राजसमंद-1 के आदेश दिनांक 23.6.94 द्वारा किया गया।

(2) जी, हां।

(3) जी, नहीं। उक्त निर्णय में श्री राजकुमार पक्षकार नहीं है, व पूर्व में भी पक्षकार नहीं रहा है। श्री राजकुमार की खातेदारी भूमि उक्त डेलिनियेटेड प्लाट में नहीं आती है, श्री राजकुमार द्वारा इस क्षेत्र के लिए विभाग में कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है अत: नियम-65 के अन्तर्गत निर्णय लेने का प्रकरण नहीं बनता है।

प्रश्न संख्या 690

(स्थगित)

दौसा सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में अध्यक्ष का मनोनयन

691. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक को अलग करके दौसा सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना करने हेतु सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(2) जयपुर सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अन्तर्गत कितनी ब्रांचें वर्तमान में कहां-कहां कार्य कर रही है ? उक्त में से कौन-कौनसी ब्रांचें लाभ व हानि में चल रही है ?

(3) क्या दौसा जिला सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद पर सरकार किसी को दो वर्ष के लिए नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पूर्व में करवाए गए सर्वे के अनुसार दौसा जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित करना उपयुक्त नहीं पाया गया था। अब पुन: जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक से अलग करके दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक की स्थापना करने हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक स्तर से सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक की वर्तमान में बीस शाखाएं कार्यरत हैं। जो वर्ष 1998-99 में लाभ में रही है। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) वर्तमान में दौसा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक अस्तित्व में ही नहीं है, अत: किसी को अध्यक्ष पद पर पदस्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(परिशिष्ट 1)

दी जयपुर सैण्ट्रल को आपरेटिव बैंक लि. जयपुर

क्र.सं.	नाम शाखा	स्थान	शाखा के अन्तर्गत समितियों की सूची	शाखा प्रारम्भ होने की दिनांक	लाभ की स्थिति 1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	दौसा	जिला-दौसा	31	12.9.63	5.60	9.17	14.60	
2.	लालसोट	,,	20	15.1.66	3.93	4.41	9.69	
3.	सिकराय	,,	15	26.2.77	2.91	2.04	7.41	
4.	बांदी कुई	,,	22	1.4.61	5.93	12.59	18.11	
5.	एम.आई.रोड	जिला जयपुर	-	29.6.51	19.53	21.76	18.03	
6.	बस्सी	,,	21	4.8.56	4.19	4.05	7.82	
7.	चाकसू	,,	25	17.2.72	6.49	8.43	10.55	
8.	फागी	,,	26	7.3.77	9.68	12.32	13.67	
9.	सांगानेर	,,	9	8.1.76	3.93	5.31	13.91	
10.	बगरू	,,	14	30.3.79	5.72	9.92	10.85	
11.	दूदू	,,	23	22.3.75	8.40	10.89	13.51	
12.	सांभर	,,	18	13.3.61	6.35	5.93	9.41	
13.	रैनवाल	,,	15	29.3.79	6.32	9.50	15.38	
14.	चौमू	,,	33	13.3.58	14.23	21.25	28.44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	शाहपुरा	जिला जयपुर	25	18.3.71	7.77	8.87	13.53	
16.	पावटा	,,	12	12.1.84	2.17	3.07	4.67	
17.	कोटपूतली	,,	17	14.1.76	7.99	17.42	20.05	
18.	चौड़ा रास्ता	,,	17	21.1.77	17.29	15.82	13.95	
19.	चान्दपोल	,,	9	15.1.76	12.77	10.21	22.15	
20.	झोटवाड़ा	,,	12	24.3.83	7.57	10.41	11.30	
प्रधान कार्यालय				29.6.51	(-)148.15	(-)87.13	(-)88.66	
परिचालन लाभ					(+)10.62	(+)116.14	(+)188.37	
विवेकपूर्ण मापदंड हेतु प्रावधान					(-)542.49	(-)73.00	(-)117.90	
शुद्ध लाभ					(-)531.87	(+)43.14	(+)70.47	
संचित हानि					(-)1083.30	(-)1040.16	(-)969.69	

विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की "जनता जल योजना"

692. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में कितने कुए जनता "जनता जल योजना" में किस-किस तारीख से स्वीकृत है ? स्थान/तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृतीशुदा कुओं के कनेक्शन हेतु बिजली के मांग पत्र की राशि जमा करा दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ? अब उक्त मांग पत्रों की राशि कब तक जमा करा दी जावेगी ?

(3) उक्त विधानसभा क्षेत्र की कितनी पत्रावलियां अब भी विभाग में "जनता जल योजना" के तहत विचाराधीन है? सूची सदन की मेज पर रखें। शेष विचाराधीन पत्रावलियों को कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कुल 39 कुओं की जनता जल योजना में स्वीकृत हुई है जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त 39 कुओं के लिए मांग पत्रों में से 34 हेतु राशि जमा करा दी है व 3 हेतु डिमाण्ड नोट प्राप्त नहीं हुए हैं तथा शेष 2 मामलों में डिमाण्ड नोट प्राप्त होने के बाद राशि जमा नहीं हुई है। विवरण निम्नानुसार है :-

ग्राम लांवडा तथा रसूलपुर के मांग पत्र की राशि 50,000 से अधिक होने के कारण इसके ऊपर की राशि सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध न कराने के कारण जमा नहीं कराई जा सकी है। ग्राम तिहायताकलसर एवं भिंचरी के मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण जमा नहीं कराई जा सकी है। उक्त गांवों के लिए विद्युत सम्बन्ध हेतु राशि क्रमशः संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा अपना हिस्सा उपलब्ध कराने, बजट उपलब्धता तथा मांग पत्र प्राप्ति पश्चात् जमा कराना सम्भव हो सकेगा।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कुल 10 गांवों के प्रस्ताव और प्राप्त हुए हैं जिनकी तकनीकी जांच की जा रही है। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

तकनीकी उपयुक्तता, प्राथमिकता एवं बजट उपलब्धि के अनुसार स्वीकृति सम्भव हो सकेगी।

परिशिष्ट "क"

जनता जल योजना में स्वीकृत गांव

क्रं.सं.	गांव का नाम	स्वीकृत कुओं की संख्या	स्वीकृत तिथी	क्या आवेदन किया	विद्युत कनेक्शन की स्थिति		
					क्या डिमांड नोट प्राप्त हुआ	क्या भुगतान किया	क्या विद्युत संबंध हुआ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गोडिया छोटा	1	21.11.94	हां	हां	हां	हां
2.	मांडेला छोटा	1	21.11.94	हां	हां	हां	हां
3.	ढाणी बैजनाथ	1	8.6.95	हां	हां	हां	हां
4.	उदनसर	1	30.6.97	हां	हां	हां	हां
5.	ताजसर	1	30.6.97	हां	हां	हां	हां
6.	रोसावा	1	4.11.97	हां	हां	हां	हां
7.	भोजदेसर	1	4.11.97	हां	हां	हां	हां
8.	हरसावाबडा	1	4.11.97	हां	हां	हां	हां
9.	पालास	1	25.3.98	हां	हां	हां	हां
10.	किसनपुरा	1	19.5.98	हां	हां	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	थेथलीया	1	19.5.98	हां	हां	हां	हां
12.	नबीपुरा	1	19.5.98	हां	हां	हां	हां
13.	गारींडा	1	19.5.98	हां	हां	हां	हां
14.	शेखीसर	1	10.5.98	हां	हां	हां	हां
15.	बाठोद	1	19.5.98	हां	हां	हां	हां
16.	बारंगाबडा	1	19.5.98	हां	हां	हां	हां
17.	कायमसर	1	10.8.98	हां	हां	हां	हां
18.	हरसावा	1	18.9.98	हां	हां	हां	हां
19.	रूकनसर	1	18.9.98	हां	हां	हां	हां
20.	जलालसर	1	18.9.98	हां	हां	हां	हां
21.	नेठवा	1	23.9.98	हां	हां	हां	हां
22.	रामसीसर	1	23.9.98	हां	हां	हां	हां
23.	दारूंडा	1	30.9.98	हां	हां	हां	हां
24.	हरदयालपुरा	1	11.2.99	हां	हां	हां	हां
25.	मांडेलाबड़ा	1	11.2.99	हां	हां	हां	नहीं
26.	नायाबास	1	11.2.99	हां	हां	हां	नहीं
27	दीनारपुरा	1	11.2.99	हां	हां	हां	हां
28.	ताजसर	1	11.2.99	हां	हां	हां	हां

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	चाचीवादबडा	1	11.2.99	हां	हां	हां	हां
30.	गोडियाबडा	1	11.2.99	हां	हां	हां	हां
31.	बाबला	1	11.2.99	हां	हां	हां	हां
32.	लाव्रडा	1	11.2.99	हां	हां	नहीं	नहीं
33.	कारगांछोटा	1	5.7.99.	हां	हां	हां	हां
34.	रसूलपुर	1	29.11.99	हां	हां	नहीं	नहीं
35.	तिहाय	1	29.11.99	हां	नहीं	नहीं	नहीं
36.	ताकलसर	1	29.11.99	हां	नहीं	नहीं	नहीं
37.	भोंचरी	1	29.11.99	हां	नहीं	नहीं	नहीं
38.	मरडाटूबड़ी	1	31.12.99	हां	हां	हां	हां
39.	जेठवाकाबास	1	31.12.99	हां	हां	हां	हां

प्रपत्र "ख"

जनता जल योजना की विचाराधीन पत्रावली

क्र.सं.	ग्राम का नाम	
(1)	बीबीपुर	सार्वजनिक कूप
(2)	ढाणी कल्याणपुरा तन दांतरू	सार्वजनिक कूप
(3)	ग्राम ढाणी हाथीदन चारण	सार्वजनिक कूप
(4)	बाबला	सार्वजनिक कूप
(5)	सवाईलक्ष्मणपुरा	सार्वजनिक कूप
(6)	ढाणी पूनिया तन रोहल	सार्वजनिक कूप
(7)	सदीनसर	सार्वजनिक कूप
(8)	संडवालों की ढाणी तन दीनवा लाडखानी	सार्वजनिक कूप
(9)	जांगीड मोहल्ला नबीपुरा	नलकूप (ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा निर्मित)
(10)	ग्राम खुडी	सार्वजनिक कूप

परिशिष्ट-अ

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में स्वीकृत सड़कों का विवरण

क्र.सं.	सम्पर्क सड़क का नाम	संवेदक का नाम	लंबाई कि.मी.	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख रु.)	भौतिक प्रगति	विशेष विवरण
1.	स.स. दुहार चौगान से बूड़ियावास	मैसर्स तोमर कन्स. कमपनी	0.70	18.85	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
2.	स.स. टहला दौसा रोड़ से राजौर	मैसर्स तोमर कन्स. कम्पनी	4.75	48.31	कार्य प्रगति पर है।	
3.	स.स. भूरियावास	मैसर्स गर्ग एन्टप्राईजेज	1.60	12.40	दिनांक 11.4.2000 को निविदा स्वीकृत की जा चुकी है।	
4.	स.स. कालेड़	मैसर्स गर्ग एन्टाप्राईजेज	0.90	10.17	दिनांक 11.4.2000 को निविदा स्वीकृत की जा चुकी है।	

कुचामन (नावां) में स्वीकृत अकाल राहत कार्य

695. श्री हरीशचन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति कुचामन (नावां) में इस वर्ष कहां-कहां अकाल राहत कार्य की स्वीकृति हुई है ? उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय होगी एवं प्रतिदिन कितने-कितने मजदूर लगाए जा सकेंगे ?

(2) उक्त क्षेत्र में स्वीकृत अकाल राहत कार्य कहां-कहां कब से चालू है और कितने मजदूर मस्टररोल पर रखे गये हैं ?

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में कितने स्थानों पर चारा डिपो खोले गये हैं और क्या वहां चारा वितरण कार्य चालू हो गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक डिपो पर अब तक कितना-कितना चारा किस भाव से वितरित किया गया है ?

(4) क्या चारा डिपो खोलने के लिए किसी एजेन्सी अथवा संस्था या व्यक्ति को सरकार ने ऋण उपलब्ध कराया है ? यदि हां, तो कितना?

(5) क्या सरकार राहत कार्यों के अन्तर्गत पक्का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है ? क्या सरकार अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में उपलब्ध राशि से उनके प्रस्तावानुसार मैटीरियल कम्पोनेंट प्राप्त कर आकाल राहत क्षेत्र में लेबर कम्पोनेंट देकर कार्य स्वीकृत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे काम कब तक चालू कर दिये जाएंगे और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कुचामन क्षेत्र में इस वर्ष (संवत् 2056) स्वीकृत राहत कार्य मय राशि एवं श्रमिक सीमा का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) उक्त क्षेत्र में चालू राहत कार्यों एवं श्रमिक संख्या का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) उक्त पंचायत समिति क्षेत्र में निम्न चार स्थानों पर चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं:-

1.पंचायत समिति, कुचामन

2.ग्राम सेवा सहकारी समिति, लूणवा

3.ग्राम सेवा सहकारी समिति, मीठड़ी

4.श्री बालाजी जन कल्याण सेवा संस्थान गुड़ावडी पो. सालासर मुख्यालय नावां।

श्री बालाजी जन कल्याण सेवा संस्थान गुड़ावड़ी द्वारा 195 क्विंटल चारा वितरण किया जा चुका है। चारा 182 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से वितरित किया गया है।

(4) जी हां। संस्थाओं को ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत करने हेतु जिला कलक्टर, नागौर को 20 लाख रुपये की राशि आवंटन की गई हैं। कलक्टर द्वारा पंचायत-समिति कुचामन क्षेत्र में ग्राम सेवा समिति मीठड़ी व लूणवा को 10-10 हजार का ऋण उपलब्ध कराया गया है।

(5) जी हां। राहत कार्यो के लिए सामग्री की राशि विधायक या अन्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्राप्त होने पर श्रम व्यय राहत मद से स्वीकृत कर कार्य कराए जा रहे हैं एवं यह प्रक्रिया वर्तमान में कार्यरत है।

"परिशिष्ट-1"

क्र.सं.	कार्य का नाम मय स्थान	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि (श्रम व्यय) (लाखों में)	स्वीकृत श्रमिक सं.	कार्य प्रारम्भ की तिथि	वास्तव में कार्यरत श्रमिकों की सं.
1	2	3	4	5	6	7
1.	सार्व. तालाब खुदाई, सबलपुरा	चारणावास	1.00	60	2.4.2000	40
2.	सार्व. तालाब खुदाई, महाराजपुरा	महाराजपुरा	1.00	60	2.4.2000	40
3.	सार्व. तालाब धीरा तालाब खुदाई, भूणी	भूणी	1.00	60	5.4.2000	40
4.	सार्व. तालाब खुदाई, जाबदीनगर	लोहराणा	1.00	60	2.4.2000	40
5.	सार्व. तालाब खुदाई, दैपुर	राजलिया	1.00	60	2.4.2000	40
6.	दुदिया तालाब की खुदाई, ठीकरियांकलां	बरजन	2.00	80	2.4.2000	60
7.	ज.स्व.रो.यो. दुकाने 4 चारणावास	चारणावास	0.40	12		
8.	,, 5 झीलीया	झीलीया	0.50		11.4.2000	20
9.	,, 5 मीठड़ा	मीठड़ी	0.50	15		
10.	,, 5 महाराजपुरा	महाराजपुरा	0.50	15	2.4.2000	20
11.	,, 5 मीण्डा	मीण्डा	0.50	15	2.4.2000	20
12.	,, 5 लूणवा	लूणवा	0.50		16.4.2000	20
13.	,, 5 अड़कसर	अड़क्रसर	0.50	15		
14.	,, 4 रसाल	रसाल	0.40		2.4.2000	20

1	2	3	4	5	6	7
15.	सार्व. 2 भांवता	भांवता	0.20	6		
16.	सार्व. देव तालाब खुदाई डाटा की ढाणी	खाखड़की	1.00	60	16.4.2000	40
17.	सार्व. तलाई खुदाई कालोली	चावण्डिया	1.00	60	16.4.2000	40
18.	सार्व. श्योरिया नाडी खुदाई अमरपुरा	महाराजपुरा	1.00	60	16.4.2000	40
19.	सार्व. तालाब मफाणियां की ढाणी मुण्डघसोई	मुण्डघसोई	1.00	60	16.4.2000	40
20.	सार्व. मुसाणियां नाडा खुदाई, लालास	लालास	1.00	60	18.4.2000	40
21.	सार्व. रोजड़ी नाडी खुदाई, पलाड़ा	पलाड़ा	1.00	60		
22.	सार्व. खुंटिया तालाब खुदाई, घाटवा	घाटवा	1.00	60	16.4.2000	40
23.	सार्व. टीटोलाई नाडी खुदाई, मुवाना	मुवाना	1.00	60	22.4.2000	40
24.	सार्व. लोहड़ी तालाब खुदाई, नंगवाड़ा	नंगवाड़ा	1.00	60		
25.	सार्व. नीयली नाडी खुदाई, जसवंतपुरा	दीपपुरा	1.00	60		
26.	सार्व. गागोलिया नाडी खुदाई, मारोठ	मारोठ	1.00	60	16.4.2000	40
27.	सार्व. तालाब खुदाई, चम्पा का बास	शिम्भुपुरा	1.00	60		
28.	सार्व. खानवाली नाडी खुदाई, हरीपुरा	इन्दोखा	1.00	60		
29.	सार्व. तालाब खुदाई, रांवा	रूपपुरा	1.00	60	22.4.2000	60
30.	सार्व. तालाब (बोरली) खुदाई, झीलाल	खारन्डी	1.00	60	18.4.2000	40
31.	सार्व. मनाली नाडी खुदाई, लिचाणा	लिचाणा	1.00	60		
32.	सार्व. तालाब खुदाई, शिव	शिव	1.00	60	6.4.2000	40
33.	सार्व. तालाब खुदाई, नानणा	जावदीनगर	1.00	60	16.4.2000	40

1	2	3	4	5	6	7
34.	सार्व. तालाब खुदाई, गुढासाल्ट	गुढासाल्ट	1.00	60		
35.	सार्व. आकिया तालाब खुदाई, मण्डावरा	मण्डावरा	1.00	60	16.4.2000	40
36.	सार्व. विशालाई नाडी खुदाई, उगरपुरा	उगरपुरा	1.00	60		
37.	सार्व. भांबोलाई नाडी खुदाई, हरियाजून	नारायणपुरा	1.00	60	16.4.2000	40
38.	सार्व. मन तालाब खुदाई, खारड़िया	खारड़िया	1.00	60	16.4.2000	40
39.	सार्व. बंगेरा फाड़ तालाब, खुदाई पांचोता	पांचोता	1.00	60	16.4.2000	40
40	सार्व. तालाब खुदाई, आनन्दपुरा	आनन्दपुरा	1.00	60		
41.	तालाब खुदाई, चौसला	चौसला	1.00	60		
42.	तालाब खुदाई, धूलों की ढाणी	गोविन्दी	1.00	60		
43.	तालाब खुदाई, हुडील	हुडील	1.00	60		
44.	आसलानी नाडी खुदाई, चांदपुरा	झीलीया	1.00	60		
45.	तालाब खुदाई, भांवता	भांवता	1.00	60		
46.	केरीया बालाजी तालाब खुदाई, मीठड़ी	मीठड़ी	1.00	60		
47.	तालाब खुदाई, बावड़ी	मीण्डा	1.00	60		
48.	हिथोलाई नाड़ी खुदाई, भींचरों का वास	नालोट	1.00	60		
49.	तालाब खुदाई, पांचवा	पांचवा	1.00	60		
50.	सार्व. तीजो की नाडी खुदाई, मांगलोदी	सरगोठ	1.00	60		
51.	रतन सागर तालाब खुदाई, डांटा का वास	सोलाया	1.00	60	20.4.2000	40
52.	पीपल नाड़ी खुदाई, बनगढ	चौसला	1.00	60		

1	2	3	4	5	6	7
53.	शिवसागर नाडी की खुदाई, पांचोता कुण्ड पर	पांचोता	1.00	60		
54.	खारी तलाई खुदाई, सांवतगढ	श्यामगढ	1.00	60		
55.	दुधिया तालाब खुदाई, गोविन्दी	गोविन्दी	1.00	60		
56.	केरिया नाडा खुदाई, मारोठ	मारोठ	1.00	60		
57.	नागा तालाब खुदाई, मारोठ	मारोठ	1.00	60		

टपूकड़ा सब तहसील में स्थापित अवैध क्रैशर

696. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील तिजारा के अपूकड़ा सब तहसील में क्रैशर स्थापित हैं?

(2) उक्त सभी क्रैशरों को एन.ओ. सी. किस संस्था ने दी है ?

(3) क्या सही है कि उक्त सभी क्रैशर अवैध खनन कर रहे हैं ?

(4) क्या पूर्व में भी इन क्रैशरों की अवैध खनन की शिकायत की गई है ? यदि हां तो शिकायत की जांच करने पर क्या नतीजा सामने आया ? जांच परिणाम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तिजारा की उप तहसील टपूकड़ा के ग्राम उधनवास में 10 क्रैशर तथा ग्राम गोधान में 2 क्रैशर लगे हुए हैं।

(2) उक्त क्रेसर उद्योगों को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भिवाड़ी द्वारा सशर्त सम्मति प्रदान की गई है।

(3) जी हां। क्रैशर मालिकों के द्वारा चोरी छुपे अवैध खनन करना पाया गया है।

(4) जी हां। प्राप्त शिकायतों की जांच करवाये जाने पर क्रेशर मालिकों द्वारा अवैध खनन किया जाना पाया गया। जांच परिणाम तथा उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

जिला अलवर की तहसील तिजारा के ग्राम उधनवास कुलावत में क्रेशर मालिकों द्वारा अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों एवं उनके सम्बन्ध में हुई जांच का विवरण

1. सरपंच ग्राम पंचायत चुहडपुर के द्वारा खनिज विभाग अलवर में की गई शिकायत दिनांक 27.10.97

कार्यवाही :- खनिज विभाग अलवर के सर्वेक्षण द्वारा उधनवास क्रा निरीक्षण दिनांक 25.11.97 को करने पर मौके पर 5 क्रेशर कार्यरत पाये गये। क्रेशरों हेतु खनिज नुरपूर (हरियाणा) से लाना बताया गया। मौके पर क्रेशर पर कोई रिकार्ड संधारित किया जाना नहीं पाया गया। पुन: खनिज कार्य देशक अलवर द्वारा दिनांक 21.1.99 को निरीक्षण किया गया। खनिज विभाग द्वारा क्रेशर मालिकों को खनिज के प्राप्ति स्त्रोत का रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया। दिनांक 20.2.99 को पुन: खनिज विभाग द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण कराये जाने पर दिनांक 14.2.99 से खनन पूर्णत: बन्द पाया गया।

2. श्री अजीत कुमार शर्मा, एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट ने दिनांक 2.2.99 एक शिकायत पत्र सरपंच ग्राम पंचायत चुहडपुर को प्रेषित किया :-

कार्यवाही :- 5.2.99 को वन खण्ड चुहडपुर (निकट ग्राम उधनवास) में वन विभाग द्वारा मौके पर अवैध खनन में लिप्त दो डम्परों को जप्त कर केस बनाकर 40000/- रुपये मुआवजा वसूल किया गया।

3. श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य विधानसभा द्वारा प्रस्तुत शिकायत दि. 25.10.99

कार्यवाही :- उप वन संरक्षक सामाजिक वानिकी, अलवर ने विस्तृत छानबीन एवं जांच उपरान्त दिनांक 13.12.99 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये बताया कि उप तहसील टपूकड़ा के क्षेत्र में लगे क्रेशर वन क्षेत्र में तो नहीं है परन्तु वन भूमि के अति निकट होने से क्रेशर मालिकों के द्वारा वन भूमि से अवैध खनन की कार्यवाही किये जाने की पूरी सम्भावना रहती है।

वन क्षेत्रों से अवैध खनन की रोकथाम की दृष्टि से उन्होंने इस क्षेत्र में पड़ने वाले वन नाका तिजारा एवं इन्दौर के द्वारा दिनांक 1.2.98 से दिनांक 13.12.99 की अवधि में 96 अपराध प्रकरण दर्ज कर 2,43,602/- रुपये का मुआवज़ा वसूल किया गया।

उप वन संरक्षक ने अपनी रिपोर्ट में क्रेशरों के राजस्थान प्रदेश की सीमा के समीप होने तथा क्षेत्र की अपराधिक पृष्ठभूमि के कारण अत्यधिक संवेदनशील होने से अवैध खनन की प्रभावी रोकथाम पर नियंत्रण पाने में कठिनाइयों का भी उल्लेख किया।

अब उप वन संरक्षक अलवर द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से अवैध खनन को रोकने की कार्यवाही की जा रही है।

नागौर आगार से डीलक्स बसों का संचालन

697. श्री रिछपाल मिर्धा(डेगाना) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नागौर आगार में कुल कितनी बसें उपलब्ध हैं ? सूची माडल सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आगार की अधिकांश बसें खराब एवं पुरानी हैं ? क्या सरकार उक्त आगार को नई बसें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आगार से अब तक कोई डीलक्स एवं सुपर डीलक्स बसें संचालित नहीं की जा रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आगार से अब उक्त किस्म की बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और कितनी तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर आगार में वर्तमान में कुल 81 बसें उपलब्ध हैं, जिनमें से 67 निगम की तथा 14 अनुबन्धित बसें हैं। माडलवार बसों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी नहीं। वर्तमान में नागौर आगार की बसों की यांत्रिक स्थिति खराब नहीं है। आगार में उपलब्ध वाहनों की औसत आयु 4.42 वर्ष है जो निगम में उपलब्ध वाहनों की औसत आयु 4.55 वर्ष से कम है। माह मार्च, 2000 में नागौर आगार को 3 नई बसें आबंटित की जा चुकी है।

(3) जी हां। नागौर आगार द्वारा वर्तमान में कोई डीलक्स/सुपर डीलक्स सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है। डीलक्स व सुपर डीलक्स बसों को पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए वर्तमान में नागौर आगार से डीलक्स/सुपर डीलक्स बसों का संचालन प्रारम्भ किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट - 1

वर्तमान में नागौर आगार में उपलब्ध बसों की माडलवार सूची

क्र.सं.	वाहन संख्या	माडल वर्ष
निगम वाहनें :-		
1.	आरजे 14 पी 2558	1992
2.	आरजे 21 पी 156	1994
3.	आरजे 21 पी 158	1994
4.	आरजे 21 पी 159	1994
5.	आरजे 21 पी 160	1994
6.	आरजे 21 पी 181	1994
7.	आरजे 21 पी 183	1994
8.	आरजे 21 पी 184	1994
9.	आरजे 21 पी 185	1994
10.	आरजे 21 पी 186	1994
11.	आरजे 21 पी 232	1994
12.	आरजे 21 पी 227	1995
13.	आरजे 21 पी 228	1995
14.	आरजे 21 पी 229	1995
15.	आरजे 21 पी 230	1995
16.	आरजे 21 पी 231	1995
17.	आरजे 21 पी 233	1995
18.	आरजे 21 पी 248	1995
19.	आरजे 21 पी 251	1995
20.	आरजे 21 पी 253	1995
21.	आरजे 21 पी 280	1995
22.	आरजे 21 पी 281	1995
23.	आरजे 21 पी 282	1995
24.	आरजे 21 पी 284	1995
25.	आरजे 21 पी 286	1995
26.	आरजे 21 पी 298	1995
27.	आरजे 01 पी 1138	1995
28.	आरजे 21 पी 373	1996

क्र.सं.	वाहन संख्या	माडल वर्ष
29.	आरजे 21 पी 374	1996
30.	आरजे 21 पी 376	1996
31.	आरजे 21 पी 377	1996
32.	आरजे 21 पी 378	1996
33.	आरजे 21 पी 381	1996
34.	आरजे 21 पी 382	1996
35.	आरजे 21 पी 383	1996
36.	आरजे 21 पी 443	1997
37.	आरजे 21 पी 444	1997
38.	आरजे 21 पी 452	1997
39.	आरजे 21 पी 453	1997
40.	आरजे 21 पी 469	1997
41.	आरजे 21 पी 475	1997
42.	आरजे 21 पी 476	1997
43.	आरजे 21 पी 477	1997
44.	आरजे 21 पी 478	1997
45.	आरजे 21 पी 479	1997
46.	आरजे 21 पी 545	1998
47.	आरजे 21 पी 554	1998
48.	आरजे 21 पी 556	1998
49.	आरजे 21 पी 559	1998
50.	आरजे 21 पी 569	1998
51.	आरजे 21 पी 570	1998
52.	आरजे 21 पी 572	1998
53.	आरजे 21 पी 573	1998
54.	आरजे 21 पी 579	1998
55.	आरजे 21 पी 584	1998
56.	आरजे 21 पी 585	1998
57.	आरजे 21 पी 586	1998
58.	आरजे 21 पी 592	1998
59.	आरजे 21 पी 593	1998
60.	आरजे 21 पी 599	1998
61.	आरजे 21 पी 600	1998

क्र.सं.	वाहन संख्या	माडल वर्ष
62.	आरजे 21 पी 690	1998
63.	आरजे 21 पी 691	1998
64.	आरजे 21 पी 692	1998
65.	आरजे 21 पी 693	1998
66.	आरजे 21 पी 1012	2000
67.	आरजे 21 पी 1013	2000
निजी अनुबन्धित वाहनें :-		
68.	आरजे 19 पी 2723	1995
69.	आरजे 21 पी 0295	1995
70.	आरजे 07 पी 1257	1996
71.	आरजे 07 पी 1195	1996
72.	आरजे 07 पी 1239	1996
73.	आरजे 21 पी 0465	1996
74.	आरजे 19 पी 5446	1998
75.	आरजे 21 पी 0547	1998
76.	आरजे 21 पी 0450	1998
77.	आरजे 07 पी 1736	1998
78.	आरजे 07 पी 1737	1998
79.	आरजे 19 पी 4891	1998
80.	आरजे 19 पी 6174	1998
81.	आरजे 19 पी 5424	1998

टिप्पणी :- एक नई वाहन माडल 2000 मुख्यालय के आदेश क्रमांक 026 दिनांक 22.3.2000 द्वारा आबंटित की गई जो अभी तक बाडी बिल्डर्स से प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य में खनिज भूमि के चिह्नित क्षेत्र

698. श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खनन क्षेत्र के नाम से कोई भी भूमि रिजर्व नहीं है, जबकि वन, चरागाह, सिवाय चक, कृषि भूमि के नाम से भूमि चिह्नित है ? यदि हां, तो क्या यह व्यवस्था राज्य के खनिज विकास को अवरुद्ध करने वाली नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि खनिज भूमि के नाम से भूमि रिजर्व अथवा चिह्नित होती तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले दिनांक12.12.96 से खनन कार्य वन भूमि में बन्द नहीं कर सकता था ?

(3) राज्य में कुल कितनी प्रतिशत भूमि पर खनन पट्टे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि वन एवं पर्यावरण कानून 1980 के बाद राज्य में खनिज विकास एक तरह से अवरुद्ध हो गया है ? क्या इससे राज्य की राजस्व आय प्रभावित हुई है?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि भूमि वर्गीकरण वन भूमि, चरागाह भूमि, कृषि भूमि, सिवाय चक भूमि इत्यादि के रूप में किया गया है किन्तु राज्य में अथवा देश के किसी भी अन्य राज्य में खनन क्षेत्र की भूमि के नाम से कोई भी वर्गीकृत नहीं है। यह भी सही है कि खनिज युक्त भूमि को खनिज भूमि के रूप में वर्गीकृत नहीं किये जाने से खनन पट्टा इत्यादि स्वीकृत करने में काफी समय लग जाता है और इससे खनिज विकास की गति अवरुद्ध होती है।

(2) जी हां, यदि खनन पट्टा के अन्तर्गत आने वाली भूमि खनिज भूमि के नाम से वर्गीकृत अथवा रिजर्व होती तो फिर वह भूमि वन भूमि नहीं हो सकती थी और ऐसी स्थिति में सुप्रीम कार्ट के अन्तरिम आदेश दिनांक 12.12.96 का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही खनन कार्य बंद होता ।

(3) राज्य में 0.77 प्रतिशत भूमि पर खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस कार्यरत है।

(4) जी नहीं। यह सही है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद वन क्षेत्र में उपलब्ध खनिज सम्पदा का दोहन करने से पूर्व खनिज युक्त भूमि का वन क्षेत्र डाइवर्शन-कराना आवश्यक हो गया एवं इस हेतु प्रस्ताव भारत सरकार तक जाते हैं। इससे खनन पट्टा स्वीकृति अथवा नवीनीकृत करने में विलम्ब अवश्य होता है एवं वन क्षेत्र में चालू खनन पट्टों के लिये भी डाइवर्शन कराना आवश्यक हो गया है। इससे खनिज विकास की गति कुछ धीमी अवश्य हुई है एवं इन खनिजों पर राजस्व आय भी विलम्ब से प्राप्त होगी किन्तु खनिज विकास अवरुद्ध हो पाया है ऐसा नहीं कहा जा सकता।

कोटा सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत में अनियमितताएं

699. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1999 से मार्च,2000 तक कोटा सैण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के द्वारा कृषक ज्योति व कृषक मित्र योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के ऋण स्वीकृत किये गये हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(2) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया गया वे मानदण्ड के अनुसार सही थे ? क्या दिये गये ऋण का सही उपयोग किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि नियम विरुद्ध ऋण का वितरण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है ?

(4) क्या सरकार नियम विरुद्ध ऋण वितरण व अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दी कोटा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., कोटा द्वारा वर्ष 1999-2000 में कृषक ज्योति योजना के अंतर्गत 33 सदस्यों को तथा कृषक मित्र योजना के अंतर्गत 49 सदस्यों को ऋण स्वीकृत किये गये हैं, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) ऋण वितरण नियमों के अन्तर्गत किया गया है। अनियमितताओं की कोई शिकायत बैंक को प्राप्त नहीं हुई है।

परिशिष्ट-1

दी कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., कोटा

क्र. सं.	नाम सदस्य	नाम योजना जिसके तहत ऋण स्वीकृत	ऋण स्वीकृत की दिनांक	ऋण स्वीकृत राशि	ऋण का प्रयोजन	ऋण की उपयोगिता का प्रमाणी-करण	भूमि का विवरण सिंचित बीघा	भूमि का विवरण असिंचित बीघा	भूमि का बाजार मूल्य (राशि लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा आ.श्री जगदीश प्रसाद	कृषक मित्र साख सीमा	20-1-2000	48000/-	फसल की लागत	खाद, बीज, दवाईयां, निदाई, गुड़ाई, मजदूरी आदि उपयोग किया	40.00	निल	10.00
2.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा/ रतनलाल शर्मा	,,	,,	50000/-	,,		45.00	,,	15.00
3.	श्री कन्हैयालाल सुमन/ शंकरलाल	,,	29-7-99	45000/-	,,	,,	25.00	,,	7.96
4.	श्री मदनमोहन खण्डेलवाल/ हरीदास	,,	,,	81000/-	,,	,,	45.00	,,	15.58
5.	श्रीमती जमना बाई पत्नि श्री देवलाल	,,	4-8-99	52000/-	,,	,,	29.09	1.55	9.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	श्री दिनेश कुमार/महावीर प्रसाद	कृषक मित्र साख सीमा	13-8-99	49500/-	फसल की लागत	खाद, बीज, दवाईयां,निदाई, गुड़ाई, मजदूरी आदि उपयोग किया	29.37	निल	8.99
7.	श्री बनेसिंह/श्री बेरीसालसिंह	,,	28-8-99	90000/-	,,		47.00	,,	15.28
8.	श्री बाबूलाल नायक/धूलीलाल	,,	2-9-99	72000/-	,,		48.00	,,	12.58
9.	श्री महेन्द्र सिंह/जसवन्तसिंह	,,	7-9-99	100000/-	,,	,,	29.00	,,	8.34
10.	श्री बाबूराम/धाहन्या मीणा	,,	,,	30000/-	,,	,,	4.15	हेक्टर	7.30
11.	श्री मोहनलाल मीणा/हीरालाल	,,	10.8.99	31000/-	,,	,,	17.00	बीघा	5.10
12.	श्री मुकुटबिहारी/श्री चंदापाल	,,	20-9-99	31000/-	,,	,,	16.00	,,	4.80
13.	श्री चतुर्भुज आ.रत्तीराम	,,	30-9-99	40000/-	,,	,,	25.00	,,	7.20
14.	श्री चन्द्रप्रकाश/मोहनलाल	,,	,,	45000/-	,,	,,	29.00	,,	11.92
15.	श्री दुर्गाशंकर/मथुरालाल	,,	,,	40000/-	,,	,,	34.00	,,	9.52
16.	श्री मांगीलाल/कृष्णा मीणा	,,	4-10-99	80000/-	,,	,,	100.00	,,	28.00
17.	श्री मोडूलाल/नाथूलाल	,,	,,	40000/-	,,	,,	22.00	,,	6.60
18.	श्रीमती लतीबन बानो पत्नि नईमुद्दीन	,,	10-11-99	60000/-	,,	,,	36.00	,,	10.08
19.	श्री अरविन्दसिंह/मिलखान	,,	,,	80000/-	,,	,,	72.00	,,	25.92
20.	श्री माधोलाल/भैरूलाल मीणा	,,	15-9-99	100000/-	,,	,,	86.00	,,	27.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	श्री भैरूलाल/जगन्नाथ मीणा	कृषक मित्र	15.9.99	60000/-	फसल की	खाद, बीज,	28.00	बीघा	8.96
22.	श्री प्रभुलाल/भागीरथ मीणा	,,	,,	100000/-	लागत	दवाईयां,निदाई,	66.00	,,	18.67
23.	श्री हरजारीला आ.रामचन्द्र	,,	,,	80000/-	,,	गुड़ाई, मजदूरी	45.00	निल	10.80
24.	श्री दुर्गालाल मीणा/पन्नालाल	,,	11.10.99	45000/-	,,	आदि उपयोग	26.00	,,	6.24
25.	श्री गोयन्दा/ भंवरलाल	,,	4-9-99	47000/-	,,	किया	25.00	,,	6.00
26.	श्री मूलीलाल/धन्नालाल	,,	23-9-99	60000/-	,,	,,	33.00	,,	7.52
27.	श्री हेमराज/बजंरगलाल मीणा	,,	8-9-99	38000/-	,,	,,	21.00	,,	5.04
28.	श्री किशनलाल/देवलाल	,,	28-9-99	35000/-	,,	,,	20.10	,,	4.80
29.	श्री रामगोपाल/गणेशदास	,,	,,	46000/-	,,	,,	26.00	,,	6.25
30.	श्री प्रहलाद मीणा/शंकरलाल	,,	3-12-99	100000/-	,,	,,	66.00	,,	15.64
31.	श्री रामकुमार/मांणकचन्द मीणा	,,	6-12-99	75000/-	,,	,,	29.00	23.00	8.36
32.	श्री बिशनलाल/श्री तेज्या बैरवा	,,	7-12-99	29000/-	,,	,,	16.00	निल	3.84
33.	श्री लक्ष्मीनारायण/श्री मंगला मीणा	,,	,,	50000/-	,,	,,	30.00	,,	7.20
34.	श्री बाबूलाल/लक्ष्मीनारायण	,,	15-12-99	85000/-	,,	,,	49.00	,,	11.80
35.	श्री श्रवणकुमार/जगन्नाथ मीणा	,,	1-1-2000	100000/-	,,	,,	58.00	,,	14.10
36.	श्री गोविन्दसिंह/यादवसिंह	,,	5-1-2000	39900/-	,,	,,	22.00	,,	5.28
37.	श्री शंकरलाल/केशरा नायक	,,	,,	50000/-	,,	,,	31.00	,,	7.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38.	श्री मोतीलाल/रामचन्द्र मीणा	कृषक मित्र	5.1.2000	47000/-	फसल की	खाद, बीज,	25.00	2.00	6.12
39.	श्री शम्भू मीणा/लोडक्या	साख सीमा	13-1-2000	41000/-	लागत	दवाईयां,निदाई,	25.00	,,	6.00
40.	श्री केदारलाल मीणा/जगन्नाथ	,,	21-1-2000	57000/-	,,	गुड़ाई, मजदूरी	32.00	,,	7.71
41.	श्री महावीर/सूरजमल राठी	,,	,,	50000/-	,,	आदि उपयोग	28.00	,,	6.72
42.	श्री मांगीलाल/छगनलाल ब्राह्मण	,,	,,	63000/-	,,	किया	35.00	,,	4.20
43.	श्री नाथू खां/गुलाब खां	,,	27-1-2000	73000/-	,,	,,	41.00	,,	9.85
44.	श्री बद्रीलाल/श्री हीरालाल	,,	28-1-2000	43900/-	,,	,,	24.00	,,	5.76
45.	श्री बद्रीलाल/श्री कन्हैयालाल	,,	,,	50000/-	,,	,,	31.00	,,	7.44
46.	श्री ओमप्रकाश आ.श्री परमानंद	,,	,,	50000/-	,,	,,	5.79	हेक्टर	8.68
47.	श्री मोहन सौरल/मथुरालाल	,,	22-2-2000	100000/-	,,	,,	74.00	बीघा	17.76
48.	श्री प्रेमनारायण आ.श्री गोपाल	,,	14-3-2000	75000/-	,,	,,	42.00	,,	10.08
49.	श्री किशनलाल आ.चंदालाल मीणा	,,	22-3-2000	72000/-	,,	,,	40.00	,,	9.60

परिशिष्ट-1

दी कोटा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि., कोटा

क्र. सं.	नाम सदस्य	नाम योजना जिसके तहत ऋण स्वीकृत हुआ	ऋण स्वीकृत की दिनांक	ऋण स्वीकृत राशि	ऋण का प्रयोजन	ऋण की उपयोगिता का प्रमाणीकरण	भूमि का विवरण सिंचित बीघा	असिंचित बीघा	भूमि का बाजार मूल्य (राशि: लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री जगन्नाथ सिंह पावाहेड़ा	लघु सिंचाई	24-2-99	11200	लघु सिंचाई	ऋण के प्रयोजन उपभोग किया गया	28.00	निल	6.72
2.	श्री अमजल हुसैन सावनभादी	,, उप.ऋण	23-9-99	75000	,, उप.ऋण		20.00	,,	4.80
3.	श्री बलवीर कौर दीगोद	कृषि यंत्र	1-5-99	135000	कृषि यंत्र	,,	17.00	,,	4.08
4.	श्री बलवीर कौर दीगोद	,,	11-10-99	60000	,,	,,			
5.	श्री पूजा ट्रेक्टर पार्टस (हेमन्त नन्दवाना दीगोद)	व्यापार हेतु	15-9-99	6000	व्यापार हेतु	,,	19.00	,,	4.70
6.	श्री नंदलाल अयान	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	26-6-99	340000	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	,,	67:00	,,	16.07
7.	श्री ओमप्रकाश करवाड़	कृषि यंत्र	15-12-99	218000	कृषि यंत्र	,,	20.00	,,	4.80
8.	श्री जगदीश चौहान खोड़ली	उप.ऋण	7-7-99	3000	उप.ऋण	,,	30.00	,,	7.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	श्री करमचन्द ढनीपरी	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	7-7-99	290000	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	उपयोग किया गया	36.00	निल	8.64
10.	श्री गोपीलाल डूंगरली	लघु सिंचाई	15-8-99	50000	लघु सिंचाई	,,	18.00	,,	4.32
		उप.ऋण	5-2-2000	34000	उप.ऋण				
11.	श्री हजारीलाल करवाड़	ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र	6-8-99	405000	ट्रेक्टर ऋण	,,	41.00	,,	9.84
12.	श्री रामावतार दीगोद	लघु सिंचाई	13-10-99	87700	लघु सिंचाई	,,	35.00	,,	8.40
13.	श्री बजरंगलाल इटावा	,,	13-8-99	49000	,,	,,	17.00	,,	4.08
14.	श्री मोहन सौरल कोटा	उप.ऋण	20-12-99	50000	उप.ऋण	,,	74.00	,,	17.76
15.	श्री जवाहरलाल कैथून	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	4-8-99	380000	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	,,	45.00	,,	9.40
16.	श्री प्रेमप्रकाश डावर	कृषि यंत्र एवं शिक्षा	24-8-99	110000	कृषि यंत्र एवं शिक्षा	,,	38.00	,,	9.12
17.	श्री सागिर अली कुराड़	कृषि यंत्र	3-1-2000	87500	कृषि यंत्र	,,			
		पुत्र शादी व कृषि यंत्र	28-1-2000	12475	पुत्र शादी व कृषि यंत्र	,,	38.00	,,	9.12
18.	श्री रामप्रताप नार	उप.ऋण एवं लघु	5-7-99	95900	उप.ऋण एवं लघु कृषक	,,	39.00	,,	9.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	श्री भंवरलाल किशनपुरा	कृषि यंत्र एवं उप.ऋण	31-3-99	125500	कृषि यंत्र एवं उप.ऋण	उपयोग किया गया	20.00	निल	4.80
		लघु सिंचाई एवं कृषि यंत्र	25-6-99	79000	लघु सिंचाई एवं कृषि यंत्र	,,			
20.	श्री रामप्रताप बम्बोरी	लघु सिंचाई एवं कृषि यंत्र	8-5-99	45000	,, ,,	,,	25.00	,,	6.00
21.	श्री गोपाल काचरा	लघु सिंचाई	8-5-99	46000	लघु सिंचाई	,,	18.00	,,	4.32
22.	श्री सुरेन्द्र कुमार अटरू	ट्रेक्टर व कृषि यंत्र	18-3-99	373000	ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र	,,	32.00	,,	7.68
23.	श्रीमती अमरीबाई चरड़ाना	,,	18-3-99	340000	,,	,,	40.00	,,	9.60
24.	श्री बाबूलाल अन्ताना	,,	8-5-99	290000	,,	,,	61.00	,,	14.64
		सामाजिक कार्य	2-7-99	50000	सामाजिक कार्य	,,			
25.	श्री किशनलाल खोड़ली	लघु सिंचाई	31-3-99	47600	लघु सिंचाई	,,	19.00	,,	4.56
26.	श्री मनीशकुमार खांडासहरोद	लघु सिंचाई, कृषि यंत्र एवं उप.ऋण	5-7-99	127000	लघु सिंचाई एवं कृषि यंत्र उप.ऋण	,,	15.00	,,	3.60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	श्री साकलचन्द अटरू	लघु सिंचाई कृषि यंत्र	27-7-99	184000	लघु सिंचाई कृषि यंत्र	उपयोग किया गया	44.00	निल	10.56
28.	श्री बृजपालसिंह मांगरोल	कृषि यंत्र	6-7-99	155000	कृषि यंत्र	,,	41.00	,,	9.84
29.	श्री हरसहाय मीणा शाहबाद	,,	3-7-99	178000	,,	,,	17.08	,,	4.08
30.	श्री निर्मल कुमार बामला	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	14-9-99	422000	ट्रेक्टर कृषि यंत्र	,,	73.00	,,	17.52
31.	श्री बाबूलाल रामगढ़	लघु सिंचाई एवं कृषि कार्य	8-9-99	188000	लघु सिंचाई एवं कृषि कार्य	,,	23.18	,,	5.52
32.	श्री बख्शीसिंह पगारा	कृषि एवं उप.	8-9-99	74000	कृषि एवं उप.	,,	15.00	,,	3.60
		ऋण कृषि यंत्र	21-1-00	86000	कृषि ऋण				
33.	श्री मोहनलाल मांगरोल	ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र	13-8-99	385000	ट्रेक्टर एवं यंत्र	,,	71.00	,,	17.04

चित्तौड़गढ़ शहर को घोसुण्डा बांध से पेयजल आपूर्ति

700.श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ शहर में पेयजल संकट से निपटने के लिए बजट में हिन्दुस्तान जिंक से हुए अनुबन्ध अनुसार शहर को घोसुण्डा बांध से पानी सप्लाई किये जाने की योजना है ?

(2) चित्तौड़गढ़ शहर को अभी तक भी घोसुण्डा बांध से पानी की सप्लाई प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि घोसुण्डा बांध की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? ऐसी स्थिति में शहर को पानी सप्लाई की योजना पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं कब तक शहर को पेयजल आपूर्ति चालू कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) हिन्दुस्तान जिंक से कोई अनुबन्ध नहीं हुआ है तथा घोसुण्डा बांध की क्षमता बढ़ाने के कारण डूब में आने वाले ग्रामों तथा सम्पत्ति चिह्नित न होने के कारण योजना को अंतिम रूप नहीं दिया सकता है।

(3) जी हां। वर्तमान में शहर में घोसुण्डा बांध से जल सप्लाई नहीं है, इसलिए जल वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घोसुण्डा बांध से पानी लेने हेतु हिन्दुस्तान जिंक लि. से वार्ता की जा रही है। उनसे अनुबन्ध होने के पश्चात् वृहद् योजना की क्रियान्विति संभव हो सकेगी।

अजमेर शहर की कच्ची बस्तियों का नियमन

701. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कच्ची बस्ती नियमन के तहत गूजर धरती, गूजर टीला, लूनकरण का हत्ता, पादरी की लाइन, अशोक नगर, भट्टा, भजनगंज क्षेत्र की कच्ची बस्ती का सर्वे किया गया है? यदि हां, तो कितने परिवार लाभान्वित होने की पात्रता रखते है ? बस्तीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सर्वे कार्य कब पूर्ण किया गया ? क्या नियमन कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि हां तो कितने लोगों को पट्टा दिया गया और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त परिवारों को कब तक नियमन कार्य पूर्ण कर पट्टे वितरित कर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न संख्या 1 में उल्लिखित गूजर धरती, गूजर टीला, अशोकनगर, भट्टा, भजनगंज कच्ची बस्तियों का सर्वे न्यास नियमन हेतु किया गया था। लेकिन लूनकरण का आहता व पादरी की लेन का सर्वे न्यास नियमन हेतु नहीं किया गया है क्योंकि राजकीय भूमि नहीं थी। उपरोक्त जिन चार बस्तियों का नियमन हेतु सर्वे किया गया है उसका बस्तीवार विवरण निम्नप्रकार है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

क्र.सं.	बस्ती का नाम	भूमि का विवरण	सर्वे यूनिट	परिवार जो नियमन की पात्रता रखता है	पट्टा वितरण	विशेषविवरण
1.	गूजर धरती	भूमि खातेदारी न्यास स्वामित्व की नहीं है।	277	नियमन के आवेदन पत्र खातेदारी भूमि होने के कारण पात्रता की जांच नहीं की जा सकी।	--	भूमि खातेदारी की है। अत: आवेदन पत्र नियमन हेतु वितरित नहीं किये गये हैं।
2.	गूजर टीला	,, ,,	12	,, ,,	--	,, ,,
3.	भजनगंज	न्यास की क्रयशुदा भूमि	43	43	38	शेष में नियमन की कार्यवाही जारी है।
4.	अशोक नगर भट्टा	,, ,,	1	1	--	,, ,,

(2) न्यास क्षेत्र की अशोक नगर भट्टा, भजनगंज, गूजर धरती व गूजर टीला का सर्वे कार्य जून, 1999 में पूर्ण कर लिया गया था। इन कच्ची बस्तियों में से गूजर टीला व गूजर धरती की भूमि खातेदारी की होने तथा न्यास स्वामित्व की भूमि नहीं होने के कारण इनके सर्वेशुदा कब्जाधारियों के नियमन का कार्य किया जाना संभव नहीं है। सर्वेशुदा भजनगंज व अशोक नगर भट्टा में क्रमश: 43 व 1 परिवार का सर्वे किया गया है। भजनगंज कच्ची बस्ती में जिन 43 कब्जेधारियों का सर्वे किया गया है इनमें से 38 व्यक्तियों का नियमन किया जाकर पट्टे जारी किये जा चुके हैं। शेष 5 सर्वे यूनिट के नियमन की कार्यवाही जारी है। अशोक नगर भट्टा कच्ची बस्ती में एक परिवार का सर्वे किया गया था जिसका पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस बस्ती के शेष परिवारों का सर्वे कार्य निजी भूमि होने के कारण नहीं किया गया।

(3) न्यास द्वारा उपरोक्त जिन चार बस्तियों का सर्वे किया गया है उनमें गूजर धरती व गूजर टीला की भूमि का नियमन भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही के उपरान्त ही संभव होगा। अशोक नगर भट्टा में सर्वेशुदा एक परिवार के अलावा शेष की भूमि निजी भूमि होने के कारण नियमन की कार्यवाही अभी संभव नहीं है। जहां तक भजनगंज कच्ची बस्ती के नियमन का प्रश्न है इस बस्ती के नियमन का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। शेष रहे 5 सर्वे यूनिट के नियमन की कार्यवाही जारी है।

कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई (भरतपुर) में अनियमितताएं

702. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति, नदबई (भरतपुर) में मण्डी निधि की राशि वर्ष 1999-2000 बिना ब्याज पी.डी. खाते में रखकर मण्डी कोष को ब्याज की हानि पहुंचायी गई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी 'जिम्मेदार' है जबकि कनिष्ठ लेखाकार द्वारा प्रकरण नजर में लाने पर भी केशियर के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई ?

(2) क्या यह भी सही है सी.पी.एफ. कर्मचारियों की लाखों रुपये की एफ.डी. तुड़वाकर बचत खातों में क्यों रखी गयी है ? क्या इसमें अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों को हजारों रुपये की ब्याज हानि हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गुड़,चीनी, किराणा, सब्जी इत्यादि जो पूर्व स्थापित मण्डी यार्ड में चल रहा है, वहां स्थापित व्यापार वालों को मण्डी शुल्क चोरी कराने में सचिव की खुली छूट नवावगंज एवं चैक पोस्टों पर नदबई क्षेत्र को इन्द्राज गाड़ियों का पूर्ण मण्डी शुल्क जमा नहीं हुआ ?

(4) क्या यह भी सही है कि कतिपय कर्मियों को यात्रा भत्ता निजी कार्य से जाने पर भी नदबई मण्डी कोष से भुगतान किया ? वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 में अधिकारियों/कर्मचारियोंवार यात्रा व्यय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या बोर्ड/कृषि मण्डी समिति को कोई पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2000 को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त पत्र का आज तक कोई उत्तर प्रेषित न करने के क्या कारण रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि निजी घरेलू सामग्री उपयोग का भुगतान मण्डी कोष से किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998-99 के पी.डी. खाते की ब्याज की राशि 5,44,692/- रुपये पी.डी. खाते के मिलान दिनांक 29.6.99 के समय यह तथ्य सामने आया कि, कोष कार्यालय भरतपुर द्वारा पी.डी. खाता के ब्याज की ब्याज राशि को पी.डी. खाता ब्याज रहित में जमा करा दिया गया, जिसे दिनांक 3.8.99 को पी.डी. खाता ब्याज युक्त में जमा करवा दिया गया है। इस हेतु सम्बन्धित केशियर को सचिव मण्डी समिति द्वारा चेतावनी दी जा चुकी है।

(2) जी नहीं। कर्मचारियों की जमा भविष्य निधि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) पुरानी मण्डी में व्यवसाय पर परिवेक्षण एवम् नियंत्रण हेतु व्यवस्था की हुई है, फिर भी प्रकरण की जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(4) जी नहीं। वांछित यात्रा व्यय का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(5) जी हां। पत्र माननीय विधायक ने व्यक्तिगत रुप से सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति नदबई को दिया था और उन्हें तत्समय ही अपेक्षित समस्त जानकारी मौखिक रूप से सचिव, मण्डी समिति द्वारा दे दी गई थी एवं दिनांक 22.4.2000 को प्रत्युत्तर दिया जा चुका है।

(6) जी नहीं।

परिशिष्ट - अ

कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि की राशि के विनियोजन का विवरण

क्र.सं. नाम कर्मचारी	एफ.डी.आर. में विनियोजित राशि	बचत खाते में शेष राशि
1. श्री बदनसिंह, च.श्रे.कर्म.	73,422.00	524.00
2. श्री भुल्लीराम, चौकीदार	72,092.00	445.00
3. श्री अमरचन्द शर्मा, जलवाहक	71,500.00	586.00
4. श्री मुन्शीराम, जलवाहक	57,260.00	315.00
5. श्रीमती असरादेवी, सफाईकर्ता	75,000.00	624.00
6. श्री वीरीसिंह, चौकीदार	1,00,122.00	747.00
7. श्री निहालसिंह, चौकीदार	82,000.00	631.00
8. श्री सोहन लाल, चौकीदार	1,20,500.00	406.00

परिशिष्ट – ब

वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के यात्रा व्यय का विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	यात्रा व्यय राशि	
		1998-99	1999-2000
1.	श्री टी.आर. शर्मा, पूर्व सचिव	4351.00	1885.00
2.	श्री पवन भास्कर, सचिव	8332.00	9345.00
3.	श्री भगवान दास गुप्ता, पूर्व क. लेखाकार	2382.00	-
4.	श्री सुभाष चन्द यादव, क. लेखाकार	2529.00	8143.00
5.	श्री कमल चन्द गोयल, क.लि.	9164.00	8543.00
6.	श्री हुकम चन्द, वरिष्ठ लि.	660.00	1732.00
7.	श्री छोटे लाल अग्रवाल, व.लि.	292.00	-
8.	श्री जेठा चन्द नीलाम, लिपिक	2520.00	1795.00
9.	श्री सुगर सिंह नीलाम, लिपिक	1570.00	727.00
10.	श्री रामेश्वर दयाल गुप्ता, क.लि.	504.00	2367.00
11.	श्री वीरी सिंह, नीलामकर्ता	666.00	2835.00
12.	श्री रामसिंह, चौहान	203.00	-
13.	श्री विनोद कुमार शर्मा, क.लि.	-	237.00
14.	श्रीमती मीना गुप्ता, क.लि.	-	98.00
15.	श्री कमल सिंह, च.श्रे.कर्म.	364.00	151.00
16.	श्री अमरसिंह, चौकीदार	582.00	-
17.	श्री रघुवर दयाल औझा, चौकीदार	582.00	-
18.	श्री गिर्राज प्रसाद, च.श्रे.कर्म.	-	472.00
19.	श्री सोहन लाल, चौकीदार	-	850.00
20.	श्री शम्भूदयाल, च.श्रे.कर्म.	-	475.00
21.	श्री मुन्शी राम शर्मा, जलवाहक	99.00	-
22.	श्री अमरचन्द शर्मा, जलवाहक	236.00	-
	योग	34996.00	38851.00

पूर्व के अकाल राहत कार्यों का बकाया भुगतान

703. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किन-किन जिलों में अकाल है तथा उक्त जिलों में कब-कब कितनी-कितनी राशि के अकाल राहत कार्य चालू किये गये ? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अकाल के कारण "सूखा आफरा" या अन्य कारणों से कितने पशु मर चुके हैं और कितने पशुओं को पालकों ने छोड़ दिया है?

(3) सी.आई.क. एवं राष्ट्रीय आपदा कोष से गत 5 वर्षों में केन्द्र से कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष मे प्राप्त हुई तथा इस वर्ष कितनी राशि प्राप्त हुई ?

(4) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य पूर्ण होने के बाद भी मजदूरों का करीबन 6 करोड़ रुपया अभी तक बकाया है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य के 26 जिलों में अभाव स्थिति है। उक्त जिलों में वर्तमान में 12069 कार्य चालू हैं। जिलों में राहत कार्य उन्हें आबंटित श्रमिक सीमा के अनुसार चालू किये जाते हैं। जिलेवार आबंटित श्रमिक सीमा का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "क")

(2) अकाल के कारण,"सूखा आफरा" से पशुओं के मरने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। बीकानेर जिले में लगभग 20 हजार अनुपयोगी गायों को छोड़ा गया है। सिरोही जिले में 389 पशुओं को पशुपालकों द्वारा स्थित गौशालाओं में भिजवाया गया है।

(3) सी.आर.एफ. एवं राष्ट्रीय आपदा कोष से गत 5 वर्षों में केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"ख") इस वर्ष 2000-2001 में अभी तक केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी नहीं। राहत कार्यों के भुगतान के लिए जिला कलक्टर्स को पर्याप्त राशि आबंटित की जा चुकी है तथा उनके द्वारा राहत कार्यों के भुगतान प्रत्येक पखवाड़े की समाप्ति के बाद कराए जा रहे हैं।

परिशिष्ट–क

संवत् 2056 में कराए गये अकाल राहत कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	चालू कार्य	श्रमिक सीमा फरवरी	मार्च	अप्रेल
1.	अजमेर	747	15000	15000	30000
2.	अलवर	45	-	-	2500
3.	बांसवाड़ा	604	35000	35000	30000
4.	बाड़मेर	623	45000	45000	45000
5.	भीलवाड़ा	1235	15000	15000	25000
6.	बीकानेर	156	20000	20000	20000
7.	बूंदी	50	3000	3000	3000
8.	चित्तौड़गढ़	-	25000	25000	20000
9.	चूरू	896	15000	15000	35000
10.	दौसा	182	5000	5000	8000
11.	डूंगरपुर	836	20000	20000	20000
12.	गंगानगर	-	-	-	-
13.	हनुमानगढ़	61	2000	2000	2000
14.	जयपुर	187	1500	1500	10000
15.	जैसलमेर	267	15000	15000	15000
16.	जालौर	594	17000	17000	25000
17.	झुंझुनूं	48	15000	15000	15000
18.	जोधपुर	347	25000	25000	40000
19.	नागौर	512	25000	25000	35000
20.	पाली	1059	22000	22000	28000
21.	राजसंमद	883	23000	23000	25000
22.	सवाईमाधोपुर	42	-	-	3000
23.	सीकर	910	15000	15000	20000
24.	सिरोही	328	13000	13000	13000
25.	टोंक	231	10000	10000	10000
26.	उदयपुर	1226	50000	50000	50000
	योग :	**12069**	**431500**	**431500**	**529500**

परिशिष्ट-"ख"

बिन्दु सं. 1 : दसवें वित्त आयोग की सिफारिश लागू होने के पश्चात् प्राकृतिक आपदा कोष में केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया अंशदान -

वर्ष	राशि (लाखों में)
1995-96	12674.00
1996-97	13428.00
1997-98	14170.00
1998-99	14892.00
1999-2000	15525.00
कुल योग :	70689.00

बिन्दु सं. 2 : वर्ष 1995 से 2000 के दौरान राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा कोष से प्राप्त राशि -

वर्ष	राशि (करोड़ो में)
1996-97	21.00
1999-2000	21.98
कुल योग :	**42.98**

मरुस्थलीय नियंत्रण परियोजना की क्रियान्विति

704. श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मरुस्थलीय जिलों में मरुस्थलीय नियंत्रण परियोजना (काम्बेटिंग डेजर्टीफिकेशन) नाम से योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो उक्त योजना किन-किन जिलों में लागू हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में कार्यरत स्टाफ से उक्त स्वीकृत योजना के कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सकता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिरिक्त स्टाफ लगाकर उक्त कार्यों को सम्पादित कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के वन रक्षक, वनपाल एवं कार्य प्रभारित कर्मचारी जो जिला बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर में पदस्थापित हैं, को सरकार अतिरिक्त स्टाफ में उन्हें पदस्थापित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। मरुस्थलीय जिलों में मरुस्थलीय नियंत्रण परियोजना (काम्बेटिंग डेजर्टीफिकेशन) के नाम से एक योजना केन्द्र सरकार से स्वीकृत हुई है। यह योजना दस मरुस्थलीय जिलों में यथा बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली एवं सीकर जिलों में शुरू की गई है।

(2) वर्तमान में जिला बाड़मेर में कार्यरत स्टाफ से उक्त स्वीकृत योजना के कार्यों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वन किया जा रहा है। इस वर्ष वृक्षारोपण के समय अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी।

(3) यह सही है कि जिले के वन रक्षक, वनपाल एवं कार्य प्रभारित कर्मचारियों को जिला बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में पदस्थापित किया हुआ है। प्रश्न के भाग-2 में दिये गये उत्तर के अनुसार बाड़मेर जिले के 47 कर्मचारियों को पुन: जिले में पदस्थापित किया जाना संभव होगा।

नोहर से संचालित परिवहन निगम की बसें

705. श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नोहर से भादरा वाया बडबिराना, ललाना मार्ग पर पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार नोहर से तारानगर, चूरू हेतु पथ परिवहन निगम की बस सेवा सायंकालीन शुरू करने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार नोहर-जयपुर रात्रिकालीन बस सेवा शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों ?

(श्रीमती सुचित्रा आर्य)

(4) क्या सरकार नोहर से चलने वाली निगम बसों में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चूंकि यह मार्ग अराष्ट्रीयकृत है अत: वर्तमान में इस मार्ग पर निगम वाहन संचालित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। रात्रि में इस मार्ग पर पर्याप्त यात्रीभार मिलने की सम्भावना न होने के कारण संचालन अनार्थिक रहने की सम्भावना है, अत: वर्तमान में इस मार्ग पर रात्रि में वाहन संचालित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं।

उदयपुर में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की स्थापना

706. श्री गुलाबचन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और राजसमन्द में अधिकांश जनसंख्या आदिवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की है ? यदि हां, तो उन्हें सुलभ और सस्ता न्याय दिलाये जाने के लिए उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच के स्थापित करने की मांग कब से विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत 15-20 वर्षों में उदयपुर के अधिवक्ताओं ने प्रत्येक माह की 7 तारीख को न्यायालय परिसर का बहिष्कार न्यायोचित मांग के लिए कर रखा है ?

(3) क्या इस समस्या के समाधान हेतु विधि विभाग अपनी ओर से कोई विशेष प्रयास कर समाधान करने का विचार रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग दिनांक 15.2.82 से विचाराधीन है।

(2) जी हां। उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित करने की मांग को लेकर वहां की बार एसोसिएशन द्वारा वर्ष 1984 से प्रत्येक माह की 7 तारीख को उदयपुर डिवीजन में समस्त न्यायिक/कार्यपालक/राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार किया जाता है।

(3) उदयपुर में उच्च न्यायालय को बैंच स्थापित करने की समस्या का समाधान करना विधि विभाग के अधिकार क्षेत्र में न होकर केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। यद्यपि विधि विभाग ने उक्त बैंच स्थापित करने हेतु मा. उच्च न्यायालय का परामर्श प्राप्त करने के लिए लिखा था। मा.उच्च न्यायालय ने अपने पत्र क्रमांक जन/19/मिस./15/81/128 दिनांक 14.2.97 के द्वारा विधि विभाग, राज. सरकार को सूचित किया कि उच्च न्यायालय फिलहाल नई बैंच खोलने पर विचार नहीं कर रही है।

जिला गंगानगर से हनुमानगढ़ की हरिजन बस्तियों में संयुक्त पेयजल योजना

707. श्री के. सी. विश्नोई (संगरिया) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में वर्ष 1999-2000 मे हरिजन बस्ती के लिए कितनी राशि का प्रावधान रखा तथा कितने पाइप क्रय किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त जिलों में कितने हरिजनों के पाइपों के क्रय हेतु प्रस्ताव आए तथा कितने मंजूर हुए। सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गांव शेरगढ़ तहसील संगरिया का भवन कब बन कर तैयार हुआ ? क्या इसके चैनल के द्वारा पानी हेतु बनाई गई योजना के अनुसार पानी पहुंचाना है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या गांव भाखरा वाली तहसील संगरिया का चैनल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो चैनल में कितना पानी आता है ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में वर्ष 1999-2000 में हरिजन बस्तियों के लिए क्रमशः 8.00 लाख एवं 4.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था। हरिजन बस्तियों हेतु श्रीगंगानगर जिले के 121 बस्तियों के प्रस्ताव, 64070 मीटर पाइप लाइन हेतु तथा हनुमानगढ़ जिले के 21 बस्तियों के प्रस्ताव, 16168 मीटर पाइप लाइन हेतु बनाए गये। इन सभी प्रस्तावों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत जारी की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इन स्वीकृत प्रस्तावों में से हरिजन बस्ती हेतु श्रीगंगानगर जिले में 7710 मीटर एवं हनुमानगढ़ जिले में 7198 मीटर पाइप क्रय किये गये। विवरण प्रपत्र "क" में उपलब्ध है।

(2) जल योजना शेरगढ़ (14 एम के एस) पर जनता टाइप क्वार्टर एवं पंप हाउस वर्ष 90-91 में बनकर तैयार हुआ। जन योजना की चैनल के द्वारा वर्तमान में पानी नहीं पहुंचता है। चैनल की कुल 2600 मीटर लम्बाई में से 700 मीटर लम्बाई जमीन के ऊपर भराई में है व इसके एक तरफ सिंचाई हेतु कच्चा वाटर कोर्स व दूसरी तरफ रास्ता है। काश्तकारों द्वारा कच्चे वाटर कोर्स के समय कुछ दूरी में विभागीय चैनल की मिट्टी हटाने से एवं रास्ते पर चलने वाले वाहनों के कारण चैनल की दीवारें व बैड क्षतिग्रस्त हो गये हैं। चैनल की मरम्मत अथवा आवश्यक सुधार हेतु प्रस्ताव बना लिए गये हैं, जो तकनीकी जांच में है। स्वीकृत होने पर प्राथमिकता के आधार पर बजट उपलब्ध करवाकर कार्य करवाया जाएगा।

(3) जी नहीं। चैनल की 1300 मीटर लंबाई में से 800 मीटर लंबाई में चैनल के एक तरफ सड़क है व दूसरी तरफ कच्चा वाटर कोर्स जो अत्यधिक कटिंग में चैनल निर्माण के पश्चात् बनाया गया है। काश्तकारों द्वारा खाले की सफाई के समय मिट्टी हटाने के कारण एवं रास्ते की तरफ वाहनों के आवागमन के कारण चैनल क्षतिग्रस्त होने से पानी नहीं आता है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

काश्तकारों के वाटर कोर्स से बारी का पानी लेकर जल वितरण सुचारू रूप से किया जा रहा। इस चैनल की भी मरम्मत अथवा आवश्यक सुधार कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगरपलिका सादड़ी (पाली) में सड़क रेस्ट हाउस की स्वीकृति में अनियमितताओं की जांच

708. **श्री अशोक तंवर** (फागी) एवं **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में नगरपालिका सादड़ी-जिला पाली में सड़क रेस्ट हाउस सादड़ी से हीराराव (जाटों की डोरन) मार्ग की स्वीकृति प्रदान की गई थी ? यदि हां, तो कब ? विवरण मय व्यय राशि व कार्य प्रगति की रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृति के तहत कार्य में भारी अनियमितताएं बरतते हुए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त किये गये सड़क कार्य का माप कितना है ? प्रत्येक 30 मीटर पर लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर पालिका, सादड़ी में सड़क रेस्ट हाउस से हीराराव (जाटों की डोरन) मार्ग की उक्त सड़क निर्माण की कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

(2) प्रश्न के भाग "एक" में दिये गये उत्तर के बाद प्रश्न के इस भाग का उत्तर दिया जाना शेष नहीं रहता है।

(3) प्रश्न के भाग "एक" में दिये गये उत्तर के बाद प्रश्न के इस भाग का उत्तर दिया जाना शेष नहीं रहता है।

करौली में पुलिस लाइन हेतु प्रस्तावित भवन

709. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि करौली में पुलिस लाइन का निर्माण करने बाबत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण के लिए गत वर्ष में कितनी राशि स्वीकृत की गई।

(2) क्या पुलिस लाइन के निर्माण के स्थान का चयन किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों और निर्माण कार्य कब तक कराए जाने की संभावना है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत पुलिस लाइन करौली के निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई।

(2) जी हां।

जिला उदयपुर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से वृक्षारोपण

710. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ल्ड बैंक की सहायता से जिला उदयपुर में गत पांच वर्षों में पेड़ लगाने के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब, किस-किस क्षेत्र हेतु आबंटित की गई ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृतिनुसार पेड़ लगाए गये ? उक्त में से कितने पेड़ जीवित हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसमें किसी को दोषी मानती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों को दंडित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विश्व बैंक की सहायता से वन विभाग द्वारा उदयपुर जिले में गत पांच वर्षों में पेड़ लगाने के लिए कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। जापान सरकार के सहयोग से कार्य अवश्य करवाये गये हैं।

(2) उदयपुर जिले में वन विभाग द्वारा वर्ल्ड बैंक की सहायता से गत 5 वर्षों में कोई पौधारोपण का कार्य नहीं कराया गया है। अत: जांच करवाने एवं दोषियों को दंडित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न करों में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त राजस्व

711. श्री रमेश खींची (कटूमर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवहन विभाग द्वारा नवम्बर,1999 के पश्चात् विभिन्न योजनाएं बनाकर विभिन्न मदों में करों की वृद्धि की गई है, जिसके तहत फीस, टैक्स एवं जुर्माना राशि में भारी बढ़ोतरी हुई है ? नवम्बर माह के पश्चात् इन सभी योजनाओं में फीस टैक्स एवं जुर्माना राशि से माह मार्च,2000 तक कितना राजस्व किस-किस जिले से प्राप्त हुआ ?

(2) क्या नवम्बर,1999 के पश्चात् राज्य के सभी जिलों में लक्ष्य निर्धारित किये गये ? क्या राज्य में उन लक्ष्यों की पूर्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) राज्य में वर्ष 1999-2000 में आगामी वर्ष 2000-2001 का आगामी टैक्स कितना-कितना वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में विभिन्न जिलों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशमन राशि वर्ष में कितनी-कितनी वसूल की गई ? क्या प्रशमन राशि लक्ष्य के अनुरूप वसूली गई ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उन अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में करों की वृद्धि के फलस्वरूप जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उनमें किस-किस जिले द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की गई एवं कितनी-कितनी राशि बकाया रही? लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। परिवहन निगम द्वारा नवम्बर 1999 के पश्चात् फीस टैक्स एवं जुर्माना वृद्धि के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई।

(2) जी हां, नवम्बर 1999 के पश्चात् राज्य के सभी जिलों के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। विभाग द्वारा राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है।

(3) अब तक प्राप्त सूचना के मुताबिक विभाग द्वारा कोई आगामी टैक्स वसूल नहीं किया गया है। सम्भवतया वाहन स्वामियों द्वारा स्वयं की सुविधा के लिए स्पैशल टोकन प्राप्त करने एवं आय कर में छूट लेने के लिए स्वैच्छा से कर जमा कराया गया हो।

(4) विभाग में कार्यरत उडन दस्तों द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान वसूल की गई प्रशमन राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है। जिन उडनदस्तों द्वारा प्राप्ति नहीं की गई है, उनके निरीक्षक/उपनिरिक्षक के विरुद्ध लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही की जाएगी।

(5) विभाग द्वारा जिलों के निर्धारित लक्ष्य, प्राप्ति एवं बकाया का विवरण अब तक प्राप्त सूचना के मुताबिक परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। लक्ष्य की पूर्ति नहीं करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही लक्ष्य प्राप्त नहीं होने की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।

परिशिष्ट-"क"

Transport Department
Districtwise C.F. Targets and Achivement
Year 1999-2000

	DISTRICT	C.F. Target upto March, 2000	C.F. Achiv. upto March, 2000
1	2	3	4
1	Jaipur	479.26	556.38
2	Kotputli	106.98	72.99
3	Dausa	88.98	73.09
4	S. Madhopur	29.43	24.95
5	Karouli	43.83	18.37
6	Sikar	111.44	82.52
7	Jhunjhunu	99.09	34.10
8	Churu	107.14	42.46
9	Shahjhanpur	226.63	182:46
10	Alwar	269.48	160.07
11	Bharatpur	245.03	129.02
12	Dholpur	167.95	154.94

1	2	3	4
13	Ajmer	312.53	152.88
14	Nagour	117.99	33.57
15	Tonk	95.59	43.18
16	Jodhpur	234.46	126.55
17	Barmer	31.28	34.22
18	Jaisalmer	31.32	25.53
19	Pali	213.88	126.31
20	Sirohi	202.12	138.99
21	Jalore	95.21	71.82
22	Udaipur	283.98	179.93
23	Ratanpur	154.89	110.25
24	Dungarpur	46.34	27.40
25	Banswara	95.19	75.59
26	Rajsamand	85.07	71.14
27	Chittorgarh	217.72	132.70
28	Pratapgarh	39.06	14.31
29	Bhilwara	117.19	68.91
30	Kota	187.55	106.45
31	Bundi	71.98	30.13
32	Jhalawar	133.01	62.10
33	Baran	29.70	12.33
34	Ram. Mandi	29.25	13.38
35	Bikaner	162.47	98.75
36	Ganga Nagar	163.15	96.15
37	Hanumangarh	98.30	60.64
	District Total	**5224.45**	**3444.56**
	Head Quarter	**119.88**	**59.90**
	GRAND TOTAL	**5344.33**	**3504.46**

परिशिष्ट-"ख"

TRANSPORT DEPARTMENT RAJASTHAN, JAIPUR
Districtwise revenue Targets and Collection
(Rs. in lacs)

Distrct	Final Target	Recovery during the year (Tentative)	Shortfall (Tentative)
1	2	3	4
Jaipur	4352.00	4521.93	-
Kotputli	475.00	621.81	-
Dausa	363.00	431.43	-
S. Madhopur	377.00	332.44	44.56
Karouli	293.00	324.10	-
Sikar	782.00	799.37	-
Jhunjhunu	890.00	872.47	17.53
Churu	589.00	548.84	40.16
Alwar	1542.00	1452.59	89.41
Shahjhanpur	1318.00	1299.61	18.39
Bharatpur	1402.00	1277.26	124.74
Dholpur	531.00	561.56	-
Ajmer	1314.00	1442.40	-
Nagour	863.00	773.65	89.35
Tonk	354.00	375.56	-
Jodhpur	2397.00	2143.21	253.79
Barmer	438.00	441.96	-
Jaisalmer	230.00	254.90	-
Pali	746.00	752.80	-
Sirohi	1539.00	1550.75	-
Jalore	653.00	654.88	-
Udaipur	1739.00	1808.42	-
Dungarpur	295.00	290.31	4.69
Ratanpur	1081.00	927.01	153.99
Banswara	528.00	464.51	63.49
Rajsamand	593.00	624.11	-
Chittorgarh	1186.00	1477.52	-
Pratapgarh	173.00	187.58	-
Bhilwara	1094.00	1147.74	-
Kota	1196.00	1221.05	-
Bundi	261.00	271.83	-
Jhalawar	510.00	573.07	-
Baran	246.00	229.38	16.62

1	2	3	4
Ram. Mandi	179.00	226.61	-
Bikaner	1170.00	1178.75	-
Ganganagar	1670.00	1799.17	-
Hanumangarh	1081.00	1119.22	-
RSRTC	5500.00	5038.28	461.72
Net. Permit	**5500.00**	**5541.00**	-
Grand Total	**45450.00**	**45559.08**	-

सहकारी बैंकों से किसानों को स्वीकृत अल्पकालीन ऋण की ब्याज दर

712. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य में सहकारी बैंकों से किसानों को मिलने वाले अल्पकालीन ऋण की ब्याज दर समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दारों के निर्धारण हेतु डीरेगुलेशन की नीति के तहत केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ब्याज दर स्वविवेक के आधार पर तय करने का अधिकार दिया गया है। जिससे सहकारी बैंकों की ब्याज दरें भिन्न-भिन्न है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम (करौली) की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

713. श्री रामस्वरूप मीणा(टोडाभीम): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1998 से फरवरी,2000 तक कितनी योजनाएं स्वीकृत हैं और उनमें से कितनी योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगरपालिका टोडाभीम में दो टंकियों को बनाने का प्रस्ताव क्या सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो आदेशों के बावजूद भी अब तक राशि क्यों नहीं स्वीकृत की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1998 से फरवरी 2000 तक 23 योजनाएं स्वीकृत हैं। विवरण प्रपत्र "अ" पर सलंग्न है। वर्तमान में दो योजनाएं तकनीकी जांच में चल रही हैं। इसकी स्वीकृति तकनीकी औचित्यता व धन उपलब्धि के आधार पर संभव होगी। विवरण प्रपत्र "ब" पर सलंग्न है।

(2) शहरी योजना टोडाभीम के प्रस्ताव तकनीकी जांच की प्रक्रिया में है, जिसमें टंकी बनाने का प्रावधान सम्मिलित है। तकनीकी औचित्यता एवं धन उपलब्धि के आधार पर स्वीकृति संभव होगी।

परिशिष्ट-"अ"

वर्ष 1998 से 2000 तक स्वीकृत योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	राशि (लाखों में)
1.	आगु. शहरी जल योजना टोडाभीम	टोडाभीम	1.97
2.	,, भण्डारी बैरूनी	,,	1.98
3.	पी. एण्ड टी रानोली	,,	1.98
4.	,, टुडावलो सरसेना	,,	4.75
5.	,, भवराकर मोनापुरा	,,	4.83
6.	,, सोप शहर नपदौती	नादौती	2.33
7.	,, काकला सेतई	,,	2.19
8.	,, सेवाना नयापुरा	,,	3.51
9.	,, सांवडा वाडा पिचनोल	,,	4.66
10.	,, फौजीपुर ताजपुर	टोडाभीम	4.63
11.	,, गढमीरा	नादौती	1.76
12.	,, आंधिया खेडा	,,	1.75
13.	आगु. माचडो खुर्द	टोडाभीम	1.51
14.	आगु. जहांनगर मोरडा	,,	1.98
15.	,, नांगलशेरपुरा	,,	2.00
16.	,, शहराकर	,,	1.93
17.	,, खिरखिडी	,,	1.99
18.	,, शहरी जल योजना टोडाभीम	,,	2.00
19.	,, बेरोज गजुपुरा	,,	1.91
20.	,, सोप शहर नादौती	नपदौती	1.95
21.	क्षे.ज.प्र.यो. पडला टुडावली	टोडाभीम	2.00
22.	,, खोहरा	,,	1.95
23.	,, नांगल माडल	,,	1.95

परिशिष्ट-"ब"

बोर्ड मे विचाराधीन योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	तहसील	लागत (लाखों में)
1.	पुनर्गठित शहरी जल योजना टोडाभीम	टोडाभीम	155.10
2.	पुनर्गठित क्षेत्रीय जल योजना सोप शहर नादौती	नादौती	455.02

शासन सचिव, स्थानीय निकाय को मुख्य मंत्री सचिवालय द्वारा भेजे गये पत्र की क्रियान्विति

714. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री सचिवालय ने पत्र क्रमांक मुम/अअ/2/99 जयपुर एफ 270 दिनांक 3.12.99 निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित किया था और दिनांक 1.3.2000 को पुनः पत्र लिखा ? यदि हां, तो पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त समसंख्यक पत्र दिनांक 27-2-99 के द्वारा अन्य विभागों के प्रमुख शासन सचिव के साथ स्थानीय निकाय विभाग के शासन सचिव से भी उनसे संबंधित बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही से 30 दिवस में अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या कोई कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त पत्र जो कि दिनांक 27.2.99 शासन सचिव स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया था, में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। पत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। माननीय मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 27.2.99 में उल्लिखित स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित अधिकांश बिन्दुओं पर कार्यवाही की गई है। शेष पर विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है।

(3) जी नहीं।

राजस्थान सरकार
मुख्य मंत्री सचिवालय

क्रमांक : मुमं./अअ/2/99/जयपुर/प.270/914   जयपुर, दिनांक: 1-3-2000

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
जयपुर।

महोदय,

समसंख्यक पत्र दिनांक 3.12.99 का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा सफाई मजदूरों (बाल्मीकियों) की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मय टिप्पणी इस कार्यालय को भिजवाने हेतु निवेदन किया गया था, जो अभी तक अपेक्षित है।

निर्देशानुसार निवेदन है कि वांछित तथ्यात्मक रिपोर्ट मय टिप्पणी अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें, ताकि वस्तुस्थिति से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अवगत कराया जा सके।

भवदीय,
(एम.एस.काला)
उप सचिव, मुख्य मंत्री

तहसील फलौदी (जोधपुर) के पशु शिविरों हेतु देय राशि में वृद्धि

715. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला जोधपुर की तहसील फलौदी के 230 गांवों में विकलांग, असहाय व आवारा पशुओं को मौत के मुंह से बचाने के लिए कुछ स्थानों पर पशु शिविर खोलकर पशुधन की बचाने की विचार रखती है ?

(2) सरकार के आकलन से ऐसे शिविर में दाखिल प्रति पशु प्रतिदिन कितने किलोग्राम चारे की आवश्यकता होगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त जिलें में ढाई-तीन रुपये प्रति किलोग्राम से कम में कोई भी चारा उपालब्ध नहीं है ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ऐसे पशु शिविरों में प्रति पशु केवल तीन रुपये प्रतिदिन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो ऐसे शिविरों में पशुओं पर होने वाला बाकी खर्चा कौन वहन करेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जोधपुर जिले की तहसील फलौदी में विकलांग, असहाय व आवारा पशुओं को बचाने के लिए 6 शिविर स्वीकृत किये गये। भविष्य में और प्रस्ताव प्राप्त होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) पशु शिविर में दाखिल बड़े पशुओं के लिए सामान्यतः 5 किलो तथा छोटे पशुओं के लिए 2.5 किलो चारे की आवश्यकता रहती है।

(3) जोधपुर जिले में खाखला की औसत दर 2.25 से 2.50 तथा अन्य चारे की औसत दर 2.50 से 2.75 बीच प्रति किलो है।

(4) पूर्व में शिविरों एवं पंजीकृत गौशालाओं के बड़े पशुओं के लिए 3.00 रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए 1.50 रुपय प्रति पशु प्रतिदिन अनुदान दिये जाने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने इन दरों को बढ़ाने का निर्णय लेकर दिनांक 24.3.2000 को आदेश जारी कर बड़े पशुओं हेतु 6.00 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन व छोटे पशुओं (3 वर्ष से छोटे) हेतु 3.00 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन की दरें निर्धारित की हैं जो 1 अप्रेल,2000 से प्रभावशील की गई। दिनांक 19.4.2000 को राज्य सरकार द्वारा लिए गये निर्णयानुसार इन्हें बढ़कार 1 मई,2000 से छोटे पशुओं के लिए 5 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन एवं बड़े पशुओं के लिए 10 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन निर्धारित की गई है। बाकी खर्च पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा वहन किया जाता है।

जिला सीकर में वन विकास योजनाओं पर व्यय

716. श्री अमरा राम (धोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सीकर में जल ग्रहण विकास योजनाओं के माध्यम से किन-किन गांवों में स्वीकृत दी गई तथा उन पर कितनी-कितनी

(श्री अमरा राम)

राशि किस-किस मद में व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजनाओं का किसी अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया गया ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट दी ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में कितने प्रतिशत पौधे जीवित हैं ? योजनावार सूची सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में वन विभाग के द्वारा क्रियान्वित जलग्रहण/कलस्टर योजनाएं जिन स्थानों के लिए स्वीकृत की गईं तथा उन पर किये गये मदवार व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है

(2) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का मूल्यांकन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सीकर द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया गया है। मूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कलस्टर/जलग्रहण विकास समिति के द्वारा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 कलस्टरों एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत 5 कलस्टरों में वृक्षारोपण के कार्य करवाये गये। इन कलस्टरों में लगाए गये पौधों में से वर्तमान में 65 से 75 प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

717. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या वर्ष 1999 में राजस्थान राज्य उपभोक्ता संघ में अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो शिकायतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उप पंजीयक, सहकारी समितियों ने उक्त शिकायतों की जांच के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण की जानी थी व कब पूर्ण की गई ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिस अधिकारी ने ये अनियमितताएं उजागर कीं उसका तबादला करवा दिया गया, जबकि अनियमितताओं में लिप्त अधिकारी अभी भी पदों पर बरकरार हैं ?

(4) जो अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गये हैं क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या उक्त अधिकारियों का पदों पर बने रहना राज्य हित में है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। दो जांचें दिनांक 6.11.99 एवं दिनांक 31.12.99 तक पूर्ण की जानी

(सहकारिता मंत्री)

थी तथा उक्त दोनों जांचें दिनांक 23.3.2000 एवं दिनांक 23.3.2000 को पूरी की गई। एक जांच रिपोर्ट प्रक्रियाधीन है, दूसरी जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्टि "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, जिस अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, यदि उसे जांच में दोषी पाया जाता है तो आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(4) जी हां, जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य सरकार द्वारा खुदवाये गये हैण्डपम्पों में अनियमितताएं

718. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि हैण्डपम्पों की खुदाई में छत्तीस हजार रुपये वसूल किए जाते हैं?

(2) क्या यह सही है कि प्राइवेट कम्पनियों द्वारा यही माप, यही गहराई तथा यही क्वालिटी के हैण्डपम्पों की लागत बीस हजार के करीब है ? यदि हां, तो प्राइवेट और सरकारी हैण्डपम्पों में इतना फर्क क्यों है ? क्या सरकार इस फर्क को कम करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब व किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी नहीं। हैण्डपम्प की खुदाई प्रति मीटर की दर से की जाती है। वर्तमान में विभागीय दरें 240 रुपये से 260 रुपये प्रति मीटर भूगर्भ की स्थिति, जल स्तर आदि तकनीकी बिन्दुओं के आधार पर तय है तथा किये गये कार्य के अनुसार भुगतान किया जाता है।

(2) जी नहीं। प्राइवेट हैण्डपम्प खुदाई की दर कुछ जिलों में विभागीय दर से कम है व कुछ में ज्यादा है। इन दरों की आपस में तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि विभागीय रिग की दरें पूरे प्रान्त की स्थिति को मद्देनजर रखकर औसत रूप से निर्धारित की जाती है, जबकि प्राइवेट दर स्थान/क्षेत्र/जिला विशेष की स्थिति पर आधारित है।

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 882 का विवरण)

कार्यालय नगर पालिका पुष्कर – अजमेर (राज.)

पुष्कर विकास हेतु पालिका द्वारा विभिन्न मदों के तहत करवाए गए कार्यों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	व्यय राशि
1.	**गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत :-**	
	(1) हाई स्कूल के पीछे कालोनी में नारायण कुमावत के मकान से भंवर दरोगा के मकान तक सीमेन्ट कंकरीट रोड निर्माण।	रु. 12,521/-
	(2) पौधे व गमले क्रय	रु. 880/-
	(3) विद्युतीकरण कार्य की निविदा का विज्ञापन प्रकाशन का भुगतान प्रशासनिक अनुदान से।	रु. 3,481/-
	योग :-	**रु. 16,882/-**
2.	**स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के वैतनिक मद में :-**	
	(1) ग्याडा मौहल्ला बड़ी बस्ती पुष्कर में सीमेन्ट कंकरीट रोड निर्माण।	रु. 18,202/-
	(2) रैगरान श्मशान व हरिजन बस्ती श्मशान स्थल पर बरामदा मय टीन शैड फिक्सिंग कार्य रैगरान श्मशान स्थल का कार्य पूर्ण व हरिजन बस्ती श्मशान स्थल का कार्य प्रगति पर।	रु. 1,21,372/-
	(3) उदमपुरा मौहल्ला बड़ी बस्ती पुष्कर में भूमिगत नाली व सीमेन्ट कंकरीट रोड निर्माण कार्य।	रु. 35,987/-
	(4) मैटीरियल सप्लाई निविदा का विज्ञापन प्रकाशन भुगतान।	रु. 3,213/-
	योग:-	**रु. 1,78,774/-**
3.	**सांसद मद :-**	
	(1) राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल बड़ी बस्ती पुष्कर में कमरों का निर्माण कार्य पर।	1,49,855/-
	योग :-	**1,49,855/-**

4. आई.डी.एस.एम.टी. :-

(1)	बड़ी बस्ती पुष्कर में कपड़ा बाजार से शिवजी मंदिर वाया पटवार भवन तक सीमेन्ट कंकरीट रोड निर्माण।	84,116/-
(2)	छोटी बस्ती स्थित माली मौहल्ला पुष्कर के अन्दर सीमेन्ट कंकरीट रोड निर्माण (प्रथम रनिंग भुगतान)	59,605/-
(3)	छोटी बस्ती स्थित हेलोज रोड से गौतम आश्रम भवन तक सीमेन्ट कंकरीट रोड निमार्ण।	3,04,209/-
	योग :-	**4,47,930/-**

5. दसवें वित्त आयोग :-

(1)	बड़ी बस्ती परिक्रमा मार्ग स्थित	
(ए)	करणी घाट पर डब्लू.सी. एण्ड बाथरूम का आल्ट्रेशन कार्य	6,157/-
(बी)	करणी घाट की लेट्रिन व बाथरूम का सीवर लाइन द्वारा मेनहाल में कनेक्शन कार्य	8,754/-
(सी)	करणी घाट पर स्थित लेट्रिन बाथरूमों में जल सप्लाई हेतु पाइप फिटिंग कार्य	6,320/-
(2)	सफाई उपकरण क्रय हेतु निविदा सूचना विज्ञापन प्रकाशन भुगतान	3,042/-
(3)	सफाई उपकरण क्रय निविदा सूचना विज्ञापन प्रकाशन भुगतान	5,334/-
(4)	व्हील बेरोज क्रय का भुगतान (30 नग)	36,330/-
(5)	सफाई उपकरण क्रय का भुगतान (कचरा पात्र, झाडू, बांस)	27,450/-
(6)	अम्बेडकर कालोनी में कमला कुम्हार के मकान के पास सार्वजनिक शौचालयों व टैंक का निर्माण	30,138/-
(7)	चूना पाउडर सप्लाई का भुगतान	3,713/-
	योग :-	**1,27,238**

6. राज्य वित्त आयोग :-

(1)	पुष्कर मेला 98 में रोड व नाली रिपेयर शहर के विभिन्न स्थानों पर	36,568/-

(2) छोटी बस्ती पुष्कर में छोटू घोबी की दुकान से वराह मंदिर चौक व इमली मौहल्ला क्षतिग्रस्त रोड व नाली रिपेयर कार्य।	9,689/-
(3) जयपुर घाट पुलियां के दोनों किनारे महाप्रभुजी बैठक के रास्ते पर होली के चौक में मालनियों के चौक में ब्रह्म चौक के पास पीपल/बड़ के पेड़ के चारों तरफ दीवार निर्माण कार्य	13,074/-
(4) ग्वाड़ा मौहल्ला से लगती हुई भैरूं जी के गली में सीवर लाइन व नाली निर्माण तथा कालो का मौ. में भागचंद जैन की दुकान से मालनियों के चौक तक नाली रिपेयर कार्य	4,335/-
(5) निर्माण कार्यों की निविदा सूचना विज्ञापन प्रकाशन का भुगतान	3,380/-
(6) बड़ी बस्ती स्थित जोगी का बास मौ. में सीमेन्ट कंकरीट रोड का निर्माण	33,479/-
(7) बड़ी बस्ती स्थित बड़ी नारायण मंदिर से सत्यानारायण मंदिर एवं वैष्णव मंदिर वाली गली में सीमेन्ट कंकरीट रोड़ निर्माण।	70,630/-
(8) माली मौ. (छोटी बस्ती पुष्कर) में सीवर लाइन बिछाने	60,005/-
(9) न्यायालय भवन पुष्कर में जल सप्लाई हेतु नवीन पी.एस.पी. फिटिंग कार्य।	5,899/-
(10) गुजराती मौ. व ग्वालियर घाट की छोटी बस्ती पुष्कर में सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	37,877/-
(11) बड़ी बस्ती पुष्कर में तीज बड़ी मौ. व रेत की गली में सीमेन्ट कंकरीट रोड़ निर्माण।	55,307/-
(12) बड़ी बस्ती पुष्कर में सांसी बस्ती में सीमेन्ट कंकरीट रोड निर्माण।	43,572/-
(13) निर्माण कार्यों की निविदा सूचना का विज्ञापन प्रकाशन भुगतान।	2,891/-
(14) गंदी बस्ती अम्बेडकर कालोनी में श्री पैलेस गेस्ट हाउस से पुलिस थाने तक नाला निर्माण कार्य।	64,922/-
(15) छोटी बस्ती स्थित गुजराती मौ. से लगी चार गलियों में सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	27,436/-
(16) मेला ग्राउण्ड के पास स्थित अम्बेडकर सर्किल से बाबा साहब डार्क्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने हेतु प्रतिमा क्रय।	55,000/-

(बी)	अम्बेडकर सर्किल के चारों तरफ चारदीवारी व प्लेट फार्म निर्माण	85,661/
(17)	अम्बेडकर सर्किल पर स्थित प्लेट फार्म पर ग्रेनाइट फिक्सिंग कार्य प्रथम रनिंग बिल।	14,412/-
(18)	रेत की गली व पनघट रास्ता में सीवर लाइन बिछाने का प्रथम रनिंग बिल का भुगतान।	51,442/-
	योग :-	**6,75,579/-**

<u>**अल्प लागत शौचालय कार्यक्रम :-**</u>

(1)	निविदा सूचना विज्ञापन प्रकाशन भुगतान	5,124/-

<u>**पालिका मद :-**</u>

1.	पराशर कालोनी में नाथू के मकान से बाबूलाल भाम्बी के मकान तक नाली निर्माण	3,382/-
2.	मिश्रों का मौ. में नाली रिपेयर कार्य	1,974/-
3.	गऊ घाट स्थित जनाना की छत पर कबूतरों को दाना डालने वास्ते कवर्ड कराने का कार्य	5,695/-
4.	रैगरान मौ. में नारायण रैगर के मकान से शिवजी मंदिर चौक तक सीमेन्ट कंकरीट रोड रिपेयर।	9,110/-
5.	रैगरान मौहल्ले में शिवजी मंदिर चौक से अमरचंद रैगर के मकान तक रोड रिपेयर।	10,154/-
6.	छोटी बस्ती स्थित चारभुजा मंदिर के पास गली में कालूबाबा मंदिर से चारभुजा मंदिर तक सीवर लाइन बिछाने का कार्य।	8,589/-
7.	रैगरान मौ. हाई स्कूल के पीछे व अन्य स्थानों पर रोड रिपेयर कार्य।	8,416/-
8.	पुष्कर मेला 99 पर घाटों की पुताई का कार्य।	25,122/-
9.	पालिका क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रोड व नाली रिपेयर।	5,038/-
ए.	पटवारी गली में क्रास नाली रोड रिपेयर कार्य।	
बी.	खटीक मौ. में क्रास नाली रिपेयर कार्य।	
सी.	चढ़ाव मौ. में नाली रिपेयर ।	

गूजर धरती क्षेत्र में राशि जमा कराने वालो की सूची

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	जमा राशि
1	2	3
1.	नाथूसिंह/नानगराम	315
2.	मंगलसिंह/रामदयाल	,,
3.	नाथूसिंह/शोलाराम	,,
4.	महेन्द्रसिंह/नत्थूसिंह	,,
5.	देवीराम/भंवरलाल	,,
6.	गेंदालाल/लालाराम	,,
7.	प्रेमराज/पांचूराम	,,
8.	हुकमसिंह/देवीराम	,,
9.	राजू/चुन्नीलाल	,,
10.	घनश्याम/तुलसीराम	,,
11.	केशवकुमार/तुलसीराम	,,
12.	श्रीमती खेमी/बेनीप्रसाद	,,
13.	मदनलाल/ग्यारसीलाल	,,
14.	विजयसिंह/घीसूलाल	,,
15.	गंगासहाय/नन्दाराम	,,
16.	सुखलाल/नारायणसिंह	,,
17.	रामकुंवर/घासीराम	,,
18.	भगवानसिंह/रामकुमार	,,
19.	किशनलाल/तुलसीदास	,,
20.	गेनीसिंह/किशनलाल	,,
21.	देवकरण/ग्यारसीलाल	,,
22.	नत्थीलाल/मनफूल	,,
23.	अमरसिंह/सेवाराम	,,
24.	रामपाल/छोटूभगत	,,
25.	मोहनसिंह/ग्यारसीलाल	,,
26.	महेन्द्रसिंह/रामपाल	,,
27.	डालचंद/रामदेवा	,,
28.	नानगसिंह/रूपाराम	,,
29.	रामसिंह/ताराचंद	,,

1	2	3
30.	पूरणसिंह/घीसूलाल	315
31.	चन्दरसिंह/प्यारेलाल	,,
32.	गोविन्दसिंह/नानगा	,,
33.	मूलीबाई/सुकल्या	,,
34.	गणपतसिंह/मानसिंह	,,
35.	ग्यारसी/मानसिंह	,,
36.	छोटेलाल/गौरधन	,,
37.	श्रीमती सूसा/गोरधन	,,
38.	श्रीमती भरी/कालू	,,
39.	पन्नालाल/छोटू	,,
40.	इन्द्रजीतसिंह/प्यारेलाल	,,
41.	मोहनसिंह/प्यारेलाल	,,
42.	तोनसिंह/हीरा	,,
43.	हीरालाल/भूरालाल	,,
44.	नाथूराम	,,
45.	धनसिंह/नानगचंद	,,
46.	रोशनलाल/घासीराम	,,
47.	मोहनसिंह/गंगाराम	,,
48.	श्रीमती रागली/छोटलाल	,,
49.	मुलचंद/कुसलाराम	,,
50.	प्रभांती/चिरंजीलाल	,,
51.	रामलाल/पांचूराम	,,
52.	श्रीमती तीजा/हीरालाल	,,
53.	मूलचंद/छाजूलाल	,,
54.	परमानन्द/छोटेलाल	,,
55.	गंगाराम/मुकन्दीलाल	,,
56.	हीरालाल/छाजूलाल	,,
57.	सुन्दरसिंह/नोन्दाराम	,,
58.	गुलाबसिंह/कानाराम	,,
59.	श्यामलाल/काराराम	,,
60.	नन्दसिंह/दीपराम	,,
61.	जयनारायण/कानाराम	,,
62.	जयनारायण/कानाराम	,,

1	2	3
63.	मांगीलाल/पूरनसिंह	3.15
64.	रामसिंह/मुकन्दीलाल	,,
65.	रामस्वरुप/भीखाराम	,,
66.	मोहरसिंह/नत्थीलाल	,,
67.	रमेशकुमार/देवाराम	,,
68.	भागचंद/नत्थूराम	,,
69.	श्रीमती परनादेवी/नत्थूराम	,,
70.	धनसिंह/नत्थूराम	,,
71.	अर्जुनसिंह/पृथ्वीराज	,,
72.	हरिसिंह/नत्थूराम	,,
73.	जगदीश/सुक्खाराम	,,
74.	गोपालसिंह/भुक्का	,,
75.	श्रवणकुमार/कुन्दनलाल	,,
76.	हरिशंकर/पन्नालाल	,,
77.	हनुवंत/चन्दरसिंह	,,
78.	गणेशसिंह/मूलचंद	,,
79.	मोहनलाल/रेवड़भगत	,,
80.	भगतसिंह/मोहनलाल	,,
81.	मोहनलाल/पृथ्वीराज	,,
82.	हेमराज/ग्यारसीलाल	,,
83.	खेमचंद/डालचंद	,,
84.	किशनलाल/मोहनलाल	,,
85.	पन्नालाल/रामदास	,,
86.	किशनलाल/नाथूलाल	,,
87.	लाडाबाई/मोहनलाल	,,
88.	रविन्द्रकुमार/हेमराज	,,
89.	ग्यारसीलाल/मोरर्धनलाल	,,
90.	जगदीशप्रसाद/मूलचंद	,,
91.	हेमराज/मूलचंद	,,
92.	ताराचंद/मूलचंद	,,
93.	घनश्याम/रामनाथसिंह	,,
94.	मूलचंद/पेमाराम	,,

1	2	3
95.	नवलसिंह/गोविन्दा	315
96.	निरंजनसिंह/रामदेवा	,,
97.	किशनलाल/भौरीलाल	,,
98.	नारायणसिंह/रामपाल	,,
99.	मोहनसिंह/मूलचंद	,,
100.	सुम्मीबाई/मंगलराम	,,
101.	श्यामसिंह/रामदेवा	,,
102.	शांतिलाल/पांचूसिंह	,,
103.	मूलचंद/शंकरलाल	,,
104.	गणेश/कुशलराम	,,
105.	प्रभातीराम/मूलाराम	,,
106.	भगवानदास/मूलाराम	,,
107.	धनसिंह/जगन्नाथसिंह	,,
108.	गुलाबसिंह/घीसूलाल	,,
109.	भगवानसिंह/घीसूलाल भंवरलाल	,,
110.	पन्नालाल/भंवरलाल	,,
111.	रोहिताश पुत्र पन्नालाल भगत	,,
112.	पांचूसिंह पुत्र शंकरसिंह	,,
113.	किशोरसिंह पुत्र पन्नालाल भगत	,,
114.	गणेशसिंह/मूलसिंह	,,
115.	किशनसिंह/मूलसिंह	,,
116.	बलवीरसिंह/खेतराम	,,
117.	प्रेमसिंह/बलवीरसिंह	,,
118.	जयसिंह/ग्यारसीलाल	,,
119.	चेतसिंह/ननकसिंह	,,
120.	उदयसिंह/छगनलाल	,,
121.	श्रीमती लाड़वती/मंगलसिंह मकवाना	,,
122.	देवीसिंह/मुशीराम	,,
123.	कुन्दसिंह/तारासिंह	,,
124.	भंवरसिंह/छगनलाल	,,
125.	छीतराम/ग्यारसी	,,
126.	बाबूलाल/सालगराम	,,
127.	नाथूसिंह/छोटूसिंह	,,

1	2	3
128.	जवाहर सिंह/लादूसिंह	315
129.	पन्ना/खेरा	,,
130.	श्रीमती भूदेवी/चिंरजीलाल	,,
131.	किशनसिंह/मांगीलाल	,,
132.	गणेशसिंह/मांगीलाल	,,
133.	लक्ष्मणसिंह/नौरत	,,
134.	मूलचंद/बुद्धाराम/देवाराम	,,
135.	देवाराम/श्रीचंद	,,
136.	श्रीमती गंगा/जगनसिंह/मानसिंह	,,
137.	प्रभातीलाल/ग्यारसीलाल	,,
138.	ग्यारसीलाल/गोविंदराम	,,
139.	चन्द्रमोहन/तेजपाल	,,
140.	कल्लूसिंह/छाजूराम	,,
141.	अमरसिंह/राधाकिशन	,,
142.	नानगसिंह/अमरसिंह	,,
143.	श्रीमती पांचीदेवी/किशनलाल	,,
144.	जयन्तकुमार/खुशालसिंह	,,
145.	चिंरजीलाल/गोपीलाल	,,
146.	ताराचंद/गुमानसिंह	,,
147.	चतरसिंह/रामचन्द्र	,,
148.	दुलीचंद/महादेवा	,,
149.	यादराम/भागीराथ	,,
150.	दीणराम/गंगाराम	,,
151.	गंगासिंह/हेमराज	,,
152.	गोविंदसिंह/मलखानसिंह	,,
153.	श्रीमती भूरी/गुमानसिंह	,,
154.	हीरा/डालचंद	,,
155.	डालचंद/चुन्नीलाल	,,
156.	श्रीमती रामप्यारी/गोपालमिस्सी	,,
157.	नानग/खरपचंद	,,
158.	हुक्मचंद/मिठ्ठू	,,
159.	सुखराम/नाथूराम	,,
160.	हरिराम/सालिगराम	,,

1	2	3
161.	मोहनसिंह/दीपचंद	315
162.	सुखसिंह/रामलाल	,,
163.	हीरालाल/पेमाराम	,,
164.	गोरधनसिंह/घीसूलाल	,,
165.	नारायणसिंह/रामचन्द्र	,,
166.	ताराचंद/उदाराम	,,
167.	नत्थूसिंह/जयसिंह	,,
168.	श्रीमती हरबाई/जयसिंह	,,
169.	नाराणसिंह/सालिगराम	,,
170.	श्यामलाल/सुवालाल	,,
171.	गणेशीलाल/बुद्धाराम	,,
172.	रासहाय/शोलाराम	,,
173.	पूरणसिंह/छोटूराम	,,
174.	पूरणसिंहराजेरिया/नारायणलाल	,,
175.	इन्द्रसिंह/मोहनसिंह	,,
176.	प्रेमासिंह/मोतीला	,,

परिशिष्ट – 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 895 का विवरण)

प्रपत्र अ

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापित स्थान	प्रतिनियुक्ति स्थान	प्रतिनियुक्ति करने वाले अधिकारी	समय
1.	श्री महावीर सिंह मीणा कनिष्ठ लिपिक	चूरू	खण्ड सरदार शहर	अधीक्षण अभियन्ता	2 वर्ष
2.	श्री भागीरथ सहारण स्टोर मुंशी	चूरू	खण्ड सरदार शहर	,, ,,	डेढ़ वर्ष
3.	श्री यज्ञ दत्तशर्मा पम्प चालक द्वितीय	चूरू	खण्ड सरदार शहर	,, ,,	डेढ़ वर्ष

प्रपत्र ब

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का विवरण

क्र.सं.	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सं. व दिनांक	योजना का नाम	तहसील	राशि (लाखों में)
(1)	निम्न योजनाओं में ओल्ड स्ट्रक्चर का रेजवेशन हेतु :-			
1.	1946/30.9.98	धांधू	चूरू	1.89 लाख
2.	1947/30.9.98	श्योपुरा	,,	0.34 ,,
3.	1948/30.9.98	महरावणसर	,,	0.53 ,,
4.	1949/30.9.98	कडावासर, भामासी लालासर	,,	1.22 ,,
5.	1950/30.9.98	ढाणी डूगरसिंह पूरा	,,	0.59 ,,
6.	1951/30.9.98	खण्डवा पटटा चूरू	,,	0.69 ,,
7.	1952/30.9.98	मेघसर	,,	0.96 ,,
8.	1953/30.9.98	मुनीमजी की ढाणी	,,	0.90 ,,
9.	1954/30.9.98	देपालसर	,,	0.63 ,,
10.	1955/30.9.98	गिनड़ी पटा लोहसणा	,,	0.65 ,,
11.	1956/30.9.98	रोबिया	,,	1.22 ,,
12.	1957/30.9.98	बालरासर लंवरान	,,	0.11 ,,
13.	1958/30.9.98	ढाणी लालसिंह पुरा	,,	0.49 ,,
14.	1959/30.9.98	हुगतपुरा	,,	0.63 ,,
15.	1960/30.9.98	सुरतपुरा	,,	0.61 ,,
16.	1961/30.9.98	रामसरा	,,	1.01 ,,
17.	1962/30.9.98	मोलीसर	,,	0.97 ,,
18.	1963/30.9.98	जुहारपुरा	,,	0.61 ,,
19.	1964/30.9.98	ऊंटवालियां	,,	1.22 ,,

प्रपत्र "स"

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	कब से रिक्त है	विशेष विवरण
(1)	<u>मुख्य अभियन्ता पी.एम.सी. चूरू</u>			
	(1) अधिक्षण अभियन्ता	1	3/2000	
	(2) अधिशाषी अभियन्ता	4	6/99 से पूर्व	
	(3) सहायक अभियन्ता	1	8/99	
	(4) कनिष्ठ अभियन्ता	6-2=4	4/99 मु.अ.(ग्रा.) के आदेश दिनांक 17.4.2000 एवं 10.4.2000 द्वारा दो क.अभि. के पदस्थापन आदेश किये गये है, जिनके उप. की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।	
(2)	<u>वृत चूरू</u>			
	(1) अधिशाषी अभियन्ता	1	12/99	
	(2) सहायक अभियन्ता	3	8/99	

चूरू में तकनीकी अधिकारियों/नियमित कर्मचारियों के रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	खण्ड/उपखण्ड		कब से रिक्त है
1	2	3	4		5
1.	फोरमेन	4	(1) उप खण्ड सुजानगढ़	एक पद	4/85
			(2) उप खण्ड सुजानगढ़	एक पद	2/95
			(3) उप खण्ड रतननगढ़	एक पद	6/98
			(4) नगर उपखण्ड चूरू	एक पद	10/97
2.	पम्प चालक प्रथम	5	(1) उप खण्ड सरदारशहर	एक पद	10/99
			(2) उप खण्ड सुजानगढ़	एक पद	8/95
			(3) उप खण्ड सुजानगढ़	एक पद	7/96
			(4) उप खण्ड सुजानगढ़	एक पद	12/97
			(5) उप खण्ड चूरू	एक पद	4/99
3.	फीटर प्रथम	1	(1) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/98
4.	फीटर द्वितीय	1	(1) उप खण्ड सरदारशहर	एक पद	2/99
5.	मीटर निरीक्षक	1	(1) सुजानगढ	एक पद	3/2000
6.	मीटर पाठक	7	(1) उपखण्ड सरदार शहर	एक पद	4/96
			(2) उप खण्ड सुजानगढ़	एक पद	4/92

1	2	3	4	5
			(3) उप खण्ड सुजानगढ़ एक पद	4/95
			(4) उप खण्ड सुजानगढ़ एक पद	4/95
			(5) उप खण्ड चूरू एक पद	8/97
			(6) उप खण्ड सादुलपुर एक पद	7/92
			(7) उप खण्ड सादुलपुर एक पद	7/92
7.	विधुतकार	1	(1) उप खण्ड सादुलपुर एक पद	7/81
8.	मिस्त्री	1	(1) उपखण्ड सरदार शहर एक पद	4/99
9.	मेशन	1	(1) उप खण्ड चूरू एक पद	10/99
10.	लाइन मेन	1	(1) उप खण्ड चूरू एक पद	6/97
11.	की-मेन	1	(1) उप खण्ड सादुलपुर एक पद	7/81
12.	ट्रेसर	1	(1) खण्ड तारानगर एक पद	5/82
13.	वाहन चालक	1	(1) खण्ड चूरू एक पद	3/2000
14.	पम्प चालक द्वितीय	16	(1) उप खण्ड सरदार शहर एक पद	8/99
			(2) उप खण्ड सरदार शहर एक पद	8/99
			(3) उप खण्ड डूंगरगढ एक पद	8/99
			(4) उप खण्ड डूंगरगढ एक पद	8/99

1	2	3	4		5
			(5) उप खण्ड डूंगरगढ	एक पद	8/99
			(6) उप खण्ड चूरू	एक पद	2/98
			(7) उप खण्ड चूरू	एक पद	4/99
			(8) उप खण्ड चूरू	एक पद	8/99
			(9) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(10) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(11) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(12) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(13) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(14) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(15) उप खण्ड सादुलपुर	एक पद	7/92
			(16) उप खण्ड तारानगर	एक पद	4/2000

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 897 का विवरण)

योजना पर अब तक कराये गये कार्य व शेष रहे कार्यों का विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	किये गये कार्य का विवरण	शेष कार्य का विवरण
1.	दो नलकूप वेधन	एक नलकूप का कार्य पूर्ण	एक नलकूप
2.	दो नलकूपों पर विद्युत कनेक्शन।	एक खुदे हुए नलकूप पर पावर कनेक्शन पूर्ण	एक नलकूप पर
3.	मोटर पम्प सैट तीन नं.	एक नलकूप के लिए पूर्ण	दो पम्प मोटर सैट
4.	2000 मीटर राइजिंग मैन पाइप लाइन/ पीएसपी व सी.डब्ल्यू.टी.	1850 मीटर पाइप लाइन/ पीएसपी कार्य पूर्ण	लगभग 150 मीटर पाइप व 3 सी. डब्ल्यू. टी.
5.	आर सी सी, जी एल आर भूतलीय जलाशय 2 नं.	---	दो जी.एल.आर.
6.	दो स्विच बोर्ड रूम का निर्माण	---	दो स्विच बोर्ड रूम का निर्माण
7.	टूल्स एवं प्लांट	---	टूल्स एवं प्लांट

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 901 की सूची)

परिशिष्ट-अ

खण्ड उत्तर के अधीन पेयजल योजनाओं की सूची

क्र.सं.	योजना का नाम	कुल		लाभान्वित		अलाभान्वित	
		ग्राम	ढाणियां	ग्राम	ढाणियां	ग्राम	ढाणियां
1.	क्षे.ज.प्र.योजना कानासर जियानियों की ढाणी	7	22	7	22	-	-
2.	क्षे.ज.प्र.योजना जोगासर सरली	35	147	35	147	-	-
3.	क्षे.ज.प्र.योजना भीयारू मायलों की ढाणी	28	63	28	61	-	2
4.	क्षे.ज.प्र.योजना उन्डु पानावडा साईयों की ढाणी	32	68	32	61	-	7
5.	क्षे.ज.प्र.योजना सवाऊ पदमसिंह कुकणों की ढाणी	11	7	11	7	-	-
6.	क्षे.ज.प्र.योजना पाटालीनाडी धाराणीय की ढाणी	3	4	3	4	-	-
7.	क्षे.ज.प्र.योजना बेरी-नाडी चारनेट	3	5	3	5	-	-
8.	क्षे.ज.प्र.योजना भीयाराग की ढाणी गूढणों की ढाणी	2	5	2	5	-	-
9.	क्षे.ज.प्र.योजना प्रहलादपुरा मेगवालो की ढाणी	1	4	1	4	-	-
10.	क्षे.ज.प्र.योजना नागडदा (नीमला नाडा)	5	20	5	10	-	10
11.	क्षे.ज.प्र.योजना शिवकर कुरला	3	30	3	30	-	-
12.	क्षे.ज.प्र.योजना भिमडा दुर्गानियों का तला	19	69	19	65	-	4

परिशिष्ट - 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 902 की सूची)

परिशिष्ट - अ

डिवीजनवार विचाराधीन योजनाओं का विवरण

क्र.सं.	जिला	खण्ड का नाम	योजनाओं की संख्या	प्रस्तावित कवरेज गांव	प्रस्तावित कवरेज ढाणी
1.	बाड़मेर	नगर खण्ड	2	-	5
		जिला खण्ड उत्तर	2	2	10
		जिला खण्ड दक्षिण	20	1	156
		राइजेप	18	13	158
		बालोतरा	7	1	35
2.	जैसलमेर	नगर खण्ड	5	-	8
		जिला खण्ड	3	-	14
		पोकरण	0	-	0
3.	बीकानेर	जिला खण्ड प्रथम व द्वितीय	26	36	8

परिशिष्ट - 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 903 की पत्र की प्रति)

ए.के.सक्सैना,
अधीक्षण खनि. अभियन्ता

अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक अखअ/
कोटा वृत्त/सीसी-III/प (436)
राजस्थान-सरकार
कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता
कोटा वृत्त कोटा
दिनांक 3.3.2000

विषय : स्थगन आदेश नहीं होने पर एवं बकाया के मामलों में लीगल पालना नहीं करने के कारण खनन पट्टे खण्डित हेतु अनुमोदन बाबत।

प्रिय श्री गुप्ता,

विषयान्तर्गत आपका अर्द्ध शासकीय पत्र सं.खअ/बून्दी-I/मांग/1503 दिनांक 16.12.99 प्राप्त हुआ जिसमें खननपट्टों को खण्डित करने का अनुमोदन चाहा गया है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 13.12.99 को माननीय खनिज मंत्री श्रीमान् हीरालाल जी इन्दौर साहब द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि अन्य आदेश तक खननपट्टों को खण्डित नहीं किया जावे क्योंकि विभाग द्वारा पट्टा दिया गया है व खननपट्टा धारियों को उक्त क्षेत्र में अवैध रुप से काबिज, कब्जाधारियों द्वारा पट्टाधारियों को खनन कार्य नहीं करने दिया जा रहा है उन्होंने कब्जा हटाये जाने के भी निर्देश दिये हैं ताकि खननपट्टा धारी को क्षेत्र पर काबिज करा कर वह खनन कार्य करने में समर्थ हो सके व राजस्व प्राप्त हो सके।

अत: आप को निर्देशित किया जाता है कि अवैध कब्जाधारियों को कब्जा हटाने के सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही करें। साथ ही इस कार्यालय को भी अवगत करावें।

धन्यवाद,

भवदीय,

(ए.के.सक्सैना)

श्री के.जी.गुप्ता,
खनि अभियन्ता,
बून्दी-प्रथम

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-904 का सूचना विवरण)

क्र.सं.	पट्टाधारी का नाम	खनिज	अवधि	तहसील/ग्राम खसरा नम्बर	कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर भूमि की किस्म	दस वर्ष पूर्व भूमि की किस्म	भूमि खातेदार को कैसे प्राप्त हुई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री रामस्वरूप मीणा	मार्बल	11.11.97 से 20 वर्ष	थानागाजी कलसी काला गुवाडा (झिरी) 1073,1076, 1077	बरानी सोयम	बरानी सोयम	दि.7.4.96 को क्रय द्वारा प्राप्त हुई।	ये तीनों नं. अब जर्ये इंतकाल नं 577 दिनांक 31.8.99. से श्री कालू मीणा के नाम बय से दर्ज है।
2.	श्री रामोतार शर्मा	मार्बल	7.3.98 से 20 वर्ष	थानागाजी समरा 1702,1709	बरानी सोयम	बंजड	आवंटन दि. 12.4.93 से श्री गंगाधर एवं श्री कजोड मीणा के नाम गैर खातेदार दर्ज है।	श्री रामोतार के नाम भूमि नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	श्रीमति चन्द्रा देवी	मार्बल	22.10.99 से 20 वर्ष	थानागाजी समरा 1585,1587	बारानी सोयम	बारानी सोयम	जर्ये बयनामा श्री उमराव एवं विरासत से सरदारा वगैरह के नाम खातेदार दर्ज है।	श्रीमति चन्द्रादेवी के नाम दर्ज नहीं है।
4.	श्री रविन्द्र शर्मा	मार्बल	14.10.99 से 20 वर्ष	थानागाजी झिराप्र 1100 से1105	बारानी प्रथम	बारानी प्रथम	उक्त भूमि श्री लक्ष्मी नारायण, रामचंद्र वगैरह के नाम कदीमी खातेदारी में दर्ज है।	श्री रविन्द्र शर्मा के नाम दर्ज नहीं है।
5.	श्री भागीरथ मीणा	मार्बल	30.9.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, पालपुर 354	बारानी तृतीय	बरानी तृतीय	बयनामा दिनांक 30.6.95. एवं 31.7.95 से प्राप्त हुई।	-
6.	श्री महादेवप्रसाद मीणा	मार्बल	30.9.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, पालपुर 302	बरानी सोयम	बंजड	आवंटन द्वारा दि. 13.7.95 से प्राप्त	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	श्री विजय कुमार मीणा	मार्बल	28.10.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, पालपुर 299, 301	बारानी तृतीय	बारानी तृतीय	जर्ये बयनामा दि. 24.10.96से आई	-
8.	श्री बाबूलाल मल्लाना	मार्बल	28.10.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, पालपुर, खोह 325, 326, 327, 328	बारानी तृतीय तृतीय	बारानी 22.2.97 से आई	जर्ये बयनामा दि.	उक्त भूमि श्री बाबूलाल के नाम 1/2 दर्ज है शेष अन्य के नाम है।
9.	श्री द्वारकाप्रसाद मीणा	मार्बल	31.12.98 से 20 वर्ष	राजगढ़, पालपुर, खोह 296, 297	बारानी तृतीय	बारानी तृतीय	जर्ये बयनामा दि. 9.1.97 से आई	-
10.	श्रीमति विनीता सारवगी	मार्बल	6.10.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, दद्पुरी 1	चाही दोयम	बंजड	बयनामा दि.25.2.97 एवं 4.7.97 प्राप्त	-
11.	श्रीमति विनीता सारवगी	मार्बल	6.10.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, दद्पुरी				
				ख.नं.1	चाही दोयम	बंजड	बदनामा दि.4.7.97 से प्राप्त	ख.नं. 19 में श्रीमति विनीता का 1/4 हिस्सा दर्ज है।
				ख.नं. 11	चाही द्वितीय	चाही द्वितीय		
				ख.नं. 12	बारानी द्वितीय	बारानी द्वितीय		
				ख.नं. 19, 20	चाही द्वितीय	चाही द्वितीय		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	श्री मानसिंह मीणा	मार्बर	16.7.99 से 20 वर्ष	राजगढ़, गोरधन पुरा 1136 मिन	बारानी दोयम	गैरमुमकिन राडा	जर्ये बयनामा दि. 31.3.99 दर्ज हुई	वर्तमान रिकार्ड खं नं.1136 मिन रकबा 1.94 है श्री सामंता जाटव खातेदार के नाम दर्ज है।
13.	श्री पृथ्वीराज मीणा	मार्बल	14.7.99 से 20 वर्ष	राजगढ़, कालवाड 187/395, 189	बारानी दोयम	बारानी दोयम	जर्ये क्रय श्री पृथ्वी राज के नाम दिनांक 9.3.99 से दर्ज है।	-
14.	श्री सैनीमिनरल्स	यलोचार्ट	24.10.97 से 20 वर्ष	राजगढ़, बीघोत 1091	बारानी सोयम	बारानी सोयम	जर्ये बयनामा दि. 6.2.96 के द्वारा प्राप्त हुई।	वर्तमान रिकार्ड में श्री रामकुमार मीणा खातेदार दर्ज है।
15.	श्री बाबूराम मीणा	ब्लेकचार्ट	27.10.99 से 20 वर्ष	रामगढ़, सैथला 167	बारानी दोयम	बारानी दोयम अज पहाड़	उक्त भूमि बंदोबस्त सन् 1954 से पूर्व 9 सहकाश्तकारान के नाम दर्ज चली आ रही है।	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	श्री ताराचंदयादव	ग्रेनाईट	3.1.98 से 20 वर्ष	कोटकासिम, लिसानी 66 का 1/2 79, 80	बारानी दोयम,	बारनी दोयम	जर्ये बयनामा इंतकाल नं. 113 दि.9.6.94 के द्वारा एवं इंतकाल नं. 21 दि. 30.1.97 के द्वारा जर्ये बय	ख.नं. 66 का 1/2 इंतकाल नं 131 दि.7.7.99 से बेचान श्री चौधरी सिंह एवं नूरदीन मेव खाते दार दर्ज है।
17.	श्री श्रीचंद चमार	ग्रेनाईट	7.5.92 से 20 वर्ष	किशनगढ बास तरवाला 431, 432/1	बारानी सोयम	बारानी दोयम	पूर्व से ही खातेदार दर्ज है।	-
18.	श्री जब्बार खां	पत्थर चुनाई	11.6.96 से 20 वर्ष	रामगढ, बाघोड़ी 4/126	बारानी सोयम अज बंजड	बारानी सोयम बंजड	यह भूमि जर्ये बयनामा दि.14.10.69 श्री जब्बार खां एवं मकुल मेव के नाम खातेदारी में आई।	-
19.	श्री आसीन मेव	पत्थर चुनाई	22.9.98 से 20 वर्ष	तिजारा, नीमली, बाघोर 479 मिन	बारानी दोयम	बारानी दोयम अज मुमकिन	आवंटन दिनांक 19.1.83 के द्वारा ईसा मेव के नाम आई।	श्री आसीन के नाम भूमि रिकार्ड में नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	श्री ज्ञानेन्द्र यादव	पत्थर चुनाई	23.11.98 से 20 वर्ष	तिजारा, कलावट 232,234,235	बारानी सोयम	बारानी सोयम	सरदारा, सिमरू वगै. के नाम पश्तैनी, खातेदारी में है। श्री हरि किशन द्वारा 9.5.91 को ख.नं. 232, 235 का 1/2 हिस्सा खरीद किया है।	श्री ज्ञानेन्द्र के नाम इस समय खातेदारी में नहीं है।
21.	श्री रहमत मेव	पत्थर चुनाई	17.9.99 से 20 वर्ष	तिजारा, नीलम 479/2100	बारानी दोयम	बारानी दोयम	जर्ये बयनामा श्रीरहमत के नाम जर्ये इंतकाल नं. 951 दिनांक 23.2.99 का आई है।	

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 905 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

लूट/चोरी/अफीम के प्रथम सूचना क्रमांक: मय नाम थाना

क्र.सं.	अपराध शीर्षक	प्रथम सूचना संख्या	नाम थाना
1	2	3	4
1	लूट	50/99	शिवपुरा
2	,,	58/99	सोजत रोड
3	,,	77/99	,,
4	,,	126/99	मारवाड़ जंक्शन
5	,,	50/99	सिरियारी
6	,,	60/99	,,
7	,,	104/99	,,
8	,,	13/99	बगड़ी
योग		8	
1	चोरी	1/99	शिवपुरा
2	,,	66/99	,,
3	,,	14/99	,,
4	,,	23/99	,,
5	,,	36/99	,,
6	,,	40/99	,,
7	,,	74/99	सोजतरोड़
8	,,	76/99	,,
9	,,	85/99	,,
10	,,	3/99	बगड़ी
11	,,	73/99	,,
12	,,	77/99	,,
13	,,	83/99	,,
14	,,	104/99	,,
15	,,	12/99	खिवाड़ा
16	,,	41/99	,,

1	2	3	4
17	चोरी	46/99	खिवाड़ा
18	,,	49/99	,,
19	,,	77/99	,,
20	,,	82/99	,,
21	,,	80/99	रानी
22	,,	88/99	,,
23	,,	142/99	,,
24	,,	148/99	,,
25	,,	149/99	,,
26	,,	96/99	मारवाड़ जंक्शन
27	,,	149/99	,,
28	,,	142/99	,,
29	,,	201/99	,,
30	,,	5/99	सिरियारी
31	,,	7/99	,,
32	,,	46/99	,,
33	,,	64/99	,,
34	,,	67/99	,,
35	,,	165/99	,,
योग		35	
1	अफीम	118/99	बगड़ी
2	,,	25/99	खिवाड़ा
3	,,	63/99	,,
4	,,	212/99	मारवाड़ जंक्शन
5	,,	28/99	रानी
6	,,	107/99	,,
योग		6	

परिशिष्ट-ब

वर्ष 1999 के पैण्डिंग मुकदमात का विवरण

बरामद माल के मूल्य की थानेवार सूची

क्र.सं.	अभियोग संख्या	नाम थाना	बरामद माल का मूल्य
1.	14/99	शिवपुरा	10,000/-
2.	74/99	सोजतरोड़	3500/-
3.	77/99	बगड़ी	10,000/-
4.	83/99	बगड़ी	8,000/-
5.	41/99	खिवाड़ा	1,500/-
6.	88/99	रानी	2,500/-
7.	142/99	रानी	5,000/-
8.	96/99	मारवाड़ जंक्शन	7,000/-
9.	64/99	सिरियारी	800/-
	कुल बरामद माल का मूल्य		48,300/-

परिशिष्ट ब-1

क्र.सं.	नाम थाना	मुकदमा नं.	लम्बित प्रकरणों की सूची मय कारण पैण्डिंग
1.	रानी	81/99	मुलजिम की गिरफ्तारी शेष है।
2.	रानी	147/99	अनुसंधान जारी है।
3.	रानी	86/99	भगवैया मुलजिमान की तलाश जारी है।
4.	रानी	63/99	एफएसएल की रिपोर्ट आना शेष है।
5.	रानी	66/99	मुलजिमान की पतारसी जारी है।
6.	मारवाड़ जंक्शन	3/99	गवाहान से तफ्तीश करना व एफएसएल से रिपोर्ट आना शेष है।
7.	मारवाड़ जंक्शन	76/99	रिकार्ड प्राप्त करना व मुजिमान से तफ्तीश करना शेष है।
8.	मारवाड़ जंक्शन	182/99	मुलजिम की गिरफ्तारी शेष है।
9.	सिरियारी	162/99	भगवैया व मुलजिम की तलाश जारी है।

परिशिष्ट - 12
(अतारांकित प्रश्न संख्या 908 का विवरण)

परिशिष्ट अ

अंतिम रिपोर्ट कुल 92 अभियोगों का विवरण निम्नांकित है :

क्र.सं	मु.सं.	धारा	थाना	अंतिम निर्णय तिथि	अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	7/18.1.99	3(10)एससी/ एसटी.एक्ट 323 भादस.	बागोडा	26.2.99	13.3.99
2.	5/10.1.99	447,323,436 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	झाब	27.1.99	8.2.99
3.	2/12.1.99	353,332,379 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	करडा	30.4.99	14.5.99
4.	9/29.1.99	147,447,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	करडा	26.2.99	18.3.99
5.	8/9.1.99	341, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	भीनमाल	10.2.99	11.2.99
6.	12/18.1.99	341, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	भीनमाल	5.3.99	15.3.99
7.	6/24.1.99	147, 447, भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	चितलवाना	24.3.99	28.4.99
8.	6/7.1.99	341, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	रानीवाडा	26.2.99	4.3.99
9.	14/22.1.99	,,	,,	31.3.99	5.4.99

1	2	3	4	5	6
10.	5/14.1.99	3(10) एससी/ एसटी.एक्ट.377/ 511 भादस.	भादरा	16.2.99	17.3.99
11.	3/3.1.99	420, 323 भादस. 3(10)एससी/ एसटी. एक्ट	जालौर	30.1.99	26.2.99
12.	13/9.1.99	452,354,336 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	जालौर	23.1.99	30.1.99
13.	32/24.1.99	143, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	जालौर	13.3.99	15.4.99
14.	35/27.1.99	447, भादस.3(5) एससी/एसटी. एक्ट	जालौर	23.2.99	23.3.99
15.	12/24.2.99	365, भादस.3(2) एससी/एसटी.एक्ट	करडा	31.12.99	(ए.पी.) 19.2.2000
16.	24/2.2.99	3(1) (10)एससी/ एसटी.एक्ट	सांचौर	15.4.99	23.4.99
17.	26/14.2.99	458,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	11.3.99	18.3.99
18.	27/14.2.99	341,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	6.4.99	9.4.99
19.	30/17.2.99	436,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	11.3.99	18.3.99
20.	11/8.2.99	341,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	बागरा	12.3.99	30.3.99
21.	59/4.3.99	,,	भीनमाल	25.3.99	25.3.99
22.	63/8.3.99	,,	,,	25.3.99	31.3.99

1	2	3	4	5	6
23.	28/28.3.99	341,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	नोसरा	18.5.99	28.5.99
24.	77/3.4.99	,,	सांचौर	20.4.99	21.4.99
25.	84/16.4.99	,,	आहोर	26.5.99	5.6.99
26.	60/18.4.99	147,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	30.5.99	31.5.99
27.	39/12.4.99	379, 323 भादस. 3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सारवाना	27.5.99	29.5.99
28.	35/6.4.99	341, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	चितलवाना	31.5.99	15.9.99
29.	37/9.4.99	,,	,,	30.5.99	6.7.99
30.	38/11.4.99	447, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	,,	29.6.99	19.4.99
31.	42/17.4.99	384,भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	,,	18.5.99	28.5.99
32.	43/21.4.99	447, 384 भादस.3(10) एससी/एसटी. एक्ट	,,	30.7.99	31.7.99
33.	28/3.4.99	379,भादस.3(1) (10)एससी/एसटी. एक्ट	करडा	30.4.99	12.5.99
34.	48/7.4.99	147,148,149, 448 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	मोदरा	21.5.99	29.5.99
35.	51/13.4.99	341, 323, 452 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	,,	21.5.99	29.5.99

1	2	3	4	5	6
36.	110/2.4.99	3(10)एससी/ एसटी. एक्ट	जालौर	1.5.99	1.6.99
37.	44/5.5.99	420, 120, भादस.3(1)(5) एससी/एसटी.एक्ट	झाब	30.7.99	9.8.99
38.	117/3.5.99	406, 120, भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	भीनमाल	31.5.99	11.8.99
39.	77/29.5.99	353भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	28.6.99	3.6.99
40.	147/3.5.99	447, 427, भादस. 3(10) एससी/एसटी.एक्ट	जालौर	9.7.99	13.7.99
41.	121/11.6.99	452, 354 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट		14.7.99	16.7.99
42.	122/11.6.99	447भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	आहोर	21.7.99	9.8.99
43.	124/15.6.99	,,	,,	18.8.99	(ए.पी.) 21.8.99
44.	70/9.6.99	447भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	मोदरा	26.7.99	6.10.99
45.	185/4.6.99	3(4) (5) एससी/एसटी.एक्ट	जालौर	28.7.99	21.8.99
46.	60/3.7.99	143, 447,323 व भादस.3(1) (10) एससी/ एसटी.एक्ट	झाब	30.7.99	19.8.99
47.	109/11.7.99	376/511 भादस.3(1)(10) एससी/एसटी.एक्ट	रानीवाडा	31.7.99	16.8.99
48.	186/12.8.99	354, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	आहोर	30.9.99	4.10.99

1	2	3	4	5	6
49.	196/19.8.99	3(10) एससी/ एसटी.एक्ट	आहोर	31.8.99	22.9.99
50.	122/13.8.99	147, 341 भादस. 3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	20.9.99	18.9.99
51.	66/14.8.99	447, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	करडा	23.10.99	11.11.99
52.	78/14.8.99	341भादस.3(1) (10)एससी/एसटी. एक्ट	झाब	21.9.99	13.10.99
53.	274/8.8.99	341, 323भादस. 3(1) (10) एससी/ एसटी. एक्ट	जालौर	18.8.99	20.8.99
54.	228/22.9.99	448, 354 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	आहोर	16.10.99	30.10.99
55.	163/4.9.99	332, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	बागरा	23.11.99	30.11.99
56.	164/7.9.99	143, 447 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	,,	30.9.99	14.10.99
57.	136/10.9.99	379भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	25.9.99	28.9.99
58.	138/10.9.99	3(10)एससी/ एसटी.एक्ट	,,	28.9.99	30.9.99
59.	150/28.9.99	406, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	,,	26.9.99	28.10.99
60.	92/17.9.99	447भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	नोसरा	20.10.99	25.10.99

1	2	3	4	5	6
61.	96/18.9.99	143, 447, 379 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	झाब	7.11.99	27.11.99
62.	157/8.9.99	143,447, 379 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	रानीवाडा	9.12.99	16.12.99
63.	173/27.9.99	354, 509 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	रानीवाडा	12.10.99	29.10.99
64.	315/29.9.99	143, 448 भादस.3एससी/ एसटी.एक्ट	जालौर	22.10.99	28.10.99
65.	165/14.10.99	,,	मोदरा	19.11.99	20.11.99
66.	189/6.10.99	323भादस.3(1) (10)एससी/एसटी. एक्ट	बागरा	30.10.99	24.11.99
67.	200/29.10.99	341,323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	बागरा	25.11.99	13.12.99
68.	247/12.10.99	3(1)(10)एससी/ एसटी.एक्ट	आहोर	23.10.99	30.10.99
69.	318/4.10.99	447, 323 भादस.3(1)(10) एससी/एसटी.एक्ट	जालौर	16.10.99	29.11.99
70.	320/4.10.99	,,	,,	31.12.99	18.2.2000
71.	321/8.10.99	,,	,,	30.10.99	18.2.2000
72.	326/14.10.99	3(1)(10)एससी/ एसटी.एक्ट	जालौर	11.11.99	20.12.99
73.	328/15.10.99	323भादस.3(1). (10)एससी/एसटी एक्ट	जालौर	30.11.99	20.12.99
74.	167/10.11.99	447भादस.3एससी/ एसटी.एक्ट	सायला	30.12.99	3.1.2000

1	2	3	4	5	6
75.	128/16.11.99	447, 323 भादस.3(5) एससी/एसटी.एक्ट	झाब	31.12.99	29.2.2000
76.	287/4.11.99	341, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	भीनमाल	24.11.99	23.12.99
77.	294/10.11.99	,,	,,	23.11.99	23.12.99
78.	303/15.12.99	,,	आहोर	30.12.99	21.2.2000
79.	226/29.12.99	,,	बागरा	21.1.2000	21.2.2000
80.	387/23.12.99	452, 143, 323 भादस.3(1)(10) एससी/एसटी.एक्ट	जालौर	13.1.2000	19.2.2000
81.	301/13.12.99	427, 504, भादस.3 (10) एससी/एसटी.एक्ट	सांचौर	31.12.99	12.1.2000
82.	3/10.1.2000	3(1)(10)एससी/ एसटी.एक्ट	आहोर	10.2.2000	21.2.2000
83.	1/6.1.2000	447, 379 भादस.3(1)(10) एससी/एसटी.एक्ट	बागरा	11.2.2000	21.2.2000
84.	12/14.1.2000	323भादस.3(1) (10)एससी/एसटी. एक्ट	भीनमाल	5.2.2000	न्यायालय में पेश करना शेष है।
85.	20/20.1.2000	323, 379 भादस.3(1)(10) एससी/एसटी.एक्ट	,,	29.2.2000	पेश करना शेष हैं।
86.	7/20.1.2000	323,भादस.3(1) (10)एससी/एसटी. एक्ट	जसवन्त पुरा	26.2.2000	24.3.2000
87.	12/21.1.2000	341, 323 भादस.3(1)(10) एससी/एसटी.एक्ट	सायला	25.2.2000	29.2.2000

1	2	3	4	5	6
88.	12/9.2.2000	341, 323 भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	नोसरा	18.3.2000	28.5.99
89.	17/17.2.2000	380भादस.3(10) एससी/एसटी.एक्ट	रानीवाडा	1.3.2000	15.3.2000
90.	25/5.2.2000	3(10)एससी/ एसटी.एक्ट	आहोर	1.3.2000	10.3.2000
91.	41/21.2.2000	3(1)(10)एससी/ एसटी.एक्ट	भीनमाल	21.2.2000	पेश करना शेष हैं।
92.	31/2.2.2000	376, 341-34 भादस.3(12)(3) एससी/एसटी.एक्ट	सांचौर	3.3.2000	13.3.2000

अनुसंधानाधीन अभियोगों की अभियोगवार वर्तमान स्थिति

1.	20/26.2.2000	341,323भादस. 3(10)एससी/ एसटी.एक्ट पु.था. सायला	अनुसंधान पुलिस उप.अधीक्षक एससी/ एसटी. जैल,जालौर द्वारा सत्यापित किया जा रहा है।
2.	24/1.2.2000	3(1)(4)एससी/ एसटी.एक्ट पु.था. आहोर	,,
3.	306/19.9.99	447,436भादस. 3(2)(5)एससी/ एसटी.एक्ट पु.था. जालौर	अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जालौर द्वारा सत्यापित किया जा रहा है।

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 909 की सूची)

क्र.सं.	घटना की दि.	घटना का स्थान	अ.सं. नाम थाना धारा मय दिनांक	पुनः गिरफ्तारी की दिनांक एवं	अभि.की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	21.3.99	रामगंज परिसर	अ.सं.74/99 दि.24.3.99/धारा 224भादस. थाना रामगंज	17.4.99	1
2.	8.7.99	थाना बादंरसीन्दरी परिसर।	अ.सं.62/99 दि.8.7.99/धारा 224भादस. थाना बादंरसींदरी परिसर।	9.7.99	1
3.	20.9.99	ग्राम सुरसुरा थाना रूपनगढ	अ.सं.126/99 दि.20.9.99/धारा 224भादस. थाना रूपनगढ	29.9.99	1
4.	16.11.99	सबजेल ब्यावार के बहार का परिसर	अ.सं.512/99 दि.16.11.99/धारा 224भादस. थाना ब्यावर सीटी	अभी अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है।	(1)
जिला-भीलवाडा					
5.	18.1.99	आजादनगर भीलवाडा	अ.सं.26/99 दि.18.1.99.99/धारा 224भादस. थाना प्रतापनगर	19.3.99	1
6.	17.8.99	न्यायालय परिसर	अ.सं.636/99 दि.17.8.99/धारा 224भादस. थाना कोतवाली	27.9.99	1
7.	28.9.99	किशनगढ	अ.सं.244/99 दि.28.9.99/धारा 224भादस. थाना कोटड़ी	19.10.99	1

1	2	3	4	5	6
जिला-नागौर					
8.	29.10.99	बस स्टेण्ड तरनाऊ	अ.सं.125/99 दि.29.10.99/धारा 224भादस. थाना जायल	अभि.अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है चालान 299 जा.फौ	(1)
9.	5.8.99	केदी वार्ड राजकीय अस्पताल नागौर	अ.सं.333/99 दि.5.8.99/धारा 224भादस. थाना नागौर	13.8.99	1
10.	2.11.99	कोर्ट परिसर मकराना	अ.सं.336/99 दि.2.11.99/धारा 224भादस. थाना मकराना	2.11.99	1
जिला-जयपुर शहर(द.)					
11.	4.3.99	थाना सांगानेर परिसर	अ.सं.41/99 दि.4.3.99/धारा 224भादस. थाना सांगानेर सदर	तालाश जारी है	(1)
12.	1.2.99	एस.एम.एस. परिसर जयपुर	अ.सं.20/99 दि.1.2.99/धारा 224भादस. थाना मोती डूंगरी	24.6.99	1
13.	26.5.99	,,	अ.सं.93/99 दि.26.5.99/धारा 224भादस. थाना मोती डूंगरी	27.5.99	1
14.	1.7.99	,,	अ.सं.112/99 दि.1.7.99/धारा 224भादस. थाना मोती डूंगरी	15.7.99	1
15.	29.11.99	,,	अ.सं.227/99 दि.29.11.99/धारा 224भादस. थाना मोती डूंगरी	तलाश जारी है मु. अभी तक नहीं	(1)
16.	8.6.99	थाना सिंधीकैम्प परि.	अ.सं.124/99 दि.8.6.99/धारा 224भादस. थाना सिंधीकैम्प	10.6.99	2

1	2	3	4	5	6
जिला-जयपुर शहर (उ.)					
17.	17.3.99	कलेक्ट्री परिसर	अ.सं.35/99 दि.17.3.99/धारा 224भादस. थाना बनीपार्क	5.4.99	1
जिला-जयपुर ग्रामीण	उक्त अवधि. जिला जयपुर ग्रामीण में कोई अपराध पुलिस हिरासत से भागने के सम्बन्ध में दर्ज नहीं हुआ।				
जिला-दौसा	उक्त अवधि. जिला दौसा में पुलिस हिरासत से भागने के सम्बन्ध में कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ।				
जिला-झुंझुनूं					
18.	21.7.99	रोही मौजारिजानी	अ.सं.154/99 दि.21.7.99/धारा, 147, 332, 353, 224, 225,भादस. थाना झुंझुनूं	22.7.99	1
जिला-टोंक					
19.	8.1.99	रा. अस्पताल टोंक	अ.सं.11/99 दि.8.1.99/धारा 223, 224, 120बी,भादस. थाना कोतवाली	गिरफ्तार नहीं हुआ	(1)
जिला-सीकर					
20.	21.3.99	एस.के.अस्पताल सीकर	अ.सं.119/99 दि.21.3.99/धारा 224 भादस. थाना को. सीकर	15.11.99	1
21.	19.5.99	एसीजेएस न्यायालय फतेहपुर के सामने	अ.सं.75/99 दि.19.5.99/धारा 224 भादस. थाना कोतवाली फतेहपुर	19.5.99	1
22.	12.10.99	न्यायालय परिसर सीकर	अ.सं.420/99 दि.12.10.99/धारा 224 थाना कोतवाली सीकर	12.1099	1

1	2	3	4	5	6
23.	30.6.99	थाना परिसर रघुनाथगढ़	अ.सं.110/99 दि.30.6.99/धारा 224 थाना रघुनाथगढ़	30.6.99	1
जिला-बीकानेर		उक्त अवधि में जिला बीकानेर में पुलिस हिरासत से भागने के सम्बन्ध में कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ।			
जिला-चुरू					
24.	5.2.99	रणधीसर सडक पर	अ.सं.17/99 धारा 224 दि.5.2.99 थाना छापर	नहीं पकड़ा गया	(1)
25.	30.6.99	न्याया. परिसर सरदारशहर	अ.सं.185/99 धारा 224 दि.30.6.99 थाना सरदारशहर	17.7.99	1
26.	28.10.99	बस स्टेण्ड राजगढ़	अ.सं.392/99 धारा 224 दि.30.10.99 थाना राजगढ	तलाश जारी है	(1)
जिला-गंगानगर					
27.	6.1.99	न्याया.परि. गंगानगर	अ.सं.10/99 धारा 224 दि.6.1.99 थाना कोतवाली, गंगानगर	27.4.99	1
28.	15.7.99	न्याया परि.विजयनगर	अ.सं.257/99 धारा 224 दि.15.7.99 थाना विजयगनर	29.9.99	1
29.	11.8.99	थाना परि. अनूपगढ़	अ.सं.395/99 धारा 224 दि.11.8.99 थाना अनूपगढ़	19.8.99	1
30.	24.9.99	,,	अ.सं.486/99 धारा 224 दि.24.9.99 थाना अनूपगढ़	25.9.99	1
जिला-हनुमानगढ़					
31.	17.3.99	अस्पताल, हनुमानगढ़	अ.सं.102/99 धारा 224 दि.17.3.99 थाना हनुमानगढ़ टाउन	नहीं पकड़ा गया	(1)
जिला-जोधपुर शहर					
32.	14.10.99	थाना शास्त्रीनगर	अ.सं.315/99 धारा 224 दि.14.10.99 थाना शास्त्रीनगर	25.12.99	1

1	2	3	4	5	6
33.	25.9.99	मथुरादास माथुरा जोधपुर अस्पताल, जोधपुर।	अ.सं.283/99 धारा 224 दि.25.9.99 थाना शास्त्रीनगर	25.9.99	1
34.	20.11.99	,,	अ.सं.346/99 धारा 224 दि.20.11.99 थाना शास्त्रीनगर	20.11.99	1
<u>जिला-जोधपुर ग्रामीण</u>					
35.	10.5.99	थाना भोपालगढ़	अ.सं.59/99 धारा 224 दि.10.5.99 थाना भोपालगढ़	14.6.99	1
36.	16.6.99	थाना डांगीयावास	अ.सं.60/99 धारा 224 दि.16.6.99 थाना डांगीयावास	19.12.99	1
<u>जिला-जालौर</u>		उक्त अवधि में जिला जालौर में पुलिस हिरासत से भागने के सम्बन्ध में कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है।			
<u>जिला-बाड़मेर</u>		उक्त अवधि में जिला बाड़मेर में पुलिस हिरासत से भागने के सम्बन्ध में कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है।			
<u>जिला-जैसलमेर</u>					
37.	15.2.99	जिला कारागृह के सामने	अ.सं.25/99 धारा 224 दि.15.2.99 थाना जैसलमेर	15.3.99	1
<u>जिला-सिरोही</u>					
38.	7.3.99	पु.था. स्वरूप गंज ऐरिया	अ.सं.30/99 धारा 224 दि.7.3.99 थाना स्वरूपगंज सिरोही	8.3.99 16.4.99	2 1

1	2	3	4	5	6
<u>जिला-पाली</u>					
39.	9.6.99	ग्राम भाम्बोलिया	अ.सं.117/99 धारा 224 दि.9.6.99 थाना सदर, पाली	तालाशी जारी है। 299 जाफौ	(1)
<u>जिला-भरतपुर</u>					
40.	5.3.99	थाना परिसर उद्योगनगर	अ.सं.49/99 धारा 224 दि.5.3.99 थाना उद्योगनगर	9.3.99	1
41.	8.4.99	हवालात थाना मथुरागेट	अ.सं.193/99 धारा 224 दि.8.4.99 थाना मथुरागेट	3.9.99	1
42.	8.4.99	अदालत परिसर, भरतपुर	अ.सं.195/99 धारा 224,225,353भादस. दि.8.4.99 थाना मथुरागेट	8.4.99	1
43.	9.4.99	बैलकम होटल भरतपुर	अ.सं.198/99 धारा 224, 225,379 ,, दि.9.4.99 थाना मथुरागेट	दिल्ली पुलिस मुठभेड़ में मारा गया	1
44.	24.8.99	डीग पुराना बसस्टेण्ड	अ.सं. 456/99 धारा 224भादस. दि.24.8.99 थाना डीग	तलाश मु.जारी है जैर तफतीश है	(1)
45.	16.11.99	हीरादास केन्द्रीय बस स्टेण्ड भरतपुर।	अ.सं. 235/99 धारा 222, 224 ताहि दि.16.11.99 थाना अटलबंद	जैर तफतीश है	(1)
46	25.5.99	भरतपुर जनरल अस्पताल	अ.सं.287/99 धारा 224 ताहि दि.25.5.99 थाना मथुरागेट भरतपुर	26.6.99	1

1	2	3	4	5	6
<u>जिला-अलवर</u>					
47.	27.1.99	सामान्य चिकित्सालय अलवर	अ.सं.53/99 धारा 224 दि.27.1.99 थाना कोतवाली, अलवर	8.2.99	1
48.	5.5.99	,,	अ.सं.237/99 धारा 224 दि.5.5.99 थाना कोतवाली	23.12.99	1
49.	2.8.99	अदालत परि. बानसूर	अ.सं.268/99 धारा 224 दि.2.8.99 थाना बानसूर	3.8.99	1
<u>जिला-करौली</u>					
50.	31.7.99	जनरल अस्पताल करौली	अ.सं.474/99 धारा 224 दि.31.7.99 थाना करौली	13.8.99 को स्वयं नें बम्ब चलाकर मृत्यु कारित करली।	1
<u>जिला-सवाईमाधोपुर</u>					
51.	19.7.99	कोतवाली, सवाईमाधोपुर परि.।	अ.सं.277/99 धारा 224 दि.19.7.99 थाना कोत. सवाईमाधोपुर	8.8.99	1
<u>जिला धौलपुर</u>			जिला धौलपुर में पुलिस हिरासत में कोई अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ है।		
<u>जिला-कोटा नगर</u>					
52.	22.7.99	थाना कुन्हाडी परिसर	अ.सं.207/99 धारा 224 ताहि दि.22.7.99 थाना कुन्हाडी	26.7.99	1

1	2	3	4	5	6
53.	21.1.99	एम.बी.एस.एच. कोटा अस्पताल	अ.सं.33/99 धारा 224 दि.21.1.99 थाना नयापुरा	12.5.991	
54.	27.1.99	,,	अ.सं.48/99 धारा 224 दि.27.1.99 थाना नयापुरा कोटा	24.7.99	1
55.	10.6.99	अदालत परि. कोटा	अ.सं.296/99 धारा 224 ताहि दि.10.6.99 थाना नयापुरा	11.6.99	1
56.	14.9.99	,,	अ.सं.465/99 धारा 224 ताहि दि.14.9.99 थाना नयापुरा	6.3.2000	1
57.	23.10.99	,,	अ.सं.535/99 धारा 224 ,, दि.23.10.99 थाना नयापुरा	25.10.99	1
58.	16.11.99	,,	अ.सं.567/99 धारा 224 ,, दि.16.11.99 थाना नयापुरा	20.11.99	1
59.	9.12.98	न्याया, परि. कोटा	अ.सं.24/99 धारा 224 ,, दि.16.1.99 थाना नयापुरा	27.2.99	1
60.	8.3.99	,,	अ.सं.96/99 धारा 224 ,, दि.8.3.99 थाना नयापुरा	19.3.99	1
61.	14.6.99	,,	अ.सं.308/99 धारा 224 ,, दि.14.6.99 थाना नयापुरा	22.6.99	1
<u>जिला-कोटा ग्रामीण</u>					
62.	26.3.99	न्याया. परिसर रामगंजमंडी	अ.सं.114/99 धारा 224 ,, दि.26.3.99 थाना रामगंजमण्डी	तलाश जारी है	(1)
63.	4.4.99	थाना परि. बुढादीत	अ.सं.42/99 धारा 224 ,, दि.4.4.99 थाना बूढादीत	16.4.99	1
64.	27.7.99	मौजा खेडलीखोरदा आमरोड	अ.सं.275/99 धारा 224 ,, दि.27.7.99 थाना इटावा	29.7.99	1
65.	30.6.99	थाना परि. इटावा	अ.सं.345/99 धारा 224 ,, दि.30.9.99 थाना इटावा	1.10.99	1

1	2	3	4	5	6
<u>जिला-बून्दी</u>					
66.	26.3.99	रामेश्वर महादेव मोड	अ.सं.34/99 धारा 224 ,, दि.20.2.99 थाना.दबलाना	1.3.99	1
67.	20.4.99	आमरोड करवर	अ.सं.405/99 धारा 224 ,, दि.21.8.99 थाना देई	14.9.99	1
68.	4.10.99	थाना परिसर डाबी	अ.सं.184/99 धारा 224 ,, दि.4.10.99 थाना डाबी	तलाश जारी है 299 जाफौ	(1)
69.	6.4.99	न्याया. परिसर बून्दी	अ.सं.198/99 धारा 224 ,, दि.6.4.99 थाना कोतवाली बून्दी	7.4.99	1
70.	22.5.99	,,	अ.सं.287/99 धारा 224 ,, दि.22.5.99 थाना ,,	23.5.99	1
<u>जिला-झालावाड</u>					
71.	16.1.99	थाना परिसर मनोहर थाना	अ.सं.12/99 धारा 224 ,, 143, 353, 448, 225भादस. दि.16.1.99 थाना मनोहर	12.2.99	1
72.	8.8.99	कस्बा अकलेरा	अ.सं.283/99 धारा 224 ,, दि.8.8.99 थाना अकलेरा	17.8.99	1
73.	25.8.99	थाना परिसर कोत. झालावाड़	अ.सं.352/99 धारा 224 ,, दि.25.8.99 थाना कोतवाली, झाला.	25.8.99	1
<u>जिला-बारां</u>					
74.	10.6.99	बस स्टेण्ड मोजा पछाड़	अ.सं.228/99 धारा 224 ,, दि.11.6.99 थाना छीपाबड़ौद	तलाश मुजिम जारी है 299 जाफौ	1
75.	24.9.99	न्याया.परिसर छीपा बड़ौद	अ.सं.361/24.9.99 धारा 224 ताहि थाना छीपाबड़ौद	तलाश जारी है	(1)

1	2	3	4	5	6
जिला-उदयपुर					
76.	2.4.99	न्याया.परिसर उदयपुर	अ.सं.86/2.4.99 धारा 224 ताहि थाना भूपालपुरा	मुल.गिरफ्तार चालान 24.6.99	1
77.	25.5.99	,,	अ.सं.137/25.5.99 धारा 224 ,, थाना भूपालपुरा	मुल.गिरफ्तार चालान 29.6.99	(1)
जिला-चित्तौड़गढ					
78.	30.9.99	न्याया.परिसर बेगूं	अ.सं.519/99 धारा 224 ताहि दि.22.4.99 थाना बेगूं	12.11.99	1
79.	15.11.99	कस्बा छोटी सादड़ी	अ.सं.384/99 धारा 224 ,, दि.15.11.99 थाना छोटी सादड़ी	तलाश जारी है।	1
80.	6.6.99	अस्पताल चित्तौड़गढ	अ.सं.450/99 धारा 224 ,, दि.6.6.99 थाना चित्तौड़गढ	7.6.99	1
81.	22.12.99	कस्बा निम्बाहेडा बसस्टेण्ड	अ.सं.644/99 धारा 224 ,, दि.22.12.99 थाना निम्बाहेडा	23.12.99	1
82.	5.10.99	होस्पीटल चित्तौड़गढ	अ.सं.714/5.10.99 धारा 223, 224 ताहि थाना चित्तौड़गढ	5.10.99	1
जिला-बांसवाड़ा		जिला बांसवाड़ा में उक्त अवधि में पुलिस अभिरक्षा में सम्बन्धी कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है।			
जिला-राजसमंद					
83.	19.3.99	रेलमगरा	अ.सं.96/19.3.99 धारा 224 ताहि थाना रेलमगरा	16.4.99	1

1	2	3	4	5	6
<u>जी.आर.पी. अजमेर</u>					
84.	24.1.99	चलती ट्रेन 931अप रेल्वे स्टेशन भीनमाल पास	अ.सं.3/99 धारा 224 भादस. दि.24.1.99 थाना जी.आर.पी. उदयपुर	तलाश जारी है जाफौ. 299	(1)
85.	16.12.99	चलती ट्रेन 8 टाउन रिंगसपुरा के पास	अ.सं.13/99 धारा 224 दि.20.2.99 थाना जी.आर.पी बांदीकुई।	20.5.99	2
86.	17.6.99	चलती ट्रेन अवध एक्स. रे.स्टे. स.माधोपुर	अ.सं.40/99 धारा 224, 353, 352, दि.20.6.99 थाना जी.आर.पी. स.माधोपुर।	23.6.99	1
87.	20.9.99	जी.आर.पी. थाना गंगापुर सिटी हवालात	अ.सं.77/99 दि. 20.9.99 धारा 226,224,332,353, 120बी, 3पीडीपी एक्ट जी.आर.पी. गंगापुर सिटी।	29.9.99 तलाश जारी है	2 (1)
88.	12.10.99	चलती ट्रेन मीनाक्षी एक्स. 9769 अप मदार व अजमेर के बीच।	अ.सं.186/99 दि.12.10.99 धारा 224थाना जी.आर.पी. अजमेर।	तलाश जारी है	(1)

1	2	3	4	5	6
89.	12.10.99	रेल्वे स्टेशन यार्ड में	अ.सं.19/99 दि.12.10.99 धारा 224 थाना जी.आर.पी. उदयपुर।	14.10.99	1
90.	18.11.99	चलती ट्रेन दिल्ली अहमदाबाद गोसुन्डा व पाडाली के बीच।	अ.सं.23/99 दि.18.11.99 धारा 309, 224 थाना जी.आर.पी. उदयपुर।	5.1.2000	1
91.	16.11.99	चलती ट्रेन मरूधर रे.स्टे. सांभरलेक	अ.सं.51/99 दि.16.11.99 धारा 224 थाना जी.आर.पी फुलेरा	तलाश जारी है	(1)
92.	6.12.99	चलीती ट्रेन 128 डाउन नसीराबाद अजमेर शटल	अ.सं.215/99 दि.6.12.99 धारां 224, 394,307,506,332, 353120बी,3/25आर्म्सएक्ट थाना जी.आर.पी. अजमेर।	तलाश जारी है	(3)
93.	24.11.99	कावट रे.स्टे. के पास चलती ट्रेन	अ.सं.202/99 दि.24.11.99 धारा 224 थाना थोई में ईलाका गैर में एफआर.दी जाकर आभि.सं.1/2000 दि. 7.1.2000 को पुनः मुकदमा थाना नीमकाथाना में दर्ज हो अनुसंधान जारी है।	तलाश जारी है	(1)
जी.आर.पी. जोधपुर					
94.	2.1.99	चलती ट्रेन 479अप स्टेशन रतनगढ़	अ.सं.1/99 दि.2.1.99 धारा 224 थाना जी.आर.पी. रतनगढ़	तलाश जारी है	(1)
95.	6.5.99	स्टेशन नोंहर	अ.सं.15/99 दि.7.5.99 धारा 224 थाना जी.आर.पी. सादलपुर	तलाश जारी है	(1)
96.	29.5.99	स्टेशन सुरतगढ़	अ.सं.47/99 दि.11.6.99 धारा 224 थाना जी.आर.पी. हनुमानगढ़	तलाश जारी है	(1)
97.	21.7.99	चलती ट्रेन अहमदाबाद जोधपुर भगत की कोठी जोधपुर के बीच	अ.सं.107/99 दि.21.7.99 धारा 224 थाना जी.आर.पी. जोधपुर	27.7.99	1

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 912 की सूची)

परिशिष्ट-अ

जिला नागौर में 1 जनवरी, 1999 से 31 मार्च, 2000 तक सड़क दुर्घटनाओं एवं अन्य दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों की सूची

1. श्री गिरधारी पुत्र गोपीराम जाट उम्र 30 वर्ष नि. सिलनवाड
2. श्री पिन्टू पुत्र टीकमचंद जाति हरिजन उम्र 40 वर्ष नि. डेह
3. श्री राजूराम पुत्र नथूराम जाति हरिजन उम्र 25 वर्ष नि. जायल
4. श्रीमती गीताकंवर पत्नी हनुमानसिंह रापी रावणा राजपूत उम्र 45 वर्ष नि. गोटन
5. श्री हरीराम जाति ब्राह्मण उम्र 42 साल नि. भावता
6. श्री भूराराम पुत्र लादूराम उम्र 45 वर्ष जाति कुम्हार नि. सोमना
7. श्री किसनाराम पुत्र मोतीराम जाट उम्र 60 वर्ष नि. रोल
8. श्री घनश्याम पुत्र भागीरथराम जाट उम्र 35 वर्ष नि. रोल
9. श्री अकबर हाजी पुत्र अब्दुल जाति व्यांपारी उम्र 52 वर्ष नि. नागौर
10. श्री पृथ्वीसिंह पुत्र अजीतसिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष नि. नेतड़िया
11. श्रीमती रहीसा उर्फ मेकड़ी पत्नी ईशाक जाति लुहार उम्र 33 वर्ष नि. गवारडी
12. श्री श्रवणराम पुत्र रेशमाराम जाति भांड उम्र 26 साल नि. मेड़ताशहर
13. श्री कैलाश पुत्र हुक्माराम जाट नि. नोखा चांदावता
14. श्री बाबूलाल पुत्र जसवंत जाति कुमावत उम्र 7 वर्ष नि. थांवला
15. श्री अयूब खां देसवाली नि. हरसोर
16. श्री श्यामसुन्दर पुत्र घीसूलाल जाति खाती उम्र 8 वर्ष नि. थांवला
17. श्री कालूराम पुत्र देबूराम जाति तेली उम्र 35 वर्ष नि. कुचेरा
18. श्री हरीराम पुत्र मगाराम जाति तेली उम्र 50 वर्ष नि. कुचेरा
19. श्री पप्पू उर्फ माथुराम पुत्र रामनाथ जाति जाट उम्र 20 वर्ष नि. बोड़वा
20. श्रीमती गोगली उर्फ मैना पत्नी नाथूराम जाति सांसी उम्र 40 वर्ष नि. कुचेरा
21. श्रीमती रामकंवरी पत्नी नाथूराम जाति सांसी उम्र 40 वर्ष नि. रेण
22. कुमारी लक्ष्मी पुत्री नाथूराम जाति सांसी उम्र 10 वर्ष नि. कुचेरा
23. श्री भूराराम पुत्र दुर्गाराम जाट उम्र 40 वर्ष नि. अड़वड
24. श्री हड़मान बावरी उम्र 38 साल नि. रूण
25. श्री गंगाराम पुत्र हमीराराम उम्र 50 वर्ष जाति गुर्जर नि. हरसोलाव
26. श्री मीठू उर्फ मुन्नालाल पुत्र जावाराम मेघवाल नि. सोधावास

27. श्री छीतरराम पुत्र सुण्डाराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष नि. रली यावता
28. श्री लालचन्द पुत्र गणपतराम जाति सारण उम्र 18 साल नि. आन्तरोली खुर्द
29. श्री हेमाराम पुत्र नरसाराम जाट उम्र 70 वर्ष नि. बामणा
30. श्री पुनाराम पुत्र बुगाराम जाति नायक उम्र 30 वर्ष नि. बीदासर जिला चूरू
31. श्री पप्पूराम पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल उम्र 28 वर्ष नि. जालसू नानक
32. टोणुराम पुत्र मांगीलाल जाति सांसी उम्र 22 साल नि. भारली
33. श्री अर्जुनराम पुत्र पुनाराम जाति मेघवाल उम्र 48 वर्ष नि. माणकपुर
34. श्री जीतुराम पुत्र गरीबाराम जाति हरिजन उम्र 7 साल नि. अठियासन
35. श्री जुगराज पुत्र रतनसिंह जाति गंवारिया उम्र 30 वर्ष नि. नकाश गेट नागौर
36. श्री कृपाराम पुत्र कुनाराम जाति माली उम्र 50 वर्ष नि. ताउसर
37. श्री रूपाराम पुत्र नेनुराम जाति मेघवाल उम्र 40 वर्ष नि. कृष्णपुरा
38. श्री हबीब पुत्र फकरुदीन मुसलमान उम्र 30 वर्ष नि. कुम्हारी
39. श्री पाबुराम पुत्र नाथाराम हरिजन उम्र 60 वर्ष नि. ददवाड़ा
40. श्री भीमाराम पुत्र मोहनराम हरिजन उम्र 35 वर्ष नि. बासनी
41. श्री दुर्गाराम पुत्र बींजाराम जाट उम्र 55 वर्ष नि. खड़खाली
42. श्री भंवरलाल पुत्र सदासुख विश्नोई उम्र 30 वर्ष नि. अणसीसर
43. श्री बाबु खां पुत्र समसुदीन मुसलमान उम्र 30 वर्ष नि. धारणावास
44. श्री गुलाम रब्बानी पुत्र खलील अहमद मुसलमान उम्र 35 वर्ष नि. कुमारी
45. श्री भीरमल जाति जाट उम्र 40 वर्ष नि. ताडावास
46. श्री सोजनराम पुत्र देराजराम जाट उम्र 35 वर्ष नि. आंकला
47. श्री रोशनअली मुसलमान उम्र 25 वर्ष नि. बीकानेर
48. श्री पुनागिरी पुत्र रतनगिरी जाति स्वामी उम्र 40 वर्ष नि. गुंड़िया
49. श्री माधवपुरी पुत्र भागीरथपुरी स्वामी उम्र 38 वर्ष नि. मुण्डी
50. श्री अ. गफ्फार पुत्र हाजी मो. मुसलमान उम्र 25वर्ष नि. कुम्हारी
51. श्री श्रवणराम पुत्र लिखमणराम स्वामी नि. खींवसर
52. श्री सुनील जाति ब्राह्मण नि. जोधपुर
53. श्री रतनाराम पुत्र देवाराम मेघवाल नि. करणी की ढाणी
54. श्री मूलसिंह जाति राजपूत नि. उबासी
55. श्री सागीर मो. पुत्र मो. सुभान मुसलमान नि. डीडवाना
56. श्री सत्यनारायण जाति खाती नि. रणसीसर
57. श्री हीरालाल जाति माली नि. अड़कावांरा डीडवाना

58. श्री ओमप्रकाश पुत्र जाति मेघवाल नि. झलालड़
59. श्री सलीम मो. पुत्र बसीर खां मुसलमान नि. खिंचियावास डीडवाना
60. श्रीमती ज्यानी पत्नी भागीरथ ब्राह्मण नि. सिंवड़
61. श्रीमती विमलादेवी पत्नी गणेशाराम खाती नि. बादुसर (सीकर)
62. श्रीमती शकुन्तला पत्नी राजेन्द्र खाती उम्र 30 वर्ष नि. बादुसर (सीकर)
63. श्रीमती मगनीदेवी पत्नी धन्नाराम जाट नि. मौलासर
64. श्री हनुमानराम पुत्र जोराराम जाट उम्र 22 वर्ष नि. बगरवालिया
65. श्री राकेश पुत्र सारायणराम उम्र 6 वर्ष नि. मकराना
66. श्री सहबुदीन पुत्र रहमान शाह मुसलमान उम्र 27 वर्ष नि. निगोद
67. श्री मनोहर सिंह पुत्र पाबूदानसिंह राजपुत उम्र 12 वर्ष नि. मकराना
68. श्रीमती सुनयना पुत्री मनोजकुमार जाति सोनी उम्र 6 वर्ष नि. बोरावड़
69. श्री बोदुराम पुत्र रामुराम जाट उम्र 12 वर्ष नि. बुडसु
70. श्री सुरेश पुत्र रतनलाल बावरी नि. पीलवा
71. श्रीमती भगवती देवी पुत्र भीवराज जाति सोनी नि. बाजोली
72. श्री महेशकुमार पुत्र रामचन्द्र माली नि. मकराना
73. श्री बीछुराम पुत्र धुंकलराम गुर्जर नि. औलाडूंगरी
74. श्री तेजप्रकाश पुत्र ब्रजमोहन नाई उम्र 22 वर्ष नि. मकराना
75. श्री गंगासिंह पुत्र भीमसिंह राजपूत उम्र 62 वर्ष नि. गंगलाना
76. श्री सुरेश पुत्र नारायणलाल नायक उम्र 30 वर्ष नि. मालारा
77. श्रीमती अज्योध्या पत्नी गोरधनसिंह दरोगा उम्र 70 वर्ष नि. परबतसर
78. श्री गोविन्दराम पुत्र भीखाराम उम्र 10 वर्ष नि. अलतबा
79. श्रीमती गोमति पत्नी इन्द्राराम मेघवाल उम्र 50 वर्ष नि. डोखली
80. श्री अमरचन्द पुत्र सरगरा उम्र 20 वर्ष नि. बोरावड़
81. श्री कमल पुत्र रामप्रसाद जाति कुमावत उम्र 35 वर्ष नि. नांवाशहर
82. श्री गोपालराम पुत्र जोधाराम कुमावत नि. लुणवा
83. श्री दुर्गाराम पुत्र पेथाराम उम्र 21 वर्ष मेघवाल नि. पानोदी
84. श्रीमती कमला पत्नी गणेशाराम उम्र 30 वर्ष नि. मालारा
85. श्रीमती छोटीदेवी पत्नी कानाराम गुर्जर उम्र 60 वर्ष नि. मालारा
86. श्री सुरजकरण पुत्र भंवरलाल गुर्जर नि. सिगोदिया
87. श्री गोगाराम पुत्र बंशीलाल उम्र 12 वर्ष नि. लोहाराणा जाति जाट
88. श्री मोहनराम पुत्र चौथुराम गुर्जर उम्र 53 वर्ष नि. मीठड़ी

89. श्री देवाराम पुत्र बालुराम गुर्जर उम्र 30 वर्ष नि. नांवाशहर
90. श्री रामुराम पुत्र भीखाराम मेघवाल उम्र 25 वर्ष नि. मुणी
91. श्री केसाराम पुत्र राजुराम बणवारा नि. नांवाशहर
92. श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र कानसिंह राजपुत उम्र 22 वर्ष नि. रामजीपुरा
93. श्री रामअवतार पुत्र किशन ब्राह्मण उम्र 30 वर्ष नि. श्यामगढ
94. श्री रागेश्वर पुत्र हनुमानसिंह दरोगा उम्र वर्ष 40 नि. हेमा की ढाणी
95. श्री वैधप्रकाश पुत्र प्रहलाद नायक उम्र 25 वर्ष नायको का मौहल्ला कुचामन शहर
96. श्री मांगीलाल पुत्र गणेशाराम जाति कुमावत उम्र 40 वर्ष नि. बांसड़ा
97. श्री विक्रमसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष नि. सुथली
98. श्री राजुराम पुत्र रतनाराम जाट नि. जुसरी उम्र 20 वर्ष
99. श्री रणवीरसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत उम्र 23 वर्ष नि. चितावा
100. श्री गणपतराम पुत्र भागुराम जाट उम्र 50 वर्ष नि. नारोली चांदावता
101. श्री श्रवणराम पुत्र रूपाराम मेघवाल 28 वर्ष नि. सनारा
102. श्री नाथुराम पुत्र गीगाराम खटीक उम्र 56 वर्ष नि. कुचामन
103. श्री वीरसिंह पुत्र बन्नेसिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष नि. रूपपुरा
104. श्री महावीरसिंह पुत्र दौलतसिंह राजपूत उम्र 20 वर्ष नि. कासेड़ा
105. श्री दातारसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत नि. दुजोद उम्र 20 वर्ष
106. श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र जगनाथसिंह राजपूत उम्र 25 वर्ष
107. श्री राधेश्याम पुत्र किस्तुर दर्जी उम्र 45 वर्ष नि. कासेड़ा
108. श्री रामराज पुत्र सुखाराम मेघवाल नि. रोटू
109. श्री हरकाराम पुत्र शिवदानाराम जाट नि. बलाया
110. श्री सोकतअली पुत्र लालखां मुसलमान उम्र 28 वर्ष नि. शेरानीआबाद
111. श्री जहुर मो. पुत्र मुख्तयार जाति मुसलमान उम्र 30 वर्ष नि. शेरानीआबाद
112. श्री सतीश कुमार ब्राह्मण उम्र 49 वर्ष नि. चौखला
113. श्री किशनसिंह पुत्र गोपालसिंह राजपूत 26 वर्ष नि. अलाय
114. श्री बंशीराम पुत्र चन्दाराम नायक 30 वर्ष नि. खींवसर
115. श्री असलाराम पुत्र गोरधनराम कुम्हार उम्र 58 वर्ष नि. रायधनु
116. श्री रतनलाल पुत्र मेवाराम जाट उम्र 32 वर्ष नि. बेणियों का बास दांतारामगढ
117. श्री मूलाराम पुत्र जेसाराम गुर्जर 45 वर्ष नि. गंगासागर
118. श्री फूलचन्द पुत्र रूगनाथ धोबी उम्र 25 वर्ष नि. कुचामनशहर
119. श्री विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत नि. नागवा उम्र 32 वर्ष

120. श्री रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम कुमावत 20 वर्ष नि. नागवा
121. श्री मोहनराम पुत्र जीवनराम जाट नि. पालोट
122. श्री रसूल खां पुत्र सलीम खां कायमखानी नि. निम्बीखुर्द
123. श्री नारायणसिंह पुत्र खंगारसिंह राजपूत उम्र 45 वर्ष नि. खाबियाद
124. श्री मनफूल पुत्र उगमाराम मेघवाल उम्र 7 वर्ष नि. साजूं कलां
125. श्री भंवरलाल पुत्र केसाराम बावरी उम्र 30 वर्ष नि. सागुबड़ी
126. श्री खेमाराम पुत्र छोगाराम जाट उम्र 32 वर्ष नि. कुचीपला
127. श्रीमती शहनाज पत्नी मुन्नाजी मुसलमान 27 वर्ष नि. मुरादाबाद
128. श्री शीयाराम पुत्र कल्लाराम नायक 20 वर्ष नि. मोरेड़
129. श्री हनुमान पुत्र लालाराम गुर्जर 32 वर्ष नि.सिपुरा
130. श्री पांचाराम पुत्र जयराम जाट उम्र 55 वर्ष नि. खानपुर
131. श्री समद्दीन पुत्र मांगूजी मुसलमान उम्र 27 वर्ष नि. जसनगर
132. श्री दुर्गादास पुत्र शंकरदास कायड़ 30 वर्ष नि. रूपायल
133. श्री पूर्णाराम पुत्र भंवरलाल जाट 20 वर्ष नि. ढाणीपुरा
134. श्री इश्हाक पुत्र जमाल मुसलमान 32 वर्ष नि. धनेरिया
135. श्री विजयसिंह पुत्र जीवनसिंह जाट 20 वर्ष नि. विझावास
136. श्रीमती शन्नू पत्नी शंकर सांसी 25 वर्ष नि. कुचेरा
137. श्री हेतराम पुत्र मेघाराम जाट 20 वर्ष राजेड़ नि. चूरू
138. श्री रतनाराम पुत्र घमंडाराम जाट 28 वर्ष नि. कुत्यासनी कलां
139. श्री तिलोकराम पुत्र गोदाराम जाट 27 वर्ष नि. कुत्यासनी कलां
140. श्री ओम भारती पुत्र मदन भारती गुंसाई 25 वर्ष जिला झुंझुनूं

क्र.सं.	नाम पता मरने वाले का

1. श्री डालाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल उम्र 35 साल नि. सिधाना थाना खुनखुना
2. श्री बजरंग लाल पुत्र ज्ञानाराम जाट उम्र 25 साल नि. लालास थाना चितावा
3. श्री नारायण राम पुत्र दूलाराम जाट उम्र 35 साल नि. नेड़ीया थाना परबतसर
4. श्री दौलाराम पुत्र कालूराम मेघवाल उम्र 35 साल नि. खाखली थाना मकराना
5. श्री सोनूप्रकाश पुत्र सत्यप्रकाश उम्र 8 साल नि. नागौर थाना नागौर

क्र.सं.	नाम पता मरने वाले का
6.	श्री परसाराम पुत्र शंकरराम जाट उम्र 25 साल नि. खेड़ी सील थाना गच्छीपुरा
7.	श्री खींयाराम हैल्पर द्वितीय विद्युत विभाग डेगाना उम्र 40 साल थाना डेगाना
8.	श्री शंकरलाल पुत्र मोहनलाल ब्राह्मण उम्र 25 साल नि. भीयाकलां थाना गच्छीपुरा
9.	श्री कुनाराम पुत्र गोरधनराम जाट उम्र 44 साल नि. इग्यार थाना कुचेरा
10.	श्री हरीराम पुत्र सुखाराम उम्र 22 साल नि. अखावास
11.	श्री सोहन पुत्र मंगला उम्र 35 वर्ष नि. अखावास
12.	श्री भूराराम पुत्र रामूराम कुमावत उम्र 35 वर्ष नि. खाडिया
13.	श्री सोनूराम पुत्र कानाराम उम्र 2 वर्ष नि. मारोठ
14.	श्रीमती सुरज्ञानी पत्नी कानाराम मेहरा उम्र 30 साल नि. मारोठ
15.	श्री कासम खां नि. थनासर उम्र 35 साल
16.	श्री कालूराम आचार्य उम्र 28 साल नि. किंतलसर डेगाना
17.	श्री केशाराम पुत्र कानाराम मेघवाल उम्र 44 साल नि. दताऊ
18.	श्री पुखराज पुत्र भूराराम माली उम्र 30 साल नि. डेगाना
19.	श्री जोगेन्द्रसिंह उर्फ महन्त उम्र 27 साल नि. गुरुद्वारा मकराना
20.	श्री सत्यनारायण पुत्र चम्पालाल माली उम्र 25 साल नि. डीडवाना
21.	श्री उमजद खां पुत्र सवाई खां कायमखानी उम्र 30 साल नि. लाडनूं
22.	श्री रामनिवास पुत्र हीराराम जाट उम्र 14 साल नि. पालड़ा की ढाणी मोरेड़
23.	श्री गोपालराम पुत्र चेजाराम जाट उम्र 40 साल नि. कितलसर
24.	श्री अर्जुनसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राजपूत नि. हुडील
25.	श्री मीठू पुत्र मांगूराम मेघवाल उम्र 12 साल नि. नगवाड़ा
26.	श्री तुलसी राम पुत्र भोलाराम जाट उम्र 46 साल नि. मांगलोद
27.	श्रीमती काजूड़ी पत्नी दयालराम जाट उम्र 60 साल नि. ढावा
28.	श्री पूसाराम पुत्र प्रेमाराम नायक नि. पावा तहसील डीडवाना
29.	श्री सोहनराम पुत्र पूसाराम नि. पावा तहसील डीडवाना
30.	श्री रेवतराम पुत्र पूसाराम नि. पावा तहसील डीडवाना
31.	श्री हुकमसिंह पुत्र बदनसिंह राजपूत नि. बखाली तहसील मकराना
32.	श्री मुकन सिंह पुत्र पन्नेसिंह राजपूत उम्र 35 साल नि. गांगवा
33.	श्री मांगीलाल पुत्र धन्नाराम दमामी उम्र 44 साल नि. कसुम्बी
34.	श्री रतना पुत्र बींजाराम ग्रेवाल उम्र 20 साल नि. सांडास

क्र.सं.	नाम पता मरने वाले का
35.	श्री सीताराम पुत्र मांगीलाल दमामी उम्र 45 साल नि. बिदियाद
36.	श्री रामनिवास पुत्र पेमाराम जाट उम्र 30 साल नि. जूसरी
37.	श्री किशनाराम पुत्र मोहनराम माली उम्र 25 साल नि. करकेड़ी
38.	श्री रामेश्वर पुत्र खेमाराम जाट उम्र 28 साल नि. नारायणपुरा
39.	श्रीमती सुगना पत्नी जगदीश मेघवाल उम्र 25 साल नि. चुई
40.	श्री गोपीराम पुत्र सदाराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष नि. राबलपुरा
41.	श्री बालाराम पुत्र पेमाराम जाट उम्र 25 साल नि. तरातरा जिला बाड़मेर
42.	श्री हनुमानराम पुत्र सेवाराम जाट उम्र 40 साल नि. कुराड़ा तहसील परबतसर
43.	श्री हेमाराम पुत्र लालूराम मेघवाल उम्र 40 साल नि. बिठवालीया परबतसर
44.	श्री प्यारेलाल पी.टी.आई. ग्राम बेड़वा
45.	श्री रहीमबध पुत्र मो. सफी सांई उम्र 18 साल नि. नागौर
46.	श्री रामकरण पुत्र जोगाराम जाट उम्र 40 साल नि. भादवा
47.	श्री पप्पू पुत्र अब्दुल गफ्फार उम्र 11 साल नि. कटलावास डीडवाना
48.	श्री गोपीराम पुत्र रामूराम मेघवाल उम्र 48 साल नि. केराप
49.	श्री श्रवण पुत्र सूण्डाराम मेघवाल उम्र 20 साल नि. केराप
50.	श्री मुकेश पुत्र बाबूलाल जाट उम्र 4 साल नि. चरड़ा

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 916 का विवरण)

गत 5 वर्षों यथा वर्ष 1995-1996 से वर्ष 1999-2000,की अवधि में जिला पाली में स्वीकृत एवं करवाये गये कार्यों का विवरण

क्र.सं.	नाम योजना	स्वीकृत कार्य का विवरण	कार्य स्थल जिनके लिए कार्य स्वीकृत किये गये	स्वीकृत राशि (लाख रु.)	व्यय की गई राशि (लाख रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	नग्न पहाडियों पर वृक्षारोपण (आर.बी.एच.)	मनिहारी-डी, सुलेम-डी बोरावाड-डी, अजानियां की नाडी, बालागढ, जयप, काललतास	30.43	28.66
	,,	परिभाषित वनों का पुनरुद्धार (आर.डी.एफ.)	कुमटिया भागल-अ, खेतरली-ई, खेतरली-एफ, खेतरली-बी, बेरडी-ई, बेरडी-एफ कुमाटिया-भागल-सी,कोट -सोकलियान,लून्दाडा-बी, नाना-एफ, देवला, देव डूंगरी-सी रून्दिया, नानादे वला-II, भालतु-II, कुमटिया भागल, बेरडी-जी, गोरिया-सी बोरवाड-ई देवडूंगरी-डी, सुमेर, काला डूंगर, बोराबड-एफ, करमाल प्ला., भवाण-III, सेतपुरा-III, खारबाली, बरडा भंवरमाटा, सालघाटी, झरनावाला कालीघाटी वृक्षा, रमाण-वृक्षा, मोजट, खेडा-नाबरा दोबड, दीफन, बोवाट भंवरबडला, रोजाबडला	168.43	156.01

1	2	3	4	5	6
	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण	कुरण, सेन्दंडा, बीजापुर गुलाब बाबा की ढाणी, लाम्बियाल-डी,आंकड्वास-II, केसुली-II, जेसपुरा, वायद,बिड्ठा पिरान,रामाजी का गुडा,रमणिया,लाम्बिया, गोदावास, निपल, चण्डावल, गिरी-ए, झालामण्ड,बाबरा, केसडिया, सीतामाता,गापी की मउडी, रातीबोर	71.109	58.629
	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	एनीकट निर्माण पौधशाला पर्यटन विकास अल्प काल योजना	सेमला बेरी, उनरकाबेरा, खंरडुआ, कालीघाटी, बडागड़ा सादडी,	15.00	15.06
			(रणकपुर)	2.00	2.00
			सूर्यमंदिर की चारदीवारी	1.00	1.00
			सूर्यमंदिर की चारदीवारी	2.00	.25
2.	लघु वन उपज योजना	आ.डी.एफ. (एम.एफ.पी.)	करण, रोनवाडा, कूडका आर.डी.एफ. गोरयिा, सांकरा	23.87	22.77
3.	बंजर भूमि विकास परियोजना	बंजर भूमि विकास	नाना (वन खण्ड)	72.83	65.40
4.	राज्य योजना	परिभाषित वनों का पुनरुद्धार (आर.डी.एफ.)	ड़री, सुमेल-ई, बेंड़ा, कूणेजा पोकरिया नाड़ी	30.835	30.84
5.	निर्बन्ध योजना	वन रक्षक चौकी निर्माण	बोरीमदा	1.44	1.25
	,,	वनपथ निर्माण	कालीघाटी से भीलबेरी जोवासमुरढाला से महावीर, कुंडबेरी से पालर, कुंडाल से रूपण माता	1.36	1.36

1	2	3	4	5	6
	निर्बन्ध योजना	वाचटावर निर्माण	भीलबेरी	3.00	3.00
6.	अकाल राहत सम्वत् 2052	एनीकट निर्माण	ठंडी बेरी, रणकपुर	2.50	2.11
7.	सुनिश्चित रोजगार योजना	एनीकट का रेर्जींग कार्य	ठंडी बेरी	5.00	5.00
8.	अकाल राहत सम्वत् 2055	पानी स्थल निर्माण (वाटर पाईन्ट निर्माण)	भंवरबडला, खरढुआ, हाथीगुडा, भीमाजी की धुणी मामाजी खोडिया, गुल्बेरा, बेडाकाथाग, मउडी बेरी, झेरनी की बावडी,पालर,सुमेर, वरकायाम, मालावणी, सीतादेह, जीमन जी का ढाणी, सूर्यमंदिर, एनीमल ट्रासलोकेशन, रणकपुर, सेलीमाता, मालियादेह, रूपणमाता, पीपोलर, बरवाथा, डाडेश्वर, महादेव, गणका, ओदी	17.30	7.920
		केनाल खुदाई	सुमेर केनाल	0.50	0.49
		वन मार्ग निर्माण	खारड़ामाणी से मुछाला महादेव, मुछाला महोदेव से सेरवानी टाकनी, बागोल से सीतादेह, सीतादेह से तेलाडा, एनीमल ट्रांसलो-केशन में निरीक्षण पथ, कुणाल से खारड़ा	8.80	5.13

1	2	3	4	5	6
9.	सी.एस.एस. (केन्द्र प्रवर्तित योजना)	वन्य जीव हेबीटाट रेस्टोरेसन (आश्रय स्थल सुधार)	सून्दरनाडी, जोबा रणकपुर	7.00	7.00
		वन पथ निर्माण	रणकपुर से मुछालमाता, सुमेर से सेलीमाता, सतसंगिमा से गाफा, गाफा से सेमझ बेरी, काली घाटी से जोतावर	2.50	2.50
		फायर लाईन	फुलाद से गोमघाट बड़ागुडा से सीरमा	0.73	0.73
		कुआ निर्माण.	खेरों का खेत, चतरगुढा की नाल	1.00	1.00
		वाटर होल संधारण	रणकपुर	0.50	0.50

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 918 के पत्र की प्रति)

परिशिष्ट-क

राजस्थान विधि सेवा संघ

कमरा नं. सचिवालय, जयपुर

क्रमांक रा./वि./से दिनांक 8.10.99

श्रीमान् शासन उप सचिव महोदय,
विधि विभाग एवं विधायी विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय :- विधि सेवा के विधि सहायक एवं कुछ विधि सहायक के पदनामों में परिवर्तन के संबंध में।

संदर्भ :- पूर्व प्रेषित ज्ञापन दिनांक 27.9.99 के क्रम में।

महोदय,

निवेदन है कि निम्न पद राज्य सरकार में ऐसे हैं जिसका वेतनमान विधि सहायक से कम/बराबर होते हुए भी इनके पदनाम में अधिकारी शब्द लगा है :-

पदनाम	वेतनमान
सहायक पर्यटन अधिकारी	4000-6000
महिला पोषण प्रसार अधिकारी	4000-6000
पंचायत प्रसार अधिकारी	5000-8000
उपस्थिति अधिकारी (तकनिकी शिक्षा)	5000-8000
उद्योग प्रसार अधिकारी	5000-8000
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5000-8000
सर्वेक्षण अधिकारी	5000-8000
सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	5000-8000
सहायक सूचना अधिकारी (पशुपालन अधि. सेवा)	5000-8000
प्रवर्तन अधिकारी (खाद्य एवं नाग. आपूर्ति अधि. सेवा)	5000-8000
संप्रचार स्वास्थ्य अधिकारी	5000-8000
सहायक जिला भेड़ एवं ऊन अधिकारी	5000-8000
पर्यटन अधिकारी (पर्यटन अधि. सेवा)	5000-8000
कार्यक्रम अधिकारी (पर्यटन अधि. सेवा)	5000-8000

राज्य की अन्य विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं में 5500-10500 के वेतनमान में भी निम्न पद इसी प्रकार के हैं :-

पदनाम	वेतनमान
जिला उद्योग अधिकारी (राजपत्रित)	5500-10500
कृषि प्रसार अधिकारी	5500-10500
सहायक कृषि अधिकारी	5500-10500
परियोजना अधिकारी	5500-10500
तकनिकी अधिकारी	5500-10500
सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी	5500-10500
समाज कल्याण अधिकारी	5500-10500
परिवोक्षा एवं कारागार कल्याण अधिकारी	5500-10500
सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	5500-10500

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि विधि सहायक/मुख्य विधि सहायकों के पदनामों में वांछित संशोधन हेतु आदेश प्रसारित कराने का आदेश प्रदान करें।

भवदीय,
(सज्जन सिंह तंवर)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–ख

राजस्थान सरकार

कार्यालय राज्य मंत्री, विधि एवं उद्योग विभाग

राजस्थान विधि सेवा संघ के पदाधिकारी मुझसे मिले और उन्होनें संलग्न ज्ञापन प्रस्तुत किया। इनकी मांग है कि विधि सेवा के अंतर्गत विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक पद के पदनामों में परिवर्तन किया जाये।

इस संबंध में उनकी मुख्य दलील है कि विधि सहायक का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंकों के आधार पर होता है तथा विधि संबंधित नियमों, उपनियमों, प्रारूपण, संशोधन, विधिक मामलों में परामर्श एवं परीक्षण तथा न्यायालायों में लम्बित वादों का परीक्षण, जवाबदवों का परीक्षण एवं निर्णयों की क्रियान्विति का कार्य विधि सेवा के सदस्या करते हैं। विधि सहायक एवं मुख्य विधि सहायक इस सेवा के आधार स्तंभ हैं तथा उनके कार्य के अनुरूप उनका पदनाम नहीं होने से सेवा सदस्यों में इस हेतु अंसतोष है। उनका यह भी कहना है कि अधीनस्थ सेवा के वे सदस्य जिनके वेतनमान सेवा विधि सहायक पद के समकक्ष हैं। उनके पदों को अधिकारी शब्द यथा सहायक कृषि अधिकारी, सहायक नियोजन अधिकारी, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, सहायक उद्योग प्रसार अधिकारी, पर्यटन अधिकारी आदि के पदनाम हैं।

सेवा संघ के सदस्यों का सुझाव है कि विधि सहायकों का पदनाम विधि अधिकारी श्रेणी-11 एवं मुख्य विधि सहायक का पदनाम विधि अधिकारी श्रेणी-1 कर दिया जाये। उपरोक्त सुझावों से मैं सहमति रखता हूं। इस हेतु एक आदेश जारी कर दोनों पद के पदनाम में परिवर्तन कर दिया जाये। आदेश जारी होने के उपरांत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ विधि सेवा नियम, 1981 के नियमों में संलग्न अनुसूची-1 में क्रम संख्या 3 व 4 पर मुख्य विधि सहायक एवं विधि सहायक के पदनाम में संशोधन हेतु प्रस्ताव कार्मिक (क-2) विभाग को भिजवा दिया जावे। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा। इनके पदनाम में परिवर्तन आदेश जारी कर दिये जाये तथा नियमों में संशोधन की कार्यवाही भी साथ में आरम्भ कर दी जाये।

(कालीचरण सर्राफ)
राज्य मंत्री
विधि एवं उद्योग विभाग

शासन सचिव,
विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
क्रमांक 735/रा.म/वि.उ/90
दिनांक 28.9.98

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 919 की सूची)

परिशिष्ट क

राज्य में गत 5 वर्षों में खोले गये अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों की जिलेवार सूची

क्र.सं.	नाम जिला	नाम न्यायालय
1	2	3
1	अलवर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 3, अलवर।
		2. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 1, किशनगढ़बास।
2.	अजमेर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय केकड़ी।
3.	बीकानेर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 2, बीकानेर।
4.	भीलवाड़ा	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं.2, भीलवाड़ा।
		2. विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न), भीलवाड़ा।
		3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, गुलाबपुरा।
5.	बूंदी	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 1, बूंदी।
6.	चूरू	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, राजगढ़।
7.	दौसा	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, बांदीकुई।
8.	हनुमानगढ़	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 2, हनुमानगढ़।
9.	जयपुर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 8, जयपुर शहर।
		2. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 2, जयपुर जिला।
		3. विशेष न्यायालय (महिला उत्पीडन) जयपुर।
		4. विशेष न्यायालय (जाली नोट प्रकरण) जयपुर।
		5. विशेष न्यायालय (प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण) जयपुर।
		6. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, शाहपुरा।
		7. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 9, जयपुर शहर।
10.	झुंझुनूं	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, झुंझुनूं।
11.	जालौर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, भीनमाल।
12.	झालावाड़	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, अकलेरा।
13.	कोटा	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 4, कोटा।
		2. विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न), कोटा।
		3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, रामगंजमण्डी।
		4. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 5, कोटा
14.	नागौर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय परबतसर।
		2. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, डीडवाना।

1	2	3
15.	राजसमंद	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, राजसमंद।
16.	सिरोही	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, डीडवाना।
17.	श्रीगंगानगर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 3, श्रीगंगानगर।
		2. विशेष न्यायालय (महिला उत्पीड़न) श्रीगंगानगर।
		3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, अनूपगढ़।
18.	सीकर	1. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 2, सीकर।
19.	उदयपुर	3. अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सं. 3, उदयपुर।

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 921 की सूची)

परिशिष्ट 1

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा सहयोग अपार्टमेन्ट में आवश्यकतानुसार एवं समय-समय पर निम्न फ्लेटो में पंखे लगवाये गये हैं

1. बी-152
2. बी-150
3. बी-154
4. बी-153
5. बी-159
6. बी-149
7. बी-146
8. बी-148
9. बी-179
10. बी-116
11. बी-120
12. बी-72
13. बी-125
14. बी-112
15. बी-142
16. बी-40
17. बी-777
18. बी-76
19. बी-136
20. बी-2
21. बी-15
22. बी-13
23. बी-14
24. बी-24
25. बी-26
26. बी-34
27. बी-49
28. बी-83
29. बी-85
30. बी-88
31. बी-81
32. बी-91
33. बी-89
34. बी-102
35. बी-103
36. बी-107
37. बी-109
38. बी-25
39. बी-119
40. बी-122
41. बी-123
42. ए-145
43. ए-169
44. ए-171
45. ए-174
46. ए-176
47. ए-186
48. ए-184
49. ए-189
50. बी-54
51. ए-148
52. बी-128
53. बी-137
54. बी-69
55. बी-80
56. बी-79
57. बी-65
58. बी-44
59. बी-10
60. बी-100
61. बी-158
62. ए-151
63. बी-64
64. बी-16
65. बी-140
66. बी-160
67. बी-11
68. बी-51
69. बी-57
70. बी-30
71. ए-157
72. बी-48
73. ए-146
74. बी-29
75. बी-12
76. बी-62
77. बी-61
78. बी-66
79. ए-164
80. ए-155
81. बी-134
82. बी-139
83. बी-18
84. बी-39

85. ए-101
86. ए-100
87. ए-105
88. ए-109
89. ए-116
90. ए-113
91. ए-114
92. ए-120
93. ए-124
94. ए-118
95. ए-45
96. ए-128
97. ए-126
98. ए-125
99. ए-129
100. ए-82
101. ए-88
102. ए-86
103. ए-90
104. ए-83
105. ए-130
106. ए-127
107. ए-138
108. ए-137
109. ए-131
110. ए-54
111. ए-80
112. ए-77
113. ए-66
114. ए-16
115. ए-9
116. ए-11
117. ए-15
118. ए-68
119. ए-65
120. ए-59
121. ए-57
122. ए-62
123. ए-61
124. ए-52
125. ए-43
126. ए-18
127. ए-28
128. ए-142
129. ए-134
130. ए-133
131. ए-136
132. ए-60
133. ए-122
134. ए-132
135. ए-72
136. ए-3
137. ए-135
138. ए-93
139. ए-94
140. ए-34
141. ए-27
142. ए-32
143. ए-49
144. ए-31
145. ए-40
146. ए-140
147. ए-121
148. ए-78
149. ए-56
150. ए-63
151. ए-81
152. ए-112
153. ए-123
154. ए-115
155. ए-38
156. ए-103
157. ए-143
158. ए-144
159. ए-82
160. ए-79
161. ए-117
162. ए-95
163. ए-141
164. ए-42

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा सहयोग अपार्टमेन्ट में आवश्यकतानुसार एवं समय-समय पर निम्न फ्लेटो में ट्यूबलाईट लगवाई गई हैं

1. ए-145
2. ए-146
3. ए-148
4. ए-151
5. ए-179
6. ए-184
7. ए-189
8. ए-186
9. ए-191
10. बी ए-2
11. बी-12
12. बी-11
13. बी-10
14. बी-13
15. बी-16
16. बी-171
17. बी-15
18. बी-14
19. बी-23
20. बी-24
21. बी-26
22. बी-30
23. बी-32
24. बी-29
25. बी-25
26. बी-73
27. बी-34
28. बी-35
29. बी-38
30. बी-40
31. बी-44
32. बी-48
33. बी-136
34. बी-51
35. बी-49
36. बी-53
37. बी-57
38. बी-62
39. बी-65
40. बी-69
41. बी-76
42. बी-80
43. बी-150
44. बी-152
45. बी-149
46. बी-134
47. बी-153
48. बी-159
49. बी-160
50. बी-146
51. बी-81
52. बी-83
53. बी-85
54. बी-88
55. बी-89
56. बी-91
57. बी-54
58. बी-100
59. बी-104
60. बी-103
61. बी-109
62. बी-112
63. बी-116
64. बी-119
65. बी-123
66. बी-128
67. बी-122
68. बी-120
69. बी-79
70. बी-64
71. बी-61
72. बी-140
73. बी-134
74. बी-142
75. बी-148
76. बी-153
77. बी-155
78. बी-47
79. बी-139
80. बी-18
81. बी-39
82. बी-100
83. ए-2
84. ए-101
85. ए-105
86. ए-112
87. ए-109
88. ए-115
89. ए-114
90. ए-118
91. ए-119
92. ए-120
93. ए-122
94. ए-124
95. ए-121
96. ए-125

97. ए-126	116. ए-77	135. ए-43
98. ए-129	117. ए-18	136. ए-18
99. ए-130	118. ए-80	137. ए-28
100. ए-131	119. ए-66	138. ए-27
101. ए-132	120. ए-52	139. ए-31
102. ए-135	121. ए-61	140. ए-56
103. ए-133	122. ए-63	141. ए-3
104. ए-137	123. ए-62	142. ए-79
105. ए-123	124. ए-57	143. ए-54
106. ए-138	125. ए-59	144. ए-103
107. ए-140	126. ए-60	145. ए-82
108. ए-142	127. ए-56	146. ए-72
109. ए-81	128. ए-9	147. ए-117
110. ए-83	129. ए-11	148. ए-128
111. ए-86	130. ए-16	149. ए-141
112. ए-88	131. ए-15	150. ए-42
113. ए-90	132. ए-42	151. ए-95
114. ए-9	133. ए-38	152. ए-127
115. ए-65	134. ए-40	153. ए-144

परिशिष्ट 2

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि. जयपुर
शिकायतों के निराकरण संबंधी सूची

शिकायतों की प्रगति	फ्लेट्स जिनके सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुईं	शिकायतें प्राप्ति एवं निराकरण की दिनांक
बिजली, पानी, टूट-फूट, सेनेटरी एवं अन्य प्रकार की शिकायतें	164 ए, 123 बी, 54 बी, 80 बी, 30 बी, 23 बी, 26 बी, 76 बी, 51 बी, 65 बी, 153 बी, 40 बी, 81 बी, 35 बी, 2 बी, 120 बी, 150 बी, 116 बी, 100 बी, 153 बी, 40 बी, 148 बी, 40 बी, 146 बी, 65 बी, 116 बी, 85 बी, 29 बी, 69 बी, 51 बी, 49 बी, 40 बी, 24 बी, 54 बी, 25 बी, 10 बी, 102 बी, 179 ए, 184 ए, 186 ए, 189 ए, 146 ए, 84 ए, 80 ए, 121 ए, 101 ए, 57 ए, 3 ए, 109 ए, 123 ए, 128 ए, 38 ए, 117 ए, 59 ए, 114 से 118 ए, 100 से 110 ए, 1 से 4 ए, 52 ए, 132 ए, 100 ए, 136 ए, 127 ए, 143 ए, 2 ए, 135 ए, 142 ए, 101 ए, 103 ए, 125 ए, 79 ए, 48 ए, 117 ए, 80 ए, 146 ए, 117 ए, 136 बी, 159 बी, 125 बी, 153 बी, 151 ए, 179 ए, 146 बी, 150 बी, 154 बी, 100 बी, 53 बी, 142 बी, 29 बी, 107 बी, 148 बी, 170 ए, 2 बी, 145 ए, 148 ए, 64 बी, 94 बी, 27 ए, 81 ए, 90 ए, 101 ए	समय-समय पर

परिशिष्ट 3

राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि., जयपुर

फर्मों/निजी पार्टियों, जिनसे कार्य करवाया गया, की सूची

क्र.सं.	बिल दिनांक	फर्मों/निजी पार्टी का नाम	राशि
1.	1.5.98	श्री भंवरलाल स्वीपर	400/-
2.	9.6.98	श्री बलवीर सिंह प्लम्बर	150/-
3.	26.6.98	श्री महादेव प्रसाद ठेकेदार	400/-
4.	26.6.98	श्री महोदेव प्रसाद ठेकेदार	2300/-
5.	1.9.98	शर्मा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	700/-
6.	13.9.98	शर्मा कंस्ट्रक्शन कम्पनी	2700/-
7.	28.9.98	श्री भंवर लाल स्वीपर	300/-
8.	30.11.98	अजय इलेक्ट्रिक डेकोरेटर्स	5055/-
9.	31.12.98	अजय इलेक्ट्रिक डेकोरेटर्स	7800/-
10.	31.12.98	राजेश सेनेटरी एण्ड पेंट स्टोर्स	7800/-
11.	25.2.99	श्री भंवरलाल स्वीपर	150/-
12.	31.3.99	गर्ग सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर	950/-
13.	15.5.99	श्री महादेव प्रसाद ठेकेदार	685/-
14.	2.6.99	श्री सोहनलाल वर्मा	2050/-
15.	3.7.99	श्री सोहनलाल वर्मा	1050/-
16.	26.7.99	भारत फर्नीचर	500/-
17.	17.9.99	श्री अमरचंद स्वीपर	250/-
18.	20.7.99	श्री ओमप्रकाश प्लम्बर	260/-
19.	15.9.99	मैसर्स नलिन एन्टरप्राइजेज	265/-
20.	18.9.99	मैसर्स नलिन एन्टरप्राइजेज	355/-
21.	5.10.99	श्री अशोक शर्मा	450/-
22.	6.10.99	श्री विनोद कुमार ठेकेदार (माल मंजूरी सहित)	4455/-
23.	20.4.2000	श्री वीरेन्द्र पारीक	315/-
24.	20.4.2000	श्री वीरेन्द्र पारीक	780/-
25.	20.4.2000	श्री वीरेन्द्र पारीक	300/-

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 926 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत सड़कों का विस्तृत विवरण

क्रमांक	नाम अभिकरण	स्वीकृत सड़कों का नाम	पूर्ण	अपूर्ण
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड (द्वितीय) चित्तौड़गढ	1. हमेरपुरा से दौलतपुरा सड़क	पूर्ण	-
		2. सेमलिया से धामन्या सड़क	पूर्ण	-
		3. राजगढ़ से दुगार-साडास सड़क	पूर्ण	-
		4. डोराई से बाघपुरा से पीपल्दा सड़क	पूर्ण	-
		5. सम्पर्क सड़क सादी	पूर्ण	-
		6. जयनगर से नन्दवई सड़क	पूर्ण	-
		7. नन्दवई से माधोपुर-झरिया महादेव सड़क	पूर्ण	-
		8. रामपुरिया से जयसिंहपुरा वाया वामनखेड़ा	-	अपूर्ण
		9. सम्पर्क सड़क खैरपुरा से देवलछ	पूर्ण	-
		10. सम्पर्क सड़क बेगूं-चेची सड़क से सुदर्शनपुरा	पूर्ण	-
		11. सम्पर्क सड़क कन्थारिया	पूर्ण	-
		12. चौमूं घोड़ाघाटी वाया शिवपुरा-चावंडिया	-	अपूर्ण
		13. बेगूं से फतेहपुरा म.प्र. सीमा तक	-	अपूर्ण
		14. मेघापरा से गदेलियावाया बन्दों का राजपुरा	-	अपूर्ण
		15. चित्तौड़गढ़ बून्दीरोड़ सेगोपाल पुरा, अमझरिया,	-	अपूर्ण
		16. ईटावा से लुहारिया सड़क	-	अपूर्ण
		17. सुवानिया से माडाना सड़क	-	अपूर्ण
		18. काटून्दा से झाड़ोल वाया अडक्तपुरा रोड़	-	अपूर्ण
		19. अनुपपुरा से चरचाकाशेषकाया	-	अपूर्ण
		20. मेघ निवास से मसाणीगुंज रोड़	-	अपूर्ण
		21. अनुपपुरा से जावढ़िया सड़क	-	अपूर्ण
		22. सोनगर से नन्दबई सड़क	-	अपूर्ण
		23. चित्तौड़-बून्दी सड़क से मरमरिया से बरसी फतेहपुर नाले तक सड़क	-	अपूर्ण

1	2	3	4	5
		24. सामरिया से बड़ीका खोड़ा सड़क	-	अपूर्ण
		25. लोठियाना से मर्ण्डेसरा सड़क	पूर्ण	-
		26. खातीखोड़ा से लाडपुरा सड़क	पूर्ण	-
		27. सम्पर्क सड़क लुहारिया ग्रेवल सड़क	पूर्ण	-
		28. जालखोड़ा से धावतकला सड़क	पूर्ण	-
		29. बड़ोदिया से रैनखोड़ा सड़क	पूर्ण	-
		30. मोहना से एकलिंगपुरा सड़क	-	अपूर्ण
		31. ए.आर. सेराजपुरा डब्ल्यू.पी.एम. अपूर्ण पुलिया	-	अपूर्ण
		32. ए.आर. राजपुरा से धोवलिया रोड़	-	अपूर्ण
		33. धावतकलां से जिलासीमां तक डब्ल्यू.बी.एम.	पूर्ण	-
		34. जालखोड़ा से धावतकलां डब्ल्यू.बी.एम.	पूर्ण	-
		35. बड़ौदिया से हल सेड़ावाया रैनखोड़ा	-	अपूर्ण
		36. जावदा-टोलूका लुहारिया रोड़	-	अपूर्ण
		37. एकलिंगपुरा नाली निर्माण खुरन्जा का कार्य	पूर्ण	-
		38. तह. रावतभाटा भू. खाण्डपरचार दिवारी निर्माण	-	अपूर्ण
		39. निर्माणधीन सामुदायिक भवन सांखालो का ढुढा चार दिवारी	-	अपूर्ण
		40. चैनपुरिया से पाड़ाझर महादेव सड़क	पूर्ण	-
		41. थाना भैंसरोड़गढ़ मरम्मत व बैरिक मरम्मत कार्य	पूर्ण	-
		42. काटून्दा-बड़ौदिया श्रीछयपुर रोड़ पर पटरी कार्य	पूर्ण	-
		43. रावतभाटा-गांधीसागर सड़क	पूर्ण	-
		44. रावतभाटा-कोटा-लाखोरी सड़क	पूर्ण	-
		45. बाड़ी निमड़ी से भगवतपुरा सड़क ग्रेवल	-	अपूर्ण
		46. बोराव से टाकरदा-प्रतापपुरा ग्रेवल	-	अपूर्ण
		47. मण्डेसरा से धोवलियावाया कोलपुरा	-	अपूर्ण
		48. चैनपुरा से नलिखोड़ा-कसाण ग्रेवल	-	अपूर्ण

1	2	3	4	5
		49. धारड़ी से जालखोड़ा ग्रेवल	-	अपूर्ण
		50. गोपालपुरा से उदपुरिया रोड़	-	अपूर्ण
		51.श्योपुरा से बस्सी ग्रेवल	पूर्ण	-
		52. पुलिस चौकी धांगण मऊ की चार दिवारी का कार्य	पूर्ण	-
2.	पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़	1. सम्पर्क सड़क भूजरखुर्द ग्रा.प. श्रीपुरा	-	अपूर्ण
		2. सम्पर्क सड़क कोटड़ा धारड़ी ग्रा.प. बड़ौदिया	-	अपूर्ण
		3. सम्पर्क सड़क किशोरपुरा ग्रा.प. रैनखोड़ा	-	अपूर्ण
		4. सम्पर्क सड़क चित्तोड़िया ग्रा.प. जवाहरनगर	-	अपूर्ण
3.	पंचायत समिति,बेगूं	1. मैनरोड़ से अनोपुरा स्कूल ग्रेवल	पूर्ण	-
		2. धनौरा से मण्डमिया ग्रेवल	पूर्ण	-
		3. गणेशपुरा से मड़ावदा आंवलहेड़ा ग्रेवल	पूर्ण	-
		4. बरनियास से कितियास ग्रेवल	पूर्ण	-
		5. हमेपुर से सगजीका खोड़ा ग्रेवल	पूर्ण	-
		6. बिछोर से छदेवपुरा गोपालपुरा ग्रेवल	पूर्ण	-
		7. बिछोर से भीलवाड़ा लिकरोड़ शम्भू रेगर के झोपड़ा तक ग्रेवल	पूर्ण	-
		8. गौराजी से गोविन्दपुरा ग्रेवल	पूर्ण	-
		9. डौराई से बाघपुरा ग्रेवल	पूर्ण	-
		10. गोपालपुरा से धाकड़ो का झोपड़ा ग्रेवल	पूर्ण	-
		11. ईटाव से सहाड़ा ग्रेवल	पूर्ण	-
		12. चाचपुर से मण्डावरी रोड़ तक ग्रेवल	पूर्ण	-
		13. नन्दबई से उमर कूंथना ग्रेवल	पूर्ण	-
		14. गिरडिया से बीनाका खोड़ा ग्रेवल	पूर्ण	-
		15. प्रतापुरा से जोधापटेल की खोड़ी ग्रेवल	पूर्ण	-
		16. तारापीपली से ढुकराई ग्रेवल	पूर्ण	-
		17. ढुकराई से सुनारकी बावड़ी ग्रेवल	पूर्ण	-
		18. एप्रोचरोड़ से पालनपुर ग्रेवल	पूर्ण	-
		कुल योग 74 कार्य	29	45

परिशिष्ट – 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 929 का सूचना विवरण)

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	कब से
1.	श्री प्रभु सिंह	जिला परिवहन अधि.	13.5.99
2.	श्री मरारीलाल माथुर	परिवहन निरीक्षक	23.6.97
3.	श्री जगतनारायण	परिवहन निरीक्षक	23.6.97
4.	श्री दिनेश सिंह सागर	परिवहन निरीक्षक	25.4.97
5.	श्री ओमप्रकाश मारू	परिवहन निरीक्षक	7.5.97
6.	श्री भंवरलाल अरोड़ा	परिवहन निरीक्षक	18.12.99
7.	श्री सिकन्दर खांपठान	परिवहन निरीक्षक	15.12.99
8.	श्री जसवन्तराज खत्री	उप परि.निरीक्षक	19.7.97
9.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	उप परि.निरीक्षक	21.4.98
10.	श्री ओम प्रकाश चौधरी	उप परि.निरीक्षक	21.4.98
11.	श्री टीकराम	उप परि.निरीक्षक	20.1.2000
12.	श्री रामस्वरूप	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (गाड़ी)	6.8.88
13.	श्री बागसिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (गाड़ी)	18.2.95
14.	श्री नाथुलाल	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (गाड़ी)	2.8.95
15.	श्री खेमचन्द	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (गाड़ी)	7.6.99

परिशिष्ट - 22

(अतारांकित संख्या 930 का विवरण)

परिशिष्ट-1

कार्यशालाओं के स्थानों के नाम एवं वर्ष 1998-99 में इन पर मरम्मत एवं रख-रखाव, बिजली-पानी आदि का व्यय एवं निर्माण व्यय का विवरण निम्न प्रकार है

क्र.सं.	आगार कार्यशाला का नाम	स्थान	मरम्मत रखरखाव एवं बिजली-पानी का व्यय (राशि लाख रु.में)	निर्माण कार्य पर व्यय (राशि लाख रुपये में)	कुल व्यय (राशि लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजयमेरू	अजमेर	1.71	11.88	13.59
2.	अजमेर	अजमेर	1.65	53.42	55.07
3.	अनूपगढ़	अनूपगढ़	1.96	---	1.96
4.	बारां	बारां	1.94	0.51	2.45
5.	बीकानेर	बीकानेर	3.81	---	3.81
6.	बूंदी	बूंदी	1.71	0.10	1.81
7.	गंगानगर	गंगानगर	4.54	---	4.54
8.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	1.04	---	1.04
9.	झालावाड़	झालावाड़	1.63	---	1.63
10.	कोटा	कोटा	6.12	0.08	6.20
11.	सरदारशहर	सरदारशहर	2.18	---	2.18
12.	टौंक	टौंक	1.58	---	1.58
13.	अलवर	अलवर	1.18	0.36	1.54
14.	भरतपुर	भरतपुर	1.81	---	1.81
15.	दौसा	जयपुर	2.87	12.28	15.15
16.	डीलक्स	जयपुर	3.68	---	3.68
17.	धौलपुर	धौलपुर	1.28	---	1.28
18.	हिण्डौन	हिण्डौन	1.32	---	1.32
19.	जयपुर	जयपुर	10.78	0.50	11.28
20.	कोटपूतली	कोटपूतली	1.68	---	1.68

1	2	3	4	5	6
21.	लोहागढ़	भरतपुर	0.79	1.58	2.37
22.	मत्स्यनगर	अलवर	1.61	1.96	3.57
23.	तिजारा	तिजारा	0.39	---	0.39
24.	झालाना डूंगरी	जयपुर	0.12	---	0.12
25.	सांगानेर	जयपुर	---	12.13	12.13
26.	वैशालीनगर	जयपुर	---	---	---
27.	विद्याधर नगर	जयपुर	1.97	---	1.97
28.	आबूरोड	आबूरोड	0.85	---	0.85
29.	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	1.37	0.74	2.11
30.	बाड़मेर	बाड़मेर	1.58	1.15	2.73
31.	ब्यावर	ब्यावर	1.75	1.81	3.56
32.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	2.15	---	2.15
33.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	0.28	0.80	1.08
34.	चूरू	चूरू	0.67	20.46	21.13
35.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	1.75	---	1.75
36.	फालना	फालना	1.27	---	1.27
37.	जालौर	जालौर	0.84	1.97	2.81
38.	झुंझुनूं	झुंझुनूं	2.08	---	2.08
39.	जोधपुर	जोधपुर	3.09	9.49	12.58
40.	खेतड़ी	खेतड़ी	1.63	---	1.63
41.	नागौर	नागौर	1.41	0.45	1.86
42.	पाली	पाली	0.51	3.15	3.66
43.	फलौदी	फलौदी	0.98	6.41	7.41
44.	सीकर	सीकर	2.29	---	2.29
45.	सिरोही	सिरोही	0.82	1.51	2.33
46.	उदयपुर	उदयपुर	1.86	---	1.86
47.	के.का.जयपुर	जयपुर	29.31	1.12	30.43
48.	के.का. अजमेर	अजमेर	21.21	0.04	21.32
49.	के.का.जोधपुर	जोधपुर	4.95	0.31	5.26
		लाखों में	**142.00**	**144.21**	**286.21**

परिशिष्ट 2

आगार कार्यशालाओं में वर्ष 1998-99 में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा स्पेयर पार्ट्स सामग्री पर व्यय का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	आगार कार्यशाला का नाम	कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर व्यय (लाख रुपये में)	स्पेयर पार्ट्स सामग्री पर व्यय (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	अजयमेरू	90.03	28.86
2.	अजमेर	99.40	29.95
3.	अनूपगढ़	46.46	40.78
4.	बारां	48.25	24.84
5.	बीकानेर	103.62	45.99
6.	बूंदी	66.42	27.30
7.	गंगानगर	74.83	59.70
8.	हनुमानगढ़	67.66	50.69
9.	झालावाड़	64.21	39.88
10.	कोटा	92.02	61.24
11.	सरदारशहर	50.22	28.00
12.	टौंक	67.92	31.67
13.	अलवर	90.84	35.49
14.	भरतपुर	70.29	30.20
15.	दौसा	75.92	34.33
16.	डीलक्स	91.94	45.09
17.	धौलपुर	46.33	20.07
18.	हिण्डौन	51.00	28.85
19.	जयपुर	93.46	48.53
20.	कोटपूतली	68.97	26.42
21.	लोहागढ़	61.45	30.06
22.	मत्स्यनगर	83.18	32.84
23.	तिजारा	42.94	17.43
24.	झालाना डूंगरी	70.15	24.92
25.	सांगानेर	84.32	17.19

1	2	3	4
26.	वैशाली नगर	83.33	38.92
27.	विद्याधर नगर	84.20	30.50
28.	आबूरोड	29.49	12.10
29.	बांसवाड़ा	56.59	24.68
30.	बाड़मेर	39.59	17.60
31.	ब्यावर	67.12	16.88
32.	भीलवाड़ा	61.58	20.60
33.	चित्तौड़गढ़	54.33	20.23
34.	चूरू	31.80	14.26
35.	डूंगरपुर	53.99	21.88
36.	फालना	22.88	6.61
37.	जालौर	38.83	12.94
38.	झुंझुनूं	61.57	31.63
39.	जोधपुर	80.81	21.10
40.	खेतड़ी	48.41	20.89
41.	नागौर	50.40	17.46
42.	पाली	8.99	0.52
43.	फलौदी	25.03	8.58
44.	सीकर	87.19	44.19
45.	सिरोही	30.31	6.21
46.	उदयपुर	92.71	28.75
47.	के.का.जयपुर	340.69	306.36
48.	के.का. अजमेर	570.35	702.12
49.	के.का.जोधपुर	265.98	374.27
	लाखों में	**4088.00**	**2659.30**

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 932 का विवरण)

क्र. सं.	अनुबंधित वाहन संख्या	वाहन स्वामी का नाम व पता	प्रतिदिन शुद्ध आय(लाभ)	मार्ग
1	2	3	4	5
1.	आर जे 14 पी-3891	श्री सुरेन्द्र यादव, ए 235, नेहरू नगर, जयपुर	532	पाली-जयपुर-पाली-ब्यावर-पाली
2.	आर जे 22 पी 254	श्री इन्द्र चन्द, ग्राम कटोलिया, जिला पाली	14	पाली-आबूरोड-पाली
3.	आर जे 01 पी-1168	श्री राजेन्द्र यादव, मोतीपुरा, अजमेर रोड, ब्यावर	623	पाली-जयपुर-पाली-ब्यावर-पाली
4.	आर जे 22 पी-230	श्री मांगूसिंह, ग्राम सोमेश्वर,जिला पाली	-555	पाली-सोजत-पीपाड़-जोधपुर-देसूरी
5.	आर जे 01 पी-2125	श्री राजेन्द्र यादव, मोतीपुरा, अजमेर रोड, ब्यावर	310	पाली-जयपुर-पाली-ब्यावर-पाली
6.	आर जे 04 पी-311	श्रीमती मिरगादेवी, राठियों की गली, बाड़मेर	374	पाली-अजमेर-पाली-बाड़मेर-पाली
7.	आर जे 22 पी-657	श्री गिरधारीसिंह, ग्राम पुनायता, जिला पाली	810	पाली-जयपुर-पाली-रेवदर-पाली
8.	आर जे 19 पी-5232	श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा तजमुन अली मगरा पूंजला जोधपुर	440	पाली-जयपुर-पाली
9.	आर जे 19 पी-5383	श्री सुरता राम द्वारा भीमसिंह गांव सिसडली जिला जोधपुर	-169	पाली-जोधपुर-जैतारण-पाली-सोजत-पाली
10.	आर जे 22 पी-2921	श्री अनिल गादिया, रायली गली, पीपलिया बाजार,ब्यावर	26	पाली-जयपुर-पाली-ब्यावर-पाली
11.	आर जे 19 पी-5554	श्री अमराराम द्वारा रमजान, राजीव गांधी कालोनी, जोधपुर	177	पाली-जोधपुर-जैतारण-पाली-सोजत-पाली
12.	आर जे 04 पी-371	श्री स्वरूप सिंह, सरकारी अस्पताल के सामने,बाड़मेर	566	पाली-अजमेर-पाली-बाड़मेर-पाली
13.	आर जे 14 पी-8348	श्रीमती सुशीला देवी, संजय नगर, जयपुर	180	पाली-जयपुर-पाली

1	2	3	4	5
14.	आर जे 22 पी-848	श्री नरपत सिंह, मु.पो. धर्मधारी, जिला पाली	826	पाली-जयपुर-पाली-रेवदर-पाली
15.	आर जे 22 पी-789	श्री मोहनलाल, रामलीला मैदान के पास, पाली	432	पाली-किशनगढ़-ब्यावर-पाली
16.	आर जे 19 पी-6520	श्री सरदार खां, मसूरिया के पास, पाली रोड, जोधपुर	-147	पाली-सोजत-जोधपुर-पीपाड़-सिरोही
17.	आर जे 19 पी-5556	श्री कालू खां, दल्ले खां की चक्की, जोधपुर	-311	पाली-सोजत-जोधपुर-पीपाड़-सिरोही
18.	आर जे 04 पी-361	श्री शंकरलाल खत्री, आजाद चौक, बाड़मेर	-507	पाली-बाड़मेर-पाली-अजमेर
19.	आर जे 14 पी-8235	श्री राजेन्द्र यादव, ए 235, नेहरू नगर, जयपुर	582	पाली-जयपुर-पाली
			+4225	

नोट : सभी वाहन स्वामियों को एक एक वाहन संचालित है। क्रम संख्या 3 व 5 पर अंकित वाहनों का स्वामी एक ही है।

परिशिष्ट 24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 933 का विवरण)

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- 15(1) ग्रुप-2/बी/89/ जयपुर, 30.8.1994

प्रशासक,
मार्केटिंग बोर्ड, जयपुर।

विषय : कृषक साथी योजना।
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक कृषक साथी /94-95/वि.बोर्ड/369/26.8.94

महोदय,

कृषकों एवं खेतीहर मजदूरों के हित में राज्य सरकार द्वारा कृषि साथी योजना की निम्नानुसार मंजूरी दी जाती है :-

(1) योजना का उद्देश्य :-

कृषि कार्य अथवा मंडी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना होने पर स्वयं को व मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी को सहायता देना है।

(2) दुर्घटना :-

1. राज्य में कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते हुए जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है। कृषि यंत्रों के उपयोग करते हुए दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग भंग होने पर।
2. राज्य में सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय/ट्यूबवैल स्थापित करते समय मृत्यु या अंग भंग हो जाना।
3. राज्य में कृषकों द्वारा फसलों, फल, सब्जियों पर रासायनिक दवाओं आदि के छिड़काव करते समय।
4. राज्य में मुख्य मंडी यार्ड, उप मंडी यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों के उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर।

5. मंडी में बोरियों के धांग लगाते समय।

6. मंडी प्रांगण में ऊंट लड्ढा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, गधा गाड़ी उलट जाने पर उनके किसी प्रकार की दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु होने पर या काश्तकार के अंग भंग होने पर।

(3) मुआवजा राशि :-

1. मृत्यु होने पर	25,000/-
2. एक अंग जैसे हाथ, पैर, आंखें, पंजा बांहें आदि के नुकसान होने (कटने) पर	6,000/-
4. दो अंग जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंख, कोई एक-एक अंग (दो अंग कटने पर)	12,000/-
3. चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रुप से या हिस्से में)	6,000/-
5. तीन अंगुली कट जाने पर	4,500/-
6. दो अंगुली कट जाने पर	3,000/-
7. एक अंगुली कट जाने पर	1,500/-

(4) सहायता राशि हेतु समिति

निम्न अधिकारियों की समिति सहायता राशि स्वीकृति हेतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगी :-

1. प्रशासक, संबंधित मंडी समिति (अध्यक्ष)
2. जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि
3. मंडी समिति, सचिव-सदस्य सचिव

(5) सहायता राशि का भुगतान :-

सहायता राशि का भुगतान मार्केटिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

(6) प्रचार - प्रसार :-

इस योजना का सघन प्रचार एवं प्रसार किया जाएगा।

आज्ञा से,
ह/-
(आर. के. जैन)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- 15(1) ग्रुप-2/बी/89/ जयपुर, दिनांक 6 मार्च, 1995

प्रशासक,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

विषय : कृषक साथी योजना।
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 8002 दिनांक 25.1.95

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.8.94 द्वारा स्वीकृत "कृषक साथी योजना" मे राज्य सरकार द्वारा निम्न संशोधन की स्वीकृति प्रदार की जाती है :-

"दुर्घटना" में निम्न प्रकार से जोड़ा जाता है :-

(7) राज्य में अपने अथवा किराये के साधन से मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हई दुर्घटना में अंगहीन अथवा मृत्यु होने पर।

(8) राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा अन्य कृषि संयंत्रों से कृषक/मजदूर महिलाओं के केश मशीन में आने से हुई दुर्घटना ("डी" स्केल्पिंग)

"मुआवजा राशि" में निम्न और जोड़ा जाता हैं :-

(8) महिला के सिर के बालों की आंशिक (छोटे भाग) की "डी" स्केल्पिंग 6,000/- होने पर

(9) महिला के सम्पूर्ण सिर के बालों की "डी" स्केल्पिंग होने पर रु.12,000/-

"सहायता राशि भुगतान" निम्प और जोड़ा जाता है :-

मृत्यु की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट न होने पर दुर्घटना एवं मृत्यु के प्रमाणिकरण हेतु पंचनामे के आधार पर स्वीकृतियों दी जा सकेगी। पंचनामे में स्थानीय सरपंच/जिला परिषद के सदस्य पंचायत समिति के सदस्या पंच, स्थानीय स्कूल के अध्यापक, संबंधित पटवारी एवं कृषि पर्यवेक्षक में से कोई पांच व्यक्ति होंगे, जिनमे सरपंच एवं पटवारी आवश्क रूप से होंगे।

मृत्यु के पश्चात अंतिम संस्कार पंचनामे के आधार पर अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस के आधार पर होने की स्थिति में प्रतिवेदन भुगतान योग्य माना जावेगा।

"डी" स्केल्पिंग की दुर्घटना में सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे डाक्टर की रिपोर्ट पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि (अधिकतम रुपये 6,000/-) का भुगतान दुर्घटना ग्रस्त को सरकारी अस्पताल में ही संबंधित मण्डी सचिव द्वारा किया जावेगा जिसका पुनर्भरण विपणन बोर्ड द्वारा होगा। शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान पूर्व की भांति ही होगा।

भवदीय,
ह/-
(आर.के.जैन)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.15/1/कृषि/ग्रुप-2/89 जयपुर, दिनांक 12.2.1996

प्रशासक,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

विषय : कृषक साथी योजना।
संदर्भ : आपका पत्रांक 6969 दिनांक 21.11.95

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समसंख्य पत्र दि.30.8.94 एवं पत्र दिनांक 6 मार्च, 95 के द्वारा स्वीकृत कृषक साथी योजना में निम्न संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

मद संख्या (2) दुर्घटना में निम्न प्रकार को क्र.सं. 9,10 पर जोडा जाता है :-

(9) कृषकों/खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप या जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु होने या अंग भंग होने पर एवं ऊंट के काटने पर मृत्यु होने या अंग भंग होने पर।

(10) कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने या अंग भंग होने पर।

इसके अतिरिक्त मद संख्या (2) दुर्घटना के बिन्दू संख्या (2) में निम्न को भी जोड़े जाने की राज्य सरकार की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

ट्यूबवैल संचालित करते समय बिजली के करंट लगने से मृत्यु अथवा अंग भंग हो जाने पर।

भवदीय,
ह/-
उप शासन सचिव

परिशिष्ट 25

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गई)

को आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, जयपुर द्वारा सरकारी जमीन का अवैध बेचान

(श्री रामस्वरूप मीणा -टोडाभीम)

मान्यवर,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

खसरा नम्बर 328 की जमीन में से 12 बीघा 7 बिस्वा के रावल राघवेन्द्र सिंह ने जे.डी.ए. से 9 लाख 8 हजार 201 रुपये 96 नये पैसे व एक लाख 87 हजार 720 रुपये सरकार की बेचान कर दिया । उक्त जमीन सीलिंग कानून के तहत सरकार को बेची गई।

मान्यवर, उक्त जमीन सरकारी होने के बावजूद भी भू-माफिया (न्यू पिंक सोसायटी व खुदाबाड़ी सोनार का.हा.सो. जयपुर) द्वारा अवैध कब्जा कर इसका बेचान किया जा रहा है जिस पर श्यामनगर विस्तार व विवेक विहार बसा हुआ है । यहां मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि उक्त जमीन पर हाई कोर्ट के निर्देश भी दिये हुए हैं जिसमें यह उल्लेख है कि तब तक न्यायालय में रिट चलेगी तब तक 100 रुपये बीघा के हिसाब से जो करीब 15,000 रुपये प्रतिवर्ष बनते हैं, को सरकार के खाते में रूप राज लक्ष्मी को जमा कराने होंगे जो कि वर्ष 1976 से आज तक जमा नहीं कराये गये हैं।

अत: मेरा निवेदन है कि उक्त पूरे मामले की जांच करवाएं तथा इससे सरकारी जमीन जो भू-माफिया द्वारा बेची जा रही है उसे रोका जा सके।

नगरपालिका डूंगरपुर को डेमिया एवं पाटडी बांध से पीने के लिए पानी देने से डूंगरपुर जिले के काश्तकारों को होने वाले नुकसान बाबत

(श्री नाथूराम अहारी – डूंगरपुर)

महोदय जी,

डूंगरपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है । इस जिले में काश्तकारों की छोटी-छोटी काश्त की जमीनें हैं और गत दो-तीन वर्षों से अनावृष्टि होती जा रही है। फलस्वरूप हर वर्ष अकाल पड़ते हैं । श्रीमान्, डेमिया एवं पाटडी एकतंत्री शासन के समय से बने हुए हैं और इन बांधों से नीचे के जितने भी गांव हैं उनका जलस्तर कायम रहता था । जिससे जिले में काश्तकारों को सिंचाई व पीने के पानी की समस्या नहीं रहती थी लेकिन जब से उक्त बांधों से डूंगरपुर नगरपालिका को पानी देना प्रारम्भ किया है तब से उक्त बांधों में पानी की कमी आई है और लगातार आती जा रही है । आज हालत यह है कि डूंगरपुर के अधिकांश भाग में पीने के पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो गई है, कुएं सूख गये हैं , हैण्ड पम्प भी सूख गये हैं और सूखते जा रहे हैं ।

मेरी सरकार से मांग है कि डूंगरपुर नगरपालिका के लिए उक्त बांधों से जो पानी लिया जा रहा है उसे तुरन्त बंद किया जाए और नगरपालिका के लिए नगर के पास ही दोनकी पर दो-तीन एनीकट बनाए जाएं और एनीकटों के अन्दर बड़े बड़े कुएं खोदे जाएं और नगरपालिका को पानी दिया जाए जिससे शहर को पानी सस्ता दिया जा सकेगा और डूंगरपुर जिले के काश्तकारों की समस्या हल हो सके । साथ ही इस वर्ष भयंकर अकाल है, इस अकाल में ज्यादा से ज्यादा कुएं स्वीकृत किये जाएं । इन कुओं की स्वीकृति में ब्लास्टिंग राशि भी स्वीकृत की जाए ताकि इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा कुएं खोदे जा सकें और नगर और ग्रामीण काश्तकारों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके ।

श्रीमान्, मैं जलदाय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि डूंगरपुर नगरपालिका के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट दिया जाए ताकि डूंगरपुर नगरपालिका की जन समस्या हल हो सके ।

धन्यवाद ।

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में ए. सी. एम. कोर्ट को यथावत रखने के सम्बन्ध में

(श्री आत्माराम मेघवाल – देसूरी)

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र देसूरी मुख्यालय में सहायक कलेक्टर न्यायालय की स्थापना लोगों (जनता) की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई जिसका हाल ही नया भवन बनकर तैयार हो गया है तथा वहां निवास हेतु क्वार्टर भी बना दिये गये हैं । अब सरकार इस वर्ष सहायक कलेक्टर (न्यायालय) को समाप्त करने जा रही है, राजस्व मामले और लम्बित होंगे । एस.डी.ओ. बाली के पास पहले से ही अत्यधिक भार है जिससे ए.जी.एम. देसूरी को दो रोज बाली में कैम्प चलाना पड़ता है तथा देसूरी में भी एक ओर कोर्ट का कार्य हो और अब सरकार इस कार्यालय को समाप्त करके जनता को न्याय नहीं होगा ।

राजस्व मामले काफी लम्बे हैं। देसूरी तहसील के करीब 144 गांव हैं जिसमें समस्त काश्तकार, अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जिनकी राजस्व सम्बन्धी समस्या निवारण हेतु यह न्यायालय काबिज किया था । राजस्थान सरकार उन क्षेत्रों की हितैषी होते हुए भी यह सहायक कलेक्टर पद समाप्त कर जनता के साथ खिलवाड़ है । जनता इस सरकार से न्याय की उम्मीद रखती है ।

अत: देसूरी व खारची क्षेत्र की जनता व सभी जन प्रतिनिधियों की मांग है कि सहायक कलेक्टर (न्यायालय) का पद जारी रखा जाए जिससे उस क्षेत्र की जनता के मामले निपटाये जाएं ।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र के कुओं का जलस्तर बढ़ाने हेतु क्षेत्र में छोटे-छोटे सिंचाई बांध बनाने के क्रम में

(श्री गोपाराम मेघवाल - सिवाना)

मान्यवरजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सिवाना विधान सभा क्षेत्र के किसानों के कुओं का जलस्तर निरन्तर नीचे जाने के कारण कुओं का जल बढ़ाने हेतु में सिंचाई मंत्री का ध्यान मेरे क्षेत्र की और दिलाना चाहूंगा की पिछले दो वर्षों से लगातार अकाल स्थिति होने के कारण लगातार किसानों के कुओं का एवं जलदाय विभाग के कुओं का जलस्तर काफी नीचे चला गया है जिसके कारण क्षेत्र के काफी चिन्तित है। अत: चूंकि क्षेत्र में अब बार-बार अकाल पड़ता रहता है उस समय यह समस्या आती रहती है।

अत: सिवाना का कुछ भाग पहाड़ी क्षेत्र है अत: वहां पर कम खर्च में छोटे-छोटे सिंचाई बांध बनाने की काफी गुंजाइश है एवं सिंचाई विभाग द्वारा इन बांधों का समय-समय पर प्रस्ताव भिजवाया गया है।

अत: क्षेत्र में कुओं का जल स्तर अच्छा बनाये रखने हेतु मवडी बांध, पीपलून बांध, गुडानाल बांध एवं सेला बांध इत्यादि सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित है अत: उनका निर्माण कर क्षेत्र के किसानों को राहत पहुंचाएं।

सधन्यवाद ।

इटावा, जिला कोटा में नया ए.सी.एम. कोर्ट कार्यालय खोलने बाबत

(श्री रामगोपाल बैरवा – पीपल्दा)

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत आने वाले समस्त पंचायत समिति इटावा क्षेत्र में कमाण्ड एरियां होने व नहरों के माध्यम से भूमि सिंचित होने के इस क्षेत्र में भूमि के विवाद ज्यादा होते हैं। इस सभी विवादों जैसे इन्तकाल दुरस्त करना, गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करना मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना व अन्य समस्याओं के लिए इस क्षेत्र के किसानों को 100-125 कि.मी. की दूरी पार कर एस.डी.ओ. कोर्ट कोटा के पास आना पड़ता है। एस.डी.ओ. कोर्ट कोटा के पास गत 10-15 वर्षों से लगभग 1500-1600 प्रकरण लम्बे समय से विचाराधीन हैं। इस प्रकार कोटा जिला मुख्यालय पर आने-जाने में समय नष्ट होने व समय पर न्याय मिलने से किसान परेशान हैं व कोटा जिले की सभी तहसीलों में अधिक रेवेन्यू विभाग को इसी तहसील पीपल्दा के क्षेत्र से होती है।

अत: आप किसानों व क्षेत्र की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इटावा, जिला कोटा में नया ए.सी.एम. कोर्ट कार्यालय खोलकर किसानों का राहत प्रदान करने का श्रम करें।

धन्यवाद ।

जालौर विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत में ग्रेवल सड़क निर्माण के क्रम में

(श्री गणेशीराम मेघवाल – जालौर)

महोदय,

(1) उपरोक्त विषय में निवेदन है कि निम्बलाना से कुआवेर 1988-89 में ग्रेवल सड़क स्वीकृत हुई थी निर्माण भी हुआ था। अकाल का समय खत्म होतें ही यह वहीं छूट गई, ग्यारह वर्ष हो गये वैसे ही अधूरी है।

(2) निम्बलाना डोगरा पुराना रास्ता केसवना सड़क निर्माण निम्बलाना का मुख्यालय डांगरा है आगे केसवना कृषि केन्द्र वहां से तेल मिल तक जाने की नजदीकी सुविधा है यह सड़क बनाना जरूरी है । निम्बलाना से डांगरा के इस पुराने रास्ते राजीव गांधी पाठशाला भी बनी है। छोटे बच्चों को विद्यालय में आने में सुविधा रहेगी ।

(3) बैरठ से तड़वा ग्रेवल सड़क निर्माण करवाया जावे । जिससे तड़वा से बाकरा रोड़ कृषि मंडी तक किसानों को अनाज रायडा अन्य परिवहन करने में सुविधा रहेगी। इस हेतु ग्राम पंचायत के चार प्रस्वात जिला कलेक्टर साहब को भेजे हैं।

(4) लेटा से रतनपुरा होता हुआ महेशपुरा एवं महेशपुरा से सांमतीपुरा ग्रेवल सड़क निर्माण इन गांवों में अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग अधिकतर हैं। इन गावों में आवागमन का कोई रास्ता नहीं है। इस सड़क के बनने से लोगों के आने-जाने में सुविधा रहेगी। अत: अकाल राहत ग्रेवल सड़क की निर्माण करवाये ताकि गरीब लोगों को मजदूरी मिलेगी।

(5) एलाना से कुआ वेर तक ग्रेवल सड़क निर्माण अकाल राहत में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अब अकाल का समय है महरबानी कर काम चालू करवाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा, विकास होगा, आवागमन की सुविधा बढ़ेगी।

धन्यवाद ।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की एस्केप झील, गांव सुल्ताना के पास जहरीली घास पैदा होने की समस्या बाबत

(श्री गोवर्द्धन कल्ला – जैसलमेर)

महोदय,

विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत मैं इन्दिरा गांधी नहर मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में गांव सुल्ताना के पास बहुत बड़े भू-भाग पर एस्केप का नहरी पानी छोड़ा गया है जिससे कृत्रिम झील कई वर्षों से बनी हुई है । एस्केप चैनल बनाकर के पानी वापस सिंचाई नहरों में डालने की योजना धीमी गती से चल रही है । इस झील के नीचे कई आबंटियों के मुरब्बे आये हुए हैं। अभी एस्केप में अधिक पानी छोड़ा गया है। जिससे कई मवेशी दलदल में फंस कर मर गये हैं तथा झील के किनारे जहरीली घास उत्पन्न हो गई है । जिसको खाने से मवेशी मर रहे हैं। एक साथ 200 भेड़ों के मरने के समाचार आज के समाचार पत्रों में है। झील के पास मच्छरों का प्रकोप भयंकर है। अब कोई लाल रंग के बडे मच्छर देखने को मिल रहे हैं जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है।

माननीय नहर मंत्री से निवेदन है कि इस एस्केप झील को अविलम्ब बन्द करावें। गडरा रोड़ ब्रांच के कच्चे निर्माण में पानी छोड़ कर उपयोग में लें तथा जहरीले घास व नये प्रजाति के मच्छरों की जांच करवा कर ग्रामीणों को भयमुक्त करावें।

बाड़मेर जिले में विद्यालय क्रमोन्नत करने बाबत

(श्री अमराराम चौधरी – पचपदरा)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नियम 295 राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिला शिक्षा की दृष्टि से अति पिछड़ा हुआ है। राजस्थान के अन्य दूसरे जिलों से बाड़मेर जिले का शिक्षा का प्रतिशत कम है।

इस साल भयंकर से भयंकर अकाल है। अकाल का गरीब ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। गरीबी के कारण हमारे ग्रामों के बच्चे जहां प्राथमिक पाठशाला ही है, उच्च प्राथमिक में पढ़ने नहीं जा सकते तथा जहां उच्च प्राथमिक पाठशाला ही है वे माध्यमिक पाठशाला में पढ़ने नहीं जा सकते और जहां माध्यमिक पाठशाला है वहां से उच्च माध्यमिक में पढ़ने नहीं जा सकते हैं।

ऐसी भयंकर अकाल की स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक अकाल ग्रस्त वाले क्षेत्रों में स्कूलों को क्रमोन्नत किया जावे ताकि हमारे राष्ट्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी आगे पढ़ने से वंचित नहीं रहे । ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वे आर्थिक तंगी के कारण और इस भयंकर अकाल के कारण आगे नहीं पढ़ सकते।

अतः मेरा निवेदन है कि बाड़मेर जिले के पचपदरा विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित स्कूलों को क्रमोन्नत करने का सरकार को निर्देश दिलावें :-

1. प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।
2. भाण्डियावास प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।
3. रोडवा खुर्द प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।
4. भिण्डा कुंआ प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।
5. जानीयाना प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।
6. खारड़ी प्राथमिक पाठशाला को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।
7. झूण्ड प्राथमिक पाठशाला को (पंचायत समिति बायतू) उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत।

1. उच्च प्राथमिक पाठशाला चांदेसरा को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने।
2. उच्च प्राथमिक पाठशाला कुडी को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने।
3. उच्च प्राथमिक पाठशाला कोरना को माध्यमिक में।

4. उच्च प्राथमिक पाठशाला गीड़ा (पंचायत समिति बायतू) को उच्च माध्यमिक में करने। क्योंकि गीड़ा में पुलिस थाना है व गीड़ा उक्त तहसील भी है ।

और माध्यमिक पाठशाला कानाना जो सबसे पुरानी माध्यमिक पाठशाला है, यह 1962 में क्रमोन्नत की गई थी जिसको उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने।

उक्त पाठशालाएं बहुत ही पुरानी हैं व शिक्षा नीति के मापदण्डों के अनुसार हैं जिनको जनहित में क्रमोन्नत करना उचित रहेगा ।

धन्यवाद ।

कोटड़ी एवं गोगुन्दा के दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक कुओं का निर्माण करवाने बाबत

(श्री मांगीलाल गरासिया – गोगुन्दा)

मान्यवर,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत पंचायत समिति कोटड़ा बहुल आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र होने तथा दूरदराज के क्षेत्रों में जहां हैण्डपम्प नहीं लग सकते ऐसे स्थानों की ओर माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में इस आदिवासी अंचल में पानी की भयंकर समस्या है। लोग नदी के अन्दर सामूहिक गड्ढा बनाकर पानी पीने को मोहताज हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में निम्न स्थानों पर सार्वजनिक कूप निर्माण करवाया जाकर पानी की समस्या समाधान में सहभागी बनें जो इस प्रकार है:-

1. गांव लुआरचा पुल के पास, पं. क्यारी।
2. झाड़ी रोहण राणी का आम्बा - क्यारी।
3. घरा पं. क्यारी।
4. बेराफली पं. क्यारी।
5. कमर पं. गोगरूद।
6. गांव झालरा, पं. गोगरूद।
7. गांव देवरा सिम्बल पं. गोगरूद।
8. ओला उबरिया सिम्बल पं. गोगरूद।
9. हागणा मवरिया (पीपरमाल) पं. गोगरूद।
10. कडेच ढेडपालिया पं. चित्रवास पं.स. गोगुन्दा।
11. डामरा फली नीचला चित्रावास पं. चित्रावास, पं.स. गोगुन्दा।

धन्यवाद।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में बांध एवं एनीकट बनवाने बाबत

(श्री धर्मपाल चौधरी – मण्डावर)

महोदय,

मेरे क्षेत्र मण्डावर में सिंचाई विभाग द्वारा कोई बांध या एनीकट नहीं बनाये हुए हैं । मेरे क्षेत्र में बिटोली बांध जिसका सर्वे भी सन् 1972 में हो चुका था, यह गांव तीन पहाड़ियों के बीच है, अगर यह बांध बन जाता है तो 15 गांवों में जलस्तर की समस्या का समाधान हो जाएगा । माननीय सिंचाई मंत्री जब उप चुनाव में दौरों में गई थीं जब उन गांवों में घोषणा की थी कि चुनाव के बाद इसमें कार्य चालू करवा देंगे । इसके अलावा जिन्दोली बांध सिगलका का पहाड़ियों में बांध एक अन्य जगह एनीकट बनाने अति आवश्यक हैं। क्योंकि सदन में रोज पानी की चर्चा होती है इन गांवों में बांध नहीं होने के कारण यह पानी ढलाना होने के कारण बह कर चला जाता है । यह बहुत बड़ी पानी की समस्या है ।

अत: माननीय सिंचाई मंत्री मण्डावर क्षेत्र की पानी की समस्या का ध्यान रखते हुए शीघ्र ही मण्डावर क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान शीघ्र करने की कृपा करेंगी ।

धन्यवाद ।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) में अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा से ग्रामों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

(श्री रिछपाल मिर्धा – डेगाना)

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना, जिला नागौर की जनसंख्या और ग्रामों की संख्या एवं ग्राम पंचायतों की संख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। इतने बड़े विधान सभा क्षेत्र में 200 से अधिक ग्राम, 100 के करीब ढाणियां एवं 56 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं। चिकित्सा विभाग की तरफ से इस क्षेत्र में केवल एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, केवल 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा केवल 72 उप स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जो गांवों की संख्या, ग्राम पंचायतों की संख्या और जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए कम हैं। कई स्थानों पर दस-दस किलोमीटर तक चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। क्षेत्र के ग्राम भैरूंदा, डोडियाना, सांजू, बुटाटी, डेगाना गांव आदि बड़े गांव तथा कस्बे हैं जिनकी जनसंख्या 3000 से 9000 के बीच है तथा इन गांवों के आसपास दस-पन्द्रह किलोमीटर तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत नहीं है जिससे हजारों की संख्या में ग्रामीणों को इलाज के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है जिससे भारी परेशानी का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है।

उक्त क्षेत्र के ग्राम आलनियांवास, थांवला हरसौर आदि गांवों की जनसंख्या 5000 से 10000 के बीच है तथा यहां पर अभी तक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। थांवला इस विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है जिसकी जनसंख्या 10000 से अधिक है। इस गांव के आसपास 30 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत नहीं है। इसके आसपास के 50 हजार की आबादी के ग्रामीण चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। अत: थांवला में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें।

इसी तरह रावलियाबास, गुन्दीसर, हबचर, चूडियास, अलवास सूरियास, ईंयासनी आदि गांवों में चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इन गांवों में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें ताकि ग्रामीण गरीब जनता लाभान्वित हो सके।

धन्यवाद।

पाली शहर में रिहायशी मकानों के पट्टे जारी करने बाबत

(श्री ज्ञानचन्द पारख – पाली)

मान्यंवर,

आज से करीब दो वर्ष पूर्व जिला कलेक्टर पाली द्वारा पाली शहर की वो बस्तियां जो कृ भूमि पर स्थित हैं उनको नियमित करने हेतु शिविर लगाये गये । बापूनगर विस्तार, जन कालोनी, बजरंग नगर, रज नगर, राम नगर, महात्मा गांधी कालोनी, पंचम नगर आदि बस्ति में वहां के मकान मालिकों को एवं भूखण्डधारियों ने प्रशासन के विश्वास पर कि समस्त प्रक्रि एवं राशि जमा की कार्यवाही के बाद वहीं पट्टे उपलब्ध करा दिये जाएंगे, अपनी फाइलें तैयार एवं भूमि स्थानान्तरण एवं विकास शुल्क की सम्पूर्ण राशि भी शिविरों में जमा करा दी । लोगों को पट्टे दे दिये गये परन्तु अभी भी ऐसी कई पत्रावलियां जिनमें सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण है समस्त राशि भी जमा है, निस्तारण नहीं किया गया एवं पट्टे नहीं दिये गये । कई प्रकरणों में भर ाये एवं आवेदकों से स्टाम्प भी मंगवा दिये फिर भी पट्टे नहीं दिये गये । आवेदक पिछ लगभग दो वर्षों से जिला कलेक्टर, उप जिला कलेक्टर, भूमि रूपान्तरण से बारबार मिलकर देने की मांग कर रहे हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही । राज्य सरकार भी कृषि भूमि बसी बस्तियों के स्थानान्तरण हेतु काफी गंभीर हैं एवं अपने परिपत्र में भी यह स्पष्ट किया है जिन पत्रावलियों में रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क की सम्पूर्ण राशि जमा हो गई है उन्हें पट्टे दिये जावें पर उप जिला कलेक्टर, भूमि रूपान्तरण सरकारी परिपत्रों की परवाह नहीं आवेदकों को बेवजह तंग कर रहे हैं एवं मनमाने तरीके से नये नये नियम बता रहे हैं । मैंने पूर्व भी इस प्रकरण में विधान सभा में प्रश्न लगाया था जिसमें यह उत्तर दिया कि जून 99 तक सभी प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा । परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद भी एक प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया । इस प्रकार विधान सभा में दिये गये आश्वासन को नहीं किया गया ।

मेरा राज्य सरकार से निवेदन है, इन्हें तत्काल पट्टे दिये जावें एवं जिन अधिकारि कर्मचारियों ने लापरवाही बरती एवं विधान सभा में दिये गये आश्वासन की पालना नहीं की, ही राज्य सरकार के परिपत्रों एवं आदेशों की पालना न कर अनदेखी कर मनमाने तरीके से जन को परेशान किया उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावे ।